त्रयोदश माला, खंड 20, अंक 2

NOT TO BE ISSUED

मंगलवार, 20 नवम्बर, 2001
29 कार्तिक, 1923 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 52
Date 12/6/02

(खंड 20 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 20, आठवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 2, मंगलवार, 20 नवम्बर, 2001/29 कार्तिक, 1923 (शक)

विषय **कॉलम**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 21 और 24 से 27 5–37

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 22, 23 और 28 से 40 38–60

अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 460 61–478

मंत्रियों का परिचय 479

सभा पटल पर रखे गए पत्र 479–482

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति 482–483

लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र 484

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

अध्ययन दौरा प्रतिवेदन 484

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

तीसरा और चौथा प्रतिवेदन 484

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

अस्सीवां प्रतिवेदन 485

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

साक्ष्य 485

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

रूस, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा ब्रिटेन के हाल के अपने दौरे और अफगानिस्तान की स्थिति

श्री अटल बिहारी वाजपेयी 487–491

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में 491–492

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
जार्ज फर्नान्डीज को केन्द्रीय मंत्रिमंडल में पुन: लिए जाने के बारे में	495–507
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (संशोधन) विधेयक	508–510
नियम 377 के अधीन मामले	510–516
(एक) राजस्थान में अजमेर में हवाई अड्डा बनाए जाने की आवश्यकता	
प्रो. रासा सिंह रावत	510
(दो) गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सगवारा तहसील में दूरदर्शन कार्यक्रमों का स्पष्ट प्रसारण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री मनसुखभाई डी. वसावा	511
(तीन) अफीम उत्पादकों विशेष रूप से मध्य प्रदेश के अफीम उत्पादकों को पहचान पत्र दिए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	511
(चार) नगिनीमोरा-कोहिमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री के.ए. सांगतम	512
(पांच) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-80 का समुचित रख-रखाव किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुबोध राय	513
(छह) आन्ध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में सलूर कस्बे में एक बाईपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
डा. डी.वी.जी. शंकर राव	513
(सात) उत्तर प्रदेश में खलीलाबाद चीनी मिल के कर्मचारियों और गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए उक्त मिल को पुन: खोलने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री भालचन्द्र यादव	513
(आठ) देश में गो-वध पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए कठोर कानून बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रकांत खैरे	514
(नौ) मतदाताओं द्वारा अपनी सुविधानुसार फोटो पहचान-पत्र बनाने के लिए देश के सभी जिलों में फोटोग्राफी यूनिट खोले जाने की आवश्यकता	
श्री बालकृष्ण चौहान	514
(दस) तमिलनाडु के वैल्लोर जिले में अर्कोनम रेलवे स्टेशन पर वृंदावन, त्रिवेन्द्रम और दादर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता	
डा. एस. जगतरक्षकन	515
(ग्यारह) दक्षिण बिहार में आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता	
श्री अरुण कुमार	515

विषय | कॉलम

(बारह) उड़ीसा के क्योंझर जिले में हाथियों के आतंक को रोकने के लिए हाथियों के लिए एक अभ्यारण्य बनाए जाने की आवश्यकता

श्री अनंत नायक ... 515

मणिपुर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा को जारी रखने का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प ... 516–565

श्री लाल कृष्ण आडवाणी ... 516, 561

श्री मणिशंकर अय्यर ... 518

प्रो. रासा सिंह रावत ... 525

श्री बाजूबन रियान ... 528

श्री टीएच. चाओबा सिंह ... 530

श्री प्रबोध पण्डा ... 535

श्री रामजीवन सिंह ... 536

श्री संतोष मोहन देव ... 539

श्री रामानन्द सिंह ... 544

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ... 547

श्री होलखोमांग हौकिप ... 550

श्री अरुण शौरी ... 553

श्री राशिद अलवी ... 556

श्री रामजी लाल सुमन ... 559

श्री हरीभाऊ शंकर महाले ... 560

श्री रामदास आठवले ... 561

सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक ... 565–582

विचार करने के लिए प्रस्ताव ... 565

श्री मुनिलाल ... 565, 578

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन ... 567

श्री सुनील खां ... 572

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ... 574

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर ... 575

खंड 2 और 1 ... 580

पारित करने के लिए प्रस्ताव ... 581

लोक सभा

मंगलवार, 20 नवम्बर, 2001/29 कार्तिक, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। प्रश्न काल के पश्चात् मैं आपको मुद्दे उठाने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, किसान बर्बाद हो गया है।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कवैश्चन आवर के बाद आप रेज कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, मैं प्रश्न काल के पश्चात् आपको यह मुद्दा उठाने की अनुमति दूंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, मुझे आपका नोटिस मिल गया है। मैं प्रश्न काल के पश्चात् आपको अपनी बात कहने की अनुमति दूंगा। अब कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हमें प्रश्न काल में व्यवधान नहीं डालना चाहिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 21—श्री दिनेश चन्द्र यादव बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, क्वैश्चन आवर के बाद आप रेज कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, मैं आपसे स्थान ग्रहण करने का अनुरोध कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: लोक सभा में बैठकर क्या करेंगे? किसान बर्बाद हो रहा है।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्वैश्चन आवर के बाद आपको मौका देंगे।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री बसुदेव आचार्य, मुझे आपका नोटिस भी मिल गया है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादवः महोदय, यहां बैठकर क्या करेंगे। आपको मदद करनी चाहिए।...*(व्यवधान)* किसान बर्बाद हो गया है, आत्महत्या करेगा। अगली फसल बर्बाद हो जाएगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री मुलायम सिंह यादव, मैं बोल रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यों मैं बोल रहा हूं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कुंवर अखिलेश सिंह आप भी अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः श्री मुलायम सिंह यादव, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, भाजपा नेता इस देश के धर्म-निरपेक्ष स्वरूप को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न संख्या 21—श्री दिनेश चन्द्र यादव बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः महोदय, क्या आप यह मामला प्रश्न-काल के बाद उठायेंगे।

अध्यक्ष महोदयः हमें पहले प्रश्न-काल पूरा करने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः श्री रामेश्वर डूडी।

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न-काल के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदयः श्री विनय कटियार, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः मुलायम सिंह जी, आप प्रश्न-काल के बाद बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादवः महोदय, किसानों का जो घाटा हुआ है उसे वापस कराइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः जी नहीं, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूं।

[हिन्दी]

आप प्रश्न-काल में यह कैसे रेज कर सकते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मुलायम सिंह जी, यह ठीक नहीं है, आप प्रश्न-काल के बाद बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

...(व्यवधान) *

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आप बैठ जाइए, दस मिनट हो गए हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: हम बैठ कर क्या करें। संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर कुछ कहें।...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अभी बैठ जाइए, प्रश्न-काल में माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने दीजिए। अभी प्रश्न-काल चलने दीजिए, आप 12 बजे इस विषय को उठाइए।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उसके बाद प्राथमिकता के आधार पर लेंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, यह ठीक नहीं है, आप प्रश्न-काल के बाद बोलिए।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां

+
*21. **श्री रामेश्वर डूडी:**
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन महीनों के दौरान, विशेषकर 11 सितम्बर, 2001 को अमेरिका में हुए आंतकवादी हमले के बाद से, जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों और आत्मघाती हमलों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी घटना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी प्रत्येक घटना में कितने नागरिक/सुरक्षाकर्मी/आंतकवादी मारे गए/घायल हुए;

(घ) इनमें से प्रत्येक घटना में सरकारी/सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस राज्य में कितने आतंकवादी संगठन हैं और उनके कितने सदस्य सक्रिय हैं तथा उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने घुसपैठिए मारे गए;

(च) उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(छ) क्या प्रधान मंत्री ने इस मामले में अमेरिका से हस्तक्षेप करने की मांग की है;

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके क्या परिणाम निकले; और

(झ) जम्मू और कश्मीर में आंतकवादियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा अन्य कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (झ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा का स्तर पिछले कुछेक महीनों के दौरान एक जैसा बना रहा। तथापि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों पर लगातार दबाव बनाए रखा और उन्होंने अगस्त से अक्तूबर, 2001 तक 616 आतंकवादियों को मारकर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

(ख) और (ग) जम्मू और कश्मीर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अगस्त से अक्तूबर, 2001 के दौरान हुई आतंकवादी घटनाओं की कुल संख्या 1365 है जिमें 273 सिविलियन, 163 सुरक्षा बल कार्मिक और 616 आतंकवादी (जिनमें से 184 भाड़े के विदेशी सैनिक थे) मारे गए।

11 सितम्बर, 2001 के बाद जम्मू और कश्मीर में हुई आतंकवाद की प्रमुख घटनाएं नीचे दी गई हैं:-

(1) एस ओ जी कैम्प, हन्डवाड़ा पर हमला:

17.09.2001 को एस ओ जी कैम्प हन्डवाड़ा, कुपवाड़ा पर फिदाईन हमले में 9 एस ओ जी कार्मिक मारे गए और 11 अन्य जख्मी हुए।

(2) 1.10.2001 को श्रीनगर में राज्य विधान सभा पर हमला:

आतंकवादियों ने एक प्रमुख हमले में लोकतंत्र के प्रतीक श्रीनगर में राज्य विधान सभा पर फिदाईन हमला किया, जिसमें 39 व्यक्ति मारे गए और 60 जख्मी हुए। पहले आतंकवादियों ने विधान सभा परिसर के

द्वार पर एक कार बम से विस्फोट किया। बाद में विधान सभा परिसर के भीतर फंसे 3 उग्रवादियों को, सुरक्षा बलों द्वारा एक भीषण मुठभेड़ में मार गिराया गया। कुल मिलाकर 4 उग्रवादी मारे गए। आतंकवादी गुट जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेवारी ली।

(3) जम्मू और कश्मीर में वायुसेना बेस पर असफल हमला:

खाकी वर्दी पहने लश्कर-ए-तैयबा के चार उग्रवादियों, ने परिसर में घुसने की एक असफल कोशिश करते हुए 22.10.2001 को वायुसेना स्टेशन अवन्तीपुर (पुलवामा) के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्डों पर अंधाधुंध गोलियां चलायी। सन्तरियों ने जबावी कार्रवाई कर सभी चारों आतंकवादियों को मार गिराया। परस्पर गोलीबारी में एक संतरी और एक सिविलियन भी मारा गया और तीन सुरक्षा बल कार्मिक और एक सिविलिय जख्मी हुआ।

(4) पुलिस स्टेशन पर हमला (जम्मू और कश्मीर में):

जैश-ए-मोहम्मद का एक आतंकवादी 26.10.2001 को पुलिस स्टेशन छदूरा (बदगाम) के स्नानागार में घुसा और गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे एक उप निरीक्षक सहित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दो कार्मिक मारे गए। सेना/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने क्षेत्र को घेरा और मुठभेड़ में आतंकवादी को मार गिराया।

(5) उग्रवादियों द्वारा धार्मिक स्थानों का दुरूपयोग:

सेना/पुलिस द्वारा चलाए गए एक अभियान के दौरान, गांव पंजान, छदूरा (बदगाम) में एक मस्जिद में फंसे एक उग्रवादी को 29.10.2001 को मार गिराया गया और उससे चार मैगजीनों सहित, 1 ए के राइफल, बरामद की गयी। मारे गए विदेशी उग्रवादी ने मस्जिद में शरण ली थी। सुरक्षा बलों ने संयम बरतते हुए, धार्मिक स्थान को नुकसान से बचाने के लिए लगभग 48 घंटे तक अभियान चलाया।

(6) सेना शिविर, अनन्तनाग पर हमला:

3 नवम्बर, 2001 को पेठ दायलगाम (अनन्तनाग) में, 36 आर आर कैम्प पर एक फिदाईन ग्रुप द्वारा किए गए हमले में सेना के चार जवान और पांच अन्य जख्मी हुए। मुठभेड़ के बाद, लश्कर-ए-तैयबा का एक उग्रवादी मारा गया।

(7) मैत्रा, रामबन में चेनाब पुल पर सेना की कानवाई पर हमला:

18 नवम्बर, 2001 को राबमन सस्पेन्सन पुल पर आतंकवादियों ने सेना के कार्मिकों पर हथगोले फैंके और गोलियां चलायी, जिसमें दस सैनिक और चार सिविलियन मारे गए और सेना के 29 कार्मिक और 3 सिविलियन जख्मी हुए। इस गोलीबारी में दो आतंकवादी भी मारे गए। लश्कर-ए-तैयबा ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है।

(घ) भारत सरकार द्वारा इस प्रकार की सूचना संकलित नहीं की जाती है। तथापि, जैसा कि राज्य सरकार ने सूचित किया है, अगस्त से अक्तूबर, 2001 के दौरान उग्रवादियों द्वारा नष्ट की गयी सरकारी/सार्वजनिक सम्पत्ति नीचे दिखाई गयी है:

	उग्रवादियों द्वारा नष्ट की गयी सम्पत्ति			
	सरकारी भवन	शैक्षिक भवन	पुल	अस्पताल
अगस्त से अक्तूबर, 2001	4	0	0	0

(ङ) हिज्बुल मुज्जाहिद्दीन (एच एम) लश्कर-ए-तैयबा (एल ई टी), हरकत-उल-मुज्जाहिद्दीन (एच यू एम), जैश-ए-मोहम्मद (जे ई एम), अल-उमर-मुज्जाहिद्दीन (ए यू एम), अल-बदर तथा जम्मू और कश्मीर इस्लामिक फ्रंट (जे के एल एफ) इत्यादि पाक आई एस आई द्वारा प्रायोजित प्रमुख पाक इस्लामिक जेहादी आतंकवादी गुट हैं। उपलब्ध अनुमानों के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या 3000 और 4000 के बीच है।

जम्मू और कश्मीर राज्य में सक्रिय आतंकवादियों ने बड़ी संख्या में पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर से घुसपैठ की है। यहां तक कि स्वदेशी आतंकवादी अधिकतर पाकिस्तान/पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित कैम्पों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और उसके बाद वे वापस राज्य में घुस आते हैं। अगस्त से अक्तूबर 2001 के दौरान 616 उग्रवादी मारे गए।

(च) जम्मू और कश्मीर में पाक आई एस आई द्वारा सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए, सरकार ने, राज्य सरकार के साथ मिलकर, एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, जम्मू और कश्मीर के भीतर आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिकारक कार्रवाई करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, यू एच क्यू, के आपरेशन ग्रुपों और आसूचना ग्रुपों के संस्थागत ढांचे के जरिए सभी स्तरों पर वृहत्त कार्यात्मक एकीकरण करना, सुरक्षा बलों के लिए विकसित प्रौद्योगिकी, हथियार और उपस्कर उपलब्ध करना और आतंकवादियों के प्रत्यक्ष समर्थकों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करना शामिल है।

राज्य पुलिस ने अन्य सुरक्षा बलों के साथ परामर्श करके फिदाईन हमलों से समुचित और कारगर तरीके से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की फील्ड यूनिटों के लिए कुछेक मानक कार्यप्रणालियां तैयार की हैं।

आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए रणनीतियों, युक्तियों और परिवर्तनात्मक तैनाती का राज्य में और एकीकृत मुख्यालय में विभिन्न स्तरों पर निरन्तर पुनरीक्षण, शोधन और प्रबोधन किया जाता है।

उपर्युक्त उपायों के अलावा, आतंकवादी गुटों, अर्थात् जे ई एम, एल ई टी, एच एम, एच यू एम, ए यू एम और जे के आई एफ को 24.10.2001 को आंतकवाद निवारण अध्यादेश, 2001 (2001 की सं. 9) की धारा 18 के अंतर्गत आंतकवादी संगठन घोषित किया गया है।

(छ) और (ज) सरकार ने, जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद की समस्या को हल करने में किसी भी देश को हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहा है। तथापि, सरकार ने पाकिस्तान द्वारा भारत में सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन देने और उसे प्रायोजित किए जाने के बारे में अमरीका सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराने के लिए हर अवसर का प्रयोग किया है। श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर विधान सभा भवन पर 1 अक्तूबर, 2001 को हुई फिदाईन हमले के बाद, प्रधान मंत्री ने अमरीका और अन्य मित्र देशों को इस हमले के प्रति भारत के लोगों की मनोव्यथा के बारे में सूचित किया है।

12 अक्तूबर, 2001 को, अमरीका ने जैश-ए-मोहम्मद, जिस ग्रुप ने इस घटना की जिम्मेवारी ली थी, को 23 सितम्बर, 2001 के राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश के तहत यू एस डिपार्टमेन्ट आफ ट्रेजरी की आतंकवादी सूची में डाल दिया है।

(झ) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के साथ मिलकर, जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद/आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए अपनी बहुआयामी रणनीति जारी रखे हुए है। इस रणनीति में, सुरक्षा आयामों के अलावा, आर्थिक विकास को तेज करने और लोगों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। सरकार ने जम्मू और कश्मीर में उन सभी के लिए वार्ता हेतु अपने दरवाजे भी खुले रखे हुए हैं जो हिंसा का मार्ग त्याग देते हैं।

[हिन्दी]

आतंकवादियों को विदेशी सहायता

***25. +श्री नवल किशोर राय:**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेषकर जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों के लिए विदेशों से धन मिलता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से देश ऐसी सहायता दे रहे हैं; और

(ग) देश में आतंकवादियों/आतंकवादी संगठनों को मिलने वाली ऐसी सहायता को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय विघटनकारी और आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान और विदेशों में स्थित उनके समर्थक अन्य ग्रुपों द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। पाकिस्तान की आई एस आई, सब प्रकार से उन्हें गुप्त रूप से धन देने वाला मुख्य स्रोत है। अनेक विदेशी कट्टरपंथी संगठन भी उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहे हैं।

प्रवर्तन और सुरक्षा एजेन्सियां, देश के विभिन्न भागों में विभिन्न अलगाववादी और उग्रवादी संगठनों के खिलाफ निरन्तर सतर्कता और अभियानों के जरिए इस प्रकार की गुप्त गतिविधियों को

नियंत्रित करने के लिए सतत प्रयास कर रही हैं। इस संबंध में सभी संगत जानकारी समय-समय पर संबंधित एजेन्सियों/विभागों को दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय: हम प्रश्न संख्या 21 और 25 को एक साथ ले सकते हैं क्योंकि उनका विषय एक जैसा है। श्री रामेश्वर डूडी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर डूडी: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था, मैंने इस प्रश्न में यह जानना चाहा था कि जम्मू-कश्मीर के अंदर इतना आतंकवाद बढ़ा है, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है और उसे रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: अध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा नहीं है, लेकिन सिक्युरिटी फोर्सेस और आर्मी का जो लेवल है,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा। मंत्री के उत्तर के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: हम आपको फीगर्स देंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: मैं आपको बता रहा हूं यह बात ठीक है कि टेररिज्म का लेवल वही रहा है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कुछ सफतला मिलिट्री को भी मिली है। आतंकवादियों ने अपनी स्ट्रेटेजी को बदलने की कोशिश की है और सिविलियन्स के बजाए उन्होंने अपना ध्यान आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ लगाया है। अब 18 तारीख का जो हादसा हुआ है उसके साथ अगर आप टोटल फिगर्स लेंगे तो आप पायेंगे कि इन दो-तीन महीनों में जितनी किलिंग्स मिलिटेंट्स और आतंकवादियों की हुई हैं उतनी पहले कभी नहीं हुई थीं। कुल 600 से ज्यादा किलिंग्स हो चुकी हैं। हमारी आर्मी को आतंकवाद कम करने में काफी सफलता मिली है। लेकिन यह बात सही है कि मिलिटेंसी का लेवल डाउन नहीं हुआ है। जब वे स्ट्रेटेजी बदलते हैं तो आर्मी भी अपनी स्ट्रेटेजी बदलती है और आर्मी की सफलता भी काफी रही है।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष जी, जम्मू-कश्मीर विधान सभा भवन पर तो बम फट गया है...*(व्यवधान)* अब तो यहां दिल्ली लोक सभा में बम फटना बाकी है...*(व्यवधान)* आप स्ट्रेटेजी ही बनाते रह जाएंगे।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: आपने यह नहीं देखा कि तीन अन-सक्सैसफुल अटैक हुए हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आपको केवल मुख्य अनुपूरक प्रश्न का ही उत्तर देना है।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर डूडी: इसके अलावा तालिबान के भगौड़े पाकिस्तान में शरण ले रहे हैं और वहां से वे जम्मू-कश्मीर में घुस रहे हैं उनके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: जो भगौड़े अफगानिस्तान से पाकिस्तान जा रहे हैं तो यह पाकिस्तान की समस्या है। हमारी समस्या घुसपैठ को रोकने की है। जो भी मिलिटेंट्स या टैरेरिस्ट्स एल.ओ.सी. या इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ करना चाहते हैं उसके लिए हमने पूरी व्यवस्था की है। अभी भी घुसपैठ का जो लैवल है वह कम है, ज्यादा नहीं बढ़ा है और जो माननीय सदस्य ने अफगानी घुसपैठियों के बारे में कहा है तो वह समस्या पाकिस्तान की है, हमारी नहीं है।

श्री रामेश्वर डूडी: दो दिन पहले जो सिविलियन्स मारे गये हैं ऐसा फिर न हो इसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं। जो भगौड़े अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान आ रहे हैं वही जम्मू-कश्मीर में घुस रहे हैं।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: 18 तारीख को जो ग्रैनेड से आर्मी पर हमला हुआ है उसमें चार सिविलियन्स भी मारे गये थे। उसमें विदेशी मिशनरीज का हाथ है लेकिन जिनकी बात आप कर रहे हैं कि अफगानिस्तान से भगौड़े पाकिस्तान जा रहे हैं तो वह पाकिस्तान की समस्या है, वह हमारी समस्या नहीं है। पाकिस्तान उनको रोके।...*(व्यवधान)* 18 तारीख के हादसे में भी अफगानिस्तान के भगौड़ों का हाथ नहीं है। 18 तारीख के हादसे की जिम्मेदारी लश्करे तैयबा ने कबूल की है।

श्री नवल किशोर राय: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मूल प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि आतंकवादी संगठनों को विदेशों से फंडिंग हो रही है। 'पायनियर' अखबार के 7 अक्टूबर के तीसरे पन्ने पर जो रिपोर्ट छपी है उसमें सीरिया के बारे में तथा ओसामा-बिन-लादेन के बारे में भी है तथा हमारी इंटेलिजेंस ने भी फंडिंग की बात को स्वीकार किया है। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि पिछले दो दशक से जो पूर्वोत्तर और कश्मीर में आतंकवादी संस्थाओं को विदेशों से पैसा मिल रहा है, वह उनको न मिले, इसके लिए सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर क्या प्रयास किया है तथा उन प्रयासों का क्या प्रभाव पड़ा है। सन् 1976 में एफसीआरए का जो कानून विदेशों से धन आने के बारे में बना लेकिन एक अनुमान के अनुसार एक हजार करोड़ से चार हजार करोड़ रुपये तक इन आतंकवादी संगठनों के पास धन आ रहा है। क्या एफ सी आर ए कानून के द्वारा इस धन को रोका नहीं जा सकता तथा सरकार ऐसे धन को रोकने के क्या उपाय कर रही है।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: एफ.सी.आर.ए. कानून के तहत रिआर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और एजूकेशन के लिए, इकोनोमिक डैवलपमेंट के लिए तथा कल्चरल एक्टिवीटीज के लिए पैसा आता है और उसका पैसा लेने के लिए बाकायदा एक तरीका है। लेकिन जो संस्थाएं उसे मिसयूज करती हैं, पेरेंट्स के पास पैसा पहुंचता है, उनका एकाउंट प्रॉपर नहीं रखती हैं, उनके खिलाफ प्रॉसिक्यूशन भी होता है, उनको नॉन रजिस्टर भी किया जाता है। उन्हें आईंदा पैसा न मिल सके, इसे प्रॉहिबिट किया जाता है। ये सब काम किए जाते हैं। पिछले तीन साल में 950 ऐसी संस्थाएं हैं जिनको डिरिकॉग्नाइज्ड किया गया। पिछले एक साल में तकरीबन 10 ऐसी संस्थाएं हैं जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया। एफ सी आर ए के नीचे प्रावीजन्स हैं, प्रासिक्यूशन का भी, एकाउंट्स को सील करने का भी और प्रॉपर्टी कान्फिसकेट करने का भी। वे आईंदा पैसे न ले सकें, ये सब काम किए जाते हैं। हवाला या दूसरे तरीके से जो पैसा आता है, उसे इंटैलिजेंस एजेंसी और हमारी दूसरी एजेंसियां वाच करती हैं तथा उसके मुताबिक कार्रवाई की जाती है।

श्री नवल किशोर राय: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया है। एक हजार करोड़ रुपए से चार हजार करोड़ रुपए तक इन आतंकवादी संगठनों को प्रति वर्ष धन मुहैय्या किया जा रहा है जो कि बहुत अधिक है। इस दिशा में सरकार के प्रयास संतोषप्रद नहीं हैं। क्या सरकार कोई ऐसी कार्रवाई करेंगी जिससे आतंकवादी संगठनों को मिलने वाला विदेशी धन पूर्णत: बंद हो जाए। क्या सरकार ऐसी कोई कार्रवाई करना चाहती है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के दो अलग-अलग विषय हैं। एफ.सी.आर.ए. के माध्यम से जो धन यहां आता है, वह रैगुलर सोर्सिस से आता है और वह कुछ संस्थाओं को प्राप्त होता है। वे उनका सही उपयोग करते हैं या नहीं, उसका भी निरीक्षण होता है। जैसा राज्य मंत्री जी ने अभी बताया कि वे उनका उपयोग नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उसे डिरिकॉग्नाइज किया जाता है। आतंकवादी संगठनों को जो धन प्राप्त होता है, वह एफ.सी.आर.ए. के माध्यम से नहीं होता है। वह हवाला के माध्यम से या और चैनल्स से प्राप्त होता है, जो लैजिटिमेट नहीं है। इसलिए खोजना पड़ता है। खोज करके जिन-जिन सोर्सिज से या हवाला के माध्यम से उनको धन प्राप्त होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर की पुलिस ने और केन्द्र की एजेंसी ने कुल मिलाकर इस बारे में खोजबीन की है। उन्हें बड़ी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी मिली है जिसके आधार पर कार्रवाई चल रही है।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, आतंकवादी सगठनों को विदेशों से खासतौर पर आई.एस.आई. या उससे संबंध रखने वाले जो आर्गेनाइजेशन्स हैं, वहां से पैसा आता है। मात्र कानून बनाने से पैसा आने से रोका नहीं जा सकता है। हमने इस बारे में काफी प्रयास किया। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि आज भी नेपाल बॉर्डर पर उग्रवादी और कट्टरपंथी संगठन मदरसे चला रहे हैं। तकरीबन 800 मदरसे सिद्धार्थनगर में हैं। 126 छोटे-मोटे मदरसे हैं। राजस्थान के बार्डर पर देखें तो वहां भी 300-400 मदरसे चल रहे हैं। बिहार की 666 किलोमीटर सीमा को देखें तो वहां भी ऐसे मदरसे चल रहे हैं। इन सबको चलाने के लिए धन की आवश्यकता है और वह धन बाहर से आता है। इन मदरसों में जो एक्टिविटीज चल रही हैं, उन्हें देखने पर हमें महसूस होता है कि हमारी सीमाएं असुरिक्षत हैं और सीमाओं से आना-जाना अवैध रूप से लगा रहता है। मेरा सुझाव है कि अगर 10 किलोमीटर की निर्जन पट्टी बना दी जाए तो हमारी सीमा सुदृढ़ होगी। सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है? 10 किलोमीटर पर सीमा सुरक्षा हो जाए और एक निर्जन पट्टी बनाकर उसको सुरक्षित किया जाये क्योंकि स्मगलिंग और ड्रग्ज के माध्यम से जो पैसा आता है, वह आतंकवादियों को जाता है। सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. इन्दौरा, यह प्रश्न आतंकवादियों को विदेशी मदद के संबंध में है।

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, मैं टैरेरिस्ट्स की बात कर रहा हूं। मेरा मतलब है कि यह पैसा सीमा पार से आता है हमारी सीमायें सुरक्षित नहीं हैं। सरकार इसे रोकने के लिये क्या करने जा रही है कि हमारी सीमायें किस हद तक सुरक्षित की जा सकती हैं?

अध्यक्ष महोदय, मदरसों के बारे में सरकार क्या करने जा रही हैं, मैं यह माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य से निवदेन करना चाहूंगा कि जनरल टर्म्स में मदरसों के खिलाफ यह कहना कि सबके सब मदरसों को विदेशी सहायता मिलती है, यह उचित बात नहीं है। मदरसों के माध्यम से सामान्यत: जो शिक्षा मिलती है, वह ठीक प्रकार से मिले, इस दृष्टि से हमारा शिक्षा मंत्रालय भी बहुत कुछ करता रहता है। पिछले दिनों उनको जो सहायता मिली है, उसमें शिक्षण आधुनिक हो, उसमें कम्प्यूटर के ज्ञान की शिक्षा हो आदि-आदि । सीमा पर जो अचानक नये-नये मदरसे खुल जाते हैं, उनके बारे में सावधानी बरती जाती है और आवश्यक कदम उठाये जाते हैं।

जहां तक निर्जन पट्टी बनाने का सवाल है, इस प्रश्न को एग्जामिन किया गया है। यह इतना सहज तो नहीं अलबत्ता हमारी बहुत बड़ी सीमा और खासतौर पर राजस्थान और पंजाब में तथा जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में सफलतापूर्वक फैंसिंग की गई है, उसके कारण स्मगलिंग रुकी है, इनफिल्ट्रेशन रुका है और इस कारण स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में जो फैंसिंग की गई है, उस कारण पाकिस्तान ने गोली-बारी की है और फैंसिंग रोकने की कोशिश की है लेकिन इस सब के बावजूद फैंसिंग का काम जारी है।

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह अच्छी बात है कि गृह राज्य मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान अब उनको मदद नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ साहब ने कहा है कि यह आतंकवाद नहीं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आज यह सवाल उठाया है तो हमें खुशी है कि हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हों जो हम हमेशा चाहते रहे हैं। अगर यह बात सच है तो अभी सीमा पार से जो प्रवेश कर रहे हैं और उनके कारण हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। जो हथियार एकत्र हुये हैं। वे टी.वी. पर दिखाये जा रहे हैं, वे पाकिस्तान द्वारा दिये गये हैं, इस बारे में गृह राज्य मंत्री के बजाय माननीय गृह मंत्री बतायें। क्योंकि सदन और देश को जो एक भ्रम हो रहा है, वह दूर हो जाये ताकि हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो जायेंगे। अगर पाकिस्तान संरक्षण देना बंद कर दे, हथियार बंद कर दे, उनके प्रवेश पर रोक लग जाये तो आतंकवादी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जिनसे असली संरक्षण हो रहा है, वे पाकिस्तान में बैठे हुये हैं। मेरा कहना है कि गृह राज्य मंत्री किस आधार पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन नहीं कर रहा है..

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: नहीं कहा।

श्री मुलायम सिंह यादव: नहीं, आपने कहा है। आप कार्यवाही देख लीजिये। अगर नहीं कहा होगा तो हम अपने शब्द वापस ले लेंगे। आपने कहा है कि पाकिस्तान उनकी मदद नहीं कर रहा है। यह शब्दों का सवाल है। माननीय गृह मंत्री हमारे संदेह को स्पष्ट करें। अगर पाकिस्तान हिन्दुस्तान से रिश्ते अच्छे बना लेता है तो हम सबसे पहले आपको बधाई देंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, देश और सदन में किसी को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिये कि 11 सितम्बर के बाद जम्मू कश्मीर के प्रति या हमारे भीतर जो आतंकवाद चल रहा है, उस बारे में पाकिस्तान का रवैया बदल गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। गृह राज्य मंत्री ने अपने उत्तर के आरम्भ में कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का स्तर वैसा का वैसा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यद्यपि, आतंकवादियों को समाप्त करने में हमारे सुरक्षाकर्मियों को अधिक सफलता मिली है। एक माननीय सदस्य ने पहले सवाल पूछा था कि क्या भारत सरकार इस बात के प्रति सतर्क है कि जो परिस्थितियां अफगानिस्तान में पैदा हुई हैं या जिसके परिणाम पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, एक क्योंस की स्थिति आ सकती है, उसके कारण संभव है कि इस प्रकार के आतंकवादी या इस प्रकार के भगोड़े लोग अधिक संख्या में हमारी ओर आयें, हम उसके बारे में पूरी सावधानी बरत रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कम्पलेसेन्सी के लिए तनिक भर भी गुंजाइश नहीं है और इसलिए आतंकवाद की समस्या को हम जम्मू-कश्मीर में या भारत के बाकी भागों में ज्यों की त्यों मानकर उसका हम पूरी ताकत के साथ मुकाबला कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: पाकिस्तान क्या कर रहा है, मैं इतना जानना चाहता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: पाकिस्तान के बारे में भी मैंने कहा कि उसके रवैये में कोई परिवर्तन नहीं आया है, सिवाय इस

बात के कि आज तक जो भी हिंसा की घटनाएं जम्मू-कश्मीर में होती थीं तो पाकिस्तान हमेशा कहता था कि यह तो आजादी की लड़ाई है, यह तो जेहाद है, लेकिन एक अक्तूबर को असेम्बली पर जो हमला हुआ था, पहली बार पाकिस्तान ने उसकी निंदा की और सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि हां यह आतंकवादियों का काम है और इसकी हम निंदा करते हैं। इस एक वक्तव्य को छोड़कर मैंने पाकिस्तान के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं देखा और हम मानकर चलते हैं कि 11 सितम्बर के बाद इस समय आतंकवाद के खिलाफ जो विश्व का युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान उसमें अपने को एक हिस्सा मानता है, उसका एलायंस पार्टनर मानता है। लेकिन भारत के प्रति और जम्मू-कश्मीर के प्रति उसके रवैये में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि सरकार अभी भी इस बात से सहमत है कि पाकिस्तान भारत में गड़बड़ी फैलाने के लिए सक्रिय रूप से आतंकवादियों की मदद कर रहा है तो फिर भारत सरकार यहां आने वाले अतिविशिष्ट व्यक्तियों के साथ अनेक बार हुई वार्ताओं के दौरान प्रभावी रूप से यह विश्वास क्यों नहीं दिला पाया कि पाकिस्तान की कार्यवाही जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद फैलाने से है? सरकार आज तक लश्कर-ए-तैयबा और कुछ आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित सूची में शामिल क्यों नहीं करा पाई। अनेक बार बातचीत होने के पश्चात् भी आज तक लश्कर-ए-तैयबा पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सका है। अत:, क्या सरकार हमें यह बतायेगी कि इस मामले में उसे किस प्रकार की परेशानियां हो रही हैं?

[हिन्दी]

बिन बुलाये मेहमान की तरह 11 सितम्बर की घटना के बाद आपने सबसे पहले मदद करनी चाही, उसके बदले में लश्करे-तैय्यबा को बैन करने के लिए और इन लोगों को एकदम उखाड़ फेंकने के लिए पाकिस्तान से भी मदद मिल रही है, उनके बारे में आपकी कूटनीति असफल क्यों हो गई।

श्री रघुनाथ झा: समूचा इन्हीं का किया हुआ है, पूरा नाश कर दिया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सीरियस इश्यु है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है, यह एक सीरियस मामला है।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदय, अमरीका में 11 सितंबर को हुई घटनाओं ने सारे विश्व को उस दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर दिया, जिस दिशा में हम पिछले एक दशक से भी अधिक समय से काम कर रहे थे। हालांकि इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई है लेकिन यह बहुत ही कमजोर है। जहां तक इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय मत का सम्बन्ध है। 11 सितंबर की घटनाओं से स्थिति पूरी तरह बदल गई है। हम वह बात लोगों को समझा पाने में समर्थ हो सके हैं, जो हम इतने वर्षों से समझाने का प्रयास कर रहे थे कि जहां तक भारत का सम्बन्ध है, हमारा पश्चिमी पड़ोस आतंकवाद का मुख्य स्रोत है। माननीय सदस्य द्वारा जिन संगठनों के नाम का उल्लेख किया गया है उनमें से कुछ पर सरकार ने ध्यान दिया है। जहां एक तरफ ब्रिटेन ने उन पर प्रतिबंध लगाया है; अमरीका ने उनकी परिसंपत्तियां सील कर दीं। ये सभी आवश्यक कदम वे अपने यहां के कानून के अंतर्गत उठा रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: लश्कर-ए-तैयबा पर अभी तक प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: मैं यह बात जानता हूं। निर्णय करना उनका काम है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, मेरे विचार से राजनयिक स्तर पर भारत के प्रयास सराहनीय रूप से सफल रहे हैं। कुछ स्पष्ट कारणों अथवा भौगोलिक कारणों की वजह से वे इस बात के प्रति सजग रहे हैं कि पाकिस्तान उनके पक्ष में रहे। परन्तु साथ ही, इन संगठनों के सम्बन्ध में जो कदम उठाये गए हैं, वे इस बात का प्रमाण हैं, कि भारत के प्रयास सफल रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे: उन्हें लश्कर-ए-तैयबा पर सरकारी तौर पर प्रतिबंध लगाने की मांग करनी चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये। यह आपका काम नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू: अनेक सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों की आतंकवादियों ने निर्मम हत्या की है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार सुरक्षा कर्मियों और सिविलियनों के परिवारों को किस प्रकार की सहायता प्रदान कर रही है। काफी निजी संपत्ति भी नष्ट कर दी गई है। सरकार उन्हें किस प्रकार की सहायता प्रदान कर रही है?...*(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवाणी: ऐसे सभी मामलों में मृत्यु होने की स्थिति में सुरक्षा कर्मियों और सिविलियनों दोनों के आश्रितों को मुआवजा और अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा जो कुछ दिया जाता है, उसकी प्रतिपूर्ति केन्द्र द्वारा की जाती है...*(व्यवधान)*

श्री अजित कुमार पांजा: प्रश्न का (घ) भाग है:

"इनमें से प्रत्येक घटना में सरकारी सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है।"

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय मंत्री का उत्तर यह है:

"भारत सरकार द्वारा इस प्रकार की सूचना संकलित नहीं की जाती है"

क्या यह आवश्यक है कि केवल राज्य सरकार ही ऐसी जानकारी एकत्रित करे? ऐसे नुकसान की जानकारी भारत सरकार क्यों नहीं रखती ताकि उसका मूल्यांकन किया जा सके? यदि ऐसा हो जाये तो जम्मू और कश्मीर में मरने वाले लोगों और सरकारी तथा सार्वजनिक संपत्ति संबंधी नुकसान का विशेष ध्यान रखा जा सकता है।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: मेरे विचार से यह एक सुझाव है। ये विस्तृत मामले हैं। अत: यदि इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रश्न पूछा जायेगा तो उसका जवाब दिया जायेगा।

श्री अजित कुमार पांजा: मैंने एक विशेष प्रश्न पूछा था। केन्द्र ने अभी तक सूचना एकत्र नहीं की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र इस संबंध में सूचना एकत्र करेगा या नहीं...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: जम्मू और कश्मीर विधान सभा भवन पर हमले के पश्चात हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने तत्काल अमेरीका के राष्ट्रपति को पत्र लिखा था। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने इस आतंकवादी हमले से त्रस्त लोगों के संताप और आक्रोश से अमेरीका और अन्य मित्र देशों को अवगत करा दिया है। माननीय प्रधानमंत्री को ये क्यों महसूस हुआ कि अमेरीका के राष्ट्रपति को इस घटना की सूचना देनी चाहिए? प्रधान मंत्री ने अपने पत्र में अमेरीका के राष्ट्रपति को क्या लिखा? क्या माननीय प्रधान मंत्री ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए राष्ट्रपति बुश से सहायता मांगी थी? हम जानते हैं कि अमेरीका हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा और मदद देता रहा है। इसके बावजूद भारत के माननीय प्रधानमंत्री को ऐसा क्यों महसूस हुआ कि अमेरीका के राष्ट्रपति को इसकी जानकारी देनी चाहिए? हम मांग करते हैं कि अमेरीका के राष्ट्रपति को लिखे पत्र को सभापटल पर रखा जाए। उस पत्र में क्या लिखा गया था? क्या निवेदन किया गया था? हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए अमेरीका के राष्ट्रपति से सहायता का निवेदन क्यों किया गया? अमेरीका के राष्ट्रपति से क्या उत्तर प्राप्त हुआ?

श्री लालकृष्ण आडवाणी: सर्वप्रथम, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि जब यह पत्र अमेरीका के राष्ट्रपति को लिखा गया था तो उसमें अमेरीका से सहायता की कोई मांग नहीं की गई थी। माननीय सदस्यों को याद होगा कि, 11 सितम्बर की घटना के बाद भारत ने जब यह घोषणा की थी कि यह अच्छी बात है कि अमेरीका और विश्व के अन्य कई देश विश्व आतंकवाद की चुनौती पर सजग हो गये हैं और वे इस पर संपूर्ण विश्व को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं।

ऐसा लगता है कि अमेरीका परम्परा से हटकर पाकिस्तान की ओर अपना रुझान बढ़ाता जा रहा है ताकि वह इस अभियान में शामिल हो सके। हम उनकी मजबूरियों को समझते हैं...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: अपने स्वयं के हितों के लिए।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: अभी कुछ समय पहले, अन्य माननीय सदस्य ने इस बात का उल्लेख किया था कि हम अमेरीका को इस बात का विश्वास नहीं दिला पाए हैं कि पाकिस्तान भी कई दशकों से आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए दोषी है। इस मामले में श्रीनगर में घटी इस क्रूर और हिंसात्मक घटना का विशेष उल्लेख किया गया है। यह अमेरीका पर हुए हमले के समान जनप्रतिनिधियों के मंच पर हुआ हमला था। अमेरीका पर हमला वाणिज्यिक केन्द्र, सैन्य केन्द्र और व्हाईट हाऊस पर हुआ था...*(व्यवधान)*

श्री एस. बंगारप्पा (शिमोगा): यह हमला कैपिटल हिल पर भी हो सकता था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जी हां, इसी प्रकार श्रीनगर पर हुआ हमला महत्वपूर्ण था। इसलिए प्रधान मंत्री ने यू.एस.ए. का ध्यान आकर्षित करना उचित समझा। जहां तक हमारे हितों का प्रश्न है हम पाकिस्तान के कृत्यों से बहुत चिंतित हैं क्योंकि श्रीनगर में हुई कार्यवाही की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली है। पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है। मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री अपने विदेश दौरे में इस बात का उल्लेख करेंगे। परंतु जहां तक सरकार का सवाल है यदि अध्यक्ष महोदय ऐसा निदेश देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं इस पत्र को सभा पटल पर रखने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 22—श्री मोहम्मद शहाबुद्दीन उपस्थित नहीं। श्रीमती कांति सिंह—उपस्थित नहीं। अब प्रश्न संख्या 23।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, नियम 49 के तहत औथोराइजेशन का लैटर आपके कार्यालय को दिया हुआ है। माननीय सदस्य श्रीमती कान्ति सिंह ने मुझे सदन में सवाल पूछने के लिए औथोराइज किया है।

अध्यक्ष महोदय: औथोराइजेशन नहीं चलेगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, सदन के नियमों में स्पष्ट है कि जब कोई सदस्य अनुपस्थित हो और वह किसी अन्य सदस्य को सवाल पूछने का अधिकार पत्र आपके नाम दे, तो उसे सवाल पूछने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: ऐसी प्रैक्टिस हमारे हाउस में नहीं है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, भले ही प्रैक्टिस न हो, लेकिन रूल है। आप कृपया रूल देखिए।

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया बैठिए। मुझे रूल देखने दीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, यदि कोई माननीय सदस्य अनुपस्थित रहता है और वह अपने प्रश्न को दूसरे माननीय सदस्य को पूछने हेतु प्राधिकृत करता है, तो उसे अवसर दिया जाना चाहिए। ऐसा नियम 49 में प्रावधान है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह नियम 49 में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया एक मिनट रुकिए। आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री मणिशंकर अय्यर: मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नियम 49 के अंतर्गत कोई भी सदस्य को यदि वह किसी अपरिहार्य कारण से सभा में उपस्थित नहीं हो सकता है तो, मामले को उठाने के लिए जो उसके नाम पर है किसी अन्य सदस्य को प्राधिकृत कर सकता है। इसलिए महोदय, यह पूर्णतः नियमानुसार होगा यदि श्री रघुवंश प्रसाद सिंह को महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए आप प्राधिकृत करते हैं। मंत्री महोदय उपस्थित हैं। इससे पंचायती राज संस्थाओं के 30 लाख चुने हुए प्रतिनिधि प्रभावित हैं। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वे नियम 49 के प्रतिपादन में उदारता अपनाएं और प्रश्न उठाने की अनुमति दें ताकि मंत्री जी प्रश्न का उत्तर दे सकें जो भारत के 30 लाख से अधिक चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रभावित कर रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे नियम देखने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, उस प्रश्न को पूछने की अनुमति मुझे दी जाए, उसका क्या हुआ?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यदि समय रहा तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि समय रहा तो उस स्थिति में इसे प्रश्न काल के अंतिम प्रश्न के रूप में उठाया जा सकता है।

...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: यह अंतिम प्रश्न कैसे हो सकता है? यह बहुत गलत बात है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: लास्ट में।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे नियम की जांच करने दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष के निर्देश नामक पुस्तक में भी स्पष्ट है कि नियम 49 के अंतर्गत यदि कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य को प्रश्न पूछने के लिए औथोराइज करता है, तो उसको प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाएगा। आपके सचिवालय में माननीय सदस्य की ओर से प्रश्न पूछने हेतु मुझे अधिकृत करने संबंधी पत्र पहुंच गया है। आप कृपया पता कर लीजिए। हम चाहेंगे कि नियम का अनुपालन किया जाए।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

*24. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत दिये जा रहे लाभों के विषय में ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार, लाभार्थियों की संख्या राज्यवार कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। योजना के अंतर्गत 65 वर्ष और इससे अधिक की आयु वाले वृद्ध और बेसहारा लोगों को हर माह 75 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है।

2. 16 नवम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित लाभार्थियों की राज्यवार संख्या संलग्न अनुबंध में दी गई है।

अनुबंध

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

(16.11.2001 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूचित लाभार्थियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	466000
2.	बिहार	271304
3.	छत्तीसगढ़	72544
4.	गोवा	2201
5.	गुजरात	5834
6.	हरियाणा	14698
7.	हिमाचल प्रदेश	21517
8.	जम्मू व कश्मीर	12107
9.	झारखंड	23249
10.	कर्नाटक	32572
11.	केरल	34575
12.	मध्य प्रदेश	354915
13.	महाराष्ट्र	88409
14.	उड़ीसा	416171
15.	पंजाब	37309
16.	राजस्थान	55672
17.	तमिलनाडु	314362
18.	उत्तर प्रदेश	980345
19.	उत्तरांचल	40167
20.	प. बंगाल	95318
21.	अंडमान निकोबार	0
22.	चण्डीगढ़	0
23.	दादरा व नगर हवेली	0
24.	दमन व दीव	241
25.	दिल्ली	0
26.	लक्षद्वीप	0
27.	पांडिचेरी	0
	उप योग	3339509
उत्तर-पूर्वी राज्य		
28.	अरुणाचल प्रदेश	1063
29.	असम	86551

1	2	3
30.	मणिपुर	5593
31.	मेघालय	8860
32.	मिजोरम	9050
33.	नागालैंड	8106
34.	सिक्किम	10104
35.	त्रिपुरा	58676
	उप योग	188003
	योग	3527512

श्री ए. ब्रह्मनैया: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जानी-मानी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, खेतिहर मजदूर या छोटे किसान, बुढ़ापे के कारण काम न मिलने पर उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। यह न केवल खेत मजदूरों की, अपितु छोटे किसानों की भी नियति है जिनके पास कोई आर्थिक साधन नहीं है और वे अत्यंत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धावस्था पेंशन योजना हो। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ने के कारण वृद्ध लोग विशेषकर कृषि-मजदूरों को अत्यधिक तकलीफ उठानी पड़ रही है और सरकार को इसकी जानकारी है। इन सबको देखते हुए, मैं माननीय मंत्री से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या छोटे किसान जिनके पास 5 एकड़ की शुष्क भूमि है या ढाई एकड़ की सिंचित भूमि है वे भी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्र हैं।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन निराश्रित लोगों के लिए है जिनके पास स्वयं के निर्वाह के लिए उचित आय का साधन नहीं है। उनकी उम्र 65 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और उनके पास अपने संसाधनों से जीवन निर्वाह के नियमित आय का साधन थोड़ा या कुछ भी नहीं हो परंतु माननीय मंत्री जो भी कह रहे हैं वह छोटे किसानों के लिए कह रहे हैं जिनके पास तुलनात्मक रूप से बहुत कम जमीन है। फिलहाल राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में इस श्रेणी के लोग शामिल नहीं हैं, जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है क्योंकि हम उन लोगों की मदद करते हैं जो निराश्रित हैं जिनके पास जीविका का कोई साधन नहीं है और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने यह योजना तैयार की है और इस वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हम भली-भांति नहीं कर पा रहे हैं। यदि ऐसा ही रहा तो मुझे नहीं लगता की हम इस योजना का विस्तार कर इनमें माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित वर्ग के लोगों को शामिल कर पाएंगे।

श्री ए. ब्रह्मनैया: महोदय, किसानों के अलावा प्रत्येक वर्ग के लोगों को पेंशन मिल रही है। यहां तक कि वकीलों के लिए भी पेंशन निधि है। छोटे किसानों की हालत कृषक मजदूरों से भिन्न नहीं है। उदाहरण के लिए, किसी कृषक-मजदूर या छोटे किसानों की मृत्यु के बाद, उनकी विधवाओं के पास भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। इसलिए इन सबको देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत कृषक-मजदूरों या छोटे किसानों की विधवाओं को लाभ पहुंचाने पर विचार करेगी।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: महोदय, सभा को इस बात का भली-भांति पता है कि विशेषकर पेंशन विशेष वर्ग के लोगों जैसे सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को दी जाती है। अब जब माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है और साथ ही छोटे किसानों की दुर्दशा की बात कही है जिनके पास बहुत कम जमीन है मेरे विचार से उनके मन में उन कृषि-मजदूरों की दयनीय स्थिति है जो अधिकतर बहुत कम जमीन पर आश्रित रहते हैं। हालांकि यह मामला मेरे मंत्रालय से संबंधित नहीं है मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि ऐसी एक योजना है जिसकी हाल ही में माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है और जिसे खेत मजदूर बीमा योजना कहा गया है। इस योजना के अंतर्गत उन वर्गों के लोग आते हैं, जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है। जहां तक वृद्धावस्था पेंशन योजना का संबंध है जिस योजना के अंतर्गत इन वर्गों के लोग शामिल नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वृद्धावस्था पेंशन और निराश्रित पेंशन, दोनों केन्द्र सरकार की पेंशन हैं। मध्य प्रदेश में भी तीन बार उसका पुनरीक्षण हुआ है। मैं सदन के ध्यान में और मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह बात सही है कि पहले राजनैतिक कारणों से उसकी संख्या में बड़ी अनियमितता हो गई थी, इसलिए उसका पुनरीक्षण तो उचित था, पर वर्तमान में जो पुनरीक्षण हुआ है, उसमें एक बड़ी विसंगति आई है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जहां पर नियमित पलायन होता है, वहां अगर किसी वृद्ध के बच्चे हैं, उसके पास भूमि नहीं भी है, तो उसके बाद भी उनका सूचियों से नाम काट देना आम बात है। यह निर्णय करने का अधिकार किसी पंचायती संस्थान को भी नहीं है। कोई सूची से अगर एक बार नाम काट देता है तो उसको फिर से

लिखना बड़ा कठिन काम है। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा युक्तियुक्तकरण, या व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जायेगा कि जहां बेटे हैं, वे समर्थ हो सकते हैं पर वे मजदूरी के लिए जब पलायन करके जाते हैं तो उसके जो माता या पिता, उनमें से जो भी एक जीवित है, उनके प्रति जो रवैया अपनाया जाता है, क्या उसमें कोई सुधार आयेगा?

श्री एम. वैंकय्या नायडु: महोदय, जहां तक मूल स्थान पर रहने वाले उन लोगों का प्रश्न है जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, इस योजना के अंतर्गत उनके मामलों पर विचार किया जाएगा। जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। कुछ मामलों में माता-पिता अपने बच्चों से दूर रहते हैं तथा रोजगार की खोज में प्रवास भी किया है। इन मामलों पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा।

ऐसे व्यक्ति जिनकी कोई अन्य आय नहीं है और ऐसे व्यक्ति जिनकी आकस्मिक रूप से मृत्यु हो गई है के संबंध में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत पहले से ही प्रावधान है। अनियमित स्रोत वाले व्यक्ति की विधवा को 10,000 रुपये की राशि दी जाती है, जो कि असहाय है और जिसके पास नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है।

इन प्रवासों के संबंध में माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखूंगा। हम राज्यों को सलाह देंगे कि वे उन वर्गों की वर्तमान दशा के संबंध में वरीयता के आधार पर उनका ध्यान रखें।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: महोदय, माननीय मंत्री जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मूल रूप से इस योजना की शुरूआत आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा खेती करने में असमर्थ परंतु कृषि पर निर्भर परिवारों के लिए की गई थी जहां उनकी आजीविका के लिए कोई अन्य साधन नहीं था। बाद में भारत सरकार ने इस योजना को शुरू किया। भारत सरकार 75 रुपए की दर से भुगतान कर रही है। भारत सरकार ने यह संख्या कैसे निर्धारित की? क्या आप राज्य सरकार द्वारा सिफारिश किए गए लाभार्थियों को यह लाभ दे रहे हैं। किस प्रकार से आपने लाभार्थियों की संख्या निर्धारित की है?

दूसरी बात यह है कि मंत्री महोदय आंध्र प्रदेश का दौरा करते रहे हैं। वह उसी राज्य से हैं। क्या उन्हें यह शिकायत मिली है कि लाभार्थियों को नियमित रूप से पेंशन नहीं मिल रही है। भारत सरकार इस मामले में क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री एम. वैंकय्या नायडु: महोदय, यह योजना 1995-96 में शुरू की गई थी। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले तथा 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों की कुल संख्या के मद्देनजर प्रत्येक राज्य के लिए एक संख्यात्मक सीमा निर्धारित कर दी गई है। यह संख्या एक अध्ययन के बाद निर्धारित की गई है। उस सीमा का आज भी अनुपालन किया जा रहा है।

प्रत्येक राज्य के लिए निश्चित संख्या हम कैसे निर्धारित करते हैं इस प्रश्न का उत्तर अभी जो मैंने कहा है उसमें ही निहित है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक संख्यात्मक सीमा निर्धारित कर दी गई है।

उन्होंने शिकायतों के बारे में तीसरा अनुपूरक प्रश्न पूछा है। मैं पूरे देश में घूमा हूं। मुझे सभा को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यह उत्तरदायित्व ग्रहण करने के पिछले एक वर्ष के दौरान, मैंने देश के लगभग सभी बड़े राज्यों का दौरा किया है तथा उनके साथ परस्पर विचार-विमर्श किया है। लगभग सभी जगह यह शिकायतें मिली हैं कि लोगों को समय पर वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है क्योंकि यह दो किश्तों में दी जाती है। हम राज्य सरकारों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे इसे अधिक किश्तों में दे ताकि लोग इसे नियमित आँधार पर प्राप्त कर सकें। हमने उन्हें बताया है कि यह राशि मनीआर्डर अथवा बैंक के माध्यम से भेजी जा सकती है। अब ग्राम सभा भी इसे जिला प्रशासन द्वारा पदनामित ग्राम अधिकारियों के जरिए दे सकती है।

भारतीय दंड संहिता में संशोधन

***26. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय दंड संहिता की धाराएं 61 और 62 में किए जाने वाले संशोधन को अंतिम रूप दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में संशोधन विधेयक कब तक संसद में लाया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की त्रुटियों को दूर करने हेतु क्या अन्य उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 61 और 62 को पुन: प्रवर्तित करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारत के विधि आयोग ने अपनी 166वीं रिपोर्ट में, अवैध रूप से अर्जित सम्पत्तियों को जब्त करने के लिए "भ्रष्ट लोक सेवक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1999" शीर्षक से एक विधायन अधिनियमित करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट की विधि विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके जांच की गई और यह महसूस किया गया कि लोक सेवकों की गैर-कानूनी ढंग से अर्जित सम्पत्ति का समपहरण करने के लिए एक पृथक विधायन बनाना, समस्या का हल नहीं होगा। इसके विपरीत भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, 1988 को समुचित रूप से संशोधित करना अधिक उपयुक्त होगा, ताकि इसे अधिक सख्त बना कर अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। मामले पर तदनुसार ही कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रश्न पूछा गया है। सरकार ने कहा है कि आई.पी.सी. की धारा 61 और 62 दोनों में संशोधन का कोई प्रावधान उसके समक्ष विचाराधीन नहीं है। लेकिन सरकार ने स्वीकार किया है, जब भ्रष्ट सेवक सम्पत्ति का समपहरण अधिनियम, 1999 पारित किया जाए, जब ऐसा प्रस्ताव आया, तो सरकार ने विचारोपरांत तय किया कि जो भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, 1988 है, उसकी क्लाज में संशोधन कर दिया जाएगा। देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है, तमाम लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं। उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, 1988 में संशोधन विचाराधीन है, उसे कब तक संसद में लाएं और पारित कराएंगे?

[अनुवाद]

श्री सीएच. विद्यासागर राव: जहां तक भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 में उपयुक्त उपबंधों के संयोजन का प्रश्न है, विधि कार्य विभाग से अनुरोध किया गया है कि वह इस मामले में प्राथमिकता आधार पर आवश्यक कार्रवाई करें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या सरकार के पास यह प्रस्ताव भी विचाराधीन है कि कानून बनाने के लिए जैसे टेलीफोन की डायरेक्ट्री होती है, उसमें देख कर पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति का नम्बर क्या है, क्या उसी तरह सरकारी सेवक, बड़े व्यापारी और बड़े नेताओं के धन की डायरेक्ट्री बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित है, जिससे डायरेक्ट्री देख कर पता चल जाए कि किसकी कितनी सम्पत्ति है और उस पर सरकार कार्रवाई कर सके?

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और इसलिए ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता है। भारतीय दंड प्रक्रिया (आईपीसी) के 61 और 62 के अधिनियमों के उपबंध वहां लागू नहीं होते तथा उपबंध 1921 में निरस्त कर दिए गए थे क्रिमिनल लॉ (आर्डिनेंस) 1944 के 38 का उपयोग अभी भी सीबीआई जनसेवकों के अभियोजन के लिए कर रही है। जहां तक संपत्ति की कुर्की का प्रश्न है, इसकी कुर्की की जा सकती है। जनसेवकों की दोषसिद्धि के बाद और संपत्ति की कुर्की के बाद भी संपत्ति का समपहरण और इसे जब्त किया जा सकता है। यह उपबंध है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उसी तरह का बिल क्यों रोक कर रखे हैं, क्यों नहीं संसद में उसे लाते?

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, भ्रष्ट पाए गए व्यक्तियों तथा बैंकों और दूसरे कार्यालयों में उच्च पदस्थ व्यक्तियों के संबंध में गंभीर समस्याएं हैं क्योंकि जनसेवक को अपराधी के रूप में दर्ज करने में कठिनाइयां आती हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सेवानिवृत्ति के बाद मामले दर्ज नहीं किए जा सकते। विधि आयोग ने असंख्य मामलों में जन सेवकों की परिभाषा के संबंध में तथा बैंकों और ऐसे दूसरे निकायों द्वारा भ्रष्ट लोगों जो गंभीर अपराध करने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं, के खिलाफ कदम उठाने में आ रही समस्याओं पर विचार किया।

क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि क्या सरकार ने महत्वपूर्ण समितियों द्वारा सुझाई गई अनेक सिफारिशों पर विचार किया है कि भ्रष्ट लोगों, जिन्हें जनसेवक बताया गया था, को दंडित नहीं किया जा सका क्योंकि वे उच्च पदों पर आसीन थे?

श्री सीएच. विद्यासागर राव: अध्यक्ष महोदय जी, विधि मंत्रालय इन सभी सुझावों और इस समिति की सिफारिशों पर विचार कर रहा है।

आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध

*27. + **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:**
डा. जसवंत सिंह यादव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान देश में धार्मिक कट्टरवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने के विरुद्ध केंद्र सरकार द्वारा किन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है और प्रतिबंध की अवधि कितनी है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार किन-किन धार्मिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाये जाने हेतु विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकारों और विभिन्न राजनीतिक/सामाजिक संगठनों से देश में धार्मिक कट्टरवाद और साम्प्रदायिक तनाव फैलाने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई अनुरोध और ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में आतंकवाद का मुकाबला करने में इन उपायों से कहां तक मदद मिलेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) गत एक वर्ष के दौरान, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के उपबंधों के अंतर्गत धार्मिक कट्टरवाद या आतंकवाद फैलाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अधिकरण की पुष्टि के अधीन प्रतिबंध दो वर्ष के लिए है।

क्रम सं.	संगठन का नाम	प्रतिबंध की अधिसूचना की तारीख
1.	अचीक नेशनल वॉलिंटिअर काउंसिल	16.11.2000
2.	हेन्नीवेद्रप नेशनल लिबरेशन कॉउंसिल	16.11.2000
3.	नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और इसके सभी गुट और विंग	27.11.2000
4.	नेशनल डैमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड	23.11.2000
5.	यूनाइटिड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम	27.11.2000
6.	दीनदार अंजुमन	28.04.2001
7.	स्टूडेन्ट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (एस आई एम आई)	27.09.2001
8.	आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स	03.10.2001
9.	नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा	03.10.2001
10.	पीपॅल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए)	13.11.2001
11.	दि रिवोल्यूशनरी पीपॅल्स फ्रंट (आर पी एफ)	13.11.2001
12.	दि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ)	13.11.2001
13.	दि पीपॅल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेपाक कॉम्यूनिस्ट पार्टी (पी आर ई पी ए के)	13.11.2001
14.	दि कांगलिपाक कॉम्यूनिस्ट पार्टी (के सी पी)	13.11.2001
15.	दि कांग्ले याओल कानबा लुप (के वाई के एल)	13.11.2001
16.	दि मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (एम पी एल एफ)	13.11.2001

आंतकवाद निवारण अध्यादेश (पोटो), 2001 की धारा 18 के अंतर्गत, केन्द्र सरकार ने 24.10.2001 को निम्नलिखित संगठनों को आतंकवादी संगठनों के रूप में घोषित किया है:

1. बब्बर खालसा इंटरनेशनल
2. खालिस्तान कमांडो फोर्स
3. खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स
4. इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन
5. लश्कर-ए-तैयबा/पासबन-ए-अहले हदीस
6. जैश-ए-मोहम्मद/तहरीक-ए-फुरकन
7. हरकत-उल-मुजाहिद्दीन/हरकत-उल-अंसार/हरकत-उल-जेहाद-ए-इस्लामी
8. हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन/हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन पीर पंजाल रेजीमेंट
9. अल उमर मुजाहिद्दीन
10. जम्मू एंड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट
11. यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)
12. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी)
13. पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए)
14. यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ)
15. पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लेपाक (पी आर ई पी ए के)
16. कांग्लेपाक कॉम्यूनिस्ट पार्टी (के सी पी)
17. कांग्ले याओल कानबा लुप (के वाई के एल)
18. मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (एम पी एल एफ)
19. ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स
20. नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा
21. लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एल टी टी ई)
22. स्टूडेन्ट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया
23. दीनदार अंजुमन।

(ख) से (घ) सरकार को उन संगठनों, जो उनके विचार से देश में धार्मिक कट्टरवाद को फैलाने में और/या देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में संलिप्त हैं, पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकारों और अन्य स्रोतों से समय-समय पर अनुरोध और सुझाव प्राप्त होते हैं। इन सभी अनुरोधों और सुझावों की प्रत्येक मामले के गुणावगुण और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर जांच की जाती है तथा उन्हें तद्नुसार निपटाया जाता है।

(ङ) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के उपबंधों के अंतर्गत उपर्युक्त संगठनों पर प्रतिबंध लगाने और आतंकवाद निवारण अध्यादेश, 2001 के अंतर्गत आंतकवादी संगठन घोषित करने से कानून प्रवर्तन एजेंसियों उन संगठनों/व्यक्ति विशेष से कारगर ढंग से निपटने से समर्थ होंगी, जोकि शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने तथा समाज के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को भंग करने सहित देश की सुरक्षा को हानि पहुंचाने वाली गतिविधियों में संलिप्त हैं।

श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं जानना चाहता हूं कि प्रतिबंध लगाने के बाद प्रतिबंधित संगठनों के कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; तथा क्या जम्मू व कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में व्यावहारिक स्तर पर कोई कमी आयी है।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: महोदय, यह जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। हमें यह जानकारी एकत्र करनी होगी और तत्पश्चात् माननीय सदस्य को दे दी जाएगी।

श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार पीडब्ल्यूजी और जनशक्ति पर प्रतिबंध लगाने का है ताकि पूरे भारत में आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके। महोदय, आप जानते हैं कि गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सीएच. विद्यासागर राव के साले का हाल ही में आंध्र प्रदेश में उग्रवादियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इस संबंध में कृपया बताएं क्या पूरे भारत में आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार का विचार पीडब्ल्यूजी और जनशक्ति पर प्रतिबंध लगाने का है अथवा नहीं।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: यह मामला पहले से ही गृह मंत्रालय में विचाराधीन है। हम इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: आप कितना समय लेंगे?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: ऐसे प्रयोजनों के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। इस मामले पर तत्परतापूर्वक और शीघ्रता से विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

डा. जसवंत सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, जिस साहसी तरीके से और सही समय पर भारत सरकार ने जो आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है, इस बात के लिए मैं भारत सरकार और माननीय गृह मंत्री जी की प्रशंसा करता हूं। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिन-जिन संगठनों पर मंत्री जी ने और भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, उनमें से कितने संगठन ऐसे हैं जिन पर यू.एस.ए. और ब्रिटेन ने भी प्रतिबंध लगा रखा है? कृपया इस संबंध में बताने की कृपा करें।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: ''पोटो'' में जो दो संगठन हैं, जैश-ए-मोहम्मद है, जिस पर अमरीका ने पाबंदी लगाई है और इंग्लैंड ने दो, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तोइबा इन दोनों पर पाबंदी लगाई है।

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाक से संबंधित 1-2 ऑरगेनाइजेशंस पर बैन लगाया गया है जो वहां ट्रेनिंग लेकर हमारे यहां हमला करते हैं। हर दिन 5-10 जवान मारे जा रहे हैं। 1965, 1947, 1971 और 1999 में जितने जवान नहीं मारे गये हैं, उससे ज्यादा जवान आज मारे जा रहे हैं। 24000 से ज्यादा जवान 1988 से अब तक मारे गये हैं। पाकिस्तान को पता है कि वह सीधा हमला करके कभी नहीं जीत सकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि और कितने दिन हम लाशें गिनते रहेंगे? क्या हम अमरीका पर निर्भर रहेंगे? क्या अमरीका जब कहेगा, तब हम उन पर हमला करेंगे? आज हमारे लोग मारे जा रहे हैं। निर्णय हमें लेना है। हर दिन 5-10 लोग मारे जा रहे हैं। जो ऑरगेनाइजेशंस आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर और पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं करते?...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): मैं माननीय सदस्य की वेदना समझ सकता हूं और यह वेदना उन्हीं की नहीं है, देश भर की यह वेदना है। यह बात सही है कि कुल मिलाकर जो हमारे पाकिस्तान से युद्ध हुए हैं, उनमें जितने हमारे सैनिक मारे गये हैं, उससे ज्यादा सैनिक इस प्रकार का जो टैररिज्म के माध्यम से परोक्ष युद्ध चल रहा है, उसमें हमारे सैनिक मारे गये हैं, यह बात सही है। लेकिन जो संख्या आपने बताई है, वह सही नहीं है। कुल मिलाकर लगभग 8000 सिक्योरिटी...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: 24000 सैनिक मारे गये हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रावले जी, यह आप क्या कर रहे हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं सिक्योरिटी फोर्सेज की बात कर रहा हूं। सिविलियन्स की बात अलग है और वह संख्या ज्यादा है। लेकिन मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जिस समय कारगिल का युद्ध चल रहा था, उस समय भी सरकार के ऊपर यह दबाव था कि यही मौका है कि जब उन्होंने युद्ध किया है, आक्रमण किया है, आप इसके प्रत्युत्तर में पाकिस्तान पर हमला करिए। एलओसी क्रॉस करके हमला करिये लेकिन सरकार ने सब पहलुओं पर विचार करके यह निर्णय किया कि हम एलओसी क्रॉस किये बिना पाकिस्तान को इस कारगिल युद्ध में पराजित करेंगे और इस मामले में हमने सफलता पाई। मुझे विश्वास है कि आज भी हम बिना कुछ और किये यह जो आतंकवाद का युद्ध चल रहा है, उसमें भी हम विजय प्राप्त करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: वह हमारी भूमि में हमारे जवानों को मार रहे हैं। हमें उनकी भूमि में लड़ना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या सरकार साम्प्रदायिक घृणा उत्पन्न करने के लिए बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद् पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है अथवा विचार करेगी। ये संगठन साम्प्रदायिक घृणा उत्पन्न कर रहे हैं तथा एद्‌द्वारा हमारे देश की एकता पर ही खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

अत: क्या सरकार, इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगी?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: माननीय सदस्य को यह जानकारी होनी चाहिए कि 1993 में सरकार ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया था। गैर-कानूनी गतिविधि अधिनियम के अंतर्गत सरकार के लिए यह बाध्यकारी है कि जब वह किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाती है तो इस मामले को न्यायाधिकरण के विचारार्थ भेजे। यह मामला न्यायाधिकरण के पास भेजा गया था तथा न्यायाधिकरण ने कहा कि यह प्रतिबंध उपयुक्त नहीं है और इसे समाप्त कर दिया गया।...*(व्यवधान)* इसके बावजूद मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि कोई संगठन किसी आतंकवादी अथवा आतंकवादी समर्थक अथवा राष्ट्रविरोधी कार्यकलापों में संलिप्त होता है तो सरकार उसकी विचाराधार और उसके संयोजनों पर विचार न करते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने में नहीं हिचकेगी।

श्री शरद पवार: माननीय गृह मंत्री जी ने सरकार के आतंकवाद के दमन के तरीकों की जानकारी दी है। क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि जाली नोट जारी कर भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला किया जा रहा है? यह एक हजार रुपए का नोट है। व्यवहारिक रूप से किसी व्यक्ति के लिए यह निर्णय करना कठिन है कि क्या यह नोट जाली है अथवा असली। क्या सरकार इस प्रकार के खतरे को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठा रही है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: आतंकवाद कैसे रोकेंगे, जब जाली नोट नहीं रोक पा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदय, हमारे पड़ोसी देश ने जो परोक्ष युद्ध जारी किया हुआ है, उसका एक तत्व यह भी है कि फेक-करन्सी नोट का सर्क्युलेशन करके हमारी अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करना। गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय मिलकर इस समस्या का निवारण करते रहे हैं। अनेक स्थानों पर ऐसे लोग पकड़े गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से श्री मणिशंकर अय्यर द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था।

नियम 49 के अनुसार:

"जब मौखिक उत्तर के सब प्रश्न पुकारे जा चुके हो तो अध्यक्ष महोदय, यदि समय बचा हो, किसी ऐसे प्रश्न को फिर से पुकार सकेगा, जो उस सदस्य की अनुपस्थिति के कारण न पूछा गया हो जिसके नाम पर वह प्रश्न हो और किसी सदस्य को अन्य किसी सदस्य के नाम में रखे हुए प्रश्न को भी पूछने की अनुज्ञा दे सकेगा, यदि उस सदस्य ने उसे इस तरह का प्राधिकार दिया हो।"

मैं समझता हूं नियम बहुत स्पष्ट है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय शक्तियां

***22. मोहम्मद शहाबुद्दीन:**
श्रीमती कांति सिंह:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त वित्तीय शक्तियों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रभावी नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वित्तीय शक्तियों का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) देश में पंचायती राज प्रणाली का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा कौन-कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) (क) से (घ) संविधान के अनुच्छेद 243-जी के अनुसार राज्य विधान मंडलों को पंचायतों को शक्तियां और प्राधिकार देने हेतु कानून बनाने का अधिकार दिया गया है ताकि ये स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। पंचायतों को शक्तियों का हस्तांतरण एक सतत् प्रक्रिया है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पंचायतों को अलग-अलग प्रकार की शक्तियां सौंपी हैं।

केंद्र सरकार, उच्च स्तरीय बैठकों तथा राज्यों के मुख्य मंत्रियों व पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों के साथ पत्राचार के जरिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह देती रही है कि वे पंचायतों को शक्तियां प्रदान करें तथा इस मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई करती रही है। जुलाई, 2001 में नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्ताव भी पारित किया गया था कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्तियां सौंपेंगे तथा मार्च, 2002 के अंत तक प्रत्येक स्तर की पंचायतों को विशिष्ट कार्यकारी शक्तियां सौंपने हेतु कार्यकारी अनुदेश जारी करेंगे।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के नवीन शैक्षिक पाठ्यक्रम की समीक्षा

***23. श्री अधीर चौधरी:**
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा अपनाए गए नए शैक्षिक पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को भारी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के लिए पाठ्यक्रम का चयन करने हेतु अकादमीशियनों और विशेषज्ञों का कोई पैनल बनाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के नवीन शैक्षिक पाठ्यक्रम की समीक्षा के संबंध में बहुतायत में अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, दो पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार नई पाठ्यचर्या पर कतिपय चिंताएं व्यक्त की गई हैं। उनमें यह कहा गया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिपद् द्वारा पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुरूप तैयार किया गया है और ऐसा गुप्त तरीके से किया जा रहा है। यह भी कहा गया है कि इस मामले पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और राज्य के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के पाठ्यचर्या कार्य ढांचे को व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के प्रतिकूल नहीं है। इसके मूल और धर्म-निरपेक्ष मूल्यों को इस पाठ्यचर्या में पूरी तरह बनाए रखा गया है। पाठ्यचर्या कार्य ढांचे को तैयार करने के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् विषय-वार पाठ्य विवरणिकाएं तैयार करती हैं। ये पाठ्य विवरणिकाएं सभी केन्द्रीय और राज्य स्कूल शिक्षा बोर्डों के पास भेजी जाती हैं जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन्हें अपनाते या अपने अनुकूल बनाते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् पाठ्य पुस्तकें भी तैयार करती है। पाठ्य पुस्तकें स्थापित पद्धति के अनुरूप तैयार की जाती हैं जिसके तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् विषय-वार विशेषज्ञों सहित शिक्षाशास्त्रीयों के सुझाव और सुविज्ञता आमंत्रित करती है। विशेषज्ञों का कोई निश्चित पैनल नहीं है। परिषद् उन सेवारत शिक्षकों की सहायता भी लेती है जिन्हें पुस्तकों के विषय क्षेत्र का ज्ञान तथा अनुभव होता है। जब पाठ्य पुस्तकें अंतिम रूप से मुद्रित कराई जाती हैं तो पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने में जिन विशेषज्ञों की सहायता ली गई है उनके नाम का उल्लेख उन पाठ्य पुस्तकों में किया जाता है। राज्य सरकारें इन पाठ्य पुस्तकों को अपना सकती है अथवा उन्हें अपने अनुकूल बना सकती है अथवा अपनी पाठ्य पुस्तकें तैयार कर सकती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय मलिन बस्ती नीति

***28. श्री रामदास आठवले:**
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार एक राष्ट्रीय मलिन बस्ती नीति लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई राष्ट्रीय मलिन बस्ती नीति तैयार कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ङ) उक्त नीति को कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है;

(च) क्या मलिन बस्तियों और उसके निवासियों की समस्याओं से निपटने हेतु द्विस्तरीय रणनीति अपनाए जाने की संभावना है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) नई नीति के अंतर्गत कितने राज्यों और नगरों को शामिल किए जाने की संभावना है और इसमें कितनी वित्तीय राशि खर्च होगी;

(झ) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने नई मलिन बस्ती नीति का विरोध किया है; और

(ञ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ङ) मंत्रालय ने "राष्ट्रीय मलिन बस्ती नीति" का एक प्रारूप तैयार किया है किन्तु उसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। नीति प्रारूप को सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को उनकी टिप्पणियों/अभिमत के लिए परिचालित किया गया है जिनकी अभी भी प्रतीक्षा है। राष्ट्रीय नीति होने के नाते, यह सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों पर लागू होगी।

(च) से (ज) सरकार ने हाल ही में "वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना" (वाम्बे) नामक एक नई स्कीम शुरू करने का निर्णय लिया है, इसके दो उद्देश्य हैं (1) शहरी मलिन बस्तियों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आश्रय सुलभ करना या मौजूदा आश्रय का उन्नयन करना, ताकि राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति में यथा उल्लिखित "सभी के लिए आवास" का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके; और (2) स्कीम के उप-घटक के रूप में "निर्मल भारत अभियान" के अंतर्गत समुदाय-आधारित शौचालयों के रूप में स्लम आबादी को सफाई सुविधा मुहैया करना। नई स्कीम में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सभी शहरी क्षेत्र शामिल होंगे। इस हेतु 1000 करोड़ रुपए के वार्षिक अनुदान की घोषणा की गई है जिसके लिये समान राशि हुडको द्वारा ऋण घटक के रूप में मुहैया की जानी है।

(झ) जी नहीं।

(ञ) प्रश्न नहीं उठता।

नवोदय विद्यालयों में अनियमितताएं

***29. श्री बहादुर सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को नवोदय विद्यालयों को दी जा रही सहायता के उपयोग में अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार को अब तक इस संबंध में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या इन स्कूलों में प्रदान किया जाने वाला मध्याह्न भोजन घटिया स्तर का है;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच करने हेतु कोई दल भेजा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) जी, नहीं। नवोदय विद्यालय समिति को जारी किए गए अनुदानों के उपयोग में अनियमितताओं से संबंधित कोई शिकायत प्रात नहीं हुई है।

(घ) से (छ) मध्याह्न भोजन की योजना मुख्य रूप से प्राथमिक कक्षाओं के लिए है और यह योजना नवोदय विद्यालय समिति में लागू नहीं की जा रही है चूंकि नवोदय विद्यालयों में प्रवेश कक्षा 6 से ही दिया जाता है। तथापि, नवोदय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को निःशुल्क भोजन तथा आवास संबंधी संपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

[अनुवाद]

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

***30. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार ने राज्य-वार, विशेषरूप से उड़ीसा के किन-किन जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) आरंभ किया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन परियोजनाओं का विस्तार अन्य गरीब और शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार के कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) इस समय जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा के 16 जिलों सहित 18 राज्यों के 271 जिले शामिल हैं। इसके अंतर्गत शामिल किए गए राज्यों/जिलों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत, राजस्थान के 9, उड़ीसा के 8 और गुजरात के 6 अतिरिक्त जिले शामिल किए गए हैं। अब भारत सरकार ने सर्व शिक्षा नामक एक नई योजना आरम्भ की है जो प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को एक समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए सम्पूर्ण तथा एकीकृत कार्यक्रम है। सर्व शिक्षा अभियान में देश के सभी जिले शामिल किए जाएंगे। अतः यह निर्णय लिया गया है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का अब और विस्तार नहीं किया जाएगा।

विवरण

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत शामिल राज्यों एवं जिलों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत शामिल जिलों की संख्या	जिलों की संख्या
1	2	3	4
1.	असम	9	दारंग, धुबरी, कर्बी, अंगलॉग, मौरीगाँव, कोकराझार, बोंगाईगाव, गोलपाडा, बारपेटा, सोनितपुर
2.	हरियाणा	7	हिसार, जिन्द, कैथल, सिरसा, गुड़गांव, भिवानी, महेन्द्रगढ़
3.	कर्नाटक	17	बेलगाम, कोलार, माण्डया, रायचूर/कोपल, बेल्लारी/देवांगिर, बीदर, गुलबर्ग, मैसूर/कामराजनगर, बीजापुर/बागलकोट, बंगलौर (ग्रामीण), धारवाड/गडग/हवेरी
4.	केरल	6	कासरगोड, मालापुरम, वायनाड, तिरुवनन्तपुरम, इडडुक्की, पालक्कड
5.	मध्य प्रदेश	33	बेतूल, छत्तरपुर, धार, गुना, मंदसौर/नीमच, पन्ना, रायगढ़, रायसेन, रतलाम, रीवा, सतना, शिहोर, शहडोल/उमरीया, सिधी, टिकमगढ़, मांडला/डिंडोरी, शिओनी, शिवपुरी, भीण्ड, मुरैना/शिवपुर, विदिशा, झबुआ, दतिया, खड़गाँव/बड़वनी, देवास, शाजापुर, खण्डवा, दामोह
6.	छत्तीसगढ़	15	बिलासपुर/जांजगीर/कोरवा, राजगढ़/जशपुर, राजनंदगाँव/कवर्धा, सरगुजा/कोरिया, बस्तर/दांतेवाड़ा/कांकेर, रायपुर/धामतरी/महासमुंद
7.	महाराष्ट्र	11	औरंगाबाद, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, परभनी/हिंगोली, बीड, धूले/नन्दुरबार, गदचिरोली, जालना
8.	तमिलनाडु	7	धर्मापुरी, कुड्डालोर/बिल्लूपुरम, तिरुवन्नमलाई, पुधुकोट्टे, रामनाथपुरम, पेरमलूर
9.	आंध्र प्रदेश	19	करीमनगर, कुर्नूल, नेन्नोर, वारांगल, विजियानगरम, अदिलाबाद, अनंतपुर, चित्तूर, कुड्डप्पा, गुन्टूर, खम्माम, महबूबनगर, मेडक, नालगोण्डा, नीजामाबाद, प्रकाशम, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम तथा विशाखापट्नम
10.	गुजरात	11	बानसकंठा/पाटन, दांग, पंचमहल/दाहोद, कच्छ, साबरकंठा तथा सुरेन्द्रनगर, (भावनगर, जामनगर, जूनागढ़ - राज्य क्षेत्र द्वारा वित्तपोषित)

1	2	3	4
11.	हिमाचल प्रदेश	4	चम्बा, कुल्लू, लाहौल एवं स्पीति, सिरमौर
12.	उड़ीसा	16	बोलनगीर, धेनकनाल, कालाहांडी, रायगढ़, गजपति, बारागढ़, संबलपुर, क्योंझर, बौद्ध, कोरापुट, मलकांगीरी, सोनीपुर, कंधमल, नबरंगपुर, नौपाड़ा, मयूरभंज
13.	पश्चिम बंगाल	10	बांकुरा, बीरभूम, कूच बिहार, मुर्शिदाबाद, दक्षिण परगना, जलपाईगुड़ी, मालदा, पुरूलिया, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर
14.	उत्तर प्रदेश	54	महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोण्डा/बलरामपुर, बदायूं, खेरी, ललितपुर, पिलीभीत, बस्ती/संत कबीरनगर, मुरादाबाद/ज्योतिबा फूले नगर, शाहजहांपुर, सोनभद्र, देवरिया, हरदोई, बरेली, फीरोजाबाद, रामपुर, बहराइच/श्रावस्ती, बाराबंकी, आगरा, आजमगढ़, बलिया, बीजनौर, बुलन्दशहर, एटा, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, फरूखाबाद, कन्नौज, फतेहपुर, गाजियाबाद, गौदम बुद्ध नगर, गाजीपुर, हमीरपुर, महोबा, जालौन, जौनपुर, झांसी, कानपुर देहात, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, बागपत, मीर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पडरौना, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुलतानपुर, उन्नाव
15.	उत्तरांचल	6	बागेश्वर, चंपावत, हरिद्वार, पिथौरागढ़, टेहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी
16.	बिहार	20	मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, रोहतास, कैमूर, बैशाली, दरभंगा, गया, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, भोजपुर, बक्सर, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, भागलपुर, बांका
17.	झारखंड	7	चतरा, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा), हजारीबाग, कोडरमा, रांची, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)
18.	राजस्थान	19	अलवर, भिलवाड़ा, झालवाड़, झुनझुनू, कोटा, नागौर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक, चुरू, दौसा, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, बुंदी, करौली, सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

*31. **श्री एन.एन. कृष्णदासः** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अभी तक विनिवेश हेतु चुने गए उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या कितनी है जिनमें सरकार की महत्वपूर्ण शेयरधारिता है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से विनिवेश के जरिए अभी तक उगाही गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विनिवेश की इस प्रक्रिया को आगे जारी रखने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) सहायक कंपनियों सहित सरकार द्वारा विनिवेश के लिए अनुमोदित और इस समय क्रियान्वयन के अधीन हैं, उद्यमों की संख्या 30 है। ये कम्पनियां हैं: एयर इण्डिया, भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसेल्स लि., सी एम सी लि., इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लि., हिन्दुस्तान केबल्स, हिन्दुस्तान कॉपर लि. 'चरण-1', हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि., हिन्दुस्तान साल्ट्स लि., हिन्दुस्तान जिंक लि., एच टी एल लि., इण्डियन एयर लाईन्स, भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लि., भारतीय पर्यटन विकास निगम लि., आई बी पी लि., इन्स्ट्रूमैन्टेशन लि. जेसप एण्ड कम्पनी लि., मद्रास उर्वरक लि., भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि., राष्ट्रीय उर्वरक

लि., नेपा लि., पारादीप फास्फेटस लि., स्पाँज आइरन इंडिया लि., भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., तुंगभद्रा इस्पात कम्पनी लि., विदेश संचार निगम लि., इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल वाल्वस लि., मारूति उद्योग लि., मेकॉन लि., नेशनल अल्यूमीनियम कंपनी लि., होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.। इसके अतिरिक्त संलग्न विवण में दर्शाई गई 41 कंपनियों में पहले के लक्ष्यों के अनुसार विनिवेश पूरा कर लिया गया था।

(ख) 1991-92 से 2000-2001 तक की अवधि के दौरान विनिवेश के माध्यम से जुटाई गई राशि का वर्षवार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। इसके अलावा 2001-2002 के दौरान एच टी एल लि., और सी एम सी लि. के विनिवेश से अब तक 207 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। (क) के अंतर्गत सूचीबद्ध 30 कंपनियों में से सरकार ने इस वर्ष विनिवेश किए जाने वाले 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की दृढ़तापूर्वक समय सीमा तय करते हुए पहचान की है। ये 13 उपक्रम, भारत हैवी प्लेट्स एंड वैसल्स लि. (बी एच पी वी), सी एम सी लि., आई बी पी कंपनी लि., इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि. (आई पी सी एल), भारत पर्यटन विकास निगम (आई टी डी सी), इंस्ट्रूमैंटेशन कंट्रोल वाल्वस लि. (आई सी वी एल), जेसप एंड कंपनी लि., मारूति उद्योग लि., नेपा लि., एच टी एल लि., हिन्दुस्तान जिंक लि., होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. और विदेश संचार निगम लि. (वी एस एन एल) हैं। एच टी एल लि. और सी एम सी लि. में विनिवेश प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई है। भारत पर्यटन विकास निगम एवं होटल कार्पोरेशन आफ इंडिया के अधीन कतिपय होटलों के संबंध में कार्रवाई को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।

विवरण

1991-92 से विनिवेश के माध्यम से वर्ष-वार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-वार प्राप्त की गई धनराशि के ब्यौरे

धनराशि करोड़ रुपये में

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	1991-92	1992-93	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	एण्ड्रयू यूल	**	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड	**	-	48.270	-	-	-	-	-	-
3.	भारत इलैक्ट्रानिक्स लि.	**	-	47.169	-	-	-	-	-	-
4.	भारत हैवी इले. लि.	**	8.21	301.336	-	-	-	-	-	-
5.	भारत पेट्रोलियम का. लि.	**	331.18	-	-	-	-	-	-	-
6.	बोगाईगांव रिफाइनरीज लि.	**	45.40	-	-	-	-	-	-	148.80
7.	सी.एम.सी. लि.	**	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	कोचीन रिफाइनरीज लि.	**	-	-	-	-	-	-	-	659.10
9.	ड्रेजिंग का. आफ इं. लि.	**	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	फर्टि. के. मि. त्रावनकोर लि.	**	1.30	-	-	-	-	-	-	-
11.	एच.एम.टी. लि.	**	23.38	-	-	-	-	-	-	-
12.	हिन्दुस्तान कैबल्स लि.	**	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.	-	8.07	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	हिन्दुस्तान आर्गे. के. लि.	**	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लि.	**	331.85	563.111	-	-	-	-	-	-
16.	हिन्दुस्तान फोटो फि. लि.	**	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	**	81.55	-	-	-	-	-	-	-
18.	इंडि. पेट्रो. कं. का. लि.	**	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	इंडियन रेलवे क. लि.	**	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	इंडियन टेलि. इ. लि.	**	15.63	-	-	-	-	-	-	-
21.	मद्रास रिफाइनरीज लि.	**	-	-	-	-	-	-	-	509.33
22.	महानगर टे. नि. लि.	**	-	1322.168	135.899	-	910.00	-	-	-
23.	मिनरल एण्ड मेटल्स	**	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	नेशनल एल्यूमिनियम लि.	**	244.20	0.096	-	-	-	-	-	-
25.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	**	0.72	0.283	-	-	-	-	-	-
26.	एन.एम.डी.सी. लि.	**	17.88	-	-	-	-	-	-	-
27.	नवेली लिग्नाईट का. लि.	**	70.43	-	-	-	-	-	-	-
28.	राष्ट्रीय कैमि. फर्टि. लि.	**	30.36	-	-	-	-	-	-	-
29.	शिपिंग का. ऑफ इं. लि.	**	-	28.076	-	-	-	-	-	-
30.	स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन	**	2.25	-	-	-	-	-	-	-
31.	स्टील आथो. आफ इं. लि.	**	700.10	22.661	13.303	-	-	-	-	-
32.	विदेश संचार निगम लि.	**	-	-	-	379.67	-	783.68	75.00	-
33.	कंटेनर कारपोरेशन आफ इं.	-	-	99.714	14.118	-	-	221.65	-	-
34.	इंडियन ऑयल का. लि.	-	-	1033.646	-	-	-	1208.96	162.79	-
35.	आ. एंड नेचुरल गैस लि.	-	-	1051.516	5.156	-	-	2484.96	296.48	-
36.	इंजीनियर्स इंडिया लि.	-	-	67.527	-	-	-	-	-	-
37.	गैस आथो. ऑफ इं. लि.	-	-	194.120	-	-	-	671.86	945.00	-
38.	इंडि. टू. डेव. कारपोरेशन	-	-	51.985	-	-	-	-	-	-
39.	कुद्रेमुख आ.ओ. का.	-	-	11.399	-	-	-	-	-	-
40.	मॉर्डन फूड इंडस्ट्रीज लि.	-	-	-	-	-	-	-	105.45	-
41.	बालको (वित्तीय पुनर्संरचना)/विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	244.52	551.50
	कुल	3038.00	1912.51	4843.077	168.476	379.67	910.00	5371.11	1829.24	1868.73

**चूंकि 1991-92 में शेयरों की बिक्री इकट्ठे की गयी थी अत: सा. क्षेत्र के उद्यमवार राशि उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज हेतु नई क्रांतिकारी योजना

***32. डा. अशोक पटेल:**
श्री रामशकल:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार निचले स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज और उनकी दक्षता के विकास हेतु नई क्रांतिकारी योजनाएं आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजनाओं को कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जल संरक्षण योजना

***33. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजना किन-किन राज्यों में आरम्भ की गई है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितना बजटीय प्रावधान किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (घ) वर्षा जल का संग्रहण करना और जल का संरक्षण करना विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के चल रहे विभिन्न वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के तहत किए जा रहे मुख्य कार्यकलापों में से एक कार्यकलाप है। भूमि संसाधन विभाग के मुख्य वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के लिए चालू वर्ष का बजट आबंटन 800 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

कम्प्यूटर मेनटेनेंस कार्पोरेशन और हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड का विनिवेश

***34. श्री मोइनुल हसन:**
श्री महबूब जहेदी:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कम्प्यूटर मेनटेनेन्स कार्पोरेशन (सी.एम.सी.) और हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड (एच.टी.एल.) की बिक्री करने और उसका प्रबंधन सौंपने का निर्णय ले लिया है;

(ख) क्या सरकार ने कम्प्यूटर मेनटेनेन्स कार्पोरेशन (सी.एम.सी.) के संबंध में अपने ही दिशानिर्देशों का पालन किया है कि इन मामलों में किए जाने वाले किसी भी विनिवेश हेतु कम से कम तीन बोलीकर्ता होने चाहिए;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां। सी.एम.सी. लिमिटेड और एच.टी.एल. लिमिटेड का प्रबंध नियंत्रण 16 अक्तूबर, 2001 को संबंधित अनुकूल साझीदारों को सौंप दिया गया था।

(ख) से (घ) सरकार ने जिन विनिवेश दिशा-निर्देशों का अनुकरण किया है उनमें यह विनिर्दिष्ट नहीं है कि किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए कम से कम तीन बोलीदाताओं का होना आवश्यक होना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों में परिवर्तन

***35. श्री नंदकुमार सिंह चौहान:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कोई परिवर्तन किया गया है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारें इस योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण संबंधी कार्य की निगरानी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (घ) कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) हेतु दिशा-निर्देशों में समय-समय पर उचित अनुदेश/स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं। योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण में दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का कोई विशेष दृष्टान्त अब तक सामने नहीं आया है।

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण में निर्धारित मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम में त्रिस्तरीय गुणता नियंत्रण प्रणाली शामिल है, जिसमें प्रथम दो स्तरों के लिए राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन उत्तरदायी हैं तथा गुणता नियंत्रण प्रणाली के तीसरे स्तर के रूप में मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र मानीटर शामिल किए जा रहे हैं।

प्रथम स्तर के रूप में, जिला स्तर पर कार्यकारी एजेंसी की यह प्रमुख जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि कार्य निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप दिया गया है। गुणता नियंत्रण प्रणाली के दूसरे स्तर के रूप में सक्षम पर्यवेक्षक प्राधिकारियों तथा राज्य सरकार द्वारा गठित गुणता नियंत्रण एककों के अधिकारियों द्वारा कार्यों की आवधिक जांच की जानी होती है। स्वतंत्र मॉनीटर भी कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों में ज्योतिष और वैदिक पाठ्यक्रमों को आरम्भ किया जाना

***36. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:**
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को ज्योतिष और वैदिक अनुष्ठान पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाने का निदेश दिया है और इस प्रयोजनार्थ निधियां भी आवंटित कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालयों में पहले से ही आरम्भ कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो उन विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है जहां इन पाठ्यक्रमों को आरम्भ कर दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन पाठ्यक्रमों को किस वर्ष से आरम्भ किए जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आयोग ने विश्वविद्यालयों को ज्योतिष-शास्त्र और वैदिक कर्मकाण्ड के संबंध में पाठ्यक्रम शुरू करने का निदेश नहीं दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वेच्छा से ज्योतिर्विज्ञान विभाग खोलने के सम्बन्ध में योजना शुरू की थी। इस सम्बन्ध में जिन बहुत से विश्वविद्यालयों ने आवेदन किया था उनमें से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों में ज्योतिर्विज्ञान में स्नातक/स्नातकोत्तर और पीएच.डी. पाठ्यक्रम शुरू करने का अनुमोदन किया। उन 18 चुनिंदा विश्वविद्यालयों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है जिन्होंने इस पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए सहमति व्यक्त की है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षिक सत्र 2001-2002 से ज्योतिर्विज्ञान में इन पाठ्यक्रमों को शुरू करने का अनुमोदन किया था। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति; जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर; विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन; डा. भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा; लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ; और षण्मुख, कला विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी तंजावूर, जैसे कुछ विश्वविद्यालय पहले ही इस पाठ्यक्रम को शुरू कर चुके हैं और अन्य विश्वविद्यालयों में इस पाठ्यक्रम को शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2001-2002 के दौरान इसके लिए 3.00 करोड़ रु. का आवंटन किया है और 15.00 लाख रु. की राशि प्रत्येक चुनिंदा संस्थान के लिए आवंटित की गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी तक वैदिक कर्मकाण्ड या पौरोहित्य के संबंध में पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किसी भी विश्वविद्यालय के प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया है।

विवरण

ज्योतिर्विज्ञान में डिग्री पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चयनित 18 विश्वविद्यालयों की सूची

1. कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय
2. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
3. जीवाजी विश्वविद्यालय
4. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ
5. श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय
6. मदुरै कामराज विश्वविद्यालय
7. विक्रम विश्वविद्यालय
8. रांची विश्वविद्यालय
9. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
10. पंजाब विश्वविद्यालय
11. षण्मुख, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी (सम विश्वविद्यालय)
12. सौराष्ट्र विश्वविद्यालय
13. मैसूर विश्वविद्यालय
14. राजस्थान विश्वविद्यालय
15. बी.आई.टी. मेसरा
16. जम्मू विश्वविद्यालय
17. लखनऊ विश्वविद्यालय
18. डा. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

बांग्लादेशी घुसपैठिये

***37. श्रीमती जसकौर मीणाः**
श्री चिन्मयानन्द स्वामीः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बांग्लादेशियों की घुसपैठ लगातार बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कितने बांग्लादेशियों ने घुसपैठ की;

(ग) देश में इस समय अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन विदेशियों को अपने देश वापस भेजने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान इस मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार के साथ कोई बातचीत की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों की लगातार घुसपैठ हो रही है। इस प्रकार के अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों की संख्या के बारे में सही-सही अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि ये चोरी-छिपे प्रवेश करते हैं और जातीय और भाषाई समानताओं के कारण स्थानीय जनता में आसानी से घुल-मिल जाते हैं।

(घ) देश के विभिन्न भागों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने, पता लगाने और उन्हें स्वदेश भेजने की शक्तियां राज्य सरकारों/संघ शाशित क्षेत्र प्रशासनों को सौंपी गई हैं। इसलिए, देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें स्वदेश वापिस भेजने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं।

(ङ) और (च) भारत सरकार ने भारत में बांग्लादेशी राष्ट्रिकों के अवैध आप्रवासन के प्रश्न को विभिन्न स्तरों पर बांग्लादेश की सरकार के साथ उठाया है। बांग्लादेश की सरकार का अधिकारिक रुख यह रहा है कि भारत में कोई बांग्लादेशी अवैध आप्रवासी नहीं है।

शिक्षा को मौलिक आधार बनाने के लिए विधेयक का पुरःस्थापन

***38. श्री शंकर सिंह वाघेलाः**
डा. राजेश्वरम्मा वुक्कलाः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ भारत के संविधान में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में विधेयक कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी हां।

(ख) से (घ) 6-14 आयु-वर्ग के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए तिरासीवाँ संविधान संशोधन विधेयक, 1997 राज्य सभा में 28 जुलाई, 1997 को पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक को मानव संसाधन विकास संबंधी विभाग से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। इस समिति ने 24 नवम्बर, 1997 को राज्य सभा तथा लोक सभा में अपनी रिपोर्ट रखी जिसमें उसने संशोधन विधेयक के संबंध में कुछ सुझाव दिए। तत्पश्चात् विधि आयोग की 165वीं रिपोर्ट में भी प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने से जुड़े मुद्दे की जांच की गई।

संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों तथा विधि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इस मंत्रालय ने संविधान संशोधन विधेयक, 2001 का मसौदा तैयार किया। तिरासीवां संविधान संशोधन विधेयक, 1997 को वापस लेने तथा संसद के शीतकालीन सत्र में संशोधित तिरानवेवां संविधान संशोधन विधेयक, 2001 पुरःस्थापित करने का सरकार का विचार है।

[हिन्दी]

'सिमी' की गतिविधियां

***39. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:**
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 'सिमी' पर प्रतिबंध लगाने के पश्चात् इसके सदस्य एक अन्य संगठन बनाने का प्रयास कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सिमी द्वारा एक अन्य संगठन को बनने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) भारत सरकार के पास ऐसी विशिष्ट सूचना नहीं है कि सिमी के कार्यकर्ता अन्य संगठन की आड़ में अपने आप को पुनर्गठित कर रहे हैं। तथापि, कानून प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है।

[अनुवाद]

प्राथमिक शिक्षा के लिए विदेशी सहायता

***40. श्रीमती रेनु कुमारी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संगठनों ने प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम सहित तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में वितरित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए विदेशी अभिकरणों के सहयोग से अनेक कार्यक्रम चला रही है। ये कार्यक्रम हैं—जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, लोक जुम्बिश परियोजना, शिक्षाकर्मी परियोजना तथा भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त कार्यक्रम (जनशाला)। गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी एजेंसियों के साथ अनुबंधित परियोजना-वार निधियों तथा किए गए व्यय/प्राप्त की गई प्रतिपूर्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

प्राथमिक शिक्षा परियोजनाओं के संबंध में गत तीन वर्षों (1998-99 से 2000-2001) के दौरान 31.3.2001 तक विदेशी निधियन एजेंसियों के साथ अनुबंधित निधियों, किए गए व्यय तथा प्राप्त की गई प्रतिपूर्ति को दर्शाने वाला विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विदेशी निधियन एजेंसी	ब्यौरा	डी पी ई पी	लोक जुम्बिश	शिक्षाकर्मी	जनशाला	कुल
1.	विश्व बैंक	अनुबंधित धनराशि	4767.00	-	-	-	4767.00
		व्यय	2017.70	-	-	-	2017.70
		प्रतिपूर्ति	1696.83	-	-	-	1696.83
2.	यूरोपीय आयोग	अनुबंधित धनराशि	623.00	-	-	-	623.00
		व्यय	270.70	-	-	-	270.70
		प्रतिपूर्ति	182.49	-	-	-	182.49
3.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) - यू के	अनुबंधित धनराशि	627.00	200.00	120.00	-	947.00
		व्यय	231.87	76.66	19.17	-	327.70
		प्रतिपूर्ति	189.43	38.33	9.58	-	237.84
4.	यूनिसेफ	अनुबंधित धनराशि	36.00	-	-	-	36.00
		व्यय	13.97	-	-	-	13.97
		प्रतिपूर्ति	12.84	-	-	-	12.84
5.	नीदरलैंड सरकार	अनुबंधित धनराशि	90.00	-	-	-	90.00
		व्यय	67.69	-	-	-	67.69
		प्रतिपूर्ति	57.25	-	-	-	57.25
6.	स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी (सीडा)	अनुबंधित धनराशि	-	132.62	36.10	-	168.72
		व्यय	-	33.94	12.75	-	46.69
		प्रतिपूर्ति	-	16.97	6.38	-	23.35
7.	संयुक्त राष्ट्र की पांच एजेंसियां- (यू एन डी पी, यूनिसेफ, यू एन एफ पी ए, यूनेस्को और आई एल ओ	अनुबंधित धनराशि	-	-	-	90.00	90.00
		व्यय	-	-	-	19.04	19.04
		प्रतिपूर्ति	-	-	-	19.04	19.04
कुल	-	अनुबंधित धनराशि	6143.00	209.28	156.10	90.00	6598.38
		व्यय	2601.93	110.60	31.92	19.04	2763.49
		प्रतिपूर्ति	2138.84	55.30	15.96	19.04	2229.14

[हिन्दी]

तुगलकाबाद किले की भूमि पर अवैध कब्जा

231. श्री रामजी मांझी:
श्री रघुनाथ झा:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 7 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2329 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. ने इस मामले में जांच पूरी कर ली है;

(ख) सी.बी.आई. की जांच के क्या निष्कर्ष निकले और सी.बी.आई. की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) किले की सम्पूर्ण भूमि पर से अवैध कब्जा न हटाने के क्या कारण हैं;

(घ) किले की भूमि की खरीद/बिक्री में संलिप्त पाए गए राजस्व अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का ध्यान माफिया गिरोह द्वारा तुगलाकाबाद किले की बिक्री के संबंध में "दैनिक जागरण" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) तुगलकाबाद किला क्षेत्र में भूमि की बिक्री और अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण का मामला सी.बी.आई. को जांच के लिए दिनांक 8.12.2000 को भेजा गया था। सी.बी.आई. ने दिनांक 1.2.2001 के पी ई द्वारा मामला दर्ज किया और तदनंतर दिनांक 15.5.2001 के आर सी-डी ए/- 2001 ए-0037 द्वारा इसे एक नियमित मामले में बदल दिया गया। सूचना के अनुसार अब तक की गई जांच इस प्रकार हैं:-

आर सी के पंजीकरण के बाद सी बी आई ने सरकारी और गैर-सरकारी 62 व्यक्तियों की शिनाख्त की। सी बी आई ने पता लगाया कि कुछ सरकारी कर्मचारी नामत: एस डी मिश्रा, सहायक पुलिस आयुक्त तथा 19 अन्य कर्मचारी गैर-सरकारी व्यक्तियों के साथ अपराध में शामिल थे और उनका उद्देश्य सरकारी भूमि हथियाना व गैर-सरकारी व्यक्तियों, स्वयं को अनुचित लाभ पहुंचाना तथा सरकार को हानि पहुंचाना था।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बताया है कि मामला फिलहाल न्यायाधीन है।

(घ) मामला दर्ज होने के बाद सी बी आई ने 10 दोषी व्यक्तियों के कार्यालय और रिहायशी परिसरों की तलाशी ली जिनके नाम हैं सर्वश्री (1) शीश पाल, विधायक, (2) बी.के. मल्होत्रा, थानाध्यक्ष, (3) रती राम पटवारी, (4) सुरेश पटवारी, (5) सुभाष पहलवान, (6) प्रकाश कांगर, (7) राजा राम, (8) भीम मंडार, (9) करमबीर, और (10) रमेश कुमार। तलाशी के दौरान तुगलकाबाद किला क्षेत्र की भूमि की बिक्री और खरीद संबंधी कागजात और समान्य मुख्तारनामे जब्त किए गए। तलाशी के दौरान सबूत के रूप में कुछ अन्य कागजात भी जब्त किए गए हैं।

(ङ) और (च) 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित होने की तारीख न मिलने के कारण उसमें उल्लिखित तथ्य बताना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

व्यावसायिक शिक्षा का मूल्यांकन

232. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** व्यावसायिक शिक्षा का मूल्यांकन के बारे में 28 अगस्त, 2001 के तारांकित प्रश्न संख्या 504 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 10वीं योजना हेतु योजना आयोग की नीतियां प्रस्तुत कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस वर्ष के दौरान आज तक 40.70 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई धनराशि किस ढंग से खर्च की गई थी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग ने 10वीं योजना के दौरान व्यावसायिक शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए कार्यनीति विकसित करने के लिए कार्यबल का गठन किया है। चूंकि कार्यबल ने योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। 6.11.2001 को आयोजित की गई योजना आयोग की संचालन समिति की बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा की गई थी।

(ग) संलग्न विवरण के अनुसार 40.70 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी।

विवरण

राज्य सरकार/एजेंसी का नाम/प्रयोजन	राशि (लाख रु. में)
हरियाणा	94.28
केरल	1362.22
उत्तर प्रदेश	808.96
मध्य प्रदेश	467.80
असम	28.56
कर्नाटक	263.25
गोवा	10.00
मणिपुर	98.33
जम्मू और कश्मीर	916.55
गैर-सरकारी संगठन	19.55
योजना का मूल्यांकन	0.50
कुल	4070.00

पूर्वोत्तर में आतंकवादी गतिविधियां

233. **श्री जे.एस. बराड़: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक पूर्वोत्तर में उल्फा आतंकवादियों द्वारा राज्य-वार कितने सुरक्षाकर्मी और नागरिक मारे गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मृतकों के सगे-संबंधियों को कितने मुआवजे का भुगतान किया गया;

(ग) पूर्वोत्तर में उल्फा आतंकवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) अब तक कितनी सफलता हासिल की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान, यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) ने असम राज्य में सुरक्षा बलों के 96 कर्मियों और 249 सिविलियनों की हत्या की है। विवरण निम्न प्रकार हैं:-

वर्ष	असम में उल्फा द्वारा मारे गए सुरक्षा बल कर्मियों की संख्या	असम में उल्फा द्वारा मारे गए सिविलियनों की संख्या
1999	29	55
2000	34	141
2001	33	53
कुल	96	249

अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) उग्रवादी हिंसा के शिकार लोगों के निकट सम्बन्धियों को अदा किए गए अनुग्रहपूर्वक अनुदान की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों की राज्य सरकारों को निम्नलिखित दर पर की जाती है:-

(एक) सिविलियन के लिए एक लाख रु.

(दो) पुलिसकर्मी के लिए दो लाख रु.

(ग) और (घ) सरकार ने शांति और भाईचारे मार्ग से भटके सभी लोगों को हिंसा त्यागने और भारतीय संविधान के दायरे में वार्ता के लिए आगे आने का निमंत्रण दिया है। यह यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) पर समान रूप से लागू होता है। तथापि, उल्फा ने अभी तक केन्द्रीय सरकार की शांति वार्ता के प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की है।

[हिन्दी]

जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ की गतिविधियां

234. **प्रो. दुखा भगत: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त परिसंघ द्वारा झारखंड में चलाई गई गतिविधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान परिसंघ द्वारा कौन-कौन सी गतिविधियां चलाए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ लि. (ट्राइफेड) की स्थापना राज्य स्तरीय सहकारी निगमों/फेडरेशनों के साथ निकट सम्पर्क से शोषण को समाप्त करने की दृष्टि से वन उत्पाद के विपणन के माध्यम से जनजातियों को उचित माध्यम से जनजातियों को उचित आर्थिक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 06.08.1987 को की गई। ट्राइफेड के उद्देश्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ख) ट्राइफेड द्वारा निष्पादित कार्यकलापों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	खरीदे गए लघु वन उत्पाद/ अतिरिक्त कृषि उत्पाद की मात्रा (मीट्रिक टन में)	मूल्य (रु. लाख में)
1998-99	2.89	0.87
1999-2000	281.19	17.66
2000-2001	1176.26	158.74

खरीदी गई मुख्य वस्तुएं चिरोंजी, महुआ, फूल, इमली बीज तथा रागी।

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष में, यह परिसंघ (फेडरेशन) का झारखंड राज्य से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त करने का प्रस्ताव है:-

क्र.सं.	वस्तु	मात्रा	मूल्य (रु. लाख में)
1.	लैकसीड	100	50.00
2.	काला चना	200	30.00
3.	लोबिया	300	24.00
4.	नाइजर बीज	1000	130.00
5.	रागी	200	12.00
6.	लाल चना	1000	120.00
	कुल	2800	366.00

विवरण

ट्राइफेड के लक्ष्य

(1) प्राकृतिक उत्पादों की वृद्धि और विकास को व्यवस्थित और आयोजित करना तथा देश के जनजातीय जनसंख्या के हित में विवेकसंगत, वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक आधार पर उनका व्यापार करना।

(2) प्राकृतिक उत्पादों पर आधारित उपयुक्त आर्थिक योजनाओं को तैयार करने के द्वारा जनजातीय जनसंख्या के लिए उच्चतर उपार्जन तथा अधिक रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना।

(3) उत्पादों के नए उपयोगों की तलाश करने के द्वारा और संगठित क्षेत्र के माध्यम से उनकी विक्रेयता में सुधार लाने के द्वारा कृषि और वन उत्पाद सहित जनजातीय क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक उत्पादों के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना।

(4) प्राकृतिक उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण एवं विपणन से संबंधित टी डी सी सी, एफ डी सी तथा अन्य राज्य स्तरीय एजेंसियों की आर्थिक और वाणिज्य व्यवहार्यता को उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें विपणन सहायता प्रदान करने के द्वारा बढ़ाना।

(5) उपर्युक्त लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए स्वयं के लिए तथा अपने समर्थिक कार्यकलापों के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था करना।

(6) विभिन्न राज्यों में सहकारी विपणन की परिधि के अंतर्गत लाए जाने वाले लघु वन उत्पाद (एम एफ पी) की मदों की पहचान करना तथा प्रत्येक राज्य द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे लघु वन उत्पाद के न्यूनतम मूल्य के निर्धारण के लिए सिफारिशें करना।

राज्यों में एन.आई.आर.डी. द्वारा गैर-सरकारी संगठनों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

235. श्री राजो सिंह: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष वर्ष-वार और चालू वर्ष में गैर-सरकारी संगठनों के लाभ के लिए विभिन्न राज्यों में विशेषकर बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कार्यक्रमों में कार्यक्रम-वार कितने गैर-सरकारी संगठनों ने भाग लिया और कार्यक्रम-वार इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए; और

(ग) राज्यों में इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से क्या परिणाम हासिल किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान संपूर्ण देश के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है तथा ये कार्यक्रम आमतौर पर हैदराबाद, मुख्यालय अथवा इसके क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी में आयोजित किये जाते हैं। केवल विशेष आग्रह पर ही ये कार्यक्रम किसी खास राज्य में आयोजित किये जाते हैं। पिछले तीन वर्षों में किसी भी राज्य में गैर-सरकारी संगठनों के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। उक्त अवधि के दौरान बिहार में गैर-सरकारी संगठनों के लिए कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

महिला एवं बाल कल्याण हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन

236. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी पूर्वोत्तर राज्यों में महिला एवं बाल कल्याण हेतु योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार करने और शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ऐसी कार्य योजना की अनिवार्यता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या क्षेत्र में महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन को रोकने के लिए उन्होंने हाल ही में राज्यों का दौरा किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस दौरे का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, सात पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में महिला और बाल कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सचिव (महिला एवं बाल विकास) की अध्यक्षता में 5 अक्तूबर, 2001 को गुवाहाटी में एक बैठक हुई थी। परिणामस्वरूप, इन राज्यों द्वारा महसूस की गई आवश्यकताओं के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग ने 3110 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है।

अप्राधिकृत निर्माण और भवनों का व्यावसायीकरण

237. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 14 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3468 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1 और 2 और लाजपत नगर में भवन उपनियमों का उल्लंघन करके बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण किए गए हैं और आवासीय भवनों में अनेक शोरूप खोले जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

गुजरात में आदिवासी संस्कृति का संरक्षण

238. श्री मानसिंह पटेल: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा राज्य में स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं से गत तीन वर्षों के दौरान जिलेवार क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इस समय निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है जो आदिवासियों को जंगलों में प्रवेश करने से रोकती हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अंतर्गत गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में जनजातीय

अनुसंधान संस्थानों की सहायता करने के लिए जनजातीय विषयों पर जनजातीय संस्कृति के संरक्षण तथा अन्य अनुसंधान कार्यकलापों के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए राज्य तथा केन्द्र के मध्य 50:50 के समान आधार पर अनुदान उपलब्ध कराता है। अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद को 20.00 लाख रु. की राशि निर्मुक्त की गई।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान 9 गैर-सरकारी संगठनों को स्वास्थ्य, रोजगार तथा शिक्षा के क्षेत्रों में 11 परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 80,10,177 रु. की राशि निर्मुक्त की गई। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही जिलेवार परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) देश के जंगलों में प्रवेश के लिए जनजातियों के लिए विशेष कोई रुकावटें नहीं हैं। तथापि, आरक्षित वनों, राष्ट्रीय पार्कों, मृग-वनों तथा बायोस्फेयर रिजर्वों के मामले में भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 तथा संबंधित राज्यों के अंतर्गत लागू विभिन्न वन अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार सभी के लिए प्रवेश पर सामान्य रुकावटें हैं। इसके अलावा, भूमि, रास्ते, पानी आदि का अधिकार तथा रियायत सहित विभिन्न वन उत्पादों के उपयोग करने की परंपरागत प्रथाएं होने के कारण आरक्षित वनों के रूप में जंगलों की घोषणा के दौरान स्पष्ट रूप से अधिकारों एवं रियायतों का निर्धारण करना या कानूनों के अन्य बाध्यकारी उपबंधों को लागू करना शायद कानून की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधिकारों और रियायतों की प्रक्रिया के दौरान जनजातियों के संकोच और पिछड़ेपन के कारण उन्हें अपने अधिकारों का दावा करने के लिए प्राधिकारियों के साथ समुचित आपसी-संपर्क से रोकते हैं।

विवरण

गुजरात राज्य में वित्त पोषित गैर-सरकारी संगठन

जिले का नाम	संगठन का नाम	परियोजना	निम्नलिखित वर्षों के दौरान निर्मुक्त धनराशि (रु. में)		
			1998-99	1999-2000	2000-2001
अहमदाबाद	भारत सेवाश्रम संघ, अहमदाबाद	मोबाइल डिसपैंसरी	1,76,706/-	-	5,66,865/-
दाहोड़	दाड़ेला केलवानी मंडल	होस्टल	-	2,42,730/-	2,74,023/-
नर्मदा	भारत यात्रा केन्द्र	होस्टल/मोबाइल डिस्पैंसरी/टाइप-शार्टहैंड प्रशिक्षण	1,21,806/-	8,23,621/-	-
सूरत	जरपन नरसूर विभाग कलवानी मंडल वादी	लड़कियों और लड़कों के होस्टल	2,61,819/-	-	10,78,605/-
बनासकंठा	श्री मणिलाल गंगादास पटेल सर्वोदय केन्द्र, पालमपुर	शैक्षिक परिसर	4,82,714/-	2,00,532/-	-
	लोक निकेतन, रतनपुर	शैक्षिक परिसर	1,80,200/-	6,40,000/-	-
	श्री सर्वोदय आश्रम, सनाली	शैक्षिक परिसर	3,85,000/-	2,25,000/-	4,50,000/-
कच्छ	ग्राम स्वराज संघ	शैक्षिक परिसर	3,30,000/-	5,31,992/-	-
	श्रीमती सुश्रीलयीन मेमोरियल ट्रस्ट	शैक्षिक परिसर	3,63,604/-	-	6,75,000/-
		कुल	23,01,849/-	26,63,835/-	30,44,493/-

[अनुवाद]

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954

239. श्री रघुनाथ झा: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री 14 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3430 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पंचायत विभाग ने सभी मामलों में अपीलें दायर करा दी हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या यह सच है कि इन सभी मामलों में कृषि भूमि पर स्थित ढांचे निर्धारित मानदंडों/दिशा-निर्देशों से अधिक हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या यह भी सच है कि बीडीओ (दक्षिण पश्चिम) ने भी इस विवादित भूमि का निरीक्षण किया है और पाया है कि निर्माण निर्धारित सीमा से अधिक है; और

(झ) यदि हां, तो कार्यवाही न करने और अपील दायर न करने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जी हां। दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनों में इस्तेमाल करने से संबंधित मामले हल्का पटवारी/राजस्व स्टाफ द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 81 के तहत स्थापित एस.डी.एम./राजस्व प्राधिकारी के समक्ष दायर किए जाते हैं। मामलों के विचाराधीन रहने के दौरान एक सशर्त आदेश पारित किया जाता है जिसमें कृषि भूमि के मालिक को कथित भूमि को आदेश जारी होने की तारीख से तीन महीने की विहित अवधि में कृषि कार्यों में परिवर्तित करने का निर्देश दिया जाता है। जिन मामलों में भूमि कृषि कार्यों में परिवर्तित कर दी जाती है, वहां एस.डी.एम./राजस्व प्राधिकारी द्वारा दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 81 के तहत कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है, जबकि अन्य मामलों में भूमि गांव सभा में निहित कर दी जाती है।

जिन मामलों में वर्ष 2000-2001 के दौरान कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी उनका ब्यौरा इस प्रकार है:-

डी.सी. (दक्षिण पश्चिम)	-	27
ए.डी.एम. (दक्षिण पश्चिम)	-	14
एस.डी.एम./राजस्व प्राधिकारी (वसंत विहार)	-	28
एस.डी.एम./राजस्व प्राधिकारी (हौज खास)	-	78

जिन मामलों में कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है, वहां पंचायत विभाग का स्टाफ हलका पटवारी के साथ मौका मुआयना करता है और यदि एस.डी.एम./राजस्व प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही समाप्त कर दिये जाने के बाद भी दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 81 का उल्लंघन पाया जाता है तो पंचायत विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा गांव सभा के अधिवक्ता की सलाह से कलैक्टर के समक्ष अपील दायर की जाती हैं।

(घ) से (झ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दसवीं कक्षा तक विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण न करने की प्रणाली

240. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दसवीं कक्षा तक विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण न करने का इरादा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने इस संबंध में कोई सिफारिशें की हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की राय पर विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ङ) सरकार को इस बात का जानकारी है कि वर्तमान माध्यमिक शिक्षा पद्धति में परीक्षाओं की प्रधानता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा नवम्बर, 2000 में प्रकाशित किए गए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ 10 तक 'उत्तीर्ण' और 'अनुत्तीर्ण' श्रेणियों को हटाने

की सिफारिशें की गई है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा सुधारों संबंधी अनवरत प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अभिमतों को ध्यान में रखा है।

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954

241. श्रीमती रेणु कुमारी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 14 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3430 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या कृषि भूमि फार्म हाउसों पर किए गए निर्माण ढांचा स्वीकृत सीमा से कहीं अधिक है और उन मामलों जहां बी.डी.ओ./ पंचायत विभाग द्वारा कोई अपील नहीं की गई है, के संबंध में दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 81 का उल्लंघन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो अपील दायर न करने के क्या कारण हैं;

(च) इन फार्म हाउसों जहां बी.डी.ओ. (दक्षिण-पश्चिम) द्वारा अपील नहीं की गई है, में किस प्रकार के निर्माण किए गए हैं; और

(छ) संबंधित विभागों द्वारा इन मामलों में अपील कब तक दायर कर दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जी हां। दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनों में इस्तेमाल करने से संबंधित मामले हल्का पटवारी/राजस्व स्टाफ द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 81 के तहत संबंधित एस.डी.एम./राजस्व प्राधिकारी के समक्ष दायर किए जाते हैं। मामलों के विचाराधीन रहने के दौरान एक सशर्त आदेश पारित किया जाता है जिसमें कृषि भूमि के मालिक को कथित भूमि को आदेश जारी होने की तारीख से तीन महीने की विहित अवधि में कृषि कार्यों में परिवर्तित करने का निर्देश दिया जाता है। जिन मामलों में भूमि कृषि कार्यों में परिवर्तित कर दी जाती है, वहां एस.डी.एम./राजस्व प्राधिकारी द्वारा दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 81 के तहत कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है, जबकि अन्य मामलों में भूमि गांव सभा में निहित कर दी जाती है।

जिन मामलों में वर्ष 2000-2001 के दौरान कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी उनका ब्यौरा इस प्रकार है:-

डी.सी. (दक्षिण पश्चिम)	-	27
ए.डी.एम. (दक्षिण पश्चिम)	-	14
एस.डी.एम./राजस्व प्राधिकारी (वसंत विहार)	-	28
एस.डी.एम./राजस्व प्राधिकारी (हौज खास)	-	78

जिन मामलों में कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है, वहां पंचायत विभाग का स्टाफ हलका पटवारी के साथ मौका मुआयना करता है और यदि एस.डी.एम./राजस्व प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही समाप्त कर दिये जाने के बाद भी दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 81 का उल्लंघन पाया जाता है तो पंचायत विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा गांव सभा के अधिवक्ता की सलाह से कलैक्टर के समक्ष अपील दायर की जाती हैं।

(घ) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सम्पत्तियों की नीलामी

242. श्री अरुण कुमार: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 7 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3468 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) दिल्ली नगर निगम द्वारा चूककर्त्ताओं से बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 507 के अनुसार दिल्ली नगर निगम को वसूली की लागत को कम करने के पश्चात संबंधित ग्राम सभा के पास ग्रामीण क्षेत्रों से एकत्रित किया गया सम्पत्ति कर जमा कराना है;

(च) यदि हां, तो इसे ग्राम सभा के पास जमा न कराने के क्या कारण हैं; और

(छ) गत दो वर्षों के दौरान एम.सी.डी. द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से कितना सम्पत्ति कर वसूल किया गया?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जी हां।

दिल्ली नगर निगम ने संलग्न विवरण के अनुसार ब्यौरा प्रस्तुत किया है जिनके स्वामी 31.3.2001 की स्थिति अनुसार 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक का संपत्ति कर अदा करने में असफल रहे हैं। तथापि अनेक मामलों में करदाताओं ने लगाए गए कर का विरोध किया है।

(घ) से (छ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

विवरण

31.30.2001 तक 1 करोड़ रुपए से अधिक की मांग वाली संपत्तियों की सूची

1. 389 के.जी.टी. रोड इंडस्ट्रीयल एरिया
2. डेसू सब स्टेशन, राजघाट के पीछे
3. सब स्टेशन डेसू एमजीईडीसी, वसंत कुंज
4. सब स्टेशन कंझावला डीवीबी
5. डीवीबी कार्यालय गांधी मार्किट
6. जी-6, उद्योग नगर
7. सैड 177 रोहतक रोड, डीएसआईडीसी
8. 102 सैड डब्ल्यूआईए, डीएसआईडीसी
9. 34 सैड आफ ओआईए फेस-2, डीएसआईडीसी
10. 1 से 59 सैड आफ डीएसआईडीसी ओआईए, फेस-2
11. 144 वर्क सेन्टर हदीपुर
12. 248 वर्क सेन्टर तिलक विहार
13. 504 वर्क सेन्टर मंगलोपुरी
14. 300 वर्क सेन्टर सुलतानपुरी
15. 324, वर्क सेन्टर ज्वालापुरी
16. ओह. टैंक बी-2-सी जनकपुरी
17. वाटर फाल सरिता विहार
18. डीएसआईडीसी मंगोलपुरी औद्यो. एरिया
19. डीएसआईडीसी पार्किंग कम्पलैक्स कीर्ति नगर
20. बर्क सेन्टर खानपुर औ. आई.ए. फेस-2
21. वर्क सेन्टर नांगलोई, डीएसआईडीसी
22. 40 डीएलएफ एसआईए, किर्ती नगर
23. एचबी एस्टेट डवलपर लि.
24. 5 सीसी डब्ल्यूआईए टाइम्स प्रोपर्ट्रीज
25. सीसी-3, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र
26. 5-बी प्रताप भवन, बहादुर शाह जफर मार्ग
27. प्लाट 6 गुलाब भवन
28. प्लाट 9, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग
29. 1/18085 बहादुर शाह जफर मार्ग
30. 212 डीडी मार्ग
31. बाल भवन, कोटला रोड
32. 165 से 166 एवं 203 से 32 चांदनी चौक
33. 1832-48 एवं 1853 से 57/2 चांदनी चौक
34. 2518-20/I असफ अली रोड
35. 21 राउज एवेन्यू सचिव, बार काउंसिल आफ इंडिया
36. 4319/XII दरिया गंज
37. 1928-34/II चांदनी चौक
38. पीएल-4-5 (टूवीन) सीसी पश्चिम विहार
39. पीएल-11-12 (टूवीन) सीसी पश्चिम विहार
40. एनजैड-279 ज्वाला हैडी, पश्चिम विहार
41. प्लाट 5 डीसी लक्ष्मी नगर

42. प्लाट 19 डीसी लक्ष्मी नगर

43. पीएल-7 डीसी जनकपुरी

44. पीएल-4 डीसी जनकपुरी

45. पीएल-6 डीसी जनकपुरी

46. पीएल-3 डीसी जनकपुरी

47. 19, पश्चिम विहार

48. कपूर संस एंड कम्पनी, 273 फ्रूट एवं वेजीटेवल मार्किट

49. दलजीत सिंह, रणजीत सिंह एवं अन्य 840 चिराग दिल्ली

50. श्री अनिल शर्मा, ई-4 डिफेन्स कालोनी

51. मैसर्स कास्मोपालिटन होटलस लि. होटल सूर्या सोफिटल, न्यू फ्रैंडस कलोनी

52. अपोलो होस्पिटल, सरिता विहार, इन्द्रप्रस्था मैडिकल कारपोरेशन लि.

53. ए-1, राजोरी गार्डन

54. फन एवं फूड विलेज, कापसहेडा बार्डर

55. सी-58 कम्यूनिटी सेन्टर, जनकपुरी

56. ए-2 चानन देवी अस्पताल, जनकपुरी

57. सरबती बिल्डिंग, ज्वाला ेडी, पश्चिम विहार

58. दि. इंस्टिट्यूट दिल्ली अम्बेडकर भवन, एम.एम. रोड

59. ई-2, झण्डेवालान

60. 9062 राम बाग रोड

61. 7303-7661, डीसीएम

62 कमर्शियल टावर, स्कीपर कंस्ट्रक्शन लि.

63. 2755 प्रेम नगर

64. 1 भार्गव लेन

65. 1288-89 कश्मीरी गेट

66. 310 दया बस्ती

67. 4 राज नारायण रोड

68. 30 छात्र मार्ग

69. डी-4 एनडीएसई-2

70. ई-12 एनडीएसई-2

71. ई-15, एनडीएसई-2

72. 118 शाहपुर जट गांव, शाहपुर जट

73. 252-ए शाहपुर जट गांव, शाहपुर जट

74. एफ-2/1 खानपुर एक्सटेंशन, खानपुर एक्सटेंशन

75. सीमेंट पाइप फैक्टरी, देवली गाँव

76. 31-32 सीसी, साकेत

77. 13 पालम मार्ग, बसंत विहार

78. थापर चेम्बर 2 के. मार्ग, एलएससी मदनगीर

79. सी-19 स्पेशल कुतुब एन्कलेव इंस्टिटयूशनल एरिया

80. बी-28 कुतुब एन्कलेव स्पेशल इंस्टिटयूशनल एरिया

81. फार्म हाऊस, सैनिक फार्म खानपुर

82. 2-ए भीकाजी कामा प्लेस

83. ए-22 ग्रीन पार्क मेन

84. ई-13 ग्रीन पार्क मेन

85. जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पश्चिम 5-स्टार होटल साइट

86. फार्म हाऊस मुंडका

87. 6 सीसी ईस्ट आफ कैलाश

88. 18 सीसी यूसुफ सराय

89. होटल प्लाट नं. 1 नेहरू प्लेस

90. पीएल-17 व 18 नेहरू प्लेस

91. सी-4 मालवीय नगर

92. जी.एम. मोदी हास्पिटल, हैजरानी

93. 61-सी कालू सराय

94. 320 नेब सराय विलेज

95. आर 55 ग्रेटर कैलाश-1

96. एस 5 ग्रेटर कैलाश-1

97. बी-23 ग्रेटर कैलाश-1

98. 389-ए मस्जिद मोठ ग्राम

99 460 मस्जिद मोठ ग्राम
100. 209 मस्जिद मोठ ग्राम
101. साउथ दिल्ली क्लब, ग्रेटर कैलाश-1
102. 81/1 अधचिनी गाँव
103. दौलतराम कालेज दिल्ली यूनिवर्सिटी
104. इंस्टी. आफ हिस्ट्री आफ तुगलकाबाद
105. एस.डी.एम.बी. कीर्ति नगर
106. शिवाजी कालेज, रिंग रोड
107. विवेकानंद मोहल्ला, विवेक विहार, फेस-2
108. प्लाड 9 ब्लाक नं. ए
109. शहीद भगत सिंह, शेख सराय
110. डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल
111. जापानीज स्कूल
112. इंडीयन इंस्टीट्यूट आफ इस्लामिक स्टडीज, हमदर्द नगर
113. सुखू खालसा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फतेह नगर
114. हमदर्द पब्लिक स्कूल, संगम विहार
115. टी विद्या भारती स्कूल, वसंत विहार
116. दीप पब्लिक स्कूल, वसंत कुंज
117. हंस राज मॉडल स्कूल, अशोक विहार फेस-1
118. प्लाट 36, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया
119. 2, सीरी फोर्ट रोड
120. राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, रोहिणी सेक्टर 5
121. 10 सीसी जमरूदपुर
122. रेलवेज, रेल मंत्रालय, रेल भवन
123. दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, नई दिल्ली
124. स्लम व जे.जे विकास कुटीर आई.पी. एस्टेट
125. पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार दिल्ली
126. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन
127 आईएसबीटी, कश्मीरी गेट, दिल्ली
128. आईसीसीजीई एंड बायो टेक, विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सीजीओ काम्पलेक्स
129. स्पोर्ट अथारिटी आफ इंडिया, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम
130. इंडियन ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइडेशन, प्रगति मैदान
131. नेशनल साइंस सेंटर प्रगति मैदान
132. द रजिस्ट्रार दिल्ली यूनिवर्सिटी, मोरिस नगर
133. जामिया मीलिया इस्लामिया जमिना नगर, ओखला
134. जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू महरौली रोड
135. नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इम्यूनौलोजी, न्यू महरौली रोड
136. मैसर्स इंडियन ऑयल कारपोरेशन, 1 सीसी यूसुफ सराय
137. नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन, लोधी रोड
138. भारत पेट्रोलियम
139. मैसर्स अंसल प्रापर्टीज
140. मैसर्स वेस्टर्न इंडिया ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर
141. मैसर्स प्रदीप आयल कंपनी
142. एयर इंडिया, आईजीआई एयरपोर्ट, टर्मिनल-2
143. सेक्रेटरी, एनडीएमसी
144. मैसर्स केसर इंटरप्राइजेज
145. मैसर्स इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
146. एमटीएनएल, खुर्शीद लाल भवन
147. मैसर्स फूड कारपोरेशन आफ इंडिया
148. इंडियन एयरलाइंस आईजीआई एयरपोर्ट, टर्मिनल-1 पालम
149. हरियाणा रोडवेज, बाबा बंदा बहादुर मार्ग, दिल्ली
150. मैसर्स यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया
151. इंडिया हैबीटाट सेंटर हैबीटाट भवन, लोधी रोड
152. कुतुब होटल, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली
153. रंजीत होटल, महाराजा रंजीन सिंह मार्ग
154. लोधी होटल, लाला लाजपत राय मार्ग
155. जयपुर गोल्डन, हास्पिटल, रोहिणी
156. सीसी-5 से 8, अशोक विहार

ग्रामीण विकास पर सरकारी/निजी हिस्सेदारी के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन

243. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "एसोचैम" द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय समृद्धता पर सरकारी/निजी हिस्सेदारी के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रधान मंत्री ने स्वास्थ्य परिचर्या, शिक्षा और संचार इत्यादि के क्षेत्र में ग्रामीण विकास हेतु व्यापक सरकारी/निजी हिस्सेदारी की आवश्यकता पर बल दिया है;

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु गांवों, गैर-सरकारी संगठनों और भौगोलिक क्षेत्रों को अपनाने में व्यापारिक वर्ग की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उन व्यापारिक वर्गों जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य में हिस्सा लिया है को विशेष रियायत देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) प्रमुख उद्योगों के कैप्टनों ने ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने और खासकर उन क्षेत्रों में जीवन की गुणता को सुधारने के लिए सरकार और उद्योग के बीच सार्थक भागीदारी स्थापित करने में अपनी इच्छा जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ग्रामीण समृद्धता का आशय केवल विकास में तेजी लाना नहीं है बल्कि इसके दो अन्य लक्ष्य हैं— समानता तथा सामाजिक न्याय के साथ-साथ विकास। उन्होंने ग्रामीण समृद्धता को दशक का "मंत्र" बनाने का भी आग्रह किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) सम्मेलन ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने हेतु संभव भागीदारी के क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए सरकार और उद्योगों के बीच बातचीत जारी रखने की आवश्यकता को महसूस किया।

(ङ) और (च) व्यापारी समुदाय को ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य में शामिल करने के लिए कोई नई रियायत देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पूर्वोत्तर परिषद् में सिक्किम को शामिल किया जाना

244. श्री भीम दाहाल: क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद् में सिक्किम को शामिल करने हेतु मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर परिषद् में सिक्किम को शामिल करने हेतु संसद में कोई विधेयक पेश किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संसद में विधेयक को पारित न कराए जाने के क्या कारण हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) सिक्किम सरकार की यह मांग रही है कि सिक्किम राज्य को पूर्वोत्तर परिषद में शामिल किया जाए। परिषद ने सिक्किम को परिषद में शामिल करने हेतु एक संकल्प भी पारित कर दिया है।

(ग) से (ङ) राज्य सभा में 8.12.1998 को पूर्वोत्तर परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1998 प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक में सिक्किम को परिषद में शामिल करने का प्रस्ताव है। सरकार द्वारा पुनर्विचार के बाद 20.7.2001 को संशोधनों के लिए नोटिस जारी किया गया तथा 3.8.2001 को उद्देश्यों व कारणों का विवरण जारी किया गया।

राज्य सभा ने 9.8.2001 को इस विधेयक को जांच तथा रिपोर्ट करने के लिए विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया है। समिति ने अनेक बैठकें की हैं तथा गृह मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद, योजना आयोग के अधिकारियों तथा पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य सचिवों से पूछताछ की है। समिति ने पूर्वोत्तर सांसदों के फोरम के कुछ सदस्यों से भी पूछताछ की है।

आवासीय विद्यालय चलाने वाले गैर-सरकारी संगठन

245. **श्रीमती प्रेनीत कौर:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आवासीय विद्यालय चलाने वाले गैर-सरकारी संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 30 सितम्बर, 2001 तक की स्थिति के अनुसार जनजातीय महिलाओं के विकास हेतु देश में कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में कुल कितने शैक्षिक संस्थान काम कर रहे हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनमें से कितनों को बंद कर दिया गया और उनके बंद होने के क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 2000-2001 के लिए जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास हेतु कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में जहांकि जनजातीय महिला साक्षरता 10 प्रतिशत से कम है, वैसे कितने आवासीय विद्यालय और शैक्षिक संस्थान हैं जिन्हें अनुदान सहायता नहीं मिली है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इन गैर-सरकारी संगठनों के लिए अनुदान सहायता न जारी किए जाने के क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) उन गैर सरकारी संगठनों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर है, जिन्हें देश में आवासीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान मंजूर किया गया है।

(ख) देश में अब तक 162 शैक्षिक परिशर मंजूर किए गए हैं।

(ग) मंत्रालय ने स्वयं अपनी ओर से कोई शैक्षिक परिसर/आवासीय स्कूल बंद नहीं किए हैं। तथापि, राज्य सरकार के अधिकारियों और मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों के दौरान 41 संगठनों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया गया और उन संगठनों को सहायता अनुदान रोक दिया गया है। जिन संगठनों का सहायता अनुदान रोका गया है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर है।

(घ) वर्ष 2000-2001 के लिए सहायता अनुदान 272 संगठनों में से 141 संगठनों को निर्मुक्त किया गया है।

(ङ) विभिन्न संगठनों को अनुदान निर्मुक्त नहीं करने के कारण निम्नलिखित हैं:-

(1) संगठनों (संख्या में 46) पूर्ण प्रस्तावों का प्राप्त नहीं होना,

(2) जिला कलेक्टर की निरीक्षण रिपोर्ट और राज्य सरकारों की सिफारिश का प्राप्त होना (संख्या में 65), तथा

(3) संगठनों (संख्या में 30) की शिकायतों और असंतोषप्रद कार्य-निष्पादन के कारण।

विवरण-I

राज्य का नाम	आवासीय स्कूल चलाने वाले संगठनों का ब्यौरा
1	2
आंध्र प्रदेश	(1) बाबा आर्गेनाइजेशन फार सोशल सर्विसेस, एम आई जी-19, ए पी एच बी कालोनी, तदेपल्लीगुड्डम-534101, वेस्ट गोदावरी, जिला, आंध्र प्रदेश
	(2) बापू इन्टीग्रेटिड रूरल डिवलेपमेंट सोसायटी, गदामांगू (वी), जी.पी.ओ. एंड मंडल, कोंदूरू, पिन-521229, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश
	(3) सेन्टर फार रूरल एजुकेशन एण्ड डिवलेपमेंट सोसायटी, डी.न. 2163-1, चकलावीदी, गोरान्टला-515231, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश
	(4) सीएचआरआईएसटी रूरल डिवलपमेंट एण्ड ऐजुकेशन सोसायटी डालावाय-पल्ली, (विलेज) कोडीकोंडा पोस्ट, चिलमतहूर मंडल, अनंतपुर, जिला, आंध्र प्रदेश
	(5) कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स एण्ड डिवलेपमेंट सोसायटी, फ्लैट नं. बी-202, सत्य अपार्टमेंटस, चप्पल बाजार, काचीकुडा, हैदराबाद-27, आंध्र प्रदेश
	(6) दिव्या तेजा एजुकेशन सोसायटी, 9-1-33, एफ/17, लकड़मीनगर, लंगर हाऊस, हैदराबाद-500008, आंध्र प्रदेश

1	2
	(7) डा. अंबेडकर दलितवर्ग अभिवृद्धि सोसायटी, 16/382, गजलूला स्ट्रीट, मासापेट, कुडापाब-516001, आंध्र प्रदेश
	(8) ग्राम अभ्युदय सोसायटी फार इंटिग्रेटिड। रूरल डिवलेपमेंट छठा वार्ड, कोटा स्ट्रीट, उर्वकोंडा, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश पिन-515812
	(9) ह्यूमन रिसोर्स डिवलेपमेंट एसोशिएशन, 31-2-1, कोठा इंदलू, पुंगानुर जिला छितूर, आंध्र प्रदेश पिन-517247
	(10) प्रियदर्शनी सर्विस आर्गेनाइजेशन, डी.न. 45-56-9 सालिगरामपुरम, नरसिंहनगर, विशाखापटनम, पिन-500024
	(11) रूरल आर्गेनाइजेशन फार सोशल अक्टिविटी, मंथनावरीपालेम पोस्ट पितालिनीपालेम मंडल, गुंटूर जिला
	(12) सर्वोदय स्त्री सेवा समाज, डी.न. 5-98-61/4, बी.एड. कालेज कैम्पस ब्रोडिपेट-522002, गुंटूर
	(13) शारदा एजुकेशन सोसायटी, कोठापेट, विनुकोंडा, जिला गुंटूर पिन-522697, आंध्र प्रदेश
	(14) सोशल ट्रांसपरमेशन एण्ड रूरल टैक्नोलाजी, एलआईजीएच 67/10, के.पी.एच.बी. कालोनी, थर्ड फेस, कुकटपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी जिला-500072, आंध्र प्रदेश
	(15) सोसायटी फार एजुकेशन एंड रूरल टैक्नोलाजी क्यू.न. डी-2, नीयर एस.सी. हाई स्कूल, सैक्टर-2, गोदावरी खानी-505209, जिला करीमनगर आंध्र प्रदेश
	(16) सोसायटी फार इंटिग्रेटिड रूरल इम्प्रूवमेंट 5/164-ए, चौथा रोड, अनंतपुर 515001, आंध्र प्रदेश
	(17) श्री गोविंदा राजा स्वामी सोशल डिवलेपमेंट सोसायटी 9-12-22, विद्यानगर, अलागाडा, कुरनूल जिला, आंध्र प्रदेश
	(18) श्री मंगदलापु नारायण एजुकेशन सोसायटी फ्लैट नं. 108, मारूति एस्टेट, निजामपेट रोड गुरजला (मंडल), गुंटूर जिला, पिन-522415
	(19) श्री साइराम सेवा संगम विलेज-अन्नराम, मंडल मनाकोंडोर-505469, करीमनगर
	(20) विजय एजुकेशन सोसायटी क्यू.न.डी. 11/1, नीयर एस.सी. हाई स्कूल सैक्टर-2, गोदवारीखानी, जिला करीमनगर, पिन-505209, आंध्र प्रदेश
	(21) प्रजा अभ्यूदया सेवा समिति, प्लाट नं. 233, दुर्गा नगर कालोनी ग्रीम्सपेट, पिन-517002 जिला चितूर, आंध्र प्रदेश
	(22) आंध्र प्रदेश गिरियाना सेवक संघ चंदमनपेट, नंदीगामा जिला कृष्णा, पिन-521185
	(23) पिपल एजुकेशन सोसायटी, एच.नं. 3-1-45 इंस्पेक्शन बंगलो के पीछे, पिन-505002 करीमनगर जिला, आंध्र प्रदेश
असम	(1) पूर्वोत्तर जनजाति शिक्षा समिति, माधवधाम, सिविल होस्पीटल रोड तेजपुर, जिला दरांग, पिन-784001
	(2) सरस्वती विद्या मंदिर प्राचीलाना समिति, विलेज बोरो हाफलोंग जिला एन.सी. हिल, असम, पिन-788819
	(3) गारो वेलफेयर एंड रिहेबलिटेशन सोसायटी, गणेशपुरी, गुवाहाटी-06, असम, पिन-781005

1	2
अरुणाचल प्रदेश	(1) अरुणाचल पाली विद्यापीठ, विलेज एंड पी ओ चोंगखाम, जिला लोहित, अरुणाचल प्रदेश पिन-792014
	(2) बुद्धिस्ट कलचरल प्रीजरवेशन सोसायटी, अपर गोम्पा, पी ओ पी ए एस- बोमडीला, जिला वेस्ट कामेंग, अरुणाचल प्रदेश, पिन-791001
	(3) सेन्टर फार बुद्धिस्ट कलचरल स्टडीज तवांग मोनास्ट्रे बी.ओ.-तवांग, पिन-790104 तवांग, अरुणाचल प्रदेश
	(4) आर.के. मिशन (टिराप) पी.औ. नरोत्तम नगर, जिला टिराप, अरुणाचल प्रदेश, पिन-786629
	(5) सेवा केन्द्र विलेज बोरदूरिया, पी.ओ. खोंसा, जिला टिराप, अरुणाचल प्रदेश, पिन-786630
	(6) ओ.जे.यू. वेलफेयर एसोसिएशन, नहरलागुन
बिहार	(1) भारत सेवाश्रम संघ (घाटशिला) पी.ओ. एण्ड विलेज बाराजूरी, वाया घाटशिला, जिला ईस्ट सिंहभूम, झारखंड, पिन-832303
	(2) भारत सेवाश्रम संघ, सोनारी (डब्ल्यू) जमशेदपुर
जम्मू व कश्मीर	(1) लम्दों सोशल वेलफेयर सोसायटी, पी.ओ. बाक्स नं. 1, लेह, लद्दाख पिन-194101 जम्मू कश्मीर
	(2) महाबोधी इंटरनेशनल मेडिटेशन सेन्टर, पो.बा. नं. 22, लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर पिन-194101
	(3) बुद्धिस्ट यूथ एसोशिएशन, जंस्कार, पी.ओ. पदुम, जिला कारगिल
हिमाचल प्रदेश	(1) हिमालयन बुद्धिस्ट कलचरल एसोसिएशन, पी.बी. न. 8, क्लब हाऊस रोड, मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
	(2) रिंचेन जांगो सोसायटी फार स्पीती डिवलेपमेंट, स्पीती भवन, तिकालशेर, योलकंटा-176052, धर्मशाला, जिला कांगरा, हिमाचल प्रदेश
	(3) दि इंस्टीट्यूट आफ स्टडीज इन बुद्धिस्ट फिलोस्पी एंड ट्राइबल कलचरल सोसायटी, वी एंड पी ओ ताबो, त. स्पीती जिला लाहौल एंड स्पीती, पिन-172113, हिमाचल प्रदेश
केरल	(1) वनवासी आश्रम ट्रस्ट, पी.ओ. पेरिया, वयानाड, केरल
कर्नाटक	(1) भारती एजुकेशन ट्रस्ट, पथापलयू, बागेपल्ली, कोलार,
	(2) मंजूनांथा स्वामी विद्या समस्ते, डी.न. 4206/9, 10वां क्रास, सिद्धवीरप्पा, बदलाने, दावानगेरे-कर्नाटका
	(3) श्री होयसाला विद्या समस्ते, एट/पीओ नेरीजे, तालुक दावणगेरे जिला दालणगेरे (कर्नाटक) ब्लाक आफिस कोटन मिल प्राइमिसेस (डीसीएम) पिन-511003 कर्नाटक
	(4) श्री डी. देवराज अर्स एजुकेशन ट्रस्ट 174 एल आई जी-के एच बी कालोनी बीदर, पिन-585401 कर्नाटक
	(5) विवेकानंद पी रीजन कल्याण केन्द्र, बी.आर. हिल्स-571441, चामाराजनगर
	(6) स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट
मध्य प्रदेश।	(1) आदर्श शिक्षा समिति, ग्राम हिंडोरिया, नियर गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर जिला दमोह, मध्य प्रदेश
	(2) ग्राम चेतना सेवा समिति शाप नं. 43 पी आई टी काम्पलैक्स, मुरैना
	(3) एम.पी. अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग 1666-ई, मुनी नगर उज्जैन, मध्य प्रदेश
	(4) सुमन महिला कल्याण शिक्षा समिति, भटेरा चौकी, त. बालाघाट, बालाघाट

1	2
मणिपुर	(1) अनालोन क्रिश्चन डिवलेपमेंट सोसायटी नगरम स्टेडियम रोड, पीओ बाक्स नं. 47, इम्फाल-795151
	(2) क्रिश्चन ग्रामर स्कूल ग्रीन हिल्स, तमेंगलोंग-795141
	(3) डा. अंबेडकर स्कूल फार प्लानिंग एंड डिवलेपमेंट सोसायटी, लम्का मिसनवेंग, पीओ बाक्स नं. 67, इम्फाल-795128
	(4) इंटिग्रेटिड रूरल डिवलेपमेंट एंड एज्यूकेशनल आर्गेनाइजेशन वांगबाल, पी.ओ.-थोबाल-795128
	(5) इंटिग्रेटिड ट्राइबल अपलिफटमेंट सोसायटी पिसघा भवन, पैलेस कंपाउंड थागोओपेट मपाल, इम्फाल-725001
	(6) नार्थ ईस्टर्न ब्वाय स्काउट एंड गर्ल गाईड एसोशिएशन, कोरेनेगी, पी.ओ. मंत्रिपुखरी, इम्फाल-795002
	(7) आनुरी मिशन सोसायटी, कंगलाटोनबगी-795151
	(8) साइसिनवल्पी पाइटे स्टूडेन्ट, वेलफेटर एसोशिएशन, एस.एस.पी.पी. काम्पलैक्स, चूड़ाचंदरपुर-795128
	(9) सुमचिनवुम यूथ वेलफेयर एसोशिएशन संगाई कोट, चूड़ाचंदरपुर-795128
	(10) टीयर फंड इंडिया कमेटी आन रिलीफ रिहैबलिटेशन सर्विस, छिमतंग वेंग डोरकास रोड, न्यू लम्का, चूड़ाचंदरपुर-795128
	(11) टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूट एंड रूरल डिवलेपमेंट सर्विस डी एस ए सी अकेदमी सेन्टर नीयर थांगाभाम, थाऊभाल
	(12) यूनाइटेड रूरल डिवलेपमेंट सर्विस हिरोक हिटोपुक्की, पी.ओ. वांगिंग जिला थाऊबल।
	(13) मणिपुर ईस्टर्न हिल्स पिपल्स डिवलेपमेंट सोसायटी, इंफाल-795004
	(14) मणिपुर शिफटिंग कल्टिवेशन डिवलेपमेंट एसोशिएशन, विलेज-मुंपी ब्लाक हंगलेप, जिला चूड़ाचंदरपुर
	(15) रूरल एजुकेशन एंड सोशियो इक्नोमिक डिवलेपमेंट आर्गेनाइजेशन, थांगा तोंगाब्राम, मोरियांग-795133
महाराष्ट्र	(1) अण्ट विनायक बहुउद्देश्यीय कल्याणकारी सेवा समिति नाचनगांव, तह. देवली, जिला वर्धा
	(2) दिव्या ज्योति ग्रामीण एंड शहरी विकास शैक्षिणिक संस्था शास्त्री कालोनी, देवलूर रोड, लातूर
	(3) सर्वेन्टस आफ इंडिया सोसायटी, 846, शिवाजी नगर, पुणे-411004
मिजोरम	(1) रूरल डिवलेपमेंट सोसायटी, लानटुलई, लैराम आटोनोमस, चिमितुपई
	(2) सेक्रेड हर्ट सोसायटी, बुंगाकाउ नर्सरी, आईजोल
	(3) थुटुक ननपिचुट टीम पुआंगतुई कालवेरी, हास्पीटल, मुख्यालय, जुआंगतुई, आइजोल
	(4) मिजोरम हिमोथाई आर्गेनाइजेशन, अपर रिपब्लिक रोड, आइजोल
मेघालय	(1) आर.के. मिशन, चेरा बाजार, चेरापुंजी-793001

1	2
नागालैंड	(1) लक्ष्मी सोशल वेलफेयर सोसायटी, नेपाली बस्ती, दीमापुर
	(2) नागा युनाइटेड सोसायटी, पांचवां माइल, दीमापुर
	(3) पीजे क्लब, पदम पुकरी, दीमापुर
	(4) तानसेंग वूमेन वेलफेयर सोसायटी, तानसेंग
	(5) यीरमान काआपरेटीव सोसायटी, डंकन बस्ती, दीमापुर
	(6) चिवांग सोसायटी, एस 3, न्यू मिनिस्टर हिल, कोहिमा
	(7) शान वूमेन सोसायटी डंकन विलेज, दीमापुर
	(8) सुकमक कांग वूमेन वेलफेयर सोसायटी, मोकाकचुंग
उड़ीसा	(1) अरुण इंस्टीट्यूट आफ रूरल एफेयरर्स, विलेज अस्वाखोला, पी ओ करमूल, जिला ढेंकानाल
	(2) एसोशिएशन फार वालंटीयर एक्शन, दीमापुर, पीजी. बरबोइ जिला पुरी
	(3) भैरवी क्लब, हाडापाड़ा, जिला खुर्दा
	(4) कटक जिला हरिजन आदिवासी सेवा संस्कार योजना विलेज छाता पो.आ. वाकुरपटना, जिला कटक
	(5) इंडियन इंटरनेशनल रूरल कलचरल सेंटर, 24 अरावली अपार्टमेंट, न्यू दिल्ली
	(6) लक्ष्मी नारायण हरिजन आदिवासी वैकवर्ड डिवलेपमेंट सोसायटी, ग्राम पो. अहियास जिला जाजपुर
	(7) आर्गेनाइजेशन फार रूरल वूमेन एंड यूथ आर्गनाइजेशन, ग्राम पो. हरेकृष्णपुर जिला मयूरभंज
	(8) सोशल वीकर डिवलेपमेंट एंड इक्नोमिक सर्विस इंस्टीट्यूट (स्वदेशी) ग्राम पो. फुलबनी जिला खंडोमल
	(9) विश्व जीवन सेवा संघ, ग्राम पो. भांजपुर, जिला खुर्दा
	(10) जनकल्याण समिति हीमतंगी, भुवनेश्वर
	(11) कलिंगा इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी आई आर सी विलेज भुवनेश्वर
	(12) समाज कल्याण संस्था, झारपोखरिया, मयूरभंज
	(13) कम्यूनीटी लिगल एंड रिसर्च सेंटर, बेनसिया, जिला ढेंकानाल
	(14) हरिजन आदिवासी कन्या सेवाश्रम न्यू कालोनी, नयागढ़
	(15) मानव सेवा सदन, ग्राम पो. सारंग, जिला ढेंकानाल
	(16) विद्युत क्लब ग्राम पो. हल्दिया पाड़ा, लोकपाल, जिला पुरी
सिक्किम	(1) ह्यूमन डिवलेपमेंट फाऊंडेशन आफ सिक्किम जी आर बी ए रोड, गंगटोक
	(2) मुयल लियांग ट्रस्ट, वेस्ट सिक्किम
तमिलनाडु	(1) सोसायटी फार रूरल डिवलेपमेंट ट्राइबल भवन, गुनीगंटूर टी वी मलाई, पिन-636703
	(2) साउथ इंडिया एस सी एस टी वेलफेयर एसोसिएशन, 39 अन्नासलाई सैदापेट, चेन्नई-15

1		2
पश्चिम बंगाल	(1)	आल इंडिया फेडरेशन आफ एस सी एस टी एंड माइनोरटीज, 90ए/1बी सुरेन सरकार रोड, फ्लैट नं. डी4 कोलकाता पिन-700010, शाखा होटल मठ, कोटबाजार पो. जिला मिदनापुर
	(2)	भारत सेवाश्रम संघ (बेलदंगा) बेलदंगा ट्राइबल वेलफेयर सेंटर, पो. बेलदंगा, मुर्शीदाबाद
	(3)	भारत सेवाश्रम संघ नाडिया टाउन आफिस, ए एम पी सी, पो. राणाघाट प.बं. परिगका ग्राम कुसरिया प्रो. प्रीति नगर, जिला नाडिया
	(4)	दनाईखाली डिप्रेस्ड क्लास लीग, पो. कुमार कुंडु पिन-712407 जिला हुगली, पश्चिम बंगाल
	(5)	गांधी सड़क ग्राम सेवा केन्द्र पंजीकृत कार्यालय, 90ए/1बी एन, सुरेन्द्र सरकार रोड, फ्लैट डी1, कोलकाता-700010 शा.का. स्टेशन रोड, कैरानिआला पो. जिला मिदनापुर
	(6)	गोहालदियाजाति उपजाति ब्लू बर्ड वूमेन वेलफेयर सेंटर, ग्राम गोहल्दिया, पो. खरिका मथानी, जिला मिदनापुर
	(7)	सोसायटी फार रूरल एंड अर्बन डिवलेपमेंट साऊथ-24, परगना पिन-743347
	(8)	विवेकानंद चाइल्ड वेलफेयर होम, ग्राम पो. काकाद्वीप, जिला साऊथ-24 परगना
	(9)	निखिल भारत बनवासी पंचायत एच और झारग्राम, जिला मिदनापुर
	(10)	भारत सेवाश्रम संघ, ग्राम पो. डोकरा, जिला मिदनापुर
कुल	110	आवासीय स्कूल

विवरण-II

क्र.सं.	संगठन का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	जिला
1	2	3	4
1.	ग्रामीण महिला सिलाई-कढ़ाई-बुनाई केन्द्र ग्राम मुस्तफाबाद, पो. गूजरपुर आजमगढ़, यू.पी.	आवासीय स्कुल (प्राइमरी) एंड एजुकेश. काम्पलैक्स	बलरामपुर जिला
2.	साकेत महिला मंडल कल्याण समिति, मुट्ठीगंज, नवाबगंज, गोंडा, उ.प्र.	आवासीय स्कूल (प्राइमरी)	पछपेरवा, जिला बलरामपुर
3.	वर्ल्ड वेलफेयर रेपर्टरी, 54711 विकास नगर लखनऊ, यू.पी.	आवासीय स्कूल (प्रा.)	बिचलौल ब्लाक
4.	हिन्दू-मुस्लिम एकता आवाम कल्याण समिति, 82/75 गुरु गोविन्द मार्ग लालकुआ, लखनऊ	आवा. स्कूल शैक्षिक परिसर	ग्राम पर्शिया, लखीमपुर, खीरी

1	2	3	4
5.	गुलजारा सेवा समिति, 501/68 केसरीपुर दालीगंज लखनऊ, यू.पी.	शैक्षिक परिसर	केसरीपुर, जिला गोंडा
6.	बाल विकास आवाम महिला कल्याणकारी परिषद्, जिला गोंडा	,, ,,	जिला बलरामपुर
7.	मानव विकास आवाम सेवा संस्थान, 201 हिन्द नगर कानपुर रोड, लखनऊ	,, ,,	जिला बराइच
8.	अंबेडकर शिक्षा समिति, लखनऊ	,, ,,	लखनऊ
9.	मानव कल्याण सेवा संस्थान, एम 40, संजयगांधीपुरम, लखनऊ	,, ,,	जिला बहराइच
10.	अमित ग्राम विकास सेवा संस्थान पारसपुर, गोंडा	,, ,,	जिला गोंडा
11.	ग्रामीण समाजोत्थान सेवा संस्थान एम 71, संजयगांधीपुरम, लखनऊ	,, ,,	जिला लखीमपुर खीरी
12.	विक्रम सेवा संस्थान, गोलागोरखनाथ लखीमपुर, खीरी	,, ,,	,, ,,
13.	अंबेडकर शिक्षा प्रसार समिति, मिचलोल जिला महाराजगंज	,, ,,	बहराइच
14.	ग्रामोद्योगिक विकास सेवा समिति रामगनर, बाराबंकी जिला लखीमपुर, खीरी	,, ,,	बाराबंकी
15.	आल इंडिया ट्राइबल यूथ डिवलेपमेंट, केसरगंज बहराइच	,, ,,	बहराइच
16.	भारतीय जनकल्याण आवास महिला विकास सेवा संस्थान, भातवरिया देवरिया	,, ,,	बलरामपुर
17.	नन्दनी बाल विकास एवं ग्रामीण ग्रामोद्योग सेवा समिति, जिला गोंडा	,, ,,	जिला गोंडा
18.	ओनुरी मिशन सोसायटी, कंगालतोंगवी मणिपुर	आवासीय स्कूल	कंगलातोंगबी
19.	सोसायटी फार नेचर व एजुकेशन एंड हेल्थ, भुवनेश्वर, उड़ीसा	शैक्षिक परिसर	भुवनेश्वर
20.	बाइपारीगुडा क्षेत्र समिति कोरापुट, उड़ीसा	शैक्षिक परिसर	कोरापुट
21.	कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स एंड डिवलेपमेंट महबूबनगर, आं.प्र.	,, ,,	महबूबनगर
22.	रूरल एंड अरबन प्रोग्रिसिव सोसायटी मेडक, आं.प्र.	,, ,,	मेडक

1	2	3	4
23.	अरुंधती एजुकेशनल सोसायटी, सिकंदराबाद, आं.प्र.	शैक्षिक परिसर	सिकंदराबाद
24.	श्री वेंकटेश्वर महिला मंडली गुंटूर, आं.प्र.	,, ,,	गुन्टूर
25.	लिटिल फ्लावर सोसायटी जिला आर आर, आं.प्र.	,, ,,	आर आर
26.	एस ए एम सोसायटी फार सोशल जस्टिस, जिला आर आर आं.प्र.	,, ,,	आर.आर.
27.	डा. अंबेडकर सर्वोदय विकास परिषद्, भोपाल म.प्र.	,, ,,	भोपाल
28.	प्रमोद आदिवासी विकास परिषद् जबलपुर, म.प्र.	,, ,,	जबलपुर
29.	महाकौशल महिला शिक्षा समिति जबलपुर, म.प्र.	,, ,,	जबलपुर
30.	राजेन्द्र इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, हलीमपुर, जिला सीतामढ़ी, बिहार	,, ,,	सीतामढ़ी
31.	आदर्श शिक्षा समिति, बकिया, जिला सतना, म.प्र.	,, ,,	सतना
32.	हरिजन सेवक संघ, हावडा, प.बं.	बालवाड़ी क्रेच सेंटर	हावड़ा
33.	अल्पसंख्यक महिला प्रतिष्ठान संस्थान पटना, बिहार	मोबाइल डिस्पैंसरी	गोड्डा
34.	शारदा एजुकेशन सोसायटी, बेणुकोंडा, गुंटूर, आं.प्र.	आ. स्कूल	गुंटूर
35.	आई एल ए ट्रस्ट, गोहाटी, असम	मोबाइल डिस्पैंसरी	गोहाटी
36.	गारो वेलफेयर एंड रिहबिलीटेशन सोसायटी, गणेशगुडी गोहाटी, असम	मोबाइल डिस्पैंसरी आ. स्कूल आदि	धुबरी
37.	मणिपुर चिक्कीम एडवेंचरस सोसायटी इम्फाल, मणिपुर	कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेंटर	इम्फाल
38.	चिलचिल एशियनमिशन सोसायटी इम्फाल, मणिपुर	आवासीय स्कूल	कंगालटोंबी
39.	सोशल ट्रांस्फोरमेशन एंड रूरल टैक्नोलाजी के पी एच ए कालोनी कुकाटापल्ली, हैदराबाद	,, ,,	रंगारेड्डी
40.	आदिवासी शिक्षा आवाम संस्कृति समिति, पो. बाराबंकी दुमका, झारखंड	,, ,,	दुमका
41.	ट्राइबल डिवलेपमेंट आफ इंडियन इंस्टीट्यूट, दमदमा प्लाट नं. एस-4/492 फेस-3 भुवनेश्वर	टाइपिंग एंड शार्टहैंड ट्रेनिंग सेन्टर	दमदमा, उड़ीसा

मानद विश्वविद्यालयों के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा

246. **श्री राम मोहन गाड्डे:**
श्री शिवाजी माने:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मानद विश्वविद्यालयों के लिए अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है जहां परीक्षा आयोजित की जाती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) प्रवेश परीक्षाओं की अधिकता की वजह से छात्रों तथा उनके माता-पिता पर पड़ने वाले मानसिक तनाव तथा वित्तीय भार को टालने के आशय से सरकार ने वर्ष 2002 से अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह परीक्षा सम-विश्वविद्यालयों, संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल संस्थाओं को छोड़कर केन्द्रीय संस्थाओं और इस परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य/संघ शासित प्रदेशों में स्थित संस्थाओं (वे राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करते हों या नहीं) में चलाए जाने वाले इंजीनियरी पाठ्यक्रमों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा-3 के तहत सम-विश्वविद्यालयों हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सम-विश्वविद्यालयों में सदृश पाठ्यक्रमों में सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर प्रवेश दिया जाना अपेक्षित है। अत: सभी सम-विश्वविद्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रस्तावित अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा में शामिल हों।

गुजरात में आवास निर्माण हेतु वित्तीय आवंटन

247. **श्री दिन्शा पटेल:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया और कितने आवास निर्मित किए गए;

(ख) क्या राज्य में प्राकृतिक आपदा के कारण आवंटन में और अधिक वृद्धि करने हेतु केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में सकारात्मक रुख अपनाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) आवास राज्य का विषय है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शहरी क्षेत्रों में मकान निर्माण के लिए कोई केन्द्र प्रवर्तित स्कीम नहीं है। तथापि, एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, आवास और नगर विकास निगम लि. (हडको) ने गुजरात के शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की विभिन्न आवास स्कीमों के लिए वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान 13.65 करोड़ रु. की ऋण सहायता मुहैया कराई है, जिनके ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं। हडको ने अतिरिक्त 2 मिलियन आवास कार्यक्रम के अंतर्गत 38908 शहरी रिहायशी मकान भी स्वीकृत किए हैं, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

दिनांक 26.1.2001 को भूकंप से हुए विनाश को देखते हुए सरकार ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने में सुविधा दी है और हडको को वर्ष 2001-2002 के दौरान 1500 करोड़ रुपये के टैक्स-फ्री-बांड, "हडको- गुजरात पुनर्निर्माण टैक्स फ्री बांड" विशेष रूप से गुजरात के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग करने के लिए प्रारंभ करने की अनुमति दी है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में हडको द्वारा ई डब्ल्यू एस आवास के लिए मंजूर ऋणों के ब्यौरे

वर्ष	मंजूर ऋण (करोड़ रु. में)
1998-99	9.11
1999-2000	4.30
2000-2001	0.24
कुल	13.65

गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में अतिरिक्त 2 मिलियन आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत हडको द्वारा मंजूर रिहायशी मकानों के ब्यौरे

वर्ष	मंजूर रिहायशी मकान
1998-99	13976
1999-2000	21970
2000-2001	3059
कुल	39005

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थिति

248. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि कुछ वर्तमान इंजीनियरिंग कालेजों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 के दौरान ऐसे कालेजों के राज्य-वार नाम क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में नीति क्रियान्वित करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) रुड़की विश्वविद्यालय, जो एक राज्य विश्वविद्यालय है को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा प्रदान किया गया है।

(ग) रुड़की विश्वविद्यालय का देश की तकनीकी शिक्षा प्रणाली में एक अनूठा स्थान है। रुड़की विश्वविद्यालय का पिछला उत्कृष्ट रिकार्ड और इसकी अन्तर्निहित तकनीकी क्षमता की तुलना अनुकूल दृष्टि से मौजूदा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ की जाती है। वास्तव में, तकनीकी सक्षमता के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रणाली में समेकित होने वाले विश्वविद्यालय से व्यापक रूप से लाभान्वित होने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने रुड़की विश्वविद्यालय को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बदलने और देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रणाली के साथ इसे समेकित करने का निर्णय किया है।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विनिवेश

249. श्री प्रबोध पण्डा:
श्री किरीट सोमैया:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया को धक्का लगा है;

(ख) क्या इन दोनों कम्पनियों के सभी श्रमिक संघ, आफिसर्स एसोसिएशन और प्रबंधन ने विनिवेश की प्रक्रिया का विरोध किया है;

(ग) क्या वर्ष 2000-2001 के दौरान इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया ने अपने लाभ अर्जन में सुधार किया है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के लिए तत्संबंधी तुलनात्मक आंकड़े क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने मुक्त अर्थव्यवस्था में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को बनाए रखने हेतु कोई पुनर्गठन योजना तैयार की है;

(च) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सूची में नहीं रखा गया है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों के कुछ कर्मचारी तथा अधिकारी यूनियनों ने इन कंपनियों में विनिवेश के बारे में कतिपय मुद्दे उठाए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों के लाभ/हानि के आंकड़े इस प्रकार हैं:-

(करोड़ रुपए)

कम्पनी	1998-99 निवल लाभ (हानि)	1999-2000 निवल लाभ (हानि)	2000-2001 निवल लाभ (हानि)
एयर इण्डिया	(174.48)	(37.63)	(44.40) - अनन्तिम
इंडियन एयरलाइंस	14.17	51.42	(159.17) - अनन्तिम

(ङ) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों के लिए विनिवेश योजना प्रतिस्पर्द्धा की भावना के साथ वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर दोनों एयरलाइंस को संचालित करने की आवश्यकता को मान्यता देना है ताकि वे मुक्त अर्थव्यवस्था में फल-फूल सकें।

(च) और (छ) उन्हें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि विद्यमान क्षेत्रीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उनका विनिवेश पूरा होने की संभावना नहीं है।

एयर इंडिया द्वारा द्विपक्षीय समझौता

250. श्री गुन्नीपाटी रामैया: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कई नए द्विपक्षीय समझौते किये हैं और कई विदेशी एयरलाइंसों को नए अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एयर इंडिया के मूल्यांकन पर इस निर्णय से क्या प्रभाव पड़ने वाला है और बेचे जाने वाले शेयरों की खरीद के लिए कितनी बोलियां प्राप्त हुई हैं; और

(घ) क्या इससे सरकार की बातचीत करने की स्थिति पर विपरीत असर पड़ा है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 2000-2001 के दौरान एयर इंडिया ने इन वाणिज्यिक करारों से 245 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है और लगभग 200 करोड़ रुपए का निवल अतिरिक्त लाभ कमाया है। एयर इंडिया ने पहले की अपेक्षा और अधिक स्थानों से जुड़कर भी सफलता अर्जित की है। इन वाणिज्यिक करारों के बिना एयर इंडिया की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो सकती थी और विनिवेश के प्रयोजन के लिए इसका वित्तीय मूल्यांकन और भी कम हो सकता था।

(घ) जी, नहीं।

विवरण

2001 में प्रदान किया गया अतिरिक्त यातायात अधिकार
(प्रत्येक तरफ के लिए सीट्स/सप्ताह)

1.	रूस (12.01.2001)	-	500 सीट	(चरणबद्ध तरीके से)
2.	हांगकांग (19.01.2001)	-	1250 सीट	
3.	यूगोस्लाविया (30.01.2001)	-	600 सीट	(नया करार)
4.	जर्मनी (6.02.2001)	-	(भारतीय हकदारी में से 2800 सीट)	
5.	एस.ए.एस. (27.03.2001)	-	600 सीट	
6.	आस्ट्रिया (23.03.2001)	-	600 सीट	(चरणबद्ध तरीके से)
7.	यू.ए.ई. (दुबई) (20.04.2001)	-	2000 सीट	(हैदराबाद के संचालनों के लिए)
8.	ओमान (13.08.2001)	-	1000 सीट	

9.	कुवैत (30.08.2001)	-	700 सीट	(कोचीन के संचालनों के लिए)
10.	सिंगापुर (7.9.2001)	-	650 सीट	(कोचीन के संचालनों के लिए 1.6 बी. 747 यूनिट)
	योग	-	7900 सीट/सप्ताह (+ भारतीय हकदारी में से जर्मनी के लिए 2800 सीट)	

कॉल के नए बिन्दु

यू.ए.ई.	-	हैदराबाद
ओमान, कुवैत, सिंगापुर	-	कोचीन
जर्मनी, हांगकांग	-	बंगलौर

पनधारा विकास कार्यक्रम

251. डा. वी. सरोजा: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न विभागों/एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित की जा रही पनधारा विकास कार्यक्रम का परिचालन के क्षेत्र में दोहरीकरण एवं अपर्याप्त क्रियान्वयन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थिति की समीक्षा हेतु कोई अन्तर-मंत्रालीय समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थिति से निपटने हेतु अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) वाटरशेड विकास कार्यक्रम विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस विषय पर संबंधित विभागों द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह परिकल्पना की गई है कि कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन में कार्य संचालन के क्षेत्र में कोई परस्पर व्याप्ति न हो।

(ख) से (घ) उपयुक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

जलापूर्ति और मल निकासी क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

252. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने शहरी जनसंख्या को अपने मौजूदा जलापूर्ति और मल निकासी क्षेत्र अथवा संशोधित जल एवं जल-मल निकासी सेवाएं प्रदान करने हेतु बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जो जलापूर्ति के निजीकरण में आगे आए हैं और वे कौन से नगर हैं जिन्हें अपने संबंधित राज्यों में प्रस्तावित योजना में शामिल किया गया है;

(ग) क्या प्रस्तावित योजना पर आंशिक रूप से केन्द्र द्वारा और आंशिक रूप से राज्य सरकारों द्वारा व्यय किया जाना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस संबंध में भागीदारी हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) चूंकि शहरी जल आपूर्ति और सफाई-प्रबन्ध राज्य के विषय हैं, इसलिए यह मंत्रालय राज्य सरकारों द्वारा अपने वर्तमान जल-आपूर्ति और सीवरेज नेटवर्क में सुधार लाने के लिए बहु-राष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारिता का अनुवीक्षण नहीं करता है। यद्यपि कुछ राज्य सरकारें निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए प्रयास कर रही हैं, तथापि, अभी तक किसी भी सफल निजीकरण की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, निम्नलिखित बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विदेशी सहयोग के लिए उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक

नीति और संवर्धन विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं:-

(1) बूट (निर्माण-संचालन-मालिक-अन्तरण) आधार पर अवस्था-2 की कावेरी जल आपूर्ति योजना चरण-2 के कार्यान्वयन के लिए बंगलौर जल आपूर्ति एवम् सीवरेज बोर्ड द्वारा प्रस्तुत परियोजना को शुरू करने के लिए 100 प्रतिशत सहायक कम्पनी स्थापित करने के लिए मैसर्स बाइवॉटर इन्टरनेशनल यू.के.

(2) तीरूपुर जल आपूर्ति परियोजना के टर्न-की निष्पादन के लिए मैसर्स बेलटेल इंटरनेशनल आई.एन.सी., यू.एस.ए. मैसर्स हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ एक समेकित और निगमित संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन।

(3) चैन्नई में नगर पालिका ठोस और द्रव अपशिष्ट एकत्रीकरण, औद्योगिक क्लीजिंग इत्यादि जैसी पर्यावरणी सेवा सुविधाओं के कार्यान्वयन के लिए मैसर्स सीईएस ओनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मैसर्स ओनिक्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश मे प्राथमिक/मिडिल स्कूलों की स्थापना में वित्तीय अनियमितता

253. **श्री गजेन्द्रसिंह राजूखेड़ी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के शैक्षिक रूप से पिछड़े और अल्पसंख्यक प्रधान क्षेत्रों में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों की स्थापना वाली योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपये वाली वित्तीय अनियमितता से जुड़ा कोई मामला पता चला है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) क्या इतनी भारी राशि व्यय करने के बाद रिकार्ड से विद्यालयों की स्थापना की जांच नहीं की गई; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा 31.3.2000 को समाप्त वर्ष की उनकी रिपोर्ट में स्वीकृत केन्द्रीय वित्त-पोषण का उपयोग किये जाने के संबंध में आपत्तियां व्यक्त की हैं।

उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी है कि उक्त योजना के अंतर्गत प्राप्त वित्तपोषण से चुनिन्दा क्षेत्रों में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की गई है। राज्य सरकार द्वारा स्थापित किये गये स्कूलों की प्रमाणित सूची केन्द्र को प्रदान की है, (ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है)। राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि 124 उर्दू सहायक शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है और पहले से कार्यरत शिक्षक भी शिक्षण-कार्य में सहायता कर रहे हैं।

विवरण

केन्द्र पुरोनिधानित सघन विकास योजनान्तर्गत वर्ष 1994-95 में खोले गये प्राथमिक विद्यालयों की सूची

क्र.सं.	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1.	बहराइच	चितौरा	परेवाखान
			समसा तरहर
		गिलौला	वजीरपुर
			महोली
		जमुनहा	वमनपुरवा
2.	बाराबंकी	दरियाबाद	सरायसिंगई
		मवई	मेझनेटी
		निन्द्रा	बसारा

1	2	3	4
		देवा	टेराखुर्द
		सिद्धौर	असन्दरा
		रुदौली	सराय अहमद
			आतून
			करीमपुर
3.	देवरिया	पडरौना	डरखापुर मल्ल
			वंसडिया वलीदपुर
			बंगाली पट्टी
		तमकुंडी	गढ़वा चैन पट्टी
		विशुनपुरा	मोतीपुर उर्फ विजयीपुर
4.	बस्ती	परशुरामपुर	अचरवल
		गौर	जलालाबाद
		खालीलाबाद	मथुरापुर
		बघौली	धोचुआ
		नाथनगर	मोतहीजोतकला
5.	मुरादाबाद	वंकसा	जोगीपुर
		सम्भल	मोहम्मदपुर बढ़ेरा
		अमरोहा	मिलक फापडी
		भागतपुर ढांडा	अटरिया
		छिलासी	वाजिदपुर
		असमोली	सैदपुर इम्मा
		अमरोहा	ढक्का
		जोधा	पांयती खुर्द
6.	बिजनौर	नजीबाबाद	सादतपुर
		जलीलपुर	नसीरपुर शेख
			कराल
		खारी झाली	छज्जूपुरा सादात
			सिरधानी
		नूरपुर	बेड़ा
		बूढनपुर	रहटोली
		अफजलगढ़	सायरावाला
7.	रामपुर	सैंदनगर	वजावाला
		शाहाबाद	मडेयाने झा
			मडेयाने बदे
		चमरौआ	नगला बांस नूगूली
		स्वार	सावले नगर

केन्द्र पुरोनिधानित सघन विकास योजनान्तर्गत वर्ष 1994-95 में खोले गये उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची

क्र.सं.	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1.	बहराइच	गिलौला	खड़ैला
		कैसरगंज	देवलखा
2.	बाराबंकी	हरखा	अकुलापुर
		देवा	मलूकपुर
		मसौली	सैदा बाद
		फतेहपुर	सिरौली सुर्जन
3.	देवरिया	देसही	भरथा पट्टी
			मदिरा पाली भरथनाप
		रूडपुर	जगन्नाथ पुर
		सेंवरही	तरया हरकेश
		दुधई	धर्मपुर पर्वत
4.	बस्ती	गौर	केसरई
		मेहदावल	बैलोली
		नाथनगर	सिसेवनियॉं
		हरैया	महवापार
5.	मुरादाबाद	बहजोई	मिर्जापुर मसरुल्ला
		कुन्दरकी	महमूदपुर माफी
		पंकसा	लहरा कमंगर
			मोम्हमदपुर पवई
6.	बिजनौर	खारी झालू	परी कला
		जलीलपुर	तिगरी
7.	रामपुर	चमरौआ	पुंजाब नगर
		मिलक	लोहा
		बिलासपुर	महतोष
			24/-

केन्द्र पुरोनिधानित सघन विकास योजनान्तर्गत वर्ष 1995-96 में खोले गये प्राथमिक विद्यालयों की सूची

1.	बिजनौर	कोतावली	मथुरापुर
		नजीबाबाद	ज्वाली लानी
		अल्हेपुर	किरार खेड़ा
2.	रामपुर	बिलासपुर	नौसेना
			दनकरी
		शाहाबाद	नदना

1	2	3	4
			नवाबपुर
		चमरौआ	खांजीपुर
			लालपुर पट्टी
			अहमद नगर खेड़ा
		मिलक	पिपलिया रायजादा
3.	मुजफ्फर नगर	मु. नगर (सदर)	सरनट
		कैराना	कैराना
		जानसठ	हंसावाल
4.	मेरठ	सरधना	अकलपुरा
			नवाबगढ़ी
			मिलक
		हसनपुर	जलालपुर जोरा
5.	पीलीभीत	मरौरी	टंडोला
			हुसेनपुर
6.	गोण्डा	उतरौला	ब्रहम्हभारी
		गोण्डा	गोगडा गिर्द
7.	मुरादाबाद	सम्भल	ताजपुर
		अमरोहा	जानपुर बन्द
			पंजी सराय
8.	बस्ती	गौर	सधुआ
		हैसर बाजार	करना
		कप्तानगंज	वेसोरा
		सल्टोथा	वंसडिलिया
		विक्रम जोत	कोतवालपुर
9.	बहराइच	गिलौला	रघुराथपुर
		नवाबगंज	सतीचौर
		सिरसिया	बेरिडवा
10.	बाराबंकी	रामसनहीघाट	पूरेडलई
			परसडवा
			35

केन्द्र पुरोनिधानित सघन विकास योजनान्तर्गत वर्ष 1995-96 में खोले गये उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची

1.	बिजनौर	कोतवाली	महेश्वरी जट
2.	रामपुर	स्वार	सेन्टाखेड़ा
		शाहाबाद	शाहपुर देव
		मिलक	बेगमाबाद
			धनुपुरा

1	2	3	4
3.	गाजियाबाद	गढ़मुक्तेश्वर	अनूपपुर डिवाई
4.	मुजफ्फरनगर	कैराना	रामडा
		मु. नगर	संघावली
		बुढ़ाना	हबीबपुर सीकरी
		जानसठ	तिसंग
5.	मेरठ	सरधना	रूहासा
		मवाना	नाहली
		मेरठ	बड़ा गांव
			अलीपुर जिजमाना
6.	पीलीभीत	अमरिया	गरगेना
7.	गोण्डा	बलरामपुर	कटरा शंकर नगर
8.	मुरादाबाद	सम्भल	माडली सगसपुर
9.	बस्ती	साउघाट	हदवाबाजार
10.	बहराइच	चित्तौरा	महोलिया
11.	बाराबंकी	हरख	वादीपुर
			21

केन्द्र पुरोनिधानित सघन विकास योजनान्तर्गत वर्ष 1996-97 में खोले गये प्राथमिक विद्यालयों की सूची

1.	बदायूं	कादरचौक	कैथोला
		बिसौली	बेहटाकोडा
		दातागंज	इस्माइलपुर
		सालारपुर	चन्दौरा
		अम्बियापुर	सिरासौलजसा
		जुनावई	महावली
		उझानी	हरषालपुर
2.	बुलन्दशहर	सिकन्द्राबाद	एनायतगढ़ी
			जातीगढ़ी
			सलेमपुर कास्थ
			नवादा
			छियासियानगढ़ी
			लुहाकर
		बुलन्दशहर	दोहली
			जलेपुरा
			मरगुपुर

1	2	3	4
			गगेसिआ
			कोराली
			हाजीपुर भटोला
3.	लखनऊ	काकोरी	टढेवा
			गद्दीखेड़ा
			काकोरी टाउन
			भटउ जमालपुर
			सकरखेड़ा
			गहलवार
		सरोजनी नगर	घोसियाना
			बांदेखेड़ा भटगाँव
		मलिहाबाद	जिंदौर
			सदरपुर मुजासा
			महदोइया
			गौदामोअज्जम नगर
			तेरवा
		माल	तिवारी खेड़ा
			सहजना निवारी
			कुशल खेड़ा
4.	मऊ/आजमगढ़	मुहम्मदाबाद	भीरा
			पट्टी
			सौसरवां
			जूढ़नपुर
			सैदपुर नोनिया
			सम्भोलपुर
			श्यामपुर
			जमीन नरौनी
			अतरारी
			बिजौली
5.	बरेली	शेरगढ़	शाहपुर
			विल्सा
			टांडा
			मोहनपुर
		बहेड़ी	खाजुरिया
			केलाडांडी
			नवादा इकरामुल्ला

1	2	3	4
		दमखोदा	रोहनिया
			सुकटिया
			चौडेरा
			हिम्मा
			गोरीखोड़ा
			भूलाभुलय्या
		भोजीपुरा	इटौआ
			पिपरया
			खजुरिया
			लच्छिमियापुर
			खतौला
			जमुनिया
			अटासुभाली
			मसीत
			मिलक
			रायपुर
		नवाबगंज	टाण्डा
			खिजरपुर
			कल्यानपुर
			रूपपुर
			जरेली
			घाटमपुर
		मझगंवा	जैनकादराबाद
		आलमपुर	नगला
			यूसुफपुर
			करूआताल
			बनारा
			मठकी चाँदपुर
			पसतौर
			कृपिया
6.	शाहजहाँपुर	ददरौल	खिरियाखेखा
			मुहददीनपुर
			गौटियाशाहबाद नगर
			परवेजपुर
			खमरिया

1	2	3	4
		भावलखेड़ा	जलालपुर
			बहादरपुर
			जुम्मनपुरवा
			सरैया
			तहवरगंज
			93

केन्द्र पुरोनिधानित सघन विकास योजनान्तर्गत वर्ष 1996-97 में खोले गये उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची

1.	बदायूं	अम्बियापुर	बेहटा मुसाई
		म्याऊँ	गौरामई
2.	बुलन्दशहर	सिकन्दराबाद	कांवरा
			खिरौडी ताजपुर
		बुलन्दशहर	दोहली
			गेगेरूआ
3.	लखनऊ	काकोरी	दोना
			औरंगाबाद
		मलिहाबाद	शिवरी
			मनकौटी
4.	मऊ/आजमगढ़	मुहम्मदाबाद	अरैला
			अटौरा चौबेपुर
			अन्नूपार
5.	बरेली	भोजीपुरा	पचरौरा कला
			चकदाहा
		विथरी	सैदपुर चुन्नीलाल
			बेरमनगर
			मानपुर
		बहेडी	सिलीजागीर
		भादपुरा	लितिनगर
		नवाबगंज	समूहा
		नामनगर	मठचन्दपुर
		आलमपुर	मकरन्दपुर ताराचन्द
6.	शाहजहाँपुर	ददरौल	ददरौल
		भावलखौडा	सिसौआ
		काँठ	काँठ
			26

1	2	3	4
			वर्ष 1997-98 में केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत खोले गये 172 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची
1.	गोण्डा	गोण्डा	सुभागपुर पण्डरीह
			बनधुसरा-झमरी
			तुकीडीहा-वजीरगगंज
2.	बलरामपुर	बलरामपुर	शंकर नगर
			तेलहना
			खेलनासुल्तानगंज
		उतरौला	बढया पकड़ी
			पहेर
			महुआ धानी
			देवरिया नैनहा
			बरामल
3.	बिजनौर	बिजनौर	मौसमपुर चमरा
			मुढाला
			इस्लामपुर दार
		धामपुर	हकीमपुर
			सलाराबाद
			मिलक जहाँगीराबाद
		नगीना	भोजपुर
			कोटकादर
			बनीगंजश
		नजीबाबाद	जालपुर
			ज्वालीलाला
4.	बहराइच	नानपरा	कामराजपुर
			सतीजोर
			चौधरीगांव
			झाला
			बलहा
			मोतीपुरवा
			मकनपुर-जमदान
			हुसैनीपुरवा
			जोकहासलारपुर
			शेदाजीगरिया
			किशुनपुर मीठा
		केसरगंज	ऐलिहा
			एनीहतिन्सी
			रिहिमपुर
			मेढकहा

1	2	3	4
		बहराइच	उन्नैस
			कुखारी
			परेवाखान
5.	भावस्ती	भिन्नगा	मलांवा
			महरिहवा
6.	मेरठ	मेरठ	हाजीपुर
			काशी
			भूड़वाला
			महरौली
			कल्लापुर
			खडौला
		मवाना	सनौता
			गगसौना
			अकबरपुर सादात
			नंगला हरेरू
			बिसौला
			खाता
		सरधना	कुलेजन
			मढियायी
			कैली
			कपसाड
			खेड़ा
			रार्थना
			पीरपुर
			अक्खेपुर
			अटेरन
			झिटकरी
			मण्डौरा
			दौलतपुर
7.	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	चांदपुर
			न्यायपुरा
			शेरनगर
			बामनहेडी
			रथेडी
			सिखेडा
			निराना

1	2	3	4
			शेरपुर
			खामपुर
			मिमलाना
		जान्सठ	सिकन्दरपुर
			नयागांव मजसागंगदासपुर
			चिन्दीडी
			तुल्हेडी
			हुसेनपुर खादर
			डांसरी
		कैराना	अलीपुर
			रामडा
			बघेल
			गोगवाल
			बुद्धपुरा
			मोहम्मदनगर राई
			अकबरपुर राई
			जहानपुरा
			बीनडा
8.	रामपुर	रामपुर	नगलियां आकिल
			पाईन्दा नगर
			मो. पुर शुमाली
			ईड्डी
			जोठियॉं
		स्वार	थमपुर
			विलारखाता
		शाहाबाद	हिम्मतपुर
			परौता
			मिलरपुर
			भन्दबांब
			खानी पट्टी ऊदा
			सूपा निकट
			मजरामूड
			सागरपुर
		मिलक	बराखास
			नदया निकट हरसूनगला
			धर्मपुर

1	2	3	4
		बिलासपुर	धाबनीबुजुर्ग
			नरखेडा
			रामनगर
9.	बाराबंकी	नवाबगंज	दरहरा
			आलापुर
			सिदवाही
			नैनामऊ
			बडागांव
			जकरिया
			बलछठ
			वीरगांव
		फतहपुर	नंदनाकलां
			बुटबलमऊ
			देवखरिया
			बसौली
			पंडरी
			बाबागंज
			ईटोजा
			बडागांव
		रामसनैहीघाट	किठोरी
			बाजपुर
			जरौली
			मियांगंज
10.	गाजियाबाद	हापुड	सलाई
11.	गौतमबुद्ध	दादरी	दादरी
12.	पीलीभीत	पीलीभीत	महोफ
			तिरकुनिया
			सरौरी
			डगो
			सिरसा
13.	मुरादाबाद	मुरादाबाद	ठीकरी
			चौधरपुर जटकुरी
		सम्भल	सदीरनपुर
			फुलासिहा
		बिलारी	सिहारीमाला

1	2	3	4
14.	ज्योतिबाफुलेनगर	अमरोहा	नौराहन
			खोडा अपरोला
			सैदपुर इम्मा
		हसनपुर	कनैटा हसनपुर
			टाडा
15.	बस्ती/सिद्धार्थ नगर	डुमरियागंज	रसूलपुर
			विथरिया
			जुगलीपुर
			संरधुईताल
			जिमडी
			अगजडवा
		नौगढ़	रसूलपुर
			खामिलपुर
			कोडराग्रान्ट
			पालिया
			जुसरी बुजुर्ग
			रामगढ़
		बांसी	जनियाजोत
			जमलाजोत
			मऊ
			मोमरिया
			हरेथानानकार
			172

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवास योजना

254. **श्री चिंतामन वनगा:**
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवास योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित/जारी की गई और आज की तिथि के अनुसार इस प्रयोजनार्थ राज्यों द्वारा राज्य-वार कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) चालू वर्ष के दौरान अब तक राज्य-वार गरीबी रेखा से नीचे कितने परिवार रह रहे हैं और योजना के अंतर्गत कितने लाभान्वित हुए;

(घ) चालू वर्ष की शेष अवधि के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(ङ) योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से कितनी परियोजनाएं प्राप्त हुईं;

(च) योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी परियोजनाएं स्वीकृत हुई/मंजूर की गई; और

(छ) लंबित परियोजनाओं की मंजूरी हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) योजना के प्रारम्भ से लेकर अब तक पी.एम.जी.वाई.: ग्रामीण आवास के अंतर्गत आबंटित, रिलीज तथा उपयोग की गई निधियों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक निर्मित आवासों की संख्या संबंधी राज्यवार विवरण संलग्न है। ग्रामीण विकास मंत्रालय योजना के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है।

(ङ) से (छ) 2000-2001 के दौरान कुल 28 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए थे तथा मंजूर किए गए थे। चालू वर्ष के दौरान अब तक इस मंत्रालय को 19 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा मंजूर किए गए।

विवरण

2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान पीएमजीवाई- ग्रा.आ. के अंतर्गत निधियों का केन्द्रीय आवंटन, रिलीज तथा उपयोग

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	आवंटन		रिलीज		उपयोग**		2001-2002 के दौरान** निर्मित आवासों/लाभान्वित परिवारों की संख्या
		2000-2001	2001-2002*	2000-2001	2001-2002	2000-2001	2001-2002	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	2130.90	1591.10	1065.45	-	-	एनआर	एनआर
2.	अरुणाचल प्रदेश	1022.5	763.50	511.28	-	-	एनआर	एनआर
3.	असम	2693.55	2011.20	1346.78	-	-	एनआर	एनआर
4.	बिहार	3291.90	2457.90	3291.90	4301.32	-	एनआर	एनआर
5.	छत्तीसगढ़	471.00	351.70	471.00	175.85	-	एनआर	एनआर
6.	दिल्ली	165.75	123.80	185.00	-	-	एनआर	एनआर
7.	गोवा	11.70	8.70	11.70	5.85	1.05	एनआर	एनआर
8.	गुजरात	971.85	725.60	485.92	362.80	-	एनआर	एनआर
9.	हरियाणा	251.70	187.90	251.70	93.95	86.58	26.40	127
10.	हिमाचल प्रदेश	1059.15	790.80	0.00	-	-	8.28	257
11.	जम्मू व कश्मीर	2573.70	1921.70	1286.85	-	-	एनआर	एनआर
12.	झारखंड	1016.85	759.20	1016.85	379.60	-	एनआर	एनआर
13.	कर्नाटक	1126.95	841.50	563.47	-	-	एनआर	एनआर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	केरल	1036.20	773.70	518.10	–	–	एनआर	एनआर
15.	मध्य प्रदेश	1235.55	922.50	853.27	–	–	एनआर	एनआर
16.	महाराष्ट्र	1486.95	1110.30	1486.95	555.15	–	एनआर	एनआर
17.	मणिपुर	728.40	543.90	364.20	–	–	एनआर	एनआर
18.	मेघालय	608.85	454.60	608.86	227.30	304.43	एनआर	एनआर
19.	मिजोरम	606.15	452.60	606.15	226.30	303.08	एनआर	एनआर
20.	नागालैंड	616.95	460.70	616.95	230.35	308.00	एनआर	एनआर
21.	उड़ीसा	1478.25	1103.80	1478.25	551.90	258.28	591.64	1382
22.	पंजाब	606.00	452.50	606.00	226.25	298.36	8.28	522
23.	राजस्थान	1446.00	1079.70	1446.00	723.00	361.49	602.68	3485
24.	सिक्किम	421.65	314.80	210.83	157.40	–	एनआर	एनआर
25.	तमिलनाडु	1571.85	1173.60	2330.85	1111.38	1033.88	1837.09	6263
26.	त्रिपुरा	762.45	569.30	762.45	284.65	353.94	229.32	एनआर
27.	उत्तर प्रदेश	5045.25	3767.10	5045.25	1883.50	–	एनआर	एनआर
28.	उत्तरांचल	188.40	140.70	188.40	70.35	–	एनआर *	एनआर
29.	पश्चिम बंगाल	2517.30	1879.60	1258.65	–	–	एनआर	एनआर
30.	अ.व.नि. द्वीप समूह	154.05	115.00	154.00	–	–	एनआर	एनआर
31.	चंडीगढ़	68.40	51.10	68.00	–	–	एनआर	एनआर
32.	दादरा व नगर हवेली	19.80	14.80	20.00	–	–	एनआर	एनआर
33.	दमन व दीव	15.90	11.90	10.00	–	–	एनआर	एनआर
34.	लक्षद्वीप	26.55	19.80	0.00	–	–	एनआर	एनआर
35.	पांडिचेरी	71.55	53.40	72.00	–	–	एनआर	एनआर
	कुल	37500.00	28000.00	29193.06	11566.90	3309.09	3303.69	12036

*अनंतिम

** प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार

एन आर : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा असूचित

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्ति

255. **श्री श्रीनिवास पाटील:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जो व्यक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं/अनुभवों को पूरा नहीं करते उनकी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सही है कि जब ये पद विज्ञापित किए गए थे ऐसे अभ्यर्थियों ने पद के लिए आवेदन नहीं किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वास्तविक स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के शिक्षकों में भारी रोष है और कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(छ) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने का विचार है कि वैसे किसी शिक्षक की नियुक्ति न की जाए जब तक वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता/अनुभव पूरी नहीं करता हो; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस पद के लिए दिए गए विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों की जांच और छंटनी का कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम पात्रता मानदंड के अनुसार जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र द्वारा किया गया था। आवेदन-पत्रों की जांच तथा छंटनी के आधार पर जिन उम्मीदवारों की सूची बनाई गई थी उन सभी को विश्वविद्यालय की संविधियों के अनुसार गठित चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था।

(ङ) और (च) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों के बीच कोई असंतोष नहीं है।

(छ) और (ज) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि वे शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अर्हताओं और अनुभव सहित सभी मानदंडों का सख्ती से अनुपालन करते हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली में सी.आर.पी.एफ. शिविर में गोलीबारी

256. **श्री भालचन्द्र यादव:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 20 अक्टूबर, 2001 के "दैनिक जागरण" में यथा प्रकाशित समाचार, झड़ौदा कलां, दिल्ली के सी.आर.पी.एफ. के प्रशिक्षण शिविर में गोलीबारी की घटना की जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे पहले भी इसी शिविर में दो-तीन जवानों की असमय मौत की भी सूचना मिली थी; और

(घ) यदि हां, तो प्रशिक्षण शिविरों पर ऐसे हमलों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। स्थानीय पुलिस द्वारा गोलीबारी की घटना के संबंध में मामला दर्ज करने के अलावा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने उन परिस्थितियों, जिनमें उक्त घटना घटी, का पता लगाने के लिए जांच न्यायालय का आदेश दिया है।

(ग) दो मामलों, जिनमें जांच न्यायालय ने यह सिद्ध किया कि मृत्यु दुर्घटनावश और मृतक की लापरवाही के कारण हुई थी, के अलावा ऐसी कोई घटना पहले सूचित नहीं की गई है।

(घ) सी.आर.पी.एफ. झड़ौदा कलां कैम्प में और इसके आस-पास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र संबंधी विभाग

257. **श्री उत्तमराव पाटील:** क्या **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि नवगठित पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय को आवंटित किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): नव सृजित पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग, पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास स्कीमों और परियोजनाओं के प्रबोधन से संबंधित मामलों और निम्नलिखित विशिष्ट विषयों (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए संसाधनों के व्यपगत

न होने वाले केन्द्रीय पूल, और (ग) पूर्वोत्तर परिषद् संबंधी मामलों को देखेगा।

जाली करेंसी रैकेट

258. श्री बृजलाल खाबरी
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जाली भारतीय मुद्रा और जाली राष्ट्रीय बचत-पत्र प्रचलन में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न राज्यों में जब्त की गई जाली भारतीय मुद्रा और राष्ट्रीय बचत-पत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे मामलों में शामिल पाए गए लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) देश के विभिन्न हिस्सों से समय-समय पर जाली मुद्रा नोटों के परिचालन/जब्ती के मामले सूचित किए जाते हैं। वर्ष 1998, 1999 और 2000 के दौरान जाली मुद्रा नोटों के पंजीकृत मामले, जब्त किए गए नोटों के मूल्य और संलिप्त अभियुक्तों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बचत-पत्र के जाली मुद्रण और परिचालन का कोई मामला डाक विभाग के ध्यान में नहीं आया है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं, अत: अपराध को दर्ज करने, जांच-पड़ताल करने, पता लगाने और रोकथाम करने की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें मौजूदा कानूनों के अनुसार कार्रवाई करती हैं। ये आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

वर्ष 1998, 1999 और 2000 के दौरान मुद्रा नोटों की जालसाजी की घटनाओं, जब्त किए गए नोटों के मूल्य और संलिप्त अभियुक्त को दर्शाने वाला विवरण

(राज्यवार/संघ शासित क्षेत्र-वार)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1998			1999			2000		
		घटनाएं	मूल्य (रु. में)	अभियुक्त	घटनाएं	मूल्य (रु. में)	अभियुक्त	घटनाएं	मूल्य (रु. में)	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	68	319730	53	27	47950	67	117	692910	294
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	700	0	2	26000	0	3	200	0
3.	असम	33	12510	88	61	158320	49	40	281270	70
4.	बिहार	उ.न.	0	0	उ.न.	0	0	उ.न.	0	0
5.	गोवा	5	500	2	6	700	1	36	12100	10
6.	गुजरात	21	2975490	53	173	833230	87	42	4706740	18
7.	हरियाणा	13	23880	10	53	353020	63	18	377890	33
8.	हिमाचल प्रदेश	3	600	0	2	11000	1	1	1300	1
9.	जम्मू एवं कश्मीर	9	6300	9	29	55000	14	12	208100	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	कर्नाटक	72	330340	38	98	793280	70	668	1353990	207
11.	केरल	44	37700	64	65	501900	60	51	368930	85
12.	मध्य प्रदेश	35	210	3	51	0	0	5	19900	3
13.	महाराष्ट्र	81	61682	47	329	184620	54	83	1053910	72
14.	मणिपुर	11	370360	22	16	131900	10	13	159600	17
15.	मेघालय	2	0	5	3	14400	1	2	1900	5
16.	मिजोरम	11	19600	14	55	1168120	27	11	388500	14
17.	नागालैंड	4	9000	5	7	1200	4	4	5400	6
18.	उड़ीसा	0	0	0	1	0	0	4	800	4
19.	पंजाब	7	100	9	4	298620	45	43	1959820	32
20.	राजस्थान	185	21400	3	42	153150	19	53	584700	20
21.	सिक्किम	5	44000	4	0	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	64	245170	4	61	322470	9	84	1043210	0
23.	त्रिपुरा	1	150	1	1	500	1	8	10500	11
24.	उत्तर प्रदेश	35	442470	10	141	3838760	151	134	21856705	144
25.	पश्चिम बंगाल	30	12630	42	26	940010	38	59	124020	89
	कुल (राज्य)	749	4934522	486	1253	9834150	771	1491	35132995	1155
26.	अ. एवं नि. द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0	1	500	1	7	8600	5
28.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	1	500	0
30.	दिल्ली	17	5770	3	86	700	70	10	19710	9
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	11	8900	10	9	2900	2	5	167500	10
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	28	14670	13	96	4100	73	23	226310	24
	कुल (अखिल भारत)	777	4949192	499	1349	9838250	844	1514	35359305	1179

नोट: (1) आंकड़े अनंतिम हैं।

(2) उ.न. का अर्थ 'आंकड़े उपलब्ध नहीं'।

आदिवासी लड़के/लड़कियों के लिए छात्रावास

259. **श्री दलपत सिंह परस्ते:**
डा. वी. सरोजा:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आदिवासी लड़के/लड़कियों के लिए वर्तमान में राज्य-वार कितने छात्रावास हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने छात्रावासों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि आवंटित की और गत तीन वर्षों के दौरान उन पर राज्य-वार और वर्ष-वार कितना व्यय हुआ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने छात्रावासों का निर्माण किया गया;

(घ) राज्य-वार कितने छात्रावास निर्माणाधीन हैं और कितनों का निर्माण किया जाना है;

(ङ) इन छात्रावासों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान किन-किन राज्यों में कितने-कितने छात्रावासों का निर्माण किए जाने का विचार है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) वर्ष 1990-91 से 2000-2001 तक संबंधित योजनाओं के अंतर्गत मंजूर किए गए छात्रों और छात्राओं के छात्रावासों की संख्या के संबंध में विवरण-I तथा विवरण-II पर है।

(ख) निधियां राज्यवार आवंटित नहीं की जाती हैं राज्य सरकारों से प्रस्तावों को 'प्रथम आओ प्रथम पाओं' के आधार पर विचार किया जाता है। गत तीन वर्षों में राज्य-वार मंजूर की गई राशि संलग्न विवरण-III पर दर्शायी गई है।

(ग) से (ङ) छात्रावासों की आयोजना और निर्माण कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर हैं परंतु पूर्ण होने की सही तारीख बताना संभव नहीं है क्योंकि यह कार्य राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(च) वर्तमान वर्ष में छात्रावासों को राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा।

विवरण-I

वर्ष 1990-91 से 2000-2001 तक स्वीकृत लड़कों के छात्रावासों की राज्य-वार तथा वर्ष-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	कुल जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	5	4	0	3	6	8	0	3	4	8	0	41
2.	असम	30	29	32	0	32	0	32	29	1	0	0	185
3.	गुजरात	3	4	7	12	3	0	0	0	7	2	0	38
4.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	4
5.	दमन व दीव	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
6.	दादर व नगर हवेली	1	0	2	0	0	1	1	0	1	0	0	6
7.	केरल	3	5	3	3	3	0	3	0	3	3	0	26
8.	मध्य प्रदेश	7	10	10	10	2	0	0	0	9	0	0	48
9.	मणिपुर	4	0	0	1	0	0	4	1	1	1	0	12
10.	मेघालय	6	0	0	4	4	5	5	5	0	0	5	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	उड़ीसा	5	2	12	8	9	9	8	8	3	0	3	67
12.	राजस्थान	2	0	3	3	0	0	0	46	13	53	0	120
13.	तमिलनाडु	1	1	1	0	0	0	3	0	0	3	0	9
14.	त्रिपुरा	2	0	3	3	2	4	2	1	1	5	0	23
15.	उत्तर प्रदेश	3	0	3	1	0	0	0	0	2	0	0	9
16.	पश्चिम बंगाल	3	3	3	4	0	6	0	0	0	0		19
17.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	1	4	1	1	0	0	0	0	7
18.	कर्नाटक	1	0	0	0	0	0	0	4	3	0	5	13
19.	महाराष्ट्र	0	13	0	0	0	0	0	5	10	0	0	28
20.	बिहार	12	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	15
21.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
22.	जे.एन.यू. दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
23.	मिजोरम	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
24.	अरुणाचल प्रदेश	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
25.	सिक्किम	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
26.	अंडमान व निकोबार	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
27.	लक्षद्वीप	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	कुल	96	83	79	53	66	34	59	103	62	77	15	727

विवरण-II

वर्ष 1990-91 से 2000-2001 तक स्वीकृत राज्य-वार तथा वर्ष-वार लड़कियों के छात्रावासों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	कुल जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	3	4	0	6	5	9	10	4	20	10	0	71
2.	असम	30	18	25	0	0	7	28	30	1	–	0	139
3.	गुजरात	5	4	4	3	4	–	–	–	7	7	0	34
4.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	1	–	1	–	2	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	दमन व दीव	1	0	0	0	1	1	–	1	–	–	0	4
6.	दादर व नगर हवेली	1	0	0	0	2	1	–	–	2	–	0	6
7.	केरल	4	0	3	3	3	–	2	–	3	2	0	20
8.	मध्य प्रदेश	20	0	8	7	10	–	–	–	34	–	1	80
9.	मणिपुर	0	3	0	1	0	–	3	1	–	–	0	8
10.	मेघालय	5	0	0	4	4	5	5	5	–	–	5	33
11.	उड़ीसा	0	7	10	21	12	12	12	11	3	2	2	92
12.	राजस्थान	2	3	2	1	0	4	2	46	6	–	0	66
13.	तमिलनाडु	1	2	1	0	0	–	1	–	–	6	0	11
14.	त्रिपुरा	1	2	3	1	1	2	2	–	1	–	1	14
15.	उत्तर प्रदेश	1	0	1	1	0	–	–	1	1	–	0	5
16.	पश्चिम बंगाल	6	3	5	4	0	1	–	–	–	–	0	19
17.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	0	2	–	–	–	–	0	2
18.	कर्नाटक	0	1	0	0	0	–	3	2	–	–	0	6
19.	महाराष्ट्र	0	13	0	0	0	–	–	4	2	–	0	19
20.	बिहार	4	5	0	0	0	–	–	–	3	–	–	12
21.	नागालैंड	0	0	0	0	0	–	–	–	–	–	1	1
22.	जे.एन.यू. दिल्ली	0	0	0	0	0	–	–	–	–	–	1	1
23.	अरुणाचल प्रदेश	10	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	10
24.	मिजोरम	0	1	0	0	0	–	–	–	–	–	–	1
25.	सिक्किम	5	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	5
	कुल	99	66	62	52	42	45	68	106	83	29	11	663

विवरण-III

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कियों के छात्रावास			अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कों के छात्रावास		
		1998-99	1999-2000	2000-2001	1998-99	1999-2000	2000-2001
	आर्वटन	800	1200	1200	800	1200	1080
	निर्मुक्ति	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
1.	आंध्र प्रदेश	236.44	178.88	0	49	87.3	0
2.	असम	50	–	0	50	–	0
3.	गुजरात	4.02	6.25	0	2.29	3	0
4.	हिमाचल प्रदेश	37.845	79.9	0	108.3	87.22	0
5.	दमन व दीव	–	–	0	–	–	0
6.	दादर व नगर हवेली	60	–	0	60	–	0
7.	केरला	22.05	14.7	0	22.05	22.05	0
8.	मध्य प्रदेश	100	–	44.82	100	–	0
9.	मणिपुर	–	–	0	13	26	0
10.	मेघालय	–	–	11	–	–	13.75
11.	उड़ीसा	17.5	13.15	8.5	17.31	–	12.75
12.	राजस्थान	70.77	–	0	192.1	319.21	0
13.	तमिलनाडु	–	100	0	–	50	0
14.	त्रिपुरा	51.64	–	20	35.86	103.65	0
15.	उत्तर प्रदेश	11	–	0	9	–	0
16.	पश्चिम बंगाल	–	–	0	–	–	0
17.	जम्मू व कश्मीर	–	–	0	–	–	0
18.	कर्नाटक	–	–	0	29.44	–	75
19.	महाराष्ट्र	33.07	–	0	66.24	--	0
20.	बिहार	75	–	0	75	–	0
21.	नागालैंड	–	–	32.5	–	–	32.5
22.	जे.एन.यू. दिल्ली	–	–	116.7	–	–	116.7
	कुल	769.335	392.88	233.52	829.59	698.43	250.7

[अनुवाद]

औषधियों और सहायक औषधियों को नकारात्मक सूची में रखना

260. डा. बलिराम: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन औषधियों और सहायक औषधियों को नकारात्मक सूची में रखा गया है और किश्तों पर खरीदारी के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या इन औषधियों और सहायक औषधियों को नकारात्मक सूची में रखने से इनकी काला-बाजारी और तस्करी को बढ़ावा मिला है;

(ग) क्या आई.डी.पी.एल. इन सभी औषधियों का उत्पादन नहीं कर पाया जिससे सहायक औषधियों के आयात और विटामिन बी 1, बी 2, टैट्रासाइकलिन और विभिन्न सहायक औषधियों का अनधिकृत आयात हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वास्तविक स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस सूची को समाप्त करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) प्रतिबंधित मदों की सूची, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आई.टी.सी. (एच.एस.) आयात और निर्यात मदों के वर्गीकरण में सन्निहित है।

(ख) इस आशय की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) और (घ) आई.डी.पी.एल. एक रुग्ण कंपनी है और उसमें प्रपुंज औषध का उत्पादन 1996 से बंद कर दिया गया है।

(ङ) और (च) विद्यमान एक्जिम नीति मार्च, 2002 तक लागू है। प्रतिबंधित मदों की सूची में परिवर्तन संगत बातों को ध्यान में रखते हुए किये जाते हैं।

भारत में एंथ्रैक्स

261. श्री पवन कुमार बंसल:
श्री ब्रह्मानन्द मंडल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के विदेशी संगठनों द्वारा भारत को एंथ्रैक्स जीवाणु का निशाना बनाने की संभावना पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे हमलों को विफल करने और यहां एंथ्रैक्स फैलने की स्थिति में उससे निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सरकार ने सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को एक विस्तृत परिपत्र जारी किया है, जिसमें हथियारों के रूप में प्रयोग किए जाने वाले जैविक एजेन्टों की सूची, इनके संकेतों और लक्षणों, इसे फैलाने के सम्भावित तरीकों, उद्‌भवन अवधि, घातकता और टीकों की उपलब्धता, एंटी माइक्रोबायल थेरेपी और उपचार विधि, सम्मिलित है। उनसे आपात स्थिति के लिए अधिक से अधिक संख्या में बिस्तरों को पूर्व-निर्धारित करने, जहां तक सम्भव हो टीकों/सीरा/दवाईयों का भण्डारण करने और समन्वित कार्रवाई हेतु डाक्टरों के विशेष दल गठित करने का अनुरोध किया गया है। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि इन दलों को इस प्रकार के हथियारों के प्रभाव और उपायों के बारे में सुग्राही बनाया जाये।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एंथ्रेक्स के बारे में आम जागरूकता अभियान चलाया गया है।

इसके अलावा, सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को, आन्तरिक सुरक्षा के लिए उभरते खतरों के प्रति सुग्राही बनाया गया है और जन संहार के हथियारों के खिलाफ सावधानी बरतने सहित किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है।

संघ राज्य क्षेत्र में जिला पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना

262. श्री मोहन एस. देलकर: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने संघ राज्य क्षेत्रों को उन जिला पंचायतों को जहां कोई लोकतान्त्रिक व्यवस्था नहीं है, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां देने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन ने केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए निदेशों को लागू किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) (क) और (ख) सभी राज्यों की तरह संघ राज्य क्षेत्रों से भी कहा गया है कि वे संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में शक्तियों की सुपुर्दगी करें। 11.7.2001 को हुए राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन के पश्चात् केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने सभी संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों को भी लिखा है जिसमें 31 मार्च, 2002 तक शक्तियों की सुपुर्दगी की प्रक्रिया को पूरा कर लेने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

(ग) और (घ) संघ राज्य क्षेत्रों ने अलग-अलग रूपों में शक्तियों की सुपुर्दगी की है। संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पंचायती राज प्रणाली को निधियों सहित विभागों/विषयों, कार्यों तथा कर्मियों के अंतरण की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	संघ राज्य क्षेत्र	पंचायतों को हस्तांतरित विभागों/विषयों (29 में से) संख्या		
		निधियां	कार्य	कर्मी
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-
2.	चंडीगढ़	-	-	-
3.	दादर व नागर हवेली	-	03	03
4.	दमन व दीव	-	29	-
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली*	संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 का कार्यान्वयन दिल्ली सरकार के विचाराधीन है।		
6.	पांडिचेरी*	-	-	-
7.	लक्षद्वीप	-	06	-

*विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र।

निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए मानदण्ड

263. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी सुरक्षा एजेंसियों की स्थापना करने हेतु कोई दिशानिर्देश/मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली में कितनी निजी सुरक्षा एजेंसियां कार्यरत हैं और इनमें से कितनी सरकार के पास पंजीकृत हैं;

(घ) क्या इन निजी सुरक्षा एजेंसियों की संख्या बढ़ने के साथ ही राजधानी में अपराध दर में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा राजधानी में निजी सुरक्षा एजेंसियों के खतरे को नियंत्रित करने हेतु क्या उपाय किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क), (ख) और (ङ) निजी सुरक्षा गार्डों और एजेंसियों के लिए विनियमन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 14 दिसम्बर, 1994 को राज्य सभा में ''निजी सुरक्षा गार्ड और एजेंसियां (विनियमन) विधेयक, 1994 प्रस्तुत किया गया था और उसके बाद उस पर अनेक अवसरों पर चर्चा हुई, अंतिम विचार 2 अगस्त, 2000 को हुआ।

(ग) बताया गया है कि दिल्ली में 107 निजी सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। इस समय निजी सुरक्षा एजेंसियों के पंजीकरण के लिए कोई कानून नहीं है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

महिला कल्याण

264. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में महिलाओं के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे स्वयंसेवी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन्हें सहायता उपलब्ध कराने के क्या मानदंड हैं;

(ग) ऐसे संगठनों की लेखा-परीक्षा करने वाली एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान काली सूची में डाले गए संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महिलाओं के कल्याण हेतु लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

ग्रामीण विकास योजनाओं के लाभार्थी

265. श्री सु. तिरूनावुकरसर: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा आज तक ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत योजना-वार और राज्य-वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(ख) क्या सरकार का विचार इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को अधिक धनराशि उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) (क) लाभार्थी उन्मुख प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाएं हैं, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इंदिरा आवास योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। इन योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वास्तविक उपलब्धियों का राज्यवार और योजनावार ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III में दर्शाया गया है।

(ख) और (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय निधियों का आबंटन योजना आयोग द्वारा इन कार्यक्रमों के लिए मंत्रालय को निर्धारित की गई निधियों पर निर्भर करता है। चालू वर्ष के दौरान आबंटन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

वर्ष 1998-99 से 2001-2002 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईआरडीपी*/एजीएसवाई** (सहायता प्रदत्त स्वरोजगारियों की संख्या)				जेआरवाई*/जेजीएसवाई*/सुजित रोजगार (लाख श्रम दिवस में)			
		1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02£	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02£
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	140880	165190	83084	26294	224.68	133.89	156.37	60.33
2.	अरुणाचल प्रदेश	12432	3060	1403	157	3.96	5.92	6.59	0.86
3.	असम	47264	17974	12282	एन.आर.	199.57	132.86	132.86	0.11
4.	बिहार	176213	106393	125792	48278	584.91	424.90	184.73	36.07
5.	छत्तीसगढ़@	एन.ए.	एन.ए.	25423	7682	एन.ए.	एन.ए.	68.96	26.85
6.	गोवा	895	एन.आर.	23	9	1.70	1.26	2.61	0.68
7.	गुजरात	39598	19341	29241	7197	59.10	44.75	46.72	1.15
8.	हरियाणा	16743	17348	25853	7179	23.84	18.84	18.84	7.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	हिमाचल प्रदेश	7331	8638	11647	2485	15.39	14.43	13.89	3.81
10.	जम्मू व कश्मीर	13992	5835	9302	1348	20.59	9.74	10.68	2.31
11.	झारखण्ड@	एन.ए.	एन.ए.	55038	17598	एन.ए.	एन.ए.	113.45	28.35
12.	कर्नाटक	88007	19184	29026	8221	222.16	175.49	129.95	50.96
13.	केरल	39836	29485	37926	5333	39.39	37.17	27.93	7.03
14.	मध्य प्रदेश	126617	112118	71823	11343	319.34	265.27	208.44	106.41
15.	महाराष्ट्र	145667	87994	87998	10558	403.81	341.55	316.43	69.33
16.	मणिपुर	1638	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	5.59	1.11	1.86	0.00
17.	मेघालय	4219	741	1671	2023	5.91	2.76	11.21	1.05
18.	मिजोरम	3138	एन.आर.	1352	एन.आर.	4.36	2.23	3.95	1.10
19.	नागालैंड	5773	4749	1376	883	23.73	6.96	14.17	0.78
20.	उड़ीसा	105008	74633	86171	8673	296.84	211.51	248.51	73.34
21.	पंजाब	10357	1694	11990	2530	13.89	6.62	12.31	4.11
22.	राजस्थान	62922	34120	44504	7538	148.30	105.06	96.71	24.67
23.	सिक्किम	1937	686	1873	202	6.13	2.89	3.80	1.43
24.	तमिलनाडु	142813	65427	83393	19559	280.91	170.27	131.19	35.44
25.	त्रिपुरा	18816	8450	14640	724	34.72	14.49	24.84	3.70
26.	उत्तर प्रदेश	391832	60647	124064	37782	691.39	438.89	412.59	107.61
27.	उत्तरांचल@	एन.ए.	एन.ए.	31555	45950	एन.ए.	एन.ए.	10.39	11.46
28.	पश्चिम बंगाल	71134	88826	21230	10938	134.45	113.86	136.65	31.67
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	604	795	448	8	0.19	0.21	0.49	0.01
30.	चंडीगढ़	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
31.	दादरा व नागर हवेली	119	एन.आर.	6	एन.आर.	0.67	0.01	एन.आर.	एन.आर.
32.	दमन व दीव	71	6	एन.आर.	एन.आर.	0.11	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
33.	दिल्ली	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
34.	लक्षद्वीप	9	3	20	एन.आर.	0.42	0.11	0.33	एन.आर
35.	पांडिचेरी	1317	531	39	39	0.03	0.03	0.16	0.01
	कुल	1677182	933868	1030193	290531	3766	2683.08	2547.61	697.97

**1.4.99 से कार्यान्वित की जा रही है।
*1.4.1999 से बन्द
£सितम्बर, 2001 तक (अनन्तिम)
@1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान विद्यमान नहीं
एन.आर. - सूचित नहीं किया गया
एन.ए. - लागू नहीं

विवरण-2

वर्ष 1998-99 से 2001-2002 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इन्दिरा आवास योजना (निर्मित मकानों की योजना)				सुनिश्चित रोजगार (सृजित रोजगार योजना लाख श्रमदिन में)			
		1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02**	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02**
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	61430	89823	83912	11851	370.67	175.63	111.32	57.88
2.	अरुणाचल प्रदेश	470	3210	4515	1156	38.29	26.25	20.10	2.75
3.	असम	20937	20412	65089	1609	259.86	148.52	78.04	3.95
4.	बिहार	125082	165892	161199	35638	400.89	384.62	211.65	57.35
5.	छत्तीसगढ़@	एन.ए.	एन.ए.	17777	8211	एन.ए.	एन.ए.	83.32	73.79
6.	गोवा	482	333	368	219	2.65	1.05	0.86	0.06
7.	गुजरात	21820	26351	28192	6392	63.07	48.49	80.00	18.23
8.	हरियाणा	10043	9843	13309	3564	18.02	22.65	20.19	4.50
9.	हिमाचल प्रदेश	3874	3711	3716	712	35.45	25.65	11.51	4.40
10.	जम्मू व कश्मीर	5400	5830	4082	1858	69.37	26.27	25.75	2.73
11.	झारखण्ड@	एन.ए.	एन.ए.	56233	16192	एन.ए.	एन.ए.	100.31	31.82
12.	कर्नाटक	37369	39398	42675	18944	292.41	185.95	103.56	50.83
13.	केरल	9452	20716	19092	8426	55.75	42.94	30.49	8.71
14.	मध्य प्रदेश	102901	77886	61773	16762	429.43	288.90	159.37	69.47
15.	महाराष्ट्र	54532	71958	81111	21187	205.62	234.67	216.82	47.10
16.	मणिपुर	1125	199	552	एन.आर.	16.97	9.70	3.97	0.00
17.	मेघालय	371	356	4368	523	10.69	7.67	5.87	0.48
18.	मिजोरम	519	1795	2290	429	19.56	4.95	5.97	1.94
19.	नागालैंड	2290	7706	4906	3862	51.59	22.92	17.40	3.17
20.	उड़ीसा	50671	53328	139561	56086	340.14	215.42	195.20	60.46
21.	पंजाब	3831	4154	6606	2265	19.74	16.81	15.72	3.75
22.	राजस्थान	32955	37440	41766	9444	209.61	91.89	76.38	24.59
23.	सिक्किम	543	752	1539	887	8.20	5.34	9.15	2.01

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
24.	तमिलनाडु	68207	54935	49914	1386	457.09	166.79	110.38	25.81
25.	त्रिपुरा	3235	11229	11640	एन.ग्र.	40.86	17.91	19.53	5.34
26.	उत्तर प्रदेश	181274	155248	159680	32954	754.31	485.73	333.02	60.60
27.	उत्तरांचल@	एन.ए.	एन.ए.	13775	2248	एन.ए.	एन.ए.	11.07	7.10
28.	पश्चिम बंगाल	36246	62653	90783	19713	106.37	127.70	116.27	33.93
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	12	6	52	39	0.49	0.39	0.39	0.05
30.	चंडीगढ़	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
31.	दादरा व नागर हवेली	6	52	एन.आर.	एन.आर.	0.13	0.21	0.18.	एन.आर.
32.	दमन व दीव	एन.आर.	3	1	एन.आर.	0.03	एन.आर..	एन.आर.	एन.आर..
33.	दिल्ली	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
34.	लक्षद्वीप	40	34	22	5	1.72	0.87	0.34	एन.आर
35.	पांडिचेरी	290	426	428	26	0.38	0.29	0.76	0.05
	कुल	1677182	933868	1030193	290531	3766	2683.08	2547.61	697.97

**सितम्बर, 2001 तक (अनन्तिम)
@वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 के दौरान मौजूद नहीं
एन.आर. - सूचित नहीं किया गया
एन.ए. - लागू नहीं।

विवरण-III

वर्ष 1998-99 से 2001-2002 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	त्व.ग्रा.ज.आ. कार्यक्रम (कवर की गई आबादी लाख में)				के.ग्रा.स्व.का. (निर्मित स्वच्छ शौचालय (संख्या)				एम.डब्ल्यू.एस. निर्मित कुएं (सं.)	ड्वाकरा (निर्मित समूह) 1998-99$	ट्राइसेम (प्र.शि.यु.)	सिट्रा किटों की आपूर्ति
		1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02**	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02**				
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.	आंध्र प्रदेश	27.57	24.80	24.75	9.95	307250	90121	42840	47523	7110	77540	12933	16950
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.18	0.41	0.34	एन.आर.	181	163	182	एन.आर.	80	70	370	140
3.	असम	8.33	13.14	9.21	0.58	1825	1813	1345	एन.आर.	2954	6638	6714	4004
4.	बिहार	14.71	1.60	0.08	0.01	6541	12719	एन.आर.	एन.आर.	15766	6174	32504	84
5.	छत्तीसगढ़@	एन.ए.	एन.ए.	11.51	11.75	एन.ए.	एन.ए.	एन.आर.	एन.आर.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.

1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
6.	गोवा	0.23	0.10	0.01	एन.आर.	5702	8130	11866	एन.आर.	51	453	2463	एन.आर.
7.	गुजरात	19.89	17.40	11.68	1.66	68249	1652	35449	एन.आर.	2498	6562	6560	14772
8.	हरियाणा	12.82	14.33	10.44	3.43	44301	2780	1340	एन.आर.	643	480	938	1459
9.	हिमाचल प्रदेश	1.45	1.47	2.64	0.99	16764	15518	1334	13	531	323	721	708
10.	जम्मू व कश्मीर	4.97	3.11	एन.आर.	एन.आर.	5265	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	1628	821	3045	एन.आर.
11.	झारखण्ड**	एन.ए.	एन.ए.	एन.आर.	एन.आर.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
12.	कर्नाटक	21.24	20.64	9.44	3.16	155148	127637	94104	3772	2106	2239	10603	5104
13.	केरल	5.78	2.34	2.25	0.22	34792	21701	34429	881	4070	6076	2995	2100
14.	मध्य प्रदेश	36.68	21.16	16.49	3.53	48537	31452	863	एन.आर.	17584	14884	12094	20264
15.	महाराष्ट्र	56.86	25.91	30.51	3.96	425981	341992	1916	एन.आर.	8243	11386	18580	21185
16.	मणिपुर	0.71	1.20	0.12	0.07	589	1011	339	एन.आर.	465	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
17.	मेघालय	0.57	0.79	0.88	0.02	1020	1376	653	एन.आर.	809	335	271	एन.आर.
18.	मिजोरम	1.04	0.87	2.48	0.01	822	236	20	एन.आर.	865	405	401	615
19.	नागालैंड	0.60	0.41	0.95	0.24	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	256	25	245	709
20.	उड़ीसा	6.97	5.20	2.72	0.12	8029	12586	2762	एन.आर.	11124	10142	11614	5771
21.	पंजाब	1.24	1.56	2.08	0.12	3516	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	7673	2058	7828
22.	राजस्थान	3.71	17.72	2.34	0.47	77491	एन.आर.	27061	एन.आर.	2838	5841	5691	4074
23.	सिक्किम	0.23	0.28	0.17	0.01	7540	1078	856	एन.आर.	47	712	217	447
24.	तमिलनाडु	41.71	33.44	52.37	14.12	53188	124411	52629	1118	5048	2917	10682	12899
25.	त्रिपुरा	1.07	1.37	1.63	0.18	1513	3894	10067	एन.आर.	3870	1264	2894	572
26.	उत्तर प्रदेश	54.89	25.58	7.51	0.06	159810	47651	33149	एन.आर.	396	27275	64829	55980
27.	उत्तरांचल**	एन.ए.	एन.ए.	0.41	0.14	एन.ए.	एन.ए.	एन.आर.	एन.आर.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
28.	पश्चिम बंगाल	20.33	21.53	21.55	5.75	196737	231146	272567	एन.आर.	6154	1920	12673	13374
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	0.02	0.13	0.11	0.00	226	54	एन.आर.	एन.आर.	6	18	150	89
30.	चंडीगढ़	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	88	एन.आर.	एन.आर.
31.	दादर व नागर हवेली	0.06	0.07	एन.आर.	0.01	8	4	4	एन.आर.	22	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
32.	दमन व दीव	एन.आर.	0.62	एन.आर.	एन.आर.	9	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	58	एन.आर.

1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
33.	दिल्ली	1.24	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
34.	लक्षद्वीप	एन.आर.	एन.आर.	0.13	0.23	27	89	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	53	एन.आर.	105
35.	पांडिचेरी	015	0.28	0.11	0.00	211	262	111	एन.आर.	एन.आर.	223	128	34
	कुल	345.25	257.43	224.91	60.77	1631272	1079476	625886	53307	95164	192537	222431	189267

**सितम्बर, 2001 तक (अनन्तिम)

@1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान मौजूद नहीं

एन.ए. - लागू नहीं।

$1.4.99 से बंद

एन.आर. - सूचित नहीं किया गया

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए पैकेज

266. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा हाल में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु किसी पैकेज को अंतिम रूप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने दिनांक 22.1.2000 को पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक एजेंडे की घोषणा की है। इस एजेंडे में 28 कार्यक्रम/योजनाएं शामिल हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एजेन्डा

(1) पूर्वोत्तर और सिक्किम के ग्रामीण आधारिक संरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) हेतु 500 करोड़ रु. का प्रावधान।

(2) एक वर्ष के अंदर सभी सीमा व्यापार बिन्दुओं पर बैंकिंग सुविधाओं का प्रावधान।

(3) पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एनईडीएफआई) द्वारा प्रतिवर्ष कम-से-कम 50 करोड़ रु. का भुगतान।

(4) 5 करोड़ रु. की प्रारंभिक लागत से एक निर्यात विकास निधि (ईडीएफ) की स्थापना करना और प्रचालन हेतु रीतियां तैयार करना।

(5) 20 करोड़ रु. की लागत से दो वर्ष में मोरेह (मणिपुर) सोखावत्तर (मिजोरम) दावकी (मेघालय) और सुतेरखंडी (असम) के चार सीमा नगर क्षेत्रों का विकास।

(6) सीमा व्यापार संबंधी अंतर-अनुसचिवीय कार्यदल की सिफारिशों की कार्रवाई के लिए अधिकार प्राप्त समिति की स्थापना करना।

(7) 422.60 करोड़ रु. की लागत पर शिलांग स्थित पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान का उन्नयन।

(8) मिजोरम में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना, लोक सभा द्वारा बिल पारित करना और विश्वविद्यालय के लिए 25 करोड़ रु. की लागत पर आधारिक संरचना का विकास करना।

(9) आगामी 3 वर्षों में 100 करोड़ रु. के परिव्यय सहित नए व्यापारों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षार्थियों की संख्या को दुगुना करना।

(10) प्रतिपूर्ति हेतु पात्र पुलिस द्वारा उपगत व्यय की मदों की सूची का विस्तार, जिसमें पीओएल लागत का 50% ग्रामीण गार्ड, ग्रामीण रक्षा समितियां तथा होम गार्ड शामिल होंगे।

(11) पुलिस फोर्स स्कीम का आधुनिकीकरण और सिक्किम तक इसका विस्तार तथा पुलिस आधुनिकीकरण हेतु उपकरणों की खरीद के लिए प्रतिवर्ष 40 करोड़ रु. की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति।

(12) त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर हेतु तीन भारतीय रिजर्व बटालियन (आईआरबी) की मंजूरी (तीन आई आरबीज हेतु तीन वर्षों के लिए अनुमानित व्यय 45 करोड़ रु. होगा)।

(13) (क) अपनी वित्तीय समस्याओं से उबरने के लिए मिजोरम हेतु 180 करोड़ रु. का शान्ति बोनस।

(ख) मिजोरम की विशिष्ट आधारित संरचना विकास परियोजनाओं हेतु 5 वर्ष के लिए संसाधनों के गैर-व्यपगत पूल से प्रत्येक वर्ष 50 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रावधान।

(14) भारत-बंगलादेश सीमा के शेष भाग की घेराबन्दी करना, और 1,335 करोड़ रु. के कुल परिव्यय से सड़कों का निर्माण तथा अप्रैल, 2000 में कार्य आरम्भ करना।

(15) पूर्वोत्तर हेतु संसाधनों के केन्द्रीय गैर-व्यपगत पूल के अंतर्गत परियोजनाओं के चयन हेतु प्रक्रिया को सरल बनाना तथा 500 करोड़ रु. की परियोजनाओं को मंजूरी और आधारिक संरचना निर्माण तथा आर्थिक विकास परियोजनाएं शुरू करना।

(16) 578 करोड़ रु. की लागत पर मणिपुर में लोकटक डाउन स्ट्रीम हाइड्रो पॉवर परियोजना (90 एम डब्ल्यू) का कार्यान्वयन।

(17) 2,198.04 करोड़ रु. की लागत पर सिक्किम में टीस्टा की हाइड्रो पावर परियोजना (510 एम डब्ल्यू) विद्युत परियोजना का कार्यान्वयन।

(18) अरुणाचल प्रदेश में सुबनिसटी लोअर साइट (600 एम डब्ल्यू) विद्युत परियोजना के दिसम्बर, 2001 तक आरम्भ होने को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई आरम्भ करना (परियोजना की लागत लगभग 3,000 करोड़ रु. है)।

(19) लगभग 30 करोड़ रु. की लागत पर पूर्वोत्तर में 500 जनजातीय गांवों के ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु स्कीम का कार्यान्वयन और तैयारी।

(20) 239.92 करोड़ रु. की लागत पर चालू महत्वपूर्ण, अल्प महत्वपूर्ण परिषण प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त सहायता।

(21) नागर विमानन:

(क) अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर छोटे वायुयानों को विमानन टरबाइन ईंधन का प्रावधान।

(ख) छोटे वायुयानों के लिए ठीक समझे गए विमानन टरबाइन ईंधन का उपचार ताकि 4% के बिक्री कर स्तर को कम किया जा सके।

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में प्रचालित रूटों हेतु कोई आईएटीटी नहीं।

(22) 258.24 करोड़ रु. के कुल परिव्यय सहित एनईसी के अंतर्गत 8 सड़क/पुल परियोजनाओं की मंजूरी।

(23) 12 नए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास 1,962 कि.मी. की कुल दूरी कवर करने वाले वर्तमान राजमार्गों के विस्तार के लिए कम से कम 100 करोड़ रु. का प्रावधान।

(24) 7 पूर्वोत्तर राज्यों के सभी 447 ब्लाकों और सिक्किम के 40 ब्लाकों में कम्प्यूटर सूचना केन्द्र स्थापित करने का कार्यक्रम तथा आगामी 2 वर्षों में 100 करोड़ रु. की न्यूनतम लागत पर परियोजना को पूरा करना।

(25) असम में नुमलीगढ़ रिफाइनरी तक नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत उत्पादन शुल्क रियायत का विस्तार।

(26) ब्रह्मपुत्र बोर्ड का सुधार और इसकी कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना तथा बाढ़ नियंत्रण स्कीमों का कार्यान्वयन।

(27) आगामी 3 वर्षों में 262.50 करोड़ रु. के कुल परिव्यय सहित चालू वित्त वर्ष में बागवानी हेतु प्रौद्योगिकी मिशन की मंजूरी।

(28) आधारिक संरचना के विकास हेतु विशेष कार्यक्रम और तीन वर्षों के लिए 30 करोड़ रु. प्रतिवर्ष के कुल परिव्यय सहित बोडो स्वायत्त परिषद् (बीएसी) क्षेत्रों में अन्य सुविधाओं की मंजूरी।

आई.टी.डी.सी. के होटलों का विनिवेश

267. **श्री के.पी. सिंह देव:**
श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री भीम दाहाल:
डा. मन्दा जगन्नाथ:
योगी आदित्यनाथ:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:
श्री राम सिंह कस्वां:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान आई.टी.डी.सी. के होटलों का विनिवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इन होटलों के लिए कोई बोलीदाता मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन होटलों की वार्षिक लाभ/हानि कितनी है;

(च) क्या सरकार ने ऐसी राष्ट्रीय सम्पत्ति को बेचने से पूर्व इस पर सावधानीपूर्वक विचार किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी. हां।

(ख) विनिवेश आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम के सभी 26 होटलों का विनिवेश निम्न तरीके से करने का निर्णय लिया है:

1. चार होटलों नामत: अशोक होटल नई दिल्ली, होटल सम्राट नई दिल्ली, बंगलौर अशोक और होटल ललिता महल पैलेस मैसूर का पट्टा-सह-प्रबंधन आधार पर; और

2. अन्य 22 होटलों का बिक्री आधार पर।

(ग) और (घ) 17 होटलों (पहली खेप में 8 और दूसरी खेप में 9) के लिए हित की अभिव्यक्तियां आमंत्रित की गई थी। अहर्ताप्राप्त पार्टियों द्वारा विधिवत अध्यवसाय और सौदा दस्तावेजों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, पहली खेप में विज्ञापित 8 होटलों के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित की गई थी। दो होटलों के लिए कोई बोली/मानक बोलियां प्राप्त नहीं हुई और बाकी 6 होटलों के संबंध में कुल मिलाकर 8 बोलियां प्राप्त हुई थी और 6 होटलों की संबंधित उच्चतम बोलियां सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। दूसरी खेप में विज्ञापित 9 होटलों के संबंध में बोलियां अभी आमंत्रित की जानी हैं। शेष होटलों के संबंध में हित की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने वाले विज्ञापन अभी जारी किए जाने हैं।

(ङ) वर्ष 1999-2000 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम की 26 होटल इकाइयों की निवल हानि 44.58 करोड़ रुपए थी।

(च) और (छ) विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की घोषित नीति के अनुसरण में विनिवेश पर विचार किया जा रहा है और विनिवेश किया जा रहा है। इस नीति के अनुसार साधारण मामलों में, सरकार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के गैर-सामरिक उद्यमों में अपनी इक्विटी को 26 प्रतिशत तक या इसके निचले स्तर तक कम करेगी। सामरिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम वे हैं जो हथियार और गोला-बारूद और प्रतिरक्षा उपस्करों के संबंध मदों, प्रतिरक्षा विमानों और युद्धपोतों, (नाभिकीय विद्युत के उत्पादन और कृषि, औषधि और गैर-सामरिक उद्योगों में विकिरण और रेडियो आईसोटोप के उपयोग से संबंधित क्षेत्रों को छोड़कर) परमाणु ऊर्जा और रेल यातायात के क्षेत्रों में लगे हैं। यह नीति भारत पर्यटन विकास निगम सहित सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को शामिल करती है।

विनिवेश आयोग की सिफारिशें, स्वीकार करने के बाद सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम में विनिवेश प्रक्रिया प्रारंभ की है। भारत पर्यटन विकास निगम के विनिवेश की सिफारिश करते हुए आयोग ने इस बात पर गौर किया है कि-

* भारत पर्यटन विकास निगम गैर-महत्वपूर्ण उद्योग की श्रेणी में आता है।

* सार्वजनिक क्षेत्र विशेषकर विलासिता के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है जो होटल उद्योग में सफलता की एक कुंजी है।

* सार्वजनिक क्षेत्र को, महानगरीय केन्द्रों में आतिथ्य सत्कार सेवा प्रदान करने में कोई भूमिका नहीं निभानी है जहां निजी क्षेत्र ने बाजार में पर्याप्त पैठ बना ली है।

* गैर-महानगरीय और अन्य केन्द्रों में, जहां निजी क्षेत्र के होटलों को अभी अपनी पैठ बनानी है, वहां सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सीधी सेवा प्रादनकर्त्ता के बजाए एक मददगार की भूमिक निभाना उपयुक्त हो सकता है।

* पर्यटन क्षेत्र में सरकार की भूमिका, पर्यटन के विकास को सुसाध्य बनाने की दिशा में पुनर्अभिमुखीकृत होना चाहिए और वास्तव में सेवाएं प्रदान करने से दूर रहना चाहिए।

भूकम्प की संभावना वाले जोन

268. **श्री कोलूर बसवनागौड:** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कर्नाटक भूकम्प की संभावना वाले जोन में आता है;

(ख) कर्नाटक में जनवरी 2000 से अक्टूबर, 2001 तक कितनी बार भूकम्प आने की सूचना मिली है; और

(ग) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा राज्य में भूकम्प संबंधी जानकारी की व्यवस्था को मजबूत बनाने और उसका उन्नयन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी हां। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित भारत के भूकम्पीयता अंचलीकरण मानचित्र में कर्नाटक अंचल-3 (मध्यम क्षति वाले जोखिम अंचल) में आता है। यह अंचल व्यापक रूप से संशोधित मेरकली पैमाने पर 7 तक की तीव्रता वाले भूकम्पों से जुड़ा हुआ है।

(ख) जनवरी, 2001 से अक्टूबर, 2001 के अंत तक कर्नाटक में तीन भूकम्पों के बारे में पता चला है जिनका परिमाण निम्न श्रेणियों में रहा:-

दिनांक	रिक्टर पैमाने पर तीव्रता	अक्षांश	देशान्तर
14.08.2000	2.8	14.81 डिग्री उ.	74.77 डिग्री पू.
04.01.2001	3.4	12.00 डिग्री उ.	78.19 डिग्री पू.
29.01.2001	4.3	12.40 डिग्री उ.	77.35 डिग्री पू.

(ग) भारत मौसम विज्ञान विभाग मंगलौर में एक भूकम्पीयता वेधशाला संचालित कर रहा है जो नवीनतम उपकरणीय प्रणालियों से सुसज्जित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई, राष्ट्रीय शैल यांत्रिकी संस्थान, कोलार तथा राष्ट्रीय भौगोलिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा भी क्रमश: गौरीबिदनूर, कोलार तथा धारवाड़ में भूकम्पीयता प्रयोगशालाओं का अनुरक्षण किया जाता है। इन वेधनशालाओं से प्राप्त जानकारियों को भारत मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय भूकम्पीयता नेटवर्क में समेकित किया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हाल ही में गठित की गई एक विशेषज्ञ समिति ने गुलबर्गा, बैल्लारी तथा मैसूर में तीन और वेधशालाएं स्थापित करने की सिफारिश की है।

कृतिक बल की स्थापना

269. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:**
श्री चन्द्रभूषण सिंह:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और तीव्र शहरी विकास को सुदृढ़ बनाने के लिए जल्द ही एक कृतिक बल का गठन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कृतिक बल का गठन कब तक किए जाने की संभावना है और इसकी रचना अवधि आदि क्या होगी?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अन्न बैंक योजना

270. **श्री किरीट सोमैया:**
श्री अनन्त नायक:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के आदिवासी क्षेत्रों में अन्न बैंक योजना की स्थापना करने और उसके विस्तार/पुनरुद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) कितने ग्रामों में इस समय ये बैंक विद्यमान हैं, और इन पर राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की जा रही है;

(घ) आज की तारीख के अनुसार इस योजना के तहत कितने क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं;

(ङ) भविष्य में कितने आदिवासी ग्रामों में अन्न बैंकों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है और इन पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी;

(च) क्या इस अन्न बैंक योजना का विस्तार गैर-आदिवासी क्षेत्रों में भी किया जाएगा;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय, 1996-97 से 13 राज्यों में जनजातीय गांवों में अन्न बैंक की एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित कर रहा है। हाल ही में खाद्य प्रबंधन तथा कृषि निर्यात के संबंध में केन्द्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की स्थाई समिति ने इस योजना का विस्तार कुछ आशोधनों के साथ प्रथम चरण में सूखा तथा देशांतरण ग्रस्त क्षेत्रों में 1,14,000 जनजातीय गांवों में करने की सिफारिश की है।

(ख) से (ङ) वर्तमान योजना के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) से (झ) प्रस्तावित विस्तारित योजना को अभी सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

विवरण

वर्तमान ग्राम अन्न बैंक योजनाओं का उद्देश्य योजना आयोग द्वारा पहचान किए गए 13 राज्यों में चयनित सुदूर और पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों की मौत के विरुद्ध निवारक उपाय करना है। इस योजना के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय बैंक के आरंभिक स्टॉक के लिए एक क्विन्टल प्रति सदस्य परिवार की दर से स्थानीय रूप से पसंद किए गए खाद्यान्न की खरीद करने, पारंपरिक किस्म की भंडारण सुविधाओं की स्थापना करने और माप-तोल की खरीद करने के लिए एकमुश्त अनुदान प्रदान करता है। सदस्य परिवार कमी की अवधि में खाद्यान्न के ऋण किस्तों में ले सकते हैं और आगामी सफल फसल के समय नाममात्र के ब्याज के साथ इसे इसकी चुकौती कर सकते हैं। अन्न बैंकों का प्रबंधन कार्य स्वयं लाभार्थियों द्वारा चुनी गई कार्य समिति द्वारा किया जाना होता है। इस योजना के अंतर्गत संबंधित ग्राम में सभी जनजातीय परिवार और गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति परिवार किसी विशेष अन्न बैंक के सदस्य हो सकते हैं।

मंत्रालय द्वारा धनराशि राज्य सरकारों को ट्राइफेड द्वारा निर्मुक्त की जाती है जो इस योजना के अंतर्गत एक माध्यम एजेंसी है। वर्ष 1996-97 से ट्राइफेड द्वारा विनिर्दिष्ट लक्ष्यों के लिए राज्यों को निर्मुक्त धनराशि तथा विभिन्न गांवों में स्थापित अन्न बैंकों की संख्या निम्नलिखित है:-

15.11.2001 की स्थिति के अनुसार
(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य	वर्ष	स्थापित किए जाने वाले अन्न बैंकों की सं.	निर्मुक्त राशि (रु.)	स्थापित अन्न बैंकों की सं.
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1996-97	19	12.16	19
		1997-98	21	13.44	21
		2000-01	45	11.66	-
		अंत: कुल	85	37.26	40
2.	पश्चिम बंगाल	1996-97	17	10.88	14
3.	बिहार	1996-97	30	19.2	24
		1997-98	31	19.84	-
		अंत: कुल	61	39.04	24
4.	गुजरात	1996-97	28	17.92	28
		1997-98	30	19.20	30
		1998-99	23	14.72	00
		2000-01	156	100.00	00
		अंत: कुल	237	151.84	58

1	2	3	4	5	6
5.	मध्य प्रदेश	1996-97	70	44.8	70
		1997-98	89	56.96	75
		2001-02	319	78.82	-
		अंत: कुल	478	180.58	145
6.	उड़ीसा	1996-97	32	20.48	32
		1997-98	35	22.40	35
		1998-99	00	00	00
		1999-00	197	100.00	117
		2000-01	281	184.96	-
		2001-02	197	100.00	-
		अंत: कुल	742	427.84	184
7.	त्रिपुरा	1996-97	4	2.56	4
		1997-98	3	1.92	3
		2001-02	27	18.11	-
		अंत: कुल	34	22.59	7
8.	राजस्थान	1996-97	25	16.00	25
		1997-98	8	1.49	00
		अंत: कुल	33	17.49	25
9.	तमिलनाडु	1996-97	2	1.12	2
10.	केरल	1996-97	2	1.28	2
		1997-98	3	1.92	3
		2000-01	3	10.16	0
		अंत: कुल	8	13.36	5
11.	महाराष्ट्र	1997-98	30	19.20	30
		2001-02	154	83.18	-
		अंत: कुल	184	102.38	30
12.	उत्तर प्रदेश	-	-	-	-
13.	मणिपुर	-	-	-	-
	कुल	-	1881	1004.38	534

शिक्षा नीति की समीक्षा और उसका पुनरीक्षण

271. **श्रीमती रेणूका चौधरी:**
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों के मुख्य मंत्रियों और शिक्षा मंत्रियों ने शिक्षा नीति की समीक्षा करने और उसका पुनरीक्षण करने और शिक्षा को भगवाकरण से मुक्त रखने की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) बैठक में पारित संकल्प की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) सरकार ने 1992 में अद्यतन की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को संशोधित नहीं किया है। तथापि, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के सामान्य निकाय की बैठक, जिसमें राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के माध्यम से सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, में चर्चा सहित व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श के बाद परिषद् ने स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना तैयार की है। इस दस्तावेज में ऐसी कोई सिफारिश नहीं है जो संविधान में अधिष्ठापित धर्म निरपेक्ष, वैज्ञानिक तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध हो।

देश में उच्च शिक्षा के अभिरक्षक के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की यह राय है कि ज्योतिर्विज्ञान को फिर से जीवंत बनाने की आवश्यकता है तथा इसने ज्ञान के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र जिज्ञासा की भावना से इस शब्द के व्यापक अर्थ में इस प्रकार का पाठ्यक्रम चलाए जाने का समर्थन किया है।

विवरण

संकल्प

आज नई दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्रियों की बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र सरकार के हाल के पहलों और निर्णयों पर गहन चर्चा की गई है। सभी प्रतिभागियों ने निम्नलिखित घटनाक्रमों पर गहरी चिंता व्यक्त की है:

1. राज्य सरकारों से परामर्श या राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन बुलाए बगैर केन्द्र सरकार के मार्गदर्शन में प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यचर्या तैयार की गई है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) को भी पूर्णत: नजरअंदाज किया गया है।

2. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद "स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना" नामक दस्तावेज को अंतिम रूप देकर प्रकाशित कर चुकी है। इसी तरह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अवर-स्नातक, डिग्री तथा यहां तक कि पीएच.डी. पाठ्यक्रमों में भी नए विषयों को शुरू करने के लिए देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनेक परिपत्र जारी किए हैं।

3. यह अत्यंत ही खेदजनक है कि उपर्युक्त दस्तावेज के कुछ घटक संविधान में अधिष्ठापित तथा जनता द्वारा हृदयंगम किए गए प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के विरुद्ध है। ज्योतिर्विज्ञान तथा पौरोहित्य जैसे विषयों, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शुरू करने का निर्णय लिया है, को विज्ञान या कला संकायों के तहत शायद ही अध्ययन विषय के रूप में माना जा सकता है।

4. चूंकि शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया है इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी अंतिम निर्णय लेने या कोई भी नीति तैयार करने से पहले राज्य सरकारों के विचारों का पता लगाना आवश्यक होता है। यह भी अनिवार्य है कि किसी भी बड़े नीतिगत परिवर्तन के मामले में संसद का अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

यह मानते हुए कि शिक्षा कोई ऐसा विषय नहीं है जो किसी खास राजनीतिक दल का ही अधिकार क्षेत्र है अपितु यह मानते हुए कि यह पूरे देश का ही विषय है, मुख्यमंत्रियों की बैठक एकमत से निम्नलिखित संकल्प पारित करती है:

1. देश की शिक्षा नीति हमारे संविधान के प्रस्तावना में अधिष्ठापित धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए तथा शिक्षा नीति बनाने संबंधी सभी निर्णय केन्द्र और राज्यों के बीच एकमत से लिए जाने चाहिए।

2. देश के सभी शिक्षाविदों तथा धर्मनिरपेक्ष ताकतों का इस अवसर पर खड़ा होने तथा हमारी शिक्षा प्रणाली

की मूल्य परंपरा क्षीण करने से जुड़े केन्द्र सरकार के प्रकट और अप्रकट प्रयासों को विफल करने के लिए आह्वान किया जाए क्योंकि ये उपाय हमारी राष्ट्रीयता की प्रकृति के संबंध में संपूर्ण राष्ट्र के जनमत को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।

3. इस बैठक में व्यक्त एकमत भावनाओं और विचारों को देखते हुए सरकार को इस संबंध में अब तक जारी या प्रकाशित सभी निर्णयों, आदेशों, परिपत्रों तथा दस्तावेजों को तत्काल रोक देना चाहिए तथा देश की शिक्षा प्रणाली से जुड़े मूलभूत मुद्दों पर विशेषज्ञ सलाह लेने के लिए केब को पुनर्गठित करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए; इसके बाद राज्य सरकारों के साथ उपयोगी बातचीत के लिए राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए, अंत में अंतिम अनुमोदन के लिए संसद से संपर्क किया जाना चाहिए।

बी टी कपास

272. श्री ए. वेंकटेश नायकः
श्री अशोक ना. मोहोलः
श्री रामशेठ ठाकुरः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैवप्रौद्योगिकी विभाग बी टी कपास का समर्थन करता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसके प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (घ) जैवप्रौद्योगिकीय प्रगति ने अपेक्षित विशेषताओं के साथ फसलों के आनुवंशिक संशोधन के लिए कई रास्ते खोल दिए हैं। तदनुसार, बायोटेक्नोलॉजी विभाग सभी आनुवंशिक रूप से संशोधित (जी एम) पदार्थों के विकास एवं सुरक्षित प्रयोग को बढ़ावा देता है। सभी प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोगों ने बी टी कपास की सुरक्षा, उत्पादन में वृद्धि और रासायनिक कीटनाशियों के प्रयोग में कमी को दर्शाया है। आनुवंशिक रूप से संशोधित बी टी कपास का पर्यावरणीय और खाद्य-सुरक्षा तथा कृषि लाभों के लिए मूल्यांकन किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग की आनुवंशिक परिचालन समीक्षा समिति (आरसीजीएम) ने 1996-97 से 1998-99 के दौरान मूल्यांकन कार्य किए हैं। छोटे स्तर पर किए गए पर्यावरणीय परीक्षणों में उत्पाद को सुरक्षित पाया गया। उत्पादन में वृद्धि (लगभग 40%) और रासायनिक कीटनाशियों की खपत में कमी पाई गई। इन अध्ययनों के आधार पर, पर्यावरण और वन मंत्रालय की आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (जीईएसी) ने बड़े पैमाने पर परीक्षणों, कृषि-मूल्यांकन और साथ ही साथ गाय-बैलों, भैंसों, पक्षियों और मछलियों में आहार परीक्षणों को करके बी टी कपास की खाद्य सुरक्षा पर और अधिक सूचना की उपलब्धता को प्राधिकृत किया है। राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) करनाल में दूध देने वाली गायों पर पशु पोषण विभाग, पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, जी बी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर में दूध देने वाली भैंसों पर; केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान (सी ए आर आई), इज्जतनगर में मुर्गीपालन पर, केन्द्रीय मत्स्यपालन शिक्षा संस्थान (सी आई एफ ई) मुम्बई में मछलियों पर अध्ययन किए गए हैं। परिणामों ने दर्शाया है कि लक्ष्यित पशुओं पर बी टी कपास का खाद्य और चारे के रूप में कोई दुष्प्रभाव नहीं है। मृदा में बी टी प्रोटीन के अवशेष या तो नहीं पाये गए या बहुत कम मात्रा में पाए गए और मृदा नमूनों के सूक्ष्मजैविक समूहों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

जैव कृषि

273. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार जैव कृषि को प्रोत्साहन देने हेतु उपाय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार जैव-उर्वरकों पर सहायता देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो यह राजसहायता कब तक दिए जाने की सम्भावना है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा जैव खाद्य वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ङ) सरकार पौध पोषकों के प्रतिपूरक स्रोत के रूप में कार्बनिक/जैविक सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। राज्य सरकारों को आवधिक रूप से कम्पोस्ट/हरित खाद, वर्मी-कम्पोस्ट और जैव-उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु सलाह दी जाती है।

केन्द्रीय कृषि मंत्रालय जैव उर्वरक विकास व उपयोग संबंधी राष्ट्रीय परियोजना नामक नौवीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की योजना लागू कर रहा है। इस योजना में 150 टन प्रति वर्ष की जैव उर्वरक उत्पादन एककों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से 20 लाख रुपये तक की गैर-आवर्ती अनुदान देने का प्रावधान है। नौवीं योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में इस योजना के अंतर्गत जैव-उर्वरक उत्पादन एककों की 4500 टन की लक्षित क्षमता अनुमोदित की गई है। इस योजना को दसवीं योजना के दौरान जारी रखने के लिए संशोधित किया जा रहा है, इसमें नाबार्ड के माध्यम से अनुदान देने की परिकल्पना की गई है।

(च) जैव खाद्य के निर्यातों को बढ़ावा देने वाले उपायों में पौध-पोपकों के कार्बनिक स्रोत का प्रोन्नयन एवं प्रयोग, जैविक और यांत्रिकी कीट नियंत्रण उपाय आदि शामिल हैं। भारत सरकार ने देश में कार्बनिक प्रमाणीकरण पद्धति के स्थान पर कार्बनिक उत्पादों के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए कार्बनिक उत्पादन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम भी किया है।

[अनुवाद]

आर.डी.एक्स. की जब्ती

274. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो की 'कोर टीम' ने गुजरात से आर.डी.एक्स. हथियार आदि जब्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उक्त हथियारों के सौदागरों को भी पकड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश के इस सीमावर्ती क्षेत्र में तस्करी की गतिविधियां रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों की एक टीम ने गुजरात में जिला पाटन, संथालपुर में 27.10.2001 को आर.डी.एक्स. और अन्य विस्फोटक तथा कुछ शस्त्र और गोलाबारूद बरामद किया। इस जब्ती में ए.के.-56 राइफलें और उनकी मैगजीनें, पिस्तौल और उनके कारतूस, संचार के लिए हैंडसेट, आई.ई.डी. रिमोट कन्ट्रोल्स, इलैक्ट्रोनिक डिटोनेटर्स इत्यादि शामिल हैं।

(ग) अभी तक 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।

(घ) और (ङ) जांच चल रही है।

(च) गुजरात सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तीनों सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सचेत कर दिया गया है और उन्हें तस्करी की गतिविधियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों की घुसपैठ को रोकने के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्कता बरतने के लिए सुग्राही बनाया गया है। राज्य सरकार, सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस प्राधिकारियों के बीच प्रतिकारक समन्वय स्थापित कर रही हैं।

[हिन्दी]

खेल अकादमियों की स्थापना

275. **श्री रामपाल सिंह:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में खेल अकादमी की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन खेल अकादमियों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) इन पर कुल कितना खर्च आने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (घ) प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में खेल अकादमी की योजना पर अभी भी सरकार द्वारा सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कालेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना

276. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री एन.टी. षणमुगम:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में चुनिंदा कालेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने को उच्च प्राथमिकता दी है;

(ख) किसी कालेज को स्वायत्त कालेज घोषित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किया गया है;

(ग) पहले से स्वायत्त दर्जा प्राप्त कालेजों ने अब तक क्या उपलब्धि हासिल की है; और

(घ) यदि ऐसे कालेजों ने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) गुणवत्ता उन्नयन के उपाय के रूप में कालेजों को शैक्षिक स्वतंत्रता देने को ध्यान में रखते हुए स्वायत्त कालेज योजना तैयार की गई थी। यह एक अनवरत योजना है और कालेजों की शैक्षिक साख संकाय, भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता संस्थागत प्रबंधन, वित्तीय संस्थानों, प्रशासनिक ढांचे की प्रभावकारिता और संकाय की सहभागिता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए कालेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान किया जाता है। कालेजों को दी गई स्वायत्तता की समीक्षा की जाती है।

(ग) स्वायत्तता के परिणामतः स्वायत्त कालेजों ने बहुत से लाभ उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं पाठ्यचर्या का संशोधन, नए पाठ्यक्रम शुरू करना, प्रवेश परीक्षाओं के संचालन तथा परीक्षा परिणामों की घोषणा के संबंध में अपनी व्यवस्था लागू करना और शिक्षण एवं अध्ययन के संबंध में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी तरीके तैयार करना।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासी/पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष क्षेत्र खेल योजना

277. श्री एन.टी. षणमुगम: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक खेलों हेतु प्राकृतिक प्रतिभा को खोजने और पोषित करने और आदिवासी, ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष क्षेत्र खेल योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का तमिलनाडु में विशेषकर वेल्लूर जिले में और इसके आसपास के क्षेत्रों में इस योजना के तहत आनुवंशिक रूप से प्रतिभावान लोगों में किसी खेल विशेष के प्रति सम्मान उत्पन्न करने के लिए ग्रामीणों को शिक्षित करने के प्रति क्या दृष्टिकोण है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) जी, हां। विशेष क्षेत्र खेल योजना का उद्देश्य देश के अगम्य आदिवासी, ग्रामीण और समुद्र तटीय क्षेत्रों से आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक खेलों के लिए प्राकृतिक प्रतिभा का पता लगाना तथा उसका विकास करना है। इस योजना में ऐसे क्षेत्रों से स्वदेशी खेलों एवं मार्शल आर्ट्स के लिए प्रतिभा का पता लगाने की परिकल्पना की गई है जो किसी विशेष खेलविधा में उत्कृष्टता के लिए या तो आनुवांशिक रूप से अथवा भौगोलिक रूप से लाभकारी हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 14-20 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देना है। इन योजनाओं में प्रवेश पाने वाले प्रशिक्षणार्थियों को आवास एवं भोजन सुविधाएं, खेल किटें, खेल उपस्कर, प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन का अवसर, बीमा एवं चिकित्सा व्यय आदि उपलब्ध कराया जाता है।

(ग) और (घ) योजना का विस्तृत प्रचार-प्रसार किया जाता है तथा आनुवंशिक रूप से प्रतिभावान प्रशिक्षणार्थियों का पता लगाने तथा उन्हें आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक खेलों के लिए प्रशिक्षण देने के प्रयास किए जाते हैं। इस समय नागरकोइल में एक विशेष क्षेत्र खेल केन्द्र कार्यरत है जिसमें एथलेटिक्स और कराटे की खेलविधा में 21 प्रशिक्षणार्थी हैं।

दिल्ली के पार्कों में भोजनालय

278. श्री साहिब सिंह: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "पर्यावरण" की दृष्टि से दिल्ली की स्थिति क्या है;

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कुल क्षेत्र की तुलना में दिल्ली का कितना क्षेत्र जिला पार्कों, खेल के मैदानों और खुले स्थानों के तहत आता है;

(ग) क्या औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में रेस्तरां और भोजनालयों द्वारा इन पार्कों का आंशिक रूप से उपयोग किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या केन्द्र सरकार के पास इन पार्कों की मौलिकता बहाल करने और इन योजनाओं को हटाने की कोई योजना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) दिल्ली की दो स्पष्ट प्राकृतिक विशेषतायें हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला और यमुना नदी के चट्टानी विस्तार की रिज इसके कुछ भाग सेन्ट्रल सिटी एरिया से लोप हो गये है। इस रिज को अब बिना अधिक अतिलंघन के बनाये रखना है। यमुना नदी को प्राकृतिक और दर्शनीय रूप से शहर का अभिन्न अंग बनाने के लिए उसे प्रदूषण रहित करके इसके तटों पर मनोरंजन स्थल विकसित किए जा सकते हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 148639 हेक्टेयर है जिसमें से 44777 हेक्टेयर शहरी क्षेत्र है। मास्टर प्लान स्तर पर मनोरंजन उपयोग का क्षेत्र 8722 हेक्टेयर है।

(ग) और (घ) लगभग 40 हेक्टेयर क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट पार्क में रेस्टारेन्ट की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी जाती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में मौजूद भोजनालयों का विवरण निम्नलिखित है:-

(1) डीयर पार्क, हौज खास

(2) मेहरौली रिक्रिएशनल काम्प्लैक्स

(3) स्वर्ण जयंती पार्क, रोहिणी; और

(4) एशियाई खेल गांव परिसर में एशियाड टॉवर रेस्तरां

(ङ) हरित क्षेत्रों के रेस्टारेन्ट पट्टा शर्तों के अनुसार चल रहे हैं और उन्हें मास्टर प्लान प्रावधानों के अनुसार अनुमति दी गई है।

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पनधारा विकास हेतु वित्तीय सहायता

279. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विशेषकर राज्यों में बाढ़ की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत पनधारा विकास कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता मांगने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार विशेषकर आंध्र प्रदेश का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस कार्यक्रम के लिए राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग वाटरशेड विकास के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के तहत तीन मुख्य कार्यक्रमों नामत: समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) कार्यान्वित कर रहा है। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं की प्राथमिकता वर्ष के आरंभ में राज्य सरकारों के परामर्श के साथ निर्धारित की जाती है। तत्पश्चात् परियोजनाएं जिला पंचायतों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के पक्ष में स्वीकृत की जाती हैं बशर्तें कि ये परियोजनाएं मार्गदर्शी सिद्धान्तों के समनरूप हों और कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां उपलब्ध हों। वर्ष 2001-2002 के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार स्वीकृति के लिए प्राथमिकता निर्धारित की गई परियोजनाओं की संख्या तथा अनंतिम आबंटित क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत, राज्यों की पात्रता तथा निधियों को उपयोग में लाने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा पहले से ही अभिज्ञात विकास खंडों के लिए बहुत सी परियोजनाएं (प्रत्येक परियोजना में 500 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल होता है) स्वीकृत की जाती हैं और जिला पंचायतों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को आबंटित की जाती हैं। तथापि वाटरशेड परियोजना गांवों का निर्धारण जिला पंचायतों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा किया जाता है। वर्ष 2001-2002 के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता का आबंटन समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के लिए 430 करोड़ रुपये, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के लिए 210 करोड़ रुपये तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम के लिए 160 करोड़ रुपये है।

विवरण

वर्ष 2001-2002 के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार स्वीकृति के लिए प्राथमिकता निर्धारित की गई परियोजनाओं की संख्या तथा अनंतिम आबंटित क्षेत्र निम्नानुसार है

क्र.सं.	राज्य का नाम	समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकता निर्धारित की गई परियोजनाओं की संख्या	क्षेत्र का अनंतिम आबंटन (हैक्टेयर में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	9	50,000
2.	असम	9	50,000

1	2	3	4
3.	बिहार	6	30,000
4.	छत्तीसगढ़	7	30,000
5.	गुजरात	7	30,000
6.	हरियाणा	1	12,000
7.	हिमाचल प्रदेश	6	30,000
8.	जम्मू और कश्मीर	5	30,000
9.	झारखण्ड	6	30,000
10.	कर्नाटक	10	40,000
11.	केरल	3	12,000
12.	मध्य प्रदेश	13	50,000
13.	महाराष्ट्र	9	40,000
14.	मणिपुर	4	30,000
15.	मेघालय	7	30,000
16.	मिजोरम	4	30,000
17.	नागालैण्ड	5	30,000
18.	उड़ीसा	8	30,000
19.	पंजाब	4	12,000
20.	राजस्थान	9	40,000
21.	सिक्किम	2	10,000
22.	तमिलनाडु	8	40,000
23.	त्रिपुरा	4	20,000
24.	उत्तर प्रदेश	15	60,000
25.	उत्तरांचल	6	30,000
	योग	167	7,96,000

सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग

280. **डा. मन्दा जगन्नाथ:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और समकक्ष श्रेणी के कितने पद हैं; और

(ख) उनमें सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के कितने व्यक्ति हैं और ऐसे पदों पर उनका अलग-अलग प्रतिशत कितना है जैसाकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) के पैरा 5 के तहत दिए गए अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए निश्चित किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) वर्ग 1 तथा 2 (समूह 'ए' तथा 'बी') में पदों की संख्या, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की संख्या तथा उनसे संबंधित प्रतिशत को व्यक्त करने वाले विवरण संलग्न हैं। मंत्रालय में पद आधारित आरक्षण रोस्टर तैयार एवं उसका रख-रखाव किया जाता है जोकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्थापना (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 में निहित निर्देशों के अनुसार होता है।

विवरण

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन और पेयजल आपूर्ति विभाग) के संदर्भ में वर्ग 1 तथा 2 (ग्रुप क तथा ख) के पदों की संख्या और ऐसे पदों पर सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों की संख्या तथा उनके प्रतिशत को दर्शाने वाला विवरण

पद का नाम	पद		अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या				अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों का प्रतिशत			
	स्वीकृत	भरे गये	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अ.पि.व.	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अ.पि.व.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				समूह 'क' के पद						
सचिव	02	02	02	-	-	-	100	-	-	-
अपर सचिव	01	01	01	-	-	-	100	-	-	-
संयुक्त सचिव	07	06	05	-	1	-	84	-	16	-
आर्थिक सलाहकार	02	01	01	-	-	-	100	-	-	-
निदेशक/उप सचिव	16	14	12	-	1	-	85	-	15	-
निदेशक (मानिटरिंग)	01	01	01	-	-	-	100	-	-	-
निदेशक (सूचना, शिक्षा, संचार)	01	01	01	-	-	-	100	-	-	-
संयुक्त निदेशक	04	04	02	02	-	-	50	50	-	-
उपायुक्त (पी.सी.)	01	01	01	-	-	-	100	-	-	-
उपायुक्त (डी.एफ. व एस.सी.)	01	01	01	-	-	-	100	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अधीक्षण अभियन्ता	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अवर सचिव	15	15	12	03	-	-	80	20	-	-
उप निदेशक	05	05	03	02	-	-	60	20	-	-
वरिष्ठ विश्लेपक	01	01	01	-	-	-	100	-	-	-
सहायक आयुक्त	04	04	02	01	01	-	50	25	25	-
आलेखक	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप सलाहकार (वन)	01	01	01	-	-	-	100	-	-	-
अनुसंधान अधिकारी	08	04	04	-	-	-	-	-	-	-
सहायक निदेशक	03	03	02	-	01	-	67	-	33	-
कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	01	01	-	-	-	100	-	-	-
वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	01	01	01	-	-	-	100	-	-	-
प्रधान निजी सचिव	03	02	02	-	-	-	100	-	-	-
				समूह 'ख' के पद						
सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	01	01	01	-	-	-	100	-	-	-
सहायक संपादक	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अनुभाग अधिकारी	25	25	20	4	1	-	80	16	4	-
कनिष्ठ विश्लेपक	01	01	01	-	-	-	100	-	-	-
लेखा अधिकारी	07	06	06	-	-	-	100	-	-	-
सहायक निदेशक (राजभाषा)	03	03	02	01	-	-	67	33	-	-
आर्थिक अन्वेषक ग्रेड-1	21	15	12	02	01	-	80	13	7	-
सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-1	12	03	02	01	-	-	67	33	-	-
लेखापाल	17	11	10	01	-	-	90	10	-	-
डाटा प्रोसेसिंग सहायक, ग्रेड ए	01	01	-	01	-	-	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
श्रव्य दृश्य सहायक	01	01	01	–	–	–	100	–	–	–
अनुसंधान सहायक (का.अ.)	02	01	01	–	–	–	100	–	–	–
वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	02	01	01	–	–	–	100	–	–	–
निजी सचिव	21	21	19	02	–	अनुपलब्ध	90	10	–	–
व्यक्तिक सहायक	46	44	39	05	-	–	88	12	–	–
सहायक	55	50	27	12	07	04	54	24	14	08

उपरोक्त सूचना में भूमि संसाधन और पेयजल आपूर्ति विभागों में स्थित पदों का विवरण है जिनके कैडर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा नियंत्रित होते हैं।

भूमि संसाधन विभाग

पद का नाम	पद		अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या				अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों का प्रतिशत			
	स्वीकृत	भरे गये	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अ.पि.व.	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अ.पि.व.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				समूह "क" के पद						
अपर सचिव	01	01	01	–	–	–	100	–	–	–
संयुक्त सचिव	01	–	01	–	–	–	100	–	–	–
वैज्ञानिक (टी.ई)	01	–	01	–	–	–	100	–	–	–
उपमहानिरीक्षक (वित्त)	02	02	02	–	–	–	100	–	–	–
निदेशक उपसचिव	02	02	02	–	–	–	100	–	–	–
सहायक महानिरीक्षक	01	01	01	–	–		100	–	–	–
अवर सचिव	03	03	03	–	–	–	100	–	–	–
सहायक आयुक्त	03	03	03	–	–	–	100	–	–	–
				समूह "ख" के पद						
सहायक निदेशक (राजभाषा)	01	01	01	–	–	–	100	–	–	–
तकनीकी अधिकारी	02	02	01	01	–	–	50	50	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अनुसंधान अन्वेषक	05	02	02	-	-	-	100	-	-	-
लेखा पाल/कनीय लेखा अधिकारी	04	03	03	-	-	-	100	-	-	-

पेयजल आपूर्ति विभाग

पद का नाम	पद		अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या				अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों का प्रतिशत			
	स्वीकृत	भरे गये	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अ.पि.व.	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अ.पि.व.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
समूह "क" के पद										
मलाहकार (टी.एम.)	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सलाहकार (जी.एच.)	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अपर सलाहकार (पी.एच.ई.)	01	01	01	-	-	-	100	-	-	-
उप सलाहकार (पी.एच.ई.)	05	03	02	01	-	-	67	33	-	-
सहायक सलाहकार (पी.एच.ई.)	08	02	01	01	-	-	50	50	-	-
वरीय तंत्र विश्लेषक	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह "ख" के पद										
अनुसंधान अधिकारी (सी.आर.एस.पी.)	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जामिया उर्दू संस्थान में निधियों का दुर्विनियोजन

281. **श्री सुनील खां:**
श्रीमती मिनाती सेन:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जामिया उर्दू संस्थान में करोड़ों रुपये की निधियों का दुर्विनियोजन किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या इस संस्थान के कर्मचारियों को पिछले कई माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें वेतन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ङ) जामिया उर्दू संस्थान एक स्वायत्त और

स्वतंत्र संस्थान के रूप में कार्य करता है और उस पर न तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा न ही इस मंत्रालय का नियंत्रण है। इसलिए जामिया उर्दू संस्थान के कार्यों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अथवा इस मंत्रालय द्वारा किसी भी प्रकार हस्तक्षेप का प्रश्न नहीं उठता।

आई.डी.एस.एम.टी. योजना के तहत निधियों का आबंटन

282. श्री अम्बरीश:
श्री विनय कुमार सोराके:
श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार ने छोटे और मझोले कस्बों का समेकित विकास (आई.डी.एस.एम.टी.) योजना के तहत 1996 के बाद से आज तक विभिन्न राज्यों, विशेषत: कर्नाटक राज्य को कुल कितनी निधियों का आबंटन किया है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार से आई.डी.एस.एम.टी. के तहत जारी ऋण को शत-प्रतिशत अनुदान में बदलने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनको उक्त अवधि के दौरान आई.डी.एस.एम.टी. के तहत दिया गया ऋण शत-प्रतिशत अनुदान में बदला गया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) विभिन्न राज्यों को छोटे एवं मझोले कस्बों का एकीकृत विकास आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम के अंतर्गत 1996-97 से अब तक जारी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) कर्नाटक राज्य सरकार ने आईडीएसएमटी स्कीम के अन्तर्गत 1996-97 से पूर्व जारी ऋणों को 100 प्रतिशत अनुदान में बदलने का केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है। लेकिन अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम दिशानिर्देशों के तहत यह अनुमत्य नहीं है। तथापि, अगस्त, 1995 में जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार 1996-97 के बाद से शामिल कस्बों के बारे में पूरी केन्द्रीय सहायता 100 प्रतिशत अनुदान है।

(घ) आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम के अंतर्गत ऋण के रूप में जारी केन्द्रीय सहायता किसी भी राज्य के लिए 100% अनुदान में नहीं बदली गई है।

विवरण

आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सहायता (1996-97 से अब तक)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	जारी केन्द्रीय सहायता
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2746.06
2.	अरुणाचल प्रदेश	72.00
3.	असम	267.27
4.	बिहार	125.00
5.	गोवा	37.50
6.	गुजरात	2102.40
7.	हरियाणा	555.00
8.	हिमाचल प्रदेश	329.44
9.	जम्मू तथा कश्मीर	420.74
10.	कर्नाटक	2155.58
11.	केरल	808.33
12.	मध्य प्रदेश	1678.26
13.	महाराष्ट्र	3035.32
14.	मणिपुर	112.00
15.	मेघालय	92.40
16.	मिजोरम	272.40
17.	नागालैण्ड	134.00
18.	उड़ीसा	735.36
19.	पंजाब	608.99
20.	राजस्थान	859.31
21.	सिक्किम	80.00
22.	तमिलनाडु	1132.96
23.	त्रिपुरा	260.06

1	2	3
24.	उत्तर प्रदेश	1848.73
25.	प. बंगाल	1401.71
26.	अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह	0.00
27.	दादर नगर हवेली	12.00
28.	दमन एवं दीव	0.00
29.	लक्षद्वीप	0.00
30.	पांडिचेरी	30.00
	सकल योग	21912.82

जैविक हमले से निपटने के लिए आत्मनिर्भरता

283. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वव्यापी आतंकवादी गतिविधियों के मद्देनजर देश जैविक हमले से निपटने के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तत्संबंधी अनुसंधान गतिविधियों पर भारी राशि खर्च की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) जी हां। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा हथियारों के रूप में उपयोग किये जाने वाले जैविक अभिकर्मकों की तैयार की गई सूची संगत विवरणों के साथ स्वास्थ्य सचिव एवं सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवा के निदेशकों एवं केन्द्र सरकार के अस्पतालों को एहतियाती कदम उठाने के परामर्श के साथ परिचालित कर दी गई है। विशेषज्ञ समूहों ने ''सी डी एलर्ट'', राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (एन आई सी डी) की एक पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया। एन आई सी डी संदिग्ध ऐंथ्रेक्स नमूनों की जांच के लिए नोडल अभिकरण के रूप में भी नामित है। ऐंथ्रेक्स के संबंध में ''क्या करें'' ''क्या न करें'' पहले ही अग्रणी राष्ट्रीय दैनिकों में प्रकाशित हो चुके हैं और जैविक आतंकवाद पर चिकित्सा एवं अर्धचिकित्सा कार्मिकों को सुग्राही बनाने के लिए दिल्ली के केन्द्र सरकार के अस्पतालों में सतत् चिकित्सा शिक्षा क्रियाकलाप समन्वित किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) पुनर्योगज ऐंथ्रेक्स टीके के अनुसंधान एवं विकास के लिए सहायता दी गई है और प्रौद्योगिकी उद्योग को अंतरित की गई है। प्रमुख संक्रामक रोगों के लिए नैदानिकों एवं टीकों के विकास के लिए कार्यक्रम भी क्रियान्वयनधीन हैं।

दूतावासों पर सुरक्षा व्यवस्था

284. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली स्थित दूतावासों पर सुरक्षा बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) दिल्ली में अन्य कौन-कौन से ऐसी महत्वपूर्ण स्थापनाएं हैं जिन पर सुरक्षा बढ़ाई गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) उपलब्ध सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में दूतावासों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के सुरक्षा प्रबंध अतिरिक्त बलों की तैनाती आदि के द्वारा उपयुक्त रूप से सुदृढ़ किए गए हैं।

[हिन्दी]

केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत लाए गए गांव

285. श्री हरिभाई चौधरी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना और आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्य-वार और योजना-वार कार्यक्रम कितने गांवों को केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता (सी.आर.एस.पी.) के तहत लाया गया; और

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर नौवीं पंचवर्षीय योजना तक राज्य सरकारों को केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू करने और प्रणाली का विकास करने के लिए योजना-वार और राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में वर्ष 1986

से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (इसमें सभी ग्राम शामिल हैं) को शामिल किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्राम-वार आंकड़ों की निगरानी नहीं करता है। तथापि, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत योजना-वार रिलीज का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सातवीं योजना				वार्षिक योजना		आठवीं योजना					नौवीं योजना				
		1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02 अब तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	51.00	32.00	58.00	0.00	50.00	0.00	110.03	162.48	979.00	956.48	590.01	1201.32	1148.93	1074.92	1522.41	1877.09
2.	अरुणाचल प्रदेश	17.00	9.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.50	0.00	8.00	4.00	0.00	0.00	40.48	73.98	0.00
3.	असम	20.00	14.00	0.00	0.00	10.00	0.00	38.25	37.23	86.24	63.00	11.18	0.00	0.00	133.22	0.00	0.00
4.	बिहार	45.00	53.00	0.00	0.00	10.00	0.00	186.63	139.90	0.00	98.25	16.39	0.00	0.00	729.75	678.69	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.33
6.	गोवा	7.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	9.04	0.00	20.00	2.50	3.75	0.00	0.00	1.16	0.00
7.	गुजरात	15.00	7.00	0.00	0.00	20.00	0.00	52.37	35.51	242.00	105.94	175.00	215.00	200.00	484.10	0.00	0.00
8.	हरियाणा	8.00	4.00	9.00	0.00	15.00	0.00	16.94	125.52	51.00	54.00	56.00	52.42	0.00	0.00	214.23	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	10.00	30.00	9.00	0.00	15.00	0.00	22.46	27.05	100.00	152.00	27.00	50.54	70.77	42.13	32.49	31.52
10.	जम्मू व कश्मीर	40.00	25.00	0.00	0.00	5.00	0.00	23.12	100.00	70.00	46.50	37.50	0.00	0.00	0.00	122.05	0.00
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.22	15.00
12.	कर्नाटक	36.00	23.00	0.00	0.00	15.00	0.00	90.16	127.78	256.00	1156.72	584.45	1014.55	498.67	997.19	164.51	31.10
13.	केरल	15.00	15.00	0.00	0.00	25.00	0.00	69.76	56.39	270.20	245.97	379.15	531.47	731.37	253.03	632.99	133.04
14.	मध्य प्रदेश	50.00	41.00	0.00	0.00	15.00	0.00	127.85	187.28	368.00	419.86	357.00	506.86	525.48	438.11	928.82	0.00
15.	महाराष्ट्र	28.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	139.49	200.90	0.00	279.54	808.99	1285.38	575.28	1838.02	1339.51	54.27
16.	मणिपुर	5.00	6.00	2.00	0.00	9.00	0.00	5.00	7.47	25.00	31.00	16.00	15.00	45.50	8.96	48.08	0.00
17.	मेघालय	12.00	8.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.36	4.02	16.00	8.00	8.50	15.91	35.00	0.00	9.09	0.00
18.	मिजोरम	9.00	3.00	1.80	0.00	6.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	4.68	21.00	1.89	0.00	1.02
19.	नागालैण्ड	8.50	8.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.58	5.50	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.33	0.00
20.	उड़ीसा	37.00	23.00	36.00	0.00	25.00	0.00	78.62	110.54	1.15	237.57	127.60	405.54	315.82	771.04	971.06	0.00
21.	पंजाब	8.00	5.00	0.00	0.00	15.00	0.00	17.24	100.00	52.00	27.50	28.50	0.00	53.35	0.00	94.25	142.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22.	राजस्थान	31.00	20.00	38.00	0.00	10.00	0.00	63.26	94.86	190.00	214.36	166.93	193.76	193.76	556.80	1285.23	0.00
23.	सिक्किम	6.00	9.66	3.86	0.00	20.00	0.00	5.00	7.34	32.59	25.00	5.00	23.13	28.00	25.43	2.82	1.00
24.	तमिलनाडु	23.00	20.00	63.00	0.00	75.00	0.00	116.12	166.82	167.00	452.69	297.92	925.93	496.93	1052.49	1016.66	38.25
25.	त्रिपुरा	10.00	19.35	5.00	0.00	5.00	0.00	7.52	11.30	23.00	24.29	26.00	48.67	24.00	0.00	253.66	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	67.00	25.00	75.00	0.00	100.00	0.00	267.89	491.43	1783.00	851.25	1097.40	2641.99	1116.49	737.77	1984.47	0.00
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	36.00	40.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.97	75.65	0.00	167.03	200.00	304.21	304.21	0.00	1300.03	1170.99
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	22.50	5.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादर व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	5.00	2.50	3.50	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.50	5.00	5.00	5.00	2.50	3.50	2.50	0.00	47.42
	कुल	603.50	465.01	305.66	0.00	500.00	0.00	1564.00	2309.06	4750.17	5672.42	5043.01	9265.11	6394.52	9187.83	13080.95	3772.20

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अध्यापकों के अनुपात की समीक्षा

286. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने हाल ही में अध्यापक-छात्र अनुपात की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्य सरकारों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने संशोधित मानदंड अपना लिए हैं और जिन्होंने इस पर आपत्तियां की हैं या अभी तक इसे लागू नहीं किया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने संशोधित अनुपात को लागू करने में भारी वित्तीय बोझ के आधार पर असमर्थता जताई है और पुराने अनुपात को ही जारी रखने की अनुमति मांगी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या अनुमति प्रदान कर दी गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने (शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मानकों एवं मानदंडों) को निर्धारित करने के लिए भारत के राजपत्र (असामान्य) में 4 सितम्बर, 2001 को "राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 2001" अधिसूचित किया है जिसमें विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मानक एवं मानदण्ड निर्धारित किए हैं। यह नियमावली अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षकों की आवश्यकता निर्धारित करती है।

(ग) ये नियमावली जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर शेष समस्त भारत पर लागू होती है।

(घ) भारत के राजपत्र में उपर्युक्त नियमावली के प्रकाशित होने के बाद महाराष्ट्र सरकार से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

स्कूल/कालेजों में एक समान पाठ्यक्रम शुरू करना

287. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने देश के प्रत्येक राज्य में स्कूलों और कालेजों में अलग-अलग पाठ्यक्रम चला रखे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रम शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने देश के राज्यों के स्कूलों तथा कालेजों के लिए कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया है।

[अनुवाद]

बड़ी रासायनिक एस्टेट्स

288. **श्री लक्ष्मण सेठ:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में बड़ी रासायनिक एस्टेट्स विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो संबंधित राज्यों में तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार से इस कार्य के लिए स्थान सुझाने के लिए कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) रसायन उद्योग के लिए व्यापक आधारभूत सुविधाओं वाली वृहत रसायन औद्योगिक संपदाएं (एम सी आई ई) स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई है। पश्चिम बंगाल समेत तटवर्ती राज्यों की सरकारों से अपने-अपने राज्य में उपयुक्त स्थलों की पहचान करने हेतु अनुरोध किया गया था, जिन्हें एम सी आई ई के रूप में विकसित किया जा सके। तथापि, इस मुद्दे के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद और योजना आयोग की सलाह पर यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्याशित गैर सरकारी प्रवर्तकों के साथ प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई की जानी चाहिए।

लॉन टेनिस केंद्रों में प्राइवेट कोचिंग

289. **श्री अनंत गुढे:**
श्री शिवाजी माने:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने विभिन्न केंद्रों विशेषत: जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली के लॉन टेनिस केन्द्र पर प्राइवेट कोचिंग की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण को इस बात की जानकारी है कि जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के टेनिस केन्द्र ने प्राइवेट कोचिंग और प्राइवेट कोचों को अनुमति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

आरक्षित रिक्त पदों का पिछला बकाया

290. **श्री के.एच. मुनियप्पा:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4) (ख) के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की

50% की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्त पदों को एक अलग और विशेष समूह के रूप में माना जाना अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान, आदि की समाप्ति पर रसायन और उर्वरक मंत्रालय में डी ओ पी टी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3612/2/96-स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में निर्धारित बकाया आरक्षित रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान आज की तारीख तक प्रतिवर्ष ऐसे अग्रेनीत कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान पद आधारित रोस्टर के अनुसार सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए बने नए पदों/दिए गए पदों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण-I के अनुसार।

(ग) विवरण-I में वर्णित आगे ले जाई गई सभी रिक्तियां रिक्त पड़ी हुई हैं।

(घ) संलग्न विवरण-II के अनुसार।

विवरण-I

सेवा के समूह 'क' 'ख' 'ग' और 'घ' श्रेणी में अ.सु.जा., अ.सु.ज.ज., अ.पि.व., के संबंध में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2.7.1997 के का.ज्ञा. संख्या 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) के पैरा 5 के अनुसार रसायन और उर्वरक मंत्रालय में पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियों के ब्यौरे

	कुल	सामान्य	अ.जाति	अनु.जन. जाति	अ.पि. वर्ग
	1	2	3	4	5
वर्ग-1*					
रोस्टर के अनुसार संख्या	7	5	1	–	1
वास्तविक स्थिति	7	7	–	–	–
कमी/आधिक्य	–	+2	–1	–	–1

*ये तकनीकी पद तथा पदधारी, 1994 डी जी टी डी समाप्त होने के पश्चात् रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में आये। जहां तक वर्ग-1 में निम्नतम पद का संबंध है रोस्टर कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा रखे जा रहे है।

	कुल	सामान्य	अ.जाति	अनु.जन. जाति	अ.पि. वर्ग
वर्ग-2					
रोस्टर के अनुसार संख्या	161	123	19	8	11
वास्तविक स्थिति	160	127	24	8	1
कमी/आधिक्य	1	+4	+5	–	–10
*वर्ग-3**					
रोस्टर के अनुसार संख्या	147	94	20	9	24

	1	2	3	4	5
वास्तविक स्थिति	167**	124	38	4	1
कमी/आधिक्य	+20	+30	+18	−5	−23

**रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में एस आई यू अध्ययन के पश्चात् उच्च श्रेणी लिपिक के 16 पदों को फालतू घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा 4 आशुलिपिक श्रेणी "घ" भी फालतू थे जिन्हें पश्चातवर्ती वर्षों में समायोजित किया गया है।

वर्ग-4					
रोस्टर के अनुसार संख्या	109	82	14	6	7
वास्तविक स्थिति	107	59	44	2	2

विवरण-II

पद आधारित रोस्टरों के अनुसार गत चार वर्षों के दौरान पदों की सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए नई रिक्तियां/पदों (ग्रेड "क" को छोड़कर जिसके लिए रोस्टर डी ओ पी टी द्वारा तैयार किए जाते है) के ब्यौरे:-

वर्ष	उपार्जित रिक्तियां	कुल	सामान्य	अनु.जाति	अ.ज.जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1998	ग्रेड-बी	7	5	−	−	2
	ग्रेड-सी	13	6	2	1	4
	**					
	ग्रेड-डी	1	1	−	−	−
1999	ग्रेड-बी	3	2	−	−	1
	ग्रेड-सी	10	3	1	1	5
	**					
	ग्रेड-डी	−	−	−	−	−
2000	ग्रेड-बी	2	1	−	−	1
	ग्रेड-सी	3	2	-	−	1
	**					
	ग्रेड-डी	−	−	−	−	−
2001	ग्रेड-बी	3	2	1	−	1
	ग्रेड-सी	−	−	−	−	−
	**					
	ग्रेड-डी	1	1	−	−	−

**संवर्ग नियंत्रक शक्ति होने के नाते समूह "घ" के पद विभागों द्वारा स्वयं भरे जाते हैं। उक्त सूचना में इस मंत्रालय के पृथक पद शामिल नहीं है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सम्पर्क अधिकारी

291\. **श्री रमेश सी. जीगाजीनागी:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीनस्थ कुछ विभाग/अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालय, सरकारी और स्वायत्तशासी संगठन/कार्पोरेशन सरकारी अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सम्पर्क अधिकारियों का नाम निर्देशन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) उनके मंत्रालय के अधीन ऐसे कितने संगठन/कार्यालय हैं जो स्थापना और स्टाफ के मामलों में प्रशासनिक इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं; और

(घ) आज की तारीख के अनुसार कितने सम्पर्क अधिकारियों का नामनिर्देशन किया गया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली में अपराध

292\. **श्री जयभान सिंह पवैया:**
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में वर्ष 2001 के दौरान आज तक जिले-वार कितने अपराधों की सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यह संख्या वर्ष 2001 के सदृश अवधि की तुलना में कम है या अधिक;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितने मामले सुलझाये गए/लम्बित रहे; और

(घ) दिल्ली में अपराध रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 2001 (31.10.2001 तक) के दौराम गत वर्ष की इसी अवधि के 46799 मामलों के मुकाबले भारतीय दंड संहिता के 44626 मामले रिपोर्ट किए गए, इस प्रकार 4.64% की गिरावट दर्ज की गई।

(ग) वर्ष 2001 के दौरान (अक्तूबर, 2001 तक) रिपोर्ट किए गए 44626 भा.दं.सं. मामलों में से इस अवधि के दौरान 24343 मामले हल कर लिए गए।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों में बीट गश्त गहन करना, सामरिक महत्व के स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियों की तैनाती, आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, अपराधियों और आतंकवादियों के छुपने के संदिग्ध स्थानों पर निरंतर छापे मारना और नजर रखना, घरेलू नौकरों व किराएदारों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करना, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों पर निगरानी के पूर्ववृत्त बढ़ाना, पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें करना, आवासीय कल्याण संघों के सदस्यों के साथ बैठकें करना, हरेक पुलिस जिले में आतंकवादी-निरोधक प्रकोष्ठ बनाना और चलती बसों, बाजारों, व्यवसायिक स्थानों और अन्य अपराध बहुल स्थानों में सादे कपड़ों में पुलिस कार्मिकों की तैनाती करना शामिल है।

विवरण

जिले का नाम	भारतीय दंड संहिता के रिपोर्ट किए गए मामलों की कुल संख्या (31.10.2001 तक)
उत्तरी	3318
उत्तर-पश्चिमी	8368
केन्द्रीय	3119
नई दिल्ली	2184
पूर्वी	3788
उत्तर-पूर्वी	2827
दक्षिणी	8664
दक्षिण-पश्चिमी	4479
पश्मिची	6010
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	519
अपराध एवं रेलवे	1350
योग	44626

आई.डी.पी.एल. के तुलन-पत्र का समाशोधन

293. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री प्रबोध पण्डा:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आई.डी.पी.एल.) का निजीकरण करने की तैयारी के रूप में इसके तुलन-पत्र के समाशोधन के लिए कई उपाय करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) आई.डी.पी.एल. के तुलन-पत्र के समाशोधन के लिए रियायतों/सुविधाओं की सूचना देते हुए इस आशय का एक पत्र औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजा गया है कि सरकार, सामरिक भागीदारों को शामिल करके इसके निजीकरण के लिए सुविधा प्रदान करना चाहती है।

[हिन्दी]

एच.सी.आई., एच.जैड.एल. और आई.टी.डी.सी. का निजीकरण

294. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल:**
श्री प्रभात सामंतराय:

क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार होटल कार्पोरेशन आफ इंडिया (एच सी आई), हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (एच जैड एल) और भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई टी डी सी) के निजीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में इन सरकारी उपक्रमों की परिसंपत्तियां कितनी हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

होटल कार्पोरेशन आफ इंडिया

विनिवेश आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने होटल कार्पोरेशन आफ इंडिया की परिसंपत्तियों का विनिवेश, मंद बिक्री के आधार पर करने का निर्णय लिया है।

लोक उद्यम विभाग द्वारा प्रकाशित लोक उद्यम सर्वेक्षण (खण्ड-3) 1999, 2000 के अनुसार, 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार होटल कार्पोरेशन की "निवल चालू परिसंपत्तियां" 8.48 करोड़ रुपए थी। होटल कार्पोरेशन आफ इंडिया की संपत्तियां, सैंतूर होटल एयर पोर्ट मुम्बई, होटल जूहू बीच मुम्बई, सैंतूर होटल एयर पोर्ट दिल्ली, शेफेयर मुम्बई, शेफेयर दिल्ली, इण्डो होके होटल्स लिमिटेड (सैंतूर राजगीर) और सैंतूर लेक व्यूह होटल श्रीनगर हैं।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड

सरकार ने हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में अनुकूल साझीदार को प्रबंधन में उपयुक्त भूमिका देने के साथ अनुकूल बिक्री के माध्यम से 26 प्रतिशत इक्विटी के विनिवेश करने का निर्णय लिया है।

लोक उद्यम विभाग द्वारा प्रकाशित लोक उद्यम सर्वेक्षण (खण्ड-3) 1999, 2000 के अनुसार 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार हिन्दुस्तान जिंक लि. की "निवल चालू परिसंपत्तियां" 411.16 करोड़ रुपए थी। कंपनी के पास, राजस्थान, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में छ: खानें हैं और राजस्थान, आंध्र प्रदेश और बिहार में स्थित 4 प्रगलक हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

विनिवेश आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम के सभी 26 होटलों का विनिवेश निम्न तरीके से करने का निर्णय लिया है:

1. चार होटलों नामत: अशोक होटल नई दिल्ली, होटल सम्राट नई दिल्ली, बंगलौर अशोक और होटल ललिता महल पैलेस मैसूर का पट्टा-सह-प्रबंधन आधार पर; और
2. अन्य 22 होटलों का बिक्री आधार पर।

लोग उद्यम विभाग द्वारा प्रकाशित लोक उद्यम सर्वेक्षण (खण्ड-3) 1999, 2000 के अनुसार, 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार भारत पर्यटन विकास निगम की "निवल चालू परिसंपत्तियां" 104.11 करोड़ रुपए थी। भारत पर्यटन विकास निगम के पास (कर्नाटक सरकार से एक पट्टे वाले सहित) 26 होटल और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में 7 होटल हैं।

[अनुवाद]

जल संचयन योजना हेतु धन

295. **श्री सुबोध मोहिते: क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति के अंतर्गत जल संचयन योजना शुरू करने के लिए राज्य सरकारों हेतु धन निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सकरार ने पेयजल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भूजलस्तर को बनाए रखने के संदर्भ में दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) जी हां, भारत सरकार ने त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत स्थायित्व संबंधी उप मिशन, जिसमें वर्षा जल संचयन भी शामिल है, के लिए निधियां निर्धारित की हैं। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत स्थायित्व संबंधी उप मिशन के अंतर्गत योजनाएं अथवा परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। राज्य सरकारों को स्थायित्व संबंधी उप मिशन परियोजनाओं हेतु त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की निधियों के 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक इस्तेमाल करने की शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई हैं। इसके अलावा, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना—ग्रामीण पेयजल घटक के अंतर्गत मरूभूमि विकास कार्यक्रम/सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम क्षेत्रों, अति दोहित, डार्क/ग्रे ब्लाकों तथा अन्य जल संकट/सूखा प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में जल संरक्षण, जल संचयन, जल पुनर्भरण और पेयजल स्रोतों के स्थायित्व संबंधी योजनाओं अथवा परियोजनाओं पर निधियों का न्यूनतम 25 प्रतिशत उपयोग करने का प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ) जी हां, भारत सरकार ने त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के ग्रामीण पेयजल घटक के अंतर्गत स्थायित्व संबंधी योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। माननीय संसद सदस्यों से भी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति/वर्षा जल संचयन आदि जैसे पेयजल आपूर्ति/भूजल पुनर्भरण का संवर्धन करने की परियोजनाएं शुरू करने की अपील की गई है।

(ङ) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण पेयजल घटक) के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 19 और 20 अक्तूबर, 2001 को आयोजित राज्यों के ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के प्रभारी मंत्रियों के सम्मेलन में यह आम सहमति थी कि देश में बार-बार जल संकट की स्थिति को देखते हुए, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और प्रधानमंत्री ग्रामोदय जल (ग्रामीण पेयजल) के अंतर्गत निर्धारित निधियों का इस्तेमाल करते हुए स्थायित्व संबंधी उप मिशन के तहत अधिक योजनाएं शुरू करने की जरूरत है।

केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती में अनियमितताएं

296. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि:**
श्री चाडा सुरेश रेड्डी:
डा. डी.वी.जी. शंकरराव:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने वर्ष 1999-2001 के दौरान ई डी सी आई एल के माध्यम से केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों की भर्ती में हुई तथाकथित अनियमितताओं की जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इन गंभीर अनियमितताओं के लिए जिम्मेवार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध इस बीच कोई कार्यवाही की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) ऐसी अनियमिततायें फिर से न हों इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अपनी रिपोर्ट में शिक्षकों की भर्ती में किन्हीं अनियमितताओं का उल्लेख नहीं किया है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

कर्नाटक में विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान

297. श्री एच.जी. रामुलु: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में विज्ञान विभाग वाले ऐसे कौन-कौन से विश्वविद्यालय हैं जिनके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विशेष सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक अनुदान की स्वीकृति मिल चुकी है;

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान अब तक उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए कितनी धनराशि निर्गत की जा चुकी है;

(ग) क्या कर्नाटक विश्वविद्यालय को उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों को शामिल करने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2001-2002 के दौरान विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत अनुदान संस्वीकृत करने हेतु शामिल किए गए कर्नाटक स्थित विज्ञान विभाग वाले विश्वविद्यालयों के नाम और उन्हें जारी की गई धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	विश्वविद्यालय	राशि
1.	बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर	3,00,000/- रुपए
2.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	28,52,748/- रुपए
3.	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़	13,58,548/- रुपए
4.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	3,20,000/- रुपए

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

अरबी मदरसों को वित्तीय सहायता

298. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 24 अप्रैल, 2001 के अतारांकित प्रश्न सं. 5537 के संबंध में सूचना एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार से अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

केरल में जनजातीय क्षेत्रों की घोषणा

299. श्री पी.सी. थामस: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान की अनुसूची 5 के अनुसार केरल के आदिवासी क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्रों के रूप में घोषित किए जाने की मांगें उठ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल के प्रभावी आदिवासी संगठनों ने आदिवासियों के लिए भूमि से संबंधित इस तरह की अन्य मांगें भी उठाई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को त्रिवेन्द्रम में हुए आदिवासी संघर्ष और आंदोलन की जानकारी है जिसे हाल ही में केरल सरकार द्वारा इस वादे के साथ समाप्त कराया गया है कि आदिवासियों के लिए भूमि आवंटित की जाएगी और जैसाकि ऊपर कहा गया है कुछ क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्र के रूप में घोषित करने हेतु कदम उठाए जाएंगे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केरल सरकार इस मामले को केन्द्र सरकार के पास ले गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या उन क्षेत्रों को यदि जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिए जाते हैं तो उनके लिए विकास की कई संभावनाएं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रखी जाएगी।

उत्पीड़न के खिलाफ मानव अधिकारों की रक्षा

300. श्री विजय हान्दिक: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीयों ने उत्पीड़न के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन की अभिपुष्टि की है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में प्रतिदिन पुलिस हिरासत में और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में संलग्न अन्य एजेंसियों के हाथों कथित रूप से होने वाले उत्पीड़न और मौत के मामले आते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उत्पीड़न, क्रूरता और कई अन्य तरह के अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पुलिस हिरासत में और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में संलग्न अन्य एजेन्सियों के हाथों कथित रूप से उत्पीड़न और मौतों के मामलों के बारे में शिकायतें प्राप्त होते रही है। पुलिस हिरासत में यातनाओं और हिंसा के आरोपों के बारे में पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष में 31.10.2001 तक आयोग में प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्न प्रकार से है।

1998-99	308
1999-2000	744
2000-2001	638
2001-2002 (31.10.2001 तक)	312

(घ) सरकार देश में मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति पूर्णत: वचनबद्ध है। ऐसे अनेक कानूनी और सांविधिक प्रावधान है जिनका उद्देश्य नागरिकों को यातना और अन्य क्रूर और निम्न कोटी के व्यवहार सहित मानवाधिकारों के सभी प्रकार के उल्लंघनों से बचाना है। इन प्रावधानों के कार्यान्वयन को आगे और सुदृढ़ करने के लिए सरकार, राज्य पुलिस बलों, सुरक्षा बलों को उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए सुग्राही बना रही हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है जिन्हें शिकायतें प्राप्त करने और यातनाओं सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित आरोपों की जांच करने की शक्तियां दी गयी हैं। जब कभी भी सरकार के ध्यान में यातना और मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं लायी जाती है तो मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को कानून के अनुसार दण्ड देने की हर सम्भव कोशिश की जाती है।

पोरबंदर में केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय

301. श्री जी.जे. जावीया: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पोरबंदर में स्थान-वार कितने केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और अन्य केन्द्रीय संस्थान चल रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान नए भवनों के निर्माण, इन विद्यालयों और संस्थानों के रख-रखाव/पुनरुद्धार कार्य पर कुल कितना खर्च आया;

(ग) इन विद्यालयों में दाखिल हुए छात्रों की स्थिति क्या है और इनमें शिक्षकों के कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं; और

(घ) इन विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) पोरबंदर जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय ग्राम-धरमपुर, जिला पोरबंदर में और एक केन्द्रीय विद्यालय माधवन कालेज परिसर, एरोड्रोम रोड, पोरबंदर में चल रहे हैं। अन्य केन्द्रीय संस्थानों के संबंध में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) इन विद्यालयों में निर्माण कार्यकलाप पर किए गए व्यय और छात्रों के दाखिले/शिक्षकों की रिक्तियों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) पदों का रिक्त होना और उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। विद्यालयों के शैक्षिक कार्यकलाप बाधित न हों इसे सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों को स्थानीय रूप से अनुबंध/अंशकालिक शिक्षकों के द्वारा भरा जाता है।

विवरण

नवोदय विद्यालय समिति तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय और पोरबंदर स्थित इन विद्यालयों में खाली पड़े पदों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

क. निर्माण कार्यकलापों पर होने वाला व्यय

नवोदय विद्यालय समिति ने वर्ष 1998-99 से अब तक पोरबंदर में विद्यमान भवनों के रख-रखाव और मरम्मत और पुनरोद्धार तथा नए भवनों पर 54.55 लाख रुपए वहन किए।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने पोरबंदर में स्कूल भवनों के निर्माण कार्य के लिए निर्माण एजेंसी को 120 लाख रुपए प्रदान किए। चूंकि भवन का निर्माण अभी चल रहा है अतः अनुरक्षण, मरम्मत तथा जीर्णोद्धार पर कोई व्यय नहीं हुआ है।

ख. पोरबंदर में केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय समिति में छात्रों के दाखिले के बारे में सूचना

विद्यालय का नाम	छात्रों की कुल संख्या
नवोदय विद्यालय	360
केन्द्रीय विद्यालय	208

ग. पोरबंदर में केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालयों में रिक्तियां

विद्यालय का नाम	रिक्तियों की संख्या
नवोदय विद्यालय	2
केन्द्रीय विद्यालय	3

विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया जाना

302. श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री पुन्नू लाल मोहले:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के कुछ विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किए जाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ओमान के सहयोग से उर्वरक संयंत्र लगाया जाना

303. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओमान के सहयोग से उर्वरक संयंत्र लगाने का प्रस्ताव लम्बे समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) सरकार ने संशोधित तथा पुनर्गठित इंडो-ओमान फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट को जून 2000 में पहले ही अनुमोदित कर दिया था। प्रोजेक्ट से सम्बन्धित बकाया मुद्दों के निपटान को भी सरकार ने जनवरी, 2001 में अनुमोदित कर दिया था। तत्पश्चात्, प्रोजेक्ट सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर प्रोजेक्ट के प्रवर्तकों, सल्तनत आफ ओमान, भारत सरकार और बैंकों/वित्तीय संस्थानों के बीच विचार-विमर्श हुए हैं। इस समय यूरिया खरीद, अनुबन्ध (यू.ख.अ.) तथा यू.ख.अ. प्रत्यक्ष अनुबन्ध को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

एंथ्रैक्स का संकट

304. श्री के. येरननायडू: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका को ऐन्थ्रैक्स के संकट से निपटने के लिए दवाइयों की जरूरत है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने संकट के मद्देनजर भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इन दवाइयों को भारतीय फार्मास्युटिकल्स फर्म्स के माध्यम से अमेरिका को निर्यात सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका को एन्थ्रैक्स के उपचार के लिए एक मिलियन अमरीकी डालर कीमत के सिप्रोफ्लोक्सासिन की आपूर्ति की पेशकश की थी। सरकार को सूचित किया गया कि संयुक्त राज्य अमरीका इस पेशकश का लाभ उठाना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसी बीच उन्होंने सिप्रोफ्लोक्सासिन की पर्याप्त आपूर्ति हेतु व्यवस्था संयुक्त राज्य अमरीका में ही कर ली थी।

[हिन्दी]

कृभको द्वारा ऊर्जा संयंत्र लगाया जाना

305. **श्री शीश राम ओला: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने कृभको के माध्यम से राजस्थान में झुनझुनु जिला के भडुंडा खुर्द गांव में एक हजार करोड़ रुपये की लागत से 200 मेगावाट क्षमता वाले ऊर्जा संयंत्र लगाने का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त संयंत्र कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक बहु-राज्यीय सहकारी समिति ''कृषक भारती कोपरेटिव लिमिटेड'' (कृभको) ने झुनझुनु, राजस्थान में 200 मेवागाट पावर प्रोजेक्ट की स्थापना करने की संभावना का पता लगाने हेतु नवम्बर 95 में कार्यवाही आरम्भ की थी। तथापि, बाद में कृभको के निदेशक मंडल ने नोट किया कि झुनझुनु में सतही जल उपलब्ध नहीं था और यह संकेत थे कि पावर प्रोजेक्ट प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् भूमि जल का स्तर नीचा हो सकता है, जिससे लघु सिंचाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस परियोजना के लिए राज्य कोटा में से नैफ्था का आबंटन न किए जाने के कारण भी इस प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता को प्रमाणित नहीं किया जा सका और इसलिए, कृभको के निदेशक मंडल ने झुनझुनु, राजस्थान में एक पावर संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया।

भारत-पाक सीमा को हरित करना

306. **श्री पी.आर. खूंटे: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान के जैसलमेर जिले से लगी 471 कि.मी. लम्बी भारत पाक सीमा को हरित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किस सीमा तक उपलब्धियां प्राप्त हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

संसद सदस्यों द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश

307. **श्री रिजवान जहीर: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अपने निर्वाचन क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालयों की अनुपलब्धता के कारण 12वीं और 13वीं लोकसभा के दौरान कितने संसद सदस्य अपने निर्धारित कोटे से एक भी बच्वें को प्रवेश न दिला सके;

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) प्रवेश दिलाने में विफल रहे ऐसे संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालयों की अनुपलब्धता के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार संसद सदस्यों द्वारा बच्चों को प्रवेश देने संबंधित मानदंडों में कुछ छूट देने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) इस समय 213 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां केन्द्रीय विद्यालय नहीं हैं और इसीलिए इन निर्वाचन क्षेत्रों के किसी भी बच्चे को दाखिला नहीं दिया जा सका। केन्द्रीय विद्यालय, निर्वाचन क्षेत्रवार नहीं खोले जाते और दिशा-निर्देशों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के बच्चों का निकटवर्ती निर्वाचन क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालय में दाखिले की सिफारिश कर सके। विशेष छूट पर दाखिले संबंधी वर्तमान दिशानिर्देश, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली की टिप्पणी के परिप्रेक्ष्य में तैयार किये गये हैं।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

छात्रावासों का आधुनिकीकरण

308. **श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए और इस समय कार्यरत छात्रावासों की स्थान-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या देश में छात्रावासों के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) अब तक स्थापित किए गए 63 युवा छात्रावासों का राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	निर्मित युवा छात्रावासों की संख्या	युवा छात्रावास (छात्रावासों) की अवस्थिति
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4	सिकन्दराबाद, विजयवाड़ा, तिरूपति, विशाखापट्टनम
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	नहरलागुन
3.	असम	4	नौगाँव, गुवाहाटी, गोलाघाट, तेजपुर
4.	बिहार	1	पटना
5.	गुजरात	1	गांधीनगर
6.	हरियाणा	4	पंचकुला, कुरूक्षेत्र, भिवानी, गुड़गाँव
7.	हिमाचल प्रदेश	2	डलहौजी, बिलासपुर
8.	जम्मू व कश्मीर	3	पटिनटॉप, नगरोता, श्रीनगर
9.	कर्नाटक	3	मैसूर, हासन, तीर्थरामेश्वर
10.	केरल	3	त्रिवेन्द्रम, अर्नाकुलम, कालीकट (कोझिकोड)
11.	महाराष्ट्र	1	औरंगाबाद
12.	मणिपुर	2	इम्फाल, उखरूल
13.	मेघालय	2	शिलांग, तुरा
14.	मध्य प्रदेश	2	भोपाल, जबलपुर
15.	नागालैण्ड	2	मोकोक्चुंग, कोहिमा
16.	मिजोरम	1	ऐजवाल
17.	पंजाब	4	रोपड़, अमृतसर, संगरूर, पटियाला

1	2	3	4
18.	राजस्थान	2	जयपुर, जोधपुर
19.	तमिलनाडु	4	चेन्नई, मदुरै, थंजावूर, त्रिची
20.	उत्तर प्रदेश	1	आगरा
21.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	पोर्ट ब्लेयर
22.	पश्चिम बंगाल	3	दार्जिलिंग, चुरूलिया, बर्धवान
23.	पाण्डिचेरी	1	पाण्डिचेरी
24.	त्रिपुरा	1	अगरतला
25.	उड़ीसा	4	पुरी, जोशीपुर, गोपालपुर-आन-सी, कोरापुट
26.	गोवा	2	पणजी, पदम मापुसा
27.	सिक्किम	1	नामची
28.	उत्तरांचल	3	मसूरी, उत्तरकाशी, नैनीताल
	कुल	63	

[हिन्दी]

भूमि संबंधी दस्तावेजों का कम्प्यूटरीकरण

309. **श्री विष्णु पद राय:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंडमान और निकोबार के राजस्व विभाग द्वारा भूमि संबंधी दस्तावेजों के कम्प्यूटरीकरण के लिए 9वीं योजना में निर्धारित की गयी धनराशि में से इस कार्य के लिए खर्च की गयी राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पोर्ट ब्लेयर के भूमि स्वामियों को कम्प्यूटरीकृत पट्टा पास बुक प्रदान की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

[अनुवाद]

जे.जी.एस.वाई./ई.ए.एस. का कार्यान्वयन

310. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों में जे.जी.एस.वाई./ ई.ए.एस. के कार्यान्वयन में होने वाली गंभीर त्रुटियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विशेषकर राजस्थान में इन योजनाओं की सुपुर्दगी, निगरानी, सर्तकता और जवाबदेही प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी अथवा करने का प्रस्ताव है;

(ग) राजस्थान में जे.जी.एस.वाई. और रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बेरोजगार लोगों के जिलावार कितने परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया और उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इन योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान नहीं की जा रही है;

(ङ) क्या सरकार ने सामाजिक अनुसंधान के ओ.आर.जी. केंद्र द्वारा कराये गये लाभार्थी सर्वेक्षण में उल्लिखित त्रुटियों पर ध्यान दिया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इन योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) कुछेक त्रुटियां जैसे मस्टर रोल का न रखा जाना तथा निधियों का अन्य योजनाओं में लगा दिया जाना कुछ ऐसे क्षेत्र है जिनका सी.ए.जी. की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। संबंधित राज्य सरकारों को सी.ए.जी. की टिप्पणी के बारे में सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। कार्यक्रमों को सुचारू एवं कारगर तरीके से चलाने के लिए मंत्रालय ने कार्यक्रमों की निगरानी और सतर्कता का एक सुदृढ़ तंत्र विकसित किया है। क्षेत्र अधिकारी योजना, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में निष्पादन समीक्षा समिति का गठन, राज्य, जिला, ब्लॉक स्तरों पर निगरानी एवं सतर्कता समितियों की स्थापना इनमें से प्रमुख हैं। इसके अलावा, प्रत्येक ग्राम सभा को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत अपनी सतर्कता समिति गठित करनी होती है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत वास्तविक निगरानी हेतु राज्य अधिकारियों के नियमित क्षेत्र दौरे के प्रावधान को अनिवार्य बना दिया गया है।

सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना नामक दोनों कार्यक्रमों का विलय करके 25 सितम्बर, 2001 से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार के साथ-साथ खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करना और टिकाऊ सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक परिसम्पत्तियों का सृजन और बुनियादी ढांचे का विकास करना है। नए कार्यक्रम को इस तरीके से तैयार किया गया है कि इसमें सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की त्रुटियों पर पर्याप्त ध्यान दिए जाने की उम्मीद है।

(ग) सुनिश्चित रोजगार योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभ को मजदूरी रोजगार के रूप में मुहैया कराया जाता है और इस प्रकार इसे सृजित श्रमदिवसों के रूप में आंका जाता है। सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत ऐसे सभी ग्रामीण गरीब एक लक्षित समूह बनाते हैं जिन्हें मजदूरी रोजगार की जरूरत है और जो अपने गाँव अथवा बसावट के आस-पास शारीरिक/अकुशल श्रेणी का कार्य करने के इच्छुक हैं। इस योजना के अंतर्गत मजदूरी रोजगार की तलाश करने वालों के पंजीकरण की प्रणाली को 1.4.1999 से समाप्त कर दिया गया है। तथापि, सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 के दौरान राजस्थान राज्य में जिलावार सृजित श्रमदिवसों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत वर्ष 2001-2002 के लिए बजट अनुमान क्रमशः 1600.00 करोड़ रुपए और 1650.00 करोड़ रुपए है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत के बाद दोनों योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक के लिए संशोधित अनुमान बढ़ कर 1875 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अतिरिक्त, सुनिश्चित रोजगार योजना तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रत्येक के लिए 2500.00 करोड़ रुपए मूल्य का खाद्यान्न आवंटित किया गया है।

(ङ) और (च) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक अनुसंधान हेतु ओ.आर.जी. केन्द्र का ऐसा कोई अध्ययन प्रायोजित नहीं किया है।

विवरण

2000-01 के दौरान राजस्थान में ई.ए.एस. तथा जे.जी.एस.वाई. के तहत सृजित श्रमदिन

(लाख श्रम दिन)

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल सृजित श्रम दिन	
		जे.जी.एस.वाई.	ई.ए.एस.
1	2	3	4
1.	अजमेर	3.10	1.08
2.	अलवर	4.79	6.2
3.	बांसवाड़ा	7.02	6.86
4.	बारन	2.35	1.44
5.	बाड़मेर	3.51	2.56
6.	भरतपुर	2.75	1.13
7.	भीलवाड़ा	1.94	3.28
8.	बीकानेर	1.19	0.8
9.	बूंदी	1.74	1.47
10.	चित्तौड़गढ़	2.29	4.08
11.	चूरू	3.19	2.19

1	2	3	4
12.	दौसा	2.73	1.81
13.	धौलापुर	2.44	0.44
१४.	डुंगरपुर	7.68	3.55
15.	गंगानगर	2.28	2.64
16.	हनुमानगढ़	1.85	1.17
17.	जयपुर	2.83	4.41
18.	जैसलमेर	4.90	0.6
19.	जालौर	2.84	1.41
20.	झालवाड़	1.21	0.93
21.	झुनझुनू	3.05	0.97
22.	जोधपुर	3.32	0.34
23.	करौली	1.21	1.52
24.	कोटा	1.25	1.41
25.	नगौर	3.24	1.86
26.	पाली	1.53	2.57
27.	राजसमंद	3.20	2.41
28.	सवाई माधोपुर	2.82	2.83
29.	सीकर	1.99	3.33
30.	सीरोही	3.44	1.07
31.	टोंक	1.79	1.3
32.	उदयपुर	7.24	8.72
	कुल	96.71	76.38

[हिन्दी]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षकों के लिए आचार संहिता

311. **श्री थावरचन्द गेहलोत:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों के अनुसार शिक्षकों के लिए व्यावसायिक आचार संहिता का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का विचार इस आचार संहिता को कब से कार्यान्वित करने का है;

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा विकसित आचार संहिता को स्वीकार कर लिया है अथवा इसमें संशोधन की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे किस प्रकार कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ङ) अखिल भारतीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संघ के परिसंघ और शिक्षाशास्त्रियों के दल ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की सहायता से आयोजित अनेक कार्यशालाओं में तीस सूत्री शिक्षक व्यावसायिक आचार संहिता तैयार की थी। उसके बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इसे 1997 में प्रकाशित किया था।

शिक्षक व्यावसायिक आचार संहिता में उल्लिखित सूत्रों में एक सूत्र में यह कहा गया है कि अध्यापक/अध्यापिकाएं अनुमोदित योजना के अधीन उपचारी विभाग के सिवाए अपने विद्यार्थियों को कोचिंग देने के लिए पारिश्रमिक नहीं लें।

शिक्षक संगठनों का एक सम्मेलन 5 से 6 फरवरी, 2001 तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में सम्पन्न हुआ था जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि राज्य स्तरीय शिक्षक संस्थान इस संहिता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करें और इसके अनुपालन की आवश्यकता पर बल दें। इसके अतिरिक्त यह भी सिफारिश की गई थी कि शिक्षक संगठनों को चाहिए कि वे शिक्षक समुदाय द्वारा इस संहिता के अनुपालन की मानीटरिंग करने का दायित्व सम्भालें।

[अनुवाद]

जनजातियों से हथियाई गयी भूमि की बहाली

312. **श्री अनन्त नायक:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश भर में जनजातियों से हथियाई गई भूमि की बहाली के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय को राज्यवार ऐसे कितने मामलों की सूचना दी गयी; और

(ग) जनजातियों से हथियाई गयी भूमि की बहाली में राज्यवार कितनी प्रगति हुई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) भारत के संविधान के अनुसार भूमि राज्य का विषय है। तथापि, हस्तांतरित भूमि की वापसी जनजातियों को करने हेतु ऐसे रिकार्डों के संकलन और मानीटरिंग के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। वर्ष 2000 के दौरान जैसी कि सूचना ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताई है वह ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

(क्षेत्र एकड़ में)

क्र. सं.	राज्य	न्यायालय में दायर मामलों की सं.	क्षेत्र	न्यायालय द्वारा निपटाए गए मामले	क्षेत्र	नामजूर किए गए मामले	क्षेत्र	जनजातियों के पक्ष में निर्णित मामले	क्षेत्र	वे मामले जिनमें भूमि जनजातियों को वापस दिलाई गई	क्षेत्र	न्यायालय में लंबित मामले	क्षेत्र
1.	आंध्र प्रदेश	65875	287776	58212	256452	31737	150227	26475	106225	23383	94312	7763	31324
2.	असम	2042	4211	50	19	-	-	50	19	50	19	1992	4192
3.	बिहार	86291	104893	76518	95151	31884	49730	44634	45421	44634	45421	9773	9742
4.	गुजरात	47926	140324	40400	120691	119	497	40281	120194	39503	118259	7526	19633
5.	हिमाचल प्रदेश					नगण्य							
6.	कर्नाटक	42582	130373	38521	115021	16687	47159	21834	67862	21834	67862	4061	15352
7.	मध्य प्रदेश	53806	158398	29596	97123	29596	97123	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	24210	61275
8.	महाराष्ट्र	45634	एनआर	44624	99486	24681	एनआर	19943	99486	19943	99486	1010	एनआर
9.	उड़ीसा	1413	1712	594	816	152	204	442	612	212	455	837	896
10.	राजस्थान	651	2300	240	774	53	187	187	587	187	587	411	1526
11.	त्रिपुरा	28926	25295	28888	25274	20084	18366	8804	6908	8551	6732	38	21
	कुल	375164	855282	317643	810807	154993	363493	162650	447314	158297	433133	57521	143961

वाहनों के लापता होने/उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए कम्प्यूटरीकृत डाटा बैंक

313. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो कंप्यूटरीकृत डाटा बैंक के माध्यम से वाहनों के लापता होने/उन्हें पुनः प्राप्त करने से संबंधित आंकड़ों का रख-रखाव और समन्वय करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये आंकड़े इंटरनेट पर उपलब्ध हैं; और

(घ) अपनी-अपनी वेबसाइट आरंभ कर चुकी राज्य पुलिस/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस का ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो निम्नलिखित पैरामीटरों

के अनुसार राज्य/संघ शासित क्षेत्र पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर चोरी/बरामद हुए मोटर वाहनों के बारे में आंकड़े रखता है:- (1) वाहन की किस्म (2) मेक (3) पंजीकरण संख्या (4) चेचिस संख्या (5) इंजिन संख्या और (6) मोडल आदि। 31.10.2001 की स्थिति के अनुसार एन सी आर बी ने 319678 चोरी हुए वाहनों तथा 67,629 बरामद वाहनों को समाविष्ट करते हुए 3,87,307 रिकार्डों का डाटा बैंक विकसित किया है। अब तक एन सी आर बी ने 25141 वाहनों के संबंध में समन्वय स्थापित किया है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार 17 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की पुलिस ने अपनी वेबसाइट प्रारंभ की है इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सूची संलग्न विवरण मर दी गई है। गृह मंत्रालय को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वे वेबसाइटें वाहनों की चोरी/बरामदगी के बारे में कोई जानकारी दे रही हैं अथवा नहीं।

विवरण

उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम जिनकी पुलिस ने वेब साइटें प्रारंभ की हैं:-

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र
1.	आन्ध्र प्रदेश
2.	असम
3.	गोवा
4.	हरियाणा
5.	हिमाचल प्रदेश
6.	कर्नाटक
7.	केरल
8.	मध्य प्रदेश
9.	नागालैंड
10.	पंजाब
11.	सिक्किम
12.	उत्तर प्रदेश
13.	चंडीगढ़
14.	दादरा और नगर हवेली
15.	दिल्ली
16.	लक्षद्वीप
17.	पांडिचेरी

उच्च पदों के लिए प्रतिनियुक्ति पर केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति

314. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी:**
श्री डी.वी.जी. शंकर राव:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों की उच्च पदों के लिए नियुक्ति 'प्रतिनियुक्ति आधार पर' सीमित अवधि के लिए की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रावधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसके गुण-दोष क्या हैं;

(ग) क्या नवोदय विद्यालयों में भी इस व्यवस्था का विस्तार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) भर्ती नियमों में केन्द्रीय विद्यालयों के स्नातकोत्तर शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रधानाचार्य के पदों पर नियुक्त करने का प्रावधान है।

(ख) नियमों के प्रावधानों के अनुसार यदि सामान्य चयन प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो रिक्तियां केन्द्रीय विद्यालय संगठन और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध 10+2 स्तरीय विद्यालयों सहित भारत सरकार/राज्य सरकारों, स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकती है बशर्ते कि उम्मीदवार सीधी भर्ती अर्हताओं को पूरा करते हों। यह प्रणाली संगठन को इस बात को सुनिश्चित करने के लिए समर्थ बनाती है कि विभिन्न श्रेणियों से उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण विद्यालय बिना प्रधानाचार्य के न रह जाए।

(ग) से (ङ) नवोदय विद्यालय समिति इस व्यवस्था का अनुसरण नहीं कर रही है और नवोदय विद्यालय समिति के पद भर्ती नियमों के अनुसार या तो सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा भरे जा रहे हैं। शिक्षण पदों में रिक्तियां होने की संभावना के कारण उच्च पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर शिक्षक नियुक्त नहीं किए जा रहे हैं। तथापि विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उप प्रधानाचार्यों को प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किया जाता है।

[हिन्दी]

प्राचीन ऐतिहासिक मूर्तियों की तस्करी

315. **श्री पदमसेन चौधरी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्राचीन ऐतिहासिक मूर्तियों की बड़े पैमाने पर होने वाली तस्करी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन प्राचीन ऐतिहासिक मूर्तियों की तस्करी को रोकने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) सरकार के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे पता चले कि प्राचीन ऐतिहासिक मूर्तियों की बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है।

(ग) और (घ) डी आर आई सहित सीमा शुल्क विभाग के तहत सभी फील्ड फोर्मेशनें, दुर्लभ ऐतिहासिक मूर्तियों सहित सामान की देश से बाहर तस्करी रोकने हेतु सचेत एवं सतर्क हैं। भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने राजस्व आसूचना निदेशालय केन्द्रीय जांच ब्यूरो, सीमा शुल्क तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके प्राचीन वस्तुओं की चोरी तथा उनकी तस्करी रोकने के लिए सतर्कता बढ़ाकर तथा सीमा शुल्क एग्जिट प्वाइंटों पर जांच गहन करने के साथ-साथ पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को कड़ाई से प्रवर्तन करके उपाय किए हैं। चुनिंदा स्मारकों तथा मूर्तियों के शेडों पर सशस्त्र पुलिस गार्ड भी तैनात किए गए हैं।

तमिलनाडु में साक्षरता उपरांत चरण

316. **डा. ए.डी.के. जयशीलन:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2005 तक 75% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या मंत्रालय ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धनराशि के आबंटन के लिए योजना आयोग की नियुक्ति की है;

(घ) यदि हां, तो आयोग की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) विशेषकर तमिलनाडु में साक्षरता उपरान्त चरण में शामिल न किये गये जिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है: और

(च) इन जिलों को कब तक शामिल कर लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) देश के कुल 598 जिलों में से 574 जिलों को साक्षरता कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किया गया है। सम्पूर्ण साक्षरता तथा उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों को क्रमश: 160 तथा 302 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है जबकि सतत शिक्षा कार्यक्रम 112 जिलों में आरंभ किया गया है।

(ग) जी, हां। मंत्रालय ने दसवीं योजना के लिए निधियों के आबंटन हेतु योजना आयोग से सम्पर्क किया है।

(घ) योजना आयोग दसवीं योजना के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। दसवीं योजना के लिए निधियों के आबंटन को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही निर्णय लिया जाएगा।

(ङ) एक विवरण संलग्न है।

(च) दसवीं योजना के दौरान उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा कार्यक्रम के तहत सभी जिलों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की विभिन्न योजनाओं के तहत शामिल किए गए जिलों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य	जिलों की कुल संख्या	संपूर्ण साक्षरता अभियान के तहत शामिल जिले	उत्तर साक्षरता अभियान के तहत शामिल जिले	सतत शिक्षा कार्यक्रम के तहत शामिल जिले	शामिल किए गए कुल जिले	शामिल न किए गए कुल जिले
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	23	0	3	20	23	0

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	14	0	*7	0	7	7
3.	असम	23	12	*11	0	23	0
4.	बिहार	37	22	13	0	35	2
5.	छत्तीसगढ़	16	9	6	1	16	0
6.	दिल्ली	9	9	0	0	9	0
7.	गोवा	2	2	0	0	2	0
8.	गुजरात	25	0	13	12	25	0
9.	हरियाणा	19	11	7	1	19	0
10.	हिमाचल प्रदेश	12	0	11	1	12	0
11.	जम्मू और कश्मीर	14	5	*4	0	9	5
12.	झारखंड	22	14	3	2	19	3
13.	कर्नाटक	27	0	15	12	27	0
14.	केरल	14	0	0	14	14	0
15.	मध्य प्रदेश	45	18	26	1	45	0
16.	महाराष्ट्र	35	5	21	9	35	0
17.	मणिपुर	9	1	*7	0	8	1
18.	मेघालय	7	6	0	0	6	1
19.	मिजोरम	8	0	0	8	8	0
20.	नागालैंड	8	0	*7	0	7	1
21.	उड़ीसा	30	14	16	0	30	0
22.	पंजाब	17	9	7	1	17	0
23.	राजस्थान	32	0	25	7	32	0
24.	सिक्किम	4	0	*4	0	4	0
25.	तमिलनाडु	30	3	18	9	30	0
26.	त्रिपुरा	4	0	4	0	4	0
27.	उत्तरांचल	13	1	12	0	13	0
28.	उत्तर प्रदेश	70	16	52	2	70	0

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	पश्चिम बंगाल	18	2	9	7	18	0
30.	अंडमान और नि. द्वीप समूह	2	0	0	0	0	2
31.	चंडीगढ़	1	0	0	1	1	0
32.	दादरा व नागर हवेली	1	1	0	0	1	0
33.	दमन व दीव	2	0	1	0	1	1
34.	लक्षद्वीप	1	0	0	0	0	1
35.	पांडिचेरी	4	0	0	4	4	0
	कुल	598	160	302	112	574	24

नोटः *इन जिलों में, कुछ ब्लाकों में ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थी।

आंध्र प्रदेश में "मलिन बस्ती सुधार परियोजना" के अंतर्गत मलिन बस्तियों का विकास

317. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आंध्र प्रदेश में ब्रिटिश सहायता प्राप्त ओवरसीज डेवलपमेंट आथारिटी की "मलिन बस्ती सुधार परियोजना" के अंतर्गत छः मलिन बस्तियों का विकास किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में ओवरसीज डेवलपमेंट आथारिटी ने अन्य मलिन बस्तियों के विकास के लिए और अधिक धनराशि स्वीकृत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितना कार्य किया जा चुका है; और

(ङ) इस राज्य में "मलिन बस्ती सुधार परियोजना" के अंतर्गत मलिन बस्तियों के विकास-कार्य को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना अनुसार, जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वह यूनाइटेड किंगडम सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (पहले ओडीए अब डीएफआईडी) की भागीदारी से आंध्र प्रदेश के 32 श्रेणी-I म्यूनिसपल कस्बों में म्यूनिसपल सुधारों को मजबूती प्रदान करने, बेहतर शहरी सुशासन, गरीब बस्तियों में पर्यावरणीय सेवाओं की व्यवस्था तथा सिविल सोसायटी संगठनों आदि को मजबूत करने के लिए "आंध्र प्रदेश अर्बन सर्विसेज फार पूअर" (ए.पी.यू.एस.पी.) परियोजना चला रही है।

(घ) राज्य सरकार ने बताया है कि 32 श्रेणी-I कस्बों में से 21 नगरपालिकाओं/नगर निगमों में परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। स्थिति इस प्रकार है:-

- तीन पायलेट कस्बों (चितूर, राजामुंदरी, कुतबुल्लापुर) में कार्य शुरू हो गया है।
- 6 कस्बों में गरीबी निवारण हेतु म्यूनिसपल कार्य योजनाएं (एमएपीवी) हैं तथा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई है (ये कस्बें हैं, बारंगल, तिरूपति, गुंटूर, हिंदूपुर, एल.बी. नगर तथा रामागुंडम)।
- 4 नगरपालिकाएं (अर्थात् नानदयाल, कुकटपल्ली, मल्काजागिरी तथा गुंटाकल) में नवम्बर में (एमएपीपी) प्रस्ताव तैयार कर रही है।
- 8 कस्बों में परियोजना प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं और उनके दिसंबर तक तैयार हो जाने की आशा है। (ये कस्बें हैं, विजियानगर, कुरनूल, तैनाली, एलुरू, खम्माम, उन्नतपुर, महबूबनगर और काकीनाडा)।

(ङ) 6-7 वर्ष 2006-2007 तक।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) का बंद किया जाना

318. **श्री सईदुज्जमा:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पहले डी.डी.ए. को बंद करने का निर्णय इसलिए लिया था क्योंकि यह खर्चीला सिद्ध हो रहा था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय को कुशासन के कारण वापस ले लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार डी.डी.ए. के कर्मचारियों की संख्या को यथाशीघ्र न्यूनतम आवश्यकता की सीमा तक कम करने का है ताकि वह अनवरत जारी रहने वाली व्यर्थ की परियोजनाएं न चला सके और दिल्ली नगर निगम जैसे संबंधित विभागों और राज्य सरकारों को यह कार्य न सौंप सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के कार्य कलापों के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिकीकरण और युक्तिकरण के जरिए उसके पुनर्विन्यास और पुनर्गठन पर विचार किया था ताकि वह अधिक परिणाममूलक बन सके। डीडीए ने अपने विभिन्न विभागों की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। अपने कर्मियों को प्रशिक्षित करने और कर्मठ बनाने, कार्यप्रणाली में सुधार के लिये कम्प्यूटरीकरण व ई-गवर्नेन्स शुरू करने और जनता के प्रति उन्हें अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए डीडीए द्वारा अनेक अल्पावधि और दीर्घावधि उपाय शुरू किए गए हैं।

[हिन्दी]

किशोर अपराधी

319. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किशोर अपराधियों पर लागू होने वाली ऊपरी उम्र सीमा को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) सरकार ने किशोर न्याय अधिनियम, 1986 को नये अधिनियम अर्थात किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के द्वारा पहले ही प्रतिस्थापित कर दिया है। नये अधिनियम में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए 18 वर्ष से कम की एकसमान आयु को इस अधिनियम के अंतर्गत किशोर या बालक के रूप में माना गया है। पुराने किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के अंतर्गत निर्धारित आयु सीमा लड़कियों के लिए 18 वर्ष से कम और लड़कों के लिए 16 वर्ष से कम थी। नया अधिनियम 1 अप्रैल, 2001 से लागू हो गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में ऋण सहायता का दुरूपयोग

320. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने गांवों के विद्युतीकरण के लिए विद्युत मीटर की खरीद हेतु पूर्वोत्तर राज्यों में ऋण सहायता की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान "स्पेशल लोन पोर्टफोलियो-कैपिटल एस.एल. (मीटर्स)" योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई ऋण सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर राज्यों को दी गई ऋण सहायता का अन्यत्र उपयोग, दुरूपयोग और दुर्विनियोग किया गया है और इसे लघु उद्योग विनिर्माताओं को वितरित नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) लघु उद्योग विनिर्माताओं द्वारा ऋण सहायता के पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ङ) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर ई सी) मीटरों को प्राप्त करने और लगाने सहित विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य बिजली बोर्डों/राज्य विद्युत उपयोगिताओं/राज्य विद्युत विभागों को ऋण सहायता प्रदान करता है। वर्ष 1999-2000 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने मणिपुर के विद्युत विभाग को 5.16 करोड़ रु. की ऋण सहायता स्वीकृत की है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ऊर्जा मीटर स्कीमों के लिए धन आंशिक रूप से उनके प्रापण पर और आंशिक रूप से उन्हें स्थापित करने पर रिलीज किया •जाता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने मणिपुर ने राज्य विद्युत विभाग द्वारा मीटरों के प्रापण और उनके द्वारा प्रस्तुत दावों के आधार पर 5.16 करोड़ रु. की स्वीकृत ऋण सहायता की तुलना में 1999-2000 के दौरान 3.4 करोड़ रु. और 2000-2001 के दौरान लगभग 1.0 करोड़ रु. जारी किए गये। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम मीटर या अन्य उपकरण प्राप्त नहीं करता है और इसलिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा आपूर्तिकर्त्ताओं को धन जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। राज्य बिजली बोर्ड/राज्य विद्युत विभाग जो कि सामग्री प्राप्त करते हैं, ठेके की शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्त्ताओं को भुगतान करते हैं।

पेट्रोलियम कंपनी की बिक्री में छूट

321. श्री रमेश चेन्नितला: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में पेट्रोलियम कंपनियों की बिक्री संबंधी शर्तों में छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य और कारण क्या हैं; और

(ग) इस छूट में क्या विशिष्ट लाभ मिलने की संभावना है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) आई बी पी कंपनी लि. ईंधन ढुलाई के विपणन में पहले से ही लगी हुई है। आई बी पी लि. कंपनी में अनुकूल बिक्री के माध्यम से विनिवेश के मामले में 2000 करोड़ रुपए के निवेश के उपयुक्त क्षेत्रों में फुटकर केन्द्रों को छोड़कर हाइड्रोकार्बन क्षेत्र शामिल होंगे। ये शर्तें शेयर धारक करार के हिस्से का रूप लेंगी जिनको अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में शीत भंडारगृह

322. श्री के.ए. सांगतम: क्या **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में आज की तारीख के अनुसार चालू शीत भंडार गृहों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) इन शीत भंडार गृहों की वर्तमान भंडारण क्षमता कितनी है;

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार कितने नये शीत भंडारगृहों की मंजूरी दी गई और कितनों की स्थापना की गई है; और

(घ) स्वीकृत शीत भंडारगृहों की अब तक स्थापना न किये जाने के क्या कारण हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के शीत भंडार गृहों की संख्या और उनकी क्षमता, राज्य-वार नीचे दी गयी है:

राज्य	शीत भंडार गृहों की संख्या	क्षमता (टन)
असम	23*	34,360
नागालैंड	1	1,149
त्रिपुरा	3	5,000

(* इसमें पिछले दो वर्षों के दौरान स्वीकृत 15,000 मी. टन की क्षमता वाले 3 शीत भंडार गृह सम्मिलित हैं)

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान स्वीकृत शीत गृहों की संख्या निम्न प्रकार है:

राज्य	शीत भंडार गृहों की संख्या	क्षमता (टन)
असम	4	18,000
त्रिपुरा	1	3,000

इसके अतिरिक्त, कृषि और संसाधित खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी ई डी ए) ने छोटे वाक-इन टाइप के शीत भंडार गृहों को बंगलौर हवाई अड्डे से असम में गुवाहाटी हवाई अड्डे, में स्थानान्तरित कर दिया है और इसी प्रकार के एक वाक-इन शीत भंडार गृह को दिल्ली हवाई अड्डे से अगरतला हवाई अड्डे पर स्थानान्तरित किया गया है। इन शीत भंडार गृहों, प्रत्येक की क्षमता 13.18 क्यू. मीटर है।

(घ) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड स्कीम के तहत असम में राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा स्वीकृत एक परियोजना का राज्य सरकार द्वारा अभी धन दिया जाना बाकी है।

उर्वरकों की बिक्री

323. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निर्मित उर्वरकों की अकाल क्षेत्र वाले किसानों को कम दर पर बिक्री करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए किसान कार्ड, फसल बीमा आदि जैसे कई कल्याणकारी कार्यक्रमों की घोषणा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यात्मक स्थिति क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार से उर्वरकों की कीमत कम करने को कहा गया है क्योंकि आंध्र प्रदेश के कई जिलों में किसान गम्भीर सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं; और

(ङ) सरकार ने किस सीमा तक राज्य के अनुरोध पर विचार किया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयूज) सहित कम्पनियों द्वारा उत्पादित और/या आयातित सभी उर्वरक अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, केल्सियम अमोनियम नाइट्रेट एवं सल्फेट ऑफ पोटाश को छोड़कर राजसहायता प्राप्त दरों पर अकालग्रस्त क्षेत्रों के किसानों सहित सभी किसानों को बेचे जाते हैं। पीएसयूज द्वारा उत्पादित उर्वरकों को अकालग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को कम दरों पर बेचने की कोई पृथक योजना नहीं है।

(ख) और (ग) फसल बीमा के अंतर्गत कृषकों, फसलों एवं जोखिम के क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से, सरकार ने "नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंश स्कीम" (एन ए आई एस) - "(राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना)" नामक नई योजना रबी 1999-2000 मौसम से प्रारम्भ की है। योजना सभी कृषकों - ऋणी एवं अ-ऋणी दोनों - को उनके जोत के आकार का ध्यान रखे बिना उपलब्ध होगी। इसमें सभी खाद्य फसलें (अनाज, बाजरा, दालें) तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें शामिल होंगी। वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों में सात फसलें जैसे ईख, आलू, रूई, अदरक, प्याज, हल्दी एवं मिर्च पहले ही इस योजना के अंतर्गत शामिल की जा चुकी हूं। सभी अन्य वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें बीमा के अंतर्गत योजना के प्रचालन के तीसरे वर्ष में उनके विगत उत्पादन के आंकड़ों की उपलब्धता की शर्त के साथ रखी जायेगी। बीमा किस्त दरें बाजरा एवं तिलहनों के लिए 3.5 प्रतिशत एवं अन्य रबी फसलों के लिए 2 प्रतिशत है। वाणिज्यिक/बागवानी फसलों की स्थिति में बीमांकिक दरें लगाया जाती हैं। छोटे एवं सीमांत कृषकों को उन पर लगायी गई बीमा किस्त दरों का 50 प्रतिशत राजसहायता के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। राजसहायता 5 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध रूप से सूर्यास्त आधार पर समाप्त की जायेगी। वर्तमान में, एन ए आई एस 19 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।

कृषकों को उनकी कृषि आवश्यकताओं के लिए बैंकिंग व्यवस्था से पर्याप्त एवं सामयिक सहायता लचीले एवं लागत प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने के लिए एक किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम (के सी सी एस) अगस्त, 1998 से प्रारम्भ की गयी थी। तब से इस योजना ने तीव्र प्रगति की है और बैंकिंग व्यवस्था ने 31 जुलाई, 2001 तक लगभग 167 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। 2001-2002 के केन्द्र के बजट में यह घोषणा की गई है कि अगले तीन वर्ष में सभी पात्र कृषकों को के.सी.सी.एस. उपलब्ध कराया जायेगा।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए जिलों का चयन

324. **श्री एम.के. सुब्बा:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जिलों के चयन करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किया गया है;

(ख) पूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए राज्यवार किन जिलों का चयन किया गया है; और

(ग) इस अभियान के अंतर्गत अब तक राज्यवार कितनी धनराशि का आबंटन/उपयोग किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत जिले का चयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जाता है।

(ख) राज्यवार संपूर्ण स्वच्छता अभियान जिले, जहां परियोजना स्वीकृत की गई है, के नाम संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) संपूर्ण स्वच्छता अभियान को प्रोजेक्ट मोड. में कार्यान्वित किया जाता है। स्वीकृत परियोजनाओं के आधार पर निधियाँ प्रदान की गई हैं। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पहली किस्त की रिलीज/उपयोग की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

संपूर्ण स्वच्छता अभियान जिलों के राज्यवार नाम

राज्य	जिला
1	2
आंध्र प्रदेश	चित्तूर
	खम्माम
	नालगोंडा
	प्रकाशम
	नेल्लूर
	अदिलाबाद
	अनंतपुर
	महबूबनगर
	निजामाबाद
	विजियानगरम
अरुणाचल प्रदेश	लोहित
	पश्चिम सियाँग
असम	कामरूप
	सोनितपुर
	जोरहट
	कचार
	धुब्री
	गोलपाडा
	करबी आंगलोंग
	करीमगंज
	मोरीगाँव
	नलबारी
बिहार	वैशाली
	पूर्वी चम्पारण
	पटना
	गया
	बाँका
	मुजफ्फरपुर
	छपरा (सारण)
छत्तीसगढ़	दुर्ग
गुजरात	राजकोट
	मेहसाना
	सूरत
हरियाणा	करनाल
	यमुना नगर
हिमाचल प्रदेश	सिरमौर
जम्मू एवं कश्मीर	श्रीनगर
	उधमपुर
झारखंड	धनबाद
	बोकारो
कर्नाटक	बेल्लारी
	मैसूर
	मंगलौर
केरल	कसारगोड
	कोल्लम

1	2
मध्य प्रदेश	सिहोर
	ग्वालियर
	रायसेन
	नरसिंहपुर
	होशंगाबाद
महाराष्ट्र	धुले
	अमरावती
	नांदेड
	रायगढ़
	चन्द्रपुर
	रत्नागिरी
	यवतमाल
	सांगली
	औरंगाबाद
मणिपुर	ईम्फाल पश्चिम
नागालैंड	दीमापुर
	कोहिमा
	मोकोकचुँग
उड़ीसा	गंजम
	बालासोर
	सुन्दरगढ़
	भद्रक
	खोरधा
पंजाब	भटिंडा
	मुक्तसर
	झोगां
राजस्थान	अलवर
	बाडमेर

1	2
	सीकर
	जयपुर
	झालावाड़
सिक्किम	सिक्किम दक्षिण
	सिक्किम पश्चिम
तमिलनाडु	कोयम्बटुर
	बेल्लौर
	कुडडालौर
	पेरम्बदुर
	ईरोड
	कन्याकुमारी
	विरूधनगर
त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा
	उत्तर त्रिपुरा
	दक्षिण त्रिपुरा
उत्तर प्रदेश	लखनऊ
	मिर्जापुर
	चन्दौली
	सोनभद्र
	आगरा
	गाजीपुर
	जौनपुर
	वाराणसी
	बलिया
	देवरिया
	आजमगढ़
	बिजनौर
उत्तरांचल	हरिद्वार
पश्चिम बंगाल	मिदनापुर
	हावड़ा

1	2
	वर्धमान
	दक्षिण 24 परगना
	उत्तर 24 परगना
	दक्षिण दिनाजपुर
	मुर्शिदाबाद
	जलपाईगुड़ी
	मालदा
पांडिचेरी	पांडिचेरी

विवरण-II

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा सूचित जारी/उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा

(लाख रु. में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	रिलीज की गई निधि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित अनुसार उपयोग
1	2	3
आंध्र प्रदेश	3065.72	एन.आर.
अरुणाचल प्रदेश	99.46	0
असम	133.22	एन.आर.
बिहार	1123.83	0
छत्तीसगढ़	229.33	एन.आर.
गुजरात	359.1	5.38
हरियाणा	214.23	4.66
हिमाचल प्रदेश	53.52	17.94
जम्मू व कश्मीर	122.05	एन.आर.
झारखण्ड	498.74	एन.आर.
कर्नाटक	536.05	एन.आर.
केरल	308.09	एन.आर.
मध्य प्रदेश	772.55	3.96
महाराष्ट्र	2309.58	एन.आर.
मणिपुर	48.08	एन.आर.
नागालैण्ड	118.33	एन.आर.
उड़ीसा	1214.12	68.03
पंजाब	236.42	एन.आर.
राजस्थान	1618.68	एन.आर.
सिक्किम	17.98	17.98
तमिलनाडु	1347.92	1197.70
त्रिपुरा	253.66	0
उत्तर प्रदेश	1821.21	1020.21
प. बंगाल	2471.02	एन.आर.
पांडिचेरी	47.42	एन.आर.
कुल	19020.31	2335.86

एन.आर. : अप्रंतिम

कर्नाटक में पनधारा विकास परियोजना

325. **श्री जी.एस. बसवराज:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री विनय कुमार सोराके:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्नाटक के 5 जिलों में शुष्क भूमि के विशाल क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य की 690 करोड़ रुपये की पनधारा परियोजना के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कोई योगदान कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा राज्य में शुष्क भूमि के विकास के लिए वित्तपोषित अन्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में अवैध निर्माण

326. **श्री अरुण कुमार: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 31.7.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1457 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दक्षिण दिल्ली/दक्षिण-पश्चिम दिल्ली जिलों में गत एक वर्ष के दौरान हुए अवैध निर्माणों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जी, हां। सूचना एकत्र कर ली गयी है और आवश्यक कार्यान्वयन रिपोर्ट संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज दी गयी है। स्थिति निम्न प्रकार से है:-

दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि आमतौर पर अनधिकृत निर्माण करवाने में इसके स्टाफ की कोई मिलीभगत नहीं होती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली पुलिस ने भी आरोप का खंडन किया है।

गैर कानूनी निर्माण की जांच की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण के कनिष्ठ इंजीनियरों और सहायक इंजीनियरों की है। दिल्ली पुलिस ने अनधिकृत कालोनियों में यह कार्य स्टेशन हाऊस आफिसरों (एस.एच.ओ.) को सुपुर्द कर रखा है।

डी.डी.ए., एम.सी.डी., एन.डी.एम.सी. और दिल्ली पुलिस को पिछले तीन महीनों के दौरान क्रमशः लगभग 943, 4457, 60 और 600 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। डी.डी.ए., एम.सी.डी. और दिल्ली पुलिस से संबंधित शिकायतों का जोन/क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

डी.डी.ए.	
पूर्वी जोन	200
उत्तर जोन	107
रोहिणी जोन	243
दक्षिण पूर्व जोन	142
दक्षिण पश्चिम जोन	94
द्वारका जोन	98
पश्चिम जोन	59
एम.सी.डी.	
सिटी जोन	1051
दक्षिण जोन	698
के.बी. जोन	644
सी.एल. जोन	545
पश्चिम जोन	468
रोहिणी जोन	325
शाहदरा (उ.) जोन	258
शाहदरा (द.) जोन	91
एस.पी. जोन	190
सेंट्रल जोन	119
नजफगढ़ जोन	20
नरेला जोन	3
सतर्कता विभाग	45
दिल्ली पुलिस	
पूर्वी जिला	15
उत्तर-पूर्व जिला	14
उत्तर जिला	41
उत्तर-पश्चिम जिला	324
सेंट्रल जिला	81
दक्षिण जिला	65
दक्षिण पश्चिम जिला	59
पश्चिम जिला	1

दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) ने बताया है कि 4 कनिष्ठ इंजीनियरों तथा एक सहायक इंजीनियर के विरुद्ध बड़ी शास्ति तथा 2 कनिष्ठ इंजीनियरों, एक सहायक इंजीनियर और एक सहायक जोनल निरीक्षक के विरुद्ध छोटी शास्ति लगाने के लिए नियमित विभागीय कार्रवाई शुरू की गयी है। डी.डी.ए., एन.डी.एम.सी. और दिल्ली पुलिस के किसी अधिकारी की गैरकानूनी निर्माण में मिलीभगत नहीं पायी गयी है।

(घ) दिल्ली पुलिस ने दिनांक 1.1.2001 से 31.10.2001 की अवधि के दौरान दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम जिला में क्रमश: 716 और 100 अनधिकृत/गैरकानूनी निर्माणों की रिपोर्ट की है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा इतिहास की पुस्तकों से पुराने अध्याय हटाना/नये अध्याय जोड़ना

327. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.सी.ई.आर.टी. इतिहास की पुस्तकों में कुछ नये अध्याय जोड़ने और विशेषकर मुगल काल के कुछ अध्याय हटाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इतिहास की पुस्तकों से कुछ अध्याय हटाने और कुछ अध्याय जोड़ने के संबंध में सामान्य जनता और विशेषकर राजनीतिक दलों की कुछ आपत्तियां हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सी.बी.एस.ई. के पाठ्यक्रम में यथास्थिति बनाये रखने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् में इतिहास सहित सभी विषयों की नई पाठ्य पुस्तकें तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। इन पुस्तकों की विषय-वस्तु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या स्कूल शिक्षा कार्यढांचा 2000 के आधार पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार नई पाठ्य विवरणिका के अनुसार होगी।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है।

असुरक्षित यातायात गलियारे

328. श्रीमती रेणु कुमारी: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 नवम्बर, 2001 को "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" ट्रैफिक कॉरिडोर्स अनसेफ सेज स्टडी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन उपरिपुलों को उपयोग के लिए सुरक्षित बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) और (ग) दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लोक निर्माण विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वे फ्लाई ओवरों के आसपास सुरक्षित और निर्बाध यातायात सुनिश्चित करने के लिए संकेत चिह्न, एंटी क्रैश बैरियर, लेन मार्किंग आदि आवश्यक सुरक्षा उपाय मुहैया करा रहे हैं। जहां कहीं आवश्यक होगा वहां और संकेत चिह्न मुहैया किए जाएंगें। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् और दिल्ली नगर निगम से सूचना एकत्र की जा रही है सभा पटल पर रखी जाएगी।

फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ एजुकेशन

329. श्री भीम दाहाल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ एजुकेशन की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इसके कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(घ) प्रस्तावित निगम 'सभी के लिए शिक्षा' का लक्ष्य प्राप्त करने और गुणवत्ता शिक्षा देने में किस सीमा तक सहायक होगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भूरिया समिति की सिफारिशें

330. श्रीमती प्रेनीत कौर: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूरिया समिति ने अनुसूचित जनजातियों के संबंध में पंचायती राज के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक बढ़ाने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या समान प्रावधान पांचवें अनुसूचित क्षेत्रों की नगरपालिकाओं और एन.ए.सी. पर भी लागू होते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उक्त सिफारिशों को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिखरे हुए आदिवासियों के लिये विशिष्ट योजनायें

331. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा 'बिखरे हुए आदिवासियों' के लिए कोई विशिष्ट योजनाएं बनाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि 'बिखरे हुए आदिवासियों' को उनका हक नहीं मिल रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति का निर्धारण करने और विकास प्रक्रिया में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कोई तत्स्थानिक अध्ययन कराये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता की योजना के अंतर्गत कतिपय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को बिखरे जनजातियों सहित अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए अनुदान मंजूर करता है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जनजातीय उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत प्राप्त अनुदान कृषि, बागवानी, लघु सिंचाई, मृदा संरक्षण, पशुपालन, वन, शिक्षा, सहकारिताओं, मात्स्यिकी, ग्राम और कुटीर उद्योग तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों आदि जैसे क्षेत्रों में बिखरी जनजातियों सहित जनजातियों के लिए बुनियादी रूप से परिवारोन्मुखी आय सृजक योजनाओं के लिए खर्च करते हैं। वर्ष 2001-2002 के लिए जनजातीय उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए आवंटन 500 करोड़ रु. है।

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत जनजातीय विकास के लिए ऐसी परियोजनाओं की लागत को पूरा करने के लिए भारत सरकार के अनुमोदन से राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उनमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को उस राज्य के शेष राज्यों के प्रशासन के स्तर तक ऊंचा उठाने के लिए अनुदान दिया जाता है। बिखरे हुए आदिवासियों सहित जनजातियों की महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाएं/योजनाएं आरंभ की जाती हैं संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत वर्ष 2001-2002 के लिए बजट आवंटन 300.00 करोड़ रु. है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत बिखरी हुई जनजातियों सहित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य विशेष योजनाओं के लिए भी निधियां प्रदान की जाती हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय नृविज्ञान सर्वेक्षण से आंध्र प्रदेश में "बिखरी हुई जनजातियों" पर एक अध्ययन करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारों के जनजातीय अनुसंधान संस्थान भी "बिखरी हुई जनजातियों" सहित विभिन्न जनजातीय समूहों के संबंध में अध्ययन करते हैं।

ग्रामीण विकास पर संपादकों का सम्मेलन

332. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में विभिन्न ग्रामीण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने के लिए संपादकों का सम्मेलन आयोजित किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन संपादकों ने भाग लिया और सम्मेलन में क्या निष्कर्ष निकला?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी हां, प्रेस सूचना ब्यूरो, सूचना एवं प्रसंस्करण मंत्रालय ने दिनांक 7-9 नवम्बर, 2001 को नई दिल्ली में सामाजिक क्षेत्र के मुद्दों पर सम्पादकों का सम्मेलन आयोजित किया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों यथा मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण, श्रम, वन एवं पर्यावरण, खाद्य व उपभोक्ता मामले, जल संसाधन, पर्यटन, आदिवासी कल्याण कृषि एवं ग्रामीण उद्योग, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा, गृह एवं कानून, न्याय एवं कंपनी मामले इत्यादि मंत्रालयों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। सम्पादकों को विभिन्न सामाजिक क्षेत्र के मुद्दों पर सम्बोधित किया गया।

(ख) प्रतिभागियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने हेतु मीडिया के द्वारा उचित परिप्रेक्ष्य में उनके प्रदर्शन किये जाने के लिए सामाजिक क्षेत्र मंत्रालय के कार्यक्रमों व नीतियों के बारे में मीडिया के लोग सक्रिय हो गये। सम्मेलन सरकार के द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा के मंच की तरह प्रयुक्त हुआ।

विवरण

सामाजिक क्षेत्र के मुद्दों 2001 (ई.सी.एस.एस.आई.-2001) पर सम्पादकों के सम्मेलन में उपस्थित होने वाले प्रतिभागियों की सूची।

क्रमांक	नाम	संस्था/समाचार पत्र
1	2	3
	स्थानीय प्रतिभागी	
1.	सर्वश्री बिकास पाल	एशियन न्यूज
2.	सुभाशीष मित्र	पी.टी.आई.
3.	देवीदास गुप्ता	पी.टी.आई.
4.	कुमार रंजन	पी.टी.आई., भाषा
5.	बी.आर. आजाद	यू.एन.आई., उर्दू सेवा
6.	के.एस. अरोड़ा	यू.एन.आई.
7.	ज्ञानेन्द्र	यू.एन.आई. (फोटो)
8.	एन.के. सिंह	यूनिवार्ता
9.	जोसफ मलियाकम	न्यू इंडियन एक्सप्रेस
10.	शकील अखतर	नव भारत टाइम्स
11.	सुश्री शिवानी दास गुप्ता	नेशनल प्रेस एजेंसी
12.	श्री ओ.पी. सबरवाल	इन्डियन प्रेस ऐजेंसी
13.	कुमार भावेश	अमर उजाला
14.	श्री अशोक कुमार	दैनिक जागरण
15.	श्री के.एस. नरायनण	डेकन हेराल्ड

1	2	3
16	श्री मनीश श्रीवास्तव	डेकन क्रोनिकल
17.	सुश्री सुधा नागराजन	इकोनोमिक टाइम्स
18.	श्री आलोक शर्मा	फानेनसियल एक्सप्रेस
19.	श्री चन्द्रशेखर	फानेनसियल एक्सप्रेस
20.	श्री के.बी. पंडित	हिन्दुस्तान
21.	श्री दीपक राजदान	हिन्दुस्तान टाइम्स
22.	श्री श्रीलता मेनन	इंडियन एक्सप्रेस
23.	श्री दीपक द्विवेदी	जनसत्ता
24.	श्री सुमित चक्रवर्ती	मेन स्ट्रीम
25.	सुश्री भाव दीप कंग	आउट लुक
26.	श्री अजय तिवारी	राष्ट्रीय सहारा
27.	श्री डी.के. झा	पायोनियर
28.	श्री पारूल चन्द्र	टाइम्स ऑफ इन्डिया
29.	सईद हमीद अली	जदीद-इन-डीनोन
30.	श्री विजय कुमार मधु	कलानेत्र परिक्रमा
31.	श्री विश्वनाथ रमाशीष	कुरूक्षेत्र
32.	श्री राकेश रेनु	कुरूक्षेत्र (हिन्दी)
33.	श्री सदानन्द पाण्डेय	बीर अर्जुन
34.	श्री भूषण रेणा	दैनिक थान्थी (तमिल)
35.	श्री सी.पी. विजयकृष्णन	मार्तभूमि
36.	श्री इन्दर साहनी	गुजरात समाचार
37.	श्री शैलेष शर्मा	लिकमत
38.	श्री एन.एस. साहजीत	देशभिमानी
39.	श्री लोला नाईयर	भारतीय विदेश समाचार सेवा
40.	श्री कमलेश वकील	समाचार पोस्ट
41.	श्री एस.के. भाटिया	संवाद सिन्धी
42.	श्री अजय सेतिया	नवज्योति

1	2	3
43.	श्री पी. यादव	नवज्योति
44.	श्री हैदर हुसैन	असामिया प्रतिदिन
45.	सुश्री सुरेखा टकसाल	सकल
46.	श्री आर.के. शर्मा	स्वदेश
47.	श्री जयदीप शर्मा	समाचार मंजूषा
48.	श्री डी.ए. मट्टू	प्रजावाणी
49.	श्री संजय मिश्रा	नई दुनिया
50.	श्री थोमस डोमनि	मलयालय मनोरमा
51.	श्री अतानु भट्टाचार्य	वर्तमान
52.	सुश्री स्वति भट्टाचार्य	आनन्द बजार पत्रिका
53.	सुश्री बिनिता गुप्ता	पांचजन्य
54.	श्री जय नागराजू	वार्थ
55.	श्री एस.वी. चेरी	स्वतंत्र वार्थ
56.	श्री अभय एन.. झा	अजी (असामी)
57.	श्री सुशील डांग	द डे आफटर
58.	श्री हसन सुजा	सहाफत
59.	श्री सफीर महमूद	प्रेस इन्डिया
60.	श्री दीपक द्विवेदी	इन्डियन एक्सप्रेस, लखनऊ
61.	श्री अरविन्द सिंह	जनसत्ता
62.	श्री सी.बी. ठाकुर	राजस्थान पत्रिका
63.	श्री अजय सेतिया	दैनिक नवज्योति
64.	श्री तरुण प्रकाश	उत्तर बंगाल संवाद
65.	श्री विन्दो वर्मा	देशबन्धु
66.	श्री एम.के. खानम	मेहनतकश
67.	श्री विरेन्द्र त्रिपाठी	छपते-छपते
68.	श्री राजेश कुमार अलख	प्रभात
69.	श्री अभिजित राय चौधरी	कन्ट्री टूडे

1	2	3
70.	श्री कल्याण बरूया	असाम ट्रीब्यून
71.	श्री सी.के. नायक	शिलौंग टाइम्स
72.	श्री सुचिल	भारती वकील
73.	श्री प्रवीण राणा	जन्मभूमि
74.	श्री विरेन्द्र त्यागी	ब्लैक स्टार
75.	श्री भूषण रेना	डेली थान्थी
76.	श्री एम. अहमद काजमी	मीडिया स्टार
77.	श्री सुरेन्द्र सूद	बिजेनस स्टेन्डर्ड
78.	श्री उमेश चतुर्वेदी	दैनिक भाषकर
79.	श्री आर.के. भटनागर	फ्रीलान्स
80.	श्री के. श्रीनिवास राव	इनाडू
81.	श्री जे.के. श्रीवास्तव	अखिल भारतीय रेडियो समाचार
82.	सुश्री समर शर्मा	लोकप्रिय
83.	श्री गिरिष चन्द्र	सिन्डीकेटेड जनरालिस्ट
84.	श्री देव प्रकाश	द हिन्ट
85.	श्री अतुल कुमार	फारूकी तनजीम
86.	सुश्री मोनोविना	स्टेटमैंन
87.	सुश्री सुमिता शर्मा	डावजोन्स
88.	श्री ग्यान सिंह	दूरदर्शन समाचार
89.	श्री कन्हैया पंडित	स्वराज टाइम्स
	बाहरी प्रतिभागी	
	अगरतला	
90.	श्री सुशील चौधरी, सम्पादक	गंगादूत
	अहमदाबाद	
91.	सुश्री मीरा के. सलारका	जय हिन्द
92.	श्री वी.वी. विदेह, सम्पादक	गुजरात वैभव

1	2	3
	आइज़ोल	
93.	श्री सी. वुलिया	हनथर डेली
	बंगलोर	
94.	श्री के. सत्यनारायण, सम्पादक	विजया कर्नाटक
95.	श्री एस.के. बेलागरी, रेजिडेन्ट सम्पादक	जन्म वाहिनि
	भोपाल	
96.	श्री राकेश दिक्षित, रेजिडेन्ट सम्पादक	सेन्टरल क्रोनिकल
97.	श्री श्याम बेताल, रेजिडेन्ट सम्पादक	नव भारत
	भुवनेश्वर	
98.	श्री सत्य कोरी होटा	सम्या
99.	श्री मलय कुमार नायक, वरीय उप सम्पादक	धारीत्री
	कोलकता	
100.	श्री सुहाष तालुकदार	उत्तर बंगाल संवाद
101.	श्री कमल भट्टाचार्य, विशेष संवाददाता	दैनिक संवाद प्रतिदिन
	चंडीगढ़	
102.	श्री एच.एस. हलवारवी, सम्पादक	पंजाब ट्रिब्यून
	चेन्नई	
103.	श्री वी.एस. संबंधन, सहायक सम्पादक	द हिन्दू
104.	श्री वी. रंगाचारी, प्रधान उप सम्पादक	दिनमणी
	कोचीन	
105.	श्री सी.पी. विजयकृष्णन, समाचार सम्पादक	मातृभूमि
	गोहाटी	
106.	श्री हैदर हुसैन, सम्पादक	असामी प्रतिदिन
107.	श्री जी.एल. अग्रवाल, सम्पादक	पूर्वान्चल प्रहरी (हिन्दी)
	हैदराबाद	
108.	श्री टी. वेनुगोपाल, परीय उप सम्पादक	वार्ता
109.	श्री जहीरउद्दीन अली खां, एम.जी. सम्पादक	सियासत (उर्दू)

1	2	3
	इम्फाल	
110.	श्री प्रदीपांजुघम, सम्पादक	इम्फाल फ्री प्रेस
	इन्दौर	
111.	श्री जय कृष्ण गौड, सम्पादक	दैनिक स्वदेश
	जालन्धर	
112.	श्री चेतन शारदा, मुख्य संवाददाता	पंजाब केशरी (हिन्दी)
113.	श्री जसवंत सिंह अजित	अजित
	जम्मू	
114.	श्री प्रबोध जामवाल,	कश्मीर टाइम्स
115.	श्री सईद फारूक अन्द्रावी	इन्डियन टाइम्स
	जोधपुर	
116.	श्री पदम मेहता, सम्पादक	दैनिक जलते दीप
	कानपुर	
117.	श्री के.जी. चन्दोला	नागराज दर्पण
	लखनऊ	
118.	श्री ए.एस. विष्ट, सम्पादक	टाइम्स ऑफ इण्डिया
119.	श्री राजेन्द्र द्विवेदी	राष्ट्रीय सहारा
	मुम्बई	
120.	श्री सर्फराज आरजू	हिन्दुस्तान
	पटना	
121.	श्री एस.एम. अशरफ फरिद	कौमी तंजीम
122.	श्री रीआज अजीमा वादी	आर्यावर्त्त
	पोर्ट ब्लेयर	
123.	श्री अरुणगसू चक्रवर्ती	अन्डमान आबजरबर
	पूणे	
124.	सुश्री सुनिता	दैनिक केसरी

1	2	3
	श्रीनगर	
125.	श्री सोफीगुलाम मोहम्मद, सम्पादक	श्रीनगर टाइम्स
	त्रिवेन्द्रम	
126.	श्री के. उन्नीकृष्णन, ब्यूरो चीफ	जन्म भूमि
127.	श्री एम. सुकमारण मणी, सम्पादक	कोमुदी विकली
	विजयवाड़ा	
128.	श्री के.बी.जी. तिलक	स्वर्णधारा
	कटक	
129.	श्री मनोरमा महा पात्र	समाज
130.	सुश्री सौभाग्य सौन्दर्य	प्रजातंत्र
	स्वतंत्र संवाददाता	
131.	श्री सीसील विक्टर	
132.	श्री चर्तुभुज मिश्रा	
133.	श्री डी.के. भारद्वाज	
134.	श्री देवेन्द्र उपाध्याय	
135.	श्री दिनकर शुक्ला	
136.	श्री गोपाल मिश्रा	
137.	श्री हरिहर स्वरूप	
138.	श्री हरमिन्द्र कौर	
139.	श्री जे.वी. श्लैषटीन	
140.	श्री के.जी. जोगलेकर	
141.	श्री ललीत किशोर रेयजादा	
142.	श्री ललीत सेठी	
143.	श्री प्रेम कुमार	
144.	श्री पी.के. वरदराजन	
145.	श्री राधा नाथा चतुर्वेदी	
146.	श्री रघुनाथ सिंह	

1	2	3
147.	श्री राजेश शर्मा	
148.	श्री एस. सेतुराम	
149.	श्री शिवाजी सरकार	
150.	सुश्री स्नेहलता भाटिया	
151.	श्री तारा शंकर सहाय	
152.	सुश्री विचित्रा शर्मा	
153.	श्री अरबिन्दो घोष	
154.	श्री बी.एस. पद्मनाभन	
155.	श्री ए.के. भारद्वाज	
156.	सुश्री राधा विश्वनाथ	
157.	श्री एस.के.टी. निरंजन	
158.	श्री गोपाल मिश्र	
159.	श्री सी.बी. कौल	
160.	श्री डी.पी. दासगुप्ता	
161.	श्री अरबिन्दो घोष	
	टी.वी. संगठन	
162.	ईनादु टी.वी.	
163.	श्री सौमित पांडे	जी.टी.वी.
164.	श्री दिलीप के. सिंह	जैन टी.वी.
165.	श्री पी.डी. रामकृष्णन	सन टी.वी.
166.	श्री जे.के. कौल	दूरदर्शन न्यूज
167.	श्री पी.एम. नारायणन	कैराली टी.वी.
168.	श्री दिनेश आर.	कैराली टी.वी.
169.	श्री रवि गौतम	दुरदर्शन न्यूज रोजाना
170.	श्री उन्नी बालाकृष्णन	एशिया गेट

1	2	3
171.	श्री ओंकार सिंह	रेडिफ काम
172.	श्री शक्ति शरण सिंह	मार्किट मंत्र
	सरकारी मीडिया	
173.	सुश्री सुरिन्दर कौर, महानिदेशक	डी.ए.वी.पी.
174.	श्री पी.ए. भटनागर, निदेशक	आर.आर.टी.
175.	श्री जी.डी. बेलिया,	रजिस्ट्रार, न्यूज पेपर ऑफ इंडिया
176.	श्री सुभाष सेतिया, संयुक्त निदेशक	प्रकाशन प्रभाग
177.	श्री एन.एस. मरूद, अपर महानिदेशक (न्यूज)	आकाशवाणी
178.	डा. अशोक त्रिपाठी, उप नियंत्रक (प्रोग्राम)	दूरदर्शन

'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम

333. **मोहम्मद शहाबुद्दीनः**
डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम और "भूखे लोगों के लिए खाद्यान्न" कार्यक्रम को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा सभी राज्यों में योजना के लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों ने इस कार्यक्रम को लागू करने में अनिच्छा जाहिर की है जब तक कि इस कार्यक्रम में अंतर्ग्रस्त लागत का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा नहीं कर लिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) जी नहीं। गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा नामक 8 सूखा प्रभावित राज्यों में ग्रामीण गरीबों को मजदूरी के एक भाग के रूप में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए जनवरी, 2001 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। उत्तरांचल को छोड़कर सभी राज्यों ने खाद्यान्न उठा लिया था। बाद में काम के बदले अनाज कार्यक्रम को बाढ़, भूकम्प आदि जैसी अन्य आपदाओं को कवर करने के लिए भी शुरू किया गया। इसके पश्चात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और केरल को भी प्रभावित राज्यों की सूची में जोड़ा गया। इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त करने वाले 11 राज्यों को आवंटित खाद्यान्न की मात्रा 28.63 लाख टन है। इसमें से 22.45 लाख टन अनाज ग्रामीण गरीबों में मजदूरी के एक भाग के रूप में वितरित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठा लिया गया है। उठाए गए खाद्यान्न का प्रतिशत 78.44 है और वितरित किए गए खाद्यान्न का प्रतिशत 60.28 है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी नहीं, जहां तक उड़ीसा राज्य का संबंध है इसने आबंटित किए गए 2.50 लाख टन खाद्यान्न में से 2.46 लाख टन खाद्यान्न उठा लिया है। उठाए गए खाद्यान्न का प्रतिशत 98.57 प्रतिशत है। राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन विवरण के अनुसार सितम्बर, 2001 तक मजदूरी के भाग के रूप में 1.29 लाख टन खाद्यान्न वितरित कर दिया गया है।

विवरण

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार जारी किया गया/आवंटित किया गया और उठाया गया खाद्यान्न तथा भुगतान

क्र.सं.	राज्य का नाम	2000-01 आवंटित/ जारी किया गया खाद्यान्न (टन में)	2001-02 आवंटित/ जारी किया गया खाद्यान्न* (टन में)	कुल (3+4) (टन में)	उठाया गया ऑफ टैक खाद्यान्न (टन में)	वितरित खाद्यान्न (टन में)	जारी राशि	जि.ग्रा.वि. ए. द्वारा भा. खाद्य नि. को किया गया भुगतान	सृजित श्रमदिन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0	600000	600000	381937	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
2.	बिहार	0	100000	100000	2023	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
3.	छत्तीसगढ़	207000	419007	626007	581800	505507	11695.50	116.52	462.32
4.	गुजरात	90000	58105	148105	136149	83496	4035.00	4028.00	1585.20
5.	हिमाचल प्रदेश	11549	0	11549	9936	2103	652.52	एनआर	5.45
6.	कर्नाटक	0	100000	100000	75146	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
7.	केरल	0	5000	5000	5000	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
8.	मध्य प्रदेश	63079	169840	232919	211112	176090	2918.96	1703.57	एनआर
9.	महाराष्ट्र	10000	40000	50000	35780	16625	445.00	एनआर	67.59
10.	उड़ीसा	100000	150000	250000	246425	129579	5350.00	5350.00	242.38
11.	राजस्थान	118145	621360	739505	560560	440490	13203.02	12486.93	250.63
	कुल	599773	2263312	2863085	2245868	1353890	38300	23685	2613.57

*छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अनुरोध पर छत्तीसगढ़ राज्य को 2,00,000 टन चावल के एवज में 2,98,507 टन धान आवंटित किया गया था।

एन.आर. : सूचित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

आतंकवादी संगठनों की बैंकों में जमा धनराशि

334. **श्री दिनेश चन्द्र यादव:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवादी संगठन 'उल्फा' ने बांग्लादेश और अमेरिका के बैंकों में लगभग 400 करोड़ रुपये की धनराशि जमा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) किन-किन देशों और बैंकों ने उक्त धन राशि जमा की है;

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने का कोई प्रयास किया है कि उक्त धनराशि का प्रयोग देश में आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं हो; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एन.डी.एम.सी. द्वारा हैरिटेज इमारतों को अधिसूचित करना

335. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री राम प्रसाद सिंह:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) द्वारा अपने क्षेत्रों में हैरिटेज इमारतों के रूप में अब तक अधिसूचित की गई इमारतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि 1920 में निर्मित स्वर्गीय दीवान चंद्र ट्रस्ट हाउस 2 जैन मंदिर मार्ग, नई दिल्ली को भी हैरिटेज इमारत के रूप में घोषित किया गया है और अब ट्रस्ट द्वारा संबंधित प्राधिकारियों से कोई अनुमति लिए बिना इसे ध्वंस किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले में हस्तक्षेप करने और अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई भूमि पर कब्जा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् ने अपने क्षेत्र में जिन भवनों को "विरासत भवन" के रूप में विनिर्दिष्ट किया है, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् ने बताया है कि उक्त भवन "विरासत भवनों" की सूची में शामिल हैं और पार्टी ने अनुमति लिए बिना संरचना को गिरा दिया है।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् ने इस संबंध में पार्टी को एक नोटिस दिया है।

(घ) और (ङ) पट्टेदार के अनुरोध पर और सरकार की दिनांक 28.6.99 की नीति के अनुसार यह संपत्ति पहले ही दिनांक 3.12.1999 को लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड में परिवर्तित कर दी गई थी। इस प्रकार पट्टेदार संपत्ति का मालिक बन गया है अतः भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा इस संपत्ति का कब्जा लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के क्षेत्राधिकार में आने वाले हैरिटेज भवनों की सूची

क्र.सं.	भवन का नाम	क्षेत्र
1	2	3
1.	गेट वे	पचकुइयां रोड वेस्ट आफ पालिका पैलेस
2.	हसन रसुल नुमा की दरगाह	पचकुइयां रोड वेस्ट आफ पालिका पैलेस
3.	मस्जिद	दरगाह कॉम पचकुईयां रोड
4.	मस्जिद	रामकृष्ण आश्रम मार्ग
5.	बंगला साहिब गुरुद्वारा	अशोका रोड
6.	जैन हैप्पी स्कूल	शहीद भगत सिंह मार्ग
7.	छोटा मंदिर	जैन मंदिर मार्ग
8.	बड़ा मंदिर	जैन मंदिर मार्ग
9.	हनुमान मंदिर	बाबा खड़क सिंह मार्ग
10.	मंदिर	जन्तर-मंतर के पास

1	2	3
11.	एम्बैंकमेन्ट	तालकटोरा गार्डन
12.	मस्जिद रकाबगंज	चर्च लेन
13.	रकाबगंज गुरुद्वारा	चर्च लेन
14.	सुनहरी मस्जिद	सुनहरी बाग रोड
15.	मस्जिद जबातागंज	मानसिंह रोड
16.	गेटवे	बी.के. दत्त कालोनी
17.	मस्जिद	दरगाह शाही मर्दान, बी.के. दत्त कालोनी
18.	लाल मस्जिद	दरगाह शाही मर्दान, बी.के. दत्त कालोनी
19.	गेटवे	दरगाह शाही मर्दान, बी.के. दत्त कालोनी
20.	कदम शरीफ	दरगाह शाही मर्दान, बी.के. दत्त कालोनी
21.	मजलिस खाना	दरगाह शाही मर्दान, बी.के. दत्त कालोनी
22.	बीबी का राजा	दरगाह शाही मर्दान, बी.के. दत्त कालोनी
23.	मस्जिद	दरगाह शाही मर्दान, बी.के. दत्त कालोनी
24.	गेटवे	दरगाह शाही मर्दान, बी.के. दत्त कालोनी
25.	आरिफ अली शाह का मकबरा	दरगाह शाही मर्दान, बी.के. दत्त कालोनी
26.	मस्जिद	कर्बला जोर बाग
27.	कर्बला	जोर बाग
28.	दरगाह	ने. स्पो. क्लब के दक्षिण में
29.	मस्जिद मजीदिया	औरंगजेब रोड़
30.	बाग वाली मस्जिद	पंडारा रोड
31.	मस्जिद	काका नगर
32.	गेटवे लाल बंगला	दिल्ली गोल्फ क्लब, काका नगर के सामने
33.	मकबरा	दिल्ली गोल्फ क्लब, काका नगर के सामने
34.	प्लेंथ	दिल्ली गोल्फ क्लब
35.	मस्जिद	दिल्ली गोल्फ क्लब
36.	गेटवे	ओबरोय होटल के प्रवेश द्वार पर

1	2	3
37.	मकबरा	ओबरोय होटल के पूर्व में
38.	मस्जिद	अंध विद्यालय लोधी रोड
39.	मस्जिद	रेस कोर्स
40.	महखानम का मकबरा	कर्बला जोर बाग
41.	मस्जिद	लोधी गार्डन
42.	सेंट थॉमस स्कूल	मंदिर मार्ग
43.	सेंट थॉमस चर्च	मंदिर मार्ग
44.	पुलिस स्टेशन	मंदिर मार्ग
45.	एन.पी. ब्याज सीनियर सेकेंडरी स्कूल	मंदिर मार्ग
46.	लक्ष्मी नारायण मंदिर	मंदिर मार्ग
47.	गोल मार्केट	शहीद भगत सिंह मार्ग
48.	गोल डाकखाना	बाबा खड़क सिंह मार्ग
49.	सेक्रेट हार्ट कैथेड्रल	अशोका रोड
50.	सेंट कोलम्बस स्कूल	अशोका रोड
51.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज	शहीद भगत सिंह मार्ग
52.	मेमोरियल कैनोपी	लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज
53.	लाल दीवानचंद ट्रस्ट हाउस	जैन मंदिर रोड
54.	बर्मन निवास	जैन मंदिर रोड
55.	रीगल रिबोली बिल्डिंग	कर्नास सर्कस
56.	कनॉट प्लेस	कनॉट प्लेस
57.	फ्री चर्च	संसद मार्ग
58.	पुलिस स्टेशन	संसद मार्ग
59.	सरदार बल्लभ भाई पटेल स्मारक ट्रस्ट बिल्डिंग	जन्तर-मंतर रोड
60.	केरल हाऊस	जन्तर-मन्तर रोड
61.	गेटवे ऑफ बिल्डिंग	जनपथ तथा जन्तर-मन्तर रोड
62.	फ्री मेजन्स हॉल	जनपथ

1	2	3
63.	इम्पीरियल होटल	जनपथ
64.	केन्द्रीय टेलीग्राफ कार्यालय	जनपथ
65.	वेस्टर्न कोर्ट	जनपथ
66.	ई.सी.ई. हाऊस	कनॉस सर्कस, के.जी.मार्ग
67.	सिंधिया हाऊस	कनॉस सर्कस
68.	मिन्टो ब्रिज	कनॉस प्लेस के पास
69.	मार्डन स्कूल	बाराखम्भा रोड
70.	नेपाल दूतावास	मंडी हाऊस
71.	बहावलपुर हाऊस	सिकन्दरा रोड
72.	लेडी इर्विन कालेज	सिकन्दरा रोड
73.	डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल	बाबा खड़ग सिंह मार्ग
74.	कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडैंपशन	चर्च रोड
75.	राष्ट्रपति भवन	प्रेसिडेन्ट्स एस्टेट
76.	जयपुर कॉलम	राष्ट्रपति भवन के सामने
77.	डॉमिनियन कॉलम	नार्थ और साउथ ब्लाक के बीच राजपथ
78.	नार्थ और साऊथ ब्लॉक	लूटियन्स नई दिल्ली
79.	संसद भवन	संसद मार्ग
80.	ऑल इंडिया रेडियो बिल्डिंग	संसद मार्ग
81.	राष्ट्रीय अभिलेखागार	जनपथ
82.	सैन्ट्रल स्कूल	फिरोजशाह रोड
83.	त्रावनकोर हाऊस	कस्तूरबा गांधी मार्ग
84.	लेडी इर्विन सीनियर सेकेंडरी स्कूल	केनिंग रोड
85.	फरीदकोट हाऊस	कॉपरनिकस मार्ग
86.	टेहरी गढ़वाल हाऊस	भगवान दास रोड
87.	इंडिया गेट	सेन्ट्रल विस्ता
88.	इंडिया गेट कैनपी	सी-हैक्सागन
89.	हैदराबाद हाऊस	इंडिया गेट सर्कल
90.	बड़ौदा हाऊस	इंडिया गेट सर्कल
91.	पटियाला हाऊस (दिल्ली न्यायालय)	इंडिया गेट सर्कल

1	2	3
92.	नेशनल स्टेडियम	सेन्ट्रल विस्ता का पूर्वी भाग
93.	जयपुर हाऊस	इंडिया गेट सर्कल
94.	बिकानेर हाऊस	इंडिया गेट सर्कल
95.	त्रिमूर्ति प्रतिमाएं	तीन मूर्ति मार्ग
96.	त्रिमूर्ति हाऊस	तीन मूर्ति मार्ग
97.	कश्मीर हाऊस	राजाजी मार्ग
98.	इंदिरागांधी मेमोरियल	सफदर जंग रोड
99.	जिमखाना क्लब	सफदर जंग रोड
100.	उप-राष्ट्रपति भवन	मोतीलाल नेहरू प्लेस
101.	गांधी सदन समिति	तीस-जनवरी मार्ग
102.	हंगेरियन कल्चरल सेंटर	जनपथ
103.	पुलिस स्टेशन	तुगलक रोड
104.	नेवल आफिसर्स मेस	शाहजहाँ रोड
105.	जेसलमेर हाऊस	मानसिंह रोड
106.	दरभंगा हाऊस	मानसिंह रोड
107.	पटानी हाऊस	मानसिंह रोड
108.	कपूरथला हाऊस	मानसिंह रोड
109.	नई दिल्ली सेमेटरी	पृथ्वीराज रोड
110.	कश्मीर हाऊस	पृथ्वीराज रोड
111.	सूजान सिंह पार्क	सुब्रमण्य भारती मार्ग
112.	ब्रिज	कमाल अतातुर्क रोड

[हिन्दी]

पुलिसकर्मियों के विरुद्ध शिकायतें

336. श्री रामदास आठवले: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक दिल्ली पुलिस और केन्द्र सरकार को जन प्रतिनिधियों और नागरिकों की ओर से विभिन्न पुलिस जिलों, विशेषकर मध्य जिला पुलिस के थाना प्रभारियों/निरीक्षकों/उप-निरीक्षकों और अन्य पुलिसकर्मियों से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) दिल्ली पुलिस की सतर्कता शाखा द्वारा कितने मामलों की छानबीन की गई है; और

(ग) छानबीन के बाद उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई अथवा की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष	दिल्ली पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	केन्द्रीय जिला के दिल्ली पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें	सतर्कता शाखा द्वारा की गई जांच-पड़ताल	सिद्ध मामले	जिला द्वारा की गई जांच-पड़ताल	सिद्ध मामले	सिद्ध शिकायतों की कुल संख्या	की गई कार्रवाई				
								चेतावनी	कारण बताओ नोटिस	विभागीय जांच	संदिग्ध सत्यनिष्ठा सूची में रखे गए	दर्ज किए गए आपराधिक मामले
1998	2735	224	283	63	2452	2	65	7	19	33	5	1
1999	2981	290	391	92	2590	16	108	36	30	30	9	3
2000	2861	241	374	78	2487	24	102	14	35	36	12	5
2001 (31.10.2001)	2727	247	241	37	2486	8	45	5	18	11	9	2

[अनुवाद]

भरतपुर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत घोषित करना

337. **श्री बहादुर सिंह:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राजस्थान में भरतपुर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत घोषित किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा भरतपुर में उपलब्ध करायी गई सुविधाओं और इसके विकास हेतु स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासी बच्चों की शिक्षा

338. **श्रीमती कुमुदिनी पटनायक:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार आवासीय सेवाश्रमों और आश्रम स्कूलों में आदिवासी बच्चों की शिक्षा पर होने वाले सभी शैक्षणिक व्यय का वहन करने और जनजातीय क्षेत्रों और दूर-दूर फैले आदिवासी क्षेत्रों, दोनों में मैट्रिक पूर्व स्तर तक की कुल वृत्ति को भी वहन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) आवासी सेवाश्रम के नाम की कोई योजना नहीं है। तथापि, आश्रम स्कूलों की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चल रही है जिसमें राज्य सरकारों को निर्माण लागत की दिशा में 50% सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में वृत्ति (स्टाइपेंड) का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

देश में बीसा अवधि समाप्त होने के बाद रह रहे विदेशी नागरिक

339. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्रीमती शीला गौतम:
श्री शीशराम सिंह रवि:
श्री रामदास रूपला गावीत:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में बीसा की वैधता अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी रह रहे विदेशी नागरिकों की राज्यवार और देशवार संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा उनकी पहचान करने और उन्हें अपने संबंधित देश वापस भेजने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के अधीन, निर्धारित वीजा अवधि की समाप्ति के बाद भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करने, पता लगाने और उन्हें वापस भेजने की केन्द्र सरकार की शक्तियां, राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्यायोजित की गई हैं और इस संबंध में कोई भी आंकड़े केन्द्र स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। भारत में अवैध रूप से रह रहे ऐसे विदेशियों की पहचान करने तथा देश से वापिस भेजने के प्रयासों को तेज करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी किए गए हैं/दोहराये गए हैं।

[अनुवाद]

युद्ध विरोधी पर्चों का वितरण

340. **श्री मोइनुल हसन:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में दिल्ली में कुछ छात्रों को युद्ध-विरोधी पर्चों को बांटने और कुछ पर्चों को चिपकाने की योजना बनाते समय गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में डेमोक्रेटिक स्टूडेन्ट्स आर्गनाइजेशन और अखिल भारतीय जन प्रतिरोध मंच शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) 8 अक्तूबर, 2001 को डेमोक्रेटिक स्टूडेण्ट्स आर्गनाइजेशन के छः कार्यकर्त्ताओं को उस समय गिरफ्तार किया गया जब उन्हें पूर्वोत्तर जिले के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले के विरुद्ध परचों का वितरण करते हुए पाया गया। उन्हें बाद में न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया। 18 अक्तूबर, 2001 को एक अन्य घटना में, इसी संगठन के तीन अन्य कार्यकर्त्ताओं को श्याम लाल कॉलेज के मुख्य द्वार पर पर्चे और इश्तेहारों का वितरण करने के लिए दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत लगभग आठ घंटे तक निरुद्ध किया गया।

(ग) और (घ) डेमोक्रेटिक स्टूडेण्ट्स आर्गेनाइजेशन और अखिल जल प्रतिरोध मंच की तरफ से कोई भी राष्ट्रविरोधी गतिविधि सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

[हिन्दी]

ऐतिहासिक महत्व वाले नगरों/शहरों का सौन्दर्यकरण

341. **श्रीमती जस कौर मीणा:**
श्री चिन्मयानन्द स्वामी:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐतिहासिक महत्व वाले कुछ नगरों/शहरों के सौन्दर्यकरण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन नगरों/शहरों के सौन्दर्यकरण हेतु कितनी धनराशि आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है और उक्त नगरों/शहरों के नाम क्या हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों के पुनरुद्धार" के लिए एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम का खाका तैयार किया जा रहा है। स्कीम अभी भी योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की जानी है। योजना आयोग द्वारा स्कीम को अनुमोदित किये जाने के बाद ही स्कीम के ब्यौरे पता चलेंगे।

आपदा प्रबंधन का स्थानांतरण

342. **डा. जसवंतसिंह यादव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आपदा प्रबंधन को कृषि मंत्रालय से गृह मंत्रालय स्थानांतरित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) आंतरिक सुरक्षा पर मंत्रियों के ग्रुप ने, अन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिश की है कि यह आवश्यक है कि चक्रवात, बाढ़, भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए समुचित कार्यविधियां, संरचना आदि शीघ्रता से उपयोग में लाएं जाएं। मंत्रियों के ग्रुप ने यह भी सिफारिश की है कि चूंकि आपदा प्रबंधन में एक या अधिक स्थानीय प्राधिकरणों से संपर्क साधना

होता है तथा प्राय: केन्द्रीय पुलिस संगठनों, कानून एवं व्यवस्था तंत्र आदि का हस्तक्षेप अपेक्षित होता है, इसलिए इस विषय को, सूखा राहत एवं अकाल को छोड़कर जिन्हें कृषि मंत्रालय ही संभालता रहे, कृषि मंत्रालय से गृह मंत्रालय को अंतरित करना उपयुक्त होगा।

सूखा राहत एवं अकाल को छोड़कर आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्य कृषि मंत्रालय से गृह मंत्रालय को अंतरित करने के तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा तकनीकी संस्थाओं का अनुमोदन

343. **श्री राजो सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) आज की स्थिति के अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेजों द्वारा अनुमोदन हेतु राज्य-वार कितने आवेदन-पत्र अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) के पास लम्बित हैं;

(ख) अनुमोदन प्रदान करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) आवेदन-पत्रों की शीघ्र मंजूरी हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं;

(घ) क्या तकनीकी संस्थाओं तथा कालेजों को अनुमति प्रदान करने हेतु ए.आई.सी.टी.ई. की प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु कोई कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इंजीनियरी कालेजों के लिए अनुमोदन प्रदान करने हेतु कोई आवेदन उनके पास लम्बित नहीं है क्योंकि शैक्षिक वर्ष 2001-2002 तक ऐसे सभी मामलों में निर्णय ले लिए गए हैं और सभी संबंधितों को अवगत करा दिया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् आवेदन करने की प्रक्रिया और तकनीकी संस्थानों को अनुमोदन प्रदान करने की क्रियाविधि पहले ही अधिसूचित कर चुकी है। इस समय परिषद् अधिसूचित क्रियाविधि में किसी प्रकार का परिवर्तन करने पर विचार नहीं कर रही है।

[अनुवाद]

हरकत-उल-मुजाहिद्दीन के आतंकवादियों का आत्मसमर्पण

344. **श्रीमती रेणूका चौधरी**
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरकत-उल-मुजाहिद्दीन के अनेक आतंकवादियों ने असम में आत्म-समर्पण किया है और हथियार डाले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा असम और जम्मू-कश्मीर के आतंकवादी संगठनों के गुमराह युवकों के समर्पण हेतु कोई विशेष प्रयत्न किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मेगा सिटी प्रोजेक्ट

345. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को मंजूरी हेतु कुछ मेगा सिटी प्रोजेक्ट भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार और परियोजना-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जी नहीं। केन्द्र सरकार को मेगा सिटी स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों से कोई परियोजनाएं प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि परियोजनाएं संबंधित राज्य स्तरीय स्वीकृति समितियों द्वारा स्वीकृत की जाती है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा पांच मेगा शहरों को जारी राशियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

मेगा शहरों में (मेगा सिटी स्कीम) अवस्थापना विकास के लिए केन्द्र प्रवर्तित स्कीम

पिछले तीन वर्षों में जारी केन्द्रीय राशि

(करोड़ रु. में)

मेगा शहर का नाम		जारी केन्द्रीय राशि (करोड़ रुपये में)
मुम्बई	1998-99	17.39
	1999-2000	19.40
	2000-01	20.08
	2001-02	जारी नहीं
कोलकाता	1998-99	16.23
	1999-2000	16.78
	2000-01	19.09
	2001-02	20.02
चेन्नई	1998-99	13.78
	1999-2000	14.15
	2000-01	16.10
	2001-02	16.90
हैदराबाद	1998-99	13.90
	1999-2000	15.66
	2000-01	16.22
	2001-02	9.39
बंगलौर	1998-99	13.55
	1999-2000	13.91
	2000-01	13.68
	2001-02	16.62

[हिन्दी]

राजस्थान में कपार्ट द्वारा प्रारम्भ की गई परियोजनाएं

346. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान चालू वर्ष में राजस्थान में कपार्ट को प्राप्त हुई तथा उसके द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसी परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों को परियोजना-वार कितनी निधियां आबंटित/जारी की गई;

(ग) शेष परियोजनाओं को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है;

(घ) राज्य में इन परियोजनाओं को लागू करने वाली एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्य में उक्त अवधि के दौरान कापार्ट द्वारा क्या उपलब्धियां हासिल की गई;

(च) क्या सरकार इन उपलब्धियों से संतुष्ट है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

गुजरात में समेकित अशक्त बाल शिक्षा योजना (आई.ई.डी.सी.)

347. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में समेकित अशक्त बाल शिक्षा (आई.ई.डी.सी.) योजना के अंतर्गत कितने स्कूलों को शामिल किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु गुजरात के लिए कितनी राशि स्वीकृत और जारी की गई;

(ग) राज्य द्वारा राशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(घ) निःशुल्क शिक्षा किस आयु तक दी जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की योजना के तहत गुजरात में 8026 स्कूलों को शामिल किया गया है।

(ख) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान राज्य को क्रमशः 323.44 लाख रु., 337.62 लाख रु. तथा 335.44 लाख रु. दिये गये हैं।

(ग) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान दी गई निधियों को छोड़कर पिछले वर्षों में दी गई संपूर्ण राशि को जिस उद्देश्य के लिए जारी किया गया था, को राज्य सरकार द्वारा उपयोग कर लिया गया है। इस योजना के तहत 54 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान की गई है और 22098 विकलांग बच्चे अब तक लाभान्वित हुए हैं।

(घ) विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अनुसार उपयुक्त सरकारें तथा स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विकलांग बच्चे को अट्ठारह वर्ष की उम्र होने तक उपयुक्त माहौल में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

348. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री एन.टी. षणमुगम:
श्री प्रभात सामन्तराय:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य सरकारों से स्पष्टीकरण न मिलने के कारण स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन से संबंधित कितने मामले राज्य-वार लंबित पड़े हैं;

(ख) समय के रहते आवेदन करने वाले वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन जारी करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्यविधि अपनाई गई है;

(ग) क्या सरकार ने देश में स्वतंत्रता सेनानियों की सूची का नवीकरण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या स्वतंत्रता सेनानी पेंशन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) राज्य सरकारों से स्पष्टीकरण के अभाव में लंबित मामलों की स्थिति निम्नानुसार है:-

दिल्ली	2
हरियाणा	5
हिमाचल प्रदेश	4
जम्मू और कश्मीर	4
केरल	10
पंजाब	11
राजस्थान	5
उत्तर प्रदेश	18

(ख) उन व्यक्तियों, जो स्वयं को सम्मान पेंशन का पात्र समझते हैं, से अपेक्षा की जाती हैं कि वे निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर दो प्रतियों में, आवेदन करें। विधिवत रूप से भरा गया तथा यातना भोगने के दावे के प्रमाण के रूप में अपेक्षित दस्तावेजों से समर्थित एक प्रपत्र संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के मुख्य सचिव को भेजा जाना चाहिए तथा दूसरी प्रति गृह मंत्रालय के स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग को प्रस्तुत की जानी चाहिए। राज्य का सत्यापन तथा पेंशन के लिए हकदारिता की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवेदक के दावे की छानबीन की जाती है तथा उपयुक्त पाए जाने पर नीति निदेशक सिद्धान्तों के अनुसार पेंशन प्रदान की जाती है। उन मामलों में, जिनमें पेंशन मंजूर कर दी जाती है आदेशों की प्रतियां गृह मंत्रालय के वेतन एवं लेखा अधिकारी, संबंधित राज्य सरकार के मुख्य सचिव, जिला मजिस्ट्रेट तथा आवेदक को भेजी जाती है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान्।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

निजी शिक्षण संस्थाओं को खेलों के लिए अनुदान

349. **श्री एन.टी. षणमुगम:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों के निजी क्षेत्र के सेकेंडरी/सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को खेल के मैदनों का विकास करने तथा उपभोज्य/गैर-उपभोज्य खेल के उपकरणों की खरीद करने के लिए अनुदान प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक तमिलनाडु क्षेत्र में इस अनुदान से कितने स्कूलों को लाभ हुआ है;

(ग) क्या ऐसे निजी क्षेत्र के स्कूलों से प्राप्त कोई अभ्यावेदन सरकार की मंजूरी के लिए लम्बित पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, हां।

(ख) सहायता-प्राप्त स्कूलों की संख्या से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार है:-

वर्ष	सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या	
	सरकारी	निजी
1998-99	8	1
1999-2000	10	1
2000-2001	76	1
2001-2002 (10.11.2001 तक)	66	5

(ग) जी, हां।

(घ) चूंकि वर्ष 2001-2002 के दौरान, इस योजना के लिए 2.00 करोड़ रुपये का बजट आबंटन लगभग समाप्त हो चुका है, वर्ष 2002-2003 के दौरान तीन निजी स्कूलों के लंबित प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीण विकास हेतु नई योजनाएं

350. **श्री साहिब सिंह:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के उद्देश्यों का योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन योजनाओं के अंतर्गत आज तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी निधियां आबंटित की गई और कितनी उपलब्धियां हासिल की गई;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं;

(घ) क्या गैर-सरकारी संगठन इन योजनाओं में भाग ले सकते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो किस प्रकार से और इस संबंध में पूर्ण ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई योजनाओं के योजनावार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

(1) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना: यह योजना 25.9.2001 से आरंभ की गई है और इसके उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ स्वरूप की सामुदायिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिसंपत्तियों के सृजन और आधारभूत ढांचे के विकास के साथ-साथ इन क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार तथा खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

(2) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: यह योजना 25.12.2000 से आरंभ की गई है और इसका उद्देश्य 500 से अधिक की जनसंख्या वाली सभी ग्रामीण बसावटों को वर्ष 2007 तक बारहमासी सड़कों से जोड़ना है।

(ख) और (ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान एस जी आर वाई के अंतर्गत तथा वर्ष 2000-02 के दौरान पी एम जी एस वाई के अंतर्गत आबंटित कुल निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं। एस जी आर वाई के अंतर्गत उपलब्धि का मूल्यांकन नहीं किया गया है क्योंकि योजना हाल ही में शुरू की गई है। पी एम जी एस वाई के अंतर्गत केन्द्र द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन योजनाओं के उचित कार्यान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिये गये हैं। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने कार्य शुरू कर दिया है।

(घ) और (ङ) इन योजनाओं में गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

विवरण

2001-02 के दौरान निधियों का राज्यवार आवंटन

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एस.जी.आर.वाई. (2001-02)			पी.एम.जी.वाई.
		नगद निधियां	खाद्यान्नों के लिए निधियां	कुल	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	13270.26	13286.01	26556.27	38000.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	692.28	692.00	1384.28	7000.00
3.	असम	17987.95	17988.00	35975.95	15000.00
4.	बिहार	26573.47	26605.00	53178.47	30000.00
5.	छत्तीसगढ़	7489.23	7498.12	14987.34	17400.00
6.	गोवा	30.59	30.62	61.21	1000.00
7.	गुजरात	4995.17	5001.10	9996.27	10000.00
8.	हरियाणा	2938.75	2942.24	5880.99	4000.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1237.62	1239.09	2476.70	12000.00
10.	जम्मू व कश्मीर	1531.73	1533.54	3065.27	4000.00
11.	झारखंड	16898.41	16918.46	33816.87	22000.00
12.	कर्नाटक	10020.93	10032.82	20053.75	19000.00
13.	केरल	4496.36	4501.70	8998.06	4000.00
14.	मध्य प्रदेश	14545.53	14562.79	29108.31	42600.00
15.	महाराष्ट्र	19808.93	19832.43	39641.36	26000.00
16.	मणिपुर	1205.89	1206.00	2411.89	8000.00
17.	मेघालय	1351.05	1351.00	2702.05	7000.00
18.	मिजोरम	312.64	313.00	625.64	4000.00
19.	नागालैंड	926.75	927.00	1853.75	4000.00
20.	उड़ीसा	15178.45	15196.46	30374.92	35000.00
21.	पंजाब	1428.20	1429.90	2858.10	5000.00
22.	राजस्थान	7609.23	7618.25	15227.48	26000.00

1	2	3	4	5	6
23.	सिक्किम	346.13	346.00	692.13	4000.00
24.	तमिलनाडु	11733.83	11747.75	23481.59	16000.00
25.	त्रिपुरा	2177.31	2177.00	4354.31	5000.00
26.	उत्तर प्रदेश	44845.96	44899.18	89745.14	63000.00
27.	उत्तरांचल	2995.22	2998.78	5994.00	12000.00
28	पश्चिम बंगाल	16867.82	16887.84	33755.66	27000.00
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	52.94	70.67	123.61	2000.00
30.	दादर व नागर हवेली	52.94	70.67	123.61	1000.00
31.	दमन व दीव	1.76	2.36	4.12	1000.00
32.	लक्षद्वीप	3.53	4.71	8.24	1000.00
33.	पांडिचेरी	67.06	89.52	156.57	1000.00
	अखिल भारत	249673.92	250000.00	499673.92	474000.00

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निधियों में कमी

351. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आबंटन में भारी कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को राज्य सरकारों से योजना के अंतर्गत आबंटन को बहाल करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत केन्द्रीय आबंटन को वर्ष 2000-2001 के 1000.00 करोड़ रुपये से घटाकर चालू वर्ष 2001-2002 में 700 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(ख) और (ग) सिर्फ मध्य प्रदेश से। चूंकि मध्य प्रदेश के अनेक जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों ने अपनी पहली किस्त भी नहीं ली थी। इसलिए उन्हें पूर्व आबंटित निधियों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

खिलाड़ियों की दयनीय स्थिति

352. **श्री अम्बरीश:**
श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री विनय कुमार सोराके:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुत से खिलाड़ी बहुत दयनीय स्थिति में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार ऐसे खिलाड़ियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके कल्याण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ग) सरकार को ऐसे खिलाड़ियों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं है। तथापि, सरकार द्वारा कार्यान्वित खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष की योजना के अंतर्गत,

पेंशन तथा एक मुश्त वित्तीय सहायता उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रदान की जाती है जो दरिद्र अवस्था में रह रहे हैं। फिलहाल इस योजना के अंतर्गत, ऐसे 60 खिलाड़ी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

देश में परती भूमि का उपयोग

353. **श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रत्येक राज्य में पड़ी हुई परती भूमि का उचित रूप से उपयोग नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का देश में परती भूमि के बड़े भाग को उपजाऊ बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (घ) राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेन्सी (एन.आर.एस.ए.), हैदराबाद द्वारा हाल ही में तैयार किए गए "भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस-2001 (वैस्टलैण्ड एटलस ऑफ इंडिया-2001)" के अनुसार यह अनुमान लगाया है कि देश में 63.85 मिलियन हैक्टेयर बंजरभूमि है।

भूमि संसाधन विभाग द्वारा मुख्य रूप से समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत कार्यान्वित किए जा रहे वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के जरिए बंजरभूमि के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य बंजर भूमि और अवक्रमित भूमि को विकसित करना, भूमि अवक्रमण को रोकना, ऐसी भूमि को उत्पादनकारी उपयोग में लाना और बायोमास, विशेषरूप से जलाऊ लकड़ी और चारे की उपलब्धता को बढ़ाना है।

1.4.95 से इन कार्यक्रमों को वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार वाटरशेड पद्धति के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। तब से लेकर समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के तहत 29.24 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए 298 वाटरशेड परियोजनाएं, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के तहत 58.59 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए 11,738 परियोजनाएं और मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के तहत 26.76 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए 5353 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार ये परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। वर्ष 2001-2002 के दौरान विभाग ने मरूभूमि विकास कार्यक्रम के तहत 6.06 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए 1212 परियोजनाएं और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत 10.21 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए 2043 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं और समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 8 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए परियोजनाएं स्वीकृत करने का प्रस्ताव है।

राज्यों में पानी की कमी

354. **श्री प्रकाश वी. पाटील:**
प्रो. दुखा भगत:
राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री लक्ष्मण गिलुवा:
श्री राम टहल चौधरी:
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:
श्री रामजी मांझी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के लिए पीने के पानी की आपूर्ति के संबंध में की गई प्रगति को कम प्रगति माना गया है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर नवगठित राज्यों में पीने के पानी की आपूर्ति हेतु प्रदान की गई वर्तमान सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को पीने के पानी की समस्या के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) उन राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (च) पेयजल आपूर्ति राज्यों का विषय होने के कारण ग्रामीण बसावटों में पेयजल उपलब्ध कराने की योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से कार्यान्वित की जाती है। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के पेयजल आपूर्ति घटक के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध

करवाकर राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। राज्य सरकारों के पास अपनी ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाने, स्वीकृत करने तथा कार्यान्वित करने की शक्तियाँ हैं। इसलिए राज्य सरकारों को पेयजल समस्या के बारे में केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव/योजना मंजूरी हेतु भेजने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई नवीनतम सूचना के अनुसार 16.11.2001 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण बसावटों के कवरेज की स्थिति नीचे दी गई है:

कुल	पूर्णतया कवर की गई (एफ.सी.)	आंशिक रूप से कवर की गई (पी.सी.)	कवर नहीं की गई (एन.सी.)
1422664	1250318	153981	18365

राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

भारत सरकार के राष्ट्रीय एजेंडा में वर्ष 2004 तक देश की सभी ग्रामीण बसावटों में पेयजल आपूर्ति सुविधाएं उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर तैयार की गई वृहत कार्य योजना के अनुसार यदि निधियाँ उपलब्ध हों तो उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है।

तथापि, राज्यों से उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के अनुसार 1.4.1999 को देश में 2,17,211 बसावटें जल गुणवत्ता की समस्या से प्रभावित थी। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II दिये गये हैं। जल गुणवत्ता की समस्या से प्रभावित बसावटों के संबंध में नवीनतम स्थिति के मूल्यांकन की प्रगति का एक नया दो चरणीय सर्वेक्षण जारी है। सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर जल गुणवत्ता की समस्या के स्वरूप का मूल्यांकन किया जा सकेगा।

नवगठित राज्यों को ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु विशेष वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव पेयजल आपूर्ति विभाग में विचाराधीन नहीं है। तथापि, 20.11.2001 की स्थिति के अनुसार इन तीन राज्यों में पूर्णतया कवर की गई, आंशिक रूप से कवर की गई तथा कवर न की गई बसावटों की स्थिति नीचे दी गई है:-

क्रम सं.	राज्य	कुल बसावटें	पूर्ण रूप से कवर की गई	आंशिक रूप से कवर की गई	कवर नहीं की गई
1.	छत्तीसगढ़	50379	50298	75	6
2.	झारखंड	100096	99480	119	497
3.	उत्तरांचल	31008	29711	1108	189

विवरण-I

16.11.2001 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार ग्रामीण बसावटों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कवर न की गई (एन.सी.)	आंशिक रूप से कवर की गई (पी.सी.)	पूर्णतया कवर की गई (एफ.सी.)	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0	17474	52258	69732
2.	अरुणाचल प्रदेश	402	994	2902	4298
3.	असम	769	22098	47802	70669
4.	बिहार	0	0	105340	105340

1	2	3	4	5	6
5.	छत्तीसगढ़	6	75	50298	50379
6.	गोवा	11	46	339	396
7.	गुजरात	155	2096	28018	30269
8.	हरियाणा	0	168	6577	6745
9.	हिमाचल प्रदेश	1376	11111	32880	45367
10.	जम्मू व कश्मीर	2074	3688	5422	11184
11.	झारखंड	497	119	99480	100096
12.	कर्नाटक	8	20746	35928	56682
13.	केरल	804	6957	2002	9763
14.	मध्य प्रदेश	74	0	109415	109489
15.	महाराष्ट्र	2194	25701	58035	85930
16.	मणिपुर	28	347	2416	2791
17.	मेघालय	521	915	7203	8639
18.	मिजोरम	0	525	386	911
19.	नागालैंड	371	585	569	1525
20.	उड़ीसा	32	86	113981	114099
21.	पंजाब	1776	3123	8550	13449
22.	राजस्थान	6680	15591	71675	93946
23.	सिक्किम	0	462	1217	1679
24.	तमिलनाडु	0	2951	63680	66631
25.	त्रिपुरा	287	621	6504	7412
26.	उत्तर प्रदेश	31	98	243504	243633
27.	उत्तरांचल	189	1108	29711	31008
28.	पश्चिम बंगाल	0	15821	63215	79036
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0	141	363	504
30.	दादरा व नागर हवेली	40	241	235	516
31.	दमन व दीव	0	1	31	32
32.	दिल्ली	0	0	219	219
33.	लक्षद्वीप	0	8	2	10
34.	पांडिचेरी	40	84	143	267
35.	चंडीगढ़	0	0	18	18
	अखिल भारत	18365	153981	1250318	1422664

विवरण-II

1.4.99 की स्थिति के अनुसार जल गुणवत्ता की समस्या से प्रभावित बसावटों की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निम्न से प्रभावित बसावटें						
		फलोराइड	खारापन	लौह	संखिया	नाइट्रेट	अन्य कारण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	8301	5518	441	0	0	0	14260
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	7	0	0	0	7
3.	असम	12	0	40972	0	0	0	40984
4.	बिहार	18	0	23514	0	0	0	23532
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	1175	256	0	0	0	0	1431
7.	हरियाणा	131	0	0	0	0	0	131
8.	हिमाचल प्रदेश	738	106	450	0	0	0	1294
9.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	954	1002	483	417	0	0	2856
11.	केरल	115	37	549	0	0	0	701
12.	मध्य प्रदेश	1686	788	3297	2	0	0	5773
13.	महाराष्ट्र	21	480	0	0	0	0	501
14.	मणिपुर	0	0	15	0	0	0	15
15.	मेघालय	0	0	282	0	0	0	282
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	128	0	0	0	128
18.	उड़ीसा	2712	3361	58060	0	0	0	64133
19.	पंजाब	997	776	28	0	0	0	1801
20.	राजस्थान	16560	14415	0	0	0	0	30975
21.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	1835	5219	1000	0	4000	1400	13454
23.	त्रिपुरा	0	0	7283	0	0	0	7283
24.	उत्तर प्रदेश	1667	624	2115	0	0	0	4406

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	पश्चिम बंगाल	52	0	0	3133	0	0	3185
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0	0	29	0	0	0	29
27.	दादरा व नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
28.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0
29.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0
30.	लक्षद्वीप	0	10	0	0	0	0	10
31.	पांडिचेरी	14	5	17	1	3	0	40
32.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
	अखिल भारत	36988	32597	138670	3553	4003	1400	217211

[हिन्दी]

एन.सी.टी.ई. प्रस्तावों का कार्यान्वयन

355. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा 6 जुलाई, 2001 को हुई अपनी आम सभा की बैठक में एन.सी.टी.ई. द्वारा पारित प्रस्तावों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् के शासी निकाय द्वारा दिनांक 16.7.2001 को आयोजित अपनी बैठक में पास किए गए संकल्पों को कार्य रूप देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने निम्नलिखित नियम जारी किए हैं:

(1) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् नियम, 2001 (शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदण्ड एवं मानक)।

(2) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् नियम, 2001 (स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण)।

(3) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद नियम, 2001 (अनापत्ति प्रमाणपत्र) (संशोधन) के विचारार्थ।

(4) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद नियम, 2001 (राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना से पहले विद्यमान संस्थाओं से मान्यता हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया)।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में बारहमासी सड़कें

356. **श्री नरेश पुगलिया:**
श्री कोडीकुन्नील सुरेश:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनजातीय लोग एक गांव में सकेंद्रित नहीं होते बल्कि तितर-बितर होकर रहते हैं;

(ख) क्या 500 से कम आबादी वाले जनजातीय गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल नहीं किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इन गांवों के लिए आबादी की सीमा को 200 तक करने का विचार है ताकि जनजातीय गांवों को भी योजना के अंतर्गत लाभ मिल सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) (क) से (ङ) यद्यपि देशव्यापी स्तर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य 500 से अधिक की जनसंख्या वाली सड़कों से न जुड़ी हुई सभी बसावटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ना है, पर्वतीय राज्यों, मरूस्थलीय क्षेत्रों और जनजातीय (अनुसूची-5) क्षेत्रों के संबंध में 250 और इससे अधिक की जनसंख्या वाली बसावटों को सड़कों से जोड़ने का प्रयास रहेगा।

[हिन्दी]

गरीबों के लिए बड़ी आवास योजना

357. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी:**
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री वाई.वी. राव:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री टी.एम. सेल्वागनपति:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने हाल ही में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों विशेषकर कस्बों और शहरों की मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए आधी कीमत पर एक बड़ी आवास योजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मकानों के आबंटन के क्या तरीके हैं;

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना के कार्यान्वयन हेतु किए गए केन्द्रीय आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार इस योजना के अंतर्गत कितने परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है; और

(च) इस योजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावास नीति में उल्लिखित "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शहरी स्लमों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए आश्रय मुहैया कराने या मौजूदा आश्रय के उन्नयन के लिए "वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना" नामक एक स्कीम शुरू करने का निर्णय लिया है। स्कीम के ब्यौरे उसके दिशानिर्देश एवं प्रक्रिया सहित कालांतर में तैयार कर लिये जाएंगे।

(घ) इस स्कीम को दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि में शामिल किये जाने से पूर्व उसके लिये धन नियतन के प्रयोजन से उसके ब्यौरों पर पुनर्विचार किया जाएगा, ताकि अन्य के साथ-साथ, विभाग द्वारा चलायी जा रही अन्य समान स्कीमों के साथ उसे एकस्थ किया जा सके।

(ङ) और (च) स्कीम के तहत शहरी गरीबों को प्रत्येक वर्ष चार लाख अतिरिक्त मकान मुहैया कराये जाने की संभावना है।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन संबंधी समिति

358. **श्री जयभान सिंह पवैया:**
श्री शिवराजसिंह चौहान:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का स्वतंत्रता सेनानियों के उन अभ्यावेदनों जो राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए थे और केन्द्र सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए थे, पर पुनर्विचार करने हेतु कोई समिति गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) पेंशन प्रदान करने के दावे को अस्वीकृत किए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त होने पर मामले की पुनरीक्षा की जाती है और यदि इसे स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के प्रावधानों के अधीन सही पाया जाता है तो पेंशन स्वीकृत की जाती है।

[अनुवाद]

आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

359. **डा. वी. सरोजा:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित किए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और उन पर वर्षवार कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या व्यय की जाने वाली राशि तथा स्थापित किए गए इन प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या प्रतिवर्ष घटती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) मंजूर किए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या (नए और पुराने) तथा मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार निर्मुक्त राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) केन्द्रों की संख्या तथा खर्च की गई राशि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या पर निर्भर करती है। जो भी प्रस्ताव किसी खास वर्ष में प्राप्त होते हैं उन पर विचार किया जाता है और अनुदान निर्मुक्त किया जाता है। राज्य सरकारों आदि से प्रस्तावों की संख्या स्थानीय कारणों से कुछ वर्षों से कम हो गई है।

(घ) विचार-विमर्श और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं जहां व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने सहित जिला अधिकारी तथा राज्यों के जनजातीय कल्याण विभाग अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के तौर तरीकों का अध्ययन करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1998-99		1999-2000		2000-2001	
		राशि	केन्द्र	राशि	केन्द्र	राशि	केन्द्र
1.	आंध्र प्रदेश	85.57	4	58.06	10	9.63	1
2.	असम	118.345	21	3.61	1	6.35	1
3.	गुजरात	67.5	10	67.5	10	0	0
4.	जम्मू व कश्मीर	9.125	1	0	0	6.18	1
5.	केरल	6.18	2	0	0	0	0
6.	मध्य प्रदेश	109.5	12	24.06	4	17.73	2
7.	मणिपुर	28.4	5	0	0	0	0
8.	मिजोरम	0	0	185.12	2	28.89	3
9.	उड़ीसा	0	0	0	0	64.61	8
10.	तमिलनाडु	16.8	3	0	0	0	0
11.	त्रिपुरा	0	0	0	0	54.00	8
12.	पश्चिम बंगाल	15.65	5	28.92	4	6.02	1
13.	हिमाचल प्रदेश	9.93	5	0	0	0	0
14.	नागालैंड	0	0	3.61	1	38.52	4
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	19.26	2
16.	उत्तर प्रदेश	0	0	3.61	1	0	0
17.	कर्नाटक	0	0	0	0	2.48	1
	कुल	467.00	68	374.48	33	253.67	32

[हिन्दी]

जिला/प्रखंड परिषदों को अधिकार दिया जाना

360. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के पश्चात् जिला और प्रखंड परिषदों के सदस्यों को क्या अधिकार और कर्त्तव्य दिए गए हैं; और

(ख) पंचायत परिषद् में संसद सदस्यों की क्या भूमिका है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) संविधान के अनुच्छेद 243 (छ) में राज्य विधान मंडल को पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों के हस्तांतरण की शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्यों ने पंचायतों को विभिन्न रूपों में शक्तियां प्रदान की हैं जो विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हैं।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 243 ग (3) ग में राज्य विधान मंडल को यह शक्ति दी गई है कि संसद सदस्यों को जिला पंचायतों तथा मध्य स्तरीय पंचायतों में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए प्रावधान करे।

[अनुवाद]

दिल्ली अग्निशमन सेवा

361. श्री रामजी मांझी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली अग्निशमन सेवा को आग लगने आदि से संबंधित कालों के आने पर कितने समय के भीतर कार्यवाही करनी होती है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली अग्निशमन सेवा के पास न्यूयार्क जैसी आपदा का मुकाबला करने के लिए अवसंरचना सुविधा नहीं है; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार दिल्ली में कुल अग्निशमन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान यदि इन केन्द्रों की स्थापना करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो वह क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) दिल्ली अग्निशमन सेवा का अनुक्रिया समय (रिसपोंस टाइम) सामान्यत: शहरी क्षेत्रों में 3-5 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 8-10 मिनट के बीच है।

(ख) दिल्ली अग्निशमन सेवा सामान्य आपाती स्थितियों से निपटने के लिए भली-भांति सुसज्जित है।

(ग) आज की तारीख तक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 36 दमकल केन्द्र हैं। एक अतिरिक्त दमकल केन्द्र चालू वर्ष में कार्य करने लगेगा।

विद्यार्थियों का बोझ कम करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा नया पाठ्यक्रम

362. श्री सुबोध मोहिते: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्यार्थियों का बोझ कम करने के लिए वर्ष 2002-2003 से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किया गया नया पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नए पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तकों में राज्य सरकारों और शिक्षा बोर्डों द्वारा नई विषय पाठ्यचर्चाओं को जोड़ने और हटाने के लिए प्रावधान किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकार और शिक्षा बोर्ड दसवीं और बारहवीं कक्षा स्तर पर ग्रेड प्रणाली को अपनाने के लिए सहमत हो गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार किये गये नये पाठ्यचर्या कार्यढांचे में निहित सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने विस्तृत विषय पाठ्य विवरणिकाएं तैयार की हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने इन नयी पाठ्य विवरणिकाओं की प्रतियां केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को 2002-2003 के शैक्षिक सत्र से चरणबद्ध तरीके से शुरू करने के लिए भेज दी हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार पाठ्य विवरणिका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा राज्य शैक्षिक बोर्डों को भेजी जाती है ताकि संबंधित बोर्ड इन्हें अपना सकें/अनुकूल बना सकें।

(ङ) और (च) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक ऐसी प्रणाली का प्रस्ताव किया है जिसमें अंकों का उल्लेख किये बिना विषयवार ग्रेड देने की व्यवस्था है।

राजधानी में धूल और प्रदूषण

363. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मौसम विज्ञान विभाग को इस बात का पता चला है कि राजधानी में धूल और प्रदूषण का मिश्रण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ङ) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) द्वारा यह पाया गया है कि राजधानी में धूल और प्रदूषण का मिश्रण है। धुंध जिसे कि हम विशेषकर शीत ऋतु में देखते हैं, धूल कण (जो आकार में स्थूल से होते हैं- प्रधानत: शोधित मृदा कण) तथा विभिन्न प्रकार के ईंधनों के दहन उत्पादों जो आकार में शोधित हैं, के कारण होती है। मौसम वैज्ञानिक स्थितियों जिनके तहत उनका उर्ध्वाधर विसरण कमजोर होता है, जैसे उदाहरण के लिए, हल्की हवा या शांति की स्थितियों तथा हवा के एक कि.मी. या ऊपर की ऊंचाई से ऊपर अवतलन के दौरान, जिनकी अन्दरूनी महाद्वीपीय क्षेत्रों जैसे दिल्ली में शीतकाल के दौरान बारंबारता अधिक होती है, के कारण धुंध का सघनीकरण होता है।

धुंध के कारण देखने में परेशानी होती है तथा यदि चारों तरफ प्रदूषण हो तो वायु गुणवक्ता में गिरावट में संबद्ध है। इसका विसरण मुख्यत: यांत्रिक होता है और बदले में वायुमंडल में विक्षुब्ध स्थितियों से युक्त होता है। यद्यपि, दिल्ली में सल्फर डाई आक्साइड (एसओ2) और नाइट्रोजन डाई आक्साइड (एनओ2) के स्तर नेशनल एम्बाएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्डस (एनएएक्यूएस) के अंदर ही थे, श्वसन योग्य सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स (आर.एस.पी.एम.) तथा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एस.पी.एम.) के स्तर दिल्ली में इन मानकों से अधिक थे। दिल्ली में परिवेशी हवा में उच्च धूल प्रदूषण स्तर का मुख्य कारण वाहन से जुड़े प्रदूषण और सड़कों की धूल का विसरण के कारण है।

सरकार ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपचारात्मक उपाय किए हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

(1) दिल्ली में सभी स्टोन क्रशर्स को बंद कर दिया गया है।

(2) दिल्ली में सभी हॉट मिक्स प्लांट्स तथा ईंट भट्टियों को बंद कर दिया गया है।

(3) दिल्ली में बड़ी संख्या में खतरनाक एवं प्रदूषणकारी उद्योगों को बंद कर दिया गया है।

(4) 1.6.99 तथा आगे से केवल उन्हीं निजी (अवाणिज्यिक) वाहनों को पंजीकृत किया जा रहा है जो भारत-I मानदंडों को पूरा करते हैं जो यूरो-II एमिशन मानक के सदृश हैं और 1.4.2000 से निजी (अवाणिज्यिक) वाहनों के लिए भारत स्टेज-II मानदंड लागू किए गए हैं।

(5) 1.4.2000 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अल्ट्रा लो सल्फर ईंधन (0.05% अधिकतम सल्फर) की शुरुआत की गई है।

(6) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पेट्रोल में बैंजीन की मात्रा को 3% से कम कर लगभग 1% कर दिया गया है।

(7) 1.4.2000 से सी.एन.जी. द्वारा चालित वाहनों जैसे ऑटो, टैक्सी आदि की शुरूआत।

(8) 01.01.98 से दिल्ली में शीशा रहित पेट्रोल की शुरूआत।

(9) 01.04.95 से केवल कैटालिटिक कन्वर्टर युक्त चौपहिया (अवाणिज्यिक) वाहनों को पंजीकृत किया जा रहा है।

(10) 01.01.199 से 15 वर्ष से पुराने वाणिज्यिक वाहनों के प्रचालन पर रोक लगा दी गई है।

(11) दिल्ली में चल रही 8 साल से पुरानी डीजल बसों तथा सभी 1990 के पहले के ऑटो एवं टैक्सियों को 01.04.2000 से बंद कर दिया गया है।

(12) दिल्ली में दुपहिया एवं तिपहिया वाहनों को केवल प्रि-मिक्सड (पैट्रोल एवं 2टी तेल) आयल की आपूर्ति शुरू की गई है।

(13) पैट्रोल एवं डीजल वाहनों के लिए वाहन संबंधी अपक्षरण के स्तर, प्रदूषणकारी वाहन की ट्यूनिंग तथा नियंत्रण प्रमाण पत्र के तहत प्रदूषण की जांच के लिए लगभग 425 पैट्रोल पंपों एवं कर्मशालाओं को अधिकृत किया गया है।

(14) सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 28.7.1998 के आदेश द्वारा अनुमोदित "कार्ययोजना सहित दिल्ली में प्रदूषण पर श्वेत पत्र" तथा प्राथमिकता के मुद्दों में सूचीबद्ध कार्य बिन्दुओं के कार्यान्वयन की नियमित मानीटरिंग के लिए "एनवायर्नमेंट पॉल्यूशन (प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल) अथार्टी फार द नेशनल कैपिटल रिजन दिल्ली" का गठन किया गया है।

(15) दिल्ली में सीवेज उपचारण संयंत्रों की स्थापना के लिए एक योजना शुरू की गई है।

"फैक्ट" का कार्यकरण

364. श्री पी.सी. थामस: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में "फैक्ट" के कुल संयंत्रों को बन्द कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उससे कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या "फैक्ट" ने अपने संयंत्रों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कुछ प्रस्ताव किए हैं;

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) "फैक्ट" के आधुनिकीकरण और उसके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) फैक्ट का कोई भी संयंत्र बन्द नहीं किया गया है। तथापि, महत्वपूर्ण उपकरण विफलता के कारण कोचीन डिविजन में यूरिया उत्पादन 10 जुलाई, 2001 से बन्द है। कंपनी ने सूचित किया है कि उन्हें कुछ हानि होने की सम्भावना है जिसकी वास्तविक मात्रा की जानकारी खाता बन्द होने पर होगी। तथापि, वे हानियों को न्यूनतम करने के लिए कार्मियों की तैनाती इत्यादि जैसे उपाय के रूप में सभी प्रयास कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) फैक्ट ने उद्योगमंडल, केरल स्थित अमोनिया प्रतिस्थापन्न परियोजना के संबंध में सरकारी ऋण पर ब्याज के अधित्याग सहित कुछ वित्तीय राहत की मांग करते हुए भारत सरकार को एक प्रस्ताव किया है। सरकार ने फैक्ट को दिए जाने वाले वित्तीय सहायता के एक पैकेज को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। सरकार ने फैक्ट को 1999-2000 के दौरान 35.00 करोड़ रुपये, 2000-2001 के दौरान 40 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता भी उपलब्ध करायी थी और 2001-2002 के दौरान 45 करोड़ रुपये का प्रावधान फैक्ट के कार्यकलापों के सुधार के लिए आवश्यक नवीकरण/प्रतिस्थापन्न, नवीकरण/आधुनिकीकरण और सुधार स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए किया है।

गुजरात में 'कापार्ट' द्वारा पूरी की गई परियोजनाएं

365. श्री जी.जे. जावीया: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में भूकंप के पश्चात् 'कापार्ट' द्वारा पूरी की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन पर कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं की जांच करने के लिए कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए डा. राकेश मोहन समिति की सिफारिशें

366. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा. राकेश मोहन समिति ने देश में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में कतिपय सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कोई नई रणनीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (घ) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने डा. राकेश मोहन, तत्कालीन महानिदेशक, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में अक्तूबर, 1994 में ढांचागत सुविधा परियोजनाओं के व्यवसायीकरण संबंधी एक विशेषज्ञ समूह बनाया

था। उक्त समूह ने जून, 1996 में "द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट" शीर्षक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट के अनुसार शहरी जल आपूर्ति तथा स्वच्छता और संचलन एवं रख-रखाव सहित शहरी ढांचागत सुविधाओं के लिए निधियों की वार्षिक आवश्यकता 1996-2001 की अवधि तक 28,297 करोड़ रु. तथा 2001-2006 की अवधि तक 27,773 करोड़ रु. है। उक्त रिपोर्ट में देश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम संबंधी कोई सिफारिश नहीं है।

समेकित बाल विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

367. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को समेकित बाल विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) क्या इस कार्यक्रम को प्रत्येक राज्य में आरम्भ किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में अभी तक कितने जिले शामिल किए गए हैं;

(घ) क्या यह कार्यक्रम उड़ीसा के प्रत्येक जिले में चलाया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस राज्य के संबंध में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और अभी तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) सूचना का ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) सूचना का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। राज्य में वंचित वर्गों के बच्चों, किशोर लड़कियों तथा गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के सर्वांगीण विकास के लिए समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों में (1998-99 से 2000-01) प्रत्येक वर्ष आई.सी.डी.एस. (सामान्य) के अंतर्गत राज्यों को आबंटित राशि

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य	1999-2000 निर्मुक्त राशि	1999-2000 निर्मुक्त राशि	2000-2001 निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5.
1.	आंध्र प्रदेश	3185.12	5402.87	6229.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	660.57	817.00	681.00
3.	असम	1911.71	2211.00	5070.97
4.	बिहार	3691.13	4918.64	3756.00
5.	गोवा	326.48	284.13	284.13
6.	गुजरात	4788.12	5370.21	3726.01
7.	हरियाणा	2633.07	2754.12	3593.61
8.	हिमाचल प्रदेश	1045.40	1640.09	1764.28
9.	जम्मू व कश्मीर	1431.72	1963.00	2266.00
10.	कर्नाटक	5709.83	5111.35	7466.18
11.	केरल	3120.80	2641.82	3101.90

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	5131.48	4368.00	5590.00
13.	महाराष्ट्र	6792.45	6584.73	6688.62
14.	मणिपुर	846.78	840.48	1254.75
15.	मेघालय	350.60	535.00	664.97
16.	मिजोरम	542.12	535.66	868.85
17.	नागालैंड	1321.37	1245.00	1941.60
18.	उड़ीसा	6641.30	4042.97	6133.71
19.	पंजाब	2382.58	2413.14	3759.46
20.	राजस्थान	3512.19	4197.55	5954.43
21.	सिक्किम	241.96	129.75	156.01
22.	तमिलनाडु	7297.05	10704.77	10286.90
23.	त्रिपुरा	463.68	646.06	630.98
24.	उत्तर प्रदेश	7265.52	11349.00	11519.28
25.	पश्चिम बंगाल	6456.11	6088.00	8047.13
26.	छत्तीसगढ़	-	-	625.61
27.	झारखंड	-	-	865.57
28.	उत्तरांचल	-	-	462.78
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	दिल्ली	1248.18	818.42	808.47
2.	पांडिचेरी	151.82	181.58	154.85
3.	अंडमान व निकोबार	112.26	130.44	107.88
4.	चंडीगढ़	77.71	78.29	88.04
5.	दादरा व नागर हवेली	28.60	26.83	26.83
6.	दमन एवं दीव	28.17	42.00	52.56
7.	लक्षद्वीप	25.20	25.69	25.43
	कुल	79421.08	88097.59	104653.79

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों में (1998-99 से 2000-01) विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस. परियोजना राज्यों को आबंटित राशि

(रुपए करोड़ों में)

क्र.सं.	परियोजना/राज्य	1998-1999	1999-2000	2000-2001	कुल
1.	आई.सी.डी.एस.-II				
	क. बिहार	51.31	39.36	-	90.67
	ख. झारखण्ड	-	-	-	-
	ग. छत्तीसगढ़	-	-	-	-
	घ. मध्य प्रदेश	49.41	34.87	47.12	131.40
	ङ. आन्ध्र प्रदेश	15.50	98.24	20.00	133.74
	कुल (1)	116.22	172.47	67.12	355.81
2.	आई.सी.डी.एस.-III				
	क. केरल	3.20	7.11	10.00	20.31
	ख. महाराष्ट्र	7.40	17.08	7.00	31.48
	ग. राजस्थान	4.00	8.99	15.00	27.99
	घ. तमिलनाडु	3.58	13.03	10.00	26.61
	ङ. उत्तर प्रदेश	5.00	11.51	30.00	46.51
	कुल (II)	23.18	57.72	72.00	152.90
	कुल जोड़ (I+II)	139.40	230.19	139.12	508.71

विवरण-III

उदिशा कार्यक्रम-आई.सी.डी.एस. को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 1998-99 से 2000-01 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित राशि

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	राज्य	1998-1999	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	383.10	200.00	200.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	44.77	50.00	-

1	2	3	4	5
3.	असम	43.13	75.00	125.00
4.	बिहार	100.00	150.00	-
5.	गोवा	कुछ नहीं	5.00	6.00
6.	गुजरात	246.75	150.00	100.00
7.	हरियाणा	102.28	40.00	30.00
8.	हिमाचल प्रदेश	41.90	35.00	-
9.	जम्मू व कश्मीर	50.51	50.00	5.00
10.	कर्नाटक	360.44	115.00	150.00
11.	केरल	313.14	100.00	-
12.	मध्य प्रदेश	100.00	300.00	400.00
13.	महाराष्ट्र	254.54	200.00	50.00
14.	मणिपुर	44.69	20.00	33.00
15.	मेघालय	47.53	5.00	40.00
16.	मिजोरम	45.80	5.00	20.00
17.	नागालैंड	44.50	15.00	50.00
18.	उड़ीसा	123.39	115.00	50.00
19.	पंजाब	104.65	60.00	-
20.	राजस्थान	219.02	100.00	-
21.	सिक्किम	44.00	5.00	-
22.	तमिलनाडु	313.41	100.00	-
23.	त्रिपुरा	45.80	20.00	5.00
24.	उत्तर प्रदेश	130.00	400.00	300.00
25.	पश्चिम बंगाल	166.21	150.00	175.00
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.18	3.00	-
27.	चंडीगढ़	कुछ नहीं	1.00	-
28.	दादर व नागर हवेली	कुछ नहीं	0.50	-
29.	दमन एवं दीव	कुछ नहीं	0.50	-

1	2	3	4	5
30.	दिल्ली	कुछ नहीं	15.00	50.00
31.	लक्षद्वीप	कुछ नहीं	0.50	0.51
32.	पांडिचेरी	कुछ नहीं	2.00	-
33.	छत्तीसगढ़	-	-	40.00
34.	झारखंड	-	-	-
35.	उत्तरांचल	-	-	20.00
	कुल	2606.54	2487.50	1849.51

विवरण-IV

दिनांक 30.9.2001 की स्थिति के अनुसार आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत कवर किए गए जिलों की राज्य-वार सूची

	राज्य का नाम	जिलों का नाम
	1	2
1.	आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद, अनन्थपुर, चित्तूर, कुड्डपा, ईस्ट गोदावरी, गुण्टूर, हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, कृष्णा, कुरनूल महबूबनगर, मेंडक, नालगोण्डा, नेल्लोर, निजामबाद, प्रकासम, के.वी. रंगारेड्डी, श्रीकाकूलम, विशाखापत्तनम, विजयानगरम, वारांगल, वेस्ट गोदावरी
2.	अरुणाचल प्रदेश	दिभंग वेल्ली, केमांग (ईस्ट), केमांग (वेस्ट), लोहित, सियांग (ईस्ट), सियांग (वेस्ट), तिरप, अपर सुबानसिरी, लोअर सुबानसिरी, चेंगलेंग, तुवांग
3.	असम	कचार, दारंग, डिबरूगढ़, गोलपारा, कामरूप, करीमगंज, कारबी ऐगलोंग, लखीमपुर, एन. काचर हिल्ज, नावगोंग, सिबसागर, सोनीतपुर, धुबरी, काकराझार, नालवारी, बारपेटा, जोरहाट, गोलाघाट, हेलाकाण्डी, बोंगाई गांव, धमाजी, मेरी गाँव, तिनसुकिया
4.	बिहार एवं झारखण्ड	औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, चम्पारन (ईस्ट), चम्पारन (वेस्ट), दरभंगा, देवघर, धनबाद, दमका, गया, गिरीडीह, गोड्डा, गुमला, गोपालगंज, हजारीबाग, कटिहार, कागरिया, लोहारडागा, माधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पलामु, पटना, पुर्णिया, राँची, रोहतास, सहरसा, साहिबगंज, समस्तीपुर, सारन, सिंहभूम, सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली, जमशेदपुर, संथाल परगना, जहानाबाद, अररिया, किशनगंज, बंका, बोकारो, बक्सर, बाभुजा, गरवा, जम्वाई, सापौल
5.	गोवा	साउथ गोवा, नार्थ गोवा
6.	गुजरात	अहमदाबाद, अमरेली, बनसकण्ठा, बड़ौदरा, भरूच, भावनगर, नर्मदा, गान्धीनगर, डांग्ज, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, महसाना, पंचमहल, राजकोट, साबरकण्ठा, सूरत, सुरेन्द्र नगर, वलसाड़, खेड़ा, पोरबन्दर, पाटन, गोधरा, दाहोद, गान्धीनगर, नादेड, आनन्द, नवसारी
7.	हरियाणा	युमनानगर, कैथल, पानीपत, अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुडगाँवा, हिसार, जींद, करनाल, कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, रिवाडी, कैथल, नारनौल, पंचकुला, पानीपत यमुनानगर

	1	2
8.	हिमाचल प्रदेश	चम्बा, हमीरपुर, कांगडा, किन्नौर, कुल्लु, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन, स्पीति, ऊना, बिलासपुर
9.	जम्मू व कश्मीर	अनन्तनाग (कश्मीर साउथ), बारामुला (कश्मीर नार्थ), बदगाम, डोडा, जम्मू, कठुवा, कारगिल, कूपवाड़ा, लद्दाख, पूंछ, पुलवामा, पुलवान्ड, राजौरी, श्रीनगर, ऊधमपुर
10.	कर्नाटक	बंगलौर (आर), बेलगाम, बेल्लरी, बिडार, बीजापुर, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, कूर्ग, दक्षिण कन्नड, धारवाड़, गुलबर्गा, हास्सन, कोदागु, कोलार, माण्डया, मैसूर, रायचूर, शिमोगा, टुमकुर, उत्तर कन्नड, बंगलौर (यू), भागलकोट, देवनगरी, उड्डूपी, गादाग, हावडी चमराजनगर, कुप्पाला
11.	केरल	अलाप्पुसा, कान्नुर, इरनाकुलम, इदुक्की, कुट्टायम कुझीकुडु, मलाप्पूरम, पालाक्कड, कोल्लम, त्रिस्सुर, तिरूअनंतपुरम, वाइनाड, कासरगोंडु, पत्तनमथित्ता, तिरूअनंतपुरम
12.	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	ईस्ट निमाड, बालघाट, बस्तर बेतुल/गढदऊरंगी, बिलासपुर/नालकरोड़ा छिंदवाड़ा, दमोह, धार, दुर्ग, गूना, ग्वालियर, होशगांबाद, इंदौर, जबलपुर, झबुआ, मण्डाला, नरसिंहपुर, पन्ना, रायगढ़, रायपुर, रामसेन, राजनन्द गाँव, भोपाल, रीवा, सागर, सतना, सिवोनी, शाहदुल, शाहजहाँपुर, शिवपुर, सिढी, सुरगूजा, वेस्ट निमार (कारगाँव), मुरैना, रतलाम, सागर, उज्जैन, सिहौर, भिण्ड, छत्तरपुर, दतिया, देवास, खण्डवा, मंदसौर, राजगढ़, टीकमगढ़, विदिशा
13.	महाराष्ट्र	अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भन्डारा, बुलदाना, चन्द्रपुर, धुले, गढ चिरौली, ग्रेटर बाम्बे, जलगाँव, कोल्हापुर, लातुर, नागपुर, नान्देड, नासिक, परबनी, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, शोलापुर, थाणे, वर्धा, यवतमाल, ओसमानाबाद, वर्धा, सिन्धुदुर्ग, जालना, परबनी
14.	मणिपुर	चन्देल, चूड चान्दपुर, इम्फाल ईस्ट, सेनापति तेमांगलेंग, थाऊबल, उखरूल, इम्फाल वेस्ट, बिशनपुर
15.	मेघालय	ईस्ट गारो हिल्ज, ईस्ट खासी हिल्ज, जंयतिया हिल्ज, वेस्ट गारो हिल्ज, वेस्ट खासी हिल्ज
16.	मिजोरम	आइजोल, चिमतुई पई, लंगलेई
17.	नागालैंड	कोहिमा, मोकोक चुंग, तुअनसेंग, वोहका, फेक, मोन, जुनहीबोटो, दीमापुर
18.	उड़ीसा	बोलंगीर, बालासौर, बारागढ़, कटक, धनकनाल, गंजम, कालाहांडी, क्योंझर, कोरापुट, मयूरभंज, फूलबनी, पुरी, सुन्दरगढ़, गजपति, अंगुल, बौद्ध देवगढ़, झारसुगुड़ा, जाजापुर, जगसिंहपुर, केन्द्रपाड़ा, खुर्द मलकांगिर, नवापाड़ा, नवरंगपुर, नयागढ़, रायगढ़, भद्रक, सोनपुर
19.	पंजाब	अमृतसर, भटिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, पटियाला, रोपड़, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर, मोगा, मुक्तेश्वर, मनसा, नवांशहर
20.	राजस्थान	अलवर, अजमेर, बाँसवाड़ा, बाढ़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बारन, बूंदी, चित्तौडगढ़, चुरू, डूँगरपुर, दौसा, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालवाड़, झुन्झुनु, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, दौसा, सिरोही, टोंक, उदयपुर, धौलपुर, बीकानेर, बूंदी, सीकर, राजसमन्द, बारन, करोली, हनुमानगढ़
21.	सिक्किम	ईस्ट सिक्किम, नार्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम
22.	तमिलनाडु	तिरूवनन्मलई, समबुवरयर, तिरूवल्लूर, कोयम्बटूर, धर्मपुरी, कन्याकुमारी, मद्रास, डीन्डीगल, मदुरई, नार्थ आरकोट, परियार, पुण्डुकोरई, रामनन्द, सलेम, साउथ आरकोट, थन्जावूर, त्रिची, त्रिनुलवेली,

	1	2
		कोट्टावोम्मन, कामराजर, वी.ए. चिन्बरना, शिवगंगई, तिरू, अन्नामलाई, समबुवरयर, नीलगिरीज, काँचीपुरम, थेनी, वेल्लौर, इरोड, नामाक्कल, कुड्डालौर, विल्लुपुरम, नागापाटिनम, तिरूवसार, तुतीकोरिन, पैरम्बलूर, तिरूवल्लुवर, करूर त्रि-चिन्नामल्लई, गाउन्दर, विल्लुपुरम आर.एस. पादमाथोहिर, वीरम अलागुमुथु, बाईगई, ए.टी. पन्नीरसलवम, नागई-कैदे-मिल्लथ
23.	त्रिपुरा	नार्थ त्रिपुरा, साउथ त्रिपुरा, वेस्ट त्रिपुरा, अगरतला, धालई
24.	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	देहात, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अल्मोड़ा, आजमगढ़, बहरूच, बलिया, बाँदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, बुलन्दशहर, चमोली, देहरादून, देवरिया, ऐटा, इटावा, फैजाबाद, फरूखाबाद, फतेहपुर, पौड़ी गढ़वाल, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, कानपुर नगर, झाँसी, कानपुर देहात, लखीमपुर खेड़ी, ललितपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, नैनीताल,, पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, सीतापुर, सुलतानपुर, टिहरी गढ़वाल, उन्नाव, उत्तरकाशी, वाराणसी, रामपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, हरिद्वार, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, महाराजगंज, मऊ, चन्दौली, कौशाम्बी, अरिया, कन्नौज, ज्योतिबाफूले नगर, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर, महामायानगर, गौतमबुद्ध नगर, महोबा, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत, ऊधमसिंह नगर, पडरौना/कुशीनगर, भदोही, बलरामपुर, बागपत
25.	प. बंगाल	बाँकुरा, बीरभूम, बर्दवान, कलकत्ता, कूच बिहार, दार्जीलिंग, हुगली, हावड़ा, जलपाईगुडी, मालदा, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद, नाडिया, पुरूलिया, 24 परगना (नार्थ), उत्तर दिनाजपुर, 24 परगना (साउथ), दक्षिण दिनाजपुर
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	अण्डमान निकोबार
27.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़
28.	दिल्ली	केन्द्रीय, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम
29.	दादर और नागर हवेली	सिलवासा
30.	दमन एवं दीव	दमन, दीव
31.	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप
32.	पांडिचेरी	कराईकल, माहे, पांडिचेरी

पेयजल आपूर्ति के लिए हडको द्वारा सहायता

368. श्री के. येरननायडु: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम (हडको) आन्ध्र प्रदेश को जुड़वा शहरों के लिए कृष्णा से पेयजल की आपूर्ति करने हेतु 800 करोड़ रुपये की सहायता देने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस निधि के कब तक जारी होने और कार्य आरम्भ हो जाने की संभावना है; और

(ग) केन्द्र सरकार के विचाराधीन आंध्र प्रदेश से संबंधित अन्य पेयजल परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) आवास और शहरी विकास निगम (हडको) ने सूचित किया है कि हडको को कृष्णा नदी से युग्म शहरों को पेय जल की आपूर्ति के लिए निधियां उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सहायता के लिए उसे अभी तक कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, हैदराबाद में दिनांक 25.9.2001 को आयोजित की गई समीक्षा बैठक के दौरान, इस बात की ओर इशारा किया गया था कि हडको अन्य ऋणदाता संस्थाओं के साथ सहायता संघ के आधार पर चरणबद्ध ढंग से युग्म शहरों के लिए प्रस्तावित कृष्णा जल योजना पर विचार कर सकता है, बशर्ते योजना व्यवहार्य हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आंध्र प्रदेश से संबंधित पेय जल की कोई भी परियोजना इस मंत्रालय के पास विचाराधीन नहीं है तथापि, हडको ने जानकारी दी है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी प्रमुख एजेंसी, आंध्र प्रदेश शहरी वित्त और अवसंरचना विकास निगम (ए.पी.यू.एफ.आई.डी.सी.) के जरिए 191.14 करोड़ रु. की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 133.54 करोड़ रु. के कुल ऋण हेतु विचार करने के लिए उसे 20 जल आपूर्ति योजनायें प्रस्तुत की हैं, जिसमें से चालू वर्ष अर्थात् 2001-2002 के दौरान मीरयलागुडा, मछलीपत्तनम, जगैहपेटा, बॉब्बीली, अनाकपल्ली, मंगलागिरी, नमापुरम, पीडापरम, राजाहमुन्दरी, श्रीकाकुलम, वारंगल, सूर्यापेट, महरेला और नेल्लौर को सम्मिलित करते हुए हडको ने 14 जल आपूर्ति योजनाओं की पहले ही मंजूरी दे दी है। हडको ने इन शहरों के लिए 111.18 करोड़ की परियोजना लागत के लिए 77.57 करोड़ रु. का ऋण दिया है। 79.96 करोड़ रु. की परियोजना लागत वाली और हडको से 55.97 करोड़ रु. के ऋण से संबंधित अदोनी, बेल्लमपटली और मन्दामररी, अदीलाबाद, कुड्डपाह रेपेल्ली और गुडीवाड़ा को शामिल करने वाली शेष 6 योजनाओं के संबंध में प्रस्ताव हुडको के मूल्यांकन के अग्रिम चरण में हैं।

[हिन्दी]

विनिवेश के माध्यम से अर्जित राजस्व

369. श्री रामशकल: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आज की तिथि के अनुसार, वर्ष 1999 और 2001 के दौरान विनिवेश के माध्यम से देश-वार कितना राजस्व अर्जित किया गया?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): वर्ष 1999-2000, 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान विनिवेश के माध्यम से जुटाई गई धनराशि नीचे दर्शाई गई है:-

वर्ष	जुटाई गई धनराशि (करोड़ रुपए में)
1999-2000	1,829
2000-01	1,869
2001-02 (31.10.2001 तक)	207

[अनुवाद]

विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देश

370. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की गतिविधि के क्षेत्र को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बड़ी संख्या में विदेशी विश्वविद्यालय भारत में शिक्षा की गुणवत्ता के समनुरूप विभिन्न पाठ्यक्रम चला रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन पाठ्यक्रमों को सरकार द्वारा मान्यता दी गई है; और

(च) देश में कितने विदेशी विश्वविद्यालय पंजीकृत हैं और उनके द्वारा कुल कितने पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं के प्रवेश करने तथा कार्य करने के लिए प्रारूप विनियम तैयार किए हैं। सरकार इन प्रारूप विनियमों पर विचार कर रही है।

(ग) से (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग के पास इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। भारत में कार्य करने के लिए अब तक कोई विदेशी विश्वविद्यालय पंजीकृत नहीं है।

प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के लिए कार्य योजना का बंद किया जाना

371. **श्री जे.एस. बराड़:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के आवासीय क्षेत्रों में चल रही प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों को हटाने की कार्य योजना को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निवासियों को प्रदूषण संबंधी बीमारियों से बचाने के लिए प्रदूषणकारी इकाइयों को बंद करने और उन्हें दूसरे स्थानों पर स्थापित करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी नहीं। उद्योगों को बंद करने का पहले चरण जो 7.1.2001 को पूरा किया गया, में 2773 उद्योग सील किए गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 8.2.2001 के फैसले द्वारा शेष 21,400 प्रदूषणकारी उद्योगों का सर्वे करने/सील करने का निर्देश दिया था। उद्योग बंद करने के दूसरे चरण में, 756 उद्योग सील किए गए। इस प्रकार दोनों चरणों में कुल 34,998 उद्योगों का सर्वेक्षण किया गया और 3529 प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयां सील की गई। 1517 इकाइयां पहले से ही सील पाई गई। 2377 इकाइयों में कोई औद्योगिक गतिविधि नहीं पाई गई, 3494 इकाइयों ने अपना पेशा बदल लिया था। 10,875 इकाइयां रिहायशी वास की/खाली पायी गयी, 7058 इकाइयां 27 और 33 एफ श्रेणी में शामिल नहीं थीं, तथा 5801 इकाइयां अस्तित्व में नहीं थी/ज्ञात नहीं हो सकीं।

सीलबंद इकाइयों की दिल्ली सरकार द्वारा अचानक जांच-पड़ताल की जाती है जो सील बंद इकाइयां पुन: चालू पाई जाती है उन पर पुन: सील लगा दी जाती है तथा परवर्ती कार्रवाई भी का जाती है।

(ग) और (घ) जिन प्रदूषणकारी और एफ श्रेणी उद्योगों ने पुनर्वास स्कीम के तहत आवेदन किया था और जो स्कीम के तहत पात्र पाये गये थे, उन्हें औद्योगिक भूखंड आबंटित कर दिये गये हैं। दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि पुनर्वास योजना के तहत विकास कार्य चल रहा है और यह कार्य सितम्बर, 2002 तक पूरा होने की आशा है।

तटीय क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों की चौड़ाई कम करने संबंधी प्रस्ताव

372. **श्री वरकला राधाकृष्णन:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तटीय क्षेत्रों की जनसंख्या घनत्व के मद्देनजर केरल राज्य से ग्रामीण सड़कों की चौड़ाई 8 मीटर से कम कर 6 मीटर करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) केरल सरकार ने अलापुझा जिले में थाईक्दूसेरी, अरयाड तथा अंबालापुझा ब्लाकों तथा कोजीकोडी जिले में वडकारा ब्लाक में ग्रामीण सड़कों की चौड़ाई को 7.5 मी. से घटाकर 6 मीटर करने के दिशा-निर्देशों में रियायत देने का आग्रह किया है क्योंकि यह ब्लाक तटीय क्षेत्रों में आते हैं तथा जनसंख्या की सघनता काफी अधिक है।

(ग) केरल सरकार के आग्रह को एक विशेष मामले के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति और वृत्ति बढ़ाना

373. **श्री अनन्त नायक:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विद्यालयों और महाविद्यालयों के अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति और वृत्ति की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या ब्यौरे हैं;

(ग) क्या सरकार का उन्हें बेहतर छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कब तक उक्त सुविधा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) वर्तमान में केवल मैट्रिकोत्तर छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति की राशि की समीक्षा की जा रही है।

(ग) से (ङ) संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। संघ सरकार द्वारा कोई सुविधा विद्यार्थियों को प्रदान नहीं की जाती है।

[हिन्दी]

अन्नपूर्णा योजना

374. **श्री राजो सिंह:**
श्री विकास चौधरी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'अन्नपूर्णा योजना' के अंतर्गत आज की स्थिति के अनुसार देश में राज्यवार पहचाने गए व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत पहचाने गए सभी व्यक्तियों को पहले से ही योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे क्या हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत निम्न तबके के लोगों के लिए लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा प्रस्तावित हैं;

(च) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने अन्नपूर्णा योजना को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है;

(छ) यदि हां, तो वे कौन-कौन से राज्य हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ज) इन राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं;

(झ) इस योजना के अंतर्गत मासिक कोटा बढ़ाने के लिए त्रिपुरा सरकार के अनुरोध को क्या स्वीकार कर लिया गया है; और

(ञ) यदि हां, तो इसके ब्यौरे क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) (क) से (ञ) वर्ष 2001-02 में अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए लक्षित लोगों की राज्यवार संख्या तथा योजना के अंतर्गत वास्तव में पहचाने गए तथा कवर किए गए लोगों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

अन्नपूर्णा योजना, जिसका उद्देश्य 65 वर्ष से अधिक की आयु वाले निराश्रितों (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहचाने गए) को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराना है, को अभी हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा पंजाब नामक पांच राज्यों में कार्यान्वित किया जाना है, जिन्होंने योजना के मानदंड के अनुसार लाभार्थियों का चयन करने में दिक्कतों का उल्लेख किया है। त्रिपुरा सरकार ने चावल की हकदारी (प्रतिमाह 10 कि.ग्रा. से 15 कि.ग्रा. तक) में वृद्धि करने का सुझाव दिया है जो योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है तथा इस पर सहमति नहीं हो सकेगी।

विवरण

2001-02 के दौरान अन्नपूर्णा योजना की स्थिति

(16.11.2001 तक)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक लक्ष्य (सं.)	पहचान किए गए लाभार्थियों की संख्या	कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	116892	93200	93200
2.	बिहार	158849	166601	166601
3.	छत्तीसगढ़	26671	29740	29740

1	2	3	4	5
4.	गोआ	753	–	–
5.	गुजरात*	–	–	–
6.	हरियाणा*	–	–	–
7.	हिमाचल प्रदेश	6373	–	–
8.	जम्मू व कश्मीर	8547	10220	10220
9.	झारखण्ड	45947	–	–
10.	कर्नाटक*	–	–	–
11.	केरल	37618	33145	31859
12.	मध्य प्रदेश*	–	–	–
13.	महाराष्ट्र	148531	–	–
14.	उड़ीसा	54194	64800	64800
15.	पंजाब*	–	–	–
16.	राजस्थान	105293	61402	61402
17.	तमिलनाडु	71974	–	–
18.	उत्तर प्रदेश	350001	–	–
19.	उत्तरांचल	10624	–	–
20.	प. बंगाल	80020	43012	–
21.	अंडमान व निकोबार	468	23	23
22.	चण्डीगढ़	488	–	–
23.	दादर व नागर हवेली	318	380	380
24.	दमन व दीव	67	–	–
25.	दिल्ली	8915	170	–
26.	लक्षद्वीप	50	58	58
27.	पांडिचेरी	1321	23	–
	उप योग	1233914	502774	458283

1	2	3	4	5
	उत्तर पूर्वी राज्य			
28.	अरुणाचल प्रदेश	4761	4442	-
29.	असम	68927	68927	-
30.	मणिपुर	8590	4831	4831
31.	मेघालय	9263	6338	-
32.	मिजोरम	2587	-	-
33.	नागालैण्ड	6727	-	-
34.	सिक्किम	2484	2411	2411
35.	त्रिपुरा	14851	10972	10972
	उप योग	118191	97921	18214
	कुल	1352105	600695	476497

*योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

[अनुवाद]

कृषि भूमि से अवैध निर्माण को हटाना

375. श्री रघुनाथ झा: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** दिनांक 31 जुलाई, 2001 के अतारांकित प्रश्न सं. 1403 के संदर्भ में दिए गए उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके ब्यौरे क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सैनिक फार्म, दिल्ली की कृषि भूमि से अवैध निर्माणों को हटाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि दिल्ली के सईदुलाजाब, नेबसराय, डेरा और सुल्तानपुर गांवों में बड़े पैमाने पर कृषि भूमि पर अवैध निर्माण किया गया है; और

(च) यदि हां, तो राजस्व/विकास विभागों द्वारा इन्हें हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश

376. श्री रमेश चेन्नितला:
श्री टी. गोविन्दन:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में विनिवेश की गई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा उनसे प्राप्त धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये सभी लाभ अर्जित करने वाले उपक्रम थे;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लाभ अर्जित करने वाली कुछ और उपक्रमों के विनिवेश का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(च) क्या अभी तक घाटे में चल रही किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का विनिवेश किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जिन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का हाल ही में विनिवेश किया गया है उनके नाम और उनमें विनिवेश के माध्यम से जुटाई गई राशि इस प्रकार है:-

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	जुटाई गई राशि (करोड़ रुपए में)
1. एच टी एल लि.	55.00
2. सी एम सी लि.	152.00
3. बंगलौर, आगरा, मदुरै, बोधगया, हमन और मामल्लापुरम में भारत पर्यटन विकास निगम की सम्पत्तियां	60.16*
4. मुम्बई और राजगीर (बिहार) में होटल कार्पोरेशन आफ इण्डिया की सम्पत्तियां	159.51*
कुल	426.67++

* धनराशि प्राप्त की जानी है।

++ प्रात की जाने वाली 219.67 करोड़ रुपए की राशि सहित।

(ख) और (ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान, एच टी एल लि. और सी एम सी लि. ने लाभ अर्जित किया है जबकि भारत पर्यटन विकास निगम और होटल कार्पोरेशन आफ इण्डिया ने हानि उठाई।

(घ) और (ङ) जी, हां। वर्ष 2001-2002 के दौरान, आई.बी.पी. लि., इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि., हिन्दुस्तान जिंक लि., नेपा लि., विदेश संचार निगम लि., इत्यादि जैसे कुछ लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार द्वारा धारित इक्विटी के एक हिस्से का विनिवेश किया जाना है।

(च) और (छ) जी, हां। मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इण्डिया), भारत पर्यटन विकास निगम और होटल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया के कुछ होटलों, जो घाटे में चल रहे थे, का विनिवेश किया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में व्यायाम शिक्षण संस्थान

377. श्री के.ए. सांगतम: क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को व्यायाम शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार इन राज्यों में व्यायाम शिक्षण संस्थान की स्थापना पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसका कारण क्या हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) मणिपुर में व्यायाम शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना हेतु मणिपुर सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस समय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के पास ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अंतर्गत व्यायाम शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना करने में राज्य सरकार की सहायता की जा सके।

(ग) और (घ) सरकार का इस समय पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई भी व्यायाम शिक्षा संस्थान स्थापित करने का विचार नहीं है।

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक संस्थान, ग्वालियर युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत पहले से ही चल रहा एक विश्वविद्यालय माना जाता है। इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण, तिरूवनंतापुरम में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय भी चला रहा है।

कर्नाटक की ग्रामीण विकास योजनाएं

378. **श्री कोलूर बसवनागौड:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य के विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 1,050 करोड़ रुपये का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) राज्य में स्थानवार शुरू की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में यदि कोई हो, तो क्या कार्रवाई की है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडु): (क) राज्य सरकार ने यह जानकारी दी है कि उन्होंने कर्नाटक में विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाएं शुरू करने के लिए 1,050 करोड़ रुपए की लागत का कोई भी प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं भेजा है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

तमिलनाडु की गृह निर्माण परियोजनाएं

379. **श्री सु. तिरूनावुकरसर:** क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, हडको और एन.एच.एफ.सी. द्वारा संपन्न गृह निर्माण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) तमिलनाडु से प्राप्त परियोजनाओं के नए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है जिन्हें राज्य के बड़े शहरों में हुडको द्वारा पूरा किया गया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) लि. एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, ने विगत तीन वर्षों में तमिलनाडु के लिए 1234.82 करोड़ रुपए की ऋण राशि देते हुए 336 स्कीमें स्वीकृत की हैं। इस अवधि के दौरान हडको ने अपनी रिटेल आवासीय स्कीम "हडको निवास" के तहत राज्य में अलग-अलग व्यक्तियों के लिए भी 252.17 करोड़ रुपए का कुल ऋण स्वीकृत किया है। हडको द्वारा स्वीकृत ऋणों के वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

इस मंत्रालय के अधीन "एन.एच.एफ.सी." नाम का कोई संगठन नहीं है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान दिनांक 31.10.2001 तक हडको ने चेन्नई में 18165 आवासीय इकाईयों की विशेष मरम्मत के लिए तमिलनाडु आवासीय बोर्ड को 13.05 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है। दिनांक 31.10.2001 तक 915.33 लाख रुपए की ऋण राशि वाली 5 आवासीय स्कीमों हडको में प्रक्रियाधीन है और इन्हें हडको दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकृत किया जायेगा। इन स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु के लिए हडको द्वारा स्वीकृत की गई आवासीय परियोजनाओं के ब्यौरे

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बल्क आवासीय स्कीमों के तहत स्वीकृत ऋण		हडको निवास के तहत व्यक्तियों के लिए स्वीकृत ऋण
	स्कीम की संख्या	स्वीकृत ऋण	
1998-99	204	478.00	लागू नहीं *
1999-2000	102	405.37	122.67
2000-2001	30	350.55	129.50
कुल	336	1234.82	252.17

*हडको निवास स्कीम मार्च, 1998 में शुरू की गई थी।

विवरण-II

31.10.2001 को समाप्त हो रहे माह के लिए राज्य/एजेंसी-वार प्रक्रियाधीन आवासीय स्कीमें

(लाख रु. में)

राज्य/एजेंसी	स्कीम का नाम	आवासीय इकाइयां	ऋण राशि					
			ईडब्ल्यूएस (आर)	ईडब्ल्यूएस (यू)	एलआईजी	एमआईजी	एचआईजी	अन्य
तमिलनाडु								
कामुधि गैर सरकारी संगठन	एजैडएमएच एनजीओ ईडब्ल्यू सी/एल ग्रो काम.डेव. सोसाइटी, रामनाद, एनजीओ	200	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मानुषी गैर सरकारी संस्था	मानुषी ईडब्ल्यूएस ग्रामीण सी/एल आवासी स्कीम, कुड्डालोर, एनजीओ	75	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सोशल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेव. ट्रस्ट	बेल्लोर में एनजीओ ईडब्ल्यूएस शहरी आवासीय स्कीम	335	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्व-सहायता समूह एनजीओ	महिला स्व-सहायता समूह, पुथूर द्वारा एनजीओ ईडब्ल्यूएस आवासीय स्कीम	300	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु सहकारी आवासीय संघ लि.	अरिनगर अन्ना सह. आवा. सोसाईटी, अट्टुर द्वारा फ्लैटों का निर्माण	124	0.00	0.00	0.00	704.33	0.00	0.00
	कुल	1034	30.00	181.00	0.00	704.33	0.00	0.00

सकल योग : 915.33

पूर्वोत्तर में शिक्षा प्रणाली का पुनर्निर्धारण

380. श्री एम.के. सुब्बा: क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व अर्थव्यवस्था की नई चुनौतियों तथा सूचना प्रौद्योगिकी सहित प्रौद्योगिकी में तीव्र विकास के मद्देनजर सरकार ने विशेष योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए नई चुनौतियों का सामना करने के प्रयोजन से पूर्वोत्तर में शिक्षा-प्रणाली के पुनर्निधारण के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की विशेषताएं क्या है; और

(ग) नई नीति को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) पूर्वोत्तर राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

हैदराबाद जल आपूर्ति परियोजना को विश्व बैंक की सहायता

381. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद जल आपूर्ति परियोजना के लिए 1997 में विश्व बैंक 1000 करोड़ रुपए की सहायता के लिए सहमत हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि का पूर्णत: उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक की सहायता के लिए 1488.40 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दूसरी हैदराबाद

जल आपूर्ति और सफाई परियोजना पर एक व्यापक परियोजना रिपोर्ट तैयार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा विश्व बैंक द्वारा कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है/कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और इन परियोजनाओं के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) आंध्र प्रदेश सरकार ने 1488.40 करोड़ रु. की संशोधित अनुमान लागत वाली दूसरी हैदराबाद जल आपूर्ति व सीवरेज परियोजना दिसंबर, 1996 में विश्व बैंक सहायता के लिए प्रस्तुत की थी। इस मंत्रालय और आर्थिक कार्य विभाग द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार के लिए विश्व बैंक से सिफारिश की गई। तथापि, विश्व बैंक ने बाद में सूचित किया कि यह परियोजना अब उसके ऋण कार्यक्रम नहीं है। आर्थिक कार्य विभाग ने राज्य सरकार को 26.9.2000 को तदनुसार सूचित किया था।

निर्माण सामग्रियों पर अनुसंधान

382. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भवन सामग्रियों के बेहतर उपयोग के प्रयोजन से अनुसंधान सुविधाओं को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में चैन्ने स्थित स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर को अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीएफआरआई), धनबाद, केन्द्रीय जांच एवं सिमारिक अनुसंधान, संस्थान (सीजीसीआरआई), कोलकाता, केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान (सीएमआरआई), धनबाद, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई), रूड़की, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आरआरएल), तिरूवनन्तपुरम, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगसाला (आरआरएल), भोपाल, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आरआरएल), भुवनेश्वर, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आरआरएल), जोरहाट सहित सीएसआईआर की अनेक प्रयोगशालाओं में भवन सामग्रियों पर अनुसंधान किया जाता है। इन प्रयोगशालाओं के बजटीय निर्धारण में संगत रूप से वृद्धि हो रही है। इन प्रयोगशालाओं ने स्थायीकृत पंक ब्लाक, मृत्तिका व उड़नराख ईंटों लोहित पंक पालीमर सम्मिश्र, उड़नराख पालीमर सम्मिश्र आदि का विकास किया है।

(ग) जी नहीं। एसईआरसी, चैन्नई में विशिष्ट भवनों से संबंधित अध्ययनों सहित मुख्यत: सम्मिश्र संरचनाओं पर अध्ययन किए जाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

होटल कार्पोरेशन आफ इंडिया का विक्रय

383. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:** क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या होटल कार्पोरेशन आफ इंडिया के विक्रय को एयर इंडिया के निजीकरण से अलग करने के सरकार के निर्णय ने वाहक को अपना लाभ सुधारने की योजना को प्रभावित किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसा निर्णय लेने का कारण क्या है;

(ग) क्या एयर इंडिया के लाभ में सुधार करने के लिए कोई वैकल्पिक उपाय किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) विनिवेश आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया था कि संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र की होल्डिंग कंपनियों के प्रबन्धन मंडल अपनी सहायक कंपनियों के मामले में निर्णय लेंगी। अत: होटल कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. के लिए होल्डिंग कंपनी एयर इंडिया लि. का प्रबन्धन मंडल होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के विनिवेश के संबंध में निर्णय अलग से क्रियान्वित कर रहा था। नागर विमानन मंत्रालय के एक प्रस्ताव पर सितम्बर, 2001 में यह निर्णय लिया गया था कि विनिवेश मंत्रालय होटल कार्पोरेशन आफ इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया अपने हाथ में लेगा और होटल कार्पोरेशन के विनिवेश से प्राप्त होने वाला राजस्व एयर इंडिया को चला जाएगा।

(ग) और (घ) विनिवेश आयोग ने बाजार में और/अथवा अनुकूल साझीदार को शेयरों की बिक्री प्रारम्भ करने से पूर्व 1000 करोड़ रुपए के उपाय करने की सिफारिश की थी। तथापि, समग्र नीति, प्राथमिकताओं तथा विद्यमान वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया।

डीडीए में भ्रष्टाचार

384. श्री दिनेश चन्द्र यादव:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री रामजीवन सिंह:
श्री एम.वी. चन्द्रेशखर मूर्ति:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री राम प्रसाद सिंह:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री शिवाजी माने:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने डीडीए में व्याप्त उग्र भ्रष्टाचार उत्तरदायित्व की कमी तथा शिकायत निवारण तंत्र में अभाव पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो प्रधानमंत्री के विचार पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने डीडीए में व्याप्त भ्रष्ट तरीकों के क्षेत्रों, विशेषकर लेखा विभाग का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले एक वर्ष के दौरान डीडीए के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) डीडीए के कार्यकरण में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हां। प्रधानमंत्री कार्यालय में प्राप्त अभ्यावेदनों के विश्लेषण के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही के पत्राचार में दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवेदकों के समक्ष आ रही सामान्य प्रकृति की समस्याओं तथा साथ ही इसमें शिकायतों के निवारण हेतु तंत्र में कमियों की ओर संकेत किया है। समस्याएं मुख्य रूप से भूखंडों/फ्लैटों के आबंटन, कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में पंजीकरण के अन्तरण, पंजीकरण धनराशि की वापसी, पते में परिवर्तन, मांग-सह-आबंटन पत्र, कब्जा पत्र आदि जारी करने और शिकायतों के निवारण में डीडीए से उपयुक्त उत्तर मिलने में विलंब के संबंध में है। डीडीए ने जन संपर्क विभागों में विलंब के मामलों की गहन जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। डीडीए द्वारा अपने कार्यबल को प्रशिक्षित करने, कम्प्यूटीरकरण और ई-गवरनेंस शुरू करने के साथ-साथ सभी स्तरों पर गहन सतर्कता बरतने के लिए अनेक अल्पावधिक व दीर्घावधिक उपाय शुरू किए गए हैं।

(ग) और (घ) यह नहीं कहा जा सकता कि डीडीए के लेखा विंग अथवा अन्य विभागों में एक व्यवस्था के तौर पर भ्रष्ट प्रथा मौजूद है। जब भी व्यक्तिविशेष की असफलता के मामले सामने आते हैं, डीडीए के सतर्कता विंग द्वारा भ्रष्ट अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने के लिए कार्रवाई की जाती है।

(ङ) और (च) डीडीए ने सूचित किया है कि जनवरी, 1999 से लेकर जून, 2001 तक प्रधानमंत्री कार्यालय में डीडीए से संबंधित 967 अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। उन पर कार्रवाई कर दी गई है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, डीडीए ने जन संपर्क विभागों में विलंब के मामलों और अपने कार्यबल को प्रशिक्षित करने, कम्प्यूटीरकरण व ई-गवरनेंस शुरू करने तथा साथ ही सभी स्तरों पर गहन सतर्कता बरतने के लिए अनेक अल्पावधिक व दीर्घावधिक उपायों की गहन जांच शुरू की है।

एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य पुस्तकें

385. मोहम्मद शहाबुद्दीन:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लेखक श्री सतीश चन्द्र द्वारा लिखित और एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित ग्यारहवीं कक्षा के लिए निर्धारित उस पाठ्य पुस्तक की वृहत पैमाने पर आलोचना की जा रही है जिसमें संतों/अन्य नेताओं का उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली के उप-राज्यपाल ने पाठ्य पुस्तक से ऐसे आपत्तिजनक अंश को हटा देने को कहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है;

(घ) प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकों के आकलन और संपादन के लिए एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन अन्य पुस्तकों के नाम क्या हैं जिनकी पाठ्य सामग्रियों को लेकर आपत्ति उठाई गई है; और

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है जिससे कि भविष्य में ऐसी आपत्तिजनक पाठ्य सामग्री का प्रकाशन न हो?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ऐसा कोई पत्र राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् में प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों का संपादन और समीक्षा सेवारत शिक्षकों तथा विशेषज्ञों के दल द्वारा की जाती है।

(ङ) (1) प्राचीन भारत-कक्षा VI-रोमिला थापर

(2) आधुनिक भारत-कक्षा VIII, अर्जुनदेव और इंदिरा अर्जुन देव,

(3) प्राचीन भारत-कक्षा XI, राम शरण शर्मा,

(4) मध्यकालीन भारत-कक्षा XI, सतीश चन्द

(च) पाठ्य विवरणिकाएं तथा तत्संबंधी पाठ्य सामग्री तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा हाल ही में जारी मार्ग निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि इनमें इस बात का सुनिश्चय करने के लिए यथोचित ध्यान दिया जाए कि ऐसी किसी बात का उल्लेख नहीं होना चाहिए जिससे किसी समुदाय विशेष अथवा धार्मिक अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावनाएं आहत होने की संभावना हो।

[हिन्दी]

दिल्ली में मकानों का गिराया जाना

386. श्री रामदास आठवले: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में उन कालोनियों में मकानों को गिराया जा रहा है जहां लोगों ने अपनी जमीन पर मकान बनाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) निजी भूमि पर बना ऐसा कोई भी मकान, जिसका निर्माण अनुमोदित भवन योजना के अनुसार किया गया हो और जो नगर पालिका उप नियमों, जोनिंग, भू-उपयोग और लागू अन्य प्रासंगिक नियमों के अनुरूप हो, उसे गिराया नहीं जाता है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

387. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्रीमती रेनु कुमारी:
श्री रामानन्द सिंह:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री पी.सी. थामस:
श्री टी. गोविन्दन:
श्री एम.के. सुब्बा:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के निर्देशों के बावजूद कुछ राज्यों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को अंतिम रूप देते समय स्थानीय संसद सदस्यों के साथ सलाह मशविरा नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) योजना के अंतर्गत संसद सदस्यों की सिफारिश पर अभी तक स्वीकृत सड़कों की राज्यवार संख्या क्या है;

(घ) संसद सदस्यों/राज्य सरकारों की ओर से सड़क निर्माण के संबंध में सरकार को अभी तक प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ङ) स्वीकृत/लम्बित प्रस्तावों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(च) लम्बित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है;

(छ) अभी तक योजना के अंतर्गत हुए व्यय का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या योजना के अंतर्गत आबंटन में वृद्धि करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ञ) उपर्युक्त परियोजना पर कब तक कार्य आरम्भ हो जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ञ) मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों को यह सलाह दी है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2001-2002 के लिए परियोजना प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पहले संसद सदस्यों द्वारा भेजे गए परियोजना प्रस्तावों पर समुचित तरह से ध्यान दिया जाए। मामले पर मंत्रालय द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है जिन्हें वर्ष 2001-2002 के लिए गोवा, जम्मू व कश्मीर तथा कर्नाटक को छोड़कर सभी राज्यों से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त किया गया है। 19 राज्यों के संबंध में प्रस्ताव पूरी तरह/आंशिक रूप से स्वीकार कर लिए गए हैं तथा शेष राज्यों के प्रस्तावों के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। ब्यौरा विवरण-I पर संलग्न है।

वर्ष 2000-2001 में पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत स्वीकृत प्रस्तावों के संबंध में लगभग सभी राज्यों में सड़क कार्य शुरू हो गए हैं। अब तक 364.34 करोड़ रु. का खर्च हुआ (जिसके ब्यौरे विवरण-II पर संलग्न है)। कार्यक्रम तेजी से गति पकड़ रहा है। कार्य के महत्व के परिप्रेक्ष्य में योजना के अंतर्गत आबंटन को बढ़ाने के लिए निरन्तर आग्रह प्राप्त किए गए हैं। अतिरिक्त निधियों की उपलब्धता के आधार पर इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित किया जा सकेगा जो अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना रिपोर्टों के समय पर प्रस्तुत करने, तैयारी की स्थिति, शुरू हो चुकी परियोजनाओं के निष्पादन की गति तथा वहनीय क्षमता पर निर्भर करेगा।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)	राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	इनमें संसद सदस्यों के प्रस्ताव
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	74.00	129	129**
2.	असम	154.92	217	205
3.	छत्तीसगढ़	184.45	275	54
4.	गुजरात	106.15	451	194
5.	हरियाणा	50.15	72	72**
6.	झारखण्ड	220.08	194	117
7.	केरल	28.08	114	51
8.	मध्य प्रदेश	498.68	776	221
9.	मणिपुर	80.71	134	17
10.	मेघालय	76.72	103	53

1	2	3	4	5
11.	मिजोरम	46.53	24	24**
12.	नागालैण्ड	45.53	27	27**
13.	उड़ीसा	331.72	654	309
14.	पंजाब	74.29	195	28
15.	राजस्थान	263.05	491	131
16.	सिक्किम	37.81	31	31**
17.	त्रिपुरा	51.85	30	0
18.	उत्तर प्रदेश	266.84	409	276
19.	प. बंगाल	150.18	108	71
20.	आंध्र प्रदेश*	–	1528	450
21.	बिहार*	–	544	242
22.	हिमाचल प्रदेश*	–	120	44
23.	महाराष्ट्र*	–	804	408
24.	तमिलनाडु*	–	446	435
25.	उत्तरांचल*	–	80	57
	कुल	2741.74	7959	3646

* इन राज्यों के लिए परियोजना प्रस्ताव राज्य सरकारों से लंबित कतिपय स्पष्टीकरणों के कारण स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

** इन राज्यों के संसद सदस्यों ने राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के लिए अपनी सहमति दी है।

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य	खर्च की गई राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	34.30
3.	हरियाणा	4.98
4.	कर्नाटक	4.12
5.	महाराष्ट्र	11.92
6.	मेघालय	34.95
7.	मिजोरम	8.03
8.	नागालैण्ड	0.37
9.	पंजाब	1.50
10.	राजस्थान	32.14
11.	सिक्किम	13.16
12.	त्रिपुरा	18.00
13.	उत्तर प्रदेश	199.09
14.	दमन व दीव	0.35
	कुल	364.34

विमान पत्तनों की सुरक्षा

388. श्री किरीट सोमैया: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आप्रवास विभाग ने उनके मंत्रालय को विमान पत्तनों की सुरक्षा के संबंध में कोई रिपोर्ट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा गोलाबारी

389. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी गोलाबारी से कितने ग्रामीण घायल/मृत हुए हैं; और

(ख) ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जैसा कि जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार ने सूचित किया है 1 जनवरी, 2001 से 15 नवम्बर 2001 तक नियंत्रण रेखा पर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ गोलाबारी/गोलीबारी की 4492 घटनाएं सूचित की गई थी। इन घटनाओं में 8 सिविलियन मारे गए और 57 घायल हुए थे।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अकारण गोलीबारी की घटनाओं को कम करने के प्रयास में पाकिस्तानी रेंजरों के साथ स्थानीय कमांडर स्तर पर छमाही बैठकों के साथ-साथ प्रायः नियमित रूप ध्वज बैठकें की जाती हैं। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने/तेज रोशनी की व्यवस्था करने का काम भी शुरू किया है। जहां तक नियंत्रण रेखा का संबंध है, उड़ी, बोनियार व गुरेज ब्लाकों तथा कारगिल जिले में भी बंकर निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

नवोदय विद्यालयों को खोलना

390. श्री पी.एस. गढ़वी:
राजकुमारी रत्ना सिंह:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां नवोदय विद्यालय नहीं खोले गए हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) वर्ष 2001 के दौरान आज की तिथि तक नवनिर्मित राज्यों सहित प्रत्येक राज्य के विभिन्न जिलों में खोले गए नवोदय विद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ग) प्रत्येक राज्य में उन शेष जिलों की संख्या कितनी है जहां इनकी स्थापना 2002-2003 के दौरान किए जाने की संभावना है;

(घ) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक नवोदय विद्यालय खोलने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में जवाहर नवोदय विद्यालय उपलब्ध नहीं कराए गए हैं क्योंकि इन राज्यों में इस योजना को स्वीकार नहीं किया है। तमिलनाडु में जबकि हिन्दी को एक अनिवार्य विषय बनाने पर आपत्ति है वहीं पश्चिम बंगाल में विचारधारा के आधार पर इसे स्वीकार नहीं किया गया है।

(ख) वर्ष 2001 के दौरान अब तक 11 नए जवाहर नवोदय विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	राज्य	संस्वीकृत जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या	जिला का नाम
1.	छत्तीसगढ़	01	चम्पा
2.	हरियाणा	01	सिरसा
3.	मध्य प्रदेश	01	मंदसौर
4.	मणिपुर	01	पूर्व इम्फाल
5.	नागालैंड	01	मोकाकचुंग
6.	पंजाब	04	होशियारपुर, लुधियाना, फरीदकोट, मोंगा
7.	राजस्थान	01	हनुमानगढ़
8.	उत्तर प्रदेश	01	चित्रकूट

(ग) इसमें शामिल न किए गए 93 जिलों में से 62 जिलों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त हों। शामिल न किए गए जिलों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) विभिन्न योजनाओं हेतु योजनागत आबंटनों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है और इसलिए इस समय इस कार्यकलाप के लिए उद्दिष्ट राशि को दर्शाना व्यवहार्य नहीं है।

(ङ) संबंधित राज्य के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने संबंधी प्रस्ताव भेजने हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता है। पर्वतीय राज्यों में विद्यालय खोलने हेतु भूमि की न्यूनतम आवश्यकताओं संबंधी शर्तों में कुछ छूट भी दी जाती है।

विवरण

नवोदय विद्यालय समिति द्वारा शामिल नहीं किए गए जिलों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	शामिल नहीं किये गये जिलों की संख्या
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	5
3.	असम	3
4.	बिहार	3
5.	छत्तीसगढ़	6
6.	दिल्ली	2
7.	महाराष्ट्र	8
8.	मेघालय	1
9.	मिजोरम	5
10.	नागालैंड	2
11.	उड़ीसा	12
12.	राजस्थान	1
13.	गुजरात	8
14.	हरियाणा	4
15.	हिमाचल प्रदेश	1
16.	कर्नाटक	1
17.	केरल	1
18.	मध्य प्रदेश	3

1	2	3
19.	झारखंड	3
20.	सिक्किम	1
21.	त्रिपुरा	1
22.	उत्तरांचल	5
23.	उत्तर प्रदेश	16
	कुल	93

टी.आई.एफ.ए.सी. के अंतर्गत कृषि खाद्य प्रसंस्करण दुग्ध क्षेत्र

391. श्री एन.टी. षणमुगम: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** *मंत्री* यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के दक्षिणी राज्यों में प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं आकलन परिषद् (टीआईएफएसी) के अंतर्गत कृषि खाद्य प्रसंस्करण दुग्ध क्षेत्र में लगातार प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने देश में कृषि खाद्य प्रसंस्करण दुग्ध क्षेत्र के घटिया निष्पादन पर चिन्ता व्यक्त की है;

(घ) क्या राज्यों को इस संबंध में प्रौद्योगिकी आकलन को सुविधाजनक बनाने हेतु कतिपय धनराशि आबंटित की जाती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) टी.आई.एफ.ए.सी. के अंतर्गत प्रौद्योगिकी की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान परिषद ने "कोलार में आधुनिकी डेयरी फार्मिंग स्थापित किए जाने से दूध की गुणवत्ता तथा उत्पादन में सुधार" नाम की परियोजना के लिए कर्नाटक कोलार दुग्ध संघ तथा कर्नाटक सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी कुल परियोजना लागत 2.16 करोड़ रुपये है और टाईफैक ने "आंध्र प्रदेश में स्वच्छ दुग्ध हेतु पायलट परियोजना" नाम की परियोजना के लिए आंध्र प्रदेश डेयरी विकास सहकारी परिसंघ लिमिटेड के साथ भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसकी कुल परियोजना लागत 2.09 करोड़ रुपये है। दोनों ही परियोजनाओं की अवधि एक वर्ष है और प्रत्येक मामले के लिए टाइफैक की कुल बजटीय सहायता 1.00 करोड़ रुपये है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) जी नहीं। निधियां परियोजना विशेष के लिए ही आबंटित की जाती है तथा राज्य सरकारों को निधियां आबंटित नहीं की जा रही हैं।

(च) टेक्नोलाजी विजन 2020 परियोजना के अंतर्गत टाइफैक चार उपक्षेत्रों नामतः दुग्ध, फल एवं सब्जियां, अनाज एवं मछली के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की सफलता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रों से सम्बद्ध पैनलों के माध्यम से प्रगति की मानीटरिंग कर रहा है। सरकार इन परियोजनाओं की निश्चित सफलता के लिए टाइफैक को सहायता प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है।

आतंकवादी गतिविधियां

392. श्री वी.एम. सुधीरन:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में विशेषकर अमरीका की 11 सितम्बर की घटना के बाद आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर उक्त घटना के पश्चात होने वाली आतंकवादी गतिविधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आतंकवाद का मुकाबला करने में अपनी असफलता वाले क्षेत्रों का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) अमरीका में 11 सितम्बर, 2001 को आंतकवादी हमलों के बाद से आतंकवादी हिंसा के स्तर में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। 11 सितम्बर, 2001 के बाद जम्मू और कश्मीर

में हुई मुख्य आतंकवादी घटनाएं नीचे दर्शायी गई हैं:-

(1) 17.9.2001 को एस.ओ.जी. कैम्प हन्डवारा, कुपवाड़ा पर फिदाइन हमले में नौ एस.ओ.जी. कर्मी मारे गए और 11 अन्य घायल हुए। एक फिदाइन आतंकवादी भी मारा गया था।

(2) 1.10.2001 को श्रीनगर में आतंकवादियों ने राज्य विधान सभा पर फिदाइन हमला किया जिसमें 39 व्यक्ति मारे गए और 60 अन्य घायल हुए।

(3) 22.10.2001 को चार लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादियों ने परिसर में घुसने के एक असफल प्रयास में एयरफोर्स स्टेशन, अवंतीपुरा (पुलवामा) के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्डों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। संतरियों ने जवाबी कार्रवाई की और सभी चारों आतंकवादियों को मार गिराया। परस्पर गोलीबारी में एक संतरी और एक सिविलियन भी मारा गया तथा तीन सुरक्षा कर्मी और एक सिविलियन घायल हुआ।

(4) 26.10.2001 को जैश-ए-मोहम्मद का एक आतंकवादी पी एस, छदूरा (बदगाम) के स्नानगृह में घुस गया और गोलियां चलानी शुरू कर दी जिससे एक उप निरीक्षक सहित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दो कर्मी घायल हो गए। सेना/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने क्षेत्र को घेर लिया और मुठभेड़ में आतंकवादी को मार गिराया।

(5) 29.10.2001 को सेना/पुलिस द्वारा चलाए गए एक अभियान के दौरान गांव पंजान, छदूरा (बदगाम) की मस्जिद में फंसा एक आतंकवादी मारा गया और उससे चार मैगजीनों सहित एक ए के राइफल बरामद की गई।

(6) 3.11.2001 को पेठ दयालग्राम (अनन्तनाग) में 36 आर आर कैम्प पर एक फियादीन गुट द्वारा किए गए हमले में भी सेना के चार जवान मारे गए और पांच अन्य घायल हुए। मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी मारा गया।

(ग) से (ङ) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय होने के कारण राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए विभिन्न तरीकें निकालने और ठोस कदम उठाने का काम राज्य सरकारों का है। आतंकवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार ने एक सुसमन्वित एवं बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें सीमा पार से अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण, आसूचना तंत्र को चुस्त-दुरूस्त बनाना, केन्द्र और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों के बीच गहन बातचीत, समन्वित कार्रवाईयों द्वारा आतंकवादियों और राष्ट्रविरोधी तत्वों की योजनाओं को निष्फल करना, अधुनातम हथियारों और संचार प्रणाली आदि के साथ पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन आदि शामिल है। समन्वित कार्रवाई के परिणामस्वरूप उग्रवादियों के अनेक मोड्यूल्स निष्क्रिय किए जा चुके हैं।

राज्यों द्वारा आतंकवादी/उग्रवादी/अतिवादी गतिविधियों से निपटने के लिए किए गए व्यय की राज्यों को सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति योजना के अधीन प्रतिपूर्ति भी की जाती है।

आतंकवाद निवारण अध्यादेश, 2001 लागू कर दिया गया है जिसके अंतर्गत 23 संगठनों को आतंकवादी संगठनों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

11 सितम्बर को अमरीका में हुए हमलों के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास सुरक्षा सुदृढ़ करने की सलाह दी गयी है। अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा की पुनरीक्षा की गई है। हवाई अड्डों, हवाई जहाजों आदि की सुरक्षा सुदृढ़ की गई है। राज्य सरकारों को तोड़फोड़ विनाशक गतिविधियों और साम्प्रदायिक सोहार्द को बिगाड़ने के प्रयासों के बारे में आसूचना संग्रहण को तेज करने के लिए कहा गया है। राज्य सरकरों/संघ शासित क्षेत्रों से किसी भी संभावित घटना से निपटने के लिए संभाव्य योजनाएं तैयार रखने का भी अनुरोध किया गया है।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विनिवेश

393. श्री अम्बरीश:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्रीमती मार्गेट आल्वा:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सिंगापुर एयरलाइंस, जो पहले एक बोलीदाता था, अब एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया से हट चुका है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उसके बाद एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया में क्या प्रगति हुई है;

(च) क्या सिंगापुर एयरलाइंस ने अपने हटने के लिए सरकारी मशीनरी को जिम्मेदार ठहराया है; और

(छ) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) बोलीदातों के अभाव में एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस दोनों में विनिवेश प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

(ग) और (घ) सिंगापुर एअरलाइंस ने एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया से पीछे हट जाने के निम्नलिखित कारण बताए हैं:

1. राजनीतिक दलों, व्यापार यूनियनों तथा समाचार तंत्र के कतिपय वर्गों सहित विभिन्न हल्कों से एयर इंडिया के निजीकरण को लेकर भारी विरोध;
2. अंतर्राष्ट्रीय एयर लाइंस के कारोबार को प्रभावित करते हुए विश्व अर्थ-व्यवस्था में मन्दी; और
3. सिंगापुर एअरलाइंस के विनिवेश का आस्ट्रेलिया में और अधिक ध्यान केन्द्रित करना तथा पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होना।

(ङ) टाटा सन्स लिमिटेड ने सूचित किया है कि टाटा-सिंगापुर एयरलाइंस संघ से सिंगापुर एयरलाइंस के हट जाने के निर्णय के प्रकाश में वे नई स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं जिसके बाद वे मामले पर सरकार को अवगत कराएंगे। अभी तक सरकार को टाटा सन्स लिमिटेड से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

(च) जी, नहीं।

(छ) उपर्युक्त (च) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र के लिए अलग बीज अधिनियम

394. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से महाराष्ट्र के लिए पृथक बीज अधिनियम की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दों को स्पष्ट कर दिया है;

(ङ) क्या राज्य सरकार को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) महाराष्ट्र बीज विधेयक, 2000 राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करने से पूर्व भारत सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के लिए 26.6.2001 को गृह मंत्रालय में प्राप्त हुआ था।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान्।

(ङ) और (च) इस विधेयक की भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

एन.सी.टी.ई. की क्षेत्रीय समितियों का गठन

395. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.सी.टी.ई. की क्षेत्रीय समितियों का गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन सभी क्षेत्रीय समितियों के विचारणीय विषयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समितियों के कार्य क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) क्षेत्रीय समितियों के कार्य, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 14, 15 और 17 में दिए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 20 (6) में उल्लिखित कार्यों में से क्षेत्रीय समितियां, परिषद द्वारा समिति को प्रदत्त अथवा विनियमों के तहत निर्धारित इसी प्रकार के अन्य कार्य भी करेंगी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत धन का आबंटन

396. श्री नरेश पुगलिया: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रथम चरण के लिए विभिन्न राज्यों को धन का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र के विशेष संदर्भ में, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अन्य राज्यों की तुलना में विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्यों को बहुत कम धन दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो क्या आबंटन राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया गया है अथवा राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर; और

(ज) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ज) वर्ष 2000-2001 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ आवश्यकता को 75 प्रतिशत (देश में सड़कों से न जुड़ी कुल बसावटों में से सड़कों से न जुड़ी बसावटों के अंश) तथा कवरेज को 25 प्रतिशत वेटेज (देश में सड़कों से जुड़ी कुल बसावटों में जुड़ी हुई बसावटों का अंश) के आधार पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 2370 करोड़ रुपये का आबंटन किया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आबंटन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। यद्यपि पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के बारे में राज्यों से कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं, तथापि कुछ राज्यों ने अधिक आबंटन करने का अनुरोध किया है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	190.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	35.00
3.	असम	75.00
4.	बिहार	150.00
5.	छत्तीसगढ़	87.00
6.	गोवा	5.00
7.	गुजरात	50.00
8.	हरियाणा	20.00
9.	हिमाचल प्रदेश	60.00
10.	जम्मू व कश्मीर	20.00
11.	झारखंड	110.00
12.	कर्नाटक	95.00
13.	केरल	20.00
14.	मध्य प्रदेश	213.00
15.	महाराष्ट्र	130.00
16.	मणिपुर	40.00
17.	मेघालय	35.00
18.	मिजोरम	20.00
19.	नागालैंड	20.00
20.	उड़ीसा	175.00
21.	पंजाब	25.00

1	2	3
22.	राजस्थान	130.00
23.	सिक्किम	20.00
24.	तमिलनाडु	80.00
25.	त्रिपुरा	25.00
26.	उत्तर प्रदेश	315.00
27.	उत्तरांचल	60.00
28.	पश्चिम बंगाल	135.00
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	10.00
30.	दादर व नागर हवेली	5.00
31.	दमन व दीव	5.00
32.	लक्षद्वीप	5.00
33.	पांडिचेरी	5.00
	जोड़	2370.00

मध्य प्रदेश में शहरों/नगरों का विकास

397. **श्री जयभान सिंह पवैया:**
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश से छोटे और मध्यम स्तर के नगरों के विकास के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश से प्राप्त प्रस्ताव तथा उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

छोटे और मझौले कस्बों के समेकित विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना मध्य प्रदेश सरकार ने 7 कस्बों यथा - बारवानी, जावेद, राजपुर, चौरई, गढ़कोटा, रायसेन और अकोडिया के संबंध में परियोजना रिपोर्टें भेजी हैं। चौरई कस्बे की परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जा चुका है तथा राज्य सरकार को वापस कर दी गई है। शेष परियोजना रिपोर्टों की मूल्यांकन प्रक्रिया नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन में चल रही है और आई.डी.एस.एम.टी. योजना के तहत कार्यान्वयन हेतु उनकी मूल्यांकन रिपोर्ट निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार राज्य सरकार को भेजी जाएगी।

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.) के तहत 16 कस्बों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	कस्बे का नाम	टिप्पणी
1	2	3
1.	मऊगंज	संशोधित रिपोर्ट अक्तूबर, 2001 में प्राप्त हुई थी। उसकी जांच की जा रही है।
2.	शप्पुर	जांच की गई और टिप्पणियां जनवरी, 2001 में भेजी गई। उत्तर अक्टूबर, 2001 में प्राप्त हुआ। जांच की जा रही है।
3.	अजयगढ़	जांच की गई और जनवरी, 2001 में राज्य सरकार को टिप्पणियां भेजी गई।
4.	पाली	जांच की गई। टिप्पणियां अगस्त, 2001 में भेजी गई। उत्तर प्रतीक्षित है।
5.	नौरोजाबाद	जांच की गई और अगस्त, 2001 में टिप्पणियां भेजी गई। उत्तर प्रतीक्षित है।
6.	खंड	जांच की गई और अगस्त, 2001 में टिप्पणियां भेजी गई। उत्तर प्रतीक्षित है।

1	2	3
7.	बाकली	जांच की गई और अगस्त, 2001 में टिप्पणियां भेजी गई। उत्तर प्रतीक्षित है।
8.	मक्सी	निम्न प्राथमिकता। इस स्तर पर विचार नहीं किया जाएगा।
9.	बमहाणी बंजार	निम्न प्राथमिकता। इस स्तर पर विचार नहीं किया जाएगा।
10.	गढ़	निम्न प्राथमिकता। इस स्तर पर विचार नहीं किया जाएगा।
11.	खड़गपुर	जांच की गई और टिप्पणियां नवम्बर, 2001 में भेजी गई। उत्तर प्रतीक्षित है।
12.	उन्हेल	निम्न प्राथमिकता। इस स्तर पर विचार नहीं किया जाएगा।
13.	नामली	निम्न प्राथमिकता। इस स्तर पर विचार नहीं किया जाएगा।
14.	बड़ावाड़ा	जांच की जा रही है।
15.	काकड़हाटी	निम्न प्राथमिकता। इस स्तर पर विचार नहीं किया जाएगा।
16.	नाजगढ़ी	जांच की जा रही है।

उपर्युक्त के अलावा, मध्य प्रदेश सरकार से शहरी जल आपूर्ति और सफाई परियोजनाओं के लिए बाह्य सहायता के लिए 4 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत (करोड़ रु.)	टिप्पणी
1.	जबलपुर जलापूर्ति और सीवरेज परियोजना (म.प्र.)	466.86	टिप्पणियां मध्य प्रदेश को अनुपालनार्थ भेजी गई। आगे उत्तर प्रतीक्षित है।
2.	सागर जलापूर्ति वृद्धि परियोजना (म.प्र.)	75.21	राज्य सरकार से केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय इंजीनियरिंग संगठन (सी.पी.एच.ई.ई.ओ.) की तकनीकी टिप्पणियों का अनुपालन करने तथा पर्याप्त प्रतिपक्षीय वित्तपोषण की पुष्टि करने के लिए कहा गया है।
3.	जबलपुर सीवरेज और सीवेज ट्रीटमेंट परियोजना (म.प्र.)	177.05	राज्य सरकार से केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय इंजीनियरिंग संगठन (सी.पी.एच.ई.ई.ओ.) की तकनीकी टिप्पणियां का अनुपालन करने तथा पर्याप्त प्रतिपक्षीय वित्तपोषण की पुष्टि करने के लिए कहा गया है।
4.	इंदौर जलापूर्ति चरण-III,	575.00	जांच की गई और 17 जुलाई, 2001 को राज्य सरकार को टिप्पणियां भेजी गई।
	इंदौर सीवरेज और सीवेज डिस्पोजल परियोजना	307.05	उत्तर प्रतीक्षित है।

मंत्रालय में रिक्तियां

398. डा. वी. सरोजा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय में विभिन्न श्रेणियों में रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रिक्त पदों को भरने के लिए कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) मंत्रालय में रिक्तियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

(1)	निदेशक (संवर्ग बाह्य)	1
(2)	अनुसंधान अधिकारी	1
(3)	सहायक	7
(4)	आशुलिपिक (समूह 'ग')	2
(5)	लेखाकार	1
(6)	उच्च श्रेणी लिपिक	2
(7)	अवर श्रेणी लिपिक	2
(8)	स्टाफ कार ड्राइवर	2
(9)	जमादार/वरिष्ठ चपरासी	1
(10)	डिस्पैच राइडर	1

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग तथा अन्य सक्षम प्राधिकारियों के परामर्श से जहां भी अपेक्षित हों रिक्तियों को भरने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। संवर्ग बाह्य पदों से संबंधित रिक्तियों को समचारपत्रों में भी प्रकाशित किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खेल संगठन

399. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खेल संगठनों को राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के प्रभाव से मुक्त कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) राष्ट्रीय खेल परिसंघ/संघ पंजीकृत समितियां होती हैं तथा इन संगठनों के पदाधिकारियों का चुनाव उनके संविधानों के अनुसार किया जाता है। सरकार का राष्ट्रीय खेल परिसंघों के आंतरिक कार्यकरण सहित उनकी चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं है।

दिल्ली में फार्म हाउस

400. श्री रामजी मांझी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अधिकांश फार्म हाउस, फार्म हाउसों के संबंध में दिनांक 23.7.1998 की अधिसूचना को रद्द करते हुए दिनांक 7.6.2000 को जारी किए गए मानदंडों/मार्ग-निर्देशों का उल्लंघन करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनका मंत्रालय 7.6.2000 की अधिसूचना रद्द कर रहा है और दिल्ली में अवैध रूप से निर्मित फार्म हाउसों को अनुचित लाभ देने के लिए दिनांक 23.7.1998 की अधिसूचना लागू कर रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो कृषि भूमि पर अवैध रूप से निर्मित फार्म हाउसों को गिराये न जाने के क्या कारण हैं और उन्हें कब तक गिरा दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन फार्म हाउसों में आमतौर पर पाए गए अवैध निर्माण का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) फार्म हाउसों के संबंध में दिनांक

23.7.1998 की पिछली अधिसूचना को निरस्त करते हुए 7 अगस्त, 2000 को दिल्ली में फार्म हाउसों के लिए भवन नियंत्रण मानक अधिसूचित किये गये। दिनांक 15.10.2001 तक दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वेक्षित कई फार्म हाउसों में मानकों के उल्लंघन का पता चला है।

(ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा दिनांक 15.10.2001 तक सर्वेक्षण किये गये कुल 1553 फार्म हाउसों में से 1426 मामलों में स्वीकृत योजना का उल्लंघन पाया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 407 फार्म हाउसों का सर्वेक्षण किया था और 250 मामलों में स्वीकृत योजना का उल्लंघन पाया गया है।

(ग) दिनांक 7.6.2000 की सरकारी अधिसूचना आवासीय भवनों के निर्माण के बारे में थी। तथापि, अभी सरकार के पास फार्म हाउसों से संबंधित दिनांक 7.8.2000 की अधिसूचना को निरस्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गैर-कानूनी निर्माणों के खिलाफ अधिनियम तथा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ङ) फार्म हाउसों के गैर कानूनी निर्माण अधिकांशत: स्वीकृत योजना और भवन उप नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में किये गये हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स और फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड का बंद किया जाना

401. श्री सुबोध मोहिते: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स और फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, नागपुर को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने एम.ए.पी.एल. के कर्मचारियों को कोई मुआवजा देने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के सहायतार्थ क्या वैकल्पिक उपाय किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) 04.07.2001 को हुई सुनवाई में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के तहत अपनी राय बनायी कि यह उचित, न्याय संगत और जनहित में है कि एम.ए.पी.एल. का परिसमापन, कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अंतर्गत कर दिया जाए।

(ग) से (ङ) सरकार ने एम.ए.पी.एल. के कर्मचारियों को मुआवजा देने का निर्णय नहीं लिया है।

सी.एम.सी. का विनिवेश

402. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के सी.एम.सी. लिमिटेड के विनिवेश के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसकी बोली में कितने बोलीदाता शामिल हुए और इनकी दरें क्या हैं;

(घ) क्या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस ने इस कम्पनी के अधिग्रहण में अपनी इच्छा व्यक्त की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(छ) यदि हां, तो अंतिम रूप दी गई शर्तों का ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) जी, हां। सी.एम.सी. लिमिटेड का प्रबंध नियंत्रण अनुकूल साझीदार को 16 अक्तूबर, 2001 को सौंपा गया था।

(ग) से (छ) दो बोलीदाताओं ने अपनी बोलियां प्रस्तुत की थी लेकिन एक बोली को अनुपयोगी पाया गया था क्योंकि बोलीदाता

द्वारा अपेक्षित बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं की गई थी। अत: बोली को खोला नहीं गया था। सी.एम.सी. लि. की 51 प्रतिशत इक्विटी के लिए टाटा सन्स लिमिटेड नामक अन्य बोलीदाता द्वारा लगाई गई बोली की राशि 152 करोड़ रुपए थी। बोली का मूल्यांकन करने के बाद मैसर्स टाटा सन्स लि. की बोली को स्वीकार किया गया तथा आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बाद 16.10.2001 को उन्हें प्रबंधन हस्तांतरित कर दिया गया था।

कुंग-फू और कराटे को बढ़ावा देना

403. श्री पी.सी. थामस: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुंग-फू और कराटे मान्यताप्राप्त खेल हैं और इसलिए इन्हें देश में बढ़ावा दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में इन खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) कराटे के संवर्धन के लिए भारत सरकार ने इस प्रयोजनार्थ एक राष्ट्रीय खेल परिसंघ को मान्यता प्रदान की है। तथापि, सरकार द्वारा कुंग-फू से संबंधित किसी भी राष्ट्रीय खेल परिसंघ को मान्यता नहीं दी गई है।

(ग) हाल ही के वर्षों में कुंग-फू से संबंधित किसी भी संगठन ने सरकार से मान्यता की मांग नहीं की है।

(घ) मौजूदा व्यवस्था में, किसी खेल विशेष के संवर्धन की जिम्मेदारी मुख्यत: संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ की होती है। तथापि, कराटे से संबंधित परिसंघ, राष्ट्रीय चैंपियनशिपें आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता पाने का पात्र है।

उर्वरकों का मूल्य और वितरण

404. श्री जी.जे. जावीया: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन उर्वरकों का मूल्य, वितरण और ढुलाई नियंत्रण केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन हैं;

(ख) इन उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) क्या है; और

(ग) नियंत्रणमुक्त उर्वरकों और रसायनों के नाम क्या है और इनके अधिकतम खुदरा मूल्य क्या-क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) वर्तमान में यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो सांविधिक रूप से मूल्य, वितरण एवं संचलन नियंत्रण के अंतर्गत आता है। वर्तमान में सांविधिक रूप से अधिसूचित यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य केन्द्रीय बिक्री कर, राज्य बिक्री कर एवं अन्य स्थानीय कर जहां कहीं भी लगाये जाते हैं को छोड़कर, 4600 रुपये प्रति टन है।

(ग) चूंकि रसायन नियंत्रणमुक्त हैं, इसलिए सरकार उनका मूल्य निर्धारित नहीं करती है। रियायत स्कीम के अंतर्गत शामिल विनियंत्रित फास्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य संघ सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट के अधिकतम खुदरा मूल्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। विनियंत्रित फास्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरकों का निदेशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्य वर्तमान में निम्नानुसार है:-

(रुपये प्रति टन)

उर्वरक का नाम	निदेशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्य
डाई-अमोनियम फास्फेट (डीएपी)	8900
म्यूरेट आफ पोटाश (एमओपी)	4255
मिश्रित उर्वरक	
10:26:26	7880
12:32:16	7960
14:28:14	7820
14:35:14	8100
15:15:15	6620
16:20:0	6740
17:17:17	7680
19:19:19	7840
20:20:0	6880
23:23:0	7540
28:28:0	8520

लघु जनजातीय विकास एजेंसियां

405. **श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) विभिन्न जनजातीय बहुल राज्यों में लघु जनजातीय विकास एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यवार और वर्षवार इन एजेंसियों को कितनी राशि आवंटित की गई है और आठवीं तथा नौवीं योजना अवधि के दौरान इन एजेंसियों द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया; और

(ग) इन एजेंसियों द्वारा लघु जनजातियों के लिए वर्षवार अलग-अलग क्या विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) जनजातीय उपयोजना (टी.एस.पी.) कार्यनीति के अंतर्गत समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं, संशोधित क्षेत्र, विकास दृष्टिकोण के अंतर्गत पाकेटों तथा क्लस्टरों की पहचान 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कर ली गई है। इसके अतिरिक्त 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 75 आदिम जनजातीय समूहों की भी पहचान कर ली गई है। जनजातीय उपयोजना कार्यनीति के अंतर्गत किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में लघु विकास एजेंसियां स्थापित की गई है।

आवास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

406. **श्री विलास मुत्तेमवार: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में केन्द्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आवास के क्षेत्र में हुई प्रगति की व्यापक समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आवास योजनाओं के संतुलित और कारगर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों के साथ कोई विचार-विमर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं के बारे में राज्य सरकारों ने समर्थन किया है;

(ङ) यदि हां, तो अंतिम रूप प्रदान की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है; और

(च) प्रस्तावित योजनाओं को किस प्रकार से कार्यान्वित किए जाने की संभावना है, प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी और प्रत्येक राज्य में कितने आवासीय एकक निर्मित किए जायेंगे?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) 'सबके लिए आवास' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने 1998-99 से दो मिलियन आवास कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम को गति देने के लिए उपायों के सुझाव हेतु इस कार्यक्रम की नियमित रूप से आवधिक समीक्षा और निगरानी की जा रही है। जून, 2000 में आयोजित राज्य आवास मंत्रियों और सचिवों के सम्मेलन के दौरान इस कार्यक्रम की एक व्यापक समीक्षा की गई।

(घ) और (ङ) आवास राज्य का विषय है। भारत सरकार की भूमिका निर्माता की बजाय सुविधादाता की है। तथापि, स्कीमों को अंतिम रूप देने से पूर्व सामान्त: राज्यों से सलाह की जाती है। अपने राज्यों में आवास समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती है। 2 मिलियन आवास कार्यक्रम के अंतर्गत आवास एवं नगर विकास निगम लिमिटेड (हडको) ने 31.10.2001 तक 2,931.35 करोड़ रु. की 13,61,498 रिहायशी यूनिटें स्वीकृत की हैं।

(च) यह स्कीम मांग-मूलक है तथा राज्य सरकारों के अनुरोध/नियतन के अनुसार राशि जारी की जाती है।

बांग्लादेश राइफल्स द्वारा धमकी

407. **श्री जे.एस. बराड़: क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांग्लादेश राइफल्स ने बांग्लादेश की सीमा से लगे कई भारतीय गांवों के लोगों को गांव छोड़ने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बांग्लादेश के साथ लगी भारतीय सीमा में बाड़ लगाए जाने की संभावना है विशेषकर उन गांवों में जहां दूसरी ओर से निरंतर खतरे की स्थिति बनी हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बंग्लादेश की सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जानमाल की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) हाल के महीनों में एक घटना ऐसी हुई है जिसमें बांग्लादेश राइफल्स (बी.डी.आर.) ने भारत के प्रतिकूल कब्जे वाले

क्षेत्रों में ग्रामीणों को अपन घर खाली करने की धमकी दी। 17 जून, 2001 को जिला नादिया, पश्चिम बंगाल के जो कि भारत के चार मेघना गांव जो कि भारत के प्रतिकूल कब्जे में है, में बांग्लादेश राइफल्स और सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमा खंभों के संयुक्त सत्यापन के समय, बांग्लादेश राइफल्स कार्मिकों ने अपनी चौकियों की ओर लौटते हुए कुछ निवासियों को 10 दिन के भीतर गांव खाली करने को कहा। सीमा सुरक्षा बल ने बांग्लादेश राइफल्स के पास सख्त विरोध दर्ज कराया तथा एक ध्वज बैठक आयोजित की गई। ग्रामीणों के मन में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए इस क्षेत्र में रात दिन गश्त लगाने के लिए अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई।

(ग) और (घ) बांग्लादेश से लगती सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। पहले चरण में भारत बांग्लादेश सीमा के 857 कि.मी. में बाड़ लगाने हेतु मंजूरी दी गई थी जिसमें से 852 कि.मी. क्षेत्र में पहले ही बाड़ लगा दी गई है। द्वितीय चरण में सरकार ने 2429 कि.मी. लंबाई में बाड़ लगाने हेतु मंजूरी दी है। इस पर कार्य चल रहा है।

(ङ) भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें खड़ी करने, सीमा चौकियों के बीच की दूरी कम करने, भूमि एवं नदी तटीय सीमाओं पर गश्त बढ़ाने, सीमा सड़कों तथा बाड़ निर्माण का त्वरित कार्यक्रम, सीमा चौकी बुर्जों की संख्या में वृद्धि, निगरानी उपकरणों आदि की व्यवस्था सहित अनेक उपाय किए हैं ताकि बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जान-माल की रक्षा की जा सके।

[हिन्दी]

अर्द्ध-सैनिक बल

408. श्री राजो सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान अर्द्ध-सैनिक बलों की संख्या बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज तक की स्थिति के अनुसार अर्द्ध-सैनिक बलों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) ब्यौरे प्रकट करना जनहित में नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा इतिहास की पुस्तकों का पुनर्लेखन

409. श्री रमेश चेन्नितला: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् से विद्यालयों को इतिहास पुस्तकों के पुनर्लेखन के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इतिहास की पाठ्य पुस्तकों के पुनर्लेखन में कोई नया दृष्टिकोण अपनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या कार्यढांचे में की गई सिफारिशों और उसके लिए तैयार की गयी विस्तृत पाठ्य विवरणिकाओं के आधार पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में इतिहास सहित सभी विषयों की नई पाठ्य पुस्तकें तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) और (घ) इतिहास की पाठ्य पुस्तकें लिखने के सम्बन्ध में अपनाए जा रहे दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तथापि ये पुस्तकें नई पाठ्य विवरणिकाओं पर आधारित होंगी।

झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों के लिए शौचालय परिसर का निर्माण

410. श्री कोलूर बसवनगौड़: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार की ओर से बंगलौर के झुग्गी-झोपड़ी निवासियों के लिए 20 शौचालय ब्लाक वाले 500 शौचालय परिसरों के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का विचार इस परियोजना के लिए 'हडको'' के माध्यम से 100 करोड़ रुपये जारी करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस राशि में कितनी राजसहायता शामिल है;

(ङ) क्या मांगी गई राशि जारी कर दी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं। इस मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरकों पर राज सहायता

411. **श्री रघुनाथ झा:**
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक दशक पहले उर्वरकों पर राज सहायता वापिस ले ली गई थी और उर्वरकों पर राज सहायता पुन: दिए जाने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन उर्वरकों का ब्यौरा क्या है जिन पर राजसहायता दी जा रही है तथा तत्संबंधी दर क्या है;

(ग) क्या उक्त राजसहायता आगे किसानों को दी जायेगी;

(घ) क्या सरकार अन्य रसायनों/कीटनाशी दवाओं पर भी राज सहायता देने का विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) ऐसी सभी योजनाओं/परियोजनाओं आदि का ब्यौरा क्या है जिन्हें उनका मंत्रालय किसान वर्ग को लाभ देने के लिए शुरू कर रहा है; और

(छ) प्रत्येक परियोजना/योजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) हालांकि फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों को 25.8.1992 को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया था, लेकिन कम विश्लेषित नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक अर्थात् अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराईड को 10.6.1994 को नियंत्रणमुक्त किया गया। सरकार नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों की बिक्री पर रियायत देती है। वर्ष 2001-2002 की रियायत की मूल दरें स्वदेशी डीएपी के लिए 3700 रुपये प्रति मी. टन आयातित डीएपी के लिए 1550 रुपये मी. टन एम ओ पी के लिए 3150 रुपये प्रति मी. टन और एसएसपी के लिए 700 रुपये प्रति मी. टन हैं। विभिन्न मिश्रित उर्वरकों के लिए रियायत का स्तर इन उर्वरकों में एनपीके मात्रा को ध्यान में रखकर अनुपातिक रूप से निर्धारित किया जाता है।

यूरिया सांविधिक मूल्य, आबंटन और संचलन नियंत्रण की अधीन एक मात्र उर्वरक होने के नाते, प्रतिधारण मूल्य-सह राजसहायता योजना के अंतर्गत आता है और राजसहायता का हकदार है। यूरिया के प्रतिधारण मूल्य (उत्पादन लागत जमा निबल पूंजी पर 12 प्रतिशत कर पश्चात् लाभ) और सांविधिक अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच अन्तर को यूरिया विनिर्माताओं को राजसहायता के रूप में अदा किया जाता है। वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा यूरिया पर वहन की जा रही राजसहायता की राशि औसतन 4000 रुपये प्रति टन से अधिक है।

(ग) सम्पूर्ण देश में कृषकों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिकतम खुदरा मूल्य पर तथा नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों को निदेशित अधिकतम खुदरा मूल्यों पर बेचा जाता है जो कि उर्वरकों की उत्पादन लागत से बहुत कम है इसलिए राजसहायता/रियायत का लाभ अप्रत्यक्ष रूप से कृषकों को पहुंच जाता है।

(घ) और (ङ) अन्य रसायनों/कीटनाशकों पर राजसहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) और (छ) रसायन और उर्वरक मंत्रालय यूरिया विनिर्माताओं को राजसहायता और नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरकों के विनिर्माताओं को रियायत देता है। चालू वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान यूरिया पर राज सहायता तथा नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर रियायत के लिए क्रमश: 8456 करोड़ रुपये और 5714 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बहुत सी उर्वरक कम्पनियां अपने संसाधनों में से उर्वरकों के वैज्ञानिक उपयोग के लिए कृषकों को शिक्षा पर जोर देने के साथ कृषि विस्तार कार्य कर रही हैं। इसके अलावा, कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (कृभको), इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफ्को) और इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) क्रमश: वर्षा सिंचित कृषि परियोजनाएं, भारतीय खेत वन विकास सहकारी परियोजना और वर्षा सिंचित क्षेत्र परियोजना में पर्यावरण सुधार जैसी विशेष परियोजनाओं को भी क्रियान्वित कर रही है।

पूर्वोत्तर राज्यों में निधियों का उपयोग न होना

412. श्री एम.के. सुब्बा: क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1999-2000, 2000-2001 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में प्राथमिक, माध्यमिक और तकनीकी शिक्षा के लिए आवंटित निधियों की एक बड़ी धनराशि अनप्रयुक्त अथवा पुनर्विनियोजित रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी निधियों के अन्यत्र उपयोग/गैर-विनियोजन, पुनर्विमियोंजन के क्या कारण हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) पूर्वोत्तर राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अवैध भारतीय हथियारों की तस्करी

413. श्री दिनेश चन्द्र यादव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत बांग्लादेश की असंरक्षित सीमा पर अवैध भारतीय हथियारों की बढ़ती तस्करी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तस्करी का कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) सरकार को भारत-बांग्लादेश सीमा पर हथियारों की तस्करी की रिपोर्टों की जानकारी है। तस्करी चोरी-छिपे किए जाने वाला कार्य है, इसकी मात्रा का सही-सही पता नहीं लगाया जा सकता है। तथापि, पिछले चार वर्षों के दौरान 8.11.2001 तक भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ-साथ सुरक्षा बल द्वारा जब्त किए गए हथियारों और गोला बारूद का विवरण नीचे दिया गया है:-

(सभी आंकड़े संख्याओं में हैं)

1998		1999		2000		2001	
हथियार/गोलाबारूद		हथियार/गोलाबारूद		हथियार/गोलाबारूद		हथियार/गोलाबारूद	
46	458	20	41	41	325	30	1597

सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी सहित अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। सम्पूर्ण भारत-बांग्लादेश सीमा पर चरणबद्ध रूप से बाड़ लगाई जा रही है। सीमा सुरक्षा बल नदी तटीय क्षेत्रों में गश्त सहित सीमा पर गश्त लगा कर चौबीसों घंटे चौकसी रखती है और नाका आदि लगाती है। इसके अलावा, सीमा सुरक्षा बल ऐसी गतिविधियों को रोकने के इरादे से अपने आसूचना नेटवर्क को बढ़ा रही है और स्थानीय पुलिस के साथ विशेष अभियान चलाती है। भारत-बांग्लादेश सीमा पार से तस्करी रोकने के लिए सीमा शुल्क की फील्ड फार्मेशनों और राजस्व आसूचना निदेशालय को भी सुग्राही बनाया जाता है।

विदेश आदेश, 1971 को लागू करना

414. मोहम्मद शहाबुद्दीन:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उपमहाद्वीप में हाल ही के अफगान विवाद को देखते हुए विदेश (पुलिस को रिपोर्ट करना) आदेश, 1971 को लागू करने पर पुनः विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या वर्तमान में फिलिस्तीन और बांग्लादेश के आगंतुकों पर लागू इस आदेश को वापिस लिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विदेशियों विषय (पुलिस को रिपोर्ट करना) आदेश, 1971, 7 अगस्त, 2001 को निरस्त हो गया है और इसके

स्थान पर नया आदेश अर्थात् विदेशियों विषयक (पुलिस को रिपोर्ट करना) आदेश, 2001 लाया गया है। 7 अगस्त, 2001 को जारी नये आदेश के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक को उसके अधिभाग, स्वामित्व या नियंत्रण वाले परिसर में रह रहे विदेशी की उपस्थिति के बारे में 24 घंटे के भीतर नजदीकी पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करनी चाहिए, यदि उसके पास यह विश्वास करने के कारण हों कि वह विदेशी भारत में अवैध रूप से रह रहा है। यह आदेश फिलिस्तीनियों और बांग्लादेशियों सहित सभी विदेशियों पर लागू होता है यदि वे अवैध रूप से रह रहे हों।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ

415. श्री रामदास आठवले: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित व्यक्तियों की शिकायतों की जांच करने के लिए उनके मंत्रालय में एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि को यह प्रकोष्ठ गठित किया गया है और इसके गठन के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी स्थापना की शुरूआत से इस प्रकोष्ठ को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा कितनी शिकायतों का समाधान किया गया; और

(घ) इस प्रकोष्ठ को और कारगर बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन से प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) 20.11.1996 को संयुक्त सचिवों में से एक के नियंत्रणाधीन कुछ सहायक स्टाफ के साथ गृह मंत्रालय में एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया था।

(ग) और (घ) अल्प-संख्यक समुदायों के संबंध में समय-समय पर कानून और व्यवस्था के मुद्दों से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं और इन्हें उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के विभागों को भेज दिया जाता है।

अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति जघन्य अपराधों के मामले में, केन्द्रीय सरकार भी जांच आयोग की स्थापना करने जैसे विशिष्ट कदम उठाने पर विचार करती है उदाहरण के तौर पर जैसा कि मनोहरपुर गाँव, जिला क्योंझार, उड़ीसा राज्य, में 22/23 जनवरी, 1999 को एक आस्ट्रेलियन राष्ट्रिक मि. ग्राहम स्टीवर्स स्टेंस और उनके दो पुत्रों की हत्या की घटना के मामले में किया गया था। ऐसी जांच रिपोर्टों के निष्कर्षों पर समुचित कार्रवाई की जाती है।

तथापि, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II राज्य सूची की प्रविष्टि I और II के अनुसार "लोक व्यवस्था" आर "पुलिस" राज्य के विषय हैं, अतः अपराध का पंजीकरण, जांच-पड़ताल और साम्प्रदायिक घटनाओं से संबंधित आंकड़ों को संकलित करने सहित लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। इस प्रकार, अल्प संख्यकों की शिकायतों को दूर करना मूल रूप से राज्य सरकारों का काम है और इसे राज्य सरकारों पर ही छोड़ा गया है।

अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आसूचना का आदान-प्रदान करती है और उन्हें समय-समय पर सलाह/चौकसी संदेश भेजती है और विशिष्ट अनुरोध पर उन्हें केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल भी उपलब्ध कराती है। केवल साम्प्रदायिक तनावों से ही निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई बल नामक एक विशेष बल तैनात किया जाता है। राज्य सरकारों को उनके पुलिस तंत्र के आधुनिकीकरण के लिए सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा, साम्प्रदायिक सोहार्द बढ़ाने के लिए अक्टूबर, 1997 में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना

416. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा सरकार राज्य में प्रौद्योगिकीय पार्क स्थापित करने का विचार कर रही है और ढांचागत सुविधाओं की कमी के कारण, प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकीय घराने और विश्वव्यापी खिलाड़ी इस उद्यम की ओर आकृष्ट नहीं हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में वित्तीय संकट को देखते हुए संघ सरकार का इस मामले में राज्य को सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (घ) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में प्रौद्योगिकी पार्कों के नाम से कोई भी पार्क स्थापित नहीं किए गए हैं। तथापि, उड़ीसा सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम.आई.टी.) के साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क्स आफ इंडिया (एस.टी.पी.आई.) की सहायता से अप्रैल, 1992 में भुवनेश्वर में एक साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एस.टी.पी.) की स्थापना की थी। एस.टी.पी. साफ्टवेयर निर्यात करने वाली इकाइयों के लिए उच्च गतिक आंकड़ा संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के अलावा उनके लिए स्थान का भी निर्माण करते हैं। हाल ही में, एस.टी.पी.आई. ने भी राउरकेला में एक साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क स्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कई जानी-मानी साफ्टवेयर कम्पनियों, जिनमें इन्फोएसिस टेक्नोलोजीज लिमिटेड, बंगलौर तथा सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, हैदराबाद ने भुवनेश्वर में अपने विकास केन्द्र स्थापित किए हैं।

संघीय अपराध

417. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार आतंकवाद, संगठित अपराधों तथा स्वापकों की तस्करी आदि जैसे संघीय अपराधों को समाप्त करने के लिए सक्रियता से प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कदम राष्ट्रीय प्रभावों के साथ अपराधों से निपटने हेतु गुप्त कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी जांच एजेंसियों को शक्तियां प्रदान करने हेतु उठाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) भारत सरकार ने, कुछेक ऐसे विशिष्ट गंभीर अपराधों, जिनका अंतर्राज्यीय और/या राष्ट्रव्यापी शाखा-विस्तारण है, से निपटने के लिए एक फैडरल एजेन्सी गठित करने का प्रस्ताव किया है। कुछ राज्यों ने इस आधार पर इसका विरोध किया है कि इस प्रकार के प्रस्ताव से कानून और व्यवस्था बनाए रखने के उनके संवैधानिक अधिकार का अतिलंघन होगा।

(ङ) इस प्रस्ताव में अंतर्ग्रस्त कानूनी और संवैधानिक मामलों को देखते हुए इस पर अंतिम निर्णय लिए जाने के बारे में कोई समय सीमा बताना कठिन है।

पनधारा विकास संबंधी हनुमंत राव समिति की रिपोर्ट

418. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पनधारा विकास संबंधी और हनुमंत राव समिति की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी सूखा प्रवण क्षेत्रों में पनधारा विकसित करने के लिए नई नीतियों के कार्यान्वयन के पश्चात् कोई प्रभाव देखने में आया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का ग्रामीण लोगों के लाभ के लिए पनधारा विकास में तेजी लाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पनधारा विकास कार्यक्रम में किन्हीं चूकों की पुनरीक्षा करने और उनमें सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) च. हनुमंत राव समिति की सिफारिश की अनुपालना में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बंजरभूमि और अवक्रमित भूमि की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किये थे जिससे 1.4.95 से समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत परियोजना क्षेत्रों में गरीबी में कमी आना सुनिश्चित हुआ है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में सामुदायिक भागीदारी के द्वारा परियोजना क्षेत्रों में समेकित विकास की परिकल्पना की गई है। तीन मुख्य वाटरशेड विकास कार्यक्रमों को संतोषजनक रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। और जलाऊ लकड़ी, चारे, भूमिहीन, श्रमिकों को रोजगार के अवसरों की उपलब्धता जिससे उनके पलायन में कमी आई है, भूमि कटाव को रोकने, जल स्तर तथा फसलों के उत्पादन को बढ़ाने, वाटरशेड क्षेत्रों के भीतर और आस-पास रहने वाले ग्रामीण लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार आने की दिशा में काफी प्रगति दिखाई देती है।

(घ) और (ङ) सरकार ने ग्रामीण लोगों के लाभ के लिए तीन कार्यक्रमों नामत: सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) तथा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाया है। इन कार्यक्रमों के लिए निर्धारित निधियों में विगत तीन वर्षों के दौरान निम्नानुसार क्रमिक रूप से वृद्धि हुई है:-

(करोड़ रुपये में)

कार्यक्रम का नाम	के दौरान बजट आबंटन		
	1999-2000	2000-2001	2001-2002
सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	95.00	190.00	210.00
मरूभूमि विकास कार्यक्रम	85.00	135.00	160.00
समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम	82.00	390.00*	430.00

*संशोधित आबंटन

(च) गत छ: वर्षों में प्राप्त प्रभाव संबंधी सूचना को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने सितम्बर, 2001 में वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों को संशोधित किया है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अधिक ,लचीलापन, पंचायती राज संस्थाओं के लिए लक्ष्यबद्ध भूमिका, परियोजना दृष्टिकोण, बहिर्गमन व्यवस्था (एग्जिट प्रोटोकॉल), परियोजना कार्यान्वयन में तथा परियोजनोत्तर अनुरक्षण आदि में अधिक सामुदायिक भागीदारी की व्यवस्था की गई है।

अयोध्या मंदिर में जबरन प्रवेश

419. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्री सनत कुमार मंडल:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री बेनी प्रसाद वर्मा:
श्री टी.एम. सेल्वागनपति:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विवादित अयोध्या मंदिर में कुछ लोगों के जबरन प्रवेश की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) न्यायालय के आदेश की अवज्ञा के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या क्या है तथा न्यायालय के आदेश की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को निर्देश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या सरकार का इस जगह में प्रवेश करके न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट के अनुसार सर्व/श्री अशोक सिंघल और एस.सी. दीक्षित 20 अन्य व्यक्तियों के साथ 17 अक्तूबर, 2001 को अयोध्या में विवादित परिसर में घुसे। स्थानीय अधिकारियों के मनाने पर उन्होंने विवादित परिसर खाली किया। तथापि, विवादित परिसर में जबरन घुसने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की गयी। वहां पर सुरक्षा प्रबन्धों को आगे और सुदृढ़ करने के लिए एक उपाय के रूप में राज्य सरकार ने दण्ड प्र.सं. की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा भी लागू कर दी है। सुरक्षा के लिए नए खतरों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अयोध्या की सुरक्षा स्कीम की भी समीक्षा की है।

(घ) से (च) केन्द्र सरकार ने, अयोध्या में सुरक्षा प्रबन्धों को आगे और सुदृढ़ बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त अनुदेश दिए है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में इस प्रकार की किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिरीक्षक की अध्यक्षता वाले जांच न्यायालय के निष्कर्षों के आधार पर 17 अक्तूबर, 2001 को परिसर की सुरक्षा में कौताही के लिए जिम्मेवार पाए गए कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही हैं।

(छ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ज) प्रश्न नहीं उठता है।

दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना

420. श्री किरीट सोमैया: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28.10.2001 को "इंडियन एक्सप्रेस" में "मेट्रो रेल आल स्माइल्स एज जापान लूजन्स पर्स स्ट्रिंग" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या एम.आर.टी.एस. के प्रथम चरण में अतिरिक्त 22 किलोमीटर द्वारिका-कनाट प्लेस संपर्क के साथ आगे बढ़ाया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत के विरुद्ध जापान द्वारा आर्थिक प्रतिबंध उठाए जाने के बाद एम.आर.टी.एस. को किस हद तक फायदा होगा?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली एम.आर.टी.एस. परियोजना के प्रथम चरण में द्वारका-कनाट प्लेस संपर्क को केन्द्र सरकार द्वारा अभी अनुमोदित नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जापान द्वारा भारत पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का दिल्ली एम.आर.टी.एस. परियोजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए जापान द्वारा भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

[हिन्दी]

सर्व शिक्षा अभियान

421. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में राज्य-वार कितने जिलों को शामिल किया गया है; और

(ख) इस अभियान के अंतर्गत राज्य-वार शेष जिलों को कब तक शामिल किए जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों की राज्यवार संख्या विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) शेष जिलों को मार्च, 2002 तक शामिल किए जाने की सम्भावना है।

विवरण

राज्य का नाम	सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शामिल किए गए उन जिलों जिनमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है, की संख्या	सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शामिल किए गए उन जिलों जिनमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का पहला चरण शुरू किया गया है।	सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शामिल किए गए कुल जिलों की संख्या
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	4	0	4
अरुणाचल प्रदेश	13	0	13

1	2	3	4
असम	14	0	14
बिहार	17	0	17
छत्तीसगढ़	0	9	9
गोवा	0	0	0
गुजरात	14	0	14
हिमाचल प्रदेश	8	0	8
हरियाणा	11	4	15
झारखण्ड	3	0	3
जम्मू और कश्मीर	2	0	2
केरल	8	3	11
कर्नाटक	12	5	17
मध्य प्रदेश	12	17	29
मणिपुर	9	0	9
मेघालय	7	0	7
महाराष्ट्र	23	5	28
मिजोरम	8	0	8
नागालैण्ड	8	0	8
उड़ीसा	14	0	14
पंजाब	17	0	17
राजस्थान	0	0	0
सिक्किम	4	0	4
तमिलनाडु	22	4	26
त्रिपुरा	4	0	4
उत्तर प्रदेश	17	0	17
उत्तरांचल	7	0	7
पश्चिम बंगाल	7	0	7
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	0	2

1	2	3	4
चण्डीगढ़	0	0	0
दादर और नागर हवेली	1	0	1
दमन और दीव	0	0	0
दिल्ली	0	0	0
पांडिचेरी	4	0	4
लक्षद्वीप	0	0	0
योग	272	47	319

[अनुवाद]

दिल्ली नगर निगम को वित्तीय सहायता

422. **श्री नरेश पुगलिया:**
डा. जसवंतसिंह यादव:
श्री सईदुज्जमा:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने स्थापित मानदंडों के विपरीत दिल्ली नगर निगम को सीधे 100 करोड़ रुपये की राशि दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस राशि को दिये जाने का विशिष्ट प्रयोजन क्या है; और

(घ) उस एजेंसी का ब्यौरा क्या है जो यह सुनिश्चित करेगी कि 100 करोड़ रुपये का यह विशिष्ट अनुदान उस कार्य के कार्यान्वयन पर उचित रूप से उपयोग किया जा रहा है जिसके लिये अनुदान दिया गया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने दिल्ली में सड़कें बनाने और मजबूत करने के लिए दिल्ली नगर निगम के लिए शहरी विकास कोष से 100 करोड़ रु. की धनराशि स्वीकृत की है। 50 करोड़ रु. अनुदान के रूप में होंगे और शेष 50 करोड़ रु. ऋण के रूप में होंगे जिस पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाएगा और जिसकी पुनर्भुगतान अवधि 20 वर्ष है।

परियोजना की कुल लागत 150.54 करोड़ रु. है। शेष 50.54 करोड़ रु. दिल्ली नगर निगम द्वारा उनके अपने स्रोतों से मुहैया कराए जाएंगें। शहरी विकास कोष के दिशानिर्देशों में इसका उपयोग दिल्ली विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकायों द्वारा दिल्ली में सेवाओं में सुधार करना निर्धारित किया गया है। परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी शहरी विकास कोष के दिशानिर्देशों के अनुसार शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री की अध्यक्षता में पहले से गठित परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा की जाएगी।

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशि का उपयोग

423. **डा. वी. सरोजा:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आपके मंत्रालय ने मंत्रालय को आवंटित धन का उपयोग नहीं किया है और उसके परिणामस्वरूप वर्ष 2000-2001 के लिये संशोधित प्राक्कलनों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रखी राशि में भारी कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान धन के पूरी तरह उपयोग के लिये क्या कदम उठाए गये हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान धन का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) जनजातीय कल्याण के प्रभारी राज्य मंत्रियों और जनजातीय कल्याण के लिए कार्यरत सचिवों की बैठक आयोजित की गई है और जनजातियों के कल्याण के लिए परियोजनाओं को प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिए गए हैं।

(2) केन्द्र सरकार के अधिकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की मौके पर प्रगति का पता लगाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं।

(3) उपायुक्तों/जिला मजिस्ट्रेटों से गैर-सरकारी संगठनों का निरीक्षण तत्काल करने और उन्हें समय पर धनराशि की निर्मुक्ति के लिए रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

आप्रवास जांच चौकियां

424. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित आप्रवास जांच चौकियां और दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई स्थित अंतर्राष्टीय विमानपत्तनों पर स्थित आप्रवास जांच केन्द्रों को अपने नियंत्रणाधीन कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। आप्रवासन सेवाओं में सुधार लाने की दृष्टि से दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और अट्टारी बाधा थल जांच चौकी, अट्टारी रेल हैड और राजासांसी हवाई अड्डा, अमृतसर में आप्रवासन कार्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया है।

[अनुवाद]

चलते वाहनों में संगीत बजाना

425. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में चलते हुये वाहनों में संगीत बजाना एक अपराध है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 में अब तक कितनी कारों/वाहनों का इस कारण चालान किया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) वर्ष 2000 और 2001 के दौरान (1 अक्तूबर, 2001 तक) तेज आवाज में संगीत बजाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा 5083 वाहनों का चालान किया गया।

सभी के लिये आवास

426. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास प्रत्येक शहर में सभी के लिये आवास उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु लक्षित तिथि क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडे के तहत "सभी के लिए आवास" का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को पाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने प्रतिवर्ष शहरी क्षेत्रों में 7 लाख आवासीय इकाइयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 13 लाख आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए वर्ष 1998-99 से प्रतिवर्ष दो मिलियन आवास कार्यक्रम (2 एम.एच.पी.) शुरू किया है। आश्रय देने की वर्तमान दर के हिसाब से सभी राज्यों में गरीबों की आवास आवश्यकताएं मोटे तौर पर पूरी करने में कम से कम और 15 वर्ष लगेंगे।

केन्द्र सरकार केवल सुविधाता की भूमिका निभाती है न कि प्रदाता की। तथापि इस मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, आवास और शहरी विकास निगम लि. (हडको) इस आवास कार्यक्रम के लिए मांग-मूलक आधार पर राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। हडको को प्रत्येक वर्ष शहरी क्षेत्रों में 4 लाख आवासीय इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने का कार्य सौंपा गया है। हडको ने 31.10.2001 तक दो मिलियन आवास कार्यक्रम के तहत 2,931.35 करोड़ रुपए की लागत की 13,61,498 आवासीय इकाइयां स्वीकृत की हैं।

आवास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

*427. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के क्षेत्र में हुई प्रगति की विस्तृत समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आवास योजनाओं का संतुलित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों से भी परामर्श लिया गया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई योजना के ब्यौरों से राज्य सरकारें सहमत हैं;

(ङ) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनकों अंतिम रूप दिया गया है और उनके वित्तीय प्रभाव क्या हैं; और

(च) प्रस्तावित योजनाओं को किस प्रकार क्रियान्वित किए जाने की संभावना है और प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा उनमें कितनी आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें तथा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी.आर.डी.ए.) के परियोजना निदेशकों के साथ कार्यशालाएं आयोजित करता है। इस प्रयोजनार्थ, ग्रामीण विकास मंत्री ने हाल ही के माहों में अनेक राज्यों का दौरा किया तथा मुख्य मंत्रियों और अन्य प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। मंत्रालय इस संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वार्षिक तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट भी प्राप्त करता है। मंत्रालय के क्षेत्र अधिकारियों को क्षेत्र का दौरा करने, समीक्षा बैठकें आयोजित करने तथा विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति का पता लगाने के लिए मनोनीत किया गया है ताकि पेश आ रही कठिनाइयों को तत्परता से दूर किया जा सके।

(घ) से (च) इस मंत्रालय द्वारा प्रायोजित ग्रामीण आवास योजनाओं के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं। योजना आयोग द्वारा मुहैया कराई गई निधियों के आबंटन की निर्भरता पर ग्रामीण आवास योजनाओं के अंतर्गत आबंटन/लक्ष्य वर्ष दर वर्ष आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

विवरण

1. इंदिरा आवास योजना:

इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) का प्रमुख उद्देश्य अनु. जातियों/जनजातियों के सदस्यों, मुक्त बंधुआ मजदूरों तथा गरीबी रेखा से नीचे के गैर अनु. जाति/जनजाति के ग्रामीण गरीबों को भी अनुदान सहायता मुहैया कराकर आवासीय इकाइयों के निर्माण में मदद करना है। आई.ए.वाई. के अंतर्गत उपलब्ध निर्माण सहायता की अधिकतम सीमा मैदानी क्षेत्रों में प्रति इकाई 20,000 रु. तथा पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में प्रति इकाई 22,000 रु. है। आई.ए.वाई. संपूर्ण देश में कार्यान्वित की जा रही है। 2001-2002 के दौरान 1293753 आवासों के निर्माण के लिए आई.ए.वाई. के अंतर्गत केन्द्रीय आबंटन 1618.00 करोड़ रु. है।

2. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना—ग्रामीण आवास:

प्रधानमंत्री ग्रामदोय योजना-ग्रामीण आवास केवल 2000-2001 से शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली ग्रामीण आबादी के लिए आवास अभाव को कम करने में भारत सरकार/राज्य सरकारों के मौजूदा प्रयासों में मदद करना है। पी.एम.जी.वाई.-जी.ए. के अंतर्गत उपलब्ध निर्माण सहायता की अधिकतम सीमा इंदिरा आवास योजना की तरह ही है। पी.एम.जी.वाई.-जी.ए. हेतु 2001-2002 के लिए आबंटन 280.00 करोड़ रु. है।

3. ग्रामीण आवास संबंधी ऋण-सह-सब्सिडी योजना:

ग्रामीण आवास संबंधी ऋण-सह-सब्सिडी योजना 1 अप्रैल, 1999 से शुरू की गई है। योजना का लक्ष्य 32,000 रु. तक की वार्षिक आय वाले ग्रामीण परिवार हैं। इसमें सब्सिडी (प्रति इकाई 10,000 रु. तक) तथा ऋण (प्रति इकाई 40,000 रु. तक) दोनों के घटक शामिल हैं। वाणिज्यिक बैंकों, आवास वित्त संस्थानों द्वारा ऋण भाग वितरित किया जाना होता है। 2001-2002 के दौरान 50667 आवासों के निर्माण के लिए 38.00 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई।

4. ग्रामीण आवास तथा पर्यावास विकास के लिए अभिनव चरण:

ग्रामीण क्षेत्रों में भवन/आवास के क्षेत्र में अभिनव, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल समाधानों को प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना 1.4.1999 से शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को 20 लाख रु. तथा सरकारी एजेंसियों को 50 लाख रु. तक की अधिकतम सहायता दी जा सकती है। योजना

के प्रारंभ से अब तक 58 परियोजनाएं अनुमोदित की गई तथा 13.45 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

5. ग्रामीण निर्मिति केन्द्रों की स्थापना:

ग्रामीण निर्मिति केन्द्र स्थापित करने के प्राथमिक उद्देश्य हैं (क) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सूचना का प्रसार (ख) प्रशिक्षण के जरिए कौशल उन्नयन, तथा (ग) किफायती और पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों/घटकों का उत्पादन। ग्रामीण निर्मिति केन्द्र को 15 लाख रु. की अधिकतम अनुदान सहायता दी जा सकती है। योजना के प्रारंभ से अब तक 55 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया तथा 2.85 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

6. समग्र आवास योजना:

समग्र आवास योजना 1999-2000 में 24 राज्यों के 58 जिलों में से 25 जिलों के एक-एक खंड तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में, जिनकी पहचान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत भागीदारी दृष्टिकोण को संस्थागत बनाने के लिए की गई है, प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य बसावट का समग्र विकास तथा गतिविधियों को तब तक अभिसारिता मुहैया कराना है जब तक उन्हें अलग से शुरू नहीं किया जाता है। लोगों के 10 प्रतिशत योगदान के साथ पर्यावास के विकास तथा आई.ई.सी. कार्य को शुरू करने के लिए प्रत्येक ब्लाक को 25 लाख रु. की विशेष सहायता दी जा रही है। योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक 18 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया तथा 4.22 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।

[हिन्दी]

रसायनों और उर्वरकों का उत्पादन और खपत

428. श्री राजो सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रसायनों और उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) देश में रसायनों और उर्वरकों के वार्षिक उत्पादन और खपत का विशेषतया बिहार और झारखंड के संदर्भ में राज्यवार ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जहां तक रसायनों के उत्पादन में वृद्धि का संबंध है, कुछेक खतरनाक रसायनों को छोड़कर सभी रसायन उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है। इसलिए, उद्यमी औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन मार्ग का अनुसरण करके रसायन उद्योग स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत सरकार, भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक सेवाएं तथा भारतीय उत्पादों के निर्यात हेतु संवर्धित अवसरों, उच्च प्रौद्योगिकी, आधुनिक प्रबंधन तकनीकों से संबद्ध लाभ को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के संवर्धित प्रवाह को बढ़ावा देने के प्रति वचनबद्ध है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने एक पारदर्शी, गतिशील और निवेश के अनुकूल नीतिगत ढांचा प्रस्तुत किया है।

जहां तक उर्वरकों का संबंध है, इस समय कार्यान्वयनाधीन और उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्तमान वर्ष के दौरान जिन्हें पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है, उन प्रमुख उर्वरक परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-I पर दी गई है।

(ख) पेस्टिसाइडों और रंजक सामग्री समेत कुछेक प्रमुख रसायनों के उत्पादन का कार्यनिष्पादन और विगत तीन वर्षों में उनकी खपत को संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है। चूंकि रसायन और पेट्रोरसायन विभाग केवल संगठित क्षेत्र में रसायनों के उत्पादन को ही मानिटर करता है, इसलिए रसायनों के उत्पादन एवं खपत के राज्यवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

उर्वरकों के उत्पादन एवं खपत के ब्यौरे संलग्न विवरण-III पर दिए गए हैं।

विवरण-I

देश में कार्यान्वयनाधीन प्रमुख उर्वरक परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	परियोजना स्थल और कंपनी/सहकारी का नाम	अनुमानित पूंजी लागत (करोड़ रुपए)	परिकल्पित अतिरिक्त उत्पादन		जीरो डेट	चालू होने की संभावित तिथि
			उत्पादन	क्षमता (लाख एमटीपीए)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	गोदावरी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि. (जीएफसीएल), काकीनाडा, आंध्र प्रदेश	99.00	डीएपी	2.80	5.1.98	31.12.01

1	2	3	4	5	6	7
2.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लि. (एचएफसी) प्लांटों का पुनरुद्धार	509.00	यूरिया	3.80	2.11.98	1.2.2002
3.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि. सिक्का, गुजरात (डीएपी विस्तार परियोजना)	180.00	डीएपी	3.96	1.9.99	दिसम्बर, 2001

विवरण-II

प्रमुख रसायनों के उत्पादन एवं खपत के ब्यौरे

('000 एम टी)

वर्ष	उत्पादन	खपत
1998-99	5116	5496
1999-2000	5407	5635
2000-2001	5492	5526

विवरण-III

उर्वरकों का राज्यवार उत्पादन - 1998-99 से 2000-2001

('000 मी.ट.)

क्षेत्र/राज्य का नाम	उत्पादन 1998-99			उत्पादन 1999-2000			2000-2001		
	मात्रा	एन	पी	मात्रा	एन	पी	मात्रा	एन	पी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दक्षिण क्षेत्र									
आंध्र प्रदेश	2460.0	807.6	414.2	2523.3	815.3	444.6	2578.6	804.6	487.8
केरल	1100.4	269.5	147.6	1281.1	327.5	156.9	1351.4	344.2	167.6
कर्नाटक	554.6	194.9	83.0	478.7	162.9	81.0	542.3	188.9	86.4
तमिलनाडु	2735.6	698.8	475.2	2939.9	788.7	410.0	2974.5	813.0	432.2
योग (द.क्षे.)	6860.6	1970.8	1120.0	7223.0	2094.3	1092.6	7446.8	2151.0	1174.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पश्चिमी क्षेत्र									
गोवा	552.6	189.1	75.0	719.7	242.2	77.0	742.5	239.6	78.0
मध्य प्रदेश	2400.6	793.6	106.4	2444.6	795.9	111.7	2221.9	765.5	89.2
छत्तीसगढ़	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.1	7.2	0.0
महाराष्ट्र	2930.8	917.6	220.0	3200.5	980.7	255.2	2762.1	874.8	202.3
गुजरात	5822.4	1815.0	892.9	6413.5	1899.8	1127.3	6319.4	1927.6	1084.8
राजस्थान	1783.3	621.0	69.3	1996.6	784.3	46.6	2306.9	935.0	43.9
योग (प.क्षे.)	13489.7	4336.3	1363.6	14774.9	4702.8	1617.8	14386.9	4749.6	1498.3
पूर्वी क्षेत्र									
बिहार	375.0	122.9	13.7	352.1	149.3	0.8	0.0	0.0	0.0
झारखंड	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	276.1	117.3	0.0
उड़ीसा	1007.4	197.0	365.4	865.4	147.0	350.6	1499.6	261.6	660.1
पश्चिम बंगाल	550.9	44.0	155.5	852.4	66.2	2311.1	1146.7	109.2	343.5
असम	114.8	52.8	0.0	122.3	56.3	0.0	167.1	76.9	0.0
योग (पू.क्षे.)	2048.1	416.7	534.5	2192.2	418.8	582.5	3089.5	564.9	1003.6
उत्तर क्षेत्र									
हरियाणा	604.5	246.4	11.0	578.3	245.1	7.3	525.8	226.7	5.3
पंजाब	1265.5	465.9	24.2	1135.9	447.1	14.9	909.3	385.0	3.7
उत्तर प्रदेश	7161.6	3043.3	87.3	7003.8	2981.8	83.5	6633.4	2883.7	58.3
योग (उ.क्षे.)	9031.6	3755.7	122.5	8718.0	3674.0	105.6	8068.5	3495.5	67.3
सकल योग	31420.0	10479.5	3140.7	32908.1	10890.0	3398.5	32991.7	10961.0	3743.2

पोषक तत्वों के रूप में उर्वरकों की खपत (एन+पी+के)

('000 टन)

राज्य	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4
दक्षिण क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश	2007.92	2118.63	2174.57
कर्नाटक	1148.79	1271.88	1348.36

1	2	3	4
केरल	181.49	211.36	173.21
कर्नाटक	950.89	1051.94	963.00
अंडमान व निकोबार	0.48	0.63	0.42
लक्षद्वीप	0	0.01	0
पांडिचेरी	21.81	23.32	23.67
योग	4311.38	4677.77	4683.23
पश्चिम क्षेत्र			
गुजरात	1019.66	965.61	750.64
मध्य प्रदेश	1225.74	1201.09	935.80
छत्तीसगढ़	–	–	24.87
महाराष्ट्र	1661.00	1930.40	1647.18
राजस्थान	727.12	817.26	664.81
दादर और नागर हवेली	1.07	1.15	0.93
गोवा	6.93	7.28	5.84
दमन और दीव	0.39	0.36	0.26
योग	4641.91	4923.15	4030.33
उत्तर क्षेत्र			
हरियाणा	838.39	901.80	930.30
हिमाचल प्रदेश	38.55	37.34	35.55
जम्मू और कश्मीर	70.84	62.71	64.98
पंजाब	1375.27	1447.39	1313.64
उत्तर प्रदेश	3091.53	3275.97	3009.81
उत्तरांचल	–	–	58.53
छत्तीसगढ़	0.29	0.24	0.10
दिल्ली	15.46	19.59	5.13
योग	5430.33	5745.04	5418.04
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	894.99	985.60	958.70

1	2	3	4
झारखंड	-	-	28.46
उड़ीसा	299.17	360.08	319.21
पश्चिम बंगाल	1077.94	1231.76	1085.09
योग	2272.10	2577.44	2391.46
उत्तर-पूर्व क्षेत्र			
असम	78.10	110.11	140.62
मणिपुर	17.09	18.67	22.04
मेघालय	4.34	3.97	3.86
नागालैंड	0.80	0.88	0.40
सिक्किम	0.92	0.89	1.08
त्रिपुरा	9.76	8.91	9.20
अरुणाचल प्रदेश	0.61	0.60	0.60
मिजोरम	1.15	1.44	1.44
टी बोर्ड (उ.पू.)	28.98	*	*
योग	141.75	145.47	179.24
अखिल भारत	16797.47	18068.87	16702.30

*असम और पश्चिम बंगाल सम्मिलित

[अनुवाद]

कोलेस्ट्राल कम करने वाली औषधियां

429. **श्री दिनेश चन्द्र यादव:**
श्री रामजीवन सिंह:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कतिपय कोलेस्ट्राल कम करने वाली उन दवाओं की देश में मुफ्त उपलब्धता के बारे में जानकारी है कि जिन पर अमरीका में प्रतिबंध है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी दवाओं के विपणन को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) कोलेस्ट्राल कम करने वाली सेरिवेस्टेटिन नाम औषधि जिसका विपणन 1997 में मेसर्स बायर्स फार्मास्युटिकल्स द्वारा यू.एस.एस. और अन्य देशों में किया जाता था, उसे इस औषधि से जुड़े घातक रेंडिमाइलोसिस की प्रतिकूल रिपोर्टों के कारण अगस्त, 2001 में अमरीकी बाजार से हटा लिया गया है। भारत में बायर्स इंडिया लि. और मेसर्स टोरेन्ट फार्मास्युटिकल्स, अहमदाबाद जिन्हें सेरिवेस्टेटिन का विपणन करने की अनुमति दी गई थी, ने भी स्वेच्छा से अगस्त, 2001 से इसे भारतीय बाजार से हटा लिया है। सभी राज्य औषधि नियंत्रक प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निदेश दिये गए हैं कि देश में सेरिवेस्टेटिन टिकिया का कहीं भी विपणन न किया जाए।

एन.बी.सी.सी. पर बकाया राशि

430. मोहम्मद शहाबुद्दीन:
श्री राम प्रसाद सिंह:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार की एक बड़ी धनराशि राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम पर बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को भीकाजी कामा प्लेस, प्रगति विहार में भूमि की लागत के रूप में 25 करोड़ रुपये, पुनर्गठन योजना हेतु 14 करोड़ रु. और डी आर बी आई बौन्ड संबंधी 20 करोड़ रुपये का भुगतान करना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सरकार की बकाया राशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) एन.बी.सी.सी. द्वारा सरकार को देय बकाया राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(1)	भारत सरकार ऋण पर ब्याज का भुगतान	- 13.43 करोड़ रु.
(2)	सरकारी गारण्टी प्रभार	- 1.00 करोड़ रु.
(3)	प्रगति विहार की भूमि की लागत का भुगतान	- 0.64 करोड़ रु.

(ग) और (घ) जी, हां। इन देयों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(1)	भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली की भूमि लागत	- शून्य
(2)	प्रगति विहार, नई दिल्ली की भूमि की लागत	- 0.64 करोड़ रु.
(3)	पुनर्गठन योजना (भारत सरकार ऋणों पर ब्याज की प्रथम किस्त)	- 13.43 करोड़ रु.

(4) अनुमोदित पुनर्गठन योजना के अनुसार 19.15 करोड़ रु. के आर.बी.आई. बांड और उन पर लगने वाला ब्याज एन.बी.सी.सी. के पास सरकार के प्रति मौजूदा देयता के रूप में रखे हैं।

(ङ) चूंकि एन.बी.सी.सी. के पास इस समय धन का अभाव है, इसलिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं ताकि एन.बी.सी.सी. अपनी वित्तीय स्थिति सुधार सके और सरकारी देयताओं का भुगतान कर सकें:-

(1) लीबिया (78.09) और ईराक (70.10 करोड़ रु.) द्वारा एन.बी.सी.सी. को देय राशि का भुगतान करवाने हेतु सरकार कूटनीतिज्ञ चैनलों, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय आदि के माध्यम से आवश्यक सहायता उपलब्ध करवा रही है।

(2) विभिन्न सरकारी विभागों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से विभिन्न स्वदेशी परियोजनाओं के लिए मिलने वाली राशि दिलवाने के लिए भी सरकार एन.बी.सी.सी. को आवश्यक सहायता उपलब्ध करा रही है।

(3) वाणिज्यिक उद्यम के रूप में रियल एस्टेट परियोजनाएं जिससे कंपनी को अधिक लाभ प्राप्त होगा, विकसित करने के लिए सरकार ने एन.बी.सी.सी. को भूमि आवंटित की है।

देश में जनजातीय अनुसंधान संस्थान

431. श्री अनन्त नायक: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने जनजातीय अनुसंधान संस्थान हैं;

(ख) राज्य-वार ये संस्थान कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) आठवीं और नौवीं योजना अवधि के दौरान वर्ष-वार इन संस्थानों को कितना अनुदान दिया गया; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन संस्थानों द्वारा कौन-कौन से विशिष्ट अनुसंधान कार्य शुरू किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) देश में 14 जनजातीय अनुसंधान संस्थान हैं।

(ख) और (ग) इन संस्थानों के राज्यवार स्थानों और इन संस्थानों को आठवीं तथा नौवीं योजना अवधि के दौरान दिए गए अनुदान को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) ये संस्थान राज्य सरकार को अनुसंधान तथा मूल्यांकन अध्ययन करने, तथा आंकड़े एकत्रित करने, प्रशिक्षण, सेमिनार तथा कार्यशालाएं आयोजित करने, रिवाजी कानूनों के संहिताकरण, जनजातीय कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए जनजातीय संग्रहालय की स्थापना करने के लिए आयोजना निवेश प्रदान करने के कार्य में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त, इन संस्थानों को आदिम जनजाति समूहों के बेंच मार्क सर्वेक्षण और जाति प्रमाणपत्र सत्यापन कार्य करना पड़ता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	जनजातीय अनुसंधान संस्थान का स्थान	1992-93			1993-94			1994-95		
			टीआरआई	फेलो	कुल	टीआरआई	फेलो	कुल	टीआरआई	फेलो	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	3.50	1.31	4.81	4.57	1.09	5.66	14.70	2.28	16.98
2.	असम	गुवाहाटी	10.70	-	10.70	11.57	0.53	12.10	12.00	0.55	12.55
3.	झारखंड	रांची	3.16	6.66	9.82	11.65	1.06	12.71	10.00	0.63	10.63
4.	गुजरात	अहमदाबाद	1.57	0.62	2.19	0.55	-	0.55	5.30	0.86	6.16
5.	केरल	कोजीकोड़	8.00	-	8.00	6.70	1.15	7.85	10.00	-	10.00
6.	मध्य प्रदेश	भोपाल	28.28	-	28.28	21.45	1.90	23.35	11.04	2.05	13.09
7.	महाराष्ट्र	पुणे	11.87	-	11.87	23.75	-	23.75	23.75	0.55	24.30
8.	मणिपुर	इम्फाल	6.60	-	6.60	3.50	-	3.50	2.00	-	2.00
9.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	1.80	1.42	3.22	2.00	1.73	3.73	6.39	2.20	8.59
10.	राजस्थान	उदयपुर	4.30	0.28	4.58	5.00	0.57	5.57	5.00	1.14	6.14
11.	तमिलनाडु	उदागाई (उटी)	9.44	-	9.44	6.83	0.56	7.39	6.83	0.28	7.11
12.	त्रिपुरा	अगरतला	0.69	-	0.69	6.80	-	6.80	10.00	0.41	10.41
13.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	3.05	0.41	3.46	4.16	0.82	4.98	-	-	-
14.	पश्चिम बंगाल	कोलकता	1.03	-	1.03	0.55	0.38	0.93	-	1.19	1.19
	कुल		93.99	10.70	104.69	109.08	9.79	118.87	117.01	12.14	129.15

क्र.सं.	राज्य का नाम	जनजातीय अनुसंधान संस्थान का स्थान	1995-96			1996-97			1997-98			1998-99			1999-2000		
			टीआरआई	फेलो	कुल	टीआरआई	फेलो	कुल	टीआरआई	फेलो	कुल	टीआरआई	फेलो	कुल	टीआरआई	फेलो	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	25.00	0.54	25.54	25.00	-	25.00	20.47	-	20.47	5.00	1.93	6.93	-	3.75	3.75
2	असम	गुवाहाटी	17.50	0.27	17.77	12.75	0.26	13.01	22.40	0.87	23.27	16.18	-	16.18	8.65	1.36	10.01
3.	बिहार	रांची	14.20	0.53	14.73	-	-	-	-	0.53	0.53	50.00	3.40	53.40	-	1.31	1.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.	गुजरात	अहमदाबाद	-	0.14	0.14	-	-	-	8.90	0.57	9.47	-	0.86	0.86	12.90	1.25	14.15
5.	केरल	कोजीकोड़	11.25	-	11.25	13.50	-	13.50	20.00	0.07	20.07	20.00	-	20.00	6.36	0.44	6.80
6.	मध्य प्रदेश	भोपाल	21.50	0.71	22.21	21.75	0.27	22.02	47.74	2.22	49.96	47.74	1.65	49.39	-	2.62	2.62
7.	महाराष्ट्र	पुणे	-	-	-	22.70	-	22.70	49.45	1.27	50.72	29.13	1.05	30.18	16.35	0.87	17.22
8.	मणिपुर	इम्फाल	-	0.49	0.49	9.82	0.53	10.35	9.00	0.80	9.80	-	-	0.00	27.00	1.12	28.12
9.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	9.65	3.25	12.90	4.50	2.20	6.70	5.85	2.01	7.86	35.00	3.47	38.47	-	5.28	5.28
10.	राजस्थान	उदयपुर	6.79	1.14	7.93	5.10	0.56	5.66	12.82	0.55	13.37	-	-	0.00	-	1.70	1.70
11.	तमिलनाडु	उदागई (उटी)	16.25	0.29	16.54	8.73	0.57	9.30	30.50	-	30.50	25.16	-	25.16	11.77	0.87	12.64
12.	त्रिपुरा	अगरतला	8.00	0.27	8.27	10.95	0.26	11.21	10.95	0.72	11.67	71.50	1.42	72.92	22.50	-	22.50
13.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	-	1.12	1.12	4.27	-	4.27	-	-	-	3.14	-	3.14	-	1.40	1.40
14.	पश्चिम बंगाल	कोलकता	9.98	0.85	10.83	5.10	0.96	6.06	21.80	0.64	22.44	23.78	-	23.78	-	0.92	0.92
	कुल		140.12	9.6	149.72	144.17	5.61	149.78	259.88	10.25	270.13	326.63	13.78	340.41	105.53	22.89	128.42

क्र.सं.	राज्य का नाम	जनजातीय अनुसंधान संस्थान का स्थान	2000-2001			2001-2002 (31.10.2001)		
			टीआरआई	फेलो	कुल	टीआरआई	फेलो	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	-	0.44	0.44	-	-	-
2.	असम	गुवाहाटी	-	0.44	0.44	10.00	-	10.00
3.	झारखंड	रांची	-	-	0.00	-	-	-
4.	गुजरात	अहमदाबाद	-	0.44	0.44	20.00	-	20.00
5.	केरल	कोजीकोड़	-	0.44	0.44	-	-	-
6.	मध्य प्रदेश	भोपाल	29.76	2.61	32.37	-	-	-
7.	महाराष्ट्र	पुणे	8.50	0.87	9.37	-	-	-
8.	मणिपुर	इम्फाल	-	-	0.00	-	-	-
9.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	36.70	4.02	40.72	-	-	-
10.	राजस्थान	उदयपुर	9.29	1.74	11.03	-	-	-
11.	तमिलनाडु	उदागई (उटी)	-	-	0.00	-	-	-
12.	त्रिपुरा	अगरतला	-	-	0.00	10.00	-	10.00
13.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	-	-	0.00	-	-	-
14.	पश्चिम बंगाल	कोलकता	-	1.40	1.40	30.00	-	30.00
	कुल		84.25	12.40	96.65	70.00	-	70.00

[हिन्दी]

कॉलेजों में रैगिंग

432. श्री रामदास आठवले: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 11 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3561 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) अपेक्षित सूचना कब तक एकत्रित कर ली जाएगी और इसे कब तक सभापटल पर रख दिए जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द, गुरूगोविन्द सिंह, इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, चालू शैक्षिक सत्र में उनके परिसर/उनसे सम्बद्ध किसी कालेज से अत्यधिक रैगिंग की कोई भी शिकायत उन्हें प्राप्त नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) लोक सभा के दिनांक 14.8.2001 के अतारांकित प्रश्न सं. 3561 के उत्तर में दिए गए आश्वासन के संबंध में कार्यान्वयन सूचना का पहले ही अनुमोदन किया जा चुका है और यह सभा पटल पर रखने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजी जा रही है।

[अनुवाद]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना

433. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सभी क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्तर तक उन्नयनित किए जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषकर उड़ीसा के संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) देश में सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं- महाराष्ट्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर, पश्चिम बंगाल में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, तमिलनाडु में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, असम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी और उत्तरांचल में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ऐसा प्रयास कर रही है जिससे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में दी जा रही गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा का लाभ देश के अधिक-से-अधिक छात्रों को भी प्राप्त हो। चूंकि नये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने के लिए भारी धन राशि की आवश्यकता होती है, वर्तमान में भारत सरकार देश में कोई नया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने पर विचार नहीं कर रही है। अन्य लागत प्रभावी विकल्पों जैसे-भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में दाखिले में बढ़ोत्तरी और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों एवं अन्य प्रमुख संस्थानों के स्तरोन्नयन को सुविधाजनक बनाया जा रहा है।

महिला अधिकारिता के लिए कार्यक्रम

434. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महिलाओं के लिए विभिन्न कार्यकलापों और कार्यक्रमों को आरम्भ किया है और वर्ष 2001 को महिला अधिकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो महिलाओं के लिए विशेषकर कर्नाटक में राज्यवार कौन-कौन से कार्यकलापों और कार्यक्रमों को आरम्भ किया गया है; और

(ग) इन कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार कितनी सहायता प्रदान की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य-वार ब्यौरा, जिसमें कर्नाटक का ब्यौरा भी शामिल है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

विवरण

महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001 के दौरान चलाए गए कार्यक्रमों/ कार्यकलापों का राज्य-वार ब्यौरा

आन्ध्र प्रदेश

- महिलाओं के साथ हिंसा से सम्बन्धित मामलों की जांच, मुकदमा चलाने और सुनवाई का प्रबोधन और कार्रवाई करने के लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियां स्थापित;
- महिला शिशु जन्म भूमि आयोजित;
- महिला सदसु आयोजित;
- मां और बच्चे के लिए संजीवनी कार्ड प्रारम्भ।

अरुणाचल प्रदेश

- राज्य स्तरीय समिति गठित।

असम

- महिला सशक्तिकरण वर्ष के कार्यक्रमों और कार्यकलापों के प्रबोधन हेतु राज्य-स्तरीय समिति स्थापित।

बिहार

- महिला सशक्तिकरण वर्ष समारोह के एक भाग के रूप में महिला समृद्धि उत्सव आयोजित।

छत्तीसगढ़

- निर्धन परिवारों की छात्राओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी में एक नवीन कार्यक्रम के रूप में *इंदिरा सूचना शक्ति योजना* प्रारम्भ।

गुजरात

- महिलाओं के साथ हिंसा से सम्बन्धित मामलों की जांच, मुकदमा चलाने और सुनवाई का प्रबोधन और कार्रवाई करने के लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियां स्थापित;
- गुजरात सामाजिक अवसंरचना विकास बोर्ड स्थापित;
- 'विजन 2010' दस्तावेज को अन्तिम रूप दिया गया। इस दस्तावेज में महिला सशक्तिकरण और विकास पर एक पृथक अध्याय शामिल है, जिसमें महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, महिलाओं के साथ हिंसा, वंचित महिलाओं आदि विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

हरियाणा

- महिलाएं और विधि प्रवर्तन अभिकरणों पर एक दो-दिवसीय कार्यशाला तथा दहेज निषेध/दहेज संबंधी कानूनों पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित;
- 8 मार्च, 2001 को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन; और
- पोषाहार पर कार्यशाला आयोजित।

कर्नाटक

- जिला स्तरीय समितियाँ स्थापित;
- महिला विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक संस्था और पाँच अलग-अलग महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रानी चेनम्मा पुरस्कार दिए गए;
- स्व-सहायता दलों के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण हेतु स्त्री शक्ति नामक एक नई स्कीम का शुभारम्भ;
- गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से महिला सहायता केन्द्रों की स्थापना करके अत्याचारों की शिकार महिलाओं के सहायतार्थ 13 जिलों में सान्तावना नामक नई स्कीम स्वीकृत; और
- महिलाओं के समग्र विकास हेतु कार्य योजना तैयार करने के लिए महिला कार्य बल गठित।

केरल

- राज्य/जिला स्तरीय समितियां स्थापित।

मध्य प्रदेश

- 1995 की राज्य महिला नीति की समीक्षा।

- महिलाओं के लिए प्रौढ़ साक्षरता हेतु पढ़ना-पढ़ाना आन्दोलन प्रारम्भ।
- महिलाओं के साथ हिंसा पर कार्यशाला आयोजित।
- जिला-स्तरीय समितियां स्थापित।

महाराष्ट्र

- 3 जनवरी को प्रति वर्ष सावित्रीभाई फूले के सम्मान में स्त्री मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

मेघालय

- महिलाओं के साथ हिंसा से सम्बन्धित मामलों की जांच, मुकदमा चलाने और सुनवाई का प्रबोधन और कार्रवाई करने के लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियां स्थापित; और
- किशोर लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए परामर्श बैठकें; आँगनवाड़ियों में महिला समूहों की बैठकें आयोजित।

उड़ीसा

- स्व-सहायता दल पर आधारित महिला सशक्तिकरण पर *मिशन शक्ति* नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया।

पंजाब

- महिला सशक्तिकरण पर जिला-स्तरीय समितियां स्थापित।

राजस्थान

- महिलाओं पर राज्य नीति घोषित;
- अपारम्परिक कार्य शुरू करने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु महिला राजगीर योजना प्रारम्भ; और
- महिला सन्दर्भ केन्द्र स्थापित।

सिक्किम

- ग्रामीण महिलाओं के लिए जागरूकता विकास शिविर आयोजित।

त्रिपुरा

- महिला सशक्तिकरण पर राज्य-स्तरीय संगोष्ठी आयोजित; और
- जागरूकता शिविर आयोजित।

उत्तर प्रदेश

- महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001 के कार्यकलापों के प्रबोधन हेतु मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में समिति स्थापित; और
- महिलाओं के साथ हिंसा से संबंधित मामलों की जाँच, मुकदमा चलाने और सुनवाई का प्रबोधन और कार्रवाई करने के लिए जिला समाहर्ता की अध्यक्षता में जिला-स्तरीय या समितियां गठित।

दादर एवं नगर हवेली

- महिला पुलिस उप-निरीक्षक की अध्यक्षता में महिला अपराध कक्ष स्थापि, जो जरूरतमंद महिलाओं के लिए सहायता केन्द्र का भी कार्य करेगा।

दमन एवं दीव

- महिला अधिकारों पर संगोष्ठी आयोजित; और
- महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय पर प्रदर्शनी आयोजित।

दिल्ली

- महिला सशक्तिकरण वर्ष, 2001 के लिए मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय समिति गठित।

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

435. **श्रीमती रेणु कुमारी:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 11 जुलाई, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1352 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) हरित भूमि के रूप में निर्धारित 700 एकड़ से भी अधिक की सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण को कब तक हटाये जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) इस तथ्य को ध्यान में रख

कर कि भूमि तथा विकास कार्यालय के पास दिल्ली में खाली भूमि की निगरानी हेतु जगह-जगह कार्मिकों का अभाव था, करीब 769.099 एकड़ के 70 स्थल 'हरित' प्रयोजन हेतु रख-रखाव के लिए दिनांक 12.7.1974 की अधिसूचना के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंप दिए गए थे। इन जमीनों का इस्तेमाल मास्टर प्लान/क्षेत्र के भू-उपयोग के अनुसार विशिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाना था। करीब 568.812 एकड़ भूमि विभिन्न एजेंसियों को आबंटित करके पहले ही उपयोग में लायी जा चुकी है। कुछ स्थल को अधिसूचना जारी होने के समय पहले से अतिक्रमण में थे, जबकि कुछ स्थलों पर बाद में अतिक्रमण हुआ था।

आल इंडिया लायर्स फोरम सिविल लिबर्टीज द्वारा दायर सिविल रिट याचिका संख्या 6324/2000 तथा सी.एम.सं. 9640/2000 की सुनवाई के दौरान यह उल्लेख किया गया था कि 45.518 एकड़ भूमि का डी.डी.ए. द्वारा 'हरित' प्रयोजन हेतु पहले ही रख-रखाव किया जा रहा है। यह भी उल्लेख किया गया था कि करीब 54 स्थलों पर अतिक्रमण है। इनमें अनेक स्थलों पर केवल आंशिक अतिक्रमण थे। माननीय न्यायालय ने याचिका को 'वापस ली गई' कहकर खारिज करते हुए, केन्द्र सरकार को अतिक्रमण हटाने तथा क्षेत्र को 'हरित' क्षेत्र के रूप में बनाये रखने का निर्देश दिया था। अतिक्रमणगत वास्तविक क्षेत्र करीब 154.769 एकड़ आंका गया था। उसमें से करीब 4.5 एकड़ भूमि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अभी तक खाली करा ली गई है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस समय वस्तुत: करीब 150.269 एकड़ भूमि पर ही अतिक्रमण है। सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमणों की बेदखली एक लगातार चलने वाली कार्रवाई है। ऐसी कार्रवाईयों से पूर्व, कानून के अनुसार विभिन्न प्रक्रियाओं का अनुपालन करना होता है। कई मामलों में दखलकार विभिन्न न्यायालयों में अपील दायर कर देते हैं और बेदखली कार्रवाईयों के खिलाफ 'स्थगन आदेश" ले लेते हैं। अत: बेदखली के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

शहरी ग्रामों में निर्माण कार्य

436. श्री अरुण कुमार: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 20 फरवरी, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 80 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 28.8.2000 को दिल्ली में सभी प्रकार के अनधिकृत/गैर-कानूनी निर्माण कार्यों के विरुद्ध प्रभावी और व्यवस्थित कार्यवाही करने के उद्देश्य से व्यापक निदेश जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि जिन अधिकारियों को ये निदेश जारी किए गए थे वे उनके अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं और दिल्ली में अभी भी अनधिकृत निर्माण कार्य निर्बाध रूप से चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या पंचायत/राजस्व विभाग ने उक्त निदेशों के निदेश संख्या (vii) के अनुसार कार्यवाही की है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 28.8.2000 के दिशानिर्देशों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल रखी जायेगी।

विवरण

सं. जे-13036/3/96-डीडी/बी

भारत सरकार

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 28.8.2000

सेवा में,

1. श्री पी.एस. भटनागर
मुख्य सचिव,
दिल्ली सरकार दिल्ली।

2. श्री पी.के. घोष
उपाध्यक्ष,
दिल्ली विकास प्राधिकरण,
विकास सदन, आई.एन.ए., दिल्ली।

3. श्री एस.पी. अग्रवाल,
आयुक्त,
दिल्ली नगर निगम, टाउन हाल, दिल्ली।

4. श्री वी.पी. मिश्र,
अध्यक्ष,
नई दिल्ली नगर पालिका समिति,
पालिका केन्द्र नई दिल्ली।

5. विकास आयुक्त,
दिल्ली सरकार, टाउन हाल, दिल्ली।

विषय : दिल्ली में अनधिकृत अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिल्ली में अवैध अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण की समस्या पर भारत सरकार द्वारा उच्चतम स्तर पर विचार किया गया है और इस समस्या को कड़ाई से दूर करने का निर्णय लिया गया है। अत: आपसे अनुरोध है कि सभी अवैध निर्माणों/अनधिकृत निर्माणों तथा साथ ही दिल्ली के मास्टर प्लान के प्रावधानों का उल्लंघन करके भूमि का दुरूपयोग करने के खिलाफ कड़ाई व तत्परता से कार्रवाई की जाए। विशेष रूप से निम्नलिखित उपायों को कड़ाई से लागू किया जाना अनिवार्य है:-

(1) सभी प्रकार का अवैध निर्माण यत्र-तत्र न गिराकर पूरी तरह से हटाया जाए।

(2) गिराने की लागत अवैध निर्माण करने वाले से गिराने के 15 दिन के अंदर वसूल की जाए। यदि 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है तो देय राशि भूराजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल की जाए।

(3) अवैध निर्माण के सभी मामलों में दिल्ली नगर निगम अधिनियम, दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, नई दिल्ली नगर परिषद् अधिनियम आदि के अंतर्गत अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध निरपवाद रूप से कानूनी कार्रवाई की जाए और उन मामलों को पुलिस प्राधिकारियों/न्यायालय के साथ प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाए।

(4) जहां कहीं संपत्ति लीज पर हो उन मामलों में लीज समझौते की शर्तों व निबंधनों के अंतर्गत कार्रवाई की जाए और इस प्रकार के लीज समझौते के तहत अनुमेय न्यूनतम अवधि में पुन: प्रविष्टि की जाए। पुन: प्रविष्टि के बाद लोक परिसर बेदखली अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर संपत्ति का वास्तविक कब्जा ले लिया जाए और क्षति की राशि तत्काल ली जाए। क्षतिपूर्ति/दुरूपयोग प्रभारों की दर भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा अनुसरण किए जा रहे तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित फार्मूले के अनुसार ली जाएगी।

(5) डीडीए फ्लैटों के मामलों में जहां अनुमेय सीमा से अधिक निर्माण किया गया है अतिरिक्त निर्माण गिराने के अलावा आवंटन भी रद्द किया जाए। अनुमेय तथा गैर अनुमेय मदों के संबंध में आदेश अलग से जारी किए जा रहे हैं।

(6) जिन मामलों में गिराने के बाद दोबारा अवैध निर्माण किया जाता है उनमें प्रभारी अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निश्चित की जाए और उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाए।

(7) ग्रामीण कृषि योग्य भूमि पर अवैध निर्माण के मामले में, दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए और उस भूमि का कब्जा दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ले लिया जाए। इस संबंध में कार्रवाई उसी समय कर ली जाए जबकि कालोनी बनाने वालों द्वारा प्लाट काटे जाते हैं और उस पर चारदिवारी आदि के रूप में निर्माण किया जाता है। दूसरे शब्दों में अवैध निर्माण शुरू में ही रोक दिया जाए इस संबंध में संबंधित स्थानीय एजेंसियों/डीडीए द्वारा भी नक्शों/सेवा प्लानों आदि के उपनियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए।

(8) जिन मामलों में पार्टी ने स्थगन/यथापूर्व स्थिति के आदेश लिए हुए हैं उनमें स्थगन आदेश रद्द कराने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए और जहां कहीं आवश्यक हो उच्चतर न्यायालय में मामला ले जाया जाए।

(9) सभी सीनियर फील्ड अधिकारियों को उनके प्रभार में क्षेत्र का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण और पर्यवेक्षण अधिकारी को आकस्मिक निरीक्षण करने को कहा जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधीनस्थ कर्मचारी अवैध निर्माण नियंत्रित करने अथवा गिराने के लिए तत्काल कार्रवाई करते हैं। बिल्डिंग इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, सहायक इंजीनियर आदि जैसे अधीनस्थ स्टाफ, जो शीघ्र कार्रवाई नहीं करते हैं के विरुद्ध भी निवारक कार्रवाई की जाए।

(10) फील्ड अधिकारियों को फील्ड डायरी रखने और उसे नियमित रूप से पर्यवेक्षण अधिकारी को प्रस्तुत करने को कहा जाए।

2. यह भी अनुरोध है कि मासिक रिपोर्ट प्रत्येक परवर्ती मास की 5 तारीख तक शहरी विकास मंत्रालय को भेजी जाए।

3. इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि संसद और संसदीय परामर्शदात्री समिति ने प्रश्नों और क्षेपकों के जरिए दिल्ली में अनधिकृत निर्माण की बढ़ती समस्या और इस मामले में विभिन्न प्राधिकारियों की संदिग्ध सांठ-गांठ पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

मंत्रालय में एक उड़न दस्ते का गठन किया गया है और यदि इस दस्ते की जांच के परिणामस्वरूप यह पता चलता है कि अधीनस्थ स्टाफ ने अपनी ड्यूटी नहीं की है या उपर्युक्त अनुदेशों का पालन नहीं किया तो सरकार द्वारा अधीनस्थ/पर्यवेक्षण स्टाफ के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

भवदीय,
हस्ता/-
(डा. निवेदिता पी. हरन)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
फोन : 3018255

प्रति सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु

1. उप मुख्य सतर्कता अधिकारी, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. भूमि तथा विकास कार्यालय, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3. महानिदेशक (निर्माण), निर्माण भवन, नई दिल्ली।

हस्ता/-
(एन.एल. उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार

[हिन्दी]

राष्ट्रीय खेल नीति

437. **श्री मोहन रावले:**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस नीति को कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) उक्त नीति को क्रियान्वित करने में कुल कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है; और

(ङ) इस नीति के क्रियान्वयन की निगरानी करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, हां।

(ख) नीति की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:-

1. खेलों को व्यापक आधार प्रदान करना तथा उत्कृष्टता हासिल करना;
2. अवस्थापना का उन्नयन तथा विकास;
3. राष्ट्रीय खेल परिसंघ तथा अन्य उपयुक्त निकायों को समर्थन;
4. खेलों के लिए वैज्ञानिक तथा प्रशिक्षण समर्थन को दृढ़ करना;
5. खिलाड़ियों को प्रोत्साहन;
6. महिलाओं, जनजातीय लोगों तथा ग्रामीण युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना;
7. खेल संवर्धन में निगमित क्षेत्र को शामिल करना; तथा
8. जनसामान्य में खेल भावना के संवर्धन हेतु अधिक जागरूकता उत्पन्न करना।

(ग) नई राष्ट्रीय खेल नीति शीघ्र ही कार्यान्वित की जाएगी।

(घ) यह दर्शाना संभव नहीं है कि नीति के कार्यान्वयन में अंतर्ग्रस्त कुल धनराशि कितनी होगी।

(ङ) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा एक कार्य योजना की कार्यविधि के जरिए नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखी जाएगी।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

438. **डा. जसवंतसिंह यादव:**
श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री सनत कुमार मंडल:
श्री त्रिलोचन कानूनगो:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस वित्त वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) सरकार ने चालू वर्ष के दौरान विनिवेश किए जाने वाले 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की दृढ़तापूर्वक समय सीमा तय करते हुए पहचान की। ये 13 उपक्रम भारत हैवी प्लेटस एंड वैसल्स लि. (वी.एच.पी.वी.), सी.एम.सी. लि, आई.बी.पी. कंपनी लि., इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि. (आई.पी.सी.एल.), भारत पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.), इंस्ट्रूमैंटेशन कंट्रोल वाल्वस लि. (आई.सी.वी.एल.), जेसप एंड कंपनी लि., मारूति उद्योग लि., नेपा लि., एच.टी.एल. लि., हिन्दुस्तान जिंक लि., होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. और विदेश संचार निगम लि. (वी.एस.एन.एल.) हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। इन 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है और एच.टी.एल. लि. और सी.एम.सी. लि. में विनिवेश प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। भारत पर्यटन विकास निगम एवं होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के अधीन कतिपय होटलों के बारे में भी कार्रवाई को अंतिम रूप दे दिया गया है।

योग्यता के आधार पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का चयन

439. श्री शमशेर सिंह दूलो: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) दिनांक 2.7.1997 के व्याख्यात्मक टिप्पण के पैरा 11 के अधीन यथा उपबन्धित, योग्यता के आधार पर चुने गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को इन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे में दर्शाया जाना अपेक्षित नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय में गत तीन वर्षों के दौरान सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्तियों को योग्यता के आधार पर चयनित/भर्ती/पदोन्नति दी गई और उन्हें इन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे में नहीं गिना गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने उदाहरण हुए जिनमें योग्यता के आधार पर चुने गए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को इन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे में दर्शाया गया/समायोजित किया गया और उसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां।

(ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय अक्टूबर, 1999 के दौरान अस्तित्व में आया। इस मंत्रालय का अपना स्वयं का रिकार्ड नहीं है। अत: पदों का चयन/पदोन्नति/सीधी भर्ती द्वारा संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी (अर्थात् सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग के परामर्श से भरा जाता है। जनजातीय मंत्रालय द्वारा अपनी शुरूआत से चयन/भर्ती, किए गए उम्मीदवारों में से दो अभ्यर्थी अर्थात् एक संयुक्त निदेशक तथा एक आशुलिपिक ग्रेड 'घ' अनुसूचित जाति से संबंधित हैं परंतु उनका चयन योग्यता के आधार पर किया गया है और तद्नुसार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त अनुदेशों के अनुरूप उनकी गणना पदों के आरक्षित कोटे के प्रति नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आतंकवाद से निपटने की रणनीति

440. श्री साहिब सिंह:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:
श्री मोइनुल हसन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका में हुए हाल के आतंकवादी हमलों के मद्देनजर, सरकार ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का आधुनिकीकरण/उन्नयन करने और देश में चल रहे आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी समूची रणनीति की समीक्षा करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स के बॉम्ब डाटा सेन्टर को आतंकवादी संगठनों द्वारा प्रयुक्त किए जा सकने वाले नए विस्फोटक उपकरणों के बारे में गहन अध्ययन का काम सौपा गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने ऐसे आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) राष्ट्र विरोधी/उग्रवादी तत्वों की आतंकवादी और अन्य विनाशक गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए राज्य पुलिस संगठनों सहित सुरक्षा एजेन्सियों का आधुनिकीकरण/उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकारों को अत्याधुनिक शस्त्रास्त और अन्य उपस्करों के प्रापण सहित उनके पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के अस्त्र-शस्त्रों परिवहन और संचार प्रणालियों का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है और उन्हें आतंकवादी और विद्रोह की स्थितियों से बेहतर ढंग से निपटने हेतु सुसज्जित करने के लिए उनके प्रशिक्षण का उन्नयन किया जा रहा है। राज्य सरकारों को, इंडिया रिजर्व बटालियनें खड़ी करने के लिए केन्द्रीय सहायता भी उपलब्ध करायी जाती है और जहां-कहीं आवश्यक होता है, राज्य पुलिस के लिए केन्द्रीय अर्धसैनिक बल भी तैनात किए जाते हैं। देश में आतंकवादियों/उग्रवादियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ आन्तरिक सुरक्षा स्थिति पर सांवधिक समीक्षा की जाती है और आसूचना का आदान-प्रदान किया जाता है। इस समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप सुरक्षा एजेन्सियां अनेक पाक समर्थित मोडयूलों को निष्क्रिय करने में कामयाब हुई।

(ग) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को इस प्रकार का कार्य अभी नहीं सौंपा गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) विश्व व्यापार केन्द्र, न्यूयार्क पर आतंकवादी हमले के बाद, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और संबंधित मंत्रालयों को हवाई अड्डों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों, महत्वपूर्ण सरकारी स्थापनाओं और धार्मिक, व्यापारिक और वाणिज्यिक महत्व के प्रमुख केन्द्रों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के अनुदेश जारी किए हैं। देश में 23 हवाई अड्डों पर पहले ही केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं और उग्रवादियों या विद्रोही ग्रुपों के हमलों से निपटने के लिए देश में संवदेनशील हवाई अड्डों और प्रमुख प्रतिष्ठानों पर क्विक रिएक्शन टीम (क्यू आर टी) गठित की गई हैं। राज्य सरकार से भी आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करने और केन्द्रीय आसूचना एजेन्सियों के साथ समन्वय स्थापित करने की सलाह दी गयी है।

एफ.आर.आर.ओ. के साथ विदेशी राष्ट्रिकों का पंजीकरण

441. श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनुमानतः 22,000 अफगान राष्ट्रिकों में से वर्तमान में मात्र 10,000 ही विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफ.आर.आर.ओ.) में पंजीकृत है;

(ख) यदि हां, तो एफ.आर.आर.ओ. द्वारा सभी अफगान राष्ट्रिकों का पंजीकरण न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) देश में वैध/अवैध दस्तावेजों के साथ रह रहे अफगान राष्ट्रिकों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने पूर्व में इनका सत्यापन नहीं कराया था विशेषकर यह देखते हुए कि जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों में कथित रूप से बड़ी संख्या में अफगानी आतंकवादी है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या अमरीका द्वारा अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध की तैयारी से अधिक संख्या में अफगान भारत में प्रवेश कर गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सभी अफगान और विदेशी राष्ट्रिकों का पंजीकरण विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय में हो?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) प्रारम्भ में एफ.आर.आर.ओ. के पास 18,862 अफगानी पंजीकृत थे। पूर्व में पंजीकरण का नवीकरण प्रत्येक 6 माह में करवाना पड़ता था, जो अब वर्ष में एक बार है। 18,862 अफगानों में से केवल 7,244 ने अपने पंजीकरण का नवीकरण करवाया है।

(ख) पंजीकरण के नवीकरण तथा भारत में रूकने के लिए समय बढ़ाने हेतु वैध पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज होना आवश्यक था। बताया गया है कि अफगानी दूतावास ने पासपोर्टों के नवीकरण की फीस बहुत अधिक बढ़ा दी है जिसके कारण बहुत से अफगानी अपने पासपोर्टों का नवीकरण नहीं करा सके और परिणामस्वरूप उन्होंने एफ.आर.आर.ओ. के पास अपने पंजीकरण/भारत में रुकने हेतु समय अवधि बढ़ाने का नवीकरण नहीं करवाया।

(ग) एफ.आर.आर.ओ. के पास पंजीकृत अफगानी नागरिकों की प्रारंभिक संख्या 18,862 थी तथा यू.एन.एच.सी.आर. शरणार्थी प्रमाण पत्र धारक अफगानी नागरिकों की संख्या 11,696 है।

(घ) और (ङ) अफगानिस्तान में गड़बड़ी, की स्थिति के कारण भागकर भारत आए अफगानी नागरिकों की उग्रवादी गतिविधियों में संलिप्तता की कोई भी घटना सरकार के ध्यान में नहीं आई है। तथापि एफ.आर.आर.ओ./एफ.आर.ओ. और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अफगान राष्ट्रिकों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती है।

(च) और (छ) बताया गया है कि अमेरिका द्वारा युद्ध की घोषणा के बाद, भारतीय मूल के बहुत से अफगान नागरिक पाकिस्तान में प्रवेश कर गए हैं। जब कभी उनके आवेदन पत्र इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से प्राप्त होते हैं तो नियमित जांच के बाद उन्हें वीसा प्रदान किए जाते हैं। सभी अफगानी राष्ट्रिकों से भारत में प्रवेश के बाद 7 दिन के भीतर तथा अन्य विदेशी राष्ट्रिकों को 15 दिन के भीतर अपना पंजीकरण करवाना अपेक्षित है। भारत में रहे रहे अफगानियों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अवैध/समाप्त हो चुके यात्रा दस्तावेजों के साथ भी 31.12.2001 तक पंजीकरण कराने का अवसर दिया गया है। पहचान करने के बाद बगैर यात्रा दस्तावेजों के भी अफगान नागरिकों का पंजीकरण किया जा रहा है। सभी पंजीकृत अफगानियों को शीघ्र ही पहचान प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।

शिक्षा पर खर्च में वृद्धि

442. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:**
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा पर होने वाले कुल खर्च में से प्राथमि· शिक्षा पर हो रहे खर्च का प्रतिशत पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि से कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार शिक्षा पर, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले कुल खर्च में वृद्धि करने के लिए कुछ उपाय करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी, नहीं। वास्तव में प्राथमिक शिक्षा पर परिव्यय का प्रतिशत पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 35% से बढ़कर नौवीं पंचवर्षीय योजना में 66% हो गया है।

(ग) से (ङ) शिक्षा पर होने वाला सार्वजनिक खर्च पिछले पांच दशकों में लगातार बढ़ रहा है। सभी क्षेत्रों (केन्द्रों और राज्यों) पर होने वाले कुल राजस्व खर्च में शिक्षा और प्रशिक्षण पर होने वाला बजटीय खर्च का प्रतिशत 1951 में 9.72 से स्थिर गति से बढ़ते हुए 1999-2000 (बजटीय अनुमान) में 14.06 हो गया है। शिक्षा हेतु आबंटन को बढ़ाने का सरकार का सदैव से ही प्रयास रहा है। आठवीं योजना में 8522 करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में नौवीं योजना में शिक्षा के लिए केन्द्रीय योजनागत आवंटन 24908 करोड़ रुपए है अर्थात् 192 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

[हिन्दी]

जेहादियों के लिए प्रशिक्षण शिविर

443. **श्री किरीट सोमैया:**
श्री प्रह्लाद सिंह पटेल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, में जेहाद के नाम पर आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में उन राज्यों और शहरों के नाम क्या हैं जहां ये प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन प्रशिक्षण शिविरों को चलाने वाले लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना प्राप्त की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सर्व शिक्षा अभियान

444. **डा. एन. वेंकटस्वामी:**
श्री सुरेश रामराव जाधव:
डा. जसवंतसिंह यादव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य सन् 2003 तक सभी बच्चों को स्कूल भेजने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत देश में क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्यवार, विशेषरूप से आंध्र प्रदेश में ऐसे कितने जिले हैं जिनमें सबके लिए प्राथमिक शिक्षा हेतु सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया है;

(ङ) क्या लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कोई समीक्षा की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय ने दिनांक 2.1.2001 के संकल्प के द्वारा प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर के एक मिशन का गठन किया गया है।

इस मंत्रालय में 272 उन जिलों में जिनमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ नहीं किया गया है तथा 47 उन जिलों में जिनमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का पहला चरण आरम्भ किया गया है, में प्रारम्भिक कार्यकलाप शुरू करने के लिए 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 47.72 करोड़ रु. की अनुदान राशि संस्वीकृत की है। परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के 16 जिलों, आन्ध्र प्रदेश के 4 जिलों तथा पंजाब के 5 जिलों की जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजनाओं को अनुमोदन प्रदान कर दिया है तथा 233.90 करोड़ रु. की कुल राशि भी संस्वीकृत की है। अभी हाल ही में आयोजित परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठकों में पश्चिम बंगाल के 8 जिलों, पंजाब के 4 जिलों, सिक्किम के 1 (एक) जिले, मध्य प्रदेश के 12 जिलों, कर्नाटक के 13 जिलों तथा बिहार के 17 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए भी विचार किया गया तथा संस्वीकृतियां शीघ्र ही जारी की जाएंगी। अन्य राज्यों से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को प्रतिपादित तथा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

(घ) सर्व अभियान के अंतर्गत अब तक शामिल किए गए जिलों की राज्यवार संख्या, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) यह योजना अभी शुरू हुई है अतएव अभी तक कोई समीक्षा नहीं की गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य का नाम	सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शामिल किए गए उन जिलों जिनमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है, की संख्या	सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शामिल किए गए उन जिलों जिनमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का पहला चरण शुरू किया गया है	सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शामिल किए गए कुल जिलों की संख्या
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	4	0	4
अरुणाचल प्रदेश	13	0	13
असम	14	0	14
बिहार	17	0	17
छत्तीसगढ़	0	9	9
गोवा	0	0	0
गुजरात	14	0	14

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	8	0	8
हरियाणा	11	4	15
झारखण्ड	3	0	3
जम्मू और कश्मीर	2	0	2
केरल	8	3	11
कर्नाटक	12	5	17
मध्य प्रदेश	12	17	29
मणिपुर	9	0	9
मेघालय	7	0	7
महाराष्ट्र	23	5	28
मिजोरम	8	0	8
नागालैण्ड	8	0	8
उड़ीसा	14	0	14
पंजाब	17	0	17
राजस्थान	0	0	0
सिक्किम	4	0	4
तमिलनाडु	22	4	26
त्रिपुरा	4	0	4
उत्तर प्रदेश	17	0	17
उत्तरांचल	7	0	7
पश्चिम बंगाल	7	0	7
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	0	2
चण्डीगढ़	0	0	0
दादर और नागर हवेली	1	0	1
दमन और दीव	0	0	0
दिल्ली	0	0	0
पांडिचेरी	4	0	4
लक्षद्वीप	0	0	0
योग	272	47	319

नई औषध नीति

445. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च, 1999 तक आंकड़े पर आधारित मूल्य नियंत्रण सीमा को कम करने के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के प्रस्ताव पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आपत्ति जताई गई है;

(ख) यदि हां, तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे क्या हैं;

(ग) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय की आपत्तियों के कारण प्रस्तावित नई फार्माम्युटिकल नीति क्रियान्वित नहीं की जा सकी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या उन्होंने नई औषध नीति को त्वरित लागू करने के लिए फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री के प्रमुख भागीदारों की बैठक बुलाई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या भारतीय औषधि निर्माता संघ ने फार्मा इंडस्ट्री द्वारा सामना की जा रही है ऐसी कई समस्याओं को इंगित करते हुए एक अभ्यावेदन दिया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) नई औषध नीति को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (झ) वित्त मंत्री ने अपने 28 फरवरी, 2001 के बजट भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया कि यह निर्णय लिया गया है कि मूल्य नियंत्रण की समयावधि में भारी कमी की जायेगी। औषधों पर मूल्य नियंत्रण घटाने के मुद्दे पर रसायन और उर्वरक मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच कोई तकरार नहीं है। नीतिगत पहलुओं का अभिनिर्धारण पूर्ण संभावनाओं की प्राप्ति में सहायक होनी की दृष्टि से 5 नवंबर, 2001 को संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा रसायन, पेट्रो रसायन और भेषज उद्योगों के प्रतिनिधियों के बीच एक पारस्परिक बैठक हुई थी। इसमें भारतीय औषध निर्माता संघ ने भी भाग लिया था। औषध नीति में परिवर्तन करते समय सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

मदरसा के मामले में आसूचना रिपोर्ट

446. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:**
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसूचना ब्यूरो ने देश में चल रहे मदरसों के कार्यकरण पर रिपोर्ट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में चल रहे मदरसों के कार्यकरण के मामले में आसूचना रिपोर्ट के आकार पर कार्यवाही की है/किए जाने का विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान देश के सीमावर्ती जिलों में राज्यवार कुल कितने मदरसा खोले गए; और

(च) सरकार विभिन्न मदरसों में चल रहीं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर किस हद तक अंकुश लगाने में सफल रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (च) सीमावर्ती जिलों सहित देश में चल रहे मदरसों के कार्यकरण के बारे में समय-समय पर विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्टें मिलती रहती हैं। जहां-कहीं आवश्यक होता है कार्रवाई की जाती है। देश के सीमावर्ती क्षेत्र में 2000 से अधिक मदरसे हैं।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान जारी करने में विलंब

447. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुछ गैर-सरकारी संगठनों से उनको अनुदान दिए जाने में विलंब के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उसके द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप काम न करने वाले कई गैर-सरकारी संगठनों का पता लगाने के लिए कोई आकलन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां। सहायता अनुदान निर्मुक्त करने में विलम्ब के संबंध में विभिन्न संगठनों से इस प्रकार की शिकायतें सामान्य तौर पर प्राप्त होती हैं जो मुख्य रूप से जिला कलेक्टर से निरीक्षण रिपोर्ट तथा राज्य सरकार की सिफारिश या संगठन से अपेक्षित दस्तावेजों के प्राप्त नहीं होने के कारण होता है।

(ख) मंत्रालय ने उड़ीसा में आवासीय विद्यालयों/शैक्षिक परिसरों के लिए अनुदान निर्मुक्त नहीं किए जाने के संबंध में अध्यक्ष, कोरापुट जिला सर्वोदय मंडल, जिला कोरापुट, उड़ीसा, जनरल सेक्रेटरी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, कोरापुट तथा संयोजक, आर्गेनाइजेशन फार डिमोक्रेटिक राइट्स (ओ.पी.डी.आर.), कोरापुर से एक विशेष शिकायत प्राप्त की है।

(ग) जी हां। राज्य सरकारों के अधिकारियों के अलावा मंत्रालय के अधिकारी भी परियोजनाओं के बहुधा दौरे परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में उनके कार्य-निष्पादन का जायजा लेने के लिए करते हैं।

(घ) मंत्रालय ने निरीक्षण अधिकारियों के मूल्यांकन तथा अन्य मंचों से शिकायतों के आधार पर 53 संगठनों को सहायता अनुदान रोक दिया है।

सेवा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग

448. श्री रामजीलाल सुमन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत श्रेणी I, II और समकक्ष श्रेणियों में कितने पद हैं; और

(ख) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के डी.ओ.पी.टी., कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) के पैरा 5 के निर्देशों के मद्देनजर स्वीकृत इन पदों पर सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या कितनी है और पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पेयजल हेतु मध्य प्रदेश को आवंटित धनराशि

449. श्री रामानन्द सिंह: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गत ग्रीष्म ऋतु में मध्य प्रदेश में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उक्त आवंटित धनराशि में से वितरित राशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त आवंटित धनराशि में से प्रयुक्त राशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों में जल संग्रहण पाठ्यक्रम

450. श्री जी.एस. बसवराज:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में जल संग्रहण पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के प्रमुख विषयों सहित इस संबंध में ब्यौरा क्या-क्या हैं;

(ग) राज्य-वार कितने विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम शुरू करन हेतु चयनित किया गया है; और

(घ) पाठ्यक्रम को कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों में जल प्रबंधन/जल संग्रहण विषयों में पाठ्यक्रम शुरू करने का सिद्धान्त रूप से निर्णय लिया गया है। आयोग द्वारा विशेषज्ञ समितियों की सहायता से इन पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए माडल पाठ्यक्रम विवरण, मार्गदर्शी सिद्धान्त और तौर तरीके इत्यादि को यथा समय अन्तिम रूप दिया जाएगा।

विनिवेश आयोग का पुनर्गठन

451. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विनिवेश विभाग द्वारा विनिवेश आयोग का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विनिवेश आयोग की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त आयोग सरकारी क्षेत्र की इकाईयों में श्रमिकों, कर्मचारियों और अन्य शेयर धारकों के हितों की किस सीमा तक देख-रेख करेगा तथा विनिवेश प्रक्रिया में सहायता करेगा;

(घ) क्या सरकार द्वारा विनिवेश के लिए इस आयोग की सिफारिशों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आयोग के व्यापक विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

(1) यह एक परामर्शदायी निकाय होगा तथा इसकी भूमिका व कार्य सरकार को सरकारी क्षेत्र के उन एककों में विनिवेश के बारे में परामर्श देना होगा, जो सरकार द्वारा आयोग को सौंपे गए हैं।

(2) यह विनिवेश संबंधी किसी अन्य मामले पर भी सरकार को परामर्श देगा जो सरकार द्वारा इसे विशेष रूप से सौंपे जाएं, तथा सरकार द्वारा सौंपे गए विनिवेश संबंधी ऐसे अन्य कार्यकलाप भी करेगा।

(3) अपनी अनुशंसा करते समय यह सरकारी क्षेत्र के एकक (एककों) के कामगारों, कर्मचारियों तथा अन्य शेयरधारकों के हितों को भी ध्यान में रखेगा।

(4) विनिवेश आयोग की अनुशंसाओं पर अंतिम निर्णय सरकार के पास निहित रहेगा।

(घ) और (ङ) जी, हां। आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विधिवत ध्यान दिया जाएगा। चूंकि आयोग को हाल ही में पुनर्गठित किया गया है अभी तक आयोग को कोई सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं।

विनिवेश लक्ष्य की प्राप्ति

452. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विनिवेश लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या "अनवरत आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक विकास के लिए निजीकरण" नामक अध्ययन ने विनिवेश के लिए अलग कानून की आवश्यकता महसूस की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने किन-किन कदमों पर विचार किया है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) वर्ष 2001-2002 के लिए विनिवेश का लक्ष्य 12,000 करोड़ रुपए है। चालू वर्ष के दौरान विनिवेश के माध्यम से जुटाई गई राशि इस प्रकार है:-

	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	जुटाई गई राशि (करोड़ रुपए में)
1.	एच टी एल लि.	55.00
2.	सी एम सी लि.	152.00
3.	बंगलौर, आगरा, मदुरै, बोधगया, हसन और मामल्लापुरम में भारत पर्यटन विकास निगम की सम्पत्तियां	60.16*
4.	मुम्बई और राजगीर (बिहार) में होटल कार्पोरेशन आफ इण्डिया की सम्पत्तियां	159.51*
	कुल	426.67++

* धनराशि प्राप्त की जानी है।

++प्राप्त की जाने वाली राशि सहित।

इस चरण पर यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि लक्ष्य प्राप्त होगा अथवा नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) विनिवेश के लिए अब एक अलग कानून की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई है। सरकार की विनिवेश नीति स्पष्ट और असंदिग्ध है और अनेक अवसरों पर यह स्पष्ट की जाती रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की विभिन्न श्रेणियों के विनिवेश के माध्यम से प्राप्त अनुभवों के आधार पर विनिवेश प्रक्रियाओं और प्रयोगों को सुसाध्य/परिष्कृत बनाया जाता रहा है।

आतंकवादी रोधी विशेष प्रकोष्ठ

453. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में किसी भी अप्रत्याशित स्थिति का सामना करने के लिए आतकंवादी रोधी विशेष प्रकोष्ठ गठित करने हेतु समान निदेश जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित प्रकोष्ठ के क्या कार्य होंगे;

(घ) किन राज्यों में पहले से ही इस प्रकार के प्रकोष्ठ है; और

(ङ) सभी राज्यों द्वारा कब तक इस प्रकार के प्रकोष्ठ गठित कर लिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) केन्द्र सरकार देश में आतंकवादी तथा उग्रवादी ग्रुपों की गतिविधियों के खतरे की आशंकाओं के संबंध में समय-समय पर राज्यों को सुग्राही बनाती रही है। राष्ट्र विरोधी तत्वों के मन्सूबों का मुकाबला करने के लिए रणनीतियां बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ आवधिक बैठकें भी की गई है।

इस संबंध में सभी राज्य सरकारों से उग्रवादी विरोधी प्रकोष्ठ स्थापित करने का अनुरोध किया गया है ताकि वे अधिक कारगर रूप से उग्रवादी गतिविधियों से निपट सकें। ये प्रकोष्ठ अनुवर्ती कार्रवाई के लिए आई.एस.आई. द्वारा समर्थित गतिविधियों सहित आतंकवादियों/उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में सूचना का संग्रहण और आदान-प्रदान करने तथा गहराई से उसके प्रबोधन पर ध्यान केन्द्रित करेंगे। कुछ राज्यों, जैसे कि मिजोरम, मेघालय, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने ऐसे प्रकोष्ठ स्थापित किए है। कुछ अन्य राज्यों आतंकवाद विरोधी उपायों के लिए आतंकवाद विरोधी दस्ते, विशेष कार्य बल, समर्पित यूनिटों जैसे तंत्र भी स्थगित किए हैं।

इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का दौरा

454. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे सुरक्षा सुदृढ़ होने में किस हद तक सहायता मिलेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मेजर जनरल उजी डायान के नेतृत्व में 10 से 13 सितम्बर, 2001 तक सात सदस्यीय एक इजरायली प्रतिनिधि मंडल भारत आया। इस दौरे के दौरान किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए। चर्चा दक्षिण एशिया, प. एशिया में मौजूदा स्थिति तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विनियम पर केन्द्रित रही।

हैदराबाद में प्रत्यारोपण केन्द्र की स्थापना

455. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हैदराबाद में प्रत्यारोपण केन्द्र की स्थापना हेतु सहायता करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र की स्थापना हेतु सरकार ने कितनी सहायता उपलब्ध कराना स्वीकार किया है;

(ग) इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) इस केन्द्र के प्रमुख कार्य क्या हैं; और

(ङ) इस केन्द्र की स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने हैदराबाद में एक प्रत्यारोपण केन्द्र की स्थापना के लिए 9.50 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया है जिसे 5 वर्ष की अवधि में दिया जाना है।

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत 24.00 करोड़ रुपये है।

(घ) केन्द्र का प्रमुख कार्य यकृत, गुर्दा, अग्न्याशय, अस्थि मज्जा के लिए प्रत्यारोपण सुविधाएं एवं संबद्ध विशिष्टताएं विकसित करना है।

(ङ) समझौते के अनुसार केन्द्र की अप्रैल, 2002 से क्रियाशील होने की संभावना है।

डोपिंग स्केन्डल

456. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डोपिंग स्केंडल का देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो अर्जुन पुरस्कारों की सूची में ऐसे खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं, जो डोप जांच में पाजिटिव पाए गए;

(ग) यदि हां, तो क्या यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में भी गया है;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या दृष्टिकोण है;

(ङ) क्या खेल पुरस्कारों के लिए नामों का चयन करने वाली समिति के सदस्यों ने इस मामले पर कोई निर्णय नहीं किया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) जी, नहीं। खेलों में डोप के मुद्दे पर सरकार गंभीरता से विचार करती रही है। खेलों में औषधि दुरूपयोग की जांच के लिए उठाए गए कदमों में भारतीय खेल प्राधिकरण के अधीन एक डोप नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना भी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के चिकित्सा आयोग को मान्यता दिए जाने तक, इस प्रयोगशाला द्वारा किए गए परीक्षणों के आधार पर कोई भी निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं।

(ग) और (घ) पी.आई.एल. के आधार पर, माननीय उच्च न्यायालय को मामले की जानकारी है। सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, खिलाड़ियों द्वारा प्रतिबंधित औषधि पदार्थ के प्रयोग का कड़ा विरोध किया है। सरकार ने एक समिति गठित की है जो खिलाड़ियों द्वारा औषधि दुरूपयोग की समस्या से संबंधित मुद्दे की औपचारिकताओं का पता लगाएगी और इस संबंध में उपचारात्मक उपायों का सुझाव देगी।

(ङ) और (च) अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं के चयन के लिए चयन समिति ने इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं का चयन किया है।

महिला साक्षरता दर

457. श्री चन्द्रनाथ सिंह:
डा. एन. वेंकटस्वामी:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अत्यल्प महिला साक्षरता दर के रूप में पहचान किए गए राज्यों/जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में साक्षरता दर और विशेषकर महिला साक्षरता दर बढ़ाने में कितनी उपलब्धि रही है; और

(ग) लड़कियों की साक्षरता दर बढ़ाने हेतु क्या विशिष्ट कदम यदि कोई हों, उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) विवरण-I संलग्न है।

(ख) विवरण-II संलग्न है।

(ग) जिले पर बल देते हुए मिशन रूप में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान की योजना शुरू की गई है। इशके लक्ष्य निम्नवत हैं:

- 2003 तक सभी बच्चे स्कूल, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, स्कूल वापसी शिविर में हों;
- 2007 तक सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें;
- 2010 तक सभी बच्चे आठ वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करें;

- जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषप्रद स्तर की प्रारंभिक शिक्षा पर बल;
- प्राथमिक स्तर पर 2007 तक तथा प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक स्त्री-पुरुष तथा सामाजिक वर्गों से संबंधित सभी अंतरालों को पाटना;
- 2010 तक सभी बच्चों को पढ़ाई में बनाए रखना।

सर्व शिक्षा अभियान स्कूल बाह्य लड़कियों खासकर वंचित वर्गों की लड़कियों को स्कूल लाने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता को स्वीकार करता है। पहुंच, नामांकन, अवधारण, उपलब्धि में सुधार के लिए कुछेक कार्यक्रम इस प्रकार हैं:-

पहुंच और नामांकन

(1) अधिकांश राज्यों में नियमित नामांकन अभियानों का चलाया जाना।

(2) लड़कियों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनके वास्ते विशेष शिविरों और सेतु पाठ्यक्रमों का संचालन।

(3) अन्य रूप से लड़कियों के लिए वैकल्पिक स्कूलों के विशेष माडलों का गठन।

(4) धार्मिक शिक्षा केन्द्रों अर्थात् मकतबों और मदरसों में औपचारिक शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना।

(5) बालिका शिक्षा से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए महिला समूहों (कार्यक्रम के तहत गठित तथा पहले से मौजूद दोनों ही), ग्राम शिक्षा समितियों, माता शिक्षक संघ का प्रयोग।

अवधारण

(1) शिविरों या सेतु पाठ्यक्रमों के माध्यम से पढ़ाई छोड़ देने वाली लड़कियों को स्कूल वापस लाने के लिए उन पर अनुवर्ती कार्रवाई।

(2) लड़कियों को पढ़ाई में बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए माता-पिता तथा स्कूल प्रणाली से नियमित रूप से दबाव डालने के वास्ते अवधारण अभियानों का संचालन।

उपलब्धि

(1) अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं/उपचारी कक्षाएं।

(2) जिन लड़कियों का स्कूलों में निष्पादन बहुत अच्छा नहीं है उनके लिए ग्राम शिक्षा समिति/माता शिक्षक संघ द्वारा उपचारी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं।

(3) लड़कियों को समतुल्य अध्ययन अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षण कक्ष के परिवेश में सुधार।

सामुदायिक सहभागिता से बालिका शिक्षा के लिए स्थानीय स्तर की आयोजना हेतु उपलब्ध आंकड़ों के प्रयोग पर राज्यों को सुग्राही बनाया गया है।

विवरण-I

30% से कम महिला साक्षरता दर वाले जिलों की राज्यवार सूची-जनगणना, 2001

	राज्य/जिले	साक्षरता दर
	1	2
अरुणाचल प्रदेश		
1.	पूर्वी केमांग	28.86
2.	तिरप	29.00
बिहार		
1.	पश्चिमी चम्पारन	25.85
2.	पूर्वी चम्पारन	24.65
3.	शिवहर	27.43
4.	सितामढ़ी	26.35
5.	मधुबनी	26.56
6.	सुपौल	21.02
7.	अररिया	22.14
8.	किशनगंज	18.49
9.	पूर्णिया	23.72
10.	कटिहार	24.03
11.	मधेपुरा	22.31
12.	सहरसा	25.31
13.	खगरिया	29.62

1	2
14. बंका	29.10
15. जमुई	26.92
छत्तीसगढ़	
1. दांतेवाड़ा	20.59
झारखंड	
1. गढ़वा	22.91
2. गिरिडीह	27.05
3. गोड्डा	27.98
4. साहिबगंज	26.78
5. पकोर	20.44
जम्मू और कश्मीर	
1. कुपवाड़ा	26.83
2. बड़गाम	26.60
3. डोडा	28.35
मध्य प्रदेश	
1. शिवपुर	28.99
2. झबुआ	25.50
उड़ीसा	
1. गुजपति	28.91
2. नुपाड़ा	26.01
3. कालाहांडी	29.56
4. रायगड	24.31
5. नवरंगपुर	21.02
6. कोरापुट	24.31
7. मलकानगिरी	21.28
राजस्थान	
1. जालौर	27.53
2. बांसवाड़ा	27.86
उत्तर प्रदेश	
1. रामपुर	27.87
2. बदायूं	25.53
3. बहराइच	23.27
4. श्रावस्ती	18.75
5. बलरामपुर	21.58
6. गोंडा	27.29
7. महाराजगंज	28.64
8. सिद्धार्थनगर	28.35

विवरण-II

साक्षरता दरों में लिंगवार दस वार्षिक अंतर 1991-2001

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनगणना 1991			जनगणना 2001		
		व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरुणाचल प्रदेश	41.6	51.4	29.7	54.74	64.07	44.24
2.	आंध्र प्रदेश	44.1	55.1	32.7	61.11	70.85	51.17
3.	अंडमान और नि.द्वी. समूह	73.0	79.0	65.5	81.18	86.07	75.29

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	असम	52.9	61.9	43.0	64.28	71.93	56.03
5.	बिहार	38.5	52.5	22.9	47.53	60.32	33.57
6.	चंडीगढ़	77.8	82.0	72.3	81.76	85.65	76.65
7.	छत्तीसगढ़	-	-	-	65.18	77.86	52.40
8.	दिल्ली	75.3	82.0	67.0	81.82	87.37	75.00
9.	दमन और दीव	71.2	82.7	59.4	81.09	88.40	70.37
10.	दादर और नागर हवेली	40.7	53.6	27.0	60.03	73.32	42.99
11.	गुजरात	61.3	73.1	48.6	69.97	80.50	58.60
12.	गोवा	75.5	83.6	67.1	82.32	88.88	75.51
13.	हिमाचल प्रदेश	63.9	75.4	52.1	77.13	86.02	68.08
14.	हरियाणा	55.8	69.1	40.5	68.59	79.25	56.31
15.	झारखंड	-	-	-	54.13	67.94	39.38
16.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	54.46	65.75	41.82
17.	कर्नाटक	56.0	67.3	44.3	67.04	76.29	57.45
18.	केरल	89.8	93.6	86.2	90.92	94.20	87.86
19.	लक्षद्वीप	81.8	90.2	72.9	87.52	93.15	81.56
20.	मेघालय	49.1	53.1	44.8	63.31	66.14	60.41
21.	मध्य प्रदेश	44.2	58.4	28.8	64.11	76.80	50.28
22.	मिजोरम	82.3	85.6	78.6	88.49	90.69	86.13
23.	महाराष्ट्र	64.9	76.6	52.3	77.27	86.27	67.51
24.	मणिपुर	59.9	71.6	47.6	68.87	77.87	59.70
25.	नागालैंड	61.6	67.6	54.7	67.11	71.77	61.92
26.	उड़ीसा	49.1	63.1	34.7	63.61	75.95	50.97
27.	पंजाब	58.5	65.7	50.4	69.95	75.63	63.55
28.	पांडिचेरी	74.7	83.7	65.6	81.49	88.89	74.13
29.	राजस्थान	38.5	55.0	20.4	61.03	76.46	44.34

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	सिक्किम	56.9	65.7	46.7	69.68	76.73	61.45
31.	तमिलनाडु	62.7	73.7	51.3	73.47	82.33	64.55
32.	त्रिपुरा	60.4	70.6	49.6	73.66	81.47	65.41
33.	उत्तर प्रदेश	41.6	55.7	25.3	57.36	70.23	42.98
34.	उत्तरांचल	–	–	–	72.28	84.01	60.26
35.	पश्चिम बंगाल	57.7	67.8	46.6	6922	77.58	60.22
	भारत	52.2	64.1	39.3	65.38	75.85	54.16

* 1991 में जम्मू और कश्मीर में जनगणना नहीं हुई थी।

[हिन्दी]

ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर

458. **श्री थावरचन्द गेहलोत:**
प्रो. दुखा भगत:
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पुरुष और महिला साक्षरता दर की स्थिति क्या है;

(ख) क्या शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति क्या है; और

(घ) विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता के अधिक प्रचार-प्रसार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) वर्ष 1991 की जनगणना, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन एफ एच एस-2), 1998-1999 तथा वर्ष 2001 की जनगणना (अनंतिम) के अनुसार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में पुरुष एवं महिला में साक्षरता दर निम्नलिखित प्रकार से हैं:-

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	1991		1998-99		2001	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
ग्रामीण	57.87	30.62	69.5	43.7	71.4	46.7
शहरी	81.09	64.05	87.5	72.1	86.7	73.2

वर्ष 1991 तथा 2001 की जनगणना रिपोर्टों में उपलब्ध राज्यवार पुरुष तथा महिला साक्षरता दर का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। तथ्यात्मक स्थिति निम्नवत है:

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	1991	1998-99	2001
ग्रामीण	44.69	56.7	59.4
शहरी	73.08	80.1	80.03

(घ) उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:-

(1) एक जिला को लक्ष्य करते हुए मिसन मोड में सबके लिए प्रारंभिक शिक्षा हेतु सर्व शिक्षा अभियान की एक नयी योजना प्रारंभ की गई है। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2010 तक 6-14 आयु-वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी तथा उपयुक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेगी। लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

(1) वर्ष 2003 तक सभी बच्चे स्कूल, शिक्षा गारंटी स्कीम केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, 'स्कूल-वापसी' कैम्प में हो।

(2) वर्ष 2007 तक सभी बच्चे पांच-वर्षों की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करें।

(3) वर्ष 2010 तक सभी बच्चे आठ वर्षों की स्कूल-शिक्षा पूर्ण करें।

(4) जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा पर बल।

(5) सभी स्त्री-पुरुष तथा सामाजिक श्रेणियों में व्याप्त अन्तर को प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 तक और प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर वर्ष 2010 तक पाटना;

(6) स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों की वर्ष 2010 तक शत-प्रतिशत वापसी।

(2) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पूर्ण साक्षरता अर्थात् 75% की समर्थन-योग्य प्रारंभिक स्तर को वर्ष 2005 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है। इसका 15-35 वर्ष की आयु वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों में कार्यात्मक साक्षरता प्रदान कर इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों का मुख्य बल महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों में साक्षरता का प्रोन्नयन करना है। निरक्षरता को दूर करने के लिए अधिक बल देने हेतु उठाए गए कदमों में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के पैरामीटरों का संशोधन तथा वित्तीय मानदंडों का बढ़ाया जाना, पूर्ण साक्षरता तथा उत्तर-साक्षरता चरणों का समेकन, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकारियों को शक्तियों का दिया जाना, सतत शिक्षा के स्कोप को बढ़ाया जाना, जनशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी क्रियाकलापों का विस्तार दिया जाना, बेहतर अध्ययन-अध्यापन सामग्रियों के निर्माण हेतु राज्य संसाधन केन्द्रों को पुनर्जीवित किया जाना तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार किया जाना शामिल है।

विवरण

क्र. सं.	भारत/राज्य	क्षेत्र	साक्षरता दर जनगणना 1991		साक्षरता दर जनगणना 2001	
			पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7
	भारत	ग्रामीण	57.87	30.62	71.4	46.7
		शहरी	81.09	64.05	86.7	73.2
1.	आंध्र प्रदेश	ग्रामीण	47.28	23.92	66.13	44.36
		शहरी	75.87	56.41	83.21	69.34
2.	अरुणाचल प्रदेश	ग्रामीण	47.00	25.31	58.09	37.56
		शहरी	77.99	62.23	85.61	70.60
3.	असम	ग्रामीण	58.66	39.19	69.02	52.25
		शहरी	84.37	73.32	89.88	81.03
4.	बिहार	ग्रामीण	48.31	17.95	57.70	30.03
		शहरी	77.72	55.94	80.80	63.30

1	2	3	4	5	6	7
5.	झारखंड	ग्रामीण	-	-	61.57	30.33
		शहरी	-	-	87.73	70.71
6.	दिल्ली	ग्रामीण	78.46	52.15	87.15	68.23
		शहरी	82.39	68.54	87.38	75.49
7.	गोवा	ग्रामीण	71.71	62.87	87.69	71.55
		शहरी	86.33	73.38	90.06	79.65
8.	गुजरात	ग्रामीण	66.84	38.65	70.71	45.75
		शहरी	84.56	67.70	85.46	72.23
9.	हरियाणा	ग्रामीण	64.78	32.51	76.13	49.77
		शहरी	81.96	64.06	86.58	72.05
10.	हिमाचल प्रदेश	ग्रामीण	73.89	49.79	83.58	65.23
		शहरी	88.97	78.32	92.49	85.91
11.	कर्नाटक	ग्रामीण	60.30	34.76	70.63	48.50
		शहरी	82.04	65.74	86.85	74.87
12.	केरल	ग्रामीण	92.91	85.12	93.54	86.79
		शहरी	95.58	89.06	96.07	90.87
13.	मध्य प्रदेश	ग्रामीण	51.04	19.73	72.10	42.96
		शहरी	81.32	58.92	87.78	70.62
14.	छत्तीसगढ़	ग्रामीण	-	-	74.58	47.41
		शहरी	-	-	89.87	71.63
15.	महाराष्ट्र	ग्रामीण	69.74	40.96	82.17	59.12
		शहरी	86.41	70.87	91.42	79.25
16.	मणिपुर	ग्रामीण	67.64	43.26	74.50	55.88
		शहरी	82.11	58.67	88.72	71.47
17.	मेघालय	ग्रामीण	44.83	37.12	59.90	54.02
		शहरी	85.72	77.32	89.90	84.30
18.	मिजोरम	ग्रामीण	77.36	67.03	84.38	76.17
		शहरी	95.15	91.61	96.97	95.69

1	2	3	4	5	6	7
19.	नागालैंड	ग्रामीण	63.42	50.36	67.73	57.87
		शहरी	85.94	79.10	89.01	82.09
20.	उड़ीसा	ग्रामीण	60.00	30.79	73.57	47.22
		शहरी	81.21	61.18	88.32	72.68
21.	पंजाब	ग्रामीण	60.71	43.85	71.70	57.91
		शहरी	77.26	66.12	82.97	74.63
22.	राजस्थान	ग्रामीण	47.64	11.59	72.96	37.74
		शहरी	78.50	50.24	87.10	65.42
23.	सिक्किम	ग्रामीण	63.49	43.98	75.11	59.05
		शहरी	85.19	74.94	88.61	80.19
24.	तमिलनाडु	ग्रामीण	67.18	41.84	77.47	55.84
		शहरी	86.06	69.61	88.40	75.64
25.	त्रिपुरा	ग्रामीण	67.07	44.33	78.89	61.05
		शहरी	89.00	76.93	93.51	85.36
26.	उत्तर प्रदेश	ग्रामीण	52.05	19.02	68.01	37.74
		शहरी	69.98	50.38	78.13	62.05
27.	उत्तरांचल	ग्रामीण	–	–	82.74	55.52
		शहरी	–	–	87.21	74.77
28.	पश्चिम बंगाल	ग्रामीण	62.05	38.12	73.75	53.82
		शहरी	81.19	68.25	86.49	76.14
29.	अंडमान और नि. द्वी. समूह	ग्रामीण	75.99	61.99	83.90	72.23
		शहरी	86.59	75.08	90.35	81.65
30.	चंडीगढ़	ग्रामीण	65.67	47.83	81.54	67.17
		शहरी	84.09	74.57	86.16	77.53
31.	दादर और नागर हवेली	ग्रामीण	50.04	23.30	67.13	34.08
		शहरी	86.35	68.42	91.57	75.67
32.	दमन और दीव	ग्रामीण	75.23	46.70	86.48	63.31
		शहरी	91.14	72.35	92.72	79.14

1	2	3	4	5	6	7
33.	लक्षद्वीप	ग्रामीण	88.66	68.72	92.56	79.86
		शहरी	91.31	76.11	93.85	83.60
34.	पांडिचेरी	ग्रामीण	76.44	53.96	83.87	64.63
		शहरी	87.70	71.98	91.40	78.78
35.	जम्मू और कश्मीर	ग्रामीण	*	*	60.34	35.09
		शहरी	*	*	80.30	62.22

*जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं है जहां 1991 में जनगणना नहीं हुई थी।

[अनुवाद]

दिल्ली विश्वविद्यालय में उच्च प्रौद्योगिकी वाले उपकरण

459. श्री सईदुज्जमा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली विश्वविद्यालय की विभिन्न प्रयोगशालाओं में महंगे उपकरणों के रख-रखाव के संबंध में गंभीर स्थिति की ओर दिलाया गया है जिसके कारण अनुसंधान और विकास में बाधा आ रही है जैसाकि 31 अक्तूबर, 2001 को 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में ''डीयूज हाइटिक ड्रीम इन डोलड्रम्स'' शीर्षक के अन्तर्गत समाचार में प्रकाशित हुई; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में कोई कार्रवाई करने से पहले इस विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस मामले पर तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है।

देश में आई.टी.डी.ए. जिले

460. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में समेकित जनजातीय विकास अभिकरण जिलों की संख्या कितनी है;

(ख) देश में आई.टी.डी.ए. जिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे जिलों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किये गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) 194 समेकित जनजातीय विकास परियोजनाएं/समेकित जनजातीय विकास एजेंसियां देश के 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। उड़ीसा में 21 समेकित जनजातीय विकास एजेंसियों तथा आंध्र प्रदेश में 8 समेकित जनजातीय विकास एजेंसियों को उन्हें सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करने के द्वारा स्थापित किया गया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	जिला	समेकित जनजातीय विकास एजेंसी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1. श्रीककुलम	1. सीतमपेटा

1	2	3		4	
		2.	विजयनगरम	2.	पार्वतीपुरम
		3.	विशाखापत्तनम	3.	पडेरू
		4.	पूर्व गोदावरी	4.	रामपचोडवरम
		5.	पश्चिम गोदावरी	5.	के.आर. पुरम
		6.	पालवोन्चा	6.	पलहोंचा
		7.	इतुरनगरम	7.	इतुरनगर
		8.	आदिलाबाद	8.	उतनूर
2.	उड़ीसा	1.	बालासोर	1.	नीलगिरी
		2.	मयूरभंज	2.	बारीपाड़ा
				3.	रैरंगपुर
				4.	करंजिया
				5.	कप्तीपाड़ा
		3.	सुन्दरगढ़	6.	सुन्दरगढ़
				7.	पन्पोश
				8.	बोनई
		4.	संभलपुर	9.	कुचिंडा
		5.	किओंझर	10.	किओंझर
				11.	चम्पुआ
		6.	गजपती	12.	पारलाखेमुण्डी
		7.	फूलबनी	13.	फूलबनी
				14.	बालीगुड़ा
		8.	कालाहांडी	15.	थिरू रामपुर
		9.	कोरापुट	16.	कोरापुट
				17.	जेपुर
		10.	मलकागंज	18.	मलांगिरी
		11.	नवरंगपुर	19.	नवरंगपुर
		12.	रायगढ़	20.	रायागढ़
				21.	गुनुपुर

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्रियों का परिचय

[हिन्दी

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे तथा आपके माध्यम से सदन से अपने सहयोगियों का परिचय करना चाहूंगा।

मंत्री :

श्री अरुण शौरी	- विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	- नागर विमानन मंत्री
श्री वेद प्रकाश गोयल	- पोत परिवहन मंत्री
श्री कड़िया मुण्डा	- कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री

राज्य मंत्री :

श्री हरिन पाठक	- रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पाद और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री
श्री विजय गोयल	- प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
श्री रवि शंकर प्रसाद	- कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री राजीव प्रताप रूडी	- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अशोक प्रधान	- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री

अपराह्न 12.05 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (योधक परा-चिकित्सीय पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2001, जो 21 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 464 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप "क" (सामान्य ड्यूटी) अधिकारी भर्ती नियम, 2001, जो 29 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 533 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4189/2001]

(2) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, दूरसंचार संवर्ग (ग्रुप "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2001, जो 3 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 577(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, आयुधिक संवर्ग ग्रुप "क" पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2001, जो 3 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 633(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंजीनियरिंग संवर्ग ग्रुप "क" पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2001, जो 3 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 634(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, दूरसंचार संवर्ग (ग्रुप "क" और "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2001, जो 20 सितम्बर, 2001 के भारत

के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 680(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4190/2001]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अधीन निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रपति द्वारा 21 सितम्बर, 2001 को प्रख्यापित प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (2001 का संख्यांक 6)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4191/2001]

(2) राष्ट्रपति द्वारा 23 अक्तूबर, 2001 को प्रख्यापित कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (2001 का संख्यांक 7)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4192/2001]

(3) राष्ट्रपति द्वारा 23 अक्तूबर, 2001 को प्रख्यापित पासपोर्ट (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (2001 का संख्यांक 8)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4193/2001]

(4) राष्ट्रपति द्वारा 24 अक्तूबर, 2001 को प्रख्यापित आतंकवाद निवारण अध्यादेश, 2001 (2001 का संख्यांक 9)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4194/2001]

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 981(आ) जो 1 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें वर्ष 2001-02 के रबी मौसम के दौरान घरेलू उत्पादकों द्वारा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को यूरिया की की जाने वाली आपूर्ति को दर्शाया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4195/2001]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): मैं राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) (संशोधन) नियम, 2001 जो 26 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 696(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4196/2001]

अपराह्न 12.06 बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मैं 10 अगस्त, 2001 को सभा को दी गयी सूचना के बाद तेरहवीं लोक सभा के सातवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित अठारह विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2001

(2) भारतीय रेल कम्पनी (निरसन) विधेयक, 2001

(3) रेल कम्पनी (सिविल कार्यवाहियों में पक्षकारों का प्रतिस्थापन), निरसन विधेयक, 2001

(4) भारतीय विश्व मामले परिषद विधेयक, 2001

(5) निरसन और संशोधन विधेयक, 2001

(6) व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 2001

(7) प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) संशोधन विधेयक, 2001

(8) पाकिस्तान से आगमन (नियंत्रण) निरसन (निरसन) विधेयक, 2001

(9) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2001

(10) गन्ना उपकर (विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2001

(11) मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 2001

(12) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2001

(13) केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 2001

(14) विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2001

(15) मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001

(16) विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2001

(17) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2001

(18) भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक, 2001

मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त एवं राज्य सभा के महासचिव द्वारा अधिप्रमाणित निम्नलिखित सोलह विधेयकों की प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं:

(1) बैंककारी कम्पनी (विधि व्यवसायियों के मुवक्किलों के खाते) निरसन विधेयक, 2001

(2) विद्युत विनियामक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001

(3) न्यायिक प्रशासन विधि (निरसन) विधेयक, 2001

(4) हैदराबाद निर्यात शुल्क (विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2001

(5) खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 2001

(6) पशु धन आयात (संशोधन) विधेयक, 2001

(7) भारतीय विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2001

(8) ओरोविल (आपात उपबन्ध) निरसन विधेयक, 2001

(9) संघ राज्य क्षेत्र शासन और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन (संशोधन) विधेयक, 2001

(10) मंत्रियों के संबलमों और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2001

(11) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2001

(12) द्विसदस्य निर्वाचन क्षेत्र (उत्सादन) और अन्य विधि निरसन विधेयक, 2001

(13) रजिस्ट्रीकरण और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक, 2001

(14) अधिवक्ता कल्याण विधि विधेयक, 2001

(15) ऊर्जा संरक्षण विधेयक, 2001

(16) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक, 2001

अपराह्न 12.07 बजे

[अनुवाद]

लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष महोदय: मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे असम के कलियाबोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री तरूण गोगोई का दिनांक 24 सितम्बर, 2001 का पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमें उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है।

मैंने उनका त्यागपत्र दिनांक 25 सितम्बर, 2001 से स्वीकृत कर लिया है।

अपराह्न 12.07½ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड से संबंधित सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.08 बजे

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

तीसरा और चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): मैं, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का तीसरा और चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.08$^{1}/_{2}$ बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

अस्सीवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): मैं, सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2000 के संबंध में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 80वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.09 बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

साक्ष्य

[हिन्दी]

श्री अनादि साहू: मैं, सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन), विधेयक, 2000 के संबंध में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मद सं. 11 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, हमारे स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने के पश्चात् इसे उठाया जा सकता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं। आज 3 बजे नेताओं की बैठक है। हम इस बैठक में यह विचार करेंगे कि मामले पर चर्चा कैसे की जाए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, वे महत्वपूर्ण मामले हैं। किंतु आज, 3 बजे नेताओं की बैठक भी है। हम इस बारे में निर्णय लेने जा रहे हैं कि चर्चा कैसे की जाए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने प्रधान मंत्री जी को बुलाया है। माननीय प्रधान मंत्री बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य की आशा है किंतु, स्थगन प्रस्ताव को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया। आखिरकार, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। नियमों में आवश्यकता पड़ने पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने का प्रावधान है।

महोदय, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। मैं नहीं जानता कि सरकार इसके लिए अनुरोध कर रही है या नहीं। हम कुछ नहीं जानते। महोदय, आपको ऐसा लगता है क्योंकि बैठक होने वाली है इसलिए नियमों को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि कम से कम कुछ विचार तो किया जाना चाहिए। या आप इसे बाद में विचार के लिए लीजिए या फिर इसे 3 बजे लीजिए। इसकी ऐसे ही उपेक्षा नहीं की जा सकती...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधान मंत्री के वक्तव्य के बाद हम इस संबंध में कोई निर्णय लेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं कहा था कि जैसे ही प्रश्न-काल समाप्त हो जाएगा किसानों की पैदावार की लूट के संबंध में आपको बात कहने का मौका दिया जाएगा। अभी-अभी आपने कहा था।...*(व्यवधान)* नियमों के अनुसार हम प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य का महत्व समझते हैं और हम यह भी जानते हैं कि इस पर टिप्पणी करना जरूरी है। आप जो कहेंगे, बोलेंगे वह समझ में आ जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तान तो सौ अरब लेकर आया और आप एक टका लेकर नहीं आए, वह तो हमें पता है। असली बात किसानों की लूट की है और किसानों की लूट के सवाल को उठाने के बारे में आपने कहा था कि हम समय देंगे। इसी लूट को ध्यान से हटाने के लिए अयोध्या और ताजमहल में दंगा कराने की कोशिश है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है। देश और समाज केवल इनका नहीं है—किसान नहीं, गरीब नहीं, मजदूर नहीं, केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव इनका निशाना है। इसलिए यह महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर हमारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव है इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस पर पहले मौका दीजिए। हम प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को सुनेंगे।

आपने ही तो कहा था कि प्रश्नकाल के बाद आप हमें सुनेंगे। अब आप ही बताएं कि यह नियम के विरुद्ध कैसे है?

अध्यक्ष महोदय: आप जीरो-आवर में बोल सकते हैं।

[अनुवाद]

अब माननीय प्रधान मंत्री।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, हम केवल नियमानुसार चल रहे हैं। स्थगन प्रस्ताव पर पीठासीन अधिकारी से भी एक टिप्पणी प्राप्त हुई है। अब, आप कृपया बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य के बाद आप इसे उठा सकते हैं। आप एक वरीष्ठ सदस्य हैं।

अपराह्न 12.11 बजे

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य*

रूस, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा ब्रिटेन के हाल के अपने दौरे और अफगानिस्तान की स्थिति

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): मैंने 4 से 13 नवम्बर, 2001 तक रूस, अमेरिका और ब्रिटेन का द्विपक्षीय दौरा किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 56वें सत्र को संबोधित किया। मैं महासभा से कुछ समय निकाल कर अर्जेन्टिना, साइप्रस और ईरान के राष्ट्रपतियों तथा मारिशस के प्रधान मंत्री से भी मिला।

इन दौरों और बैठकों में इन देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक और दीर्घकालीन एजेंडा पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इनसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ-साथ आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाने और अफगानिस्तान में युद्ध के बाद की चुनौतियों से निपटने पर विचार-विमर्श करने का भी मौका मिला।

रूस के मेरे शासकीय दौरे का उद्देश्य अक्तूबर, 2000 में राष्ट्रपति पूतिन की भारत यात्रा के दौरान वार्षिक शिखर बैठकों के बारे में लिए गए द्विपक्षीय निर्णय को पूरा करना था।

रूसी नेताओं के साथ हुई मेरी बातचीत से हमारे भौगोलिक-स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण के औचित्य की पुष्टि हुई है और हमारी द्विपक्षीय स्ट्रेटेजिक भागीदारी सुदृढ़ हुई है। इनमें आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय, रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष सहयोग को आगे बढ़ाने की व्यापक गुंजाइश पर भी प्रकाश डाला गया।

*ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एलटी-4197/2001

इस दौरे के दौरान आतंकवाद पर मास्को घोषणा और हमारे द्विपक्षीय संयुक्त बयान जारी किए गए तथा कई समझौते हुए जिनसे हमारे भावी सहयोग की रूपरेखा तैयार हुई। हमने घनिष्ठ रक्षा सहयोग तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की।

हमने अपने व्यापार में विविधता लाने के साथ-साथ द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों पर भी चर्चा की। हमें ऋण की रुपए में वापिस-अदायगी पर आधारित भारतीय निर्यात में प्रत्याशित कमी को पूरा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, आधारभूत ढांचे, औषधि और हीरा जैसे व्यापार के उभरते नए क्षेत्रों को सक्रिय रूप से विकसित करने की जरूरत है। इसके साथ-साथ, चाय और तंबाकू जैसी परम्परागत वस्तुओं के रूसी आयात को जारी रखा जाना चाहिए। हमने भारतीय उद्यमों में किए गए रूसी निवेश के लिए रुपए में अदायगी हेतु धनराशि रिलीज करने पर भी चर्चा की।

हमने ऊर्जा सुरक्षा पर ठोस द्विपक्षीय बातचीत करने पर भी चर्चा की जिसकी हमें शीघ्र ही शुरू होने की आशा है। सखालिन परियोजना में भारत द्वारा किया गया निवेश इस क्षेत्र में हमारे सहयोग की शुरूआत की परिचायक है।

रूस के विभिन्न शहरों की शैक्षिक संस्थानों में भारतीय अध्ययन की चार पीठों की स्थापना की गई है। गुजरात और अस्त्राखान क्षेत्र के बीच तथा हैदराबाद और कजान शहर के बीच भागीदारी के समझौते किए गए हैं। इन समझौतों से दोनों देशों के लोगों के मध्य आपसी संबंध, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सहयोग और मजबूत होंगे।

मार्च, 2000 के बाद भारत और अमेरिका ने अपने संबंधों को घनिष्ठ बनाने के लिए व्यापक बातचीत की है। राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू. बुश के निमंत्रण पर मेरी वाशिंगटन यात्रा के दौरान दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में इस बातचीत की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया गया।

राष्ट्रपति बुश न जोर देकर यह बात कही कि उनका प्रशासन हमारे द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक आधार पर सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हमने द्विपक्षीय आर्थिक बातचीत को जारी रखने और उसे व्यापक बनाने तथा ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, जैव-प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। हम अंतरिक्ष कार्यक्रमों तथा नागरिक नाभिकीय सुरक्षा परियोजनाओं में सहयोग करने पर भी शीघ्र ही चर्चाएं शुरू करेंगे।

भारत-अमेरिकी रक्षा नीति दल को फिर से सक्रिय बनाया गया है और इस दल की दिसम्बर में बैठक होगी। हमने द्विपक्षीय उच्च प्रौद्योगिकीय व्यापार को प्रोत्साहित करने तथा दोहरे उपयोग वाले और सैन्य उपकरणों के हस्तांतरण की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के तरीकों पर बातचीत करने पर सहमति व्यक्त की। आर्थिक और प्रौद्योगिकी प्रतिबंध हटने से इस प्रक्रिया में मदद मिलेगी।

मैंने अमेरिकी कांग्रेस के अनेक सदस्यों से व्यापक बातचीत की। मैं हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव्ज और सीनेट के दोनों दलों के नेताओं, हाउस इंटरनेशनल रिलेशन्स कमेटी तथा सीनेट फोरेन रिलेशन्स कमेटी के सदस्यों से भी मिला। भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय स्वरूप के समर्थन पर पुनः बल दिया गया।

इस यात्रा से भारत-अमेरिकी संबंधों में एक नई शक्ति का संचार हुआ है। द्विपक्षीय तथा व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में इनका विस्तार होने और विविधता लाने की बेहतर दीर्घकालीन संभावनाएं हैं।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने मेरे न्यूयॉर्क से दिल्ली लौटते समय मुझे एक दिन के शासकीय दौरे पर लंदन में रुकने के लिए आमंत्रित किया था।

प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और मैंने नई दिल्ली में अक्तूबर में उनके संक्षिप्त प्रवास के दौरान हुई अपनी बातचीत को जारी रखा। हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों के कई पहलुओं की समीक्षा की जिनमें हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इन चर्चाओं को जारी रखते हुए निकट भविष्य में उस समय विस्तारपूर्वक बातचीत होगी जब प्रधानमंत्री टोनी ब्येलर भारत के शासकीय दौरे पर आएंगे। हमें उम्मीद है कि उनका यह दौरा अगले साल जल्दी ही होगा।

मैंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए अपने भाषण में हम सभी के लिए चिंता के दो प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला था— अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से सभ्य समाज के लिए खतरा तथा समान विकास की चुनौती। लोकतांत्रिक और बहु-सांस्कृतिक विकासशील देशों में आतंकवाद तथा विकास एक दूसरे के बिलकुल विपरीत हैं।

हमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्र द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की परिभाषा अथवा उसके मूल कारणों पर अस्पष्ट और निरर्थक तर्कों को नकारना होगा। 11 सितम्बर की घटना के बाद आतंकवाद के विरुद्ध बनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का सभी प्रकार के आतंकवाद को एक निष्ठ होकर समाप्त करने के लिए लाभ उठाया जाना चाहिए।

विकासशील देशों को हाल में भूमण्डलीकरण का उनके देश की गरीबी के स्तर और आय के अन्तर पर पड़ने वाले प्रभाव की कुछ कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा है। दोहा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के सम्मेलन से जो परिणाम सामने आए हैं, उनमें भी विकास पर विश्व वार्ता शुरू करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है। गरीबी उन्मूलन के लिए संसाधन जुटाने को इस वार्ता में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। इसमें न केवल गुट निरपेक्ष आंदोलन तथा समूह-77 के देशों के आर्थिक एजेंडा को ही बल्कि उत्तर-दक्षिणी देशों के संबंधों को भी प्रमुखता दी जानी चाहिए।

मैंने अपनी समस्त द्विपक्षीय चर्चाओं में यह महसूस किया कि अंतर्राष्ट्रीय आंतकवाद और अफगानिस्तान की स्थिति तथा उसके भविष्य के बारे में व्यापक दृष्टिकोण पर समान विचार थे। आतंकवाद को किसी भी राजनैतिक, आर्थिक या वैचारिक आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। वस्तुतः आतंकवाद के खिलाफ अभियान में किसी मजहब को लक्ष्य नहीं बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा-शक्ति दिखानी होगी कि आतंकवादियों को धन उपलब्ध कराने वाले सभी स्रोतों तथा उन्हें पनाह देने वाले स्थानों को सभी जगह पूरी तरह से बंद कर दिया जाएं।

इसी प्रकार, अफगानिस्तान में एक व्यापक जनाधार वाली, प्रतिनिधिक, स्वतंत्र तथा तटस्थ सरकार के गठन की आवश्यकता पर समान विचार उभर कर सामने आए। वहां पर पुनर्निर्माण कार्यों के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहायता की जरूरत पर भी बल दिया गया। अफगानिस्तान के राजनीतिक तथा आर्थिक भविष्य के बारे में भारत के न्यायोचित हित को भी व्यापक समर्थन मिला।

इस बात को आमतौर पर स्वीकार किया गया है कि अफगानिस्तान में भावी राजनीतिक ढांचे और आर्थिक एजेंडा पर परामर्श करने के लिए 6+2 समूह की अपेक्षा एक व्यापक प्रतिनिधित्व वाले ढांचे की जरूरत है। इसके बाद, 16 नवम्बर को भारत ने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में हुई 21 देशों की बैठक में भाग लिया जो अफगानिस्तान की स्थिति पर विशेषरूप से चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी।

हम अफगानिस्तान में भावी राजनीतिक तथा मानवीय व्यवस्थाओं के बारे में अन्य देशों के साथ मिलकर कार्य करते रहेंगे। हम अफगानिस्तान की सरकार तथा वहां के सभी लोगों के साथ एकता के अपने पारम्परिक संबंधों को कायम रखते हुए उन्हें सुदृढ़ भी बनाते रहेंगे।

माननीय सदस्यगण, आप इस बात से सहमत होंगे कि यद्यपि पिछले लगभग 15 दिनों में अफगानिस्तान की स्थिति में जबरदस्त बदलाव आया है और संयुक्त मोर्चा/नार्दर्न एलाइंस राजधानी—काबुल

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

सहित अफगानिस्तान के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में घुस गए हैं, फिर भी स्थिति अस्थिर है और तेजी से बदल रही है।

सरकार इस स्थिति पर पूरी तरह से नजर रखे हुए है और सभी संबंधित पक्षों और समूहों से लगातार संपर्क बनाए हुए है।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): महोदय, श्री मुलायम सिंह यादव, श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री बसुदेव आचार्य ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। आपको उन पर चर्चा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं स्थगन प्रस्ताव के बारे में एक टिप्पणी करूंगा।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं आपसे मात्र यही कहना चाहता हूं कि यह वक्तव्य माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। आप इसके लिए कृपया समय और दिन निर्धारित करें।

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, सरकार किसी भी चर्चा के लिए तैयार है। आज, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हम इस पर चर्चा के लिए समय निर्धारित कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, आपको पहले स्थगन प्रस्ताव लेना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जी हां, मैं एक टिप्पणी कर रहा हूं। कृपया सुनिए। आप भी एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

अपराह्न 12.24 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यकर्त्ताओं द्वारा अयोध्या में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए हाल ही में की गई घुसपैठ पर मुझे सर्वश्री सनत कुमार मंडल, अमर राय प्रधान, अजय चक्रवर्ती, प्रबोध पण्डा, रामजीलाल सुमन, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री हन्नान मोल्लाह, रूपचंद पाल, जी.एम. बनातवाला, प्रियरंजनदास मुंशी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी, प्रो. आई.जी. सनदी, सर्वश्री मुलायम सिंह यादव, मोइनुल हसन, बसुदेव आचार्य, सोमनाथ चटर्जी, के. सुरेश, सईदुज्जमा, राजो सिंह, पवन सिंह घाटोवार, दह्याभाई वल्लभभाई पटेल और संतोष मोहन देव से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

स्थगन प्रस्ताव एक ऐसी असाधारण युक्ति है जिसके स्वीकृत होने पर सभा की सामान्य कार्यवाही को रोक कर अविलंबनीय लोक महत्व के किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा की जाती है। हालांकि यह विषय सभा में चर्चा हेतु महत्वपूर्ण है किंतु इसके लिए सभा की समूची कार्यवाही को स्थगित करना मैं उचित नहीं समझता।

आज 3 बजे कार्य मंत्रणा समिति और दलों/ग्रुपों के नेताओं की एक बैठक लोक सभा में होनी है। कार्यमंत्रणा समिति यह निर्णय ले सकती है कि इस विषय पर चर्चा कैसे कब की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा 'शून्य काल' आरंभ करेगी।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े ही अफसोस के साथ किसानों की पैदावार के साथ हो रही लूट के संबंध में पुन: आपके समक्ष सदन का ध्यान आकर्षित करना पड़ रहा है। इस संबंध में पिछले सत्र में भी सभी दलों के नेताओं और सत्ता पक्ष के लोगों ने भी चिन्ता व्यक्त की थी कि किसानों की पैदावार की लूट हो रही है। मैं इस संबंध में कोई भूमिका नहीं बांधना चाहता हूं लेकिन आज किसानों का धान 350 रुपये से 370 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जा रहा है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: पीछे बैठे सदस्यगण कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): जबकि सरकार ने धान का दाम 530 रुपये प्रति क्विंटल रखा है। उन्हें 370 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य मिल रहा है। इस तरह से किसानों को 150 रुपये से लेकर 180 रुपये प्रति क्विंटल का घाटा हो रहा है।

इसी तरह से बाजरा और मक्का में भी करीब 150 रुपये प्रति क्विन्टल का घाटा हुआ है। यही आज गन्ना किसानों की हालत है। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि इतने टन धान खरीदा गया, जबकि एक टन भी धान किसान से नहीं खरीदा गया। इसलिए हम इस बात को जोरदार, सही तरीके से और प्रामाणिकता के साथ कहना चाहते हैं कि जहां के हम निवासी हैं, वहां के आसपास एक टन भी धान नहीं खरीदा गया। कोई मंत्री या संसदीय कार्य मंत्री साबित कर दें कि सरकारी क्रय केन्द्रों पर वहां एक टन भी धान खरीदा गया हो। हम स्वयं अपने गांव की बात कह रहे हैं। एक टन की बात छोड़ो, सौ किलो या पचास किलो भी हमारा धान नहीं खरीदा गया। हमारे धान को ही जब 360 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिला हो तो जो आम, साधारण और गरीब किसान है, जिनका कोई पक्षधर नहीं है, जो किसी को नहीं जानते हैं, उनकी क्या हालत है। जिन किसानों के द्वारा 10-15 रुपये बैलगाड़ी पर किसी दलाल को दे दिया जाता है, उन्हें शायद 350 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल जाता है। वरना गरीब किसान एक हफ्ते से खड़ा है और बैलगाड़ी भी खड़ी है। किसान अपने धान को छोड़ने और आत्महत्या करने के लिए तैयार है।

अपराह्न 12.27 बजे

[माननीय उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

उपाध्यक्ष महोदय, इस मौके पर उसे बिजली चाहिए, पानी चाहिए और खाद भी चाहिए। खाद के लिए किसान के पास पैसा नहीं है। वह बिजली के बिलों का भुगतान नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण अगली फसल के लिए उसे पानी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वह अगली फसल की तैयारी नहीं कर पा रहा है, वह खाद भी नहीं खरीद सकता है। दूसरे जिन किसानों ने कर्जा लिया है, उन्हें तहसीलों में बंद किया जा रहा है। इस तरह से आज किसानों की लूट हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ आप देखें कि अयोध्या या ताजमहल में जबरदस्ती प्रवेश करने के पीछे यह मंशा है कि किसानों की पैदावार की लूट का कोई सवाल न उठा सके और पूरी जनता का ध्यान दंगे की तरफ आकर्षित हो जाए। इनकी दंगा कराने की पूरी साजिश है। अभी गोंडा में यही साजिश की गई कि किसी तरह से दंगा हो, आगजनी हो। वहां दुकानें लूटी गई। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं कि वहां सबसे ज्यादा हिंदू सम्प्रदाय के लोगों ने इसका घूम-घूम कर विरोध किया जिसके कारण यह वहां दंगा नहीं करा पाये।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, अभी दोहा में सम्मेलन हुआ। हमारे हिंदुस्तान की चीनी, गेहूं और धान को कोई देश खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने भी कह दिया है कि यह घटिया है, रद्दी है। बंगलादेश, नेपाल या दक्षिण अफ्रीका भी हमारे खाद्यान्न को खरीद सकते थे, लेकिन वे भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि यह घोषित कर दिया गया है कि हिन्दुस्तान का अन्न घटिया है और ईरान ने भी उसे खरीदने से मना कर दिया है। आज गोदाम भरे पड़े हैं भारतीय खाद्य निगमों के गोदामों में रखा चावल व गेहूं सड़ रहा है। 35% चावल और गेहूं बर्बाद हो गया है लेकिन भूखे लोगों को नहीं दिया जा रहा है। इधर भुखमरी है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसानों की पैदावार की लूट हो रही है। केवल अमानवीय एवं संवेदनहीन सरकार ही ऐसा कर सकती है। इस पर एक बार नहीं अनेकों बार चर्चाएं हुई हैं। किसानों को इस एक साल के अन्दर उत्तर प्रदेश में लगभग 15000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। आपने जिन सूबों की मदद की है उन्होंने अच्छा काम किया है, इसीलिए हम चाहते हैं कि उन्हें और मदद देनी चाहिए और उत्तर प्रदेश के किसानों को जो घाटा हुआ है, उसके लिए उन्हें तत्काल 15000 करोड़ रुपये देने चाहिए तथा इस मामले पर तत्काल चर्चा होनी चाहिए जिससे कि सदन के सारे नेताओं के विचार सामने आ सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ जो इनका निशाना दंगा कराना है, अयोध्या में जबरदस्ती प्रवेश कर जाना...*(व्यवधान)* मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, मैंने कहा था कि कुछ सूबों में आपने मदद की है, इसलिए शेष प्रभावित प्रदेशों की भी मदद करनी चाहिए। केरल और तमिलनाडु की भी मदद करनी चाहिए, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के किसानों की मदद करनी चाहिए और वह इसलिए करनी चाहिए क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था किसानों पर टिकी हुई है। आप अन्तर्राष्ट्रीय बाजार संकट का मुकाबला नहीं कर सकते, आप वहां पर आत्म-समर्पण करेंगे। यह सही है कि हमारे विदेश मंत्री जी ने कुछ हिम्मत की थी। लेकिन दिल्ली के निर्देश से घुटने टेकने पड़े और दस्तखत करने पड़े। नतीजा यह हुआ कि आज किसान की पैदावार की लूट हो रही है और दूसरी तरफ अयोध्या और ताजमहल में जबर्दस्ती प्रवेश करके दंगा करवाने की साजिश हो रही है। इनका केवल एक ही निशाना है।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): उपाध्यक्ष महोदय, मुलायम सिंह जी गलत कहानी कह रहे हैं। ताजमहल को इसमें न जोड़ें, वहां कोई दंगा नहीं हुआ।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: इनका केवल एक निशाना है कि ये चुनाव हार रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कई मतदाता सूचियों में गड़बड़ हो रही है। इनका केवल एक निशाना है, उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतना। ये परेशान हैं। प्रधान मंत्री, गृह मंत्री, मुख्य मंत्री तीनों परेशान हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद हमारा क्या होगा। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं और प्रार्थना करते हैं

[श्री मुलायम सिंह यादव]

कि सारा कामकाज रोककर इस पर चर्चा करनी चाहिए और उत्तर प्रदेश के किसानों को जो घाटा हुआ है उसको पूरा करने के लिए 15000 करोड़ रुपये का मुआवजा देना चाहिए।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा कार्य स्थगन प्रस्ताव है।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है और इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। एक तरफ किसान अनाज पैदा करता है और उसको पैदा करने के लिए जो जरूरत की चीजें हैं वह भी नहीं मिलती हैं। उसके बावजूद भी वह अनाज पैदा करता है और जब अनाज पैदा करता है तो उसका दाम भी नहीं मिलता है। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश के किसानों का है, दूसरे प्रदेश के किसानों का भी है। मेरी भी आपसे विनती रहेगी कि इसके लिए समय और डेट फिक्स करके पूरी तरह से इस पर चर्चा हो।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। यह अत्यन्त महत्व का मामला है। संपूर्ण देश के करोड़ों किसान परेशानी में हैं। मेरे मित्र ने उत्तर प्रदेश के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया है।

इसी प्रकार से केरल में भी गंभीर संकट है। महोदय, मुझे विश्वास है कि आपको भी इसकी जानकारी होगी।

अत:, इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा किया जाना निर्धारित किया जाना चाहिए। नि:संदेह, इस मामले के महत्व के कारण हम स्थगन प्रस्ताव लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें विलंब नहीं किया जाना चाहिये और सरकार को इस कार्य के लिए तत्काल समय निर्धारित करना चाहिये।

अपराह्न 12.33 बजे

जार्ज फर्नान्डीज को केन्द्रीय मंत्रिमंडल में पुन: लिए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अलग विषय है और यह विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह विषय संसद की मर्यादा से जुड़ा हुआ है और इस देश की मंत्रिमंडलीय प्रणाली की सरकार की कार्यशैली और स्थायी तथा सुस्थापित परंपरा है।

महोदय, इस वर्ष मार्च के दूसरे सप्ताह में तहलका घोटाले के सार्वजनिक होने पर संपूर्ण राष्ट्र को गहरा आघात पहुंचा। केवल राष्ट्र को ही आघात नहीं पहुंचा बल्कि अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में राजग सरकार की एक मंत्री सुश्री मतता बनर्जी ने इस मुद्दे पर त्यागपत्र दे दिया और रक्षा मंत्री से भी नैतिक आधार पर त्यागपत्र देने के लिए कहा गया।

महोदय, भारत सरकार और आपने स्वयं सभा में सारा दृश्य देखा था कि घोटाला के उद्घाटित होने पर किस प्रकार संपूर्ण विपक्ष और राजग के कुछेक घटक अत्यधिक परेशान और उत्तेजित हो गए थे और किस प्रकार इस सम्बन्ध में संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने के लिए सभा का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था।

तत्पश्चात्, महोदय, दोनों ओर से कुछ दिन शोर-शराबा होने के पश्चात् सरकार ने विपक्ष की सलाह की अवहेलना करते हुए, अपने विवेक से इस मामले पर विचार करने और सच्चाई का पता लगाने के लिए जस्टिस वेंकटस्वामी आयोग की नियुक्ति की।

महोदय, आप जानते हैं कि आज कोई भी सरकार चाहे वह केन्द्र में हो या राज्य में, जब तक किसी मामले में प्रथम-दृष्ट्या सच्चाई अथवा उस मामले की तात्कालिकता से संतुष्ट न हो तब तक किसी जांच आयोग की नियुक्ति नहीं करती। परंतु माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में गठित इस सरकार ने यह विचार किया कि संयुक्त संसदीय समिति के स्थान पर जांच आयोग द्वारा इस मामले पर जांच-पड़ताल की जानी चाहिए। केवल इतना ही नहीं भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जबकि मंत्रिपरिषद् से त्यागपत्र देने वाले मंत्री को संपूर्ण राष्ट्र के समक्ष दूरदर्शन पर अपने तथाकथित आचरण के बारे में अर्थात् उसने त्यागपत्र क्यों दिया, स्पष्टीकरण देने के लिए पूरा समय दिया गया, जो अभूतपूर्व था। संसद में वक्तव्य देने के बजाय, उन्होंने राष्ट्र से अनुरोध करने के लिए दूरदर्शन जाना पंसद किया जो संभवत: प्रधानमंत्री अथवा सरकार के किसी अन्य वरिष्ठ मंत्री से अलग अपने राजनयिक शिष्टाचार को न्यायोचित सिद्ध करने का प्रयास था।

उपाध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात् हमें पता चला कि संसद के बाहर तहलका धमाका होने से भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ और प्रतिष्ठित नेता और एक अन्य घटक दल के अध्यक्ष को तहलका टेप में शामिल होने के लिए अपने पद से हाथ धोना पड़ा। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वे सभा में मौजूद हैं।

घोटाला उजागर होने के पश्चात् आए दिन इस बारे में खबरें प्रकाशित हुई थीं, मैं इस सम्बन्ध में बहुत सारे समाचार-पत्रों की कतरनें और टी.वी. स्क्रिप्ट दे सकता हूं। जबकि सत्तारूढ़ और

विपक्षी दलों के सदस्य इस मामले पर तर्क-वितर्क कर रहे थे, प्रत्येक सदस्य ने यह कहा कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक त्यागपत्र देने वाले मंत्रियों को सरकार में वापस नहीं आना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विद्वान मंत्री महोदय ने दूरदर्शन पर स्वयं यह जोर देकर कहा, जिसकी स्क्रिप्ट हमारे पास है, कि जब तक स्थिति का खुलासा नहीं हो जाता, वह मंत्रिमंडल में वापस नहीं आयेंगे। हमारा राजग के किसी सदस्य से कोई शत्रुता नहीं है और न ही हम प्रधानमंत्री महोदय का अपमान करना चाहते हैं। किसी को भी केबिनेट में शामिल करना प्रधान मंत्री के स्वविवेक पर निर्भर है। यह उनका विशेषाधिकार है, जिस पर कोई ऊंगली नहीं उठा सकता। हम उनके अधिकार का सम्मान भी करते हैं। परंतु लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर आज तक संसद में कोई अवसर ऐसा नहीं आया जबकि संसदीय परंपराओं, संसदीय मर्यादा और यदि मैं यह कहूं कि शासन की मंत्रिमंडलीय प्रणाली और तथाकथित राजनैतिक आचार-शास्त्र के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन किया गया हो।

मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान दो सुप्रतिष्ठित मंत्री, जो पूर्ण रूप से ईमानदार और निष्ठावान थे अर्थात् श्री चन्दूलाल चन्द्राकर और मेरे विद्वान सहयोगी श्री के.पी. सिंह देव को सिर्फ इसलिए त्याग-पत्र देना पड़ा था क्योंकि ताइवान के किसी दौरे पर जाने के मामले में उनका नाम शामिल था। मात्र इसी आधार पर उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा और उन्हें मंत्रीमंडल में पुनः शामिल नहीं किया गया। इसके स्पष्टीकरण भी दिए गए थे।

जबकि इसी सभा में वह प्रधानमंत्री जी सच्चाई का पता लगाने के लिए सरकार की ओर से जांच आयोग की नियुक्ति करते हैं यह संपूर्ण राष्ट्र के लिए आश्चर्यजनक है कि वही प्रधानमंत्री जांच आयोग का कार्य खत्म होने से पूर्व किस प्रकार अपने इस निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि श्री जार्ज फर्नान्डीज निर्दोष हैं? हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी ओर से किस प्रकार कुछ कह सकते हैं? संवैधानिक लोकतंत्र की मूल आधारशिला और अपनी बचनबद्धताओं के आधार पर यदि प्रधानमंत्री महोदय सरकार की ओर से इस बात के प्रति आश्वस्त हैं कि सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच आयोग को मामले की जांच-पड़ताल करनी चाहिये, तो इस मामले में वह अपनी इच्छा किस प्रकार थोप सकते हैं? क्या भारतीय लोकतंत्र में कभी ऐसा हुआ है? क्या इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है?

अतः हम दृढ़ रूप से यह महसूस करते हैं कि यह एक ऐसा मामला है, जिससे न केवल विवाद उत्पन्न हो गया है बल्कि यह संसदीय परंपराओं, उसकी मान-मर्यादाओं, संविधान, राजनीतिक नीति शास्त्र, प्रधानमंत्री के अपने ही निर्णय पर उनके विश्वास और भारत के संविधान के अंतर्गत सरकार द्वारा नियुक्त जांच आयोग पर कुठाराघात के समान है। यह कोई सरल मामला नहीं है, ऐसा बेशर्मी से उस समय किया गया जबकि संबंधित कार्यकारी कैमरे में जा रही थी। कुछेक कार्यवाही पूरी हो गई थी। उक्त कार्यवाही तक हमारी पहुंच नहीं है, न ही हम अब उस पर कुछ बोल सकते हैं। हमें विभिन्न रिपोर्टों से मामले के बारे में पता चला है। प्रधानमंत्री के सुरक्षा-सलाहकार वाशिंगटन गये और वापस आ गये, उसके बाद 48 घंटे के भीतर बाध्यकारी स्थिति उत्पन्न हो गई और श्री जॉर्ज फर्नान्डीज को केबिनेट में शामिल करना पड़ा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): श्री जसवंत सिंह ने अपने स्थान पर श्री जॉर्ज फर्नान्डीज को लेने का अनुरोध किया था।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: कुछ दिन पूर्व ही तत्कालीन रक्षा मंत्री ने सूचना दी थी कि स्थिति सही चल रही है और इस प्रकार दबाव बढ़ गया। यह एक गंभीर मामला है। धीमे स्वर में उसकी आलोचना भी हो रही थी। हम यह जानना चाहते हैं और इस सभा को यह जानने का पूरा अधिकार है कि कौन सी परिस्थितियों के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने जांच आयोग पर आघात करते हुए उस व्यक्ति को क्लीन-चिट दे दी, और उसे मंत्रिमंडल में शामिल किया गया।

प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वह सभा में स्पष्टीकरण दे क्योंकि मंत्रिमंडल लोक सभा के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह है। अतः, मंत्री को क्लीन-चिट देने के प्रधान मंत्री के आचरण पर किसी और को नहीं स्वयं उन्हीं को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: जांच आयोग ने एक नोटिस भेजा है, जो उन्हें प्रथम दृष्ट्या दोषी बनाता है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, विचारार्थ विषय के अंतर्गत यह स्पष्ट कहा गया है कि यह सच्चाई का पता लगायेगा। महोदय, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने से एक सप्ताह पूर्व जब यह विवाद शुरू हुआ कि यह टेप झूठा और तोड़-मरोड़कर तथ्य पेश करने वाला है, तो आयोग ने वह स्पष्ट निर्णय दे दिया था कि ऐसा नहीं है। प्रधान मंत्री के इस कार्य पर सभा में स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है। हमारा विचार है कि और किसी को नहीं स्वयं प्रधानमंत्री को ही सभा में स्पष्टीकरण देना चाहिये। उन्हें तत्काल उक्त मंत्री को मंत्रिमंडल से हटा कर संसदीय मान-मर्यादा पुनः स्थापित करनी चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब, श्री येरननायडू बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, आयोग ने श्री जॉर्ज फर्नान्डीज को नोटिस दिया है। जब श्री जॉर्ज फर्नान्डीज ने उस आधार पर त्यागपत्र दिया था, तो उन्हें केबिनेट में पुन: किस प्रकार लिया जा सकता है?...*(व्यवधान)* महोदय, इस मामले की जांच का क्या फायदा है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह 'शून्य काल' है। श्री पी.आर. दासमुंशी ने यह मामला उठाया है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): प्रधान मंत्री जी ने उन्हें कैसे क्लीन चिट दे दी।...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया): चार्जशीटेड मुख्यमंत्री राज कर रहे हैं। श्री जार्ज फर्नान्डीज चार्जशीटेड नहीं हैं। ये उन्हें हटाने की बात कैसे कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* कांग्रेस बिहार में वक्तव्य दे तो हम इन्हें समझेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमती रेनु कुमारी, कृपया इस प्रकार मत चिल्लाइये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही श्री येरननायडू को बोलने के लिए कह चुका हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): निष्पक्ष जांच किस प्रकार हो सकती है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय के बारे में क्या हुआ?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह 'शून्य काल' है। अन्य सदस्यों को भी अवसर मिलना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपका नाम देखा है। आपको अवसर दिया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, आपको बोलने का अवसर मिला था।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह एक महत्वपूर्ण मामला है। क्या इस देश में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, जो रक्षा मंत्री बन सकता?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपने मामला उठाया है। सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। यह 'शून्य काल' है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सरकार को यह बताना चाहिए कि प्रधान मंत्री जी सभा में आकर इस मामले के बारे में कब बतायेंगे...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, हमें सरकार से जवाब चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? मैं बोल रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपने अपना मुद्दा उठाया है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप मुझे बोलने देंगे?

...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): जब सभा में इस प्रकार का गंभीर मामला उठाया जा रहा है तो सरकार चुप क्यों है?...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा उठाया गया है। इसका परिणाम गंभीर होगा। यदि आप संपूर्ण घटना को देखें तो प्रधान मंत्री ने पहले ही कहा कि रक्षा मंत्री की कोई गलती नहीं थी। परंतु उन्हें त्यागपत्र देने के लिए कहा गया। रक्षा मंत्री से ही नहीं परंतु रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री से भी त्याग-पत्र देने के लिए कहा गया। देश का कार्य बिना रक्षा मंत्री के चल रहा था। प्रधानमंत्री ने स्वयं जांच अधिनियम आयोग के अंतर्गत जांच का आदेश दिया है। आयोग अपना कार्य कर रहा है।

भूतपूर्व माननीय रक्षा मंत्री को सम्मन जारी किया गया था। उसके बाद अचानक ही उन्हीं प्रधानमंत्री ने अपना पुराना वक्तव्य दोहरा दिया कि रक्षा मंत्री दोषी नहीं हैं। ऐसा क्यों हुआ? या तो प्रधानमंत्री शुरूआत में समझ नहीं पाए या उन्हें पुन: अपने वक्तव्य को दोहराने के लिए बाध्य किया। मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं।

मैं यहां स्पष्ट बता दूं कि जब रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री से इस्तीफा देने के लिए कहा गया तो मैंने सरकार से और जनता से कहा कि यह उचित नहीं है। यदि रक्षा मंत्री दोषी नहीं हैं तो उनसे इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। परंतु उसी समय कुछ राजनैतिक कारणों से सरकार ने उनसे त्यागपत्र देने के लिए कहा। कुछ महीनों बाद कुछ अन्य राजनैतिक कारणों से उन्हें पुन: मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। इसके कारण संपूर्ण स्थिति हास्यास्पद हो गई है। इससे रक्षा मंत्री की शोभा में इजाफा नहीं होता, इससे संसद की शोभा नहीं बढ़ती, इससे प्रधानमंत्री की मर्यादा में इजाफा नहीं होता बल्कि इससे संपूर्ण प्रणाली हास्यास्पद हो गई है। मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता कि प्रधानमंत्री ने इस प्रकार बर्ताव क्यों किया। इसका केवल एक कारण है- इसके लिए मैं कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं—हमें इस प्रधान मंत्री से आशा थी कि वे यह बतायें कि उन्होंने शुरूआत में उनसे इस्तीफे की मांग क्यों की और बाद में उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल क्यों कर लिया...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: प्रधान मंत्री को सदन में हाजिर करिये।...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री को बुलाया जाये और उनसे सदन में स्थिति साफ कराई जाये कि उन्होंने जांच हुए बिना कैसे क्लीनचिट दे दी?...*(व्यवधान)* आप उन्हें बताइये, प्रधान मंत्री आकर बतायें।...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेनु कुमारी: मेरी रिक्वैस्ट है कि इनसे पूछा जाये, बिहार के मुख्यमंत्री पर चार्ज है, फिर भी उसे मुख्यमंत्री बनाये हुए हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: केवल अत्यधिक लोक महत्व के मामलों पर ही जांच आयोग नियुक्त किया जा सकता है। जब केन्द्र सरकार ने इस मामले को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने के बजाय जांच आयोग नियुक्त करने का निर्णय लिया तो उनके पास दोषसिद्धि का न्यूनतम कारण यह था कि यह मामला लोकमहत्व का है और इसमें न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जांच की आवश्यकता है। वह न्यायिक प्राधिकरण अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत केवल उसी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकता है जिसके खिलाफ प्रथम दृष्ट्या मामला होता है। अंतत: वह दोषमुक्त हो सकता है। परंतु, जब उनके पास नोटिस भेज दिया गया है तो वह प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकरण की जांच के अंतर्गत आ गए हैं और जब वह मामला विचाराधीन है और उस नोटिस पर अभी निर्णय किया जाना है तो प्रधान मंत्री यह वक्तव्य कैसे दे सकते हैं कि मंत्री जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है? यह बड़ा गंभीर मामला है। हमने ऐसा कभी नहीं देखा है कि सरकार का मुखिया, देश के प्रधान मंत्री जानबूझ कर जांच आयोग के निर्णय को प्रभावित करने का प्रयत्न करे। किसी विशेष व्यक्ति जो सिर्फ एक दोषी है के दोषमुक्त होने के बारे में प्रधानमंत्री के वक्तव्य का अर्थ यह है कि उसे निर्दोष साबित किया जा रहा है। क्या यह जांच आयोग को जानबूझ कर प्रभावित करने के लिए नहीं है? इसके अलावा और यह क्या है?

उन्होंने संवैधानिक नियमों और मर्यादा का तनिक भी आदर नहीं किया है उपयुक्त तो यह होता कि जब तक इस मामले का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। इस मामले में इतनी जल्दबाजी करने की क्या आवश्यकता थी? इसका कारण यह है कि राजद के पास रक्षा मंत्री के पद के लिए कोई नहीं है? अचानक यह सब कैसे हो गया। श्री जसवंत सिंह ने अचानक कहा कि श्री जार्ज फर्नान्डीज एक अच्छे रक्षा मंत्री साबित होंगे, वे दोहरी जिम्मेदारी और अधिक नहीं निभा सकते। इस प्रकार का ड्रामा किया। इस ड्रामा के बाद यह निर्णय लिया गया।

इस देश की ऐसी खराब स्थिति है कि हमें एक ऐसे मंत्री का सामना करना पड़ रहा है जो आयोग के अनुसार कलंकित है,

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

जिनसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया और जिनके इस्तीफे के कारण राजद के एक घटक दल को सरकार से अपना समर्थन वापस लेना पड़ा...*(व्यवधान)* उन्होंने मंत्रालय से संयुक्त रूप में इस्तीफा दे दिया। उसके बाद क्या हुआ? प्रधान मंत्री को इस संबंध में एक वक्तव्य देना चाहिए। यदि उन्हें पुनः शामिल नहीं किया जाता तो क्या प्रलय आ जाती...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आपने अपनी बात कह दी है। मैं सरकार को जबाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः मैं सरकार को बाध्य नहीं कर सकता।

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः आपके माध्यम से मैं संसदीय कार्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वे सभा की इच्छा के बारे में प्रधान मंत्री को बताएंगे कि वे सभा में आकर इस मामले का खुलासा करें...*(व्यवधान)*

श्री वैको (शिवकाशी): प्रधान मंत्री ने श्री जार्ज फर्नान्डीज को देश के रक्षा मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में पुनः शामिल करके सही निर्णय लिया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने स्वयं इस सवाल को गम्भीर बनाया है। अभी सोमनाथ जी ने कहा कि जार्ज साहब अच्छे मंत्री हो सकते हैं, वे अच्छे नेता भी रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब पहले रक्षा मंत्री ने नैतिकता के नाते इस्तीफा दिया, तो उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। बाद में करीब एक हफ्ते के बाद उनसे इस्तीफा मांगा गया। समता पार्टी के कई सांसदों ने यहां खड़े होकर कहा, प्रभुनाथ सिंह जी भी उस समय थे, अब वे भले ही अपनी बात से बदल जाएं, उन्होंने कहा था कि जब इस्तीफा दिया गया था, तब क्यों नहीं स्वीकार किया। अब इस्तीफा मांग कर हमारे मंत्री का अपमान किया गया है। यह सवाल उस समय उठा था। हरिन पाठक जी से भी तब इस्तीफा लिया गया था। बाद में सरकार ने अपनी पंसद का आयोग गठित किया। उसकी अभी पूरी रिपोर्ट भी नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष को उसमें पैसे लेते हुए दिखाया गया था। उन्होंने स्वीकार भी किया था कि हमने रुपए पार्टी के वास्ते लिए थे। यह पूरी सरकार ही भ्रष्ट है। अब फिर जार्ज साहब को रक्षा मंत्री बना दिया गया है। इस तरह खुद प्रधान मंत्री जी ने इस मामले को गम्भीर बनाया है। प्रधान मंत्री और गृह मंत्री में आपस में मतभेद हैं। गृह मंत्री ने कहा कि उनको रक्षा मंत्री नहीं बनने देंगे और प्रधान मंत्री ने कहा कि हम बनाएंगे। आपसी मतभेदों के कारण देश की जनता को धोखा दिया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय एक महत्वपूर्ण एवं संवदेनशील मंत्रालय है। देश की सीमाओं पर दोनों ओर से सेनाएं तैनात हैं। प्रधान मंत्री जी ने विवादास्पद बयान देकर रक्षा मंत्री का पद गम्भीर बना दिया है। इसलिए प्रधान मंत्री जी को सदन में आकर इसे स्पष्ट करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए अन्यथा अपने वक्तव्य को वापस लेना चाहिए। यह देश की जनता के सामने स्पष्ट होना चाहिए। जैसे चन्द्रशेखर जी ने भी कहा कि यह प्रधान मंत्री की गरिमा के अनुकूल नहीं है। इसलिए प्रधान मंत्री जी को सदन में आकर बयान देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः श्री प्रभुनाथ सिंह।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्यः महोदय, इस मामले पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

उपाध्यक्ष महोदयः श्री आचार्य, मैंने श्री प्रभुनाथ सिंह को बोलने का मौका दिया है। बहुत हो गया।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः महोदय, हम विरोध में सभा का बहिष्कार कर रहे हैं। हम सरकार के दृष्टिकोण की भर्त्सना करते है...*(व्यवधान)* हम इस मामले पर समझौता नहीं कर सकते। कल भी हम इस मामले को उठाएंगे। हम तब तक चुप नहीं रहेंगे जब तक प्रधान मंत्री स्थिति को स्पष्ट नहीं करेंगे...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.56 बजे

(इस समय श्री प्रियरंजन दासमुंशी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।)

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जीः महोदय, हम विरोधस्वरूप सभा का बहिष्कार कर रहे हैं। इतने महत्वपूर्ण मामले पर सरकार का इस प्रकार का रवैया है।

अपराह्न $12.56^1/_2$ बजे

(इस समय, श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष जी, जब से तहलका का मामला सामने आया, हम उसी समय से कह रहे हैं कि तहलका मामले में एक साजिश के तहत जार्ज फर्नान्डीज का नाम बदनाम किया जा रहा है जबकि जो कैसेट दिखाया गया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राशिद अलवी, व्यवधान मत डालिए। आपने अपनी बात कह दी है। अब उन्हें भी अपनी बात कहने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: जी.टी.वी. पर जो कैसेट दिखाया गया, उसमें जार्ज फर्नान्डीज के नाम का कहीं जिक्र नहीं था। हम उन दिनों भी कह रहे थे कि जिन दिनों इस सभा में चर्चा चल रही थी कि एक साजिश के तहत जार्ज फर्नान्डीज के चरित्र का हनन किया जा रहा है...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: किसकी साजिश है?...*(व्यवधान)* यह भी बताइए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: बता रहे हैं। एक साजिश के तहत यह किया जा रहा है और इस साजिश में जहां एक तरफ कांग्रेस है, वहीं बीजेपी के कुछ लोगों का भी हाथ था।...*(व्यवधान)* लेकिन जब प्रधान मंत्री जी को हकीकत का पता चला कि जार्ज फर्नान्डीज को एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है तब उन्होंने उन्हें मंत्री मंडल में वापस लिया है। जार्ज फर्नांडीज बिल्कुल निर्दोष हैं। उन पर किसी तरह का आरोप नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: बीजेपी का लीडर कौन है, यह बताइए? इसलिए समाजवादी पार्टी सदन का बहिष्कार करती है।

अपराह्न 12.58 बजे

(तत्पश्चात् श्री मुलायम सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री येरन्नायडू।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कपास एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है जो आंध्र प्रदेश और देश के बाकी भाग में उगाई जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप नकदी फसलों पर बोलेंगे!

श्री के. येरननायडू: जी हां। महोदय कपास का कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): उपाध्यक्ष जी, विद्यमान रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नांडीज को लेकर विषय उठाया गया। इस संबंध में मुझे केवल इतना कहना है कि जार्ज फर्नान्डीज पर तहलका मामले में किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप नहीं है। वेंकटस्वामी...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: कमीशन की जांच चल रही है। आप कौन हैं?...*(व्यवधान)* कमीशन का फैसला यहां दे रहे हैं। नोटिस जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया उनकी बात सुनिए। आपको उनकी भी बात सुनने का धैर्य होना चाहिए। उन्होंने आपकी बात सुनी है। अब आप उनकी बात भी सुनने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: वेंकटस्वामी आयोग द्वारा भी इस क्षण तक जार्ज फर्नांडीज को भेजे गये जिस नोटिस का उल्लेख हुआ है, उसी नोटिस के साथ भी वेंकटस्वामी आयोग ने जार्ज फर्नांडीज पर किसी प्रकार का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कोई आरोप नहीं लगाया है। इसलिए आयोग ने जार्ज फर्नांडीज पर आज तक तहलका मामले में किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या जांच आयोग जांच समाप्त होने से पहले कोई आरोप लगा सकता है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: जो नोटिस मिला है, उसमें भी दूर-दूर तक कोई जिक्र नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

किसी का भी ब्यौरा देने के लिए नहीं कहा गया है।

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

जिनके नेता पूरे के पूरे जांच में बरसों से डूबे हैं, वे यहां पर भ्रष्टाचार का ज्ञान सिखाने खड़े हो जायें और बोलने तक न दें, यह कहां तक सही है।...*(व्यवधान)* प्रियरंजन दासमुंशी जी ने माना है कि मंत्री परिषद् में किसी को सम्मिलित करना प्रधान मंत्री का विशेषाधिकार है। इस अधिकार के संबंध में उन्हें किसी के सामने कोई जवाबदेह होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रधान मंत्री जी ने जार्ज फर्नांडीज जी को रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। उनको बदलने या वापिस लेने का सपना विपक्ष देख रहा है, तो दिन में सपने देखने वालों का मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ...*(व्यवधान)* जार्ज फर्नांडीज रक्षा मंत्री हैं, रहेंगे और हम शुरू से कहते आए हैं कि उन पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कपास उत्पादकों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों के किसान कपास को बहुत कम मूल्य पर बेच रहे हैं। उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। विश्व व्यापार संगठन समझौते और मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के बाद, हम कपास का बड़ी मात्रा में आयात कर रहे हैं। इसलिए किसानों को लाभकारी मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को कहना चाहता हूं कि वे भारतीय कपास निगम को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास खरीदने के लिए कहें। हम आयातित कपास पर 5 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगा रहे हैं। यदि हम इसे 5 प्रतिशत के बजाए 25 प्रतिशत कर देते हैं तो आयात को कुछ हद तक रोका जा सकता है। फिर हमारे देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। कपास उत्पादक सभी जगह यही मांग कर रहे हैं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। यदि सरकार किसानों को अपने उत्पाद कम मूल्य पर बेचने के बाद निर्णय लेती है तो इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। मैं भारत सरकार को संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से बताना चाहता हूं कि केवल आंध्र प्रदेश के ही नहीं बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के किसान भी इससे पीड़ित हैं।

अपराह्न 1.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.04 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन* हुए]

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब विधेयक पुर:स्थापित किया जाए। डा. सत्यनारायण जटिया।

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन 12 अगस्त 1994 को हुआ था। पहली बार इसको 1997 तक और फिर 2001 तक, फिर 2002 तक और अब कहा जा रहा है कि 2004 तक इसकी अवधि को बढ़ाना है, इसलिए यह संशोधन लाए हैं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2, दिनांक 20.11.2001 में प्रकाशित।

महोदय, हिंदुस्तान का यह दुख:द इतिहास रहा है कि जो गंदगी करता है वह बड़ा आदमी है और जो गंदगी को साफ करता है वह छोटा आदमी या अछूत कहलाता है। जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वे सब दलित हैं और उनकी संख्या आज पांच लाख के करीब है। यह आयोग बैठा है कि उनकी समस्याएं, शिकायतें कैसे दूर की जाएं, उनको सहूलियतें कैसे दी जाएं। लेकिन यह टर्म पर टर्म बढ़ाते चले जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उनका कल्याण कैसे होगा? इसलिए इंट्रोडक्शन के वक्त में हमने विरोध किया है क्योंकि जो दलितों में भी दलित वर्ग है वह यह सफाई कर्मचारियों का वर्ग है। इनको सभी जातियों के लोग अछूत कहते हैं, उनका कल्याण कैसे होगा जब आप टर्म पर टर्म बढ़ाते जाएंगे। शुरू में तीन वर्ष के लिए हुआ था लेकिन समय को आप खींचते ही चले जा रहे हैं, यह सरकार की साजिश है। इनका कल्याण कैसे होगा? कंट्रैक्ट एक्ट के नियम दस में कहा गया है कि सफाई कर्मचारी, सफाई मजदूर कंट्रैक्ट एक्ट के अधीन नहीं हैं, इसलिए इसको खत्म करेंगे और इनका भी लेबर कंट्रक्ट हो जाएगा। इसलिए हम तो कहते हैं कि यह दलित विरोधी सरकार है और इसीलिए हम विरोध में खड़े हुए हैं। महात्मा गांधी का सपना था कि इनका कल्याण हो, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है कि टर्म पर टर्म बढ़ाते जाने से इनका कल्याण कैसे होगा।...*(व्यवधान)*

डा. (श्रीमती) अनीता आर्य (करोलबाग): आपके बिहार में उनके साथ क्या हो रहा है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: बिहार में दलितों को सम्मान मिला है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अभी मैरिट पर बात नहीं करनी है, अभी तो लैजिस्लेटिव कम्पीटेंस पर बात करनी है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति जी, आप तो कानून-कायदे के जानकार व्यक्ति हैं। जब यह 1994 में बना था तो इसका टर्म इतना क्यों बढ़ा और अब कहते हैं कि हम इसका 2004 तक गठन करना चाहते हैं। सभापति जी, सफाई मजदूर के साथ छल हो रहा है। हम चाहते हैं कि सफाई मजदूरों के लाइफ इंश्योरेंस, मस्टर-रोल के मुताबिक तथा मिनिमम-वेज के मुताबिक उनको मजदूरी दी जाए, जोकि उनको नहीं दी जा रही है। अस्पतालों और स्कूलों में उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है, उनको वेतनभोगी कर्मचारी भी नहीं बनाया जा रहा है तथा उनको छोटा और नीचा कहा जा रहा है।

जो समाज में यह बीमारी फैली है, आप इसे दूर करने के उपाय करें, मूलभूत उपाय करें, लाखों सफाई कर्मचारियों के लिए आप क्या इंतजाम करने वाले हैं और आयोग कब उनकी शिकायतों को दूर करेगा? आप उनका कल्याण करें जिससे उन्हें सारी सहूलियतें मिल सकें। इस बात को सरकार स्पष्ट करें नहीं तो हम इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे।

डा. सत्यनारायण जटिया: माननीय सभापति महोदय, डाक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी को सफाई कर्मचारियों के कल्याण के बारे में काफी चिन्ता है। वह चाहते हैं कि उनका कल्याण हो। सफाई कर्मचारियों के लिए आयोग का गठन फरवरी 2001 में हुआ था। उसका कार्यकाल तीन साल का होना चाहिए और उसे तीन साल करना है, इस कारण यह संशोधन लाना जरूरी था। यदि हम यह संशोधन नहीं लायेंगे तो मार्च 2002 में यह खत्म हो जाएगा। उनका सामाजिक, आर्थिक उत्थान हो और इसके बारे में समग्र चिन्ता हो सके, इस कारण यह संशोधन लाया गया है। आप चाहते हैं कि इनका कल्याण होना चाहिए। इसी भावना से हमने यह संशोधन लाने का काम किया। इसमें इसका कार्यकाल तीन वर्ष बढ़ाने की बात है। अब फरवरी 2004 तक इसकी समय सीमा हो जाएगी। इस संदर्भ में आपने जो बात कही कि इसे किया जाए, उसके संबंध में निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

"कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: सभापति महोदय, मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित* करता हूं।

अपराह्न 2.12 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) राजस्थान में अजमेर में हवाई अड्डा बनाए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, राजस्थान की हृदयस्थली में बसा अजमेर एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का सुप्रसिद्ध

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

ऐतिहासिक नगर है। अजमेर नगर का शैक्षिक, सांस्कृतिक, पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व है। विगत वर्षों के आंकड़ों की दृष्टि से भी पर्यटन के क्षेत्र में अजमेर का जयपुर के बाद राजस्थान में दूसरा स्थान है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में प्रति वर्ष लाखों जायरीन देश-विदेश से आकर अपनी अकीदत पेश कर पुण्य के भागी बनते हैं। वहीं तीर्थ गुरु पुष्कर में विश्व के एकमात्र ब्रह्माजी के मंदिर तथा पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान करने हेतु लाखों तीर्थयात्री आते हैं। वर्तमान में देश-विदेश से आने वाले पर्यटक दिल्ली या जयपुर तक हवाई जहाज से आते हैं। फिर वहां से रेल अथवा सड़क मार्ग द्वारा अजमेर पहुंचते हैं जो अत्यधिक कष्टप्रद है। हवाई यातायात से उन्हें सुगमता होगी।

अजमेर शिक्षा का सुप्रसिद्ध केन्द्र है। वहां देश-विदेश के बालक-बालिकाएं मेयो कालेज आदि विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत हैं। अजमेर में सीआरपीएफ के दो मुख्यालय हैं जहां अधिकारियों को अविलम्ब देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जाना पड़ता है।

उपरोक्त सभी कारणों से अजमेर में हवाई अड्डा स्थापित होना अत्यन्त आवश्यक है। अत: भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि अजमेर को हवाई यातायात से जोड़ने हेतु अविलम्ब हवाई अड्डे की स्थापना की जाए।

(दो) गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सगवारा तहसील में दूरदर्शन कार्यक्रमों का स्पष्ट प्रसारण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): महोदय, सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र भरूच के नर्मदा जिले के तहसील सागवारा में दूरदर्शन के प्रोग्राम का प्रसारण नहीं होने की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह क्षेत्र महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर है। इस क्षेत्र में दूरदर्शन का कोई प्रोग्राम नहीं देखा जा सकता है। इस संबंध में मैं संबंधित मंत्री जी को लिख चुका हूं। यह क्षेत्र अदिवासी बाहुल्य है। आधुनिक उपकरण होने के बाद भी इस क्षेत्र में दूरदर्शन का प्रसारण कार्य अभी तक संभव नहीं हो पाया है। सरकार से अनुरोध है कि आधुनिक उपकरणों के माध्यम से इस क्षेत्र में दूरदर्शन के कार्यक्रम का प्रसारण कार्य संभव करवाए।

(तीन) अफीम उत्पादकों विशेषरूप से मध्य प्रदेश के अफीम उत्पादकों को पहचान-पत्र दिए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति महोदय, वर्तमान में अफीम उत्पादक क्षेत्र जिनमें मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, उज्जैन तथा राजस्थान के झालावाड़, निम्बाहेड़ा, प्रतापगढ़, बड़ीसादड़ी, चित्तौड़गढ़ आदि क्षेत्र में चालू सत्र के दौरान अफीम उत्पादक किसानों के लिये फोटो पहचान-पत्र देने की नयी व्यवस्था नारकोटिक्स विभाग द्वारा की गई है। इसके पूर्व यह व्यवस्था कभी नहीं रही। इस नयी व्यवस्था के लागू होने से किसानों में भयंकर असंतोष व्याप्त है क्योंकि किसानों को मुख्यालय या केन्द्र पर बुलाया जा रहा है। ऐसा होने से वृद्ध अशक्त तथा विधवा महिलायें जो नियमानुसार अफीम लाइसेंसधारी हैं अथवा जिन्हें पात्रता है उनको काफी असुविधा हो रही है। इसके लिये किसानों से 125 रुपये वसूले जा रहे हैं जो कि लागत से बहुत अधिक है। मेरी जानकारी में आया है कि इस प्रकार के फोटो पर समस्त व्यय सहित 10 रुपये से अधिक उसकी लागत नहीं होती है। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि विभाग द्वारा कार्य बड़े ठेकेदारों द्वारा कराया जा रहा है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार का फोटो पहचान-पत्र दिया जाना यदि आवश्यक है तो विभाग को स्वयं इसके व्यय की व्यवस्था करनी चाहिये अथवा विभाग इस योजना को लागू करने पर पुनर्विचार करे।

(चार) मगिनीमोरा-कोहिमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के.ए. सांगतम (नागालैण्ड): महोदय, सुदूर पूर्वी क्षेत्र में भारत-म्यांमार की सीमा पर एक लेन वाली अत्यन्त महत्वपूर्ण सड़क जो मोंग, तेंनसांग, किफायर और मेलौरी से होकर नगिनी मोरा से कोहिमा तक जाती है, को इस क्षेत्र में रहने वालों के लिए लाइफ लाइन मानी जाती है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त दक्षिण एशिया के चार अत्यन्त महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र इस सड़क के समानान्तर स्थित हैं और इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का भी प्रचुर भंडार है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाये और इसे दसवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाये। इसे दो लेने वाले मार्ग में बदला जाये और इसे प्रधान मंत्री की योजनानुसार उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम को जोड़ने वाली सड़क से जोड़ा जाये, जिसे असम में सिवसागर तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

(पांच) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-80 का समुचित रखरखाव किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुबोध राय (भागलपुर): सभापति महोदय, राष्ट्रीय उच्च पथ सं. 80 की स्थिति काफी जर्जर है। इस मार्ग पर सभी पुल पुराने एवं क्षतिग्रस्त हैं और हर समय भयावह दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। कहलगांव के पास दुर्घटनाग्रस्त पुल का निर्माण अभी भी आरंभ नहीं हुआ है।

अतएव भारत सरकार से मांग है कि राष्ट्रीय उच्च-पथ सं. 80 का चौड़ीकरण सहित निर्माण और चम्पानाला तथा कहलगांव के पुलों को निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराये।

(छह) आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में सालुर कस्बे में एक बाईपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी.वी.जी. शंकर राव (पार्वतीपुरम): महोदय, आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में स्थित सालुर अत्यन्त महत्वपूर्ण कस्बा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-43 इस कस्बे से होकर गुजरता है। यह राजमार्ग उड़ीसा और मध्य प्रदेश का प्रवेश द्वार है। इस मार्ग पर सदैव यातायात की भीड़ रहती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-43 के इस कस्बे से होकर गुजरने के कारण सालुर क्षेत्र में यातायात का जाम आम बात हो गई है जिससे इस कस्बे के लोगों को बहुत असुविधा होती है। इसलिये सालुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-43 पर बाइपास का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। इससे इस कस्बे के लोगों को बहुत राहत मिलेगी।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि सालुर कस्बे में बाई-पास के निर्माण को मंजूरी दी जाये।

(सात) उत्तर प्रदेश में खलीलाबाद चीनी मिल के कर्मचारियों और गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए उक्त मिल को पुनः खोलने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भालचन्द्र यादव (खलीलाबाद): सभापति महोदय, हमारे लोक सभा क्षेत्र का जनपद सन्त कबीर नगर उ.प्र. का एक नवसृजित जिला है। जनपद मुख्यालय पर खलीलाबाद चीनी मिल है जो गत चार वर्षों से बंद पड़ी है। उक्त गन्ना मिल पर गन्ना किसानों का 7 करोड़ रुपये बकाया है। गन्ना किसान बहुत परेशान होकर मजबूरी में अपने गन्ने को खेत में ही आग लगाकर जला रहे हैं, जिससे काफी क्षति हो रही है।

उपरोक्त चीनी मिल के कर्मचारी भुखमरी के कगार पर हैं जो आए दिन धरना प्रदर्शन, भूख-हड़ताल तथा आमरण अनशन पर आमादा हैं।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार आवश्यक कदम उठाकर उपरोक्त गन्ना मिल चलाये जाने तथा किसानों के बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान कराये।

(आठ) देश में गो-वध पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए कठोर कानून बनाए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): सभापति महोदय, हमारे देश से प्रतिदिन लगभग 15 हजार गाय बांग्लादेश में तस्करी के जरिये ले जाई जाती हैं। आये दिन देश के भीतर भी गो-हत्या के समाचार मिलते रहते हैं। सरकार को गो-वंश की रक्षा हेतु, गो-हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए सक्षम कानून बनाना चाहिए।

(नौ) मतदाताओं द्वारा अपनी सुविधानुसार फोटो पहचान पत्र बनाने के लिए देश के सभी जिलों में फोटोग्राफी यूनिट खोले जाने की आवश्यकता

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश के मतदाताओं के फोटोग्राफी अभियान की ओर दिलाना चाहता हूं। सरकार एवं चुनाव आयोग की यह घोषणा कि "मतदान में फोटो पहचान-पत्र अनिवार्य रूप से लागू होगा" के कारण देश के मतदाता अनिश्चय की स्थिति में हैं, क्योंकि उक्त अभियान के तहत बूथों पर आवश्यक मात्रा में आवेदन फार्म उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश के जिलों के निर्वाचन कार्यालयों में एक फोटोग्राफ सेल का स्थापित होना जनहित में अति आवश्यक है।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि मतदाताओं की फोटोग्राफी सुनिश्चित करने हेतु देश के प्रत्येक जिले के निर्वाचन कार्यालयों में एक स्थायी फोटोग्राफी सेल की स्थापना करे जिससे फोटोग्राफी से वंचित मतदाता अपनी सुविधानुसार कभी भी कार्य दिवस में अपनी फोटोग्राफी करा सकें।

(दस) तमिलनाडु के वैल्लोर जिले में अर्कोनम रेलवे स्टेशन पर वृंदावन, त्रिवेन्द्रम और दादर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. एस. जगतरक्षकन (अर्कोनम): महोदय, चेन्नई में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के कार्यालयों और निजी कम्पनियों में कार्य करने वाले अधिकांश कर्मचारी अर्कोनम और उसके आस-पास के गांवों से प्रतिदिन आते-जाते हैं। वर्तमान में कुछ एक्सप्रेस मेल रेलगाड़ियों के ठहराव न होने के कारण समय पर अर्कोनम जंक्शन पहुंचने में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं माननीय रेलमंत्री से अनुरोध करता हूं कि प्रतिदिन आने-जाने वाले यात्रियों के लाभार्थ निम्न रेलगाड़ियों को तमिलनाडु के वेल्लूर जिला के अर्कोनम रेलवे जंक्शन पर ठहराव की व्यवस्था की जाये—

1. रेलगाड़ी संख्या 2639/2640 चेन्नई-बंगलौर—वृन्दावन एक्सप्रेस
2. रेलगाड़ी संख्या 6619/6620 चेन्नई-त्रिवेन्द्रम—त्रिवेन्द्रम मेल
3. रेलगाड़ी संख्या 1063/1064 चेन्नई-दादर—दादर एक्सप्रेस

(ग्यारह) दक्षिण बिहार में आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद): महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान विशेषकर दक्षिण बिहार में हाल में आंतकवादियों द्वारा बारूदी सुरंगें बिछाकर किये गये हमले से हुई मौतों, बर्बादी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। दिनांक 19.20.2001 को पटना जिले के जंगपुरा गांव के निकट बारूदी सुरंगों के विस्फोट से घनौरा थाना के 6 पुलिसकर्मियों सहित सात व्यक्ति मारे गये। आतंकवादियों ने पुलिस कर्मियों से हथियार भी लूट लिया। इसलिये मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि दक्षिण बिहार को उपद्रवग्रस्त इलाका घोषित किया जाए और आधुनिक संचार की समस्त सुविधाओं से युक्त विशेष प्रकार के बुलेट प्रूफ मोबाइल वैन उपलब्ध कराने जैसी आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने के उपयुक्त उपाय किये जायें जिससे कि पुलिस तथा अर्ध-सैनिक कर्मियों के जीवन की आवागमन के दौरान रक्षा की जा सके।

(बारह) उड़ीसा में क्योंझर जिले में हाथियों के आतंक को रोकने के लिए हाथियों के लिए एक अभ्यारण्य बनाए जाने की आवश्यकता

श्री अनंत नायक (क्योंझर): महोदय, उड़ीसा के आदिवासी जिला क्योंझर के किसान हाथियों द्वारा उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाये जाने के कारण गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में हाथी उनकी खड़ी फसल और कटाई के लिये तैयार फसल का नुकसान कर रहे हैं क्योंकि जंगलों में उन्हें पर्याप्त रूप से खाने के लिए नहीं मिल रहा है। इस आदिवासी क्षेत्र के जंगल को असामाजिक लोग नष्ट कर रहे हैं। जब हाथियों को खाने को नहीं मिलता है तो वे पास के गांवों में जाते हैं और फसल को नष्ट करते हैं। प्रत्येक वर्ष बहुत से व्यक्ति हाथियों द्वारा मारे जाते हैं। इस वर्ष स्थिति बहुत गंभीर और तनावपूर्व हो गयी है।

यदि किसानों और आम लोगों की रक्षा के लिये तुरन्त कदम नहीं उठाये गए तो इस क्षेत्र में हाथियों के आतंक से समस्या पैदा हो जायेगी। यदि इस क्षेत्र में हाथी अभयारण्य बना दिया जाए और एनक्लोजरी में उन्हें पर्याप्त खिलाया जाये तो भविष्य में वह समस्या हल हो जायेगी।

अत: मेरा अनुरोध है कि उड़ीसा के क्योंझर जिला में हाथी अभयारण्य की स्थापना की जाये और साथ ही हाथियों के आतंक से लोगों की रक्षा के लिये अविलम्ब उपाय किये जाएं।

अपराह्न 2.25 बजे

मणिपुर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा को जारी रखने का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम मद संख्या 14, जो सांविधिक संकल्प के विषय में है, पर विचार करेंगे। श्री लाल कृष्ण आडवाणी।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): सभापति महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं:-

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा मणिपुर के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी 2 जून, 2001 की उद्घोषणा को 2 दिसम्बर, 2001 से और छह माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

सभापति जी, सदन को इस बात की जानकारी है कि 2 जून, 2001 को राष्ट्रपति जी ने धारा 356 के अधीन यह उद्घोषणा जारी की थी जिसके कारण मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।

संविधान की इस धारा के अधीन राष्ट्रपति शासन छः माह के लिए लागू रहता है। छः माह आने वाले 2 दिसम्बर को समाप्त होंगे और 2 दिसम्बर से पहले या तो चुनाव हो जाने चाहिए, नई विधान सभा बन जानी चाहिए या फिर संसद में प्रस्ताव द्वारा छः माह की अवधि और बढ़ा दें और इसी कारण पिछले दिनों संसद का अधिवेशन आरंभ होने से पहले राज्यपाल जी से जानकारी प्राप्त की गई थी कि आपका मूल्यांकन वहां की परिस्थिति के बारे में क्या है और आपकी सिफारिश क्या है कि क्या किया जाना चाहिए। राज्यपाल जी ने जो प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को दिया, उसके अनुसार उन्होंने कहा कि यह वांछनीय है कि चुनाव जितनी जल्दी हो सकें वहां हों, और शीघ्र ही एक विधिवत चुनी हुई सरकार अपना दायित्व संभाल ले लेकिन जिन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू करना आवश्यक हो गया था, उन परिस्थितियों में सुधार तो हुआ है लेकिन अभी तक सामान्य स्थिति बनी है, ऐसा नहीं लगता। उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय में विभिन्न दलों से मैं सलाह करता रहा हूं और उनकी भी राय है कि राष्ट्रपति शासन कुछ समय के लिए और रहना चाहिए। उन्होंने अवधि निर्धारित नहीं की लेकिन इतना कहा कि मैं आशा करता हूं कि दो-तीन महीने में यह स्थिति सामान्य बन पाएगी।

मैं सदन के पास आया हूं यह अनुरोध करने के लिए कि स्थिति पर विचार करके प्रस्ताव पारित करें कि छः महीने की अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन वहां पर और लागू रहे, जो छः महीने 2 जून, 2002 को समाप्त होंगे। उससे पहले चुनाव की व्यवस्था वहां पर की जाए, यह सरकार का विचार है और उस दिशा में काम आगे बढ़ाया जाएगा। यह प्रस्ताव अब सदन के सामने है। चूंकि यह अवधि 2 दिसम्बर को समाप्त होती है, इसी कारण सरकार ने जब इस सत्र का अपना बिजनेस तय किया, तब सोचा कि मणिपुर के बारे में प्रस्ताव सबसे पहले हम लाएंगे क्योंकि दूसरे सदन में भी इसकी पुष्टि आवश्यक है और इसी कारण पहले दिन ही यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है। मैं आशा करता हूं कि सदन ने जिस प्रकार से पहले राष्ट्रपति शासन को सर्वसम्मति से पुष्टि दी थी, उसी प्रकार से अब की बार भी सर्वसम्मति से इसकी एक्सटेन्शन को पुष्टि देकर वहां पर स्थिति को सामान्य लाने में सहायता करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: संकल्प प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा मणिपुर के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी 2 जून, 2001 की उद्घोषणा को 2 दिसम्बर, 2001 से और छह माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): सभापति महोदय, मैं सांविधिक संकल्प का जिसे माननीय गृह मंत्री ने पेश किया है सशर्त समर्थन करता हूं। यह समर्थन इस शर्त के साथ है कि इस प्रस्ताव पर मत विभाजन से पहले माननीय गृह मंत्री आश्वासन दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पंजाब राज्यों में होने वाले विधान सभा चुनावों के साथ मणिपुर में भी चुनाव कराये जायेंगे।

मेरी पार्टी की प्रमुख चिन्ता है कि चुनाव आयोग चुनावों को अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों के साथ ही कराएं। क्योंकि सामान्यतः यह कई राज्यों में होने वाले चुनावों के साथ ही करवाता है। यदि अन्य राज्यों में फ़रवरी या मार्च में होने वाले चुनावों के साथ मणिपुर में चुनाव नहीं करायेंगे तो इससे राज्यों में होने वाले चुनावों को एक साथ कराने की सामान्य परम्परा का उल्लंघन होगा और उसके बाद फिर मानसून आ जाएगी। चुनाव मानसून आने के आधारभूत सुविधा और आतंकवाद की दृष्टि से मणिपुर की स्थिति लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है लेकिन यदि चुनाव अनावश्यक रूप से 2 जून तक स्थगित कर दिये गये तो चुनाव में आतंकवादी गतिविधियों और खराब वर्षा की समस्या पैदा हो जाएगी।

सिद्धान्तः मेरी पार्टी ऐसे प्रावधान के अभाव में भी इस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि तीन माह अर्थात् 2 मार्च तक बढ़ाने का समर्थन करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित तिथि तक चुनाव कराए जा सकें लेकिन हम इस संकल्प को लाये जाने की संवैधानिक बाध्यता समझ रहे हैं जिसमें कि राष्ट्रपति शासन की अवधि छह माह तक बढ़ाये जाने की बात है, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार एक बार में राष्ट्रपति शासन की अवधि छह माह के लिये ही बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इस प्रस्ताव को अपनी सहमति देने से पहले हम माननीय गृह मंत्री से आश्वासन चाहते हैं कि वह चुनाव आयोग से यह सुनिश्चित करने के लिए सम्पर्क करेंगे। परम्परानुसार मणिपुर में भी चुनाव अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों के साथ कराये जायें। मैं इस बात पर जोर देता हूं कि हमने इस प्रकार का आश्वासन इसलिये भी मांगा है क्योंकि उत्तर-पूर्व में केन्द्र सरकार के इरादों, कार्यों और उद्देश्यों के बारे में विश्वास का पूरी तरह अभाव है। वहां के लोग महसूस करते हैं कि उनके साथ धोखा किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेषकर मणिपुर के लोगों ने 2 जून, 2001 को राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि समाप्त होने के बाद यह महसूस किया है कि केन्द्र सरकार ने उनके साथ विश्वासघात किया गया है। मेरा माननीय गृह मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का नोटिस अध्यक्षपीठ के पास लंबित है। यह मामला अभी भी इसलिए लंबित है क्योंकि माननीय गृह मंत्री यह संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि प्रधान मंत्री ने इस सभा से बाहर उत्तर-पूर्व के मुख्य मंत्रियों को क्यों सूचित किया कि एनएससीएन (आई.एम.) 14 जून के

[श्री मणि शंकर अय्यर]

समझौते से तीन शब्दों को हटाने पर सहमत हो गया है। इसकी वजह से केवल मणिपुर में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर-पूर्व में उपद्रव फैल गया है। जब इस मुद्दे पर इस सभा में और जोर दिया गया तो गृह मंत्री ने, जिनसे मैंने समाचार-पत्र में छपे समाचार का जिक्र किया था, मुझसे कहा कि समाचार-पत्र में छपी खबरों की तरफ ध्यान मत दो।

सरकार के अधिकृत प्रतिनिधि होने के नाते वे मुझे और इस सभा को आश्वासन दे रहे थे और इस बात पर बल दे रहे थे कि प्रधानमंत्री ने मुख्य मंत्रियों से कहा है कि एनएससीएन (आई.एम.) तीन शब्दों को हटाने पर सहमत हो गया है।

महोदय, तबसे एनएससीएन (आई.एम.) का प्रत्येक प्रवक्ता ने दावे के साथ कहा है कि एम्सटरडम में श्री पद्मनाभैया के साथ हुई बैठक में तीन शब्दों को हटाने पर कोई सहमति नहीं हुई थी। निश्चित रूप से सरकार ने देश के सामने ऐसा कोई कागजात नहीं प्रस्तुत किया है जिसमें इन तीन शब्दों के हटाये जाने के संबंध में एनएससीएन (आई.एम.) के किसी अधिकृत प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किये हों।

अगर वास्तव में माननीय गृह मंत्री के पास कोई दस्तावेज है जिसे किन्हीं कारणों से उन्होंने जनता के सामने नहीं रखा है, तो हम उन्हें अवसर प्रदान करते हैं कि वे उसे सभा पटल पर रखें। और अगर एनएससीएन (आई.एम.) ने उन तीन शब्दों को वापस लेना नहीं स्वीकार किया है, तो यह भारत सरकार का एक तरफा कथन होगा कि उन्होंने उन तीन शब्दों जिन पर उनके हस्ताक्षर हैं, को वापस ले लिया है तो भी सदन को इसका स्पष्टीकरण देना होगा।

महोदय, अगर मणिपुर में स्थिति ऐसी है कि वहां 2 दिसम्बर, 2001 से पहले चुनाव नहीं हो सकते, तो इससे मणिपुर के लोगों का कोई संबंध नहीं है। इसमें मणिपुर सरकार के राज्यपाल का भी कोई लेना देना नहीं है, जोकि भारत के एक अति दयनीय पद पर विराजमान है। केन्द्र सरकार ने बिना किसी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य मंत्री के साथ विचार-विमर्श किए सिर्फ एक सहयोगी, असम के ए.जी.पी. पर दबाव डालकर एक तरफा निर्णय लिया है। वे यह भली-भांति जानते थे कि एक सप्ताह बाद ए.जी.पी. असम की सरकार जाने वाली है। उन पर एकतरफा दबाव डाला गया कि वे यह कहें कि हां, हम कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां नागा रहते हैं युद्धविराम पूरे पूर्वोत्तर पर लागू करेंगे। यह समस्या केन्द्र सरकार द्वारा पैदा की गई है। केन्द्र सरकार ने यहां अपने राज्यपाल से भी विचार-विमर्श नहीं किया। उनसे विचार-विमर्श नहीं किया गया यह बात रिकार्ड में है। और आज तक सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है न ही संसद के बाहर से और न अंदर से कि प्रधान मंत्री का मुख्य मंत्रियों को यह कहना और गृह मंत्री का सदन के समक्ष वक्तव्य कि एनएससीएन (आई.एम.) ने वायदा किया कि वह इन तीन शब्दों को वापस ले रही है, वास्तव में उन्होंने यह वायदा किया था या नहीं किया था। क्या उन्होंने केन्द्र सरकार के साथ किया हुआ वायदा तोड़ दिया है और इसलिए हम आज इस स्थिति में हैं, जहां हमें नहीं पता कि 14 जून, 2001 वाला समझौता लागू है या नहीं। मणिपुर में लोग केन्द्र सरकार का विश्वास कैसे कर सकते हैं कि जो हस्ताक्षर करने के छह महीने बाद और इस स्पष्टीकरण के पांच महीने बाद कि उन्होंने अपना विचार बदल दिया है। भारत के लोगों खासकर मणिपुर के लोगों के समक्ष न तो कोई दस्तावेज रख पाई और न कोई मौखिक वक्तव्य दे पायी हो जिससे एन एस सी एन (आई.एम.) की ओर से माननीय मंत्री के दावे कि उन्होंने इन तीन शब्दों को वापस लेने की सहमति दी है, को पुष्ट करता हो।

महोदय, राष्ट्रपति शासन ने मणिपुर के लोगों के बीच कोई विश्वास नहीं बढ़ाया है। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से सहमत हूं कि मणिपुर की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि 5-6 महीने में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन से क्षेत्र में सामान्य स्थिति स्थापित कर दी है।

मैं जब सामान्य स्थिति की बात कर रहा हूं, तो मैं आतंकवाद के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूं। मैं साधारण मामलों जैसे सरकारी अधिकारियों के कार्यालय आने आदि की बात कर रहा हूं, मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सफलतापूर्वक कार्य करने की बात कर रहा हूं। मैं केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के समुचित रूप से क्रियान्वयन की बात कर रहा हूं, मैं मणिपुर में व्याप्त वित्तीय संकट की बात कर रहा हूं, मैं मणिपुर के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगों की बात कर रहा हूं, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और हमने उन्हें बताया कि वे जो कुछ भी चाहते हैं और जो कुछ भी हम यहां पारित करेंगे उसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि वहां वास्तव में क्या हो रहा है। तथा मणिपुर में योजना विकास या गैर-योजना विकास के क्रियान्वयन के संबंध में वहां कोई सुधार नहीं हुआ है वहां राष्ट्रपति शासन को जारी रखने से देश का अथवा उस राज्य का कोई भला नहीं हो रहा है। अभी यद्यपि यहां माननीय गृह मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। तथापि गृह राज्य मंत्री हम लोगों के बीच उस समय उपस्थित थे जब हम लोग अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर रहे थे और मैंने 'दी टेलीग्राफ' समाचार-पत्र कलकत्ता को दिए राज्यपाल के साक्षात्कार को उद्धृत किया था जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वे जन प्रतिनिधियों के सहयोग बिना वे राज्य का शासन ठीक से नहीं चला सकते और इसलिए जन प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाना आवश्यक है निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के

निर्वाचन के लिए चुनाव होना आवश्यक है। गृह मंत्री का मात्र यह कह देना कि वर्तमान सांविधिक संकल्प की वैधता अवधि के समाप्त होने से पहले ही राज्य में चुनाव करा दिए जाएंगे न तो राज्य की जनता में ही हमारे मन में विश्वास जगाता है। अतः मेरा आग्रह है कि इस संकल्प पर अपना मत देने के लिए बाध्य किये जाने से पहले सरकार हमें इस बात का आश्वासन दे कि वह जब तक चुनाव आयोग मना नहीं करेगा तीन अन्य राज्यों में कराये जाने वाले निर्धारित चुनाव के साथ-साथ मणिपुर में भी चुनाव के लिए चुनाव आयोग को राजी करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

एक अन्य मुद्दे पर भी हम लोग आश्वासन चाहेंगे और वह मुद्दा है कि हमें गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री की सलाह पर वित्त मंत्री द्वारा यह सूचित किया गया था कि वे सदन में इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि विधान सभा जो उस समय निलंबन की अवस्था में थी, को वास्तव में भंग कर दिया जायेगा। हम लोगों ने उस आश्वासन के आधार पर अनुपूरक मांगों को पारित कर दिया और हमें खुशी है और हम लोग पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि गृह मंत्री जी ने उस मामले में दिए गए अपने आश्वासन को पूरा किया और विधान सभा को भंग किया। अब जब कि विधान सभा भंग कर दी गयी है अब ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसके माध्यम से बिना चुनावी प्रक्रिया के मणिपुर के राज्यपाल जन प्रतिनिधियों के सहयोग से राज्य का प्रशासन चला सकते हैं। और अब ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम लोग पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए मानसून आने का इंतजार करें। हम चाहते हैं कि अन्य राज्यों के साथ-साथ यहां भी चुनाव करा दिया जाए। चूंकि चुनाव के लिए फरवरी-मार्च का समय तय किया गया है। हम इस बात से आश्वस्त रह सकते हैं कि उस समय मणिपुर का मौसम चुनाव के लिए अनुकूल रहेगा। यही कारण है कि हम लोग इस बात से प्रसन्न हैं। लेकिन अब जब कि गृह मंत्री-भगवान उन्हें सुखी रखें-ने मणिपुर विधान सभा भंग करने संबंधी उन्होंने जो आश्वासन दिया था वह वस्तुतः पूरा कर दिया है, उनके दो अन्य मंत्रियों के व्यवहार से हम निश्चिंत नहीं रह सकते। एक बात तो यह है कि मणिपुर की जनता पर समता पार्टी की सरकार थोप दी गयी जबकि उन्होंने विधान सभा में उस दल के एक भी सदस्य को नहीं चुना था। जब पिछली बार हमने चर्चा की थी तब उस दल के नेता के रूप में श्री जार्ज फर्नांडीज सरकार में नहीं थे। अब वे सरकार में वापस आ गए हैं लेकिन उन पर हमारा भरोसा बिलकुल नहीं है।

लेकिन हमारा रक्षा मंत्री पर भरोसा जितना कम है प्रधान मंत्री का उन पर उतना ही ज्यादा है। हम उन पर जितना कम निर्भर रहना चाहते हैं, प्रधान मंत्री उन पर उतना ही ज्यादा निर्भर रहना चाहते हैं। श्री जार्ज फर्नांडीज में हमारा बिलकुल विश्वास नहीं है लेकिन राजग की सारी बैठकों में वे संयोजक होते हैं। जब तक इस सरकार में रक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर जार्ज फर्नांडीज जैसा तहलका कांड में लिप्त व्यक्ति जो 2001 में मणिपुर में आए संकट के लिए पूरी तरह जिम्मेदार था, बना रहेगा तब तक हम सरकार पर बिलकुल विश्वास नहीं कर सकते। किसी हद तक हम माननीय गृह मंत्री की बात सुनने को तैयार हैं क्योंकि उन्होंने मणिपुर विधान सभा भंग करने का अपना आश्वासन पूरा किया है। लेकिन हम वैसी सरकार में विश्वास नहीं करेंगे जिसमें ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसने जस्टिस वेंकटस्वामी आयोग द्वारा निर्दोष साबित किए जाने तक मंत्रीमंडल में नहीं आने का अपना वायदा पूरा नहीं किया और वह सत्तापक्ष में मात्र वापस नहीं आया बल्कि उन्होंने प्रधान मंत्री जी को यह धमकी देते हुए ऐसा करने पर मजबूर किया कि यदि उसे वापस नहीं लिया गया तो वह सरकार को समर्थन वापस ले लेंगे और सरकार गिर जायेगी।

मैं सरकार पर अपने घोर अविश्वास का दूसरा कारण भी बताना चाहूंगा...*(व्यवधान)*

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा (नामनिर्दिष्ट): महोदय, मैं यह जानना चाहूंगी कि 'मोरल लेपर' शब्द संसदीय है या नहीं...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यरः हां, महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि डा. डिसूजा एक पढ़ी-लिखी महिला हैं 'मोरल लेपर' मेरे शब्दसंग्रह में तब आया जब यह शब्द हाऊस ऑफ कामन्स में एक व्यक्ति के लिए कहा गया कि 'अगर भारतीयों को इंग्लैंड आने की अनुमति दी जाये तो हमारे हरे-भरे इंग्लैंड में खून की नदियां बहने लगेंगी'। हाऊस ऑफ कामन्स में श्री इनोक पनवेल को 'मोरल लेपर' कहा गया और मैं ऐसे किसी विनिर्णय के बारे में नहीं जानता हूं कि हमारे पीठासीन अधिकारी ने कहा था कि हम 'मोरल लेपर' को 'मोरल लेपर' नहीं कह सकते। और दूसरा कारण इस सरकार का पूर्वोत्तर में असंतोष क्यों है तो वह कारण अरुण शौरी है जिन्हें पूर्वोत्तर में उपद्रवकारी मंत्रालय के मंत्री कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र घाटी की सभी विघटनाकारी ताकतों से श्री अरुण शौरी अच्छी तरह जुड़े हुए जिन्होंने 1977-79 के जनता सरकार के पहले कार्यकाल में घाटी में आंदोलन किए, जिसके परिणामस्वरूप उल्फा (यू.एल.एफ.ए.) का जन्म हुआ, और साथ ही अनेक आतंकवादी गिरोहों का जन्म हुआ, जो एन एस सी एन (आई एम) से जुड़े हुए हैं। जिसका भारत सरकार के साथ कुटिल संबंध है। यही वह व्यक्ति है जो असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की हालत के लिए जिम्मेदार है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इसी विशेष व्यक्ति को कार्यभार सौंपा गया...*(व्यवधान)*

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। मैं आपको इसका इतिहास बता सकती हूं...*(व्यवधान)* मैं आपको असम और पूर्वोत्तर राज्यों का इतिहास बता सकती हूं...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, यह लांछन लगाना है और यह जान-बूझ कर लगाया गया लांछन है जो रिकार्ड पर आधारित है...*(व्यवधान)*

श्रीमती विजया चक्रवर्ती: महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाती हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर: सभापति महोदय, श्रीमती चक्रवर्ती उस दल का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसे राज्य में पूरी तरह अस्वीकार कर दिया गया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री अय्यर, वह व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रही हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर: ओह, मैं क्षमा चाहता हूं।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती: महोदय, वे असम और पूर्वोत्तर में आतंकवाद को किसी एक व्यक्ति से जोड़ना चाहते हैं...*(व्यवधान)* लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि 1986 में मैं जब वहां थी...*(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनें।

सभापति महोदय: महोदया, व्यवस्था का प्रश्न आप किस नियम के अंतर्गत चाहती हैं?

श्रीमती विजया चक्रवर्ती: महोदय, स्व. राजेश पायलट जब गृह राज्य मंत्री थे उसी समय बोडो उग्रवाद सारे देश में फैला था...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: महोदया, कृपया नियम उद्धृत करें।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती: महोदय, किसी एक व्यक्ति को पूरे पूर्वोत्तर के विद्रोह से जोड़ना ठीक नहीं है।

सभापति महोदय: महोदया, अगर आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहती हों, तो आपको नियम उद्धृत करना पड़ेगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) महोदय, इन्हें वाद-विवाद में हस्तक्षेप करने दें, व्यवस्था का प्रश्न उठाने से बेहतर यही उचित होगा।

सभापति महोदय: महोदया, व्यवस्था के प्रश्न लिए आपको कोई नियम उद्धृत करना पड़ेगा। किस नियम के अंतर्गत आप इसे उठा रही हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: गलत नियम के अंतर्गत...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यहां कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): महोदया, आपको वाद-विवाद में हस्तक्षेप कर बोलना चाहिए, आप हस्तक्षेप कर सकती हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर: सभापति महोदय, इसलिये पूर्वोत्तर राज्यों में श्री जार्ज फर्नांडीज के मंत्रिमंडल में वापस आने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भ्रामक स्थिति पैदा करने वाले श्री अरुण शौरी को पूर्वोत्तर क्षेत्र का मंत्री बनाने के प्रति वहां की जनता में गहरा असंतोष है। इसलिए सरकार की बात पर तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक वह अपनी बात सभा में न कहें। सभापति महोदय, इन्हीं कारणों से मैं गृह मंत्री महोदय से मणिपुर राज्य विधान सभा भंग करके और हमें सदन में यह आश्वासन दें कि मणिपुर राज्य विधान सभा का पुनर्गठन अन्य राज्यों में विधान सभा चुनावों के साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया से किया जायेगा और इसके लिए वे इसके लिए चुनाव आयोग से संपर्क करेंगे और चुनाव सम्पन्न कराने के लिए राज्य में कुछ हद तक बहाल हुई सामान्य स्थिति का भी लाभ मिलेगा जिसका उल्लेख माननीय गृह मंत्री ने स्वयं किया है।

जहां तक मेरी पार्टी का संबंध है यह सच है कि कुछ महीने पहले मेरे दल के नागा नेता भी नगा मणिपुर के बहुल क्षेत्रों में यात्रा नहीं कर पाते थे लेकिन गत कुछ सप्ताह से कांग्रेस के कार्यकर्त्ता इस घाटी में ही नहीं बल्कि पूरे पर्वतीय ज़िलों में व्यापक यात्रा कर रहे हैं और यह इस बात का प्रतीक है कि सामान्य जन-जीवन बहाल हो गया है। इस स्थिति को बनाए रखने का एकमात्र तरीका यही है कि मणिपुर में यथाशीघ्र राष्ट्रपति शासन हटाकर वहां जनता का शासन स्थापित किया जाए। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मणिपुर की समझदार जनता यह जानती है कि किसे अस्वीकार करना है और किसे सत्ता में लाना है, उन्हें इस स्थिति की पहचान है कि कौन सी पार्टी उन्हें शान्ति और समृद्धि दे पाएगी और कौन सी पार्टी अथवा लोग मुसीबत का फायदा उठायेंगे और अन्त में समूची स्थिति को गड़बड़ा देंगे।

मुझे इस बात पर संदेह नहीं है कि मणिपुर की जनता सही लोगों को चुनेगी और इस अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन दुर्भाग्यशाली राज्य में शान्ति, समृद्धि, उन्नति और विकास के लिए केवल मणिपुर की जनता पर भरोसा किया जा सकता है। मैं इस सभा को याद दिलाता हूं कि भारत का पहला भाग, जो कि आजाद हुआ, मणिपुर का एक हिस्सा था। दुर्भाग्य से यह राज्य गत छह माह से अवांछनीय राष्ट्रपति शासन से त्रस्त है जिसमें केन्द्र सरकार की हर प्रकार की बेइमानी और बदनीयती भी शामिल है।

अब समय आ गया है कि मणिपुर की जनता मणिपुर का भाग्य अपने हाथों से संवारे। मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे हमें वहां चुनाव कराने का आश्वासन दें अन्यथा दूसरी सभा में इसका क्या हश्र होगा मैं उससे आशंकित हूं जिसका उल्लेख श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने भाषण के अन्त में भी किया है। अन्त मैं यही बात कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि छः माह और बढ़ाई जाए, का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।

महोदय, मणिपुर राज्य सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। उत्तर पूर्व राज्यों में मणिपुर राज्य की अपनी विशेषता है। मैं राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन की सरकार को बधाई देना चाहता हूं, खासकर गृह मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी को, कि पूर्व छः महीने में राष्ट्रपति शासन के दौरान वहां पर कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। यदि हम आंकड़ों को देखें, तो उनमें गिरावट आई है। सन् 2000 के मुकाबले इस वर्ष जो भूमिगत लोग, देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त लोग काम कर रहे थे, उनके मारे जाने की संख्या ज्यादा है। आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त मारे जाने वाले लोगों की संख्या 142 है, जबकि पहले 102 थी। साधारण नागरिकों के मारे जाने की संख्या में कमी आई है। कानून व्यवस्था में सुधार करके, जहां पहले सन् 2000 में 93 लोग मारे गए थे, वहीं 31 अक्तूबर, 2001 तक 62 लोग मारे गए हैं। आतंकवादियों के शिकार हुए हैं। इससे लगता है कि वहां पुलिस का नियन्त्रण भली प्रकार स्थापित हो गया है। नार्मेलसी वहां पर कायम हो गई है और हमारी पुलिस तथा अर्द्धसैनिक बल के लोग बहुत कम हताहत हुए हैं।

पहले सन् 2000 में 51 हुए थे और 31 अक्तूबर, 2001 तक उनकी संख्या केवल 21 रह गई। इससे पता लगता है कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार, माननीय गृह मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी तथा सभी संबंधित महानुभावों को बधाई देना चाहूंगा। हालांकि वहां के जो आंदोलनकर्त्ता थे, जिनका उस समय एनएससीएन और मोइवा ग्रुप के साथ समझौता हुआ था। उसमें दूसरी बातों को लेकर जो गलतफहमी फैलाने का कुछ लोगों ने प्रयास किया था, जिसके कारण मणिपुर के अंदर ऐसी स्थिति हो गई थी। उस सीमांत राज्य के अंदर एक प्रकार से बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया था, लेकिन सरकार ने बड़ी चतुराई के साथ उन सारी स्थितियों के ऊपर नियंत्रण पा लिया। उसके बाद भी कुछ ऐसे आंदोलनकारी थे, जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 39 और 53 को रोकने का प्रयास किया - मणिपुर के लिए जो जीवन रेखा का काम करते हैं और मुख्य भूमि से सारी सप्लाई नागालैंड से होकर मणिपुर में जाती है, उनके सारे रास्ते रोकने का काम किया। उन राष्ट्रीय राजमार्गों को जाम कर दिया, सारे रास्ते जाम कर दिए। लेकिन सरकार ने प्रयास करके उन रास्तों को फिर से खोलने का सफलता पूर्वक प्रयास किया। वहां जो तनावपूर्ण स्थिति थी उसे धीरे-धीरे सभी संबंधित लोगों से बातचीत करके बड़े शांतिपूर्ण ढंग से सलुझाने का प्रयास किया।

महोदय, मुझे आज यह कहते हुए प्रसन्नता है कि मणिपुर में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की स्थिति भली प्रकार से मेनटेन की जा रही है। इस समय वहां संतोषजनक स्थिति विद्यमान है। मणिशंकर जी, मुझे आश्चर्य होता है कि आप एक तरफ जहां राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ आपने जो अन्य बातों का जिक्र किया, उसमें ऐसे कुछ पहलुओं की ओर अनावश्यक रूप से चर्चा करने का दु:स्साहस भी किया जिनका राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने से कोई संबंध नहीं है। आप बड़े अनुभवी और योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन आपने जार्ज फर्नांडीज जी का नाम लेकर जो कुछ कहा, मैं समझता हूं कि पता नहीं आप जैसे लोगों को ऐसी बात कहना कैसे शोभा देता है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक के नाते और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में जार्ज जी राष्ट्र की जो सेवा कर रहे हैं वह बहुत बहुमूल्य है। हम उनका समर्थन करते हैं। आपने वेंकट स्वामी आयोग की चर्चा की। इतना समय हो गया है, वे अभी उसकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने एक भी चीज जार्ज जी के विरुद्ध ऐसी नहीं पाई, जिसमें ऐसी कोई बात उठती हो या कुछ कहा जा सकता हो।

"खोदा पहाड़ और निकली चूहिया।" आप जिनके बारे में इतने जोर-शोर से चर्चा कर रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं पाया गया। प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वह जिसे योग्य व्यक्ति समझें उसे पुन: मंत्रिमंडल में स्थान दें। इसलिए उन्होंने इन व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में स्थान देकर ठीक काम किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री तूफानी सरोज (सैदपुर): आयोग क्यों बैठाया?...*(व्यवधान)*

प्रो. रासासिंह रावत: आयोग अपना काम कर रहा है, उसमें अब तक ऐसी कोई बात नहीं पाई गई। "सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से"। कांग्रेस के लोग ऐसे ही कुछ न कुछ विवाद खड़ा करते रहते हैं। मैं समझता हूं कि विपक्ष को रचनात्मक विपक्ष का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि केवल विरोध के लिए विरोध करना ठीक नहीं। कांग्रेस सीखे कि विपक्ष में कैसे बैठा

[प्रो. रासा सिंह रावत]

जाता है। यह बहुत समय तक सत्तारूढ़ पार्टी में रहे इसलिए शायद इन्हें पता नहीं है कि विपक्ष का रोल कैसे अदा किया जाता है। इन्हें इसकी इतनी जानकारी नहीं है, इसीलिए हर बात की केवल आलोचना पर आलोचना करते हैं। अरुण शौरी जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना मैं समझता हूं कि आपके लिए यह छोटा मुंह बड़ी बात होगी।...*(व्यवधान)* इस प्रकार के आरोप लगाना गढ़े मुर्दे उखाड़ना है। मैं समझता हूं कि देश की जितनी समस्याएं हैं उन्हें पैदा करने के लिए अगर कोई राजनीतिक दल जिम्मेदार है तो वह कांग्रेस है, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। देश के विभाजन से लेकर और उत्तर-पूर्वी राज्यों के अंदर लाखों की संख्या में बंग्लादेशी शरणार्थियों को पनाह देना, वोटर लिस्ट में उनके नाम आ जाना, सारी सरकारें तो पहले आपकी ही थीं और आपके समय में वहां क्या स्थिति हुई?

अपराह्न 3.00 बजे

[**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा** *पीठासीन* हुई]

चुनाव के समय उल्फा की गतिविधियों में योगदान देने वाले लोगों के बारे में अभी प्रमाण सामने आये हैं। हमारी पार्टी के लोगों को उल्फा के लोगों ने मौत के घाट उतारा और आज भी लगता है कि उन लोगों के साथ कुछ लोगों की सांठ-गांठ है। जो समझौता पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड के बारे में, युद्ध-विराम की अवधि बढ़ाने के बारे में हुआ वह आपके गले नहीं उतर रहा है, इसलिए वहां की स्थिति को आप बिगाड़ना चाहते हैं। आप राष्ट्रीय एकता में रोड़े अटकाने वाले, पोटो का विरोध करने वाले लोग हैं, और आपसे कोई आशा नहीं की जा सकती है। लेकिन आप अपने मनसूबों में कभी सफल नहीं हो सकते।

मणिपुर में एक तो घाटी का इलाका है और दूसरा पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए वहां की स्थिति बड़ी विचित्र है। घाटी में तो स्थिति सुधर गयी है और सब लोग अपने-अपने कार्यों में लग गये हैं, लेकिन जो पहाड़ी जिले हैं जंगल के इलाके हैं वहां स्थिति नार्मल होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। दो दिसम्बर को वहां अवधि पूरी हो रही थी इसलिए अवधि में वृद्धि करना आवश्यक था। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि, शांति स्थापना की दृष्टि से यह बात वहां हुई है। मैं राष्ट्रीय गठबंधन की सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इतना बड़ा ऐलान वहां हुआ और मैतई और नया लोगों के बीच में इस सरकार ने सौहार्द्रपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास किया जिससे वहां के लोगों में तनाव व झगड़ा न हो। जो नगा लोग अपने घर छोड़ गये थे वे अपने-अपने घरों को लौट रहे हैं और यह देश और वहां के समाज के लिए एक अच्छी बात है तथा वहां अब तनाव कम हो गया है।

जून-जुलाई में जब आंदोलन शुरू हुआ था तो मैतेई लोगों के द्वारा एक भी व्यक्ति के ऊपर आक्रमण नहीं किया गया। इससे भी पता लगता है कि वहां का बहुमत क्या है। मैतेई लोगों की संख्या वहां पर 13 लाख, 61 हजार, 521 है और वे मणिपुर के सभी राज्यों में निवास करते हैं। मैतेई-पंगल लोगों की संख्या 1 लाख 67 हजार 204 है और नगा लोगों की संख्या 3 लाख 26 हजार 324 है तथा वे केवल सेनापति, इम्फाल ईस्ट, जिरीबाम, बिशनपुर, चुड़ाचांदपुर, तामेंगलांग और उखरूल इलाकों के अंदर रहते हैं। लेकिन एक भी मैतेई ने नगा बंधुओं पर आक्रमण नहीं किया और शत्रुता की भावना नहीं रखी। यह राष्ट्रीय एकता और शांति स्थापना की दृष्टि से अच्छी बात है।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जुन-जुलाई में वहां वर्षा का सीजन शुरू हो जाता है तथा अप्रैल महीने में वहां पर सैकेंडरी और इंटर की कक्षाओं की परीक्षा का समय होता है। इसलिए अन्य राज्यों के चुनावों के साथ-साथ मणिपुर के चुनाव भी हों तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से यह एक अच्छी बात होगी। माननीय मणिशंकर जी ने भी इस बात को कहा है और हमारी सरकार रचनात्मक सुझावों को स्वीकार करने में पीछे नहीं रहेगी, ऐसी मेरी आशा है। जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है और हम चाहते हैं कि वहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आयें।

मैं राजनैतिक दलों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि पहले मणिपुर में "आया राम गया राम" की जो स्थिति रही और सुबह को किधर और शाम को किधर वाली जो स्थिति रही, इसके बारे में भी हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि जनता का विश्वास अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति वापस आ सके। ऐसा प्रयास वहां किया जाना चाहिए।

अंत में, मैं यही कहना चाहूंगा कि मणिपुर के राज्यपाल महोदय सभी राजनीतिक दलों से सलाह-मशविरा कर रहे हैं। यदि उन्हें सहमति प्राप्त हो जाएगी तो वह भी निश्चित रूप से फरवरी या मार्च में मणिपुर में चुनाव के लिए प्रयत्नशील हैं। मैं समझता हूं कि सरकार भी इस संबंध में निश्चित रूप से प्रयत्नशील है। वह इस बारे में चुनाव आयोग से कहेगी। संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक हो गया था। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा पूर्व): सभापति महोदय, मैं अपने दल के विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हम भी फरवरी में चुनाव कराने के पक्ष में हैं क्योंकि वहां मार्च के बाद विश्वविद्यालय की परीक्षायें होंगी। जून से अक्तूबर तक मानसून का समय है। अत: फरवरी का महीना चुनाव के लिये सर्वथा उपयुक्त

है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सभा को आश्वासन दे कि मणिपुर में चुनाव अन्य तीन राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के साथ ही कराये जाएं।

महोदय, हमें ज्ञात है कि हम क्यों इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। ऐसा राजग के घटकों के बीच आपसी झगड़े के कारण हो रहा है। यह मुख्यत: समता पार्टी और भाजपा के बीच का झगड़ा है, सरकार के नेतृत्व का झगड़ा है। पिछली सरकार का नेतृत्व समता पार्टी कर रही थी। वह सत्ता में चुनावों से नहीं, दलबदल के बल पर आई थी। भाजपा ने भी दल-बदल के माध्यम से सरकार बनाने का प्रयास किया। अन्तत: सरकार गिर गई और विधान सभा विघटित कर दी गई।

मैडम, एन.एस.सी.एन. और केन्द्र सरकार के बीच एक युद्ध विराम समझौता हुआ था। गत 18 जून को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। विधानसभा भवन और विधायक हास्टल को जला दिया गया। राजनैतिक दलों के कार्यालय भी जला दिये गये। इस प्रकार करोड़ों का धन राख में मिला दिया गया। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मणिपुर में विभिन्न जनजातीय समूहों के बीच एक शांतिपूर्ण माहौल बनाए।

वास्तव में, मणिपुर एक विशेष राज्य है। राज्य की कुल जनसंख्या की 70% मैतेई जनजाति कुल भूमि के मात्र 9% पर काबिज हैं। शेष भू-भाग पर नगा और कोकी चीन जनजातियां बसी हुई हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान इस क्षेत्र और नागालैण्ड, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातियों के कुछ खास रीति-रिवाज थे। इस भूमि पर अधिकार व्यक्तिगत न होकर सामूहिक है।

यहां तक कि जनजातियों और किसी भी समुदाय के मुखिया के पास भूमि का मालिकाना हक नहीं है। यह भूमि पूरे समुदाय की है। कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी क्षेत्र में रह सकता है, खेती कर सकता है, कोई फसल उगा सकता है। मणिपुर की 98 प्रतिशत भूमि वहां की 30 प्रतिशत जनजातियों के लिए पूर्णत: आरक्षित है। असंतोष का मुख्य कारण जनजातियों का भड़कना है। झूम भूमि पर दबाव है। यद्यपि यह क्षेत्रफल राज्य की भूमि का 98 प्रतिशत है लेकिन वहां समतल भूमि नहीं है। लगभग सारा क्षेत्र पहाड़ी है। इस पहाड़ी क्षेत्र में परम्परागत खेती की जा रही है। इसे झूम खेती कहते हैं। यह फसल एक बार लगाई जाती है। वहां अन्य प्रकार की फसलें जैसे सब्जी, फल और तिलहन, कपास, पटसन आदि नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। अगली खेती के लिए उन्हें पांच से दस वर्ष तक की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इससे पहले यह फसल नहीं काटी जा सकती। इस प्रकार से झूम खेती पर दबाव बढ़ जाता है। अत: एक जनजातीय समुदाय और दूसरे जनजातीय समूह के बीच संघर्ष होता है। उन्हें नगा और कूकी चीन कहा जाता है। मैं इन जनजातीय समूहों के बीच समरसता न लाने के लिए उस सरकार को दोषी मानता हूं जो वहां गत 52 वर्षों तक सत्ता में रही है।

ब्रिटिश राज में स्थिति भिन्न थी। मैतेई मणिपुर के सभी जनजाति समूहों में संबंध अच्छा था। लेकिन आजादी के बाद की स्थिति जिसमें एक जनजाति दूसरी जनजाति को सहन नहीं कर पाती इसके लिए सरकार दोषी है।

इस वजह से हमें 18 जून को मणिपुर में सम्पत्ति का बहुत नुकसान होता हुआ देखना पड़ा। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में शीघ्र चुनाव कराना और उत्तरदायी विधान सभा का गठन करना बेहतर होगा। वर्तमान राष्ट्रपति शासन 2 दिसम्बर, 2001 तक है। यदि हम इस संकल्प को आज पारित करते हैं तो यह अगले छह महीनों के लिए और लागू हो जायेगा। मैं सरकार से कहता हूं कि अब वह छह माह तक प्रतीक्षा न करे। सरकार को चाहिए कि यथाशीघ्र अधिक से अधिक आगामी फरवरी तक चुनाव करा दे।

***श्री टीएच. चाओबा सिंह** (आंतरिक मणिपुर): इस बहस में भाग लेने का अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मणिपुरी में बोलूंगा। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा लाये गए सांविधिक संकल्प का कुछ सुझावों के साथ समर्थन करता हूं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन कैसे लागू हुआ। सभापति महोदय, इस सभा को पता है कि ऐसा दल-बदल विरोधी कानून के कारण हुआ। इस कानून के कारण मणिपुर जैसे छोटे राज्य राजनीतिक अस्थिरता के शिकार हैं, अब मेघालय में भी यही स्थिति हो गई है। दल-बदल विरोधी कानून की कमजोरी के कारण विधायक सदैव दल-बदल करते हैं। प्रारम्भिक कारण यही था। दूसरा कारण राजग के घटकों में मतभेद और भाजपा तथा समता की नीतियों में टकराव था। भाजपा दल-बदलुओं के सहयोग से सरकार नहीं बनाना चाहती है। समता दल-बदल को बढ़ावा देकर सरकार बनाना चाहती थी। यही कारण है। पहली सरकार कैसे गिरा दी गई? समता पार्टी ने कांग्रेस के सभी दल-बदलुओं का स्वागत किया। परिणामत: एक नई सरकार गठित की गई। कुछ समय बाद कुछ विधायक समता पार्टी को छोड़कर भाजपा में सम्मिलित हो गये लेकिन भाजपा नेतृत्व दल-बदलुओं के सहयोग से सरकार नहीं बनाना चाहता था। अन्तत: राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा।

राष्ट्रपति शासन कानून और व्यवस्था की स्थिति या वित्तीय समस्या के कारण नहीं बल्कि दल-बदल के कारण लगाया गया। दल-बदल विरोधी कानून का एक बड़ा दोष यह है कि एक तिहाई विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। यदि किसी पार्टी में केवल

*मूलत: मणिपुरी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री टीएच. चाओबा सिंह]

3 निर्वाचित विधायक हैं तो उनमें से कोई भी एक विधायक पार्टी छोड़ सकता है। इस स्थिति का लाभ उठाकर छोटे राज्यों में दल बदल बार-बार होता रहता है। यह केवल मणिपुर की समस्या नहीं है। सभापति महोदया, इसलिए मैं इस सम्माननीय सभा में कहता हूं कि विशेषकर छोटे राज्यों के हित में दल बदल विरोधी कानून का शीघ्र सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

किसी व्यक्ति के किसी दल विशेष के टिकट पर चुने जाने के पश्चात पूरी अवधि के दौरान उसे दल बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो वह सदस्यता से मुक्त माना जायेगा। इस कानून में ऐसे उपबन्ध सम्मिलित किए जाने चाहिए। अन्यथा, भविष्य में भी देश के छोटे राज्यों में राजनीतिक अनिश्चितता और अस्थिरता का माहौल होगा। यह स्थिति नवगठित छोटे राज्यों जैसे उत्तरांचल में भी उत्पन्न होगी। अतः, यथासंभव शीघ्र हमें दल-बदल रोधी कानून में संशोधन करना चाहिए।

सभापति महोदया, मैडम हरेक व्यक्ति का यह विचार है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के उपरांत संपूर्ण स्थिति, विशेष रूप से कानून और व्यवस्था तथा उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परंतु ऐसा नहीं है। केन्द्र से और अधिक सुरक्षा बल अधिक धनराशि और अधिक सहायता की उम्मीद थी। ऐसा नहीं हो रहा है। लोगों की धारणा यह है कि कम से कम लोगों को वेतन तो समय से दिया जायेगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। कर्मचारियों को अभी भी वेतन नहीं मिल रहा है। सभी सरकारी कर्मचारी एक महीने से भी अधिक समय से हड़ताल पर हैं। सरकारी तंत्र असफल हो गया है और प्रशासन पंगु हो गया है। अब कोई सरकार नहीं है। वास्तव में सरकार काम नहीं कर रही है। सभी कर्मचारी एक महीने से 'काम-कांज बंद' हड़ताल पर हैं। उन्हें दो तीन महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। हम उनका दुख-दर्द समझ सकते हैं। राष्ट्रपति के शासन-काल के दौरान यह सब कुछ हो रहा है।

सड़कें बुरी हालत में हैं, पुलों की मरम्मत नहीं की जा रही है अर्थात् कोई विकास कार्य नहीं चल रहा है। कोई कानून और व्यवस्था नहीं है। लूटखसोट अभी भी जारी है। पूर्व मुख्य मंत्रियों को अराजक तत्वों से मांग-पत्र मिल रहे हैं। संभवतः जबरदस्ती पैसा ऐंठने की गतिविधियों में आजकल तेजी आई है। राजमार्गों पर जबरदस्ती धन ऐंठने की गतिविधियां बढ़ गई हैं। राष्ट्रपति शासन के गत छह माहों के दौरान मुश्किल से ही कोई विकास कार्य हुआ है और कानून और व्यवस्था तथा आर्थिक स्थिति में मुश्किल से ही कुछ सुधार हुआ है। फिर, राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का क्या फायदा है? परंतु चूंकि 2 दिसंबर को पहली अवधि पूरी हो रही है, अतः इस अवधि में वृद्धि करना संवैधानिक आवश्यकता बन गई है।

जहां तक कर्मचारियों के वेतन का सम्बन्ध है, यह अब केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्र को नियमित रूप से वेतन देना चाहिए, यह पहली जरूरत है।

दूसरे, कुछेक गंभीर मुद्दे हैं। मणिपुर एक छोटा राज्य है, जिसकी जनसंख्या 23-24 लाख है परंतु कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनका योगदान अद्वितीय है। यह विश्व प्रसिद्ध है। मणिपुरी नृत्य और संगीत कई बार विश्व के अनेक भागों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

खेल के क्षेत्र में भी मणिपुर बहुत अच्छा काम कर रहा है। पांचवें राष्ट्रीय खेलों में मणिपुर टीम चैम्पियन था। मणिपुर जैसे छोटे से राज्य को उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और अन्य राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। चल रहे छठें राष्ट्रीय खेलों में हमें उम्मीद है कि मणिपुर का प्रदर्शन बेहतर होगा और उसे एक अच्छा स्थान प्राप्त होगा।

गृह मंत्रालय ने मणिपुर के गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि मंजूर किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा, खेल मंत्री के रूप में मैंने जो एक करोड़ बीस लाख रुपये दो इन्डोर स्टेडियम बनाने के लिए मंजूर किए थे, उन्हें राज्य सरकार ने अन्य कार्यों में लगा दिया। दो स्टेडियमों का निर्माण किया जाना है, जिनमें से एक ठोबाल में होगा और दूसरा बिष्णुपुर में। 40 लाख और 20 लाख रुपये की पहली किश्त को अन्यत्र लगाया जा चुका है। यह बहुत शर्मनाक है। मैंने इस सम्बन्ध में दिल्ली तथा राज्य के संबद्ध में अधिकारियों का अनेक पत्र लिखे हैं।

मणिपुर के खिलाड़ियों को उचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। हम खेल के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। खेलों के लिए निहित धनराशि का समुचित उपयोग होना चाहिए और उसे समय पर जारी किया जाना चाहिये। प्रतिबंध के कारण कला और संस्कृति के लिए भी धनराशि नहीं मिल रही है। पहले गैर-सरकारी संगठनों को कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए, 1-2 लाख रुपये दिए जा रहे थे। अब इस पर रोक लगा दी गई है। इन छह महीनों में एक नया पैसा भी उन्हें नहीं दिया गया है।

इस समय राज्य सरकार के स्तर पर नई परियोजनायें, प्रस्ताव और योजनाएं लंबित पड़ी हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

महोदया, सबसे अधिक प्रभावित लोगों में एच.आई.वी. की पाजीटिव और एड्स से पीड़ित लोग हैं। मणिपुर की एड्स की समस्या से सारा देश परिचित है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एड्स नियंत्रण और जागरूकता कार्यक्रम के लिए आवंटित दो करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। संभवतः

इस धनराशि को भी अन्यत्र लगा दिया गया है। यह एक अति गंभीर मामला है।

इसके अतिरिक्त, अनाथ बच्चे धनराशि की कमी के कारण तकलीफ उठा रहे हैं। यहां तक कि अनाथालयों और अनाथों के लिए नियत 3-4 लाख रुपये भी अन्यत्र लगा दिए गए हैं। मूक और बधिर गृहों और संस्थानों के लिए भी धनराशि जारी नहीं की गई है। राज्य सरकार की कार्यप्रणाली को देखकर अत्यधिक दु:ख होता है। मणिपुर के लोगों के प्रति राज्य सरकार का क्या दृष्टिकोण है? केन्द्र सरकार का क्या दृष्टिकोण है? ये सभी जानने योग्य बातें हैं। हम मणिपुर के लोगों के प्रति उनके विचार और दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ है।

जो गैर-सरकारी संगठन भूमिगत आतंकवादी गुटों को धनराशि दे रहे हैं, उन्हें काली-सूची में डाला जाना चाहिए और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसे गैर-सरकारी संगठनों को तुरंत दण्डित किया जाना चाहिए। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। नागालैंड बिहार और देश के अनेक भागों में अवांछित गैर-सरकारी संगठन हैं। अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के गैर-सरकारी संगठन हैं। केवल उन्हीं गैर-सरकारी संगठनों को दण्डित किया जाना चाहिए जिनका नाम काली-सूची में दर्ज है। पूरे गैर-सरकारी संगठनों को दण्डित करने के नाम पर अच्छे संगठनों को भी परेशानी का सामना क्यों करना पड़े? मणिपुर के कुछ गैर-सरकारी संगठन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भली प्रकार चल रहे हैं। किसी संगठन के दोषी होने का खामियाजा उन्हें क्यों उठाना पड़े? उन्हें धनराशि देने से इंकार नहीं करना चाहिए।

मणिपुर में साक्षरता दर बहुत उंची है और यह राष्ट्रीय साक्षरता दर से भी अधिक है। वहां शिक्षित बेरोजगारी की संख्या भी बहुत अधिक है। बहुत से बेरोजगार शिक्षित युवा विभिन्न गैर सरकारी संगठन चला रहे हैं। उनमें से बहुत से लोग बड़ी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक संगठन चला रहे हैं।

इन सभी गैर-सरकारी संगठनों पर गृह मंत्रालय ने जो प्रतिबंध लगाया है उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। यह मेरा पुरजोर अनुरोध है। इस प्रतिबंध के कारण एन.ई.सी. केन्द्र सरकार और अन्य एजेंसियों से मणिपुर के गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि प्राप्त नहीं हो रही है। एक बार पुन: मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय गृह मंत्री से यह प्रतिबंध हटाने का और काली-सूची में दर्ज गैर-सरकारी संगठनों को दण्डित करने का अनुरोध करता हूं।

यह शिक्षित युवाओं के अस्तित्व का मामला है। यदि वे गलत रास्ता अख्तियार करते हैं तो यह हम सभी के लिए अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

एड्स, अनाथ, शारीरिक रूप से विकलांग, कला और संस्कृति और खेलों के लिए नियत धनराशि को रोका नहीं जाना चाहिये। ये धनराशि जारी की जानी चाहिये और हम लोगों को परोपकारी कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन देना चाहिए।

मैं एक अत्यधिक संवेदनशील मामले की ओर माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मणिपुर के आतंकवादी संगठनों की सूची तैयार करते समय गृह मंत्रालय ने केवल घाटी के संगठनों को ही शामिल किया है। एक भी पहाड़ी संगठन को शामिल नहीं किया है। मैं नागा और कुकी दोनों संगठनों की बात कर रहा हूं। मेरे विचार से इस प्रकार का दृष्टिकोण मददगार साबित नहीं होगा और इससे राज्य में घाटी और पर्वतीय लोगों के बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है। यह सभी को मालूम है कि विभिन्न नागा और कुकी संगठन पहाड़ों से गतिविधियां चला रहे हैं। इन संगठनों को सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया? घाटी के लोगों विशेष रूप से मैतेई लोगों में पक्षपातपूर्ण ढंग से तैयार की गई प्रतीत होने वाली इस सूची से गलत धारणा उत्पन्न हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि मैतेई, नागाओं और कुकी लोगों के प्रति संतुलित और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने से निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम निकलेंगे।

किसी संगठन विशेष को सूची में शामिल करना अथवा उससे बाहर रखना मेरा काम नहीं है। वह काम गृह मंत्रालय का है। तथापि यदि नागा और कुकी भूमिगत संगठनों को यदि गृह मंत्रालय द्वारा तैयार आतंकवादियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है, तो अवश्य ही उसमें कुछ कमी है। संभवत:, यहां भेद किया गया है।

अंत में, मैं केन्द्र सरकार से मणिपुर में यथासंभव शीघ्र चुनाव करवाने का अनुरोध करना चाहता हूं। जनवरी अथवा फरवरी के दौरान ऐसा किया जा सकता है। जून और जुलाई में वर्षा के कारण चुनाव नहीं करवाये जा सकते। चूंकि राष्ट्रपति शासन की अवधि 2 जून, 2002 को खत्म होगी, अत: मणिपुर के लोगों को जून से पहले चुनाव करवाने चाहिए। अन्यथा अवधि बढ़ाने के लिए हमें आपात उपबंध करने की आवश्यकता पड़ेगी। मार्च/अप्रैल परीक्षा का समय है और मई/जून वर्षा का। अत: मणिपुर में अन्य राज्यों के साथ जनवरी या फरवरी में चुनाव करवाने चाहिए। यथाशीघ्र जनता द्वारा चयनित सरकार बहाल की जानी चाहिए। जैसाकि मैंने पहले बताया है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण नहीं अपितु दो दलों के बीच मत-वैभिन्नय के कारण लगाया गया। यह सत्य है। इस समय राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाना आवश्यक है परंतु मणिपुर के लोगों के हित में वहां चुनाव करवाने में देर नहीं की जानी चाहिए।

[श्री टीएच. चाओबा सिंह]

लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गई लोकप्रिय सरकार का कोई विकल्प नहीं है। जनता अपनी सरकार के आने का इंतजार कर रही है। गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अंतर्गत राज्य एक बार पुन: सही दिशा की ओर अग्रसर हो जाएगा। यह मेरा विश्वास है। हमें पहले की गई भूलों को सुधारना है। हम अपने को अतीत से पूर्ण रूप से अलग नहीं कर सकते। स्वयं को ठीक करने और सही दिशा में आगे बढ़ाने में सही सोच मददगार होगी।

सभापति महोदय, मैं एक बार पुन: सरकार से एड्स, नि: सहाय संस्कृति और खेलों के लिए काम कर रहे है गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। कृपया उन अवांछित और काली-सूची में दर्ज गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये जिनमें बड़ी-बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हैं। लोगों को सरकार की कार्यवाहियों से सबक लेना चाहिए।

अंत में, मैं संकल्प का समर्थन करता हूं और इन शब्दों के साथ, अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस संकल्प पर विचार व्यक्त करने का मुझे अवसर प्रदान किया। मैं माननीय गृहमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा प्रस्तुत संकल्प के पक्ष में नहीं हूं।

अनेक बातें कही गई हैं। यह कहा गया है कि यहां राजनैतिक दल-बदल, राजनैतिक अस्थिरता है तथा विद्रोही संगठन भी इसमें शामिल हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

संघ सरकार के अतिरिक्त इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। मणिपुर की जनता इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मणिपुर में गंभीर स्थिति मणिपुर की जनता ने नहीं वरन् संघ सरकार ने पैदा की है। इसलिए, मेरा विचार है कि राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना इसका समाधान नहीं है। यहां सभी तरह के लोकतांत्रिक मानदण्डों का उल्लंघन हुआ है। मणिपुर में अविलंब चुनाव कराए जाने चाहिए। मैं इन विचारों का समर्थन करता हूं कि राष्ट्रपति शासन नहीं वरन् लोकतांत्रिक शासन को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

मैं इस संकल्प के पक्ष में नहीं हूं। मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन न बढ़ाया जाए। मैं यह दृढ़ मत व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे विचार से सरकार मणिपुर के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार): महोदया, अभी एक बिल्कुल छोटे से प्रस्ताव पर इस सदन में चर्चा हो रही है। प्रस्ताव बिल्कुल छोटा सा है। मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, उसकी छ: महीने की अवधि दो दिसम्बर को समाप्त हो रही है, उसे दो जून तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव बड़ा सीधा है, छोटा है, इसका मैं समर्थन करता हूं।

मैं इसका समर्थन करते हुए माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, अन्य सदस्यों ने भी इस भावना की अभिव्यक्ति की है कि जल्दी से जल्दी वहां पर चुनाव कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे देश में संविधान के मुताबिक संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलता है। जनता का प्रतिनिधि निश्चित तौर पर जनहित के प्रति प्रतिबद्ध होता है, लेकिन जहां राष्ट्रपति शासन होता है, वहां पर जन प्रतिनिधि के द्वारा शासन नहीं होता, बल्कि वहां पर नौकरशाहों के द्वारा शासन चलता है और नौकरशाह जनता के हितों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते हैं। आपको शायद याद होगा कि प्रोफेसर लास्की ने कहा था कि यदि किसी देश में दो वर्षों तक लगातार ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट रहे तो दो वर्षों के बाद वहां की जनता सड़क पर आ जाती है, क्योंकि जहां राष्ट्रपति शासन होगा, वहां विकास की गति बहुत धीमी पड़ जाती है और जनता को अपनी ग्रिवांसेज रखने का कोई अवसर नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वहां जल्दी से जल्दी यथासम्भव राष्ट्रपति शासन समाप्त कर चुनाव कराने की व्यवस्था करनी चाहिए।

वहां पर राष्ट्रपति शासन क्यों लागू हुआ? मणिशंकर जी कह रहे थे, मैं उनकी इज्जत करता हूं, वे काबिल आदमी हैं, इन्होंने जिन वजहों की चर्चा की, दरअसल राष्ट्रपति शासन का वह कारण नहीं था। इसका कारण तो मात्र इतना था कि सरकार गिरी, सरकार बनी, फिर सरकार गिरी, फिर सरकार बनी। परदा गिरा, परदा उठा, परदे के इस गिरने और उठने में ही कोई सरकार नहीं चली और अन्त में भारत सरकार को, गृह मंत्री जी को वहां पर महामहिम राज्यपाल महोदय की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लागू करने को मजबूर होना पड़ा। क्यों वहां पर सरकारी गिरी! इधर हाल के कुछ वर्षों में यह देखा जा रहा है कि देश में दल-बदल की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ गई है। उससे कोई भी राजनैतिक दल संयम नहीं बरत पाता है। सरकार बनाने में दल-बदल, सरकार गिराने में दल-बदल और सरकार चलाने में दल-बदल। परिणाम यह निकला है कि इतना ज्यादा देश में दल-बदल हो गया है कि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अविश्वास पैदा हो गया है। दल-बदल से दलों के प्रति प्रतिबद्धता समाप्त हो जाती है, दल का अनुशासन महत्वहीन बन जाता है। इनके बल पर जो सरकार बनती है या चलती है,

उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। जब सरकार की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के प्रति अनास्था पैदा होती है। जब लोकतंत्र के प्रति अनास्था पैदा होती है तो उसके उग्रवाद का जन्म होता है। उग्रवाद लोकतंत्र की जड़ों को हिला देता है। हमारे देश में लोकतंत्र कायम रहे। इसके लिए जरूरी है कि यहां पर बनी हुई सरकारों के प्रति आस्था रहे। उनके प्रति विश्वसनीयता रहे। इसलिए जरूरी है कि दल-बदल के आधार पर सरकार गिराने, बनाने और चलाने का काम न किया जाए।

मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगर जरूरी समझें, इस तरह की परिस्थिति पैदा न हो, संविधान में इस तरह का प्रावधान किया जाए, जैसे जर्मनी में है। वहां पर चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही हर हाल में सरकार रहती है। इसलिए हमें भी ऐसा प्रावधान करना चाहिए, जिससे राष्ट्रपति शासन लगाने की परिस्थिति पैदा न हो। वहां पर विश्वास और अविश्वास दोनों पर एक साथ वोटिंग होती है। इस तरह का प्रावधान यहां भी होना चाहिए।

हमारे यहां दल-बदल को रोकने के लिए बहुत सारे कानून बने हैं। 1978 में मैं लोक सभा का सदस्य था। इसी सदन में जब इस तरह का बिल आया तो वह पास नहीं हो सका। उसके कई कारण थे। लेकिन आज दल-बदल विरोधक कानून है, फिर भी दल-बदल हो रहा है। मैं उस दल से आता हूं, जिस दल ने इस देश में नैतिकता को कायम किया था। हमारी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी थी। 1948 में सोशलिस्ट पार्टी के उत्तर प्रदेश में 13 विधायक थे। जब हमारी पार्टी कांग्रेस से अलग हुई तो हमारे नेता आचार्य नरेन्द्र देव ने सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ ही हमारे सभी विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे। उन्होंने आचार्य जी से कहा कि न तो इस्तीफा देने का कोई नियम है और न कोई मौका, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर आचार्य नरेन्द्र देव ने कहा था कि पंत जी, हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यह सही है कि इस्तीफा देने का कोई नियम नहीं है, लेकिन लोकतंत्र नियम से नहीं, नैतिकता से चलता है। जिस दिन नैतिकता नहीं रहेगी, उस दिन नियम से लोकतंत्र नहीं चलेगा।

संसद इस देश की सर्वोच्च संस्था है। सम्पूर्ण देश इस तरफ देखता है। क्या हम यह नहीं सोच सकते कि हम लोग नियम बनाएं। अगर नैतिकता नहीं रहेगी तो लोकतंत्र नहीं चल सकता। आचार्य जी ने कहा था कि हम कांग्रेस से जीत कर आए थे। आज अलग हो रहे हैं इसलिए उसकी चीज हम आज उसे वापस कर रहे हैं। क्या आज सारे दल इस पर नहीं सोच सकते? गम्भीरता से सोचा जाए। भले ही संविधान में संशोधन हो या न हो, लेकिन हर दल इस तरह की आचार संहिता बनाए कि जो व्यक्ति दल बदल करेगा, उसकी सदस्यता स्वत: ही समाप्त हो जाएगी। यदि इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी तो इस तरह राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न सरकार गिरेगी और न राष्ट्रपति शासन लगाने का अवसर आएगा। इसलिए इस पर सभी दलों को सोचना चाहिए।

मणि शंकर जी ने नागा एग्रीमेंट की चर्चा की। मैं फिर कहता हूं कि उसका इससे कोई सरोकार नहीं था। उस एग्रीमेंट के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई थी, उसके बहुत सी चीजें हुई। वहां आग लगी। उससे हमें सबक सीखना चाहिए था। राष्ट्रपति शासन से उसका कोई मतलब नहीं था। सरकार बनाने और गिराने से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जो आग लगी थी, उससे वहां बहुत कुछ जला। एक-डेढ़ महीने में मणिपुर में जितने भी राजनैतिक दलों के कार्यालय थे, वे जला दिए गए। वहां के विधायकों और सांसदों तथा मंत्रियों के घर जला दिए गए। किसी को नहीं छोड़ा गया था। सभी पार्टियों के घरों को जलाया गया। दो महीने तक मणिपुर में जो चिंगारी उठी थी, उसने सभी राजनैतिक दलों को, पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन्स को नकारने का काम किया गया।

महोदया, 1967 में संविदवाद की विफलता ने नक्सलवाद को पैदा किया जो देश की समस्या बनी। राजनैतिक दलों के प्रति मणिपुर में जो अनास्था पैदा हुई उस समय एग्रीमेंट के बाद यह हुआ कि जनता के टोटल पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को नकार दिया। क्या हमें इससे सबक नहीं सीखना चाहिए? हम इधर से एक्यूज कर दें, उधर से एक्यूज कर दें, इससे समस्या का निदान नहीं होने वाला है। मैं फिर कहता हूं कि इस देश में लोकतंत्र रहे। हमारे स्वर्गीय नेता कर्पूरी ठाकुर जी कहा करते थे कि वोट का राज छोटे का राज है, गरीब आदमी का राज होता है। अगर वोट का राज नहीं रहेगा तो गरीब आदमी को सम्मान नहीं मिलेगा। यह वोट का राज है कि महल में रहने वाले को भी गरीब की झोंपड़ी में जाकर हाथ पसारना पड़ता है। यह वोट का राज रहे, इसलिए लोकतंत्र का रहना जरूरी है, लोकतंत्र का रहना आवश्यक है। लोकतंत्र तब रहेगा जब राजनैतिक दल की विश्वसनीयता रहेगी और राजनैतिक दलों की विश्वसनीयता तब रहेगी जब राजनैतिक दल एक आचार संहिता के तहत, एक नैतिकता के आधार पर काम करेंगे।

इसीलिए मैं कहूंगा कि वहां जो चिंगारी उठी, वह चिंगारी हमारे मुजफ्फरपुर में आई। वहां एक घटना घटी, एक आदमी का अपहरण हुआ, मृत्यु हई और वहां तीन दिनों तक वहां की जनता ने किसी राजनैतिक दल के नेता, कार्यकर्त्ता को वहां प्रवेश नहीं करने दिया। मणिपुर से उठी आग मुजफ्फरपुर में आई और यह चिंगारी देश की तरफ फैल रही है। इसलिए इस संबंध में हमें गंभीरता से सोचना चाहिए क्योंकि सभी राज्यों में बेरोजगारी है, सभी जगह बेसिक नीड बाकी है जिससे जनता में असंतोष है।

[श्री रामजीवन सिंह]
अगर यह सब होगा तो लोक सभा नहीं रहेगी और लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं रहेगी। इसलिए इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): सभापति महोदया, पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक विनम्र संसद सदस्य के रूप में तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र के निकट मणिपुर होने के कारण मैं मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के छह माह के बाद इस सभा में राष्ट्रपति शासन के पक्ष अथवा विरोध में बोलने के लिए पुन: खड़े होने पर अत्यधिक हताशा महसूस कर रहा हूं। कुल मिलाकर गृह मंत्री सज्जन व्यक्ति है। वे सम्मानित राजनीतिज्ञ हैं। जब मैंने इस सभा में उनका आखिरी भाषण सुना तो मैंने सोचा कि उन्होंने अपने ह्रदय से यह बात कही है। मैंने सोचा उन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषरूप से मणिपुर से लगाव है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वहां यथासंभव छह माह की अवधि के भीतर निश्चित रूप से चुनाव करा दिए जाएंगे। शायद मैंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रति माननीय गृह मंत्री अथवा इस सरकार के नजरिए का गलत आकलन किया था।

आज इस सभा में प्रत्येक सदस्य ने आग्रह किया है कि छह माह के भीतर चुनाव कराए जाने चाहिए। लेकिन आपकी सरकार और आपके सलाहकारों के मन में अलग योजना हैं। आपका मानना है कि अनधिकारी रूप से स्थिति अच्छी नहीं है। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि कुछ-कुछ सुधार हुआ, कुछ-कुछ सुधार नहीं हुआ। माननीय गृह मंत्री ऐसा क्यों है? आपके राज्यपाल और उनके सलाहकार यह घोषित कर चुके हैं कि पंचायत के लिए चुनाव 13 फरवरी को होंगे। यदि पंचायत के लिए चुनाव हो सकते हैं तो विधानसभा के लिए चुनाव क्यों नहीं हो सकते? चुनाव घोषणा के बाद आपका इस सभा में आना क्या आपकी चाल नहीं है? पंचायती चुनाव की घोषणा हो गई है और इसलिए वहां विधान सभा के चुनाव नहीं हो सकते है। पुन: छह माह बीत जाएंगे। जैसाकि अनेक सदस्यों ने कहा है कि उस दौरान मानसून होगा। वहां स्कूल और कॉलेजों की परीक्षाएं चल रही होंगी। वहां अलग-अलग तरह की स्थिति होगी।

आप आज क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप खुलकर अपनी बात कहें। राष्ट्रपति शासन जारी रखने के लिए आपके प्रस्ताव का फैसला दूसरे सदन पर निर्भर करेगा। यह निर्णय करना आप पर और आपकी सरकार पर निर्भर करता है कि आप संवैधानिक संकट चाहते हैं अथवा आप जनता के पास जाकर यह कहना चाहते हैं कि हम तो और छह माह के लिए राष्ट्रपति शासन चाहते थे लेकिन कांग्रेस ने सहयोग नहीं दिया। कांग्रेस सरकार का यह दृष्टिकोण है। कांग्रेस पार्टी का यह रुख है। कृपया हमें ऐसी स्थिति में मत ले जाइए।

आपने क्या परिवर्तन किए हैं? आपने मणिपुर के मंत्री को बर्खास्त करके वहां की जनता का अपमान किया है। आपने छह माह में केवल यही सुधार किया है। वे आपकी सरकार में एक प्रतिनिधि थे। मैं सहमत हूं कि यह आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब मणिपुर के मंत्री को बर्खास्त किया गया तो मुझे ठेस पहुंची। जनप्रतिनिधि होने के नाते वह राष्ट्रपति शासन में सहायता दे सकते थे। विधानसभा को निलम्बित कर दिया गया है। क्या उन्हें एक सामान्य संसद सदस्य के रूप में आपके राज्यपाल अथवा सलाहकार से वहीं सम्मान प्राप्त होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मंत्री के रूप में उन्हें यह सम्मान मिला था। यदि उनसे कोई भूल हुई थी तो प्रधान मंत्री अथवा आपको उसे सुधारना चाहिए था। उन्हें बरखास्त क्यों किया गया? यह आपका पूर्वोत्तर राज्यों के प्रति एक अन्य दृष्टिकोण है। जब कभी ऐसी स्थिति आती है तो गृह मंत्रालय के कुछ सलाहकार कहते हैं कि श्री चाओबा सिंह को हटा दीजिए। इसके बाद भाजपा तथा कुछ अन्य गठबंधनों को वहां आसानी से सत्ता मिल जाएगी। मुझे तो इसके अलावा कोई और कारण नजर नहीं आता है।

पिछली बार मैंने अपने भाषण में वहां की स्थिति के बारे में उल्लेख किया था। मुझे नहीं पता कि आपके अधिकारी अथवा आप स्वयं हमारे भाषणों का अध्ययन करते हैं या नहीं। आज स्थिति क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों के जो पदाधिकारी मैदानी क्षेत्रों से थे, मैदानी क्षेत्रों में आ गए और मैदानी क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों के पदाधिकारी पर्वतीय क्षेत्रों में चले गए जिससे अव्यवस्था हो गई है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल तथा उनके सलाहकारों ने क्या प्रयास किए हैं। मैं गृह मंत्रालय में था। पारम्परिक रूप से जब कभी राष्ट्रपति शासन पर चर्चा हुई तो हम अधिकारी दीर्घा अथवा अति विशिष्ट व्यक्तियों की दीर्घा में अधिकारियों को वहां उपस्थित पाते थे। वे कहां हैं? वे इससे क्या सीखेंगे। वे इस सभा में अनेक सदस्यों का भाषण नहीं सुनेंगे। गैर-सरकारी संगठनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जहां तक खेलकूद का संबंध है मणिपुर का देश के नक्शे में ही इस नहीं अपितु विश्व के नक्शे में भी नाम है। मुक्तेश्वरी को मामूली कारण से पदक नहीं दिया गया। आज राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। यदि मणिपुर की लड़कियां और लड़के यहां आकर भाग ले सकते, यदि हम राष्ट्रीय दल के सदस्य के रूप में मणिपुर जा सकते और बिना किसी संरक्षण के हर जगह जाते जो आपके द्वारा लगाए गए राष्ट्रपति शासन में संभव नहीं हो रहा है। वहां चुनाव

क्यों नहीं हो सकते हैं? वहां सल्फा, उल्फा और बोडो संगठन है। आपने यह ठीक ही किया है। चुनाव के दौरान शांति तथा कानून और व्यवस्था अच्छी थी। विगत में त्रिपुरा में भी ऐसा किया गया था। इसलिए यह बहाना न बनाए कि हम चुनाव नहीं करा सकते हैं। आपको अन्य राज्यों के साथ यहां चुनाव कराने होंगे। मेरे विचार से आप व्यक्तिगत रूप से इस बात को नहीं झुठलाएंगें और आप इसके विपरीत कुछ नहीं करेंगे।

राष्ट्रपति शासन के इन छह महीनों में विकास संबंधी क्या कार्य शुरू किया गया है? मणिपुर के कुछ नेताओं का एक टिप्पण है। इसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार सर्वत्र विद्यमान है। हाल ही में आई.आर.बी. भर्ती में जे.सी.ओ., हवलदार और राइफलधारी के पदों के लिए क्रमशः 2 लाख से 3 लाख रुपये, 1 लाख से 1.5 लाख रुपये तथा 50,000 रुपये लिए गए। आपके राष्ट्रपति शासन की यह तस्वीर है।

हमने सुझाव दिया था कि एक सलाहकार निकाय होना चाहिए। यह निकाय क्यों नहीं गठित किया गया? इस मुद्दे को पूर्णतः नौकरशाहों पर क्यों छोड़ दिया गया? सभी राजनैतिक दलों को सलाह देने हेतु सलाहकार निकाय गठित करने के लिए कहा जा सकता था। ऐसा नहीं किया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

राष्ट्रपति शासन में हुए कार्यनिष्पादन पर नजर डालें। मैं सब कुछ पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि इससे परेशानी अधिक बढ़ जाएगी। जब पिछली बार मैंने यहां बोला था तो मेरी सुरक्षा वापस ले ली गई। मैं नहीं जानता कि मेरे इस भाषण के बाद क्या होगा। इस सरकार ने मेरे साथ यह व्यवहार किया। एक अधिकारी मेरे पास आकर मुझसे बात कर सकते थे। लेकिन इस तरह का कोई शिष्टाचार नहीं किया गया। इस तरह का भेदभाव क्यों किया गया? यह बातें बिलकुल गलत है।

जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की गई और जब उनके हत्यारों को दण्डित किया जाना था तो किसने फाइल पर हस्ताक्षर किए? अधिकारियों और मंत्रियों के बीच गतिरोध था। हमने आतंकवाद का सामना किया है। मुझे कोई भय नहीं है। मैं असम में ठीकठाक हूं; मेरी सरकार ने मुझे सुरक्षा प्रदान की है। मैं पश्चिम बंगाल में ठीक हूं, उन्होंने मुझे सुरक्षा प्रदान की है। दिल्ली में यदि आप श्रीमती फूलन देवी की रक्षा नहीं कर सकते तो मैं आपसे केवल यह प्रार्थना करूंगा कि यदि मैं मारा जाऊं तो उस समय सत्र चल रहा हो ताकि मेरे सम्मान में सभा कम से कम एक दिन के लिए स्थगित हो। कोई भी मुझे और सम्मान नहीं देगा।

सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश का एक भाग समझना चाहिए जिसे विश्वास में लिए जाने की आवश्यकता है। यह सब इस तरह से किया जाना चाहिए हम ऐसी स्थिति में न पहुंच जाये जहां यह लगे कि आप हमें आतंकवाद की ओर सहारा लेने के लिए कह रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवाद एक पेशा है। यह किसी उद्देश्य, स्वतंत्रत तथा वर्ग विशेष की लड़ाई नहीं है।

मैं आपका आभारी हूं कि आज प्रश्न काल के दौरान आपने एक सही बात कही कि प्रत्येक मदरसा आई.एस.आई. का कैम्प नहीं है। मैं आपका आभारी हूं लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा करने वाले मंत्री ऐसा नहीं कहते हैं। आपके राज्यपाल पत्थरकांडी नामक सड़क से गुजरते हैं, जहां 80 प्रतिशत लोग मुसलमान है, और अपने ड्राइवर से पूछते हैं कि वे देश के किस भाग से गुजर रहे हैं। यदि लोकतंत्र तथा कानून और व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों का यह दृष्टिकोण होगा तो हम वास्तव में मुसीबत में है।

मणिपुर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसाकि मैंने कहा कि संस्कृति, खेलकूद तथा विरासत में मणिपुर राज्य पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वश्रेष्ठ है। पिछले एक वर्ष के दौरान मणिपुर के लोगों ने जो कुछ किया मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। मैं इसकी निंदा करता हूं। मुझे विधानसभा तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के कार्यालयों का जलना अच्छी नहीं लगता है। मुझे पुलिस और सरकारी कर्मचारियों पर हमले पसंद नहीं हैं। लेकिन इस संसद से एक संदेश गया है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र मणिपुर के निकट है और विमान से मणिपुर जाने में केवल 20 मिनट लगते हैं। मुझे पता है कि लोग अब स्थिति को समझ गए हैं। किसी को भी वहां जाने दीजिए। मैं श्री मणिशंकर अय्यर की तरह नहीं हूं जो यह पूछे कि श्री जार्ज फर्नान्डीज वहां क्यों जाए लेकिन उन्हें सही तरीके से वहां भेजिए यों ही नहीं। जैसी बात वे कह रहे हैं उससे भ्रम पैदा हो सकता है। वे कहते हैं कि अगले छह महीनों तक वहां चुनाव नहीं होने चाहिए। इसके बाद वहां क्या होगा? बंगाली में एक कहावत है, "सौ मन घी भी नहीं होगा; और राधा भी नहीं नाचेगी'। समता पार्टी और भाजपा वहां सत्ता में नहीं आ सकते हैं। यह दुर्घटना ही थी कि वे वहां सत्ता में आए।

जब श्री चाओबा सिंह राजद के इशारों पर काम करते थे, मैं उन्हें कहता था कि वे अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, दलबदल किसी विशेष नीति रुझान के कारण नहीं हुआ बल्कि यह दिल्ली में बैठे कुछ नेताओं के उकसाने पर किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को पता है कि वहां क्या हुआ। यह पता है कि वहां क्या हुआ। इसलिए माननीय गृह मंत्री को इस मुद्दे पर संवेदनशील नहीं होना चाहिए। आप इस देश के गृह मंत्री होने के नाते, कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारे और राजनैतिक दलों से यह कहें कि जो लड़ना चाहते हैं उन्हें लड़ने दीजिए। इन दलों का अस्तित्व मणिपुर की जनता के आशीर्वाद पर टिका है न कि दिल्ली के आशीर्वाद पर। मैंने आपको पिछली बार जब मैं

[श्री संतोष मोहन देव]

आपके कार्यालय आया था असम के बारे में बताया था मैंने आपको कुछ दस्तावेज भी दिए थे। मैं इन दस्तावेजों को सभा में नहीं लाना चाहता क्योंकि इससे गलतफहमी पैदा होगी। मणिपुर के लोगों को गलत-फहमी होगी। आपको भी गलतफहमी होगी कि श्री संतोष मोहन देव दस्तावेज क्यों दे रहे हैं। परन्तु ऐसी स्थितियां पैदा की जा रही है कि आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के मध्य दूरी पैदा हो; नागा और कूकी के मध्य और मैदानों पर रहने वालों के मध्य दूरियां पैदा हो। परंतु लोगों ने जानना शुरू कर दिया है। यह बात मतदाताओं ने बड़े सही तरीके से बता दी है। चुनाव प्रचार अभी से ही इस आशा से शुरू हो गया है कि यहां चुनाव फरवरी, 2002 को होंगे।

इसलिए इस निवेदन के साथ मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि वहां चुनाव होने दें और केन्द्रीय सुरक्षा बल और बीएसएफ के पर्याप्त जवानों की तैनाती हो। कृपया सेना पर बहुत ज्यादा विश्वास न करें। चुनाव के दौरान सेना को तैनात नहीं किया जाना चाहिए। सेना की तैनाती किसी अप्रिय घटना परिस्थिति में ही की जा सकती है। पर मुख्यत: सीआरपीएफ, बीएसएफ और स्थानीय पुलिस को ही चुनाव के लिए तैनात किया जाना चाहिए।

अंत में, चुनाव आयोग से यह कहा जाए कि राजनैतिक दल के पर्यवेक्षकों को सर्किट हाउस में ठहराया जाना चाहिए। राजनैतिक दलों का मत है कि, होटल और अन्य स्थान में रहना उनके लिए उपयुक्त नहीं है। चुनाव आयोग ने सर्किट हाउस के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। तथापि कतिपय मौके पर हमने असम में ऐसा किया है। उन्हें इसकी अनुमति मिलनी चाहिए और कम से कम रोक लगाई जानी चाहिए। सर्किट हाउस में कोई राजनैतिक बैठक नहीं होनी चाहिए। जब तक वे ठहरे, सर्किट हाउस का संरक्षण सुरक्षा बलों द्वारा हो ताकि भाजपा, कांग्रेस, समता पार्टी और अन्य दलों के पर्यवेक्षक अपना कार्य शांतिपूर्ण तरीके से कर सकें। वहां लोकतांत्रिक लड़ाई होने दो और मणिपुर में लोकतंत्र का अस्तित्व कायम होने दो। हमें यह नहीं देखना पड़े कि मणिपुर में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है।

महोदय इस निवेदन के साथ, मैं आशा करता हूं कि आप अपने उत्तर में जो भी कहे वह पूर्णतया राजनैतिक उत्तर नहीं होगा। पुन: मैं राज्य सभा सदस्यों से बात करूंगा ताकि हम यह कह सके कि हमने माननीय गृह मंत्री से निवेदन किया है और उन्होंने यह सकारात्मक निर्णय दिया है कि अन्य राज्यों के साथ यहां भी चुनाव होंगे।

महोदय इसी अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना): माननीय सभापति महोदय, माननीय गृहमंत्री जी द्वारा सदन में प्रस्तुत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह बढ़ाने संबंधी संकल्प का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। केन्द्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन अपने राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं लगाया है और पूरे देश में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जब भारत सरकार ने अपने राजनैतिक उद्देश्यों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया हो। सभी जानते हैं कि मणिपुर की स्थिति क्या थी। मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के बाद स्थायी सरकार के लिए वहां प्रयास हुआ लेकिन कोई भी दूसरी सरकार नहीं बन पाई और जब अराजकता की स्थिति हुई तो उसके चलते सरकार को राष्ट्रपति महोदय से राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कहना पड़ा।

अपराह्न 3.54

[डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए]

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने वहां की स्थिति के बारे में जो प्रतिवेदन दिया, उसी के आधार पर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया। सभापति महोदय, उत्तर-पूर्व की स्थिति इस देश में कितनी खराब थी यह सभी जानते हैं लेकिन इस सरकार के आने के बाद वहां की स्थिति में सुधार आया है।

अपराह्न 4.00 बजे

शिलौंग में जो मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, उसके निष्कर्ष वहां के लोगों को राष्ट्र की मूल धारा से जोड़ने वाले हैं। यह एक अच्छा संदेश है। इसके साथ ही प्रिजाइडिंग आफिसर्स की जो कांफ्रेंस हुई थी और वहां लोक सभा के अध्यक्ष भी गए, उससे भी ऐसा प्रतीत होता है कि हम उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को देश की मूल धारा से जोड़ना चाहते हैं और उन्हें आतंकवाद से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों के लिए एक विशेष पैकेज की भी घोषणा की, उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया और विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष धन दिया। इससे भी अच्छा संदेश गया। मैं दो महीने पहले मेघालय, गंगटोक और असम गया था। वहां हमने विभिन्न समुदाय के लोगों से जो चर्चा की, उससे ऐसा लगता है कि आतंकवाद से आम नागरिक मुक्ति चाहते हैं और वे राष्ट्र की मूल धारा में वापस लौटना चाहते हैं। यह स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से यह स्थिति वहां निर्मित हुई। उत्तर पूर्वी राज्यों में जो अराजकता की स्थिति पिछले वर्षों में निर्मित हुई, यह सच है कि केन्द्र सरकार के प्रति विश्वास निर्मित हो रहा है और वे राष्ट्र की मूल धारा से जुड़ने का निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। मणिपुर

में चुनाव 6 महीने और बढ़ाने की बात कही गई है। मणि शंकर जी ने इसमें कंडिशनल सपोर्ट की बात कही। मैं समझता हूं कि वह विपक्ष में हैं और उनकी एक भूमिका है। वह देश के बड़े नेता भी हैं और अच्छे लेखक हैं। कुछ बातों में पूरे देश के लोगों और सभी दलों की एक राय होनी चाहिए चाहे आतंकवाद का मामला हो या अराजकता का मामला हो या देश की एकता और अखंडता का मामला हो। उसमें सभी दलों को एक राय बनानी चाहिए। अभी पोटो की बात आई। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): आप लोहियावादी है। असली बात बोलिए।

श्री रामानन्द सिंह: इसमें भी कई तरह के लोग हैं। आप जैसे लोग भी हैं। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, आप नहीं चाहते कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो। वहां सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी यही स्थिति है। आतंकवाद के खिलाफ कोई कानून देश में होना चाहिए। इसमें सभी दलों की एक राय होनी चाहिए। देश की एकता के मामले में और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के मामले में हम सब की एक राय होनी चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने सदाशयता का परिचय दिया। पिछले तीन वर्षों में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमें किसी राज्य सरकार को परेशान किया गया हो। कांग्रेसी सरकारों ने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सौ बार से भी ज्यादा राष्ट्रपति शासन लागू किया और सौ से ज्यादा राज्य सरकारों को बर्खास्त किया लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। आप विश्वास कर सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में किसी भी दल की सरकार के साथ भेदभाव का कोई प्रश्न अभी तक नहीं उठा। किसी भी राज्य सरकार ने ऐसा प्रश्न नहीं उठाया। लालू जी के बाद राबड़ी देवी जी राज्य की मुख्यमंत्री बनी। हमने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। भेदभावपूर्ण ढंग से किसी भी राज्य सरकार के साथ बर्ताव नहीं किया गया। न ही केन्द्रीय आवंटन में भेदभाव किया गया। केरल से लेकर कश्मीर तक हर राज्य का जो शेयर था, वह उसे बराबर मिल रहा है। हमारे राज्य के 15-16 सांसद दो-तीन बार प्रधान मंत्री जी से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के संदर्भ में मिले और उनसे शिकायत की कि राज्य सरकार ने हमसे इस बारे में कोई राय नहीं ली। वहां की सरकार नई सड़कें बनाने की बजाय पुरानी सड़कों की मरम्मत पर ही पैसा खर्च कर रही है। प्रधान मंत्री जी ने हम से यही कहा कि हमें सब को साथ लेकर चलना है। यह संदेश न जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार दूसरे दलों के साथ भेदभाव करती है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आपकी राय ठीक है, लेकिन व्यवहार में आपकी राय के विरुद्ध काम हो रहा है।

श्री रामानन्द सिंह: लेकिन अगर ऐसा श्री लालू यादव आपके खिलाफ कर देते, वे आपकी राय नहीं मानते जबकि हमारे प्रधानमंत्रीजी और गृह मंत्री जी सांसदों की राय मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि सत्तारूढ़ दल की बैठक में सांसदों की बात को माना जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मणिपुर में 6 महीने की राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई जा रही है, उस पर एक प्रश्नचिह्न है कि जब वहां चुनाव हो जायेंगे तो क्या कोई स्थिर सरकार वहां बनेगी-किसकी बनेगी, यह अलग बात है। हमारा मत है कि वहां एक स्थिर सरकार बननी चाहिए। कांग्रेस बड़ा दल है-ये सरकार में थे, ये प्रयास कर सकते हैं। केन्द्र की सरकार प्रयास करे कि आने वाले दिनों में जब मणिपुर में चुनाव हों तो वहां कोई स्थिर सरकार बने, अराजकता की स्थिति न बने। भारतीय लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि जब हमारे राज्यों में राष्ट्रीय दलों के अलावा बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं, एक स्थिर सरकार बनायें और जोड़-तोड़ की राजनीति न हो।

सभापति महोदय, अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने आचार्य नरेन्द्र देव जी का उदाहरण दिया। यह इतिहास बन चुका है। मणिपुर में जो प्रयोग किया गया, वह बहुत अच्छा नहीं था। मेरे मन में श्री जार्ज के प्रति बहुत सम्मान है। जब उनसे कहते हैं कि इस्तीफा दें, वे चले आये, हमें बहुत दुख हुआ। वे न केवल एन.डी.ए. के संयोजक हैं बल्कि देश के बहुत बड़े समाजवादी मूर्धन्य नेताओं में से एक हैं। आज तक उनकी ईमानदारी और चरित्र पर उंगली नहीं उठी लेकिन यहां अनावश्यक रूप से बड़े लोगों ने जार्ज साहब की आलोचना की। जब जार्ज साहब ने इस्तीफा दिया तो स्वेच्छा से दिया और जब सरकार को उनकी आवश्यकता अनुभव हुई तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें बुला भेजा। यह प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। जार्ज साहब ने प्रधानमंत्री जी के आग्रह को स्वीकार कर लिया। मैं विपक्षी सदस्यों से जानना चहता हूं कि जब जार्ज साहब ने इस्तीफा दिया और वे अपना वक्तव्य लोकसभा में देना चाहते थे तो उन्हें सुना नहीं गया। सदन में 8-10 दिन तक हंगामा किया गया। उनकी बात सुनने के लिए कई बार निवेदन किया गया कि सुन लीजिए ताकि सारी शंकाओं का समाधान हो जाये और आप लोग पानी-पानी हो जायेंगे। यह बड़े गर्व की बात है कि जार्ज साहब जैसा रक्षा मंत्री हमें मिला है। उन्होंने न केवल कारगिल युद्ध का नेतृत्व किया बल्कि दूर सीमाओं पर जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार को चलाने के लिए उन्होंने पूर्ण ऊर्जा लगाई है। वे ऐसे पहले मंत्री हैं जिनके दरवाजे का गेट हटा दिया गया है और कोई सिक्यूरिटी नहीं खड़ी होती। आप ऐसे रक्षा मंत्री की आलोचना करते हैं।

सभापति महोदय: आप कृपया मणिपुर पर बोलिए।

श्री रामानन्द सिंह: सभापति महोदय, मेरे ख्याल से यदि अन्य तीन राज्यों में होने वाले चुनावों के साथ मणिपुर के चुनाव भी करा दिये जायें तो माननीय गृह मंत्री जी को आपत्ति नहीं होगी। सरकार भी चाहती है कि जितना जल्दी चुनाव हो सकें, कराये जाये। चुनाव टालने की मंशा सरकार की नहीं है। लेकिन देखना यह है कि वहां चुनाव की स्थिति बनती है या नहीं या फिर स्थिर सरकार बन पायेगी या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 6 महीने के बाद सरकार बर्खास्त हो और फिर चुनाव कराने पड़ें। कृपया करके सभी राजनैतिक दल इस बात को गंभीरता से सोचें। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रही है और राष्ट्रीय आन्दोलन में बढ़-चढ़कर भाग लेती रही है। ये भली-भांति जानते हैं और मैं इनसे अपील करूंगा कि पूर्वोत्तर राज्यों में अराजकता की स्थिति पैदा न हो क्योंकि आप वहां सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है।

कोई भी अकेला दल वहां सरकार नहीं बना पायेगा। लेकिन चुनाव के पहले आप वहां कम से कम ऐसी स्थिति बनाइये, जैसे वहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का मोर्चा चुनाव के पहले बना, ऐसा कोई मौर्चा चुनाव के पहले बनाइये और चुनाव के पहले घोषणा-पत्र बनाकर वहां चुनाव कराइये। अभी उन्होंने कंडीशनल कहा। हम माननीय श्री मणिशंकर अय्यर जी का बहुत आदर करते हैं, वह एक वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ स्तम्भकार हैं, विद्वान हैं। वह केवल कांग्रेस के ही नेता नहीं हैं, हम उन्हें पूरे देश का नेता मानते हैं। कभी उन्हें कंडीशनल के बजाय एडीशनल सपोर्ट भी करनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि आप आतंकवाद के खिलाफ पोटो लाइये, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हर जगह कंडीशनल, हर जगह पॉलीटिक्स, हम सभी दलों को इस पॉलीटिक्स से बचना चाहिए। इस देश को बचाने के लिए सब लोगों को कुछ बिंदुओं पर एक राय बनानी चाहिए। देश की एकता के मामले में, अराजकता दूर करने के मामले में, आतंकवाद के खात्मे के मामले में हम सब एक हैं। अमरीका में हम देख रहे हैं कि 11 सितम्बर की घटना के बाद वहां सब देश एक हो गये और अभी भी हम कश्मीर में समर्थन पाने में दुनिया भर की बातें करते हैं।

सभापति महोदय, इसी भावना से हम सब लोग इसका समर्थन करते हैं। हम यह प्रयास करें कि आने वाले दिनों में मणिपुर में एक स्टेबल सरकार बनायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, हम सभी सहमत हैं कि मणिपुर एक छोटा राज्य है, लेकिन देश का एक महत्वपूर्ण और किसी से कम महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। इतिहास के हिसाब से, कुरान के हिसाब से, पांडवों की वहां शादी हुई थी। वनवास के समय वे सब वहां गये थे, महाभारत में इसकी चर्चा है। कला, संस्कृति में मणिपुरी नाच न हो तो हिन्दुस्तान की संस्कृति की झलक नहीं आती है। इसलिए यह देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन जब एन.डी.ए. में भाजपा और समता पार्टी के क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के चलते वहां आयाराम, गयाराम हुआ तो प्रेसीडेन्ट रूल लागू हुआ। प्रेसीडेन्ट रूल के वक्त माननीय गृह मंत्री जी ने आशा व्यक्त की थी कि वहां छः महीने प्रेसीडेन्ट रूल लागू हो। प्रेसीडेन्ट रूल एक लाचारी व्यवस्था है, यह कोई वाजिब बात नहीं है। इनके मन में चिन्ता होनी चाहिए कि प्रेसीडेन्ट रूल वहां एक लाचारी व्यवस्था थी, लेकिन वहां आयाराम, गयाराम के कारण प्रेसीडेन्ट रूल लगा, जबकि वह एक संवेदनशील इलाका है। वहां छः महीने में चुनाव हो जाना चाहिए था। चुनाव न हो पाने को हम सरकार की लापरवाही मानते हैं। अब यहां आकर ये कह रहे हैं कि छः महीने के लिए और बढ़ा दिया जाए, क्या वहां प्रेसीडेन्ट रूल कायम रखना चाहते हैं। लोकतंत्र की मांग है कि वहां वोट का राज चले। इतना ही नहीं ये लोग वहां आयाराम, गयाराम के चलते दलबदल करते और कराते हैं।

अभी श्री रामजीवन बाबू सही बात कह रहे थे कि राज चलाने के लिए, राज बनाने के लिए और राज बचाने के लिए दलबदल, रुपया-पैसा, पोस्ट, भूखंड, पेट्रोल पम्प आदि इन चीजों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री चोइबा सिंह वहां के चुने हुए मंत्री थे, वे जवाब दे सकते हैं कि उन्हें क्यों हटा दिया गया। चुने हुए आदमी की शासन में भागीदारी थी। मणिपुर एक छोटा किंतु संवेदनशील इलाका है, वहां आग लगी और इसे लगाने वाले यही लोग थे। मुइवा से ऐसे ही दस्तखत करवा दिये जिससे वहां आग लग गई। वहां पुलिस अफसरों के घर, विधान सभा और सभी आवास जलने लगे। वहां कोई रिप्रेजेन्टेटिव नहीं घूम सकता था, वहां ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई। अब सुधार होने पर वहां की जनता सावधान और सजग है। लेकिन वहां अभी भी एक्सटोर्शन जारी है। वहां दो-तीन महीने से इम्पलायीज का भुगतान नहीं हुआ है। प्रेसीडेन्ट रूल वहां आयाराम, गयाराम और राजनीतिक अस्थिरता के कारण लागू हुआ। प्रेसीडेन्ट रूल का मतलब है केन्द्र की हुकूमत, किंतु कर्मचारियों के बकाये का भुगतान नहीं हुआ, बेरोजगारी हटाने के लिए क्या इंतजाम हुआ। कला, संस्कृति के लिए वहां पर्याप्त पोटेन्शियलिटी है। विकास नहीं होगा और आप वहां आतंकवाद खत्म कर देंगे। यह नहीं हो सकता, यदि विकास नहीं होगा, अन्याय होगा तो वहां आतंकवाद होता रहेगा। इसलिए आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए इसको दबाया जाना चाहिए। आतंकवाद के खात्मे के लिए हम लोग भी साथ हैं। लेकिन एक राजनीतिक छल के चलते भाजपा और समता पार्टी के बीच अभी भी वहां पटरी नहीं बैठी है।

गृह मंत्री जी कह रहे थे कि राज्यपाल की रिपोर्ट से पता चलता है कि अभी कुछ सुधार हुआ है लेकिन वैसी परिस्थितियां नहीं आई है कि वहां पर चुनाव कराया जा सके। यह गलत है।

संकल्प प्रस्तुत करते हुए गृह मंत्री जी ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। इनका वहां जो आपसी तालमेल है, उसमें गड़बड़ है। इसकी वजह से ये वहां चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। चाओबा सिंह जी को मंत्री पद से हटा दिया लेकिन वे सही बात बोल रहे थे कि वहां के लोग तकलीफ में हैं और क्यों ये चुनाव टाल रहे हैं। वहां तुरंत चुनाव होने चाहिए। पिछले समय में कांग्रेस पार्टी से परामर्श करके यह काम किया गया। कांग्रेस को भी कभी कभी लगता है कि जवाबदेह विपक्ष की भूमिका दिखानी है तभी राज्य सभा में वह पहले पास हो गया और फिर यहां लाए। राज्य सभा के भय से प्रेजीडेन्ट रूल लागू नहीं करते वरना बिहार में कब का लागू कर देते। और भी कई राज्यों में कोई न कोई बहाना करके लागू कर देते। इसे पिछली बार पहले राज्य सभा में पास करवा लिया था और बाद में कंडीशनल बात हो रही है, लेकिन कुछ कंडीशन वगैरह नहीं है। मणिपुर पूर्वांचल का एक संवेदनशील इलाका है और स्ट्रैटिजिकली भी बर्मा की सीमा से लगा हुआ है। वहां से दवाओं और नशीले पदार्थों की स्मगलिंग रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं, जब से वहां केन्द्रीय शासन लागू हुआ है? बर्मा की सीमा से नशीले पदार्थ लाये जा रहे हैं और देश का वातावरण खराब हो रहा है, उसके लिए सरकार ने क्या किया है? मणिपुर में जो एथनिक समस्या है-नागा और कूकीज में हमेशा मार-काट लगी रहती है, उसे रोकने के लिए संवेदनशील होकर केन्द्रीय सरकार काम नहीं करेगी तो वहां की समस्याएं और बढ़ेंगी और वहां आतंकवाद पहले से ही बहुत है। पूर्वोत्तर में हमें लगता है कि 40-42 संगठन विभिन्न नामों से उत्पात मचाते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, राहजनी और आगजनी भी करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वहां चुनाव जल्दी से हों और जो विकास की गतिविधियां हैं, उनमें केन्द्र मदद करे। यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के समय में डिसाइड हुआ था कि पूर्वोत्तर के राज्यों में बजट का दसवां हिस्सा खर्च करेंगे, मगर यह सरकार क्यों पीछे हट गई? ये वहां स्वांग रचते हैं। जहां वोट हैं, वहां जाकर ये पैकेज का ऐलान करते हैं। इससे क्षेत्रीय विषमता बढ़ेगी। इतने बड़े देश को चलाने के लिए इस तरह की नीति नहीं होनी चाहिए। सम्यक नीति होनी चाहिए और समदृष्टि होनी चाहिए जिससे रीजनल इम्बैलेन्सेज न हों। इसीलिए हम सभी हिन्दुस्तान के लोग पूर्वोत्तर के साथ है कि उसके विकास में केन्द्रीय सरकार तेजी लाए। क्या इंतजाम इन्होंने किया है, वह बताएं। क्या विशेष व्यवस्था वहां की तरक्की के लिए की गई है, वह बताएं। वहां बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो समस्या है, आवागमन की समस्या है उसके लिए क्या किया गया है? मंत्री जी कह रहे थे कि पंचायती चुनाव हो सकते हैं, फिर स्टेट के चुनाव क्यों नहीं हो सकते? हमें लगता है कि यह केन्द्रीय सरकार की लापरवाही है इसलिए हम प्रेजीडेन्ट रूल का विरोध करते हैं और चाहते हैं कि चुनाव जल्दी कराए जाने चाहिए। इनकी भाजपा और समता पार्टी वहां खत्म हो रही है। वहां किसी तरह से जोड़-तोड़ करके सरकार बना ली थी, लेकिन अब इनकी वहां चलने वाली नहीं है। देश के विभिन्न हिस्सों से इनका सफाया हो रहा है। इस बार ये यूपी से भी साफ होने वाले हैं इसीलिए ये चुनावों को टाल रहे हैं। चुनावों को टालना उचित नहीं है और वहां की समस्या के समाधान के लिए केन्द्रीय सरकार अपनी तरफ से आगे जाकर जनाकांक्षाओं की पूर्ति करे जिससे आतंकवाद ध्वस्त होगा और इसके सुधार के लिए आवश्यक प्रयास किये जायेंगे।

[अनुवाद]

श्री होलखोमांग हौकिप (बाह्य मणिपुर): माननीय सभापति महोदय मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं मणिपुर से हूं। मणिपुर से दो संसद सदस्य है-एक है बाह्य मणिपुर से और दूसरे हैं आंतरिक मणिपुर से और श्री टीएच. चाओबा सिंह आंतरिक मणिपुर से हैं। इसलिए मैं मणिपुर पर हो रही चर्चा में विशेष रूप से बोलना चाहता हूं।

मणिपुर एक छोटा राज्य है, परंतु सांस्कृतिक रूप से सम्पन्न है और खेलकूद, नृत्य आदि कई विधाओं में पारंगत है। मणिपुर की साक्षरता दर बहुत ऊंची है। मणिपुर में बेरोजगारी समस्या की जड़ है और कई बेरोजगार युवक अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं।

अब इस मामले पर आते हुए मैं मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाए जाने का समर्थन करता हूं। मैं क्यों इसका समर्थन कर रहा हूं? जमीनी नियम और सच्चाइयां बहुत दुष्कर है और वहां तत्काल चुनाव करने के लिए अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ जब गृह मंत्री ने कहा कि चुनाव छः महीने के भीतर करा लिए जाएंगे। मुझे सच में आश्चर्य हुआ। मैं चाहता था कि वे ऐसा न कहें। सच तो यह है कि लोग अभी तैयार नहीं है-यह पहली समस्या है। मैं भी तैयार नहीं हूं-यह दूसरी समस्या है। तीसरे, मैं चाहता हूं कि इसे कम से कम एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। परंतु यह संभव नहीं है क्योंकि राजनैतिक दल इसका विरोध करेंगे और इसके खिलाफ कई आंदोलन होंगे। मंत्री महोदय ने राष्ट्रपति शासन छः महीने और बढ़ाकर सही काम किया है। यह हमारे लिए बहुत अच्छा है। मैं इसका समर्थन करता हूं और इस निर्णय से मैं बहुत खुश हूं।

मणिपुर की मोरेह चौकी भारतीय उपमहाद्वीप की आखिरी चौकी है। इम्फाल से केवल 73 कि.मी. की दूरी पर मोरेह है और तमु म्यांमार में है जो मोरेह से तीन कि.मी. से भी कम दूरी पर है। इस प्रकार हम सभी ओर से म्यांमार से घिरे है। मणिपुर में काफी वन क्षेत्र है और आतंकी विस्फोट कर वनों में छुप जाते

[श्री होलखोमांग हौकिप]

हैं। उनसे सफलतापूर्ण निपटने में सेना और अर्द्धसैनिक बलों के लिए यह एक नुकसानदायक स्थिति है।

मणिपुर में 20 भूमिगत आतंकवादी संगठन है। हमारे लिए जीवन है ही नहीं, मैंने पिछले 25 सालों से जीवन का आनंद नहीं लिया है। हर समय हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है; हड़ताल और बंद होते रहते हैं। मणिपुर हड़ताल और बंद का राज्य बन गया है। जब वहां राष्ट्रपति शासन है तो इसका अर्थ है वहां गृह मंत्रालय का शासन है। गृह मंत्रालय को बहुत सजग रहना चाहिए और मणिपुर के लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए क्योंकि हमने बहुत तकलीफ सही हैं। मणिपुर के लोग रोगी बन गये हैं। हम अस्वस्थ हैं शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। आर्थिक रूप से भी हम विपन्न है।

मुझे बताया गया कि मणिपुर के मामले में घाटे का वर्तमान आंकड़ा 1200 करोड़ रुपये है। सामान्यत: बजटीय आवंटन 450 करोड़ रुपये का रहता है। इस समय मुझे लगता है यह 475 करोड़ रु. या ऐसा ही कुछ रहेगा। 1200 करोड़ रुपये के घाटे का अर्थ है हमें दो वर्ष तक अन्न नहीं मिलेगा। यदि केन्द्र सरकार की मेहरबानी न हो तो हमें दो वर्ष तक बिना पैसे, बिना अनाज और बिना किसी सुविधाओं के रहना पड़ेगा। परंतु केन्द्र सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी। यदि कोई कुछ गलती करता है तो जो लोग उनमें शामिल नहीं है उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। यदि मेरे पिता किसी की हत्या करते हैं तो उसकी सजा मुझे नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए, मैं कहता हूं कि एक के बाद एक आई पूर्व सरकारों ने मणिपुर राज्य की वित्तीय सम्पत्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें यह नहीं पता कि वित्तीय प्रणाली क्या होती है। वे वित्तीय स्थिति और हमारी वित्तीय प्रणाली के बारे में दुविधा में रहते हैं।

कभी-कभी केन्द्र सरकार मेहरबान होकर हमें पर्याप्त धनराशि देती है। मेरे विचार से वर्तमान गवर्नर भ्रम की स्थिति में है। उन्होंने मणिपुर राज्य के वित्तीय घाटे की गणना 1200 करोड़ रुपये की है और उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें पिछले दो महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि वे मणिपुर के वित्तीय स्थिति में वहां उपलब्ध संसाधनों का दोहन करके सुधार करने की कोशिश करें। वे इसके लिए वित्त मंत्री या गृह मंत्री से सम्पर्क करके इस तरह का प्रबंध व्यवस्था कर सकते हैं।

अंतत: मैं यह कहना चाहता हूं कि संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्य किसी सैनिक अधिकारी, आईपीएस या किसी आईएएस अधिकारी को अपना राज्यपाल के रूप में नहीं चाहता है क्योंकि बंदूक संस्कृति मणिपुर की समस्या का समाधान करने में असफल रही है। कोई राजनीतिज्ञ ही बातचीत द्वारा पूर्वोत्तर की समस्या का समाधान कर सकता है। विद्रोह की समस्या आप जिसे आतंकवाद भी कह सकते हैं कोई अनुभवी राजनैतिक ही सुलझा सकता है। कोई सैनिक या पुलिस वाला मामले से एक विशेष तरीके से ही निपट सकता है। भारतीय प्रशासनिक अधिकारी नौकरशाह की तरह बर्ताव करते हैं। इसलिए कोई भी दल केन्द्र में सत्ता में रहता है वह यह सुनिश्चित करें कि कोई भी सेना का आदमी, पुलिस वाला या भारतीय प्रशासनिक अधिकारी राज्य में राज्यपाल के रूप में न भेजा जाए। इसके बजाय, विवेकशील, अनुभवी, निपुण, बुद्धिमान और पूर्ण सूझबूझ वाले व्यक्ति को ही राज्य का राज्यपाल बनाया जाना चाहिए।

मणिपुर राज्य के साथ विभिन्न केन्द्र सरकारों ने बहुत बुरा बर्ताव किया है। मैं केवल वर्तमान सरकार को ही दोष नहीं दे सकता। पूर्व सरकारों के कारण मणिपुर राज्य को बहुत अधिक विनाश सहना पड़ा है, मैं केवल यही अपेक्षा करता हूं कि वर्तमान सरकार हमारे लिए और मुश्किलें न पैदा करे ताकि हमारी तकलीफों का अंत हो सके *...(व्यवधान)* मैं शीघ्र चुनाव नहीं चाहता। इन शब्दों के साथ, मैं आशा करता हूं कि वर्तमान सरकार राज्य की वर्तमान हालात पर काबू पा लेगी।

सभापति महोदय: अब श्री अरुण शौरी जवाब देंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, आप इनको बाद में बुलवाइये, पहले हम लोग दो-दो मिनट बोलेंगे। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ये इण्टरवीन कर रहे हैं। बाद में तो माननीय मंत्री जी का रिप्लाई होगा, इसलिए इनका पहले इण्टरवीन करना ठीक है। इनके बाद जिन सदस्यों को बोलना है, अभी 1-2 सदस्य बाकी हैं, वे बोलेंगे, उसके बाद माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री रामजीलाल सुमन: हमें ज्यादा नहीं बोलना, दो-दो मिनट बोलना है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: रामदास जी, आप बैठिए। मैं सदन की सहमति चाहूंगा, चूंकि इस प्रस्ताव पर दो घण्टे का समय नियत किया गया था, वे दो घंटे पूरे हो रहे हैं। यदि सदन सहमत हो तो इसके लिए आधा घंटे या एक घंटे का समय, जैसी भी जरूरत हो, बढ़ा दिया जाये, क्योंकि अभी माननीय अरुण शौरी जी इण्टरवीन करेंगे। माननीय मंत्री जी को भी उत्तर देना है और दो सदस्यों को और बोलना है। सदन की सहमति से आज सदन की समाप्ति तक समय बढ़ाया जाता है। इसे 6 बजे तक बढ़ाया गया है।

[अनुवाद]

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): मैं आपकी आज्ञा से केवल दो मुद्दों पर अपनी बात कहना चाहता हूं क्योंकि मेरे पुराने मित्र श्री मणिशंकर अय्यर ने कुछ टिप्पणियां की हैं वह मेरे ऊपर मेरे और मेरे सहयोगियों द्वारा किये जा रहे कार्य पर व्यक्तिगत आक्षेप है। इस कारण से, आपकी आज्ञा से, मैं तथ्यों को स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं इस मामले में किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता।

मुझे बताया गया कि माननीय सदस्य ने यह सब मेरे कारण, मेरे लेख के कारण या मेरे पूर्वोत्तर राज्यों में जाने के कारण ही वहां आतंकवाद फैला और आतंकवादी दलों का गठन हुआ।

यह भी कहा गया कि इससे देश को नुकसान पहुंचा है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इस तरह के लांछन इस सभा में कैसे लगाए जा रहे हैं। इस तरह व्यक्तिगत रूप से बदनाम करने और भर्त्सना करने के लिए सभा का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। आंदोलन के दौरान, मैं वहां दो बार से अधिक नहीं गया। मैं वहां उस समय गया जब तत्कालीन सरकार ने करीब 600 से 700 बच्चों को बर्बरता से गोली से उड़ा दिया गया क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय महत्व के मामले को उठाया था। उस वक्त के मेरे सारे लेख समाचार पत्रों में छपे थे आज तक ऐसा कोई भी नहीं है जिसने यह कहा हो कि मेरे लेखों से हिंसा भड़की। सच तो यह है कि आज भी और उस वक्त भी मैंने सत्ता में बैठे लोगों द्वारा भड़कायी जा रही हिंसा सहित सभी प्रकार की हिंसा की पूर्णतः निंदा की थी।

अब, महोदय एक तरह से इस तरह के आक्षेप का कोई परिणाम नहीं निकलता क्योंकि कोई भी उस व्यक्ति के झूठ पर विश्वास नहीं करेगा जो आदतन ऐसी झूठी बातें फैलाता हो। परंतु मुझे जिस बात का दुःख है वह यह है कि पूर्वोत्तर के लिए जिस मंत्रालय ने काम आरंभ किया है, जिसके बारे में कांग्रेस आई के मुख्य संसद सदस्य स्वयं और अब पूर्वोत्तर के सदस्य भी जानते हैं। उसी मंत्रालय को अब और कुछ नहीं बल्कि उत्पात वाला मंत्रालय कहा जा रहा है। श्री सांगतम, श्री संतोष मोहन देव और मेरे कई मित्र यहां है। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता।

उन्हें मालूम है कि जो कार्य शुरू हो चुका है। मैं समझता हूं कि वह मणिपुर के लिए भी महत्वपूर्ण है। किन्तु केवल इस विभाग की स्थापना के कारण ही जो परियोजनाएं पिछले कई वर्षों से कई सरकारों के चलते ठंडे बस्ते में थी। उन्हें तत्काल स्वीकृति दी जा रही है। श्री जोराम थांगा, मिजोरम के मुख्य मंत्री अभी मेरे साथ थे। इस विभाग की स्थापना के कुछ दिनों पश्चात ही बैरागी परियोजना को स्वीकृति दे दी गयी-श्री संतोष मोहन देव जी इसे अच्छी तरह जानते हैं कि परियोजना काफी समय से लम्बित पड़ी थी। मुझे आशा है कि इसके लिए पहली किस्त जल्दी ही जारी की जायेगी।

इसी प्रकार चिर लम्बित सिक्किम की शहरी जलप्रदाय और स्वच्छता परियोजना जो केवल फाइलों में चल रही थी, को भी तत्काल स्वीकृत कर दिया गया है। रंगानाडी परियोजना के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं कि कार्य धीमा पड़ रहा था, क्योंकि उनके पास इसे पूरा करने के लिए 136 करोड़ रुपये नहीं थे। यह तो एन.इ.इ.पी.सी.सी. और विद्युत वित्त निगम तथा अन्य के साथ मेरी और सहयोगियों की बैठकें हुई और उन्हें पूरक ऋण दिलवाया। इसी के परिणामस्वरूप इस परियोजना का कार्य चल रहा है और चालू वित्तीय वर्ष में परियोजना पूरी कर ली जायेगी।

महोदय, शिलांग में हमारी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य मंत्रियों, मुख्य सचिवों, योजना सचिवों और वित्तीय सचिवों के साथ एक रचनात्मक बैठक हुई। वह एक महत्वपूर्ण और रचनात्मक बैठक थी। इसके बारे में संसद सदस्य जानते हैं। पूर्वोत्तर में वन्य उत्पादों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण काम को रोकने के संबंध में निर्णय सर्वविदित है। श्री जमीर तथा अन्य लोगों ने इस पर मेरा ध्यान दिलाया। व्यक्तिगत तौर पर मैंने इसका अध्ययन किया है। हम पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ चलकर काम कर रहे हैं। मूल मुद्दा यह है कि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था बल्कि एक कार्ययोजना शुरू की जानी चाहिए थी, ताकि एक बार कार्ययोजना बन जाए तो हम वनों का दोहन कर सकते हैं तथा वनों में आर्थिक गतिविधि पुनः शुरू कर सकते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने पूर्वोत्तर की वन विकास कार्य योजनाओं को शत प्रतिशत वित्त पोषण करने के लिए पांच करोड़ रुपये की धनराशि तत्काल आवंटित की है, ताकि वहां पर आर्थिक गतिविधि पुनः शुरू की जा सके।

मैं रक्षा मंत्री तथा पूर्वी कमान के जनरल से मिला था। मणिपुर तथा अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में सेना की मौजूदगी के कारण वास्तव में पूर्वोत्तर सेना का बड़े बाजार की तरह लगता है। करीब 1,25,000 सेना तथा अर्द्ध सैन्य बल की मौजूदगी के कारण वहां उनकी खरीद बहुत ज्यादा है। क्षेत्र से बाहर से चीजें लायी जा रही हैं। श्री जार्ज फर्नान्डीज सहित, पूर्वी कमान के जनरल तथा हम सबने योजनाबद्ध तरीके से कोशिश शुरू की है ताकि खरीद स्थानीय जगहों से की जा सके और उत्पादकों को अपेक्षित मद के उत्पादन के लिए सहायता दी जा सके ताकि सब्जियों से लेकर उन सब मदों का उत्पादन हो सके जिसकी सेना को आवश्यकता और इस प्रकार सेना से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विपणन का अवसर प्राप्त होगा।

[श्री अरुण शौरी]

शहरी विकास में मैने पाया कि पूर्वोत्तर में लगभग 300 करोड़ या उससे ज्यादा खर्च किये जा रहे हैं। वास्तव में कई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं जैसे कि शिलांग और अन्यत्र एक पार्किंग स्थल का निर्माण। श्री अनंत कुमार और मैं चार अधिकारियों से मिले और 5 अधिकारियों का एक दल 15 दिन पहले वहां गया और संबंधित मंत्रियों और पूर्वोत्तर के सचिवों से चर्चा की। हमने निर्णय लिया है कि हम शहरी सफाई और मल व्ययन और शहरी जल प्रदाय पर ध्यान देंगे ताकि 2-3 वर्ष में हम पूर्वोत्तर में वास्तव में बदलाव ला सकेंगे। श्री के.ए. संगतम के सहयोग तथा मार्गदर्शन के कारण हम ऐसी योजनाएं बना रहे हैं, जिनके चलते उस क्षेत्र के खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकें और उन्हें राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हो सके। उनके पास बेहतरीन निशानेबाज तथा बहुत अच्छे लंबी दौड़ के धावक हैं। उन्हें केवल कुछ समर्थन की आवश्यकता है। उनको विश्वास दिलाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनको यह महसूस करा दिया जाए कि देश भर में उनकी पहचान बन रही है।

हमने वित्त मंत्रालय के साथ बैठकें की हैं। यह दुख की बात है कि मैं विदेशी सहायता संपन्न राज्यों को तो उपलब्ध है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों को इस प्रकार की विदेशी सहायता नहीं मिलती। हमने इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है। वित्त मंत्री ने बैठकें की हैं तथा अधिकारियों ने भी सहायता देने वाली एजेंसियों के साथ राज्यों को संबद्ध करने के लिए बैठकें की हैं और एक वर्ष के अंदर हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में अच्छी परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

जैसा कि माननीय सदस्य अभी बता रहे थे कि मणिपुर की वित्तीय स्थिति के बारे में भी कुछ गलतफहमी है। सदन को यह जानकर खुशी होगी कि इस विभाग के कार्यों के कारण और वित्त मंत्री की मणिपुर और असम के साथ हमदर्दी के कारण गंभीर वित्तीय स्थिति वाले इन दोनों राज्यों के लिए हम एक वित्तीय सुधार पैकेज की घोषणा करने जा रहे हैं। इस मामले पर मैं श्री गोगोई से विचार-विमर्श करने की उम्मीद रखता हूं। मैंने एशियाई विकास बैंक के उन वित्तीय सुधार पैकेजों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया है। जिनका लाभ मध्य प्रदेश और गुजरात सरकारों ने उठाया है। हम पूर्वोत्तर राज्यों को भी इस प्रकार के वित्तीय सुधार पैकेजों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करेंगे, जिनके माध्यम से वे सहायता के साथ-साथ अपना विकास भी कर सकेंगे।

जैसा कि आप जानते हैं पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में लगभग 45000 मेगावाट पन बिजली की क्षमता है। जिसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। मैंने श्री सुरेश प्रभु के साथ विचार-विमर्श शुरू किया ताकि हम इस वर्ष के अन्दर शुभनश्री या अन्य कोई और मेगा-परियोजना शुरू कर दे जिसके माध्यम से हम इतनी बड़ी छलांग लगा सकते हैं कि पूर्वोत्तर शेष देश पर निर्भर नहीं रहेगा बल्कि देश पूर्वोत्तर क्षेत्र पर निर्भर हो जायेगा।

इन सारे प्रयासों को सिर्फ यह कहकर खारिज कर देना कि यह मात्र शरारतपूर्ण मंत्रालय है सही नहीं होगा, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने कथन पर फिर से विचार करें। मैं विशेष रूप से कांग्रेस के उपनेता से आग्रह करूंगा कि वे सोचें, विचार करें कि क्या इस प्रकार के उदाहरण का उपयोग करना चाहिए। और क्या सदन का उपयोग किसी व्यक्ति के अपमान के साथ-साथ किसी कार्य को खारिज करने के लिए भी किया जाना चाहिए।

मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करने हेतु दिए गए इस अवसर के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री मणिशंकर अय्यर: मैं सिर्फ एक वाक्य बोलना चाहूंगा। मैं अपने वक्तव्य के संबंध में विचार-विमर्श के अवसर का स्वागत करूंगा और यह भी कहना चाहूंगा कि मेरा वक्तव्य तथ्यों पर आधारित है और इससे किसी का अपमान नहीं होता। मैं नहीं समझता कि यह ऐसा करने का उचित अवसर है अथवा नहीं। मैं इस बात का स्वागत करूंगा कि भारत सरकार हमें ऐसा अवसर प्रदान करे जब हम पूर्वोत्तर मंत्री की पृष्ठभूमि में जा सके। वे अपनी प्रशंसा करने की कला में माहिर हैं। उन्होंने कई ऐसी धारणाएं रखी जो पहले ही कई सालों से विद्यमान थी और ये धारणाएं उनकी अपनी ही सरकार में पिछले तीन वर्षों से कायम थीं। मैं नहीं समझता कि यह मंच इस प्रकार बढ़चढ़कर बोलने के लिए बना हुआ हैं।

श्री अरुण शौरी: स्वयं उनकी पार्टी के सदस्य उनके खिलाफ सबसे अच्छे प्रमाण हैं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): सभापति महोदय, पिछले छः महीने से मणिपुर के हालात बहुत तफतीशनाक और खतरनाक हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि यह सरकार पिछले छः महीने में मणिपुर के चुनाव नहीं करा पाई। तारीख गवाह है, जब भी इंसानों की जजबात और एहसासात को नजरअन्दाज किया जाएगा, मणिपुर जैसे हालात पैदा हो जायेंगे। मैं उनको न जस्टिफाई कर रहा हूं और न उनको सपोर्ट कर रहा हूं। मैं उनको कन्डैम करता हूं।

महोदय, हमें अवाम के जजबात और एहसासात का ख्याल रखना पड़ेगा। कश्मीर के अन्दर जो हालात आज हैं, वे हालात

15-20 साल पहले नहीं थे। कश्मीर के अन्दर हमने दो रुपए किलो चावल देने की कोशिश की। हमने कश्मीर के लोगों के जजबात और एहसासात की कदर नहीं की, जिसका नतीजा यह हुआ है कि आज काश्मीर आग के शोले पर बैठा है और टैररिज्म पूरे मुल्क के लिए खतरा बना हुआ है। यही हाल मणिपुर का हो रहा है। अगर इस दिशा में सही कदम नहीं उठाया गया, तो यह आग पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगी। मुझे इस बात का खतरा है। मैं इस बात को कन्डैम करता हूं कि यह सरकार पिछले छः महीने में मणिपुर में क्यों चुनाव नहीं करा सकी। 45 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही और बहुत लोग सोचते थे कि कांग्रेस बहुत गलतियां कर रही हैं। उस दौरान बीजेपी की इमेज बनी थी कि यह बड़ी ईमानदारी पार्टी है, पैट्रियोटिक लोग हैं। अगर ये सत्ता में आयेंगे, तो शायद कुछ बेहतर कर देंगे। ये लोग सरकार में न आए होते, तो उनकी यह इमेज बनी रह जाती। सरकार में आकर यह गलती हो गई। दो साल से लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस ने कोई अच्छा काम किया, तो वे उसको दोहराना नहीं चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस की गलतियों को एक-एक करके बीजेपी की सरकार दोहराना चाहती है। इस सदन में यह जवाब दे दिया जाता है कि सौ बार आपने राष्ट्रपति शासन लगाया, हम भी लगा रहे हैं, तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं। आपको यह समझना चाहिए कि इन्होंने गलतियां कीं, तो इसीलिए ये इस तरफ बैठे हैं, वरना ये उस तरफ बैठे होते। अगर आप इस तरह गलतियां करेंगे, तो वह वक्त दूर नहीं कि आपको इधर आना पड़े।

मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का डैमोक्रेसी से कोई वास्ता नहीं है। मैं एक-एक करके मिसाल दे सकता हूं। मसला सिर्फ मणिपुर का नहीं है। मेरे एक साथी कह रहे थे, दल-बदल करके, पार्टियां तोड़कर, सरकारें बनाई हैं और डैमोक्रेसी का खून हो जाता है। मैं सिर्फ उनकी तकरीर और जुमले के कारण इस संकल्प का समर्थन करता हूं, लेकिन पूरी तकरीर ऐसी थी, अगर वे इधर खड़े होकर अपनी बात कहते, तो ऐसा लगता कि बीजेपी के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं। वे हमारे सोशलिस्ट भाई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के हालात देखिए। वहां आपने कैसे सरकार बनाई। कितने दलों को तोड़कर सरकार बनाई। कितने क्रिमिनल्स को सरकार में शामिल करके सरकार बनाई। आप इसे छोड़िए, आप मणिपुर में राष्ट्रपति शासन छः महीने के लिए बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं। वहां भी आपने छः महीने का समय बढ़ा दिया। हिन्दुस्तान के इतिहास में जहां पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव पांच साल में हो जाते थे, लेकिन अब साढ़े पांच साल में हो रहे हैं। इस काम को सही बताने के लिए तमाम आर्ग्युमेंटेस बीजेपी की सरकार दे रही है और अपनी पूरी ताकत लगा रही है। एसेम्बली के मैम्बर्स ने इस्तीफे दे दिए और सारे राजनीतिक दलों ने इस्तीफे दे दिए, लेकिन छः महीने की सत्ता का लालच बीजेपी को इस बात की इजाजत नहीं देता है कि वह उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं कराए। ...*(व्यवधान)* आज बीजेपी की सत्ता में सबसे नजदीक लोग हैं, वे वही लोग हैं, जो लोकसभा के चुनाव में हार चुके हैं। जिन लोगों के मश्विरे से सरकार चलती है, इससे पता लगता है कि इनका डैमोक्रेसी में कितना यकीन है। जसवंत सिंह जी की हम बड़ी इज्जत करते हैं, वे राज्य सभा से चुनकर आए हैं। बीजेपी के बड़े भारी नेता है और दल को पूरा मश्विरा देते हैं। अरुण शौरी जी, अभी तशरीफ रखते थे, राज्य सभा से चुनकर आए हैं। अरुण जेटली जी भी राज्य सभा से चुनकर आए हैं। श्रीमती सुषमा स्वराज पिछले चुनाव में हार गई, जनता ने उनको नकार दिया, लेकिन राज्य सभा से चुनकर आ गई। नायडू साहब भी राज्य सभा से चुनकर आए हैं। इनके अलावा देश के बड़े नेता, श्री प्रमोद महाजन जी भी राज्य सभा से चुनकर आए हैं। बीजेपी की पूरी सरकार इन नेताओं के कहने से चलती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनको कितना डैमोक्रेसी पर यकीन है, यह इस बात को साबित करता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आल्वी जी, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। आप विषय पर आइए। मणिपुर के बारे में जो बातें आपने कहीं है, ठीक हैं, लेकिन आप विषय पर बोलिए।

श्री राशिद अलवी: मैं इस हाउस को बतला रहा हूं। मैं अपनी बात लम्बी नहीं कर रहा हूं। मैं मिसाल देकर होम मिनिस्टर को बताना चाहता हूं कि सरकार सही कदम उठाएगी, तो देश ठीक चलेगा।

मणिपुर में जल्दी से जल्दी चुनाव होना चाहिए। उसमें छः महीने की देरी गलत हुई है। आप इसे छः महीने के लिए और एक्सटेंड कर रहे हैं लेकिन मेरा यह कहना है कि उससे पहले चुनाव हो जाने चाहिए वरना इस तरीके की हरकतों से देश में टैररिज्म पैदा होगा। हमें लोगों के ख्यालात और जजबात का ख्याल करना चाहिए, चाहे मणिपुर, कश्मीर या हिन्दुस्तान का कोई भी हिस्सा हो।

महोदय, मैं एक बात और कह कर समाप्त करूंगा कि जब सच्चाई से मुंह मोड़ा जाता है तब सीने में आग भड़कने लगती है। वही काम मणिपुर में हो रहा है। गृह मंत्री जी, उत्तर प्रदेश में, खासतौर से मेरी कांस्टीट्यूएंसी में, मणिपुर से उसका कोई सीधा ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब बात आई है तो मैं उसके रेफरेंस में कहना चाहता हूं। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में, रमजान का महीना चल रहा है, शाम को तराजें होती हैं। कांठ में फतेहपुर विश्व नाम की जगह है, जहां एक गांव विलायतपुर है। वहां मस्जिद मौजूद है लेकिन बीजेपी के नेता और सारा एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि मस्जिद मौजूद नहीं है। ...*(व्यवधान)* मेरी रिक्वैस्ट

[श्री रशिद अलवी]

है कि चाहे आप खुद चले जाइए, अपना कोई नुमाइंदा भेज दीजिए, पार्लियामेंट के मेम्बर्स का कोई डेलीगेशन भेज दीजिए और पता कर लीजिए। अगर इस तरह से होगा तो टेररिज्म को हवा कोई दूसरा नहीं देगा, बल्कि आपकी सरकार देगी। मस्जिद मौजूद है और यह कहा जा रहा है कि वहां मस्जिद नहीं है। डीएम और कमिश्नर कहते हैं कि वहां कभी नमाज नहीं हुई इसलिए अब वहां नमाज नहीं हो सकती। क्या आपने कभी कांस्टीट्यूशन नहीं पढ़ा? ...*(व्यवधान)*

हमारे मंत्री जी, शाह नवाज भाई को चिन्ता है लेकिन उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं है कि गांव में क्या हो रहा है। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि इन सारे मामलात के अंदर होम मिनिस्टर साहब को गौर करना चाहिए। मैं आपकी ईमानदारी की इज्जत करता हूं। आपकी ईमानदारी पर कोई शुबाह नहीं करता। इसलिए मैं जो बात कह रहा हूं वह किसी भेदभाव की वजह से नहीं कह रहा हूं। आपसे अदब के साथ दरखास्त कर रहा हूं कि इन सारी बातों पर आपको गौर करना चाहिए और मणिपुर के अंदर भी जल्दी से जल्दी इलैक्शन कराना चाहिए।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, इस सम्माननीय सदन में अधिकांश माननीय सदस्यों ने मणिपुर में अतिशीघ्र चुनाव कराने पर चिन्ता व्यक्त की है, उन्हीं माननीय सदस्यों के साथ मैं अपनी भावनाएं जोड़ता हूं। यह सही है कि मणिपुर हमारे देश का एक छोटा राज्य है, लेकिन हमें वहां की संस्कृति पर नाज है। राज्य भले ही छोटा हो लेकिन समृद्ध राज्य है। मणिपुर में जितनी जल्दी चुनाव हो सकें उनका प्रयास सरकार को करना चाहिए।

महोदय, अभी जैसे संतोष मोहन देव जी ने कहा था कि वहां पंचायत के चुनाव कराने की बात हो रही है, यह अत्यधिक विरोधाभास है कि पंचायत के चुनाव वहां हो सकते हैं लेकिन विधानसभा के चुनाव नहीं हो सकते। राज्यपाल की जो रिपोर्ट आती है, एक राजनैतिक कार्यकर्ता होने के नाते यह भी अत्यधिक चिन्ता का विषय है कि राज्यपाल का पद भी हमने राजनीति के दायरे में समेट दिया। कभी-कभी राज्यपालों की रिपोर्ट को भी हम अपनी सुविधानुसार बना लेते हैं। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पिछले छः महीने में मणिपुर में चुनाव हों, इसके लिए क्या व्यवस्थित और चरणबद्ध प्रयास किया गया? एक महीने में यह हुआ, दो महीने में यह करना था, तीन महीने में यह करना था। मेरा मानना है कि भारत सरकार की मणिपुर में चुनाव कराने की इच्छाशक्ति नहीं है, वरना एक व्यवस्थित प्रयास होता कि हमें दस, 15 दिन या एक महीने, दो महीने में यह करना है। सरकार संकल्प ले लेती कि छः महीने में हर कीमत पर मणिपुर की स्थिति को सामान्य बना कर उसे चुनाव लायक बना देना है तो मैं नहीं समझता कि कोई परिस्थिति ऐसी पैदा हो सकती थी कि आज सरकार को दोबारा इस सदन में आना पड़ता।

लेकिन यह प्रयास भारत सरकार ने और गृह मंत्रालय ने नहीं किया। यह सही है कि मणिपुर में बेरोजगारी और आर्थिक तंगी है। अभी मणिपुर के सांसद कह रहे थे कि वहां पर राज्यपाल महोदय को भी दो महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। यह स्थिति वहां है और वहां राज्यपाल का शासन यानी भारत सरकार का शासन है। माननीय आडवाणी जी राज्यपाल को तलब करेंगे तो राज्यपाल दौड़ा-दौड़ा चला आयेगा। यह ठीक है कि वहां की माली हालत खराब है और वहां पर बेरोजगारी है, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। इस दिशा में सरकार द्वारा सार्थक प्रयास हुआ है यह हम जानना चाहते हैं। माननीय आडवाणी जी से हम विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि भारत सरकार की स्थिति पहले से ही बुरी है और आपके खिलाफ आरोप लगते रहते हैं, इसलिए आप अपने पास कम काम रखें तो यह आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा और मणिपुर में जल्दी चुनाव हो सकें तो वहां के लिए भी अच्छा रहेगा। यह उचित ही होगा कि भारत सरकार पर कम से कम वजन और भार रहे।

सभापति महोदय, निर्वाचित सरकारों में अफसरशाही के ऊपर जनप्रतिनिधियों का मनोवैज्ञानिक असर होता है, नहीं तो अफसरशाही बेलगाम हो जाती है और राज्य में व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चलती है। माननीय आडवाणी जी, अगर आपने मणिपुर से सवाल पर ईमानदारी से प्रयास नहीं किया तो अनेकों बार इसको लेकर आप सदन में आयेंगे। मेरा अनुरोध है कि आपको ईमानदारी से बेरोजगारी के सवाल पर और सरकारी कर्मचारियों को जो तनख्वाह नहीं मिली है, उस ओर ध्यान देना होगा। मणिपुर में ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत में अगर लोकतांत्रिक सरकार नहीं है तो हमें खुले मन से उसके लिए प्रयास करना चाहिए और किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मेरा अनुरोध है कि आप मणिपुर में तत्काल चुनाव कराने की व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): सभापति महोदय, मणिपुर के बारे में जो बहस हो रही है उस पर मैं अपने विचार रखने की कोशिश करता हूं। सन् 1978 में श्री मोरारजी भाई पंथ-प्रधान थे। उसके बाद वे हट गये और उसके बाद माननीय चरणसिंह जी पंथ प्रधान बने और चव्हाण साहब उनके साथ हो गये। चरणसिंह जी और चव्हाण साहब के ऊपर वे बहुत नाराज थे। उनके पास 16 संसद सदस्य थे। काकड़े जी और मैं उनके पास गये और कहा कि हम श्री मोरारजी भाई को 16 आदमी देते हैं। उनके पास 6 आदमी कम थे। श्री मोरारजी भाई को अपना

प्रतिनिधि बनाने के लिए हम लोग उनके पास गये। हमें बोलने में डर लग रहा था। श्री मोरारजी भाई ने कहा कि यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जल्दी से जल्दी राजीनामा देता हूं। चव्हाण साहब साथ थे। लेकिन वे उस वक्त बिल्कुल इधर-उधर नहीं हिले। हमने मोरारजी भाई को देखा लेकिन उन्होंने नहीं माना। मणिपुर में लोकशाही नष्ट करने का जो पाप है वह तो समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का पाप है। इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन है। लेकिन पत्थर के समान लोग देखते रहे कि यह आदमी बहुत अच्छा है, यह पार्टी दल-बदलू नहीं है।

दल-बदलू का पाप समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यह ठीक नहीं है। राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, आडवाणी साहब जो प्रस्ताव लाए हैं मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। दो जून को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। संविधान की धारा 356 के मुताबिक 6 महीने राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार केन्द्र सरकार को है। मणिपुर में 6 महीने के अन्दर चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी। आडवाणी जी 6 महीने और राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का जो प्रस्ताव लाए हैं, मैं उसका विरोध करता हूं। मणिपुर में समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच विवाद पैदा हुआ जिसके कारण वहां की सरकार गिर गई और वहां राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। हम चाहते हैं कि यहां भी इसी तरह का विवाद पैदा हो और उसके बाद जल्दी से जल्दी यह सरकार गिर जाए, ऐसी हमारी इच्छा है लेकिन यह सरकार शायद जल्दी नहीं गिरेगी। मणिपुर की स्थिति में सुधार लाने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। वहां शांति लाने का प्रयास करना चाहिए और 6 महीने में वहां चुनाव होने चाहिए ऐसी हमारी मांग है। आशा है आप हमारी इस मांग को स्वीकार करेंगे। यही हमारी भूमिका है।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): माननीय सभापति महोदय, सभी सदस्यों का मैं आभारी हूं जिन्होंने मोटे तौर पर इस प्रस्ताव का समर्थन किया। शायद एक-आध ने कहा कि मैं इसका विरोध करता हूं, अन्यथा प्राय: सभी वक्ताओं ने इस बात को पहचाना कि आज जब हम राष्ट्रपति शासन के टैन्योर के छ: महीने पूरे होने के निकट हैं, यही उपयुक्त होगा कि छ: महीने बढ़ा कर यह तय करें कि चुनाव जल्दी से जल्दी हों। लगभग सब लोगों ने चुनाव जल्दी होने चाहिए, इस बात पर बल दिया। मैं समझता हूं कि यह बात स्वाभाविक है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यूं तो दो जून को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था लेकिन इस बात की जानकारी सभी को है कि उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के कारण, इसके बाद से यह व्यवस्था बन गई कि पहले जब राष्ट्रपति शासन लागू होता, तब सदन भंग नहीं हो सकता जब तक संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति शासन के पक्ष में प्रस्ताव न पारित करें। प्रस्ताव जुलाई के अंत में पारित हुआ। इसलिए सितम्बर के आरम्भ में सदन भंग हो गया और जिस को बाकायदा राष्ट्रपति शासन का टैन्योर कहें, उसको माना जा सकता है। यूं तो टैक्निकली जून में ही शुरू हुआ लेकिन यह भी सबको ज्ञान है कि जून और जुलाई के महीने जब तक तीन शब्दों का विवाद बना था तब तक वहां मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बाद भी अशांति ज्यों की त्यों थी। मणिशंकर अय्यर जी ने उन तीन शब्दों के ऊपर विवाद का जिक्र किया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अभी तक इस बात का ज्ञान नहीं है कि वे तीन शब्द हैं या नहीं? मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि वे तीन शब्द अब उसमें नहीं हैं जिस के कारण सारी अशांति पैदा हुई थी विदआउट ज्योग्राफिकल लिमिट्स वे अब उस समझौते में नहीं हैं। उसके बाद भी दो साल हो चुके हैं एक अभी डेढ़ महीने पहले हुआ था जिस में चर्चा आगे बढ़ती है, सेस्सेशन आफ हास्टेलिटीज ज्यों की त्यों है, उसमें कोई फर्क नहीं है।

अपराह्न 5.00 बजे

श्री मणिशंकर अय्यर या बाकी सब सदस्यों की जो इच्छा है, मैं उससे सहमत हूं। यह स्वाभाविक है कि जब उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तरांचल राज्यों के चुनाव होने हैं तो मणिपुर का चुनाव भी उस समय हों, यह उपयुक्त होगा। मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग यही चाहेगा, हम भी यही चाहेंगे, सदन भी यही चाहता है लेकिन चुनाव आयोग ने कोई घोषणा नहीं की। यह अंदाज जरूर है कि इस समय तक इन राज्यों की टर्म पूरी होगी। मैंने आपको यह भी बताया कि इस अधिवेशन के शुरू होने से पहले राज्यपाल से पूछा गया था कि स्थिति क्या है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि फरवरी-मार्च तक हो सकते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं सदन के सभी सदस्यों की राय से सहमत हूं। इस मामले में वहां की स्थिति को देखना होगा। यहां पर आउटर मणिपुर के सांसद श्री ए. हौकिप ने कहा कि चुनाव नहीं होना चाहिये। उन्होंने तो यहां तक कहा कि न केवल फरवरी-मार्च तक बल्कि वहां तो अभी चुनाव होने की स्थिति ही नहीं है। संविधान के पास 6 महीने का आप्शन है कि जून, 2002 से पहले चुनाव होना चाहिये। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि अप्रैल में चुनाव हो सकता है लेकिन मई में बारिश हो जाती है। इसलिये फरवरी-मार्च का महीना स्वाभाविक तौर पर ठीक रहेगा। आज संसद में फरवरी-मार्च की बात हो रही है, कल चुनाव आयोग या गर्वनर कहें कि इस बात का पालन करना होगा। इसलिये आप लोगों की इच्छा के साथ सरकार को जोड़ते हुये यह कहूंगा कि वहां चुनाव आयोग और राज्यपाल महोदय द्वारा स्थिति का जायजा लेने के आधार पर निर्णय होगा। मैं मानता हूं कि हर दृष्टि से ठीक निर्णय लेना होगा और आप मुझे कहें कि मेरे ऊपर बोझ कम हो जायेगा जो सेहत के लिये अच्छा है।

एक माननीय सदस्य: यह ठीक ही रहेगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: यह हमारे लिये अच्छा रहे या न रहे, इसकी चिन्ता नहीं लेकिन हमारे लोकतंत्र के लिये अच्छा होगा, इसलिये होना चाहिये। इस मामले पर चर्चा के समय बार-बार डिफैक्शन पर चर्चा की गई जिसके कारण वहां इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई। यह सही बात है। यहां पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बैठे हुये हैं जिन्होंने बहुत लम्बी-चौड़ी एक्सरसाइज की है। हम तो अपेक्षा करते थे कि उसमें से कुछ न कुछ निकलेगा और सरकार कोई प्रस्ताव लायेगी और ऐंटी-डिफैक्शन ला में संशोधन किया जायेगा लेकिन हमारा वर्षों का अनुभव है और उसका परिणाम यह हुआ कि जिस दल-बदल को गलत मानते हैं, अपराध मानते हैं, वह दल-बदल एक सिंगुलर पार्टी है, प्लुरल में नहीं। अगर अकेला आदमी दल-बदल करे तो अपराध है और यदि अधिक करें तो वह अपराध नहीं। सचमुच स्थिति को देखते हुए इस बात पर पुनर्विचार होना चाहिये। हमने जिस स्पलिट की कल्पना की थी, उसके कारण ही प्रैक्टीकली यह एंटी-डिफैक्शन लॉ इनइफैक्टिव हो गया है।

इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और जहां तक नार्थ ईस्ट की बात है, जहां तक छोटे राज्यों की बात है, उन छोटे राज्यों में जब तक यह स्थिति बनी रहेगी कि साठ का कुल सदन है, रूलिंग पार्टी 42 की है या मिली-जुली, कोएलीशन 42 की है और उसमें से 40 मंत्री बनेंगे, जब तक यह स्थिति बनी रहेगी और मणिपुर जैसी घटनाएं होती रहेंगी। ये घटनाएं अच्छी नहीं हैं।

सभापति महोदय, एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि वहां के लोग चाहते थे कि सरकार बन जाए, लेकिन केन्द्र के लोग नहीं माने, उन्होंने कहा कि सरकार नहीं बनने देंगे।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले: सभापति जी यही बोल रहे हैं, केन्द्र में यही हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं मानता हूं कि इन सारे सवालों पर सोचते हुए हमें एन्टी डिफैक्शन लॉ के बारे में, मंत्रिमंडल के आकार के बारे में विचार करना चाहिए। उसमें से कई अच्छी बातें निकलेंगी। फिलहाल मैं इतना कहना चाहता हूं और उन सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और इस बात पर जरूर बल दिया कि अच्छा होगा कि इसके चुनाव भी बाकी प्रान्तों के चुनावों के साथ फरवरी, मार्च में हो जाएं। सरकार की भी यही इच्छा है। लेकिन सरकार की इच्छा पूरी करने के लिए हमें वहां के राज्यपाल और यहां के इलैक्शन कमीशन से सलाह करनी पड़ेगी, यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): सभापति महोदय, गृह मंत्री जी ने यहां पर जो कहा है उससे हमारा आधा समाधान होता है, पूरा समाधान नहीं होता है। वह कह रहे हैं कि हमारी भी इच्छा जल्दी से जल्दी दूसरे प्रान्तों के साथ इलैक्शन करवाने की है, यह समाधान देने वाली बात है। मगर हमारा आपसे असमाधान वहां शुरू हो जाता है जहां से वह आगे नहीं बढ़ना चाहते, जैसे वह आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। हम यह समझते हैं कि इलैक्शन कमीशन को यह निश्चित करना है कि इलैक्शन कब होना है। अगर उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं कर सकता तो आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। मगर इलैक्शन कमीशन को भी सरकार पूछती है कि हमें इस समय इलैक्शन करना है और उस राय के हैं या नहीं, उस समय सरकार की तरफ से जो मदद की जरूरत है, वह मिलेगी या नहीं मिलेगी और यह इलैक्शन करना दुरूस्त है या नहीं, इसके लिए इलैक्शन कमीशन भी सरकार से बातचीत करता है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि उसके ऊपर इलैक्शन कमीशन सरकार से बात करेगा, गृह मंत्रालय से बात करेगा, केन्द्र सरकार से भी बात करेगा तो गृह मंत्री और सरकार की तरफ से यह कहा जा सकता है, हमें आश्वासन दिया जा सकता है कि हमारी तरफ से हम इलैक्शन करने का पूरा प्रयास करेंगे, यदि कोई चीज आपके हक में नहीं है तो उसके लिए आपको जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता। मगर आप इतना तो यह सकते हैं कि दूसरे प्रान्तों के साथ इलैक्शन करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। यदि इतना भी हमें कह दिया तो मैं समझता हूं कि यह अच्छा होगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: श्री शिवराज पाटील जी ने जो बात कही है मैं समझता हूं कि मैंने पहले भी कहा था, उसकी भावना भी यही थी कि हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। हमारी तरफ से पूरा प्रयास होगा कि बाकी प्रांतों के साथ चुनाव हो जाएं।

श्री मणि शंकर अय्यर: सभापति महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं। अभी जो जवाब दिया गया है, मुझे उस पर एक सवाल करना है। गृह मंत्री महोदय का यह कहना है कि वे तीन शब्द जिन पर चर्चा हुई थी, वे अब नहीं हैं। मैं मानता हूं कि माननीय गृह मंत्री के दृष्टिकोण में वे तीन शब्द नहीं हैं। लेकिन क्या एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) ने मंजूर कर लिया है कि वे तीन शब्द नहीं है और यदि उन्होंने इसे मंजूर कर लिया है तो उसके सबूत देश के और सदन के सामने पेश करने का कष्ट करें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: वे अगर यह नहीं मानते तो उसके आगे बात नहीं होती। बात हुई है, उसके बाद दो राउन्ड्स हुए हैं और मैं मानता हूं कि यदि प्रधान मंत्री जी कोई बात कह दें और फिर सदन में सरकार की ओर से कहा जाए, उसके आगे बढ़कर कोई अखबार में छपी हुई चीज का वजन नहीं है, यह तो कम से कम मानना चाहिए।

श्री मणि शंकर अय्यर: वह एक लिखित समझौता है, जिसमें आपके हस्ताक्षर भी हैं और एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के हस्ताक्षर भी हैं। यदि हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होता तो मैं यह सवाल नहीं करता। लेकिन जब 14 जून को उस समझौते पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हैं, मैं देखना चाहता हूं कि ऐसा कोई दस्तावेज हमारे सामने आये जिस पर एन.एस.सी.एन. (आई. एम.) का भी हस्ताक्षर हो।

सभापति महोदय: माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है।

अब प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा मणिपुर के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी 2 जून, 2001 की उद्घोषणा को 2 दिसम्बर, 2001 से और 6 माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

संकल्प स्वीकृत हुआ

अपराह्न 5.10 बजे

सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम मद संख्या 15 पर विचार करेंगे।

श्री मुनि लाल

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): सभापति महोदय, डा. सत्यनारायण जटिया की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सिनेमा-कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

जैसा कि माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि सिनेमा-कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 एक प्रगतिशील सामाजिक कल्याण विधान है, जो कि सिनेमा-कर्मकारों के लाभ के लिए अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम में सिनेमा-कर्मकारों तथा उनके परिवार के सदस्यों को कल्याणकारी उपायों, जैसे कि स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा तथा शैक्षणिक सहायता जैसी सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित फीचर फिल्मों पर लगाए जाने वाले उपकर और उत्पाद शुल्क के वसूल की जाने वाली राशि का एक कोष (कार्पस फन्ड) गठित किया जाएगा। जिसे सिनेमा-कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1981 की धारा 5 के अंतर्गत भारत की संचित निधि में जमा कराया जाएगा।

इस कोष का उपयोग सिने उद्योग में लगे सिनेमा-कर्मकारों के कल्याणार्थ उन्हें धन उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा।

इस समय करीब 63,000 सिनेमा-कर्मकार देश में हैं, इसमें से 30,000 कर्मकारों को चालू कल्याण स्कीमों से लाभ हो रहा है। इसका कारण यह है कि इस अधिनियम के अंतर्गत विहित विद्यमान मजदूरी/पारिश्रमिक एक तरह से महत्वहीन हो गये हैं क्योंकि काफी समय से मजदूरी/पारिश्रमिक में वृद्धि के कारण बड़ी संख्या में ये कर्मकार सिनेमा-कर्मकार की परिभाषा से बाहर हो जाते हैं।

इस अधिनियम के अंतर्गत सिने कर्मकारों को कल्याणकारी सुविधाओं का पात्र बनाने के लिए धारा 2 की उपधारा एक (ख) के अंतर्गत, जहां पारिश्रमिक स्थानिक मजदूरी के रूप में दिया जाता है वहां 1600/- रुपए और जहां एक मुश्त दिया गया है वहां 5000/- रुपए की अधिकतम सीमा निहित की गई है। इस सीमा में परिवर्तन 1987 में एक अधिनियम में एक संशोधन के माध्यम से किया गया। तब से सिनेमा कर्मकारों की मजदूरी। पारिश्रमिक में काफी वृद्धि हुई है। चूंकि कीमतों में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है अतः अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी/पारिश्रमिक की सीमा बढ़ाए जाने की मांग निरंतर की जाती रही है ताकि ऐसे सिनेमा कर्मकार जो वर्तमान समय में मजदूरी/पारिश्रमिक में वृद्धि के कारण सिनेमा कर्मकार की परिभाषा की परिधि से बाहर हैं, उन्हें इस अधिनियम के प्रयोजन से सिनेमा कर्मकार की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जा सके।

उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर तथा सिनेमा कर्मकार की परिभाषा के अंतर्गत अब तक शामिल न किए गए अनेक सिनेमा कर्मकारों को कल्याण संबंधी प्रावधानों के दायरे में लाने की दृष्टि से यह प्रस्ताव किया जाता है कि सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 की धारा 2(ख) में दी गई मजदूरी/पारिश्रमिक की अधिकतम

[श्री मुनिलाल]

सीमा को समाप्त कर दिया जाए और सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम 1981 की धारा 2(ख) में संशोधन द्वारा केन्द्र सरकार को समय-समय पर भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी करके सिनेमा कर्मकारों की मजदूरी/पारश्रमिक निर्धारित करने का प्राधिकार दिया जाए ताकि यदि अनावश्यक और वांछनीय समझा जाए तो सिनेमा कर्मकारों के पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा में वृद्धि को अधिनियम में बार-बार संशोधन किए बिना समय-समय पर अधिसूचित किया जा सके।

सिनेमा निधि पर गठित केन्द्रीय मंत्रणा समिति की 2.5.2000 को हुई चौथी बैठक में यह सिफारिश की गई है कि जहां पारिश्रमिक मासिक मजदूरी के रूप में दिया जाता है वहां आय सीमा 8,000 रु. और जहां एक-मुश्त दिया जाता है वहां 1,00,000 रुपये के रूप में अधिसूचित की जाएगी। इस संशोधन से लगभग 33,000 सिने-कर्मकार लाभान्वित होंगे और इस प्रकार कल्याण उपबंधों के अंतर्गत लगभग 63,000 सिने-कर्मकार शामिल हो सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सम्मानित सभा इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करे।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि सिनेमा-कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): आदरणीय सभापति महोदय, हालांकि हम विधेयक का समर्थन कर रहे हैं किंतु हम कुछ ऐसी समस्याओं को भी उठाना चाहेंगे जिनसे सिने-कर्मकारों को जूझना पड़ता है और जिन्हें इस संशोधन अधिनियम में पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है।

देखने में भले ही यह संशोधन बहुत साधारण हो सकता है किंतु इसके साथ-साथ हमें यह भी देखना है कि इससे कर्मकारों के लाभ होगा भी या नहीं। यह अधिनियम उद्योग में लोगों के कल्याण के लिए है। यह उद्योग एक समय काफी मजबूत स्थिति में था लेकिन अब इसमें अस्थिरता है। यहां तक की परिभाषा में यह कहा गया है, 'जिसका किन्हीं पांच कथा फीचर फिल्मों में से प्रत्येक के निर्माण में या उसके संबंध में पारिश्रमिक' अत: इस अधिनियम से लाभ प्राप्त करने के लिए 'पांच कथा फिल्मों' कथन का उल्लेख किया गया है। अब ऐसा कोई निर्माता नहीं है जिसने पांच कथा फिल्मों को पूरा कर लिया हो। एक फिल्म से ही निर्माता उद्योग से बाहर हो जाते हैं। इसलिए इस अधिनियम से कोई सहायता नहीं मिलेगी। वर्तमान स्थिति में इस संशोधन से भी लाभ नहीं होगा। फिल्म उद्योग फिल्मों की चोरी (पायरेसी) और टी.वी. में दिखाए जा रहे बड़े धारावाहिकों से जिन्होंने आज फिल्मों का स्थान ले लिया है। पूरी तरह बर्बाद हो गया है।

पूरे भारत में फिल्म उद्योग पर एक करोड़ से भी अधिक लोग आश्रित हैं किंतु इस उद्योग का पूरी तरह से ध्यान न तो केन्द्र सरकार द्वारा और न ही राज्य सरकारों द्वारा रखा जा रहा है। इस स्थिति में, ऐसे लोगों का पता लगाना कठिन है जिन्हें पांच कथा फिल्मों से पारिश्रमिक प्राप्त हुआ है। इस प्रकार, क्या संशोधन सिने-कर्मकारों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा?

उद्देश्यों और कारणों के कथन में उन्होंने कहा है कि निर्माणाधीन योजनाओं के अंतर्गत शामिल कर्मकारों की संख्या कम है। इसका कारण यह है कि इस अधिनियम के अंतर्गत विहित मजदूरी और पारिश्रमिक की सीमा अब महत्वहीन हो गई है और इसलिए अनेक कर्मकार समय के साथ मजदूरी में वृद्धि होने के कारण सिने-कर्मकार की परिभाषा के दायरे से बाहर रह गए हैं। यह एक कारण तो हो सकता है किंतु यही एक मात्र कारण नहीं है। कारण यह है कि संपूर्ण उद्योग पर विचार नहीं किया गया है।

सिनेमा के क्षेत्र से जुड़े औद्योगिकी कर्मकार की अब इसमें शामिल हैं क्योंकि यह अधिनियम दो और अधिनियमों से सम्बद्ध है। उनमें से एक है- सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थियेटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981। इस अधिनियम के अंतर्गत, एक कर्मकार को समझौते के अनुरूप अपने आपको इसमें पंजीकृत कराना होता है, तभी वह ऐसा कर्मकार बन सकता है जो सिनेमा कर्मकारों के कल्याण अधिनियम से लाभान्वित हो सके।

अब सिने-कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1981 के अंतर्गत उद्‌गृहीत उपकरण आता है। मैं इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहां सिनेमा कर्मकार की परिभाषा इस संशोधन में दी गई परिभाषा से कहीं अधिक व्यापक है। सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थियेटर कर्मकार (नियोजन कर विनियमन) अधिनियम, 1981 की धारा 2(ग) (ii) के अंतर्गत यह कहा गया है, ऐसे नियोजन के संबंध में अथवा ऐसी कथा फिल्मों के निर्माण के संबंध में जिनका पारिश्रमिक 1,600 प्रति माह दिए जा रहे पारिश्रमिक से अधिक नहीं होगा। इस अधिनियम में 15,000 रुपये की अधिकतम सीमा का प्रावधान भी है किंतु इसके साथ-साथ बाजार में उपलब्ध हर संभावना के विस्तार की कार्यवाही शक्ति प्राप्त करने के लिए एक संशोधन लाया गया। इसका अभिप्राय यह हुआ कि इस परिभाषा से उन्हें लाभ नहीं होगा। सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थियेटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981 की ही तरह जब वर्तमान अधिनियम में संशोधन किया जाता है जिसके अंतर्गत एक कर्मकार को स्वयं को सिने-कर्मकार के रूप में

पंजीकृत करना पड़ता है तो इस अधिनियम में पंजीकरण का प्रावधान समाप्त नहीं होने वाला। इसलिए इस अधिनियम की धारा 2(ग) (ii) में संशोधन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम के द्वारा लागू होने वाली कार्यकारी शक्ति में भी संशोधन किया जाना चाहिए। अन्यथा इस संशोधन से सिनेमा कर्मकारों की कोई सहायता नहीं होगी क्योंकि जब तक वे सिनेमा कर्मकारों के रूप में पंजीकृत नहीं होंगे और जब तक उनके समझौते अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं होते तब तक वे अधिनियम में दी गई परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएंगे।

इसी प्रकार में सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि उपकर अधिनियम में भी संशोधन किया जाना चाहिए क्योंकि वह बहुत कम है। 1981 में इस पर विचार किया गया था।

महोदय, मैं धारा 3 (1) पढ़ूंगा:

"सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 के प्रयोजनार्थ प्रत्येक कथा फिल्म पर ऐसी दर से उत्पाद शुल्क उपकर के रूप में उद्गृहीत और संग्रहीत किया जाएगा जो एक हजार से अन्यून और बीस हजार रुपए से अनधिक होगा जैसा कि केन्द्र सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी।"

महोदय, 20,000 रुपये की राशि बहुत छोटी राशि है क्योंकि फिल्म के निर्माण में करोड़ों रुपये की लागत आती है। जब ऐसा है तो इसमें भी संशोधन होना चाहिए। इस निधि में वृद्धि की जानी चाहिए क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर बढ़ाया जा रहा है। इसलिए, वहां निधि होनी चाहिए। तभी कर्मकार लाभान्वित हो सकेंगे।

महोदय, 1983 में किए गए अंतिम संशोधन में तत्कालीन माननीय मंत्री ने यह प्रस्तावित किया था कि गांधी फिल्म के नाम पर उन्हें एक करोड़ रुपये या उससे अधिक मिलेंगे। अतः उस निधि से भी वे कर्मकारों की सहायता करेंगे। लेकिन अब 20,000 रुपये एकत्र किए गए हैं। यह बहुत ही छोटी राशि है। निधि में बढ़ोत्तरी के लिए इसमें संशोधन करना चाहिए ताकि सिनेमा कर्मकारों को उचित प्रकार से लाभ मिल सके क्योंकि कर्मकारों की सहायता करना जरूरी है और यह राशि इन कर्मकारों की छात्रवृत्ति, परिवार नियोजन के लाभ प्रदान करने और दूसरी कल्याण गतिविधियों से जुड़ी है।

किंतु इसके साथ-साथ मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए कर्मकार का पंजीकरण बहुत बड़ा काम है क्योंकि इसमें कलाकार, अभिनेता सिनेमा कर्मकार और सभी प्रकार के कर्मकार शामिल हैं। किंतु एक अधिनियम के अंतर्गत तीसरे व्यक्ति के रूप में पंजीकृत होना एक कठिन कार्य है क्योंकि संगठित क्षेत्र के कर्मकारों के अपने एसोसिएशन हैं।

महोदय, किसी 'एसोसिएशन' में घुसना अपने आप में एक बड़ी समस्या है। कई लोगों को अपने लिए कार्ड लेने की अनुमति नहीं दी जाती। उन्हें कई वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और उसके आधार पर संगठित एसोसिएशनों को नियंत्रित करने वाले कर्मकारों को ही कर्मकार के रूप में माना जाएगा। इसलिए, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार इस पहलू पर भी विचार करे। अतः एक ऐसा विस्तृत अधिनियम होना चाहिए जो कर्मकारों को समुचित संदर्भ में सहायता पहुंचा सके।

महोदय, इसी प्रकार में सरकार का ध्यान सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थियेटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981 की धारा 61 की ओर दिलाना चाहूंगा। धारा 16 में एक परिभाषा है। मैं उद्धृत करता हूं:

"प्रत्येक सिनेमा कर्मकार पर जिसने कम से कम तीन कथा फिल्मों में एक या अधिक निर्माताओं के साथ कार्य किया है, ऐसा लागू होगा मानो ऐसा सिनेमा कर्मकार इस अधिनियम के अर्थ के भीतर कर्मचारी हो।"

यह कुछ अधिक व्यापक है क्योंकि यह अधिनियम में तीन कथा फिल्में देना चाहता है किंतु इसके साथ इसका दायरा बड़ा किया गया है- मानो कि सिने-कर्मकार ने एक या अधिक निर्माताओं के साथ काम किया हो। लेकिन यह वर्तमान संशोधन सीमित है। इसमें यह उपबन्ध किया गया है कि निर्माता को पांच कथा फिल्मों का निर्माण करना चाहिए तभी उसे इसका लाभ मिलेगा। इसका अभिप्राय यह है कि यह पूरी तरह से स्वेच्छाचारी है। यह धारा 16 के अंतर्गत स्थापित सिद्धांतों के विरुद्ध है जिसमें उन्हें एक कर्मकार के रूप में पंजीकृत होना पड़ता है। यहां वे ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए, मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि एक ऐसा विस्तृत अधिनियम होना चाहिए जो सभी तीन अधिनियमों को समाहित करे ताकि सभी को इससे लाभ प्राप्त हो सकें।

अब, टेलीविजन में दिखाए जा रहे बड़े धारावाहिकों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया हो। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति में हम पायरेसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध कर चुके हैं। निर्माताओं, वितरकों और थियेटर मालिकों ने संपूर्ण भारत में भूख हड़ताल, जुलूस और आंदोलन निकाले हैं। कलाकारों व उसकी एसोसिएशनों और सभी ने यह किया क्योंकि

[श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

पायरेसी, उद्योग को चौपट कर रहा है। जिस प्रकार एन्थ्रेक्स द्वारा लोग मारे जा रहे हैं, उसी प्रकार नकली कैसटों से फिल्म उद्योग मारा जा रहा है। इसका अर्थ है कि धीरे-धीरे करोड़ों लोग मारे जायेंगे और ऐसा ही हो रहा है।

यहां तक कि एक नयी फिल्म, जो सिर्फ एक सप्ताह पुरानी होती है, की नकली सी डी बनाई जाती है और इसे मिनी बसों और ओमनी वैनों में दिखाया जाता है। इन्हें देश भर में फिल्मों के प्रदर्शित होने से पहले ही भेज दिया जाता है। यहां तक कि टी वी चैनल भी इन्हें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उद्योग और कर्मकार किस प्रकार नुकसान उठाते हैं। सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

इसी प्रकार, मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं, जो बड़े धारावाहिकों के बारे में है। बड़ी संख्या में कर्मकार, अभिनेता और कलाकार अब टी वी धारावाहिकों की ओर जा रहे हैं। किन्तु क्या टी वी धारावाहिकों पर कोई उपकर लगाया गया है? क्या उनसे कोई राशि वसूली गयी है? वे पैसा बना रहे हैं। धारावाहिकों के बीच में विज्ञापन दिखा कर वे पैसा कमा रहे हैं किन्तु कर्मकारों के कल्याण के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री ई.एम. सदुर्शन नाच्चीयपन: जी हां महोदय, मैं अब अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, हमारे दल से मात्र यही अकेले वक्ता हैं।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: इसलिए, मैं सरकार का ध्यान बड़े धारावाहिक और धारावाहिकों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो आज कल प्रचलन में हैं और जिन्होंने फिल्म जगत की लोकप्रियता को छीन लिया है। फिल्म जगत में, करोड़ों रुपये का निवेश होता हैं लेकिन एक धारावाहिक बनाने के लिए दिन-प्रतिदिन के विज्ञापनों से अर्जित आय ही पर्याप्त है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया उनके बीच में व्यवधान न डालें।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: वे इसलिए हस्तक्षेप कर रहे हैं क्योंकि वे अपने नेता को बचाना चाहते हैं, क्योंकि सन टीवी पूरे फिल्म उद्योग पर कब्जा जमा रहा है।

एक माननीय सदस्य: जया टीवी के बारे में आपका क्या विचार है?

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: यह भी इसमें शामिल है, लेकिन उस पर उतने अधिक विज्ञापन नहीं दिखाए जाते जितने सन टीवी पर दिखाए जाते हैं।

फीचर फिल्म का अर्थ है, एक पूरी अबधि का चलचित्र जिसे पूर्णतः या अंशतः भारत में बनाया गया है, जिसका एक निश्चित स्वरूप हो और कई चरित्रों को लेकर एक कहानी बुनी गयी हो, जहां कथानक केवल कथन, चल रेखाचित्रों या कार्टून प्रदर्शन द्वारा नहीं बल्कि मुख्यतः वार्तालाप द्वारा स्पष्ट होता है और जिसमें विज्ञापन फिल्म शामिल नहीं हो। यही परिभाषा बड़े टीवी धारावाहिकों पर भी लागू होती है। लेकिन, साथ ही, वे इनको बनाने पर एक भी पैसा खर्च नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें विपणन के तरीकों से अत्यन्त सरलता से धन उपलब्ध हो जाता है। वे विज्ञापन एकत्र कर रहे हैं और उन्हीं कर्मियों को काम में ला रहे हैं जो सिने जगत में कार्यरत हैं। वही कलाकार, वही कर्मी यहां भी काम में लाए जा रहे हैं। इसलिए, उन्हें उपकर देना चाहिए जिससे एक उपकर कोष बन सके। साथ ही, इस क्षेत्र में कार्यरत कलाकारों को कानून बनाकर संरक्षण दिया जाना चाहिए। उनके लिए सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए क्योंकि यह उद्योग कई प्रतियोगिताओं का सामना कर रहा है। एक कर्मकार या एक कलाकार हमेशा के लिए फिल्म उद्योग में नहीं रह सकता। प्रतियोगिता के कारण उन्हें बाहर भी निकाला जा सकता है। इसलिए कलाकारों और कर्मकारों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। कर्मकार की परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे उस व्यक्ति को भी संरक्षण मिले जो अभी-अभी व्यवसाय में आया हो। यदि वह एक या दो वर्ष तक कार्य करता है तो शासकीय आदेश लागू होने की स्थिति में भी उसे संरक्षण मिलना चाहिए। मैं इस संशोधन में मात्र एक शब्द के शामिल होने के कारण इसे एक दृष्टि से उचित समझता हूं। इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि 'केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथा निर्दिष्ट राशि चाहे मासिक या एक मुश्त या किस्तों के द्वारा से अनधिक्य न हों।' 'किस्त' शब्द किसी अन्य अधिनियम में नहीं मिलता। यह शब्द अत्यन्त उपयोगी है क्योंकि कर्मकारों को किस्तों में भुगतान किया जाता है। इस प्रकार की प्रगति होनी चाहिए, इस प्रकार ध्यान दिया जाना चाहिए और एक अधिक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए जिससे सभी तरह से कर्मकारो और उद्योग को संरक्षण मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, सिनेमा-कर्मकार कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, जो 1981 में अधिनियमित किया गया था और इसमें 1987 में संशोधन किया था, उसमें आगे और संशोधन किया जा रहा है। विधेयक, 2000 में लाया गया था और अब हम 2001 में हैं। इस विधेयक की मुख्य प्रमुख विशेषताएं यह है कि पिछले विधेयक में 1000 रुपये से 1,600 और एकमुश्त धन राशि के रूप में रुपये 5000 और रुपये 8000 का जिक्र था।

अब इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में असीमित निधियों के बारे में ऐसा कोई शब्द नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यह 'असीमित निधियां या न्यूनतम' हो। वास्तव में संशोधन यह होना चाहिए कि सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि के लिए एक न्यूनतम राशि होगी और अधिकतम को बढ़ाया जाना है। यह स्पष्ट नहीं है कि अधिकतम राशि कितनी होगी पिछले वक्ता ने अधिनियम, 1981 की धारा 16 तथा अन्य अधिनियम की चर्चा की है और कहा कि इन्हें संशोधित किया जाना चाहिए।

यह बहुत ही छोटा संशोधन विधेयक है, इसका विरोध करने का कोई सवाल नहीं है। वास्तव में अब कोई भी निर्माता पांच फिल्में नहीं बना सकता अतः इस पर विचार होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसमें न केवल कर्मकार ही नहीं बल्कि कलाकारों को भी शामिल किया जाना चाहिए। क्या आप श्री प्रदीप कुमार का नाम जानते हैं, जो जब 70 वर्ष की अवस्था में मरणासन थे तो उनकी देख-भाल करने उनके पास कोई नहीं था क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। मैंने डेढ़ महीना पहले एक दूरदर्शन कार्यक्रम देखा था जिसमें उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद उनके पास पैसे नहीं थे। एक कार्यक्रम संयोजक या शुभचिंतक ने श्री कुमार की सहायता के लिए पैसा दिया। मैं समझता हूं कि इस विधेयक को और व्यापक होना चाहिए और इसमें न केवल सिनेमा कलाकारों को बल्कि कर्मकारों को भी शामिल किया जाना चाहिए, जो सिनेमा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मैं यह भी महसूस करता हूं कि संशोधित विधेयक के प्रारूप में थिएटरों को भी शामिल किया जाना चाहिए। नाट्यशाला 'जात्रा' कलाकार जिन्होंने भी एक अहम भूमिका निभाई है को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। हमारे पश्चिम बंगाल राज्य में एक कलाकार हैं श्रीमती ज्योतसना दस जिन्होंने कई जात्रों में अहम भूमिका निभाई हैं। वे परेशानी में हैं और उनकी देख-भाल करने के लिए कोई नहीं है। वामपंथी महिला संगठन, आल इंडिया डिमोक्रेटिक वीमन आर्गनाइजेशन ने उन्हें कुछ आर्थिक सहायता दी है। यह बहुत बुरी स्थिति है। अतः इसमें न केवल सिनेमा कर्मकारों को बल्कि कलाकारों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस विधेयक को और भी व्यापक होना चाहिए।

आपने उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा है कि कर्मकारों की संख्या 63000 है। परन्तु यह आंकड़े केवल 63000 नहीं हैं बल्कि इससे भी अधिक हैं, यदि आप संपूर्ण भारत की, जहां कई धारावाहिक और बड़े धारावाहिक तैयार किये जाते हैं, स्थिति पर ध्यान दें तो कर्मकारों एवं कलाकारों की संख्या और इससे भी अधिक है। उनकी भी देखभाल होनी चाहिए। महिला कलाकारों, कर्मकारों तथा उनके परिवारों की देखभाल के लिए, एक व्यापक कानून बनाया जाना चाहिए।

मैं समझता हूं जब कर्मकार संगठित हों तो यह एक अच्छी स्थिति होगी। सिनेमा कर्मकारों को ट्रेड यूनिटन के अधिकार दिये जाने चाहिए क्योंकि यदि उनके पास यह अधिकार होंगे तो वे अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे अन्यथा नहीं, अतः उन्हें ट्रेड यूनियनों के अधिकार दिये जाने चाहिए। मैं एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में एक व्यापक कानून बनाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, सिनेमा कर्मकार कल्याण विधेयक में संशोधन के लिए प्रस्ताव आया है। मूल रूप से यह 1981 का कानून है और उसमें कहा गया है कि परिभाषा में बदलाव करना है। चूंकि मंहगाई बढ़ने से पैसा बढ़ जाता था, 1600 माहवारी से 8000 तक एकमुश्त वाला कर्मचारी माना जायेगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा, लेकिन पैसा बढ़ जाने से परिभाषा गलत हो रही है। इसीलिए संक्षेप में दावा किया जा रहा है कि हम विधेयक लाये हैं। अब उसमें इन्होंने यह भी कहा है कि 63000 कर्मकार हैं। सन् 2000 में विधेयक आया था और अब साल भर से ज्यादा बीत गया है, क्या अभी तक 63000 ही कर्मचारी होंगे? क्या उसमें कोई घटबढ़ नहीं होती? यह कैसा विधेयक है? इसमें यह होना चाहिए कि किस तरह से कौन काम करता है, उसको सिनेमा कर्मकार माना जायेगा, परंतु ऐसा नहीं है। उसमें है कि 1600 माहवारी से 8000 तक एकमुश्त वाला और महंगाई बढ़ने से पैसा बढ़ेगा तो कर्मचारी के लिए फिट नहीं है तो कहते हैं कि कानून बदलने के लिए हम लाये हैं। इस बिल में कोई स्पष्टता नहीं है। जो वर्किंग क्लास है, मेहनतकश मजदूर हैं, उनका क्या होगा? सिनेमा का जब यह हाल है तो गरीब को कौन देखने वाला होगा? इसीलिए बात स्पष्ट होनी चाहिए और कर्मकार का कल्याण होना चाहिए।

हम देखते हैं कि जो कैमरा लिये हैं, अपने कंधे पर कैमरा लिये इधर-उधर दौड़ता है, वह सिनेमा कर्मकार में आता है कि नहीं आता है? पुराने समय कंधे में जब टी.वी. का बोलबाला नहीं था, इतना प्रचार नहीं था, उस समय 1981 का ही कानून था लेकिन हम जानना चाहते हैं कि उसमें जो हजारों कर्मकार लगे हुए हैं, उनका हिसाब-किताब सरकार को है कि नहीं है? टी.वी. सीरियल में जो हैं, वे सिनेमा कर्मकार हुए कि नहीं हुए? यहां जो कैमरा लिये दौड़ादौड़ी कर रहे हैं, घंटों को यहां गेट पर खड़े रहते हैं, वे सिनेमा कर्मकार है या नहीं? इसीलिए नाच्चीयपन साहब ने भाषण में पुराना कानून, नया कानून, ओरिजिनल कानून सब पढ़कर सुनाया है। इसीलिए मेरा कहना है कि यह बिल प्रासंगिक, समीचीन आना चाहिए। जितने लोग जो काम कर रहे हैं, उन सबके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए और उसके

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

मुताबिक कानून लाना चाहिए तब सही मायने में हम काम करने वाले लोगों का हित देख सकते हैं। जहां-कहीं भी मेहनतकश मजदूरी करने वाले लोग हैं, वहां शोषण है। पूंजीपति लोगों द्वारा गरीब का शोषण हो रहा है। सरकार को यह देखना चाहिए कि जो मेहनतकश लोग हैं, उनको कैसे प्रोटैक्शन दिया जाये, उनका कैसे कल्याण हो, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसका नाम तो ठीक है, कर्मकार कल्याण विधेयक, लेकिन परिभाषा में स्पष्टता नहीं है। इसलिए काम्प्रीहेंसिव बिल आना चाहिए। तमाम तरह के टी.वी. सीरियल हम देख रहे हैं उनमें कंधे पर रखकर कैमरामैन दौड़ रहा है, उन सबको भी इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए और उनका कल्याण कैसे होगा, कैसे उनकी जीविका चलेगी, कैसे उनका हित हो सकता है, इस दिशा में विचार करना चाहिए। उनमें भी कई टैम्परेरी हैं, जब चाहे उनको हटा दिया जाता है, उनके साथ कोई ट्रेड यूनियन्स नहीं हैं। इसीलिए उनका सब तरह से प्रोटैक्शन हो, इस तरह का कानून आयेगा तो हम सब उसका समर्थन करेंगे। अब शरद जी तो हमेशा से काम करने वालों के लिए बोलते रहे हैं। अब उनको हवाईजहाज से बदलकर लेबर मंत्रालय में ले आये हैं।

मेहनतकश लोगों के हितों के लिए बिल आयें। खेतिहर मजदूरों के संबंध में भी बिल लम्बित पड़ा हुआ है, उसको लेकर आइए। इस दिशा में कदम उठाने से सरकार सत्ता में रहे या न रहे, लेकिन यह बिल आना चाहिए। जो असंगठित मजदूर हैं, जिनका शोषण हो रहा है, जिनको साल भर भी काम नहीं मिलता है, आधा पेट भोजन मिलता है, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए बिल लाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, मैं सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 2000 का समर्थन करता हूं। हालांकि यह बहुत छोटा विधेयक है लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है।

आज प्रत्येक व्यक्ति दूरदर्शन उद्योग की बढ़ती लोकप्रियता तथा इसके फलस्वरूप सिनेमा उद्योग के हो रहे नुकसान से अवगत है। अत: सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि के लिए यह संशोधन इस तथ्य को देखते हुए आदि आवश्यक हो गया है। दूसरी ओर के मेरे सहयोगी ने जो कहा है, वह बिलकुल सत्य है।

अब, इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण भाग कर्मकारों के पंजीकरण का है। इस कल्याण निधि के अंतर्गत किसे पंजीकृत किया जाएगा? इससे कौन लाभान्वित होगा? ये सभी मुद्दे अत्यधिक महत्व के हैं जिन पर इस विधेयक में ध्यान दिया जाए।

एक निर्माता अपने कर्मकारों को एक फिल्म से दूसरी में बदलते रहता है। कैमरे के पीछे कर्मकारों को एक फिल्म से दूसरी फिल्म में बदल दिया जाता है। लेकिन दूरदर्शन के धारावाहिकों के सम्बन्ध में ऐसा नहीं होता। वह उद्योग भी काफी बड़ा है। अत: इस विधेयक में सिनेमा कर्मकारों से सम्बन्धित विषयों का भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अन्यथा इस संशोधित विधेयक का प्रभाव वह नहीं होगा जो होना चाहिए।

महोदय, इसके अतिरिक्त मैं शुल्क में व्याप्त भेदभाव का भी जिक्र करना चाहूंगा। अभिनेता अभिनेत्रियों को अत्यधिक धन मिलता है। लेकिन कैमरे के पीछे कार्यरत लोगों को पर्याप्त धन नहीं मिलता, उन्हें महत्व नहीं दिया जाता, उन्हें निधि नहीं मिलती। एक प्रकार से उनका शोषण किया जाता है। उनकी कोई पहचान नहीं होती। इस विधेयक में इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। महोदय, इस विधेयक में प्रदर्शन पक्ष पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। सिनेमा हाल में कार्यरत लोगों की भी सराहना होनी चाहिए। आज हरेक व्यक्ति सिनेमा हाल को बंद करना चाहता है और वहां शापिंग काम्पलेक्स अथवा आवासीय भवन का निर्माण करना चाहता क्योंकि वह ज्यादा लाभकारी बनाता जा रहा है। इसलिए ज्यादातर सिनेमा हाल बंद होते जा रहे हैं। यदि ऐसा होता रहा तो उन लोगों और कर्मकारों का क्या होगा जो कि विगत 30-40 वर्षों से सिनेमा हालों में कार्यरत हैं? अत: संशोधित विधेयक में इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी विधेयक में इन सब बातों को भी करेंगे।

इसी प्रकार अगर कोई सिनेमा घर का मालिक है तो वह उसे खुद नहीं चलाता। बल्कि अनुबंध के आधार पर ठेकेदार को पांच साल के लिए दे देता है। पांच साल के बाद अनुबंध नये ठेकेदार को दिया जाता है, नये ठेकेदार द्वारा सिनेमा घरों में पिछले पांच साल से कार्य करने वाले लोग निकाले भी जा सकते हैं। अगला ठेकेदार उन्हें अगर निकाल दे तो ऐसी हालत में उन लोगों का क्या होगा? यह ऐसा प्रमुख प्रश्न है, जिसे मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक में इस पर ध्यान देंगे। प्रदर्शन पक्ष के बारे में भी कुछ न कुछ जरूर किया जाना चाहिए। सिर्फ सिनेमा निर्माता कर्मकारों को ही इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए बल्कि सिनेमा हाल के कर्मकारों के बारे में भी इस विधेयक में विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, मेरा अंतिम मुद्दा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह है कि आजकल विशेषरूप से नयी फिल्मों की चोरी की वजह से सिनेमाघरों को चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। यही कारण है

कि दूरदर्शन उद्योग सिनेमा जगत पर हावी हो रहा है। दूरदर्शन के धारावाहिक लोकप्रिय इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि वे छोटे परदे के लिए खरीदे जाते हैं। इन सब समस्याओं के होते हुए, कर्मकारों को पैसा नहीं मिलता और उन्हें अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अत: इन सभी मुद्दों के मद्देनजर यह अधिक आवश्यक हो गया है कि सिनेमा कर्मकारों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए तथा उन्हें यथासंभव अधिकतम लाभ दिया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय: अब माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, मुझे बिल का सपोर्ट करना है।

सभापति महोदय: आठवले जी, कृपया आप कोआपरेट कीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ से सहयोग कीजिए। मैंने मंत्री जी को उत्तर देने के लिए बुलाया है। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैंने मंत्री जी को बुलाया है। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: महोदय, मैं इस बिल पर एक मिनट बोलना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाइए और अध्यक्ष पीठ से सहयोग करें। अब माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का मैं बहुत आभारी हूं। माननीय सदस्यों, श्री नाच्चीयपन ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। यह उद्योग एक अस्थिर उद्योग है और अधिनियम में कामगारों के पंजीकरण का प्रावधान है। इसके अंतर्गत कामगारों के पंजीकरण व उन्हें पहचान पत्र प्रदान करने का प्रावधान है। कामगारों को पहचान पत्र प्रदान करने से वे लाभान्वित होंगे।

अधिनियम में सिनेमा कामगारों की परिभाषा दी गई है। हम उस परिभाषा का दायरा नहीं बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कामगारों इत्यादि को इसमें सम्मिलित करने की एक सीमा है। अधिनियम कामगारों के लिए बहुत लाभदायक होगा और हमारे सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 63,000 कामगार इसके अंतर्गत आएंगे, इसके अतिरिक्त और अधिक कामगारों को इसके अंतर्गत लाने के लिए सर्वेक्षण कार्य जारी रहेगा। इस प्रकार, इस बारे में कोई विसंगति नहीं होगी श्रम विभाग में त्रिपक्षीय समिति है और श्रम विभाग इन सभी चीजों का ध्यान रखेगा। इसलिए उन्होंने जो भी सुझाव दिया वह अधिनियम में पहले से ही है।

मैं अपने अभिभावक डा. रघुवंश बाबू का बहुत आभारी हूं जिन्होंने अधिनियम में संशोधन के बारे में एक विस्तृत वक्तव्य दिया है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हम एक विस्तृत अधिनियम लाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है किंतु इस अधिनियम का दायरा बहुत सीमित है। यह एक कल्याणकारी अधिनियम है और यह पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम नहीं है। कल्याण उपकर एकत्र किया जाएगा और फिर इसे सिनेमा कामगारों उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण उनकी शिक्षा स्वास्थ्य इत्यादि हेतु व्यय किया जाएगा। इस प्रकार इस अधिनियम में सिनेमा कामगारों के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं और इससे उन्हें बहुत लाभ होगा।

कृषकों के कल्याण के लिए एक और विधेयक लाया जाएगा, श्रम मंत्रालय के विस्तृत अधिनियम हैं। यह कामगारों के व्यापक हितों का ध्यान रखेगा। हम यह देखने के लिए बहुत सचेत हैं कि कामगारों को लाभ पहुंचे। भले ही वे कृषि कामगार हों या फिर औद्योगिक कामगार।

श्री सुनील खा ने एक वक्तव्य दिया है किंतु संभवत: उन्होंने अधिनियम ध्यान से नहीं पढ़ा। अधिनियम में सिनेमा कर्मकारों की परिभाषा दी गई है। उन्होंने स्वर्गीय प्रदीप कुमार का जिक्र किया। इस अधिनियम के अंतर्गत अभिनेता और अभिनेत्रियां नहीं आते। इसलिए, उन्हें लाभ प्रदान करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

मैं श्री रामदास आठवले का भी आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन दिया। कुल मिलाकर, यह विधेयक सिनेमा

[श्री मुनि लाल]

कर्मकारों के लिए लाभदायक है और उनका पंजीकरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत अब तक के सभी कर्मकार आएंगे। आवश्यकतानुसार हम इसमें समय-समय पर वृद्धि करेंगे। उपकर के भुगतान हेतु पुनः समीक्षा भी की जाएगी। अतः इस बारे में कोई संदेह नहीं है। यह विधेयक सिनेमा कर्मकारों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, आपने कहा है कि 15,000 तकी ही उनका पेमेंट रहेगा। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा है कि बहुत सारा फायदा एक फिल्म में होता है और उस फिल्म में जो काम करने वाले हैं उन्हें 15,000 से ज्यादा पेमेंट मिलना चाहिए।

इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूसर्स हैं वे अगर ज्यादा पेमेंट देना चाहेंगे तो इस बैन के कारण नहीं दे सकेंगे। उनको 15000 रुपये से ज्यादा पेमेंट देने की परीमशन होनी चाहिए। इसलिए इस बैन को आपको उठाना चाहिए, यह हमारी मांग है।

श्री मुनि लाल: इसमें लिमिटेशन तो नहीं है कि ज्यादा नहीं दे सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं केवल यही कहूंगा कि विधेयक की परिधि से बहुत से सिनेमा कर्मकार बाहर हैं। मंत्री महोदय के प्रयासों से इन्हें भी किसी तरह इसमें शामिल किया जाना चाहिए। अन्यथा, इस क्षेत्र से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े बहुत से कर्मकारों को इसका लाभ नहीं होगा। मैं मंत्री जी से आशा करता हूं कि इसमें वे उन सभी कर्मकारों को शामिल करेंगे जो सुबह से रात तक काम करते हैं। वे लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं और उन्हें यह लाभ मिलना ही चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस क्षेत्र से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध सभी कर्मकारों को इसमें शामिल करन के लिए कदम उठाएंगे। यह कानूनी तौर पर होना चाहिए और संविधि की परिधि में सभी कर्मकार आने चाहिए ताकि वे इससे लाभान्वित हो सकें।

श्री मुनि लाल: अपने हितों का ध्यान रखने के लिए कर्मकार संगठन व मजदूर संघ हैं।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेगी।

खण्ड-2

1981 के अधिनियम 33 की धारा 2 का संशोधन

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 2-

"2000" के *स्थान* पर "2001" (3)

प्रतिस्थापित किया जाए। (श्री मुनि लाल)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,-

"2000" के *स्थान* पर "2001" (2)

प्रतिस्थापित किया जाए। (श्री मुनि लाल)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,-

"इक्यावनवें" के *स्थान* पर **"बावनवें"**(1)

प्रतिस्थापित किया जाए। (श्री मुनि लाल)

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री मुनि लालः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदयः अब सभा कल 21 नवम्बर, 2001 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 5.56 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 21 नवम्बर, 2001/30 कार्तिक, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.20.2/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।